(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] दसवीं विधान सभा के नवें सत्र का चौथा दिवस [संख्या : 4

गुरुवार,

11 सितम्बर, 1997

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

(सदन में भारी शोरगुल एवं नारे)

अनुरोध

जैन मुनि की आत्महत्या पर चर्चा

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, जैन साधु के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाये उससे उसने तेजाब पी लिया और सरकार आराम से सो रही है। मुनि तो तेजाब पी रहे हैं....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान का सम्पूर्ण जैन समाज उद्वेलित है। भीनमाल और जालोर में स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। इस राज में रोज बलात्कार हो रहे हैं और साधुओं की हत्याएं हो रही हैं अतः सरकार को अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। प्रशासन जिस तरह से विफल हुआ है....(व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, साधुओं के नाम पर सरकार बनाने वाले साधुओं को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये हालात बन रहे हैं आपकी सरकार में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिये।....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, प्रशासन पूरी तरह से विफल हुआ है। संवेदनशील और गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, साधुओं के नाम पर सरकार बनाने वाली पार्टी के राज में साधुओं को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : +++यह भाजपा की+++सरकार है। जैन मुनि की हत्या कर दी गई है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिये।....(व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : +++

एक माननीय सदस्य : गरीबों का शोषण हो रहा है, साधुओं की हत्याएं हो रही हैं व प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं। यह सरकार इस्तीफा देकर अपने घर जाए।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, सरकार को स्टेटमेंट देना चाहिए।

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप मीणा : साधुओं की +++को....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार को तो+++

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये । प्रश्नकाल चलने दें आप । (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जैनी हैं और एक जैन साधु को आत्म हत्या के लिए प्रेरित होना पड़े ऐसी सरकार, ऐसा प्रशासन+++है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी सरकार जिसमें इस तरह के असत्य आरोपों के अन्दर, इस तरह की पुलिस प्रशासन की बदमाशी की वजह से, राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से अगर इस तरह के कृत्य जैन साधुओं को करने पड़ें तो सरकार से विश्वास उठ जाएगा। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जैनी हैं अगर जैन मुनियों की सुरक्षा भी नहीं करवा सकें तो कोई अधिकार नहीं है। आप स्वयं जैनी हैं अगर जैनी साधुओं को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जाता है, अगर मजबूर किया जाता है तो आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

(भारी शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। इस विषय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए आप निश्चित रूप से प्रश्न काल के बाद इस पर चर्चा अवश्य करावें। प्रश्नकाल के बाद इस विषय को अवश्य लिया जाए।....(व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जैनी हैं और जैन मुनियों को इस तरह आत्महत्या के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, कोई अधिकार नहीं है आपको इस कुर्सी पर बैठने का।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय इस पर चर्चा करवा लें प्रश्नकाल के बाद।....(व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जैनी हैं और अगर जैन मुनियों को इस तरह आत्महत्या करनी पड़ती है तो कोई अधिकार नहीं है आपको इस शासन का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, प्रश्नकाल चलने दें। कृपया बिराजिये आप।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से अगर यह चलता रहा....(व्यवधान)....क्या बात है। कोई पूछने वाला नहीं है, उस जैन साधु की अन्त्येष्टि रुकी पड़ी है।...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : इस +++के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पास किया जाए।

श्री भीमराज भाटी : उस जैन साधु की अन्त्येष्टि रुकी हुई पड़ी हैं (व्यवधान) आप इस पर कुछ व्यवस्था दीजिये।

श्री रामनारायण मीणा : साधुओं की कमी करने वाली, साधुओं से नाराज,

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामनारायण मीणा)

+++साधुओं के खिलाफ मानस रखने वाली इस सरकार के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पास किया जाए। राज्य सरकार क्या चाहती है हमसे ?....(व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस जैन साधु की अन्त्येष्टि रुकी पड़ी है, वहां की जनता उस लाश को लेकर बैठी है। यह सरकार कुछ नहीं कर सकती। उसका दाह संस्कार नहीं हो रहा है। वे दाह संस्कार के लिए रोक कर बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : +++ सरकार के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पास किया जाए। राज्य सरकार क्या कहना चाहती हैं ? राज्य सरकार से अपना [redacted] रखवाइये आप।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस जैन साधु की अन्त्येष्टि रुकी पड़ी है। जब तक कुछ कार्यवाही नहीं होगी, उसकी अन्त्येष्टि नहीं होगी। मेहरबानी करके कुछ व्यवस्था कराएं। साधुओं के नाम पर, साधुओं का चुनाव प्रचार में (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी से वक्तव्य दिलवाएं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : राज्य सरकार मौन है। इस हत्या में राज्य सरकार शामिल है। राज्य सरकार के+++से अकर्मण्यता की विशेषकर आलोचना हुई है....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इस घटना पर गृह मंत्री जी से वक्तव्य दिलवाइये।....(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : (व्यवधान) वक्तव्य मुख्य मंत्री देंगे।....(व्यवधान).... मुख्य मंत्री क्या कहना चाहते हैं ? राज्य सरकार क्या कहना चाहती है सदन में ?

एक माननीय सदस्य : गृह मंत्री अक्षम हैं ? (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : साधुओं के नाम पर वोट लेने वाले मेहरबानी करके उस साधु की अन्त्येष्टि मत रोकिये। उसकी अन्त्येष्टि रुकी पड़ी है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी आज बैठे हैं....(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मुख्य मंत्री क्या कहना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सरकार से वक्तव्य दिलवाइये।.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, साल भर में पन्द्रह दिन तो सदन नहीं चलाती सरकार, कितनी अक्षम सरकार है, राज्य सरकार क्या कहना चाहती है, कहलवाइये।

एक माननीय सदस्य : जिस तरीके से साधुओं के ऊपर असत्य आरोप लगाये.... (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस साधु की अन्त्येष्टि रुकी पड़ी

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भीखराज भाटी)

है। मेहरबानी करके कुछ व्यवस्था करवाइये....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार से वक्तव्य आना चाहिए सदन में अभी।

श्री भीखराज भाटी : इस तरह किसी साधु की अन्त्येष्टि को रुकने नहीं दिया जा सकता। मेहरबानी करके व्यवस्था करवाइये। आपकी सरकार के लोग वहां की जनता को दबा रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं वहां के लोगों को।

(भारी शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजिये। प्रश्नकाल तो चलने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : एस. पी. को सस्पैंड किया जाए।

श्री रामनारायण मीणा : भीनमाल में लोकेन्द्र मुनि को आत्महत्या करनी पड़ी सरकार के+++की वजह से (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस सरकार का किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। यहां रोज बलात्कार हो रहे हैं, यहां रोज हत्याएं हो रही हैं....(व्यवधान)....इसलिए सरकार को स्टेटमेंट देना चाहिए सुओ मोटो।

एक माननीय सदस्य : ....(व्यवधान) साधुओं की आत्महत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं....(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैन मुनिजी की हत्या के मामले को लेकर इस सदन के माननीय सदस्य....

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : हत्या नहीं आत्महत्या।

अनेक माननीय सदस्य : हत्या हत्या। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मदेरणा साहब कुछ कह रहे हैं, सुनिये आप।

श्री परसराम मदेरणा : आत्महत्या को लेकर सदन के माननीय सदस्य उद्वेलित हैं। क्वेश्चन आवर के बाद, गृह मंत्री जी, जो भी तथ्य आज आपके पास संकलित हैं, सरकार के पास हैं उन तथ्यों के आधार पर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप राज्य सरकार की, गृह मंत्री को ये निर्देश दें....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : गृह मंत्री जी तो स्वयं ही बेड़ियों में जकड़े हुए हैं।

श्री परसराम मदेरणा : बैठिये आप, पहले, मैं बोल रहा हूं। मुझे बोलने दीजिये, (व्यवधान) बैठे रहिये आप। आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे?

श्री अध्यक्ष : मदेरणा साहब बोल रहे हैं, कृपया बिराजिये।

श्री परसराम मदेरणा : उन्हें आप निर्देश दें कि वे जो भी तथ्य अभी तक एकत्रित कर सके हैं वे अभी क्वेश्चन आवर के उपरान्त वक्तव्य दें, एक बात।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

क्वेश्चन ऑवर की कल भी, परसों भी चर्चा हुई थी और उसके बाद में क्वेश्चन ऑवर आधा घंटे के बाद प्रारम्भ हुआ। इस सदन को इस बारे में बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए कि कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आम जनता की समस्याएं हैं, लोगों में असंतोष की भावना है और क्योंकि पार्लियामेंट इस प्रकार का निर्णय ले चुकी है जिसमें सभी पोलिटिकल पार्टीज थीं, इसमें सी. पी. एम. भी सम्मिलित है, सब पोलिटिकल पार्टीज राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का निर्णय ले चुकी हैं कि प्रश्नकाल में व्यवधान नहीं डाला जाए। एक भावना थी, जो माननीय सदस्यों ने आपको बता दी। उसके बाद में सरकार निश्चित तौर पर प्रश्नकाल के बाद वक्तव्य देगी, ऐसा समझकर मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि प्रश्न काल में आज बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। खास तौर से माननीय सदस्यों से यह भी कहूंगा कि आप पहले तीन प्रश्न पर ज्यादा समय नहीं लें क्योंकि प्रश्न संख्या 4 में जो इंफोर्मेशन है वह आने वाले बिल के लिए एक आधार है इसलिए प्रश्न काल को चलने दिया जाए और उसके बाद ही इस पर राज्य सरकार वक्तव्य दे।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की तरफ से कमिटमेंट आना चाहिए कि सरकार प्रश्नकाल के बाद वक्तव्य देगी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने अभी जो मांग रखी है सरकार को उसमें कोई आपत्ति नहीं है और इस घटना पर प्रश्नकाल के बाद में गृह मंत्री जी वक्तव्य दे देंगे, चर्चा भी आप चाहें तो कर लें।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालालजी सहरिया।

तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(सोमवार, 8 सितम्बर, 1997)

जे. के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड, कोटा के श्रमिकों का वेतन भुगतान प्रकरण

1. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) एवं **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा स्थित जे. के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड के पी. एस. जी. समूह के दो कारखानों में दो माह से श्रमिकों व अधिकारियों को वेतन नहीं मिला तथा ए. टी. सी. समूह के एक्रेलिक व टायर कोर्ड को बन्द करके वहां के श्रमिकों को भी 11 माह से वेतन नहीं मिला है ?

(2) यदि हां, तो सरकार द्वारा जे.के. सिन्थेटिक्स की सारी यूनिट्स में उत्पादन शुरू करने तथा श्रमिकों को वेतन मिल सके, इस बारे में क्या प्रयास किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन (श्री नन्दलाल मीणा) : (1) जी, हां। पी. एस. जी. समूह के पांचों कारखानों में दो माह से श्रमिकों को व तीन माह से अधिकारियों को वेतन नहीं मिला है।

(2) विभिन्न स्तरों पर श्रमिक संघों एवं नियोजकों से वार्ता कर श्रमिकों को वेतन

(श्री नन्दलाल मीणा)

दिलवाने एवं कारखाने को चालू रखने के प्रयास किये गये हैं। जे. के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड के ए. टी. सी. ग्रुप के एक्रेलिक व टायर कोर्ड संस्थाओं में श्रमिकों के माह अक्टूबर, 1996 से फरवरी, 1997 तक के बकाया वेतन भुगतान हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33–सी (1) के अन्तर्गत वेतन वसूली का प्रमाण पत्र दिनांक 21–6–97 को जिला कलक्टर, कोटा को जारी किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त होने के कारण नीलामी स्थगित है। फरवरी, 1997 के पश्चात् के वेतन भुगतान हेतु अग्रिम कार्यवाही जारी है।

श्री हीरालाल सहरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जे. के. सिन्थेटिक्स में मजदूरों को वेतन दिलाने में सरकार ने जो देरी की है उसके क्या कारण रहे ? दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी चाहूंगा कि कोटा एक औद्योगिक नगरी होने के नाते यहां जो छोटे–छोटे, नये–नये उद्योग लग रहे हैं, क्या सरकार इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी प्रकार का और कदम उठाने जा रही है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इन उद्योगों को प्रशासन अपने हाथ में लेकर चलाना चाहता है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इनको जो तीन महीने का वेतन नहीं दिया है, इसके क्या कारण रहे, क्यों नहीं इनको वेतन अब तक दिलाया गया ? यह मेरा प्रश्न है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं प्रश्न कर लूं उसके बाद आप जवाब दे दें तो अच्छा रहेगा, बात तो एक ही है।

अध्यक्ष महोदय, जे. के. सिन्थेटिक्स में सारी यूनिट्स आज उत्पादन नहीं कर रही हैं, बन्द पड़ी हुई हैं और श्रमिकों को जो पी. एस. जी. ग्रुप के हैं, आपकी निगाह में तो जे. के. सिन्थेटिक्स एक यूनिट है लेकिन असल में वे पांच यूनिट्स हैं क्योंकि सब के मालिक अलग-अलग हो गये, अलग-अलग उनका प्रबन्ध हो गया, उस बात से लेबर लॉ को कोई लेना-देना नहीं है, लेबर मंत्रालय को भी कोई लेना-देना नहीं है। उत्पादन सब जगह बन्द है और पी. एस. जी. ग्रुप के जो दो कारखाने हैं वहां के अधिकारियों को और वहां के मजदूरों को 2–3 महीने से वेतन नहीं मिला और ए. टी. सी. ग्रुप के जो तीन कारखाने हैं उनको वेतन 11–12 महीने से ही नहीं मिल रहा है। उसके लिए आपने कुर्की वारंट निकाले। कुर्की वारंट निकालने में आपने ऐसे लेकुनाज छोड़े कि जिससे जे. के. सिन्थेटिक्स हाई कोर्ट में जाकर फौरन स्टे ले लायी। आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में केस को मुस्तैदी से रखा ही नहीं गया वरना उनको कुर्की वारंट पर किसी भी तरीके से हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिल सकता था। मेरा आपसे निवेदन यह है कि अगर सरकार की मंशा वाकई में साफ है, सरकार मजदूरों को वेतन दिलाना चाहती है तो उनके पास प्रिपेयर्ड माल इतना पड़ा हुआ था और अभी भी है कि आप उसको जब्त कर लें। कुर्की वारंट पर जो स्टे मिला है, कुर्की वारंट में आपने सम्पति की लिस्ट दे दी कि ये-ये सम्पतियां हैं, हम इनकी कुर्की करते हैं, जिसमें कॉलोनी आ गयीं, टेनिस

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

कोर्ट आ गया, क्लब आ गया और यह आ गया, वह आ गया, लेकिन जो तैयार शुदा माल उनके पास पड़ा हुआ है उसकी खुद की कीमत इतनी है कि वहां के मजदूरों का टोटल वेतन उससे चुकाया जा सकता था। आपने यह कार्यवाही क्यों नहीं की? पहला सवाल।

दूसरी बात यह है कि आपने इसके बाद में जब यह देखा कि मजदूरों की तरफ से, चाहे वह भारतीय मजदूर संघ की तरफ से हो, चाहे मार्क्सवादी की तरफ से हो, चाहे इंटक की तरफ से हो, जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया जा रहा है, वातावरण बहुत दूषित होता जा रहा है तो आपने यह 10 के. के. का नोटिस दिया। मैं उस नोटिस का आम तौर से स्वागत करता हूं कि कम से कम इसमें यह तो हुआ कि तालाबंदी वे नहीं कर पाएंगे लेकिन मजदूरों के हित पर चोट आपने इसमें भी पहुंचायी है। जिस मजदूर को 11–12 महीने से वेतन नहीं मिल रहा उसको धरने तक की पाबंदी आपने उसमें लगा दी। 10 के.के. नोटिस में आपको यह चाहिए था कि आप मालिकों को पाबंद करते कि उत्पादन शुरू करो। कैसे भी करो पर उत्पादन शुरू करो और किसी भी प्रकार से कहां से भी पैसा लाओ लेकिन मजदूरों का पैसा चुकाओ। वह लेकुना आपने क्यों छोड़ा। 10 के. के. नोटिस में जबकि यह प्रोविजन है उसमें?

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : प्रश्न करो, भाषण दे रहे हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप समझ रहे हो क्या मेरी बात को? मैं बार बार कह रहा हूं क्यों छोड़ा? ये प्रश्न ही हैं। प्रश्न और किसे कहते हैं?

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह के भाषण अलाउ नहीं किये जाने चाहिये। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए। बिराजें।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : बहुत समय खराब होता है इसमें।

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ही नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, ये समझते ही नहीं हैं कि क्या तो भाषण होता है और क्या प्रश्न होता है।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : केवल प्रश्न पूछें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तभी तो आप बी. जे. पी. में बैठे हुए हो।

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, थोड़ा-सा स्पेसिफिक प्रश्न करें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : स्पेसिफिक ही पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपने सारी बातें बता दी हैं, आप स्पेसिफिक प्रश्न करें अब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कृपया आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि अगर

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

सरकार का रुख मालिकों की तरफ नहीं था, मालिकों की तरफ झुकाव नहीं था तो आपने पी. एस. जी. ग्रुप को दो बार बोनस नहीं देने की इजाजत दी थी, क्यों उनकी अवधि बढ़ायी ? वे आपके पास आये कि हम बोनस नहीं दे पाएंगे, आपने फट से अवधि बढ़ा दी। फिर दुबारा आये कि नहीं देंगे फिर बढ़ा दी और आज तक उनको बोनस नहीं मिला। जो बोनस 1600 रुपये पर मिला करता था उसको अब 2500 रुपये कर दिया। उसका डिफरेंस बकाया था जिस पर मालिकों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिडिंग्स शुरू होनी चाहिएं थी, लेकिन आपने क्यों नहीं की ? मेरे ये तीन सवाल हैं।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमंडी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी कहना है।

श्री अध्यक्ष : आपको भी कहना है ?

श्री रामकिशन वर्मा : हां। यह मेरी खुद की कांस्टीट्यूएंसी थी।

श्री प्रभुनवास मदान (लाडपुरा) : अध्यक्ष महोदय, इनकी तो कांस्टीट्यूएंसी थी लेकिन मेरी आज है इसलिए मुझे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष : दोनों को ही सुनेंगे। आप बोलें, माननीय सदस्य।

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस फैक्ट्री को चालू करवाएंगे या नहीं ? मजदूरों को पैसा दिलवाएंगे या नहीं ? उन गरीबों के रोजगार का क्या होगा ? इस फैक्ट्री ने कोटा में गुण्डागर्दी, महंगाई और सारा वातावरण खराब किया है। पहले तो हमको महंगाई दी, लूट के हमको ले गये और आज मजदूर दर-दर का भिखारी बन रहा है। सारे मजदूर अपने जेवर, बोरी-बिस्तर, बरतन-भाण्डे गिरवी रख-रखकर अपना पेट पाल रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अविलम्ब उन लोगों को पैसा दिलाकर फैक्ट्री को चालू करवाएं और लोगों को आजीविका के लिए मौका दें।

श्री अध्यक्ष : मदान साहब।

श्री प्रभुनवास मदान : अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल-मात्र इतना आग्रह है कि जो सवाल शांति कुमारजी ने पूछे या रामकिशन जी ने पूछे हैं उसके अतिरिक्त पूछना चाहूंगा।

स्थगन आदेश 3–9–97 को समाप्त हुआ। सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि प्रारम्भ से लेकर अन्त तक कोई भी घटना ऐसी नहीं है जबकि इस केस के साथ मैं अपने आपको जुड़ा हुआ नहीं पाता। मेरा तो केवल मात्र इतना निवेदन है कि जो कुर्की 3–9–97 को होनी चाहिये थी अब वह स्थगन आदेश 8–8–97 को। मुझे बहुत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है इस सदन को कि स्थगन आदेश हाई कोर्ट ने 8–8–97 को दिया, कुर्की के आदेश 3–9–97 को एप्लीकेबल होने थे और 8–8–97 को आदेश देकर उनकी एप्लीकेबलिटी की डेट, उनको लागू करने की डेट 21–10–97 कर दी गयी। समझ में नहीं आता, आज तक के स्थगन आदेश में मैंने कभी नहीं देखा कि स्थगन तो आज पारित हो रहा है और उसके लागू होने

(श्री अर्जुनदास मदान)

की तारीख पौने दो महीने बाद सरकायी जा रही है। पहला प्रश्न।

दूसरा, मुझे यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है, मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, स्थिति इतनी दूभर है कि बच्चों के स्कूल–विद्यालय बंद हो रहे हैं। 970 बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर विद्यार्थियों का हाई स्कूल है। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से, श्रम मंत्री महोदय से और उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन माता-पिताओं के साथ उन बालकों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। उन अध्यापकों को भी 3-3 महीनों का वेतन नहीं मिल रहा। उनको न तो सरकार और न मैनेजमेंट चलाने के लिये तैयार है न वहां के तथाकथित जो कुछ भी संगठन है उनका भी उतना जूझारूपन है कि किसी तरह से वह फैक्टरी चले। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा चाहे कि इसको टेक ओवर भी करना पड़े, क्योंकि 5000 लोगों के भविष्य का सवाल है। मान्यवर, अगर ये फैक्ट्रियां बंद हो गईं तो हिरोशिमा और नागासाकी के पड़े हुए बमों की तो आवाज आयी थी लेकिन इसकी कोई आवाज भी नहीं आनी और सारे लोग बिना मौत ही मर जाएंगे। इस पर कृपया ध्यान दें।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट उनको कहा है मैंने, आपके पीछे ही खड़े हैं। हां, आप भी कह देना।

श्री आर. पी. शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। कोटा एक औद्योगिक नगरी है। आज से 6 महीने पहले सेमकोर फैक्ट्री ने इस तरह से तालाबंदी की और सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया। जे. के. में आज से 8–10 साल पूर्व भी तालाबंदी की गई और सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया। श्रमिकों की जो समस्याएं जे. के. सिन्थेटिक्स में चल रही हैं उनके सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। प्रबन्धकों के द्वारा इस तरह फैक्ट्रियों को बार-बार बंद करने की पुनरावृत्ति न की जाए जिससे श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं मिले और उनके बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके लिये क्या सरकार स्थायी प्रबन्ध करने का प्रयास करेगी? दूसरा, किस तारीख को इन श्रमिकों को भुगतान कर दिया जाएगा, उस फैक्ट्री को चालू करवा दिया जाएगा?

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्पेसिफिक निवेदन करना चाहूंगा। जे. के. उद्योग में हड़ताल के बाद लाडपुरा से आने वाले माननीय विधायक जब मजदूरों के साथ धरने पर बैठने जा रहे थे और हमने उनको समर्थन का पूरा वादा दिया था, क्या कारण था कि राज्य सरकार ने विधायकों पर दबाव डालकर उनको धरने पर से उठाया? पहला सवाल। यह समझौता सामने आना चाहिये। दूसरा क्या राज्य सरकार ने और कोटा के वरिष्ठ मंत्रियों ने उद्योगपतियों के पक्ष में मजदूरों को बांट

(10)

(श्री रामनारायण मीणा)

कर अलग से दो यूनियनें बनाकर मजदूरों के हितों के खिलाफ काम किया ताकि वे संगठित होकर उद्योगपतियों के खिलाफ लड़ नहीं सकें ? यही कारण है कि आज मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछें । इससे रिलेटेड प्रश्न पूछें आप ।

श्री रामनारायण मीणा : मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है । मैं उन अधिकारियों, समझौते को और मंत्रियों ने सेठ से अलग से कमरे में किस-किस तारीख को बात की, यदि मुझे इजाजत दी जाए तो मैं उसको भी रखना चाहूंगा । पहले सरकार की ओर से जवाब आ जाए ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप । माननीय मंत्री जी ।

श्री मनुभवास भवान : अध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहें तो एक मिनट के लिये निवेदन करना चाहता हूं । नाम जब आ गया तो मुझे जवाब तो देने दीजिये सदन में । नामजद कोई क्वेश्चन उठा है, अगर आपकी अनुमति हो (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्न का जवाब आने दें । आप जवाब आने दें ।

श्री हीरालाल सहरिया : अध्यक्ष महोदय, जवाब आने दें आप ।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब आने दें ।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा यह निवेदन है कि जे.के. समूह के राजस्थान में 11 कारखाने हैं और उनमें से एक कारखाने को छोड़कर बाकी के दसों बन्द हैं । इन कारखानों से देश और प्रदेश की सरकार को 350 करोड़ रुपये शुल्क के आधार पर मिलते थे एक साल में और कोटा को अकेले एक दिन में एक लाख की इनकम चुंगी के रूप में होती थी, एक लाख रुपया पर डे । इसमें एक तो मंत्री महोदय यह बताएं कि इस जे. के. समूह में वित्तीय संस्थाओं का कितना पैसा लगा है और जो मैनेजमेंट सिंघानिया के पास है उसका कितना पैसा इसके अन्दर लगा है ? 700 करोड़...

श्री अध्यक्ष : यह तो प्रश्न ही नहीं है, माननीय, बिराजें आप । यह प्रश्न नहीं पूछा गया है, यह मूल प्रश्न का भाग नहीं है ।

श्री अमराराम (धोद) : प्रश्न इसलिए है, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस समूह में 700 करोड़ रुपया विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का लगा है । मैनेजमेंट का कुछ हिस्सा लगा था उससे कहीं ज्यादा यह मैनेजमेंट निकाल कर ले गया और अब और कहीं पूंजी लगाना चाहता है और वित्तीय संस्थाओं और इस देश और प्रदेश की जनता को डूबोना चाहता है । इसलिए यह मैं कहना चाहता हूं कि पांच हजार मजदूर डाइरेक्ट और पांच हजार मजदूर इन-डाइरेक्ट उस उद्योग से जुड़े हुए हैं और अगर यह समूह पूरा यहां से उद्योग ले जाएगा तो राजस्थान की उद्योग नगरी कोटा में, मैं समझता हूं फिर कुछ नहीं बचेगा । इसलिए राज्य सरकार द्वारा हस्तक्षेप करके ऊपर के स्तर पर उनको इस बात के लिए बाध्य किया जाए और बाध्य करके उस कारखाने को चालू करवाकर

(श्री अमराराम)

जाए। यह केवल श्रमिकों के हितों का सवाल नहीं है, राजस्थान के हितों का सवाल है, पूरे देश के हितों का सवाल है। जनता का पैसा इस उद्योग में लगा हुआ है....

श्री हरिसिंह (कहुआ) : उद्योग बन्द हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। माननीय मंत्री जी। आपकी बात सुन ली, वही बात कह रहे है आप।

श्री रामनारायण मीणा : विदेशी आ रहे हैं स्वदेशी के नाम पर।

श्री अध्यक्ष : इनकी बात तो सुन लें फिर बाद में कोई बात हो तो कह दें।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जे. के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड, कोटा के अन्तर्गत आज की स्थिति में दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप पी.एस.जी. ग्रुप के नाम से जाना जाता है और दूसरा ग्रुप ए.टी.सी. ग्रुप के नाम से जाना जाता है। पारिवारिक विवाद के कारण ये दोनों ग्रुप पारिवारिक बंटवारे में अलग-अलग हो गये हैं। यह सही है कि पी.एस.जी. ग्रुप में लगभग 2800 श्रमिकों को जून-जुलाई से भुगतान नहीं किया गया है और इसी तरह से ए. टी.सी. ग्रुप में लगभग 1300 श्रमिक कार्यरत थे जिन्हें अक्टूबर, 1996 से भुगतान नहीं किया गया। माननीय सदस्यों ने भुगतान पर बड़ी चिंता जाहिर की है। मैं सदन के सामने निवेदन करके यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने श्रमिकों के हितों में कारखाने का उत्पादन लगातार बढ़ता रहे, चलता रहे ताकि जो श्रमिक वहां पर सेवारत हैं उन श्रमिकों को रोजगार मिलता रहे, इस दृष्टि से प्रयास किये हैं जिसका मोटा-मोटा विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, अक्टूबर, 1996 से ए. टी. सी. समूह में श्रमिकों को भुगतान नहीं हुआ। 2-4-97 को वहां पर जो यूनियनें चल रही हैं उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा-33-सी(1) के अन्तर्गत वेतन बकाया राशि की वसूली करने के लिये प्रबन्धक की सम्पत्ति से किये जाने वाले क्लेम का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय, यह अप्रेल, 1997 में हुआ। राज्य सरकार ने 21 जून, 1997 को जिला कलक्टर, कोटा को तीन अलग-अलग वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये कि इन श्रमिकों को करीब 4 करोड़ रुपये का भुगतान समूह की प्रोपर्टी से वसूल करके किया जाए। इसके तीन दिन बाद 24 जून, 1997 को कलक्टर, कोटा ने इस समूह की चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा इकट्ठा किया। उन्होंने यह अनुभव किया कि जो लगभग 4 करोड़ रुपया श्रमिकों को भुगतान करना है, प्रोपर्टी जो कोटा में स्थित है, उससे यह भुगतान नहीं किया जा सकता। कलक्टर, कोटा ने 24-6-97 को श्रम विभाग को कहा कि यह प्रोपर्टी पर्याप्त नहीं है। राजस्थान में अन्य जिलों में जहां-जहां भी इस ग्रुप की प्रोपर्टी है उसको भी कुर्क करने के आदेश दिये जाएं। इसके बाद श्रम विभाग ने तीसरे ही दिन अन्य जिलों में भी जो सम्पत्ति है उसको भी इस परिधि में लेकर कुर्क किया जाकर पैसा वसूल करने के आदेश प्रसारित कर दिये। अध्यक्ष महोदय,

(श्री नन्दलाल मीणा)

इसके पश्चात् नियोजक द्वारा इन आदेशों के विरुद्ध, जो 27-6-97 को कुर्की के आदेश कलक्टर को दिये थे उसके विरुद्ध राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बैंच में ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह तो आ गया, इतनी लम्बी बात आपसे पूछनी नहीं है। हम तो सिर्फ 2 बातें पूछना चाहते हैं कि इस फैक्ट्री में उत्पादन शुरू हो, इसके लिये क्या राज्य सरकार इसे टेक ओवर करेगी? बस हम तो इतना-सा चाहते हैं, आप इतना लम्बा जवाब दें ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें (व्यवधान) धारीवाल साहब, विराजें।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपका सवाल भी तो लम्बा था।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हम नहीं चाहते कि यह सवाल लम्बा चले। दूसरे सवाल आयेंगे। आप तो इतना-सा बता दीजिये, क्या गवर्नमेंट टेकओवर करना चाहती है?

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : मंत्री जी ठीक कह रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : लम्बे भाषण का जवाब लम्बा होता है, माननीय।

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या इस इण्डस्ट्री को गवर्नमेंट टेकओवर करना चाहती है, बस इस सवाल का जवाब दे दो।

श्री अध्यक्ष : आपने जो सवाल पूछा है, और कई माननीय सदस्यों ने कई क्वैरीज की हैं, उनका जवाब आने दीजिये।

श्री हीरालाल सहरिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बताये कि वेतन कब तक मिल जाएगा? इस फैक्ट्री को क्या राज्य सरकार अपने हाथों में ले रही है? मजदूरों को .. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शांतिकुमार जी, आपका प्रश्न भी भाषण की तरह था। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हमारे बाकी सवालों का जवाब हो गया, हमें तो एक सवाल का जवाब चाहिये कि क्या गवर्नमेंट टेकओवर करेगी?

श्री अध्यक्ष : धारीवालजी बिराजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शांति कुमारजी, आपके प्रश्न में एक लम्बा भाषण था। इसलिए उत्तर भी एक लम्बा भाषण हो सकता था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 15 मिनट में एक सवाल ... (व्यवधान) कृपया आप सुनें तो सही। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जब हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी कर दिया (व्यवधान) और यह सभी अच्छी तरह से जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, कि हाई कोर्ट के स्थगन आदेश की अवहेलना न

(श्री नन्दलाल मीणा)

कोई विभाग कर सकता है और न कोई व्यक्ति कर सकता है। हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि 3-9-97 के बाद 6 सप्ताह का समय दिया जाए, और यह प्रोपर्टी जिनसे इन ग्रुपों से पैसा वसूल करना है, वह कलक्टर, कोटा को अटैच कर दी गयी, अध्यक्ष महोदय, ताकि कोई फर्म, कोई ग्रुप उसको खुर्द-बुर्द न कर सके। अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारी क्या गलती है ? परन्तु यह मामला केवल भुगतान तक या कारखाने को चलाने तक नहीं है। प्रबन्धन पक्ष 5 तारीख को मेरे समक्ष आया था, मैंने उनको भी कहा। मैं भी जानता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि श्रमिकों की क्या स्थिति होती है, उनको भुगतान होना चाहिये, उत्पादन बढ़ना चाहिये। ये कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान में श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच में एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं। एक तरफ जहां पर लगभग 5 हजार श्रमिकों का सवाल है और प्रबन्धन पक्ष ने यहां हरी झण्डी दिखा दी, हाई कोर्ट के डाइरेक्शन हैं, अध्यक्ष महोदय, अब अक्टूबर का महीना बहुत जल्दी आ रहा है और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उस टाइम–पीरियड के बाद निश्चित रूप से इन मजदूरों के भुगतान के लिये इनकी चल और अचल सम्पत्ति को कुर्क किया जाएगा ताकि उन श्रमिकों को राहत दी जा सके।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जिस सरकार के आदेश में यह हो कि जिनको 12 महीने से तन्ख्वाह नहीं मिली वे मांग भी नहीं कर सकते, धरना भी नहीं दे सकते, मारेंगे भी और बोलने भी नहीं देंगे, ऐसी सरकार मजदूरों के हक की बात करती है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, आप बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : 12 महीनों से जिनको तनख्वाह नहीं मिली, वे धरना नहीं दे सकते। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसी भी यूनियन ने, क्योंकि वहां पर मान्यता प्राप्त यूनियन सी.आई.टी.यू. है, लेकिन किसी भी मान्यता और गैर-मान्यता प्राप्त यूनियन ने उस कारखाने की हड़ताल के लिये नहीं ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिये, बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : 12 महीने से वहां ऐसी स्थिति बन रही है लेकिन कोई भी ? यह मांग नहीं करता कि बन्द होना चाहिये। यह तो मालिक और सरकार चाहती है कि मजदूरों का शोषण हो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। अमराराम जी, इसमें कोई डिबेट की आवश्यकता नहीं है, इन्होंने कह दिया हम भुगतान कराएंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो कह रहे हैं कि भुगतान नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ इनकी मंशा यह है कि फैक्ट्री लगातार चलती रहनी चाहिये। हमने दोनों पक्षों को इस बात के लिये विशेष आदेश के जरिये बांधा है कि हड़ताल नहीं होनी चाहिये, धरना नहीं होना चाहिये और तालाबन्दी नहीं होनी चाहिये। यह कौन सा पाप किया ? अध्यक्ष महोदय, जनता के हित में, राजस्थान के औद्योगिक विकास के हित में हमने यह आदेश प्रसारित

(श्री नन्दलाल मीणा)

किया है और मैं समझता हूं कि कामरेड को इस मामले में सन्तुष्ट होना चाहिये कि ये व्यवस्थाएं की हैं। आज जब नियोजक यह कह रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम प्रबन्धन राशि का प्रबन्ध नहीं कर सकते, राज्य सरकार ने स्वयं, उप मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर, मेरे स्तर पर, मुख्य मंत्रीजी के स्तर, एक नहीं अनेकों बार हमने इसके साथ बैठकर समझौता कराने का प्रयास किया है ताकि फैक्ट्री लगातार चलती रहे, श्रमिकों को रोजगार मिलता रहे। परन्तु यह पैसों के प्रबन्ध का सवाल है, इसके प्रबन्धन में समय लग सकता है। उन्होंने भी अपनी मजबूरी हमारे सामने बताई है। अभी इसी को मुश्किल [illegible] देखते हुए हाई कोर्ट ने भी उनको [illegible] किया है। यह सितम्बर का महीना खत्म हो रहा है, 15-20 दिन की बात है, 20 दिन में निश्चित रूप से तनख्वाह की व्यवस्था होगी, भुगतान की भी होगी।

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, [illegible] मेरा प्रश्न था कि उन लोगों को तनख्वाह मिलेगी या नहीं? वे भूखे मर रहे हैं, उनके बच्चों की ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह बात हो गयी, बिराजिए आप। (व्यवधान) अक्टूबर में [illegible] बिराजें आप।

श्री प्रद्युम्नदास मदान : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : उनको तनख्वाह मिलेगी ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमारी मंशा यह है कि जे. के. सिन्थेटिक लिमिटेड चलती रहे और इनको रोजगार जारी रहे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। मदान साहब। (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : [illegible] एक बार [illegible] नहीं [illegible] यह हुआ ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मदान साहब, (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : एक सौ [illegible] की मुश्किल है, [illegible] के लिये (व्यवधान) कर रहे हैं, यह कोई तरीका है?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान) मदान साहब।

श्री प्रद्युम्नदास मदान : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं। प्रतिपक्ष के सदस्यों से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्रारम्भ से लेकर आज तक सरकार की मंशा न तो मजदूरों के अहित में थी, मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देता हूं। आप मुझे बताइये कि वेतन की बात ये कर रहे हैं, जिस एम्प्लायर ने पी. एफ. का पैसा खा लिया, जिस एम्प्लायर ने कोआपरेटिव के 45 लाख रुपये मजदूरों के हड़प कर लिये, जिस मैनेजमेंट ने पी. एफ. के अलावा एल. आई. सी., में अगर आज मैं मर जाऊं तो मेरा प्रीमियम जमा नहीं कराया, जो तनख्वाह तो दे ही नहीं रहे हैं बल्कि मैं मर जाऊं तो प्रीमियम के भुगतान की एवज में एल. आई. सी. मुझे जो पैसा देती वह भी मुझे आज नहीं मिल रहा। ठीक है, आपकी तनख्वाह

(श्री अर्जुनदास मदान)

अपनी जगह पर है लेकिन कानूनी प्रबन्धन है, जिस पर लायबिलिटी है। लोग कह रहे हैं, मेरे पर एक आक्षेप लगा उसका जवाब जरूर दूंगा, मैंने लिखित रूप से 10 के.के. के लिये निवेदन किया। मैं दोनों के प्रति धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर अगर 10 के. के. नहीं लगता तो रात को लाक–आउट होता, पुलिस जाती, पुलिस डण्डों से खदेड़ती। हम इस बात का प्रयास कर रहे थे, कि मजदूरों को वेतन मिले और जिनको हम वेतन नहीं दिला पा रहे थे, किसी कारण से मालिकों और यूनियन के समझौते के कारण, वहां पर डण्डेबाजी होती तो लोग यह कहते कि तनख्वाह तो नहीं दिलवायी, हमको डण्डे और दिलवाये। हमारी सरकार बदनाम होती और इस कारण से 10 के. के. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री अर्जुनदास मदान : इसलिए मैं माननीय रामनारायणजी को भी निवेदन करूंगा कि उसके पीछे यही उद्देश्य था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री धारीवाल साहब।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, शांति कुमारजी ने एक सवाल और किया है, इस ग्रुप में आर्थिक संकट का सवाल।

जिला बारां में जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

84. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

बारां जिले में पंचायत चुनाव के बाद पंचायत राज के किन–किन चुने हुए प्रतिनिधियों के विरुद्ध पंचायती राज की धारा (19ठ) की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ? नाम, पद, शिकायत प्राप्त होने की तारीख व अभी तक हुई जांच की प्रगति एवं जांच परिणाम का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (श्री नाथूसिंह गुर्जर) : बारां जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बाद राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा (19ठ) के अन्तर्गत कुल 70 शिकायतें निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की प्राप्त हुई हैं। उनके नाम, पद, शिकायत प्राप्त होने की तारीख व अभी तक हुई जांच की प्रगति एवं जांच परिणाम का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक शिकायत जब सक्षम अधिकारी के पास पहुंचती है तो पहले आपका आदेश था कि एक महीने में उसका निस्तारण हो जाना चाहिए, फिर बाद में आपका आदेश था कि पहुंचने के तीन महीने के अन्दर-अन्दर हो जाना चाहिए। बारां जिले में ये जो 70 शिकायतें पहुंची हैं, इन 70 शिकायतों में से 11 शिकायतें कुल मिलाकर ऐसी हैं जिनका कि फैसला दिया गया है। इन 11 शिकायतों

(16)

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

में फैसला कई मामलों में तो 14 दिन में दे दिया गया है, बाकी 59 केसेज ऐसे हैं जिनमें 14-14 माह होने पर भी फैसला नहीं हुआ, वह क्यों नहीं हुआ ? उन सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ? पहला सवाल।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, 3 शिकायतों के बाबत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो आपने जो जवाब दिया है, इसके नम्बर 2 पर आप देखेंगे, बारां जिले की पंचायत समिति का प्रधान हेमराज चोपदार, इनके खिलाफ शिकायत बारां के जिला कलक्टर ने दर्ज करवायी है और अगर कागज आपके पास मौजूद हों तो, आपने लिखा तो यह है कि मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के पास विचारार्थ है। शिकायत पहुंची है 21.2.97 को और आज सात महीने हो गये। अध्यक्ष महोदय, सात महीने से यह सिर्फ सी.ओ., जिला परिषद, बारां के पास पैंडिंग है; प्रधान को नोटिस तक नहीं दिया गया है। इससे ज्यादा भेदभाव क्या हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको 2 एक्जॉम्पल और बताना चाहता हूं और फिर आपसे यह प्रश्न पूछना कि आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे। यह तो रहा प्रधान का किस्सा। भाई साहब रघुवीरजी बराबर में बैठे हुए हैं। खाडा सहरोल नाम की पंचायत है शाहबाद में। उस खाडा सहरोल पंचायत के सरपंच का नाम रामचरण है। वह भारतीय जनता पार्टी का स्वयं सेवक कह दो, कार्यकर्ता कह दो, कारकून कह दो, कुछ भी आप कह दो है। उसके खिलाफ यहां के पंचों ने 15.4.97 को जिला परिषद के सी. ओ. को जाकर अविश्वास प्रस्ताव की एक दरख्वास्त लायी।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : कितने नम्बर पर है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नम्बर भी बता देता हूं आपको। एक तो है 25 नम्बर पर, दूसरा 56 नम्बर पर और तीसरा 57 नम्बर पर है। तीन पंचों के बाबत् बात कर रहा हूं मैं आपसे। 15.4.1997 को उनके खिलाफ इन पंचों ने जाकर अविश्वास प्रस्ताव की एक दरख्वास्त दी। सी. ओ. ने अविश्वास प्रस्ताव के लिये ठीक एक महीने बाद की तारीख निश्चित कर दी। 15.4 के बाद दरख्वास्त लेकर 15.5 को उन्होंने यह तारीख नियत कर दी। तो वहां के सरपंच रामचरण ने सी. ओ. को एक दरख्वास्त दी। 17.4 को, ठीक दो रोज बाद दरख्वास्त लगते ही, कि, साहब, ये तीन एक तो उप सरपंच फूलचन्द है, दूसरा पंच तेजमान है और एक पंच गब्बो बाई है, इन तीनों के सन्तानें हो चुकी हैं इसलिए तीनों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए। मंत्री महोदय, यह दरख्वास्त दी उन्होंने 17.4 को और 17.4 को दरख्वास्त देने के बाद में, सरपंच साहब ने दावा भी मुन्सिफी में दायर कर दिया। उस दावे में जो पार्टी बनायी गयी, वह जिला कलक्टर बनाया गया, जिला परिषद का चीफ एक्जिक्यूटिव आफिसर बनाया गया और विकास अधिकारी बनाया गया। उसमें तारीख लगी 12.5 और अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। 15.5 को मतदान हो रहा

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

है 15.5 को और 12.5 को उसके जवाब देने की तारीख। जवाबदावा जो कलक्टर की तरफ से और सी. ओ. की तरफ से पेश किया गया उसमें यह लिखा है कि यह जवाबदावे की नकल है मेरे पास, उसमें उनकी तरफ से यह लिखा गया कि फूलचन्द, उप सरपंच की पत्नी का व पंच तेजमान राठौड़ की पत्नी की नसबंदी का आपरेशन 1993 में हो चुका, आपरेशन असफल होने के कारण उक्त दोनों पंचों के सन्तान पैदा हो गयी इस कारण ये दोषी नहीं माने जाते, यह जवाब दिया उन्होंने 12.5 को और 12.5 को ही इन दोनों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। 12.5 को ही उन्होंने जवाब मुन्सिफी में दिया कि ये अयोग्य घोषित नहीं हो सकते और 12.5 को ही उनको अयोग्य घोषित कर दिया क्यों? क्योंकि सरपंच रामचरण बी.जे. पी. का था, उसके खिलाफ के मतदाताओं की संख्या कम करनी थी। यह हुआ।

अब आप गब्बो बाई का किस्सा सुनें, जो 57 नम्बर पर है, जो आपके 57 नम्बर पर है और जिसमें आपने अपने जवाब में लिखा है कि शिकायत असत्य पायी गयी। शिकायतकर्ता कौन? सरपंच रामचरण।....

श्री टीकमचन्द कांत : बाई है या भाई है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बाई और भाईयों को भी नहीं समझते क्या?

गब्बो बाई के खिलाफ उस रामचरण सरपंच ने, आदरणीय भाई साहब की मेहरबानी से, एक सर्टिफिकेट लिखकर दिया कि इसके सन्तान उत्पन्न हो गयी। यह सर्टिफिकेट की कापी है। इसके बाद में जो रजिस्ट्रार होता है, ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक, जो जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र देता है, उससे लिखवा दिया कि इसके 29.1.1996 को सन्तान उत्पन्न हो गयी। फिर एक सर्टिफिकेट पेश किया गया पटवारी का कि हां, 29.1.1996 को इसके फिर सन्तान पैदा हो गयी। फिर उसके बाद में ए. एन. एम. से भी सर्टिफिकेट ले लिया गया इसके सन्तान पैदा हो गयी और पंचायत समिति के प्रसार अधिकारी से भी एक सर्टिफिकेट ले लिया, इस तरीके से ये पांच फर्जी डाकूमेंट्स तैयार किये गये, किस्सा यह है। यह रहा उसका, नसबंदी प्रमाण पत्र 18.1.96 को उसने नसबंदी करवायी। बारह रोज के बाद में ही उसके बच्चा पैदा होना दिखा दिया। 18.1.96 को उसने नसबंदी करवायी। जिसका प्रमाण पत्र है। यह प्रमाण पत्र डाक्टर का दिया हुआ है और यह उसका हास्पिटल से रिलीविंग सर्टिफिकेट है। अगर यह फर्जी है तो इन दोनों डाक्टर्स को आप जेल में डालो वरना पंचायत समिति का प्रसार अधिकारी, पटवारी, ग्राम सेवक, सरपंच, ए. एन. एम. हैं, इन पांच ने जो जाली प्रमाण पत्र जारी किये हैं, क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी?

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार कार्यवाही करेगी तो कितने वक्त

(18)

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

के अन्दर-अन्दर करेगी और क्या इन सबकी जांच करवायी जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । हो गया आपका, बिराजिये आप ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, इनके ही प्रश्न आते रहते हैं, हमारे प्रश्न आते ही नहीं हैं आप समय तय करिये । एक प्रश्नकर्ता को पांच मिनट का समय दीजिये । यह भाषण करना ....(व्यवधान)....

श्री रामप्रताप कासनियां : लम्बा भाषण करने से शेष प्रश्नों की +++ हो रही है । (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपको +++ करके दिखा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह ऐसा इम्प्रेशन दिया है हाउस में, 14 महीने का एक भी केस ऐसा, इसमें तारीखें हैं, विभाग ने इन मामलों में तुरन्त कार्यवाही की है जिसकी पूरे देश में प्रशंसा हुई है । (व्यवधान) अभी बताता हूं ।

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनिये ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : ऐसे मामले पड़े हैं जिन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है ।

श्री अध्यक्ष : बीच-बीच में व्यवधान नहीं डालें । कई प्रश्न और लेने हैं ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, ये अभी बता रहे थे कि चौदह-चौदह महीने हो गये और उसके बाद में ये तीन केस कोट किये । इन तीन केस के बारे में मैं बताता हूं । ये जिन तेजमान की बात कर रहे थे, 17-4-97 को शिकायत प्राप्त हुई ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह कांग्रेस का है इसलिए इसको जल्दी निपटा दिया गया ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : पहले आप सुनिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : चौदह महीने के केसेज मैं आपको बता दूं । आप कहो तो मैं तारीख बता दूं ।

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, बिराजिये ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था ।

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, बिराजिये ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आप बीच में इण्ट्रप्ट मत कीजिये । नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह नहीं चल सकता ।

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, बिराजिये आप । पहले उनकी बात ही नहीं सुनना चाहते आप, अपना-अपना भाषण दे रहे हैं । (व्यवधान)....

श्री नाथूसिंह गुर्जर : जब ये बोल रहे थे मैंने इण्ट्रप्ट नहीं किया और जब मैं

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(19)

(श्री नाथूसिंह गुर्जर)

जवाब दे रहा हूं तो आपको इण्ट्रप्ट नहीं करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, 17–4–1997 को शिकायत प्राप्त हुई और 12–5–97 को अयोग्य घोषित कर दिया, तो कौनसे चौदह महीने हो गये ?

दूसरा है श्रीमती गब्बो बाई। 17–4–1997 को शिकायत प्राप्त हुई और शिकायत असत्य पायी गयी। अब इन्होंने फैक्ट्स यहां पर दूसरे रखे हैं। आप मुझे फैक्ट्स दीजिये, मैं जांच कराऊंगा और अगर किसी अधिकारी ने गलती की है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। आप दे दीजिये मुझे, मैं जांच करवाऊंगा उसकी। उन्होंने तीसरा केस कोट किया है श्री फूलचन्द का। 17-4-97 को शिकायत प्राप्त हुई, अयोग्य घोषित कर दिया गया। रिट में चला गया।

अब सवाल यह है कि इसमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतें प्राप्त होते ही हमने कार्यवाही की है लेकिन 4–4–1997 को एक डिसीजन आ गया कोर्ट का और कोर्ट ने यह कह दिया, सैक्शन 19 में एक डिबार की शर्त दी हुई है। 39(2) में जांच होती है, जिसमें हमने सक्षम अधिकारी सी. ओ. को रखा है पंच और सरपंच के लिये। उसके ऊपर के पद हैं उनके लिये राज्य सरकार। अब वहां पर सैक्शन 40 एक और है, जिसमें यह लिखा है कि यदि कोई डिनाई करता है आरोप तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास मामला चला जाता है और डिस्ट्रिक्ट जज के यहां से फैसला होता है। इसलिये यह शिथिलता, जांच प्रक्रिया लम्बी होने से कार्यवाही करने में देरी हुई। अब राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। हमने सोचा कि इस गतिरोध को कैसे दूर करें, जिससे ये मामले जल्दी निर्णीत हों। इसलिए हमने सैक्शन चालीस को डिलीट करने के लिये प्रोविजन बनाकर लॉ डिपार्टमेंट को भेजा है ताकि इन पर त्वरित कार्यवाही हो सके। विभाग का कोई ऐसा मत नहीं है कि इन पर कार्यवाही नहीं हो। हम मंथली रिपोर्ट लेते हैं, तुरन्त कार्यवाही करने का अधिकारियों को निर्देश देते हैं। फिर भी किसी भी माननीय सदस्य को ऐसा मामला ध्यान में आये कि जिसमें हमारे अधिकारी ने शिथिलता बरती है, किसी को बचाने या फंसाने की कोशिश की है तो आप फैक्ट्स के साथ मुझे सारे डाकूमेंट्स दीजिये, मैं उसकी जांच करवाऊंगा और जांच करने के बाद में जो भी अधिकारी दोषी पाया गया तो I will take action against him.

श्री अध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री हीरालाल सहरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री है। फर्जी प्रमाण पत्र दिये हैं। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : नहीं। श्री अमरारामजी।

श्री भरत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : That is sufficient. Please, help me. अमराराम जी।....

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान).... माननीय धारीवाल साहब, आपकी बात हो गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जिन 70 आदमियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई हैं और उनमें से ग्यारह आदमी जो अयोग्य घोषित किये गये हैं वे सब कांग्रेसी विचारधारा के थे। और जितने भी लोगों के खिलाफ चौदह-चौदह महीने से दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी हुई हैं उनको नोटिस तक नहीं दिये गये, वो सब बी. जे. पी. के लोग थे। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : कृपया अब आप बिराजिये। [illegible] पूरी हो गयी। आप इनको [illegible] दें बिराजिये। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या अब बी. जे. पी. वालों की जनसंख्या इस कानून की आड़ में बढ़ाना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये-बिराजिये। सुबह से आप ही बोल रहे हैं, अब आप बिराजिये।

श्री भरत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है। मैं कभी नहीं बोलता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब बीच में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री अमराराम जी।.... (व्यवधान)....

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : एक सवाल पर आपने एक माननीय सदस्य को 45 मिनट बोलने की इजाजत दी है और माननीय सदस्य को नहीं पूछने दे रहे हैं।.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलते नहीं है, पहले हाथ खड़ा करते तो मैं इजाजत देता। आपकी कोई बात है तो आप उनसे बात कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री अमराराम जी, एक्सक्यूज मी।

श्री भरत सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी जानकारी में लाऊंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पहले कहते तो मैं आपको बोलने का जरूर मौका देता। अब नहीं। श्री अमराराम जी।

स्थगित प्रश्न

(सोमवार, 8 सितम्बर, 1997)

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र की सेम प्रभावित भूमि

3. श्री अमराराम (धोद) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में कितनी एकड़ कृषि-भूमि सेम से प्रभावित हुई? चकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सेम से बरबाद किसानों को किसी तरह की सहायता राशि दी गयी है?

(3) अब तक सरकार ने सेम समस्या को हल किये जाने की क्या योजना बनायी है तथा इसके कब तक हल होने की सम्भावना है?

(4) सेम के कारण कितने गांव उजड़

(श्री अमराराम)

गये व कितने शहरी क्षेत्र प्रभावित हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सिंचित क्षेत्रीय विकास (श्री ज्ञानसिंह चौधरी) : (1) इन्दिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में करीब 43050 एकड़ (17220 हैक्टेयर) कृषि भूमि सेम से प्रभावित है। चकवाईज सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) सेमग्रस्त क्षेत्र के किसानों को सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की गयी है।

(3) सेम की समस्या के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न कार्यवाही की जा रही है :–

राज्य सरकार के निर्णयानुसार बड़ोपाल, जाखड़वाली, माणकथेड़ी क्षेत्रों में 245 नलकूपों का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था, जिनमें से वर्ष 1996–97 में 121 नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं वित्तीय वर्ष 1997–98 में 92 नलकूपों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इसी क्षेत्र में भूमि की सतह पर खड़े पानी को ओपन ड्रेन के द्वारा घग्घर नाली बेड में बहावित करने हेतु एक योजना मुख्य अभियन्ता (उत्तर), सिंचाई विभाग, हनुमानगढ़ द्वारा बनायी जा रही है।

(4) सेम की समस्या से करीब 27 गांव विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। शहरी क्षेत्र में रावतसर सेम से प्रभावित हुआ है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि सेम से 17,220 हैक्टेयर भूमि बरबाद हुई है। पिछले 8–10 साल से यह भूमि बरबाद हो रही है, 191 चक बरबाद हुए हैं, 24 गांव और एक शहर बरबाद हुआ है।

दूसरे कालम में उन किसानों को जो 8–10 साल से बरबाद हो रहे हैं, जिनके घर बरबाद हो गये, जिनके खेत बरबाद हो गये, सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया है, यह उत्तर दिया है। जब कि पंजाब की सरकार सेम से प्रभावित जो किसान हैं उनको दो हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देती है और इस सेम की समस्या का समाधान करने के लिए ढाई सौ करोड़ रुपये का प्रोविजन एक साल के लिए कर रखा है। हमारी सरकार, तीसरे नम्बर में, योजना कर रही है आठ साल से और अभी कह रही है कि हनुमानगढ़ के चीफ इंजीनियर अभी योजना बना रहे हैं। दस साल के बाद अभी तक, इतने किसानों की जो बेशकीमती जमीन है, जिसकी कैनाल बनाने में राजस्थान की जनता का बहुत पैसा खर्च हुआ है, उस पर केवल योजनाएं बनायी जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, एक मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जितने नलकूप लगाये हैं उनमें से आज की तारीख में कितने चालू हैं ?

(श्री अमराराम)

दूसरा, क्या पंजाब की तरह से राजस्थान की सरकार भी उन किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक मुआवजा देगी ? और स्थायी समाधान के लिए यह योजना बन रही है क्या आने वाले एक साल तक भी बनती रहेगी या पूरी हो जाएगी ?

श्रीमती शशी दत्ता (टीबी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी पूछना है।

श्री अध्यक्ष : हां, आपको भी पूछना है?

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : हां।

श्री अध्यक्ष : हां, पूछ लें। पूछ लीजिये आप।

श्री शशी दत्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरे को भी पूछना है।

श्री अध्यक्ष : हां, आपको भी समय देंगे।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, यह जो सेम की समस्या है इसके सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वर्तमान में जितने नलकूप लगे हुए हैं उनमें से कितने चालू हैं ? और चालू नहीं हैं तो क्यों चालू नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि 1977 के अन्दर जब जनता पार्टी की सरकार आयी थी तो मकानों का मुआवजा दिया था, जो लोग मुआवजे से वंचित रह गये क्या उनको सरकार मुआवजा देने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : अभी सेम की बात चल रही थी। ...(व्यवधान)....

श्री रामप्रताप कासनियां : सेम से सम्बन्धित है, अध्यक्ष महोदय।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अमरारामजी का प्रश्न है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो मैंने पूछे हैं। यदि नहीं पूछ रहे हैं तो उत्तर आ जाए उसके बाद आप पूछ लीजिये। मैं कब मना कर रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : भाषण दे रहे हैं। ....(व्यवधान)....

श्री अमराराम (धोद) : कितने नलकूप चालू हैं, यह मैंने पूछ लिया। दोबारा रिपीट करने से क्या मतलब है। मंत्री जी जवाब दे दें उसके बाद आराम से सभी पूछ लेना। ....(व्यवधान)....

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, सेम से सम्बन्धित है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस समस्या पर कई बार मैं उठा चुका हूं।

श्री अमराराम (धोद) : यह तो सात साल से आपकी सरकार का नमूना है। (व्यवधान)....

श्री रामप्रताप कासनियां : मुझे गहराई से ज्ञान है, मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं, मैं पीड़ित हूं इसलिए माननीय सदस्य के पीड़ा है तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, बैठ जाओ आप ।... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : यों आपके कहने से थोड़ी ही बैठूंगा ।

श्री अध्यक्ष : जल्दी बात पूरी करें आप ।... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, नैक्स्ट प्रश्न बिजली का है जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है । बिजली के क्वेश्चन को अवोइड करने के लिए आप लगातार बोले जा रहे हैं । आपको बैठाइयेगा । कोई सप्लीमेंट्री अलाउ नहीं कीजियेगा, अध्यक्ष महोदय, यह मेरी आपसे रिक्वैस्ट है बिजली के प्रश्न पर जल्दी ..

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें । आप क्यों बीच में समय जाया कर रहे हैं ? (व्यवधान)....होने दो जल्दी-जल्दी ।.... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना तो सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले 15-20 वर्षों से ये जो काश्तकार तबाह हो रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आप कोई और बात कह रहे हैं क्या ?

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई की मांगों पर चर्चा होने को है, उसके अन्दर आप यह चर्चा कर लेना ।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, पिछले 15-20 वर्षों से आज तक कोई काम नहीं हुआ परन्तु इस सरकार ने काम शुरू किये हैं ।

श्री अध्यक्ष : शशी दत्ताजी, आपको कुछ पूछना है इसमें ?....(व्यवधान)....एक मिनट ।

श्री रामप्रताप कासनियां : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी ।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, पहले उत्तर दिलवा दीजिये बाद में पूछ लें ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप ।

श्री रामप्रताप कासनियां : परन्तु इसके साथ-साथ खेद का विषय यह है कि पैसा होते हुए भी काम सही ढंग से नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप । शशी दत्ताजी । बिराजें, अब हो गया आपका ।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें । नहीं, एक मिनट का ही झगड़ा है ।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब आने दें, अध्यक्ष महोदय । पहले आपके प्रश्न का जवाब दीजिये न । (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती शशी दत्ताजी एक मिनट बिराजें आप ।

श्री हीरालाल सहरिया : भाषण करा रहे हैं आप ।

श्रीमती शशी दत्ता : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो पूछा, मैं इसके बारे में बहुत स्पेसिफिक प्रश्न पूछूंगी।

श्री अध्यक्ष : हां, स्पेसिफिक, प्वाइंटेड।

श्रीमती शशी दत्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि पिछले 12-13 वर्षों से वाटरलॉगिंग में चल रहा है, मेरा बहुत बड़ा रावतसर कस्बा डूब रहा है। मुख्य मंत्रीजी भी देख चुके हैं और मंत्रीजी तो पचासों बार वहां +++खा चुके हैं, कुछ नहीं होने वाला है। एक पैसे का प्रावधान इन्होंने नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : यह+++शब्द निकाल दें।

श्रीमती शशी दत्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगी कि यह दो महकमों के बीच में फंसा हुआ प्रश्न है। इर्रिगेशन वाले कहते हैं कि हमारा मामला नहीं है और माननीय मंत्रीजी कहते हैं मेरे पास अभी तक इसकी प्लानिंग नहीं हुई है। हम दोनों मंत्रियों से आपके माध्यम से रिप्लाई चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान कब तक कर देंगे? हम तो कहते हैं कि इन दोनों से इस्तीफा मांगा जाए इस सेम की समस्या पर।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। मंत्रीजी।

श्री [illegible] चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने पूछा कि कितने कुएं चालू हैं? आज की तारीख में वहां 58 कुएं चालू हैं, 81 कुओं पर विद्युतीकरण हो चुका है और 121 कुएं वहां बन चुके हैं। दूसरा, लोगों को आर्थिक सहायता की जो बात कही गयी है, अभी तक राज्य सरकार से इस सेम क्षेत्र में कभी भी आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी, यह मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारी [illegible] योजनाओं का प्रश्न है, अभी हमारी बहन शशी दत्ताजी कह रही थीं, वास्तव में यह गम्भीर समस्या है। खास कर रावतसर सेम क्षेत्र की जो बात इन्होंने कही है इसके बारे में मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1993 के अन्दर ओ. आर. जी., जो हमारी एक रिसर्च संस्था है उससे हमने ग्राउंड वाटर सिस्टम के लिए रावतसर क्षेत्र में 1993 में एक रिपोर्ट प्राप्त की है। फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि रावतसर सेम क्षेत्र के लिए योजना बने। इसके बारे में मैं आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि एक हाई पावर कमेटी आयी थी जिसमें अपने जल संसाधन राज्य मंत्री भी थे, अधिकारी भी थे, उन सबने देखकर इस बात का आश्वासन दिया है कि इस काम को हम जल्दी से जल्दी करेंगे। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, इसमें इंजीनियर पैसा उपलब्ध होते हुए भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है, मंत्रीजी की अधिकारियों पर पकड़ नहीं है।....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिजली के प्रश्न को क्लाइ-ल्यूड करना चाहते हैं।

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : कोई डाइल्यूट नहीं करना चाहते । आप क्यों समय जाया कर रहे हो ?

नैक्स्ट । श्री हीरालालजी सहरिया ।

नेफ्था आधारित विद्युत परियोजनाएं

85. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज), **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डौली) एवं **श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** (आसीन्द) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार द्वारा वर्ष 1994 से अब तक निजी कम्पनियों से नेफ्था, लिग्नाइट, कोयला, सोलर आदि से विद्युत उत्पादन हेतु कितने सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये गये हैं ? उन कम्पनियों के नाम, उत्पादन क्षमता, लागत तथा परियोजना किस ईंधन पर आधारित है, की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त कम्पनियों द्वारा कब तक विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा तथा बिजली खरीद अनुबन्ध किस दर पर किया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) राज्य के स्वयं के विद्युत उत्पादन केन्द्रों से किस लागत में एक यूनिट विद्युत का उत्पादन हो रहा है ? अलग-अलग परियोजना की उत्पादन लागत का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) अन्ता गैस परियोजना तथा राजस्थान परमाणु बिजली घर एवं अन्य राज्यों में किस-किस परियोजना से किस दर पर राज्य बिजली की एक यूनिट खरीद करता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

ऊर्जा मंत्री (श्री रघुवीर सिंह कौशल) : (1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा वर्ष 1994 से अब तक 22 निजी कम्पनियों के साथ नेफ्था, लिग्नाइट, सौर ऊर्जा आधारित विद्युत गृहों के लिए ऊर्जा क्रय अनुबन्ध किये गये हैं । इन कम्पनियों के नाम, स्थान, उत्पादन क्षमता, लागत तथा परियोजना किस ईंधन पर आधारित है, की सूची परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) उक्त कम्पनियों द्वारा विद्युत उत्पादन शुरू करने से पहले कुछ प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति यथा निजी कम्पनियों का अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाली कम्पनियों के साथ गठबंधन, ईंधन की उपलब्धता, राज्य/केन्द्रीय सरकार से वैधानिक स्वीकृतियां आदि आवश्यक हैं ।

(12.00)

उक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात तरल ईंधन आधारित लघु-विद्युत गृह 18 से 24 माह में, धौलपुर विद्युत गृह 28 माह में, बरसिंहसर लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह 36-42 माह में विद्युत उत्पादन शुरू कर देंगे । सौर ऊर्जा आधारित विद्युत गृहों से लगभग 6 माह में ऊर्जा उत्पादन संभावित है । उक्त चार श्रेणी के विद्युत गृहों के लिये जिस दर पर विद्युत खरीद के अनुबन्ध किये गये हैं वे निम्न प्रकार हैं :–

(26)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

1.	तरल ईंधन आधारित लघु विद्युत गृह	15 वर्ष तक	3.1913 लेवलाइज्ड दर प्रति यूनिट
2.	तरल ईंधन आधारित वृहत् विद्युत गृह (धौलपुर)	30 वर्ष के लिए	2.0489 ,,
3.	लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह	30 वर्ष के लिए	2.1080 ,,
4.	सौर ऊर्जा आधारित विद्युत गृह	25 वर्ष के लिए	2.8637 ,,

उक्त दरें 68.5 प्रतिशत प्लान्ट लोड फैक्टर, 12 प्रतिशत डिस्काउंट रेट व विभिन्न विदेशी विनिमय दर वृद्धि को मद्दे-नजर रखते हुए निकाली गयी हैं। तरल ईंधन आधारित विद्युत गृहों के लिये नेफ्था की कीमत 6,683/- रुपये मीट्रिक टन मानी गयी है। विलम्ब का प्रमुख कारण है भारत सरकार द्वारा तरल ईंधन की नीति निर्धारण में विलम्ब व समय-समय पर परिवर्तन-इससे सभी राज्य प्रभावित हुए हैं।

(3) राज्य के स्वयं के विभिन्न विद्युत उत्पादन गृहों से उत्पादित विद्युत का उत्पादन मूल्य (प्रति यूनिट) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 का निम्न प्रकार रहा है :-

क्र.सं.	विद्युत गृह का नाम	प्रति मूल्य यूनिट (पैसों में) 1994-95	1995-96
1.	कोटा ताप विद्युत गृह	140 31	148.61
2.	सतपुड़ा ताप विद्युत गृह	93.42	78.11
3.	चम्बल (हाइडल)	9.35	10.01
4.	ब्यास (हाइडल)	16.52	19.54
5.	भाखड़ा (हाइडल)	4.39	7.77
6.	माही (हाइडल)	114.66	149.65
7.	अनूपगढ़ एवं अन्य (मिनी हाइडल)	318.09	807.74
8.	मांगरोल (हाइडल)	735.15	284.12

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : व्यवधान अध्यक्ष महोदय, यह तो पढ़ा हुआ मान लिया जाए । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जवाब पढ़ लिया हमने । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें । (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया : नहीं, इसका जवाब लेना है ।

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, आप सबसे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं । पूरा बोलते हैं, फिर दूसरे प्रश्न को आने भी नहीं देते । बिराजें आप ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, साहब, पढ़ा हुआ मान लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : कृपा करके बिराजें । आप ही का प्रश्न है । (व्यवधान) बिराजें आप । पूरी बात तो सुनें । (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो वक्त बचाने के लिये अर्ज कर रहा हूं कि पढ़ा हुआ मान लिया जाए । अब हमें सवाल पूछने दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : वह हो गया । बचाने के लिये कहा होता तो आधा-आधा घंटा एक प्रश्न में नहीं लगाते । (व्यवधान) कृपया बोलने दें इन्हें ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : बिजली उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रति यूनिट औसत लागत मय टी एण्ड डी लोसेज के वर्तमान में 2 रुपये 40 पैसा है ।

(4) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा अन्ता गैस परियोजना, राजस्थान परमाणु बिजलीघर एवं अन्य राज्यों से प्रति यूनिट बिजली खरीद की दर का विवरण परिशिष्ट "ब" में सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष : वैसे तो प्रश्न काल का समय समाप्त हो गया ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, साहब, यह तो चलेगा ।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न मैं पूरा कराना चाहता हूं, वैसे प्रश्न काल का समय समाप्त हो गया है । कृपया स्पेसिफिक प्रश्न पूछें ।

श्री शांति कुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, आपने परिशिष्ट "अ" में 22 कम्पनियों के नाम दिये हैं जिनसे आपने एम.ओ.यू. किये हैं । उनमें से सिर्फ दो तो सोलर की हैं, तीन दूसरी हैं और एक लिग्नाइट पर है बाकी सारी नेफ्था पर हैं । जितनी भी नेफ्था पर आधारित यूनिट्स हैं उनके बारे में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने 40 परसेंट तो विदेशी निवेश मंजूर कर दिये हैं और 30 परसेंट इक्विटी इनको अपनी लगानी पड़ेगी । कुल मिलाकर 70 परसेंट का इन्तजाम हो चुका है । अब सवाल यह आता है कि बाकी 30 परसेंट पैसा ये कहां से लाएंगे । वित्तीय संस्थान इनको देने को इसलिए तैयार नहीं हैं क्योंकि इनके पास ईंधन का इन्तजाम नहीं है और निजी उत्पादक यह कहते हैं कि सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ईंधन के समझौते का जो मसविदा तैयार किया है वह एक पक्षीय किया

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

है, उसमें हम से राय नहीं ली गयी और उसमें संशोधन की आवश्यकता है।

दूसरी बात और है कि 1 जनवरी, 1995 तक जो नेफ्था की प्राइसेज थीं, आज वे दुगनी हो गयी हैं और प्राइसेज दुगनी होने की वजह से नेफ्था का ईंधन काम में लेने को वे तैयार नहीं हैं। तो ये जो 18–19 यूनिट्स हैं, इनके भविष्य का क्या होगा ?

अभी-अभी पैट्रोलियम मंत्रालय ने एक और आदेश जारी कर दिया है कि अगर नेफ्था पर चलाना है तो एक मेगावाट पर 16 लाख रुपये हमारे यहां जमा कराओ। एक भी नेफ्था की यूनिट आपकी लगने वाली नहीं है। आपने सन् 1994 में इसी सदन में यह कहा था कि ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर दिये हैं और चार हजार दस्तख्त कर दिये हैं, पांच हजार दस्तख्त कर दिये हैं और यह हो जाएगा और वो हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। सोलर के बारे में आपने निवेदन किया ....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया स्पेसिफिक प्रश्न पूछें। इसमें कई माननीय सदस्य भी पूछेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं वही पूछ रहा हूं। स्पेसिफिक और क्या होता है, आप बता दें। स्पेसिफिक की क्या डेफिनिशन है ?

श्री अध्यक्ष : स्पेसिफिक प्रश्न पूछें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, आप फरमा दें इनकी डेफिनिशन।

श्री अध्यक्ष : आप अभी मेरे चैम्बर में चलना, मैं आपको टीच भी कर दूंगा। आप यदि मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो वह भी कर दूंगा, पर अभी स्पेसिफिक प्रश्न पूछें आप। स्पेसिफिक प्रश्न से कोई बात पूछनी है तो वह पूछें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सोलर के बारे में मेरा आपसे निवेदन है कि आपने दो एम.ओ.यू. किये और दो एम.ओ.यू. में जितने भी आपने शार्ट लिस्ट किये हैं उन शार्ट लिस्ट वालों में किसी के पास में एक्सपीरिएंस नहीं था। वर्ल्ड में जो कम्पनी 95 परसेंट सोलर एनर्जी को प्रोड्यूज करती है, उन कम्पनी को आपने क्यों नहीं बुलवाय ? उसमें बाकायदा आपने जिम्मेदारी डाल दी आर. एस. एम. एम. पर कि वह निविदाएं लेगा। उस कम्पनी ने, लीज इन्टरनेशनल....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस लीज इन्टरनेशनल ने 95 परसेंट सोलर एनर्जी के लिए कैलीफोर्निया के मोटो-वे-डेजर्ट में लगा रखा है।

श्री अध्यक्ष : आप कृपा करके प्रश्न पूछें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यूनिट लगा रखी है जिसमें कि 250 मेगावाट बिजली यह पैदा करती है। न केवल वहीं पैदा करती है बल्कि यह हिन्दुस्तान में भी पैदा करना चाहती है, लेकिन इसको नहीं बुलवाया गया।

श्री अध्यक्ष : आप कृपा करके प्रश्न पूछें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हमारी पार्टी के पावर एक्सपर्ट विष्णु मोदी ने एक पत्र लिखकर सरकार को सुझाव दिया है। सरकार को सुझाव यह दिया कि ये जो ग्लोबल टेंडर आपने फ्लोट किये हैं, जिसमें कोलोमन को, जिनका कि चाइना में लग रहा है, जर्मनी में लग रहा है लिग्नाइट पर.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कौनसे प्रश्न के बारे में पूछ रहे हैं ? आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जितने भी पावर प्लांट की तारीखें उस वक्त आपने दी है और आज आपने उत्तर में यह बताया है........ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछें।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : आपके दोनों के नाम भी एक हैं, जो इनका पक्ष ले रहे हो। नाम का पक्ष ले रहे हो आप। आप अपने नाम का पक्ष ले रहे हो। हमें नम्बर भी नहीं देते हैं इसमें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने यह बताया कि यह तब तक चालू हो जाएगी, यह इस सदन का दुरुपयोग करके राजस्थान की जनता को धोखा देना है। मेरा आपसे यह अर्ज करना है, आप यह बताते हैं कि हमें बिजली महंगी मिल रही है और किसानों को 50 पैसे में बिजली देनी पड़ती है। जबकि आपने आज जो .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्पेसिफिक प्रश्न पूछें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उत्पादन की लागत, जो राजस्थान के खुद के संयंत्र और राजस्थान के बाहर के वे संयंत्र जिनमें कि राजस्थान की हिस्सेदारी हो, चाहे वह आपका थर्मल हो और चाहे वह आपका हाइडल हो, उनकी जो उत्पादन की लागत आती है .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें। सहरिया साहब आपको कुछ पूछना है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह 50 पैसे से भी कम आती हैं। किसानों को हम धोखा दें कि तुम्हें जो बिजली हम दे रहे हैं यह हमें बहुत महंगी मिल रही और तुम्हें सिर्फ 50 पैसे में मिल रही हैं। आपकी खुद की फिगर्स से यह पता लगता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया सवाल करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सवाल ही है, साहब।

श्री अध्यक्ष : आप तो केवल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जैसे मिनिस्टर साहब एक्सप्लेनेशन दे रहे हों।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : साहब, एक्सप्लेनेशन की क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष : आप कृपा करके स्पेसिफिक प्रश्न पूछें कि क्यों नहीं लग रहे है, क्या बात है, क्यों नहीं हो रहे हैं। यह तो आप प्रश्न पूछ नहीं रहे हैं। आप तो यूं कह रहे हैं यह हो गया और वह हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

उससे मतलब नहीं है, आपका जो दायित्व है स्पेसिफिक प्रश्न पूछने का, वह करिये। माननीय सहरिया साहब।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने स्पेशल टाइम दिया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक सवाल मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि लिग्नाइट के बाबत जितनी भी निविदाएं आपने मंगवाई हैं, आर. पी. मोदी की हिन्दुस्तान डवलपमेंट कार्पोरेशन की निविदाएं उसमें शामिल नहीं की। आपने उसे किस प्रकार से एम.ओ.यू. कर दिया? लिग्नाइट का उस कम्पनी को क्या एक्सपीरिएंस है? अनुभवहीन कम्पनी को लिग्नाइट का सिर्फ इसलिये दे दिया कि वे भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से राज्य सभा के सदस्य हैं। अगर इसी तरीके से फैसले किये तो, आदरणीय भाई साहब, इन बातों को भूल जाओ और बिजली का विभाग बदलवा दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री विजयेन्द्रपाल सिंहजी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं आपके माध्यम से दो स्पेसिफिक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। मूल प्रश्नकर्ता हैं वी.पी. सिंह जी, मैं इनको तो पूरा ही टाइम दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : आपने यह नयी परम्परा डाल दी है, अध्यक्ष महोदय।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न हमारा है, हमारे नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : क्वेश्चन नम्बर दो के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : आप इनको पूछने दीजिये तो अच्छा है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि शांति धारीवाल जी कह रहे थे कि जो फ्यूल पालिसी है सेन्टर की, उसके कारण डिले हो सकते हैं, वह तो समझ में आती है। तो वह तो हमारे हाथ में है नहीं। जो हमारे हाथ में है, हमारे कारण जो डिले हो रही है, सेन्टर के कारण नहीं, बाटलनैक्स जो हैं, कंस्ट्रेंट्स जो हैं, वह अपन बन्द कर सकते हैं। उसके लिए मैं स्पेसिफिक प्रश्न यह करना चाहता हूं, एक तो आपने इसमें लिखा है कि 36 से 42 महीने लिग्नाइट आधारित प्रोजेक्ट आते हैं यह जैस्टेशन पीरियड है। पर जैस्टेशन पीरियड तो तब शुरू होगा जब काम शुरू होगा। आपको चार वर्ष लग गये। बरसिहसर वाला पीपीए से फाइनेंशल क्लोजर तक नहीं पहुंचा है। और जो दूसरे लिग्नाइट आधारित हैं, क्योंकि वे अभी नेफ्था की बात कर रहे थे—नेफ्था की कितनी रेट हो, सेन्टर की क्या पालिसी है, आये कि नहीं आये, अपने आयल कारपोरेशन से सोलह लाख मिले या नहीं मिले, वह बात दूसरी है। पिटहैड पर लगने वाले लिग्नाइट की खेती अपन खुद कर सकते हैं, उस पर आधारित अपन को करना चाहिये।

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

न तो फ्यूल पर डिपेण्ड करना पड़ता, न अपन को रेलवे लाइन लिंकेज की जरूरत है ।

इस पर आधारित जो दूसरा कपूरड़ी-जालीपा वाला है, उसमें अभी तक टेण्डर साइन नहीं किये गये हैं, चार वर्ष लग गये । मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, एनरान और डाभोल अब तो शुरू करने वाले हैं । उन्होंने एक साल के अन्दर सब तैयार कर लिया और आप कहते हैं कि साहब, समय लगता है, बटन लगाने से बिजली नहीं आती है । वही हमारे चेयरमैन साहब बताते हैं, वही आप बताते हैं । हम भी जानते हैं यह बात तो । चार वर्ष हो गये, अभी तक आपने टेण्डर साइन नहीं किये, फाइनेंशल क्लोजर तक आप नहीं पहुंच सके, नोटिफिकेशन आप नहीं कर सके । यह जैस्टेशन पीरियड तो फाइनेंशल क्लोजर के बाद शुरू होगा । अभी तक तो फाइनेंशल क्लोजर ही शुरू नहीं हुआ । अब आप बताएं कि कब तक फाइनेंशल क्लोजर शुरू हो जाएगा इन दोनों का ? और कब शुरू हो जाएगा जैस्टेशन पीरियड ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें । माननीय मदेरणा साहब । एक मिनट, मदेरणा साहब ने पहले कहा है ।

श्री विष्णु मोदी : महरियाजी, जो मूल प्रश्नकर्त्ता हैं, मैं उनके बिहाव पर सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अभी नहीं, एक मिनट आप रुकें । मदेरणा साहब, शुरू करें ।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): जवाब ऊर्जा मंत्रीजी को देने दीजिए । मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि आपने जो अभी तक पीपीएज की हैं, वे 22 प्राइवेट पार्टियों के साथ में की हैं, क्या यह सही है ? उन 22 में से बरसिंहसर से 500 मेगावाट के उत्पादन का फ्यूल का बेस जो है वह लिग्नाइट है । दो यूनिट, दो वालों का बेस है उनका, जिसकी क्षमता दो मेगावाट है । कुल मिलाकर आपने जो पीपीए साइन किये हैं वह 3446 मेगावाट के पीपीए साइन किये हैं, क्या यह सही है ? उसमें से 500 मेगावाट बरसिंहसर को निकाल देते हैं तो शेष रहता है 3446 मेगावाट । अब 3446 में से 100 मेगावाट सोलर का, अगर आप माइनस कर देते हैं तो बाकी बचता है वह जो आप उत्पादन करने जा रहे हैं प्राइवेट पार्टियों से । तरल पदार्थ के फ्यूल पर जो बेस है वह 3346 मेगावाट है । क्या यह सही है कि 3346 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए आपको जो आवश्यकता है उसके अगेंस्ट में 1415 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए ही फ्यूल का अलाटमेंट भारत सरकार ने किया है ? 1415 मेगावाट के अन्दर भी उन्होंने 635 मेगावाट उत्पादन का फ्यूल तो धौलपुर को दिया है, जो टनेज में कितना है मुझे मालूम नहीं है । आप यह भी बताने की कृपा करें कि टोटल 1415 मेगावाट के लिए सालाना कितना टन आपको नेफ्था का फ्यूल मिलेगा ? 635 तो अकेले धौलपुर को ही अलाट कर दिया हैं, तो शेष जो बचता है उसको आप 780 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए आपकी जो यूनिट बचती हैं, इससे लिंकेज करेंगे । अगर जब फ्यूल ही आपके पास में नहीं है

(श्री परसराम मदेरणा)

तो बिजली का उत्पादन और जैस्टेशन पीरियड का प्रश्न ही कहां खड़ा होता है ? प्रश्न नम्बर दो।

प्रश्न नम्बर 3, हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य अभी उठा चुके हैं कि इस फ्यूल के आधार पर कुल मिलाकर आप बिजली का जो डिस्टीब्यूशन करने वाले हैं, बढ़ती हुई फ्यूल की इस प्राइसेस को उसमें सम्मिलित करते हुए, पीपीए के अन्दर आपने इस बात का प्रावधान रखा है, उसका भी उल्लेख कर दीजिये। बढ़ती हुई प्राइसेस के आधार पर अलग-अलग कन्जूमर्स जो हैं, चाहे इण्डस्ट्रियल कन्जूमर्स हैं, हाई टेंशन वाले हैं, चाहे स्माल इण्डस्ट्रीज के हैं, चाहे कामर्शियल के हैं, चाहे डोमेस्टिक के हैं और चाहे एग्रीकल्चर के कन्जूमर्स हैं, इनकी टेरिफ रेट क्या होगी ?

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंटेड सवाल है।

श्री अध्यक्ष : पाइंटेड पूछिये।

श्री विष्णु मोदी : तरल ईंधन जो नेफ्था है वह आधा तो आपने धौलपुर को दे दिया जितना आपको भारत सरकार ने दिया और उसमें से आधा आपने छोटे यूनिट्स को दे दिया। छोटे यूनिट की रेट आपने यहां बतायी है 3.1913 रुपया प्रति यूनिट और धौलपुर की आपने बतायी है 2.0489 रुपया। तो यह अन्तर क्यों है जबकि ये दोनों नेफ्था पर आधारित हैं? आपने हमेशा इस सदन में और सदन के बाहर यह कहा कि विदेशी मुद्रा का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि बरसिंहसर और धौलपुर में आपने डालर की किस रेट पर समझौता किया है और अगर एक रुपया बढ़ता है तो आपकी टेरिफ कितने पैसे यूनिट बढ़ेगी, पहला सवाल है ? दूसरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना की सरकार ने नेफ्था आधारित एनरान के ऊपर, इसी नेफ्था आधारित एनरान पर एक रुपया छियासी पैसे में समझौता किया है तो आपने यह दो रुपये और तीन रुपये किस आधार पर किया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब एक मिनट बैठिये।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, कृभको ने राजस्थान में करीब एक हजार करोड़ की लागत का नेफ्था पर आधारित कारखाना लगाने की पेशकश राज्य सरकार से की। 25 लाख रुपये उन्होंने लाइसेन्स फीस भी जमा करा दी है और वे झुन्झुनूं में लगाना चाहते हैं। उन्होंने स्थान भी दे दिया है इसके बाद भी राजस्थान सरकार और विद्युत बोर्ड क्यों उसको मना कर रहा है, क्यों उसके साथ सहयोग नहीं कर रहा है जिससे कि एक हजार करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट यहां पर हो सके ? कृभको के पास में फोरेन एक्सचेंज है। ओमान में उनका एग्रीमेंट हुआ है, ओमान में वे नेफ्था पर आधारित कारखाना लगा रहे हैं और वहां से उनको नेफ्था मिलने की सुविधा है। यह सब होने के बावजूद भी झुन्झुनूं

(श्री शिवनाथ सिंह गुर्जर)

जिले के साथ क्यों भेदभाव बरत रहे हैं और क्यों कुमकों को आप फील्ड में नहीं आने देना चाहते हैं? अध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइवेट पार्टी से इसलिए नेगोशियेशन करना चाहते हैं क्योंकि कुमको एक कोआपरेटिव संस्था है और वह अदरवाइज किसी को प्लीज नहीं कर सकती इसलिए उनके साथ यह भेदभाव हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय दलजीत सिंहजी

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नेफ्था को इम्पोर्ट करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 16 लाख रुपये पर मेगावाट चाहा है। इससे धौलपुर प्रोजेक्ट पर 11 हजार 200 लाख का फर्क पड़ेगा। लेकिन यह भार राज्य सरकार वहन करेगी या प्राइवेट पार्टी वहन करेगी? इसके ऊपर कास्ट आफ प्रोडक्शन जो होगी वह बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? इसके साथ तीसरा सवाल यह है कि जब तक समझौता नहीं होता है राजस्थान सरकार के साथ में, इसमें समय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और कब यह समझौता हो जाएगा राजस्थान सरकार का केन्द्रीय सरकार से?

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास उन कम्पनियों की, उन फोरेन कोलेबोरेशन वाली कम्पनियों की लिस्ट है जिन्होंने आपको एप्रोच की? लेकिन आपने यह कहकर कि आप यूनिट लगाने में सक्षम नहीं हैं, उनसे कोई नेगोशिएशन नहीं किया?

अध्यक्ष महोदय, क्या यह भी सही है कि उन कम्पनीज ने आपके और आपके बिजली बोर्ड के अधिकारियों के पास कितनी ही दफा एप्रोच की? एप्रोच करने के बाद भी किन कारणों से आपने उनको मना किया?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय मंत्रीजी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उन कम्पनियों को क्यों नहीं बुलाया गया, तो जहां इन्टरनेशनल कम्पीटिटिव बिडिंग का सवाल है और अखबारों में विज्ञापन दिया जाता है वहां किसी कम्पनी को बुलाने का सवाल नहीं उठता है। फिर जिस कम्पनी को भी पी.पी.ए. किया जाता है उसकी कई स्तर पर जांच होती है। उसका टेक्निकल साइड है, फाइनेंशल साइड है, एक्सपीरियंस है और उसके लिए हमने भारत सरकार के एडवाइजर रखे हुए थे इन्जीनियरिंग इण्डिया, लिमिटेड, आई. सी. आई. सी. आई. उनके परामर्श से ही इतना लम्बा समय लगाकर यह किया गया है। अभी भी कोई कम्पनी आने को तैयार हो, कोई फ्यूल की या किसी की भी, सादर आमंत्रित है। मैं आपसे सहयोग की कामना करता हूं कि आप सहयोग दें। जो कम्पनियां आएं उसे इस रेट में देने को तैयार हैं – (व्यवधान) आप सुन लें।

तरल ईंधन की बात है तो तरल ईंधन के हमने 3300 मेगावाट के पी पी.

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

ए. किये, यह सच है। तब तक यह पता नहीं था कि इसमें भारत सरकार अड़ंगे लगाएंगी। तब तक यह था कि कम्पनियां जाएंगी, सीधे ऑयल कम्पनियों से बात करेंगी। और उन्होंने उनसे बात कर भी ली। हमको जैसे ही 1415 मेगावाट का नेफ्था मिला है वैसे ही हमने कुछ कम्पनियों को अलाट किया और उन्होंने इन ऑयल कम्पनियों से जाकर बात भी की। बात की ही थी कि इतने में भारत सरकार आड़े आ गयी और उसने 16 लाख की शर्त लगा दी। और भी कई कई लगायीं। कहने लगे हमको चार हजार करोड़ चाहिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए और इसलिए आप हमको यह पैसे दो। जब भारत सरकार अड़ंगे लगा रही है, आप बताइये कि यह योजना कैसे आए? सब स्तर पर तैयार है लेकिन भारत सरकार ईंधन नहीं दे रही है। हमने भारत सरकार को सुझाव दिया कि आप तो केवल लाइसेंस दे दीजिये, ये कम्पनियां इम्पोर्ट करने की व्यवस्था कर लेंगी। आप इसमें बीच में रोड़े मत अटकाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : आप हमारा सहयोग लेते।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपकी सरकार है वही रोड़े अटका रही है, आप क्या सहयोग दोगे? (व्यवधान)....यह बाधा आयी है इस पर...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये तो रोड़े हैं, किसी भी सरकार के सामने डाल दो। दिल्ली वालों के भी रोड़े हैं राजस्थान के भी रोड़े हैं। ये तो रोड़े हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : तरल ईंधन के जो भी प्लाण्ट हैं इनमें मुख्य मंत्रीजी ने भी भारत सरकार से बात की है। अभी तक उन्होंने ईंधन नीति तैयार नहीं की। लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अभी 8-9 अगस्त को बम्बई में मीटिंग हुई थी उसमें तय किया गया कि ड्राफ्ट 31 अगस्त तक बना दिया जाएगा। 31 अगस्त निकल गया किन्तु अभी तक वह ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ। जब भारत सरकार फ्यूल की नीति तय नहीं कर रही है तो राजस्थान की बात कर रहे हैं आप, हिन्दुस्तान में कहीं लग गया है क्या? जो राजस्थान के साथ है (व्यवधान) सुन लो, थोड़ी देर तसल्ली रखो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : काहे को धोखा देते रहे। यहां लम्बे हाथ करके कहते रहे? कुछ हजार मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। आप जवाब दो, यह कहा था नहीं कहा था? क्यों पूरे राजस्थान की चार करोड़ जनता को धोखा देते रहे?

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय सदस्य, बिजली का उत्पादन होगा, होगा, होगा, ये रोड़े जितने हैं ये रोड़े हटाये सारे रोड़े हटाये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अभी मंत्री जी, आपको पता नहीं है कि भारत सरकार की नीति क्या है, इन्फ्रास्ट्रक्चर कौनसा डवलप हो रहा है। आपका नेफ्था बंदरगाह तक नहीं आ सकता। किस बात के लिए भारत सरकार पैसा मांग रही है? नीति नहीं है कुछ भी। आपका नो हाऊ नहीं था। आपको कच्चा तेल चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें, बिराजें। मंत्रीजी की बात तो पूरी सुनने दें।

श्री रामनारायण डूडी : आज तक आपने जितने मेगावाट की घोषणाएं की हैं (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ये कह रहे हैं उत्पादन होगा, कब होगा उत्पादन ?.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह गम्भीर विषय है इसीलिए इस पर ज्यादा चर्चा करायी है। आप पूरी बात सुन लें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह ईंधन नीति सरकार की नहीं बनने से मैं आपकी चिन्ता समझ सकता हूं। आप उसमें सहयोग के नाते बात कर रहे हैं वह तो मैं समझ सकता हूं। जब सारे देश में ईंधन नीति के कारण कहीं भी कोई प्लाण्ट शुरू नहीं हो सका तो राजस्थान में कैसे हो जाएगा ? हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो 3300 मेगावाट के हमने पी.पी.ए. किये हैं उनकी व्यवस्था भी हो। भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि भारत सरकार इन को इम्पोर्ट लाइसेंस दे दे और उस अवस्था में हमारा 3500 मेगावाट हो जाएगा। अभी हमको 1415 मेगावाट का ही नेफ्था अलाट किया है तो हम ज्यादा कैसे बना सकते हैं ?

तीसरी अभी एक लिग्नाइट वाली बात भी की थी। मैं बरसिंहसर के लिए बता देना चाहता हूं कि एक तो वह कम्पनी कम्पीटिटिव बिडिंग में थी, दूसरा जो इस सम्बन्ध में कार्यवाही हुई है....

श्री विष्णु मोदी : वह कम्पनी आपकी खुद की है, नहीं है ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मोदी नाम से औरों को चिढ़ हो जाए, आपको क्यों चिढ़ है मोदी नाम से ?

श्री अध्यक्ष : मोदी साहब, सुनें, पूरा सुनें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इस मोदी ने राज्य सरकार का मैम्बर बनने के लिए आपको पैसा दिया था और उसको आप आब्लाइज कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यदि इससे सस्ती रेट पर, जिस पर भी हमने पी. पी. ए. किया है, हिन्दुस्तान में एक भी कम्पनी बना देगी तो मैं जो आप कहोगे कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : है, है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, कृपया बात पूरी सुनें। (व्यवधान) ...

श्री विष्णु मोदी : इस सदन को गुमराह किया जा रहा है। मैंने आपको पत्र लिखा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय विष्णु जी, बिराजिये। ...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : मैंने आपको पत्र लिखा है कि हैदराबाद के अन्दर लिग्नाइट के ऊपर एक रुपया तीस पैसे यूनिट से बिजली दी जाएगी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें, मोदी साहब।

श्री विष्णु मोदी : मैंने आपको चिट्ठी लिखी है। आप खाली यहां मालूम कर दें कि हमने हिन्दुस्तान में सबसे सस्ती बिजली दी है तो, अध्यक्ष महोदय, आपके बयान से कुछ नहीं होने वाला है। आपने राजस्थान में जितने पी. पी. ए. किये हैं वे हिन्दुस्तान से मंहगे किये हैं। ये सब चिट्ठियां आपके रिकार्ड पर हैं, आपके कहने से नहीं हो जाएगा....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लेने के कारण बता दीजिए हमको।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बात पूरी सुनें व विराजें।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा ही था तो पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने बिडिंग के टाइम पर बिड क्यों नहीं किया? (व्यवधान) आप सबके आ जाते। उस वक्त तो आप आये नहीं, पत्र लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। बिडिंग के टाइम पर आते। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके पास पत्र पहुंचे मुख्य मंत्री जी का जवाब नहीं आया (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब आप विराजें।....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : (व्यवधान) कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब, आपने प्रश्न किया है जवाब तो मंत्री जी के पास है। मंत्री जी को जवाब देने दें आप। विराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको हर वक्त सुझाव दिये, आपको हर वक्त मार्ग दर्शन दिया, आपको हर वक्त रास्ता बताया कि प्लाण्ट कैसे लगेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, विराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हमने उस वक्त भी कहा था कि मुख्य मंत्री जी के चक्कर में आप रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे और अब भी एक यूनिट नहीं लगा पाओगे आप।

श्री अध्यक्ष : विराजें, मंत्री जी की बात पूरी सुन लें।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मुख्य मंत्री जी के चक्कर में आप भी हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह रहा आपका पत्र, इसमें आपने लिखा है कि बरसिंहसर पावर प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में आपका पत्र दिनांक इतना मुझे प्राप्त हुआ है, इस सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु ऊर्जा विभाग को भेज रहा हूं। यह आज तक ऊर्जा विभाग, पता नहीं कहां है।

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें। मंत्री जी की बात पूरी सुनें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं भी पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि पूरी बात सुन लें पहले।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टेट देश में पहली स्टेट है जिसने इन्टरनेशनल कम्पीटिटिव बिडिंग किया है और उसमें देश और विदेश की कम्पनियां आयी हैं और उसमें एडवाइजर भारत सरकार के, विदेशों के सब थे। उनकी एडवाइज से रेट तय की गयी है।

मान्यवर, लिग्नाइट की बात कर रहे कि अभी तक कुछ नहीं किया मैं बताना चाहता हूं कि बरसिंहसर में कितनी प्रोग्रेस हो गयी है। विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1946 की धारा 29 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा मानिटरिंग कमेटी का गठन दिनांक 3–1–97 को किया जा चुका है। वित्त विभाग द्वारा राज्य सरकार की गारंटी दिनांक 17–2–97 को जारी की जा चुकी है। इस परियोजना हेतु आवश्यक पानी की उपलब्धता के लिए इन्दिरा गांधी नहर परियोजना एवं मैसर्स ए. एच. बी. सी. के मध्य अनुबंध 16–12–96 को हो चुका है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने जन पथ के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और कार्यवाही चल रही है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति लेने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दिनांक 17–6–97 को प्रस्तुत किया जा चुका है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 7–8–97 को प्रस्तुत किया जा चुका है। (व्यवधान) तसल्ली तो करो।

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु चयनित सुनवाई समिति का गठन 27–6–97 को किया गया एवं सुनवाई जिलाधीश, बीकानेर कार्यालय में दिनांक 3–7–97 को की गयी। ऐसी आशा की जाती है कि अनापत्ति प्रमाण-पत्र शीघ्र ही जारी हो जायगा। पूर्व में इस परियोजना का निष्पादन मैसर्स नेवेली लिग्नाइट कोरपोरेशन नेवली द्वारा किया जाना था। जिसने इसके लिए आवश्यक जमीन अधिग्रहण करने के भू-गर्भीय सर्वेक्षण कर लिए थे। इसमें केवल एक रोड़ा था कि जहां यह बनाने वाला है, वह नवेली ने ले लिया था और खानें लीज पर नेवेली ने ले ली थी जो बैक आउट कर दी। अब उसमें केन्द्र सरकार के स्तर पर कई बैठकें हुई हैं, उसमें यह निर्णय हो चुका जो कि पी. पी. ए. में मैं था कि 50 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होगा। उनके बोर्ड ने अभी 8–10 दिन पहले 50 करोड़ में खानें छोड़ने का और जमीन देने का निर्णय ले लिया है। इसलिए बरसिंहसर का रास्ता साफ हो गया है। माननीय वी. पी. सिंह साहब जो कह रहे थे कि आपने लिग्नाइट पर एक किया और कुछ नहीं हुआ, मैं समझता हूं काफी प्रोग्रेस उस में हो गयी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : और जालिपा वाला भी बता दें। (व्यवधान) उसका क्या हुआ, उसकी भी प्रोग्रेस बता दें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उसका भी प्रोग्रेस पर है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) **:** अध्यक्ष महोदय, आपके पी. पी ए. में साइन किये हुए आज भी बाजार में बिक रहे हैं, मैं

(श्री श्रवण कुमार)

आपको फोटो स्टेट दे सकता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बात सुनें। आप बात पूरी करें, माननीय मंत्रीजी। बिराजें आप।

श्री श्रवण कुमार : आपने पी. पी. ए. पर साइन किये हैं.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : माननीय श्रवण कुमार जी बिलकुल सही कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अगर आपकी कम्पनी लगाना चाहती है तो मैं ऐसी कम्पनी दे सकता हूं जो कल ही हिसाब कर सकती है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : माननीय श्रवण लाल जी सही कह रहे हैं। पी. पी. ए. बाजार में बिक रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : लेकिन आपने ऐसे लोगों को पी. पी. ए. पर हस्ताक्षर किये हैं जो प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं। मैं कह सकता हूं आपको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। मैं आपसे अनुरोध करता हूं। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं किसी कम्पनी से बात करके काम नहीं दे सकता, जो इण्टरनेशनल कम्पीटिटिव बिडिंग है वह इन्टरनेशनल कम्पीटिटिव बिडिंग से ही होगा। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको प्रमाण सहित बता सकता हूं। ऐसी कम्पनियों को आप काम देना चाहते हो तो हम ऐसी कम्पनी आपको दे सकते हैं जो आपको 6 महीने में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री श्रवण कुमार : केवल आश्वासन से सरकार काम नहीं करा सकती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी। आप पूरी बात सुन लें।

श्री रामनारायण चौधरी : मुख्य मंत्री जी, आपको मालूम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अच्छा हुआ कि आज इस प्रश्न के माध्यम से सदन में चर्चा हुई।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) **:** आप पूरी चर्चा ही करवा लें कृपा करके।

श्री अध्यक्ष : कृपा करके बैठ जाएं। प्लीज। हमारी संसदीय मर्यादा है। जब सदन के नेता खड़े हों तो उनको सुनना चाहिए।

श्री विष्णु मोदी : बिजली की चर्चा खाली यहां पर इस बात से जिक्र आ गया है इससे टाली जाए तो इसके बजाय इस सवाल को यही समाप्त कर दिया जाए और आज बिजली की चर्चा करवा लें।..., (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता विपक्ष के नेता खड़े हों तो उनको दूसरों को सुनना चाहिए। यह एक परम्परा है, मर्यादा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : बिजली की चर्चा हो जाएगी। चर्चा में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं तो अच्छा समझता हूं कि चर्चा हो। (व्यवधान) चर्चा हो जाएगी। आज जो प्रश्न उठे उनका जवाब दे दूं।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि बिजली सरकारी क्षेत्र में बनाने की क्षमता न तो राज्य सरकार में है, और न केन्द्रीय सरकार में है। अब मैं निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था 42 हजार मेगावाट जनरेट करने का, और आप सबको जानकारी है कि इस आठवीं पंचवर्षीय योजना में 18 हजार मेगावाट बिजली जनरेट हुई। साधन नहीं है। अब इसको भारत सरकार भी स्वीकार करती है और मैं भी स्वीकार करूं तो कोई आपत्ति नहीं है। हम अपने साधनों से बिजली के उत्पादन के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर सकें इस प्रकार की स्थिति में नहीं हैं। हमारे यहां जो कानून की व्यवस्था है वह 1948 का एक्ट है, उस एक्ट के अनुसार जनरेशन गवर्नमेंट ही करेगी और प्राइवेट पार्टी को जनरेशन करने की विशेष छूट नहीं है। अगर प्राइवेट पार्टी कोई छूट लेना चाहती है तो गवर्नमेंट आफ इण्डिया का उस पर पूरा नियन्त्रण है। हमने जो पी. पी. ए. कहे और विद्युत मंत्री जी ने जो बताये, वे पी. पी. ए. इन्टरनेशनल टेण्डर इन्वाइट करके किये हैं। इन्टरनेशनल टेण्डर इन्वाइट करने के बाद जो भी काम्पीटेटिव रेट्स आयीं उन रेट्स के आधार पर हमने सारे समझौते किये। अगर आप चाहें, इस समय मेरे पास हैं नहीं, लेकिन मैं जब भी चर्चा होगी आपको बता देऊंगा कि इन्टरनेशनल काम्पीटीटिव रेट्स के मामले में राजस्थान सरकार की रेट्स अन्य राज्यों के मुकाबले में कम हैं। (व्यवधान) अब यहां देखिये बीच में डिस्टर्ब मत करिये।

श्री विष्णु मोदी : आप मुझे मौका देंगे आपके बोलने के बाद में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मेरे बोलने के बाद में आपको मौका देऊंगा कि नहीं देऊंगा, यह तो स्पीकर के हाथ में है।

श्री विष्णु मोदी : यह तो बोल दें सदन में। (व्यवधान) कि राजस्थान में सबसे सस्ती बिजली खरीदी जबकि गलत हो (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी बोल लें.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : या तो आप इनके बाद में हमें बोलने का मौका दें। हम बताएंगे कि कितनी बिजली खरीदी, क्या खरीदी आपने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात भी नहीं सुनने देते।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, वन साइडेड वर्शन कैसे जा सकता है? या तो आप पूरी चर्चा करवाइये। या मुख्य मंत्री जी के बोलने के बाद में हमको बात को स्पष्ट करने का मौका दीजिए।

(40)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न भी उठाएंगे, बात भी नहीं सुनेंगे। +++ बीच-बीच में खड़े होकर व्यवधान भी करेंगे। यह तो कोई तरीका नहीं हुआ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : एक दिन तय कर दीजिये। वन साइडेड चला जाएगा ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुनें पहले। (व्यवधान) यह अच्छी बात नहीं है। आप बिराजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : या तो एक दिन चर्चा रख लीजिए या फिर इनके बाद में हमें प्रश्न पूछने का मौका दीजिए जिससे कि वन साइडेड मैटर नहीं रहे.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुनें पहले। (व्यवधान) बिराजें आप।

श्री विष्णु मोदी : This Government has not only failed; it has failed miserably.

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : वन साइडेड मैटर नहीं रहे।....(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : अब तक आप ही बोल रहे थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज जो फाइनेंशल क्रंच है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया पूरी बात सुनें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो फाइनेंशल क्रंच है वह सारा देश अच्छी तरह से समझता है। हमने जिस समय पी.पी.ए. किये उस समय भी यह प्रश्न उठाया था कि 1948 के एक्ट में जो केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप है वह हटा दें। आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि प्रश्न पर विद्युत मंत्रियों की दिल्ली में बैठक हुई और देवगौड़ा साहब ने उसमें अध्यक्षता की, उस समय लगभग सारे चीफ मिनिस्टर्स की डिमांड थी कि इस एक्ट में जो अधिकार राज्य सरकार को नहीं है और सी. ए. को अधिकार है या गवर्नमेंट आफ इण्डिया को अधिकार है, वे सारे अधिकार राज्य सरकारों को ट्रांसफर कर दिये जाएं। अगर उस समय का आप देवगौड़ा साहब का भाषण पढ़ें और सुनें तो मैं समझता हूं कि मैंने उस कान्फ्रेन्स में यह कहा था देवगौड़ा साहब की जगह मैं होता तो इससे बढ़िया भाषण मैं नहीं दे सकता था कि उन्होंने सारी स्टेट्स की डिमाण्ड्स एक-एक नम्बर करके स्वीकार कर लीं। उन्होंने कहा कि सी. ए. को मैं खत्म करूंगा यह केवल कंसल्टेन्सी का काम करेगी। उन्होंने कहा, एन्वायर्नमेंटल पावर्स मैं सारे के सारे राज्य सरकारों को दूंगा जिससे एन्वायर्नमेंटल क्लियरेंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत खड़ी नहीं हो। इसमें फॉरेन एक्सचेंज का प्रश्न जब आएगा तो भारत सरकार से सलाह करनी पड़ेगी। भारत सरकार ही फॉरेन एक्सचेंज के मामले में डील करती है। बाकी के जो प्रोवीजन्स हैं उन प्रोवीजन्स के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार जहां दे सकते हैं वे सारे अधिकार मैं दे रहा हूं। उसके बाद में मीटिंग खतम हो गयी और सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स की तरफ से उनको धन्यवाद दिया गया कि एक चीफ मिनिस्टर की जो भावनाएं थीं, चीफ मिनिस्टर का उनका अनुभव था प्राइम मिनिस्टर बन गये उस कारण से वे सारी बातें उन्होंने जानकारी में दे दीं। उसके बाद में वे चले गये। चले गये, बाद में गुजराल साहब आये। पिछले महीने की 30–31 तारीख को फिर नेशनल कैपिटल रीजन्स की एक मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में मैं चला गया। एक सितम्बर को आया, डेट मुझे ध्यान नहीं है। उस मीटिंग में जब यह चर्चा आयी कि नेशनल कैपीटल रीजन में जो एरिया आता है उसको बिजली में हम प्राथमिकता दें इस प्रश्न के ऊपर चर्चा हुई तो उस चर्चा में से यह बात निकली कि हमने जो पावर प्रोजेक्ट के लिए फ्यूल अलाटमेंट के बारे में आपके पास लिखा है वह फ्यूल अलाटमेंट क्यों नहीं कर रहे, आपने अब तक फ्यूल पालिसी क्यों नहीं बनायी। इस पालिसी के आधार पर जो भी इनवेस्टमेंट करने वाला है उसको फ्यूल मिल जाए तो फ्यूल की क्या शर्तें होंगी, इम्पोर्ट कितना होगा, यहां से कितना लिया जाएगा, रेट्स किस प्रकार से तय की जाएगी? आपने न तो फ्यूल पालिसी बनायी, न फ्यूल का एलोकेशन कितना होना चाहिए, वह किया। काफी वाद-विवाद के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि इस महीने की 31 तारीख से पहले-पहले हिन्दुस्तान की सरकार फ्यूल पालिसी बना लेगी। और जितना भी फ्यूल अलॉटमेंट का क्वेश्चन है उसका डिसीजन कर लेंगे। अब आज जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है वह यह नहीं है कि टेण्डर में किसी का कम कर दिया, किसी का नहीं कर दिया, हाउस के चाहे लीडर आफ दी अपोजिशन हो, पी. पी. ए. जो हमने किया उसको देख लें, मोदी जी देखना चाहे देख लें और कोई देखना चाहे देख लें और उसके बारे में कह दें कि यह राजस्थान के इन्ट्रेस्ट में नहीं है, हम इसके ऊपर विचार कर लेंगे।

श्री विष्णु मोदी : बिलकुल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं है, वह ठीक है।

अब ऐसी स्थिति में दो प्रश्न आकर खड़े होते हैं। मैंने जैसे कहा कि हमारे पास है नहीं। आज जिन कम्पनियों के एग्रीमेंट हो गये या पी.पी.ए. हो गये, उन एग्रीमेंट का जब तक बैंक से फाइनेंशल क्लोज-अप नहीं होगा तब तक किसी प्रकार का वे इनवेस्टमेंट नहीं कर सकते। फाइनेंशल क्लोज-अप के लिए वे उसकी वायेबिलिटी चाहते हैं और वायेबिलिटी दो चीजों के ऊपर डिपेन्ड करती है कि जिस रेट से हमने बिजली का उनसे समझौता किया है उस रेट के ऊपर राज्य सरकार बिजली खरीदने की क्षमता रखती है या नहीं रखती, पहला। दूसरा, जहां से हम बिजली पैदा कर रहे है उसका ट्रांसमिशन सिस्टम इतना है क्या कि इतना लोड आज का वह ट्रांसमिशन ले सकता है। ये दोनों बातें हैं और दोनों बातों में यह सही है कि इनवेस्टमेंट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की बहुत आवश्यकता है। इनवेस्टमेंट की आवश्यकता है तो इनवेस्टमेंट के बारे में जो भी इनवेस्टर है वह यह चाहता है कि हमने बिजली पैदा कर दी है, कहीं राजस्थान की सरकार उसको खरीदे नहीं, या राजस्थान की सरकार उस बिजली को दूसरे क्षेत्रों में नहीं ले जा सके। यह प्रश्न कई दिनों से विचाराधीन चल रहा है, और विचाराधीन चल रहा है इसी कारण से पावर्स रिफार्म्स का जो बिल है उसमें मोटे रूप से ये दो बातें हैं। जिस समय इस बिल पर चर्चा होगी उसके पहले आप चाहें तो जो भी पी.पी.ए. किये हैं उनको देखिये, जो कमी रहती है उनको निकालिये, मैं समझता हूं इस सरकार को, इस जनता को और इस विधान सभा को एक बार यह फैसला करना पड़ेगा कि राजस्थान का विकास बिजली के बिना हो सकता है या नहीं। यदि आप यह महसूस करते हैं कि बिजली के बिना ही राजस्थान का विकास हो सकता है तो, मोदीजी, आपको तो मैं कह सकता हूं लेकिन बाकी के किसान और गरीब उनको बिजली चाहिये। और बिजली चाहिये तो वह बिजली .... (व्यवधान) बिजली लाएं कहां से? (व्यवधान) आप ठहर जाओ। पी.पी.ए. नहीं हैं....(व्यवधान) आपको बीस बार तो कह दिया लेकिन अब समझ में नहीं आता।

अब ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, सदन यह विचार कर ले कि अगर सारे पी.पी.ए., जो एग्रीमेंट्स किये हैं उनको खत्म करना है तो मेरे हाथ की बात नहीं है। खत्म कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन एक बात कह सकता हूं राजस्थान विकास की दृष्टि से दुनिया में पीछे रह जाएगा। यह केवल हम ही नहीं कर रहे हैं, सारी राज्य सरकारें चाहे कांग्रेस पार्टी की हों, चाहे जनता दल की सरकारें हों, सब सरकारों ने मिलकर प्रायोरिटी के एग्रीमेंट किये हैं। कइयों ने इन्टरनेशनल बिडिंग के आधार पर किया है, कइयों ने एम.ओ.यू. के आधार पर किया है, कइयों ने फास्ट ट्रेक के आधार पर गवर्नमेंट आफ इण्डिया के कहने से किया है। कोई स्टेट ऐसी नहीं होगी हिन्दुस्तान में, जिसने इस प्रकार के एग्रीमेंट्स नहीं किये हों।

अब एग्रीमेंट करने के बाद में फ्यूल अलाटमेंट करने का प्रश्न, यह फ्यूल पालिसी पर निर्भर कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि इस महीने के अन्त तक यह फ्यूल पालिसी फाइनल रूप से बन जाएगी। बनने के बाद इसके ऊपर जो भी कार्यवाही हो सकती है, वह कार्यवाही करेंगे लेकिन मूल दो प्रश्न रहते हैं। एक प्रश्न यह रहता है, आज मैं कह सकता हूं, राजस्थान और हिन्दुस्तान में बिजली की कोई कमी नहीं रहे, इनवेस्टमेंट के लिए हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन बिजली जनरेशन की जो कास्ट आती है उस कास्ट में और डिलीवरी में जितना ज्यादा डिफरेन्स रहेगा वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को घाटा रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को घाटे में काश्तकारों को हम किसी तरह से भी सब्सिडी देकर उसकी पूर्ति कर रहे हैं लेकिन आप मानकर चलो, कोई राज्य सरकार इतने वर्षों तक सब्सिडी नहीं दे सकती। वर्ल्ड बैंक ने हमारे साथ बातचीत में एक जिद कर ली कि आप सब्सिडी का प्रोविजन और खास तौर से खास सब्सिडी का मामला हटाइये। मैंने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कहा, यह आपका लेना–देना नहीं है, यह हम करेंगे। क्रास सब्सिडाइजेशन करना है या नहीं करना, यह हमारे हाथ का काम है, हम करेंगे। उन्होंने माना। आज जितने भी आई.डी.बी.आई. और आई.एफ.सी.आई. हैं, आई.डी.बी.आई. और आई.एफ.सी.आई. के साथ बैंकिंग के मामले में मोदी जी ज्यादा एक्सपर्ट हैं। आप हमारे प्रतिनिधि बनकर इन यूनिट्स का यदि आई.डी.बी.आई. और आई.एफ.सी.आई. से किसी तरह से फाइनेंशल क्लोज-अप करा दें तो मैं समझता हूं सबसे बड़ी राजस्थान की सर्विस होगी।

आज मैं यह और कहता हूं कि जहां 42,000 मेगावाट जनरेट करने का नवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया है, उसी मीटिंग के अन्दर विद्युत मंत्री ने घोषणा की कि हम 42,000 मेगावाट बिजली जनरेट करेंगे और बिजली जनरेट करने में शायद 26 या 27 हजार उन्होंने बताया कि यह तो हम प्राइवेट सैक्टर में दे रहे हैं और बाकी पब्लिक सैक्टर में दे रहे हैं। पब्लिक सैक्टर में भी वहीं कोशिश की जा रही है कि जहां पर नदी-नालों से पानी आता हो और हाइडल पावर हम जनरेट कर सकें।

अब आपको सुनकर खुशी होगी कि उड़ीसा में पिट हैड के ऊपर एक सीपा नाम की कम्पनी बिजली पैदा कर रही है। उस बिजली को लेने के लिए राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और पंजाब, पांच राज्यों ने एग्रीमेंट किया। पांच राज्यों ने वह एग्रीमेंट कर लिया। बिजली वे देंगे, बिजली सस्ती भी होगी। उड़ीसा से बिजली यहां व्हीलिंग करके लाना, इसके लिए ट्रांसमिशन सिस्टम चाहिये। अभी इस पर चर्चा हुई कि ट्रांसमिशन के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएं हों। एक के लिए तो शायद किसी विदेशी कम्पनी ने भारत सरकार को कर्जा देने के लिए हां कर दिया दूसरा अभी तक हो ही नहीं पा रहा है। आज भी उस पिट हैड के ऊपर बिजली पैदा करें या वहां से कोयला यहां लाकर, ट्रांसपोर्ट करके बिजली पैदा करें, हमने उस प्रकार के लिए कहा कि आप पिट हैड के ऊपर बिजली पैदा कर लें, ट्रांसमिशन सिस्टम इम्प्रूव कर लें और राजस्थान में उससे बिजली आ जाए। राजस्थान, दिल्ली और पंजाब तक वह बिजली जाएगी, उसको लेने की तैयारी है।

ऐसी स्थिति में बिजली के मामले में बिलकुल क्लियरकट पालिसी आप दिमाग में लेकर चलें कि राजस्थान में बिजली जब तक नहीं पैदा होगी तब तक न तो दस्तकार, न स्माल स्केल इण्डस्ट्री, न लार्ज स्केल इण्डस्ट्री और न बाकी की इण्डस्ट्रीज, ये राजस्थान में नहीं पनपेंगी। और आप देख लें पिछले दो वर्ष का, राजस्थान में ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में बिजली का उत्पादन अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ इसलिये जो रेट आफ इनवेस्टमेंट है, हिन्दुस्तान वह रेट आफ इनवेस्टमेंट धीरे-धीरे गिरती जा रही है। दूसरे देशों के अन्दर इनवेस्टमेंट काफी बढ़ रहा है लेकिन हिन्दुस्तान में इनवेस्टमेंट की कमी आ रही है। उसके पीछे जो सबसे इम्पोर्टेन्ट इनफ्रास्ट्रक्चर है वह पावर है और पावर की यदि कमी होगी तो मुश्किल होगी। आज पावर का कारखाना लग जाए तो जो भी

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

कोई इनवेस्टमेंट करना चाहता है उसके दिमाग में यह आएगी कि दो वर्ष में पावर पैदा हो जाएगी, मैं यहां पर कारखाना लगाकर बिजली ले सकता हूं। इसलिए कोई यह समझे कि इसमें रेट ज्यादा कर दी, यह कर दी तो हमारी किताब खुली है। जो भी उसको देखना चाहे, काम्पीटिटिव रेट्स के बेसिस पर जो भी निर्णय करना चाहे और यह करना चाहे कि इसमें गलती हो गयी, उसको रिजेक्ट कर दीजिये, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप उन सबको अच्छी तरह से देख लें।

एक प्रश्न माननीय शिवनाथ सिंहजी ने उठाया कि कृभको वाले यहां पर इनवेस्टमेंट करना चाहते थे। आपको किसी ने गलत कहा कि हमने उसका विरोध किया ...(व्यवधान) आपको यह किसी ने गलत कहा कि हमने विरोध किया। हमने विरोध नहीं किया। भारत सरकार अभी तक उसमें पूंजी लगाने को तैयार नहीं है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि वे नेफ्था के बेस के ऊपर कारखाना लगाना चाहते हैं। फिर नेफ्था अवेलेबल होगा या नहीं, यह विवाद वहां पड़ा रहा। दूसरा वहां पानी का संकट खड़ा हुआ कि पानी के संकट के कारण से हम यह बिजली का कारखाना लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। राजस्थान सरकार की तरफ से, शिवनाथ सिंहजी, मैं आपको अधिकार देता हूं कि वह कारखाना झुन्झुनू में लगता हो तो उस कारखानें को लगवा दें और जो राज्य सरकार से आपको काम करवाना हो, मैं करने को तैयार हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : अपना नेफ्था वहां लाएंगे। उनको किसी बैंक के पास जाना नहीं हैं, सिर्फ राजस्थान सरकार का कोआपरेशन उनको चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बताऊं न, आप कृभको को बुला लो और आप बैठ जाओ। हमसे क्या....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आपने यह शर्त लगा दी कि आपको जो स्टेट का कोटा मिला है नेफ्था का, उसमें आप उसको एडजस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। मुख्य बाधा उसमें यह आई कि आप औरों को तो दे रहे हैं। (व्यवधान) कृभको जो प्रोजेक्ट झुन्झुनू में लगाना चाहता है उस कृभको के नेफ्था की रिक्वायरमेंट को आप स्टेट के कोटे में एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। यह क्यों नहीं करना चाहते हैं, जबकि सारा इनफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, पैसा उनके पास है, पानी की व्यवस्था वे कर रहे है, ये सारी व्यवस्थाएं वे कर रहे हैं ? वे न आपसे फारेन एक्सचेंज मांगते हैं, न भारत सरकार का पैसा है, न स्टेट का पैसा है, वह तो को-आपरेटिव सैक्टर का पैसा है। आप यह कह दीजिए कि स्टेट का जो नेफ्था का कोटा है उसमें हम इसकी रिक्वायरमेंट को एडजस्ट कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब एक ओर मेरी सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने सब कारेस्पोंडेंस देखा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इनका भी कारेस्पोंडेंस है, उनका भी है। नेफ्था के लिये उन्होंने दो शर्तें रखी हैं

(श्री शिवनाथ सिंह)

एक, या तो राज्य सरकार अपने कोटे में से उनको दे। राज्य सरकार अपने कोटे में से नहीं दे तो राज्य सरकार उनको यह बताए कि वे अपना नेफ्था अरेन्ज कर लें और उसकी रेट क्या होगी। नेफ्था पर उनको दिक्कत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : झुन्झुनूं में कारखाना लगे इससे ज्यादा तो मुझे कोई खुशी नहीं हो सकती। झुन्झुनूं में कोई बड़ा, कितना मेगावाट का आप बता रहे थे, उतने मेगावाट का कारखाना लग जाए इसमें कोई आपत्ति नहीं है। रहा नेफ्था का सवाल, कृमको हिन्दुस्तान की एक कम्पनी है आप भी जानते हो, हिन्दुस्तान की कम्पनी के पास पैसे भी हैं। और वह इनवेस्टमेंट करना चाहती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमने ऑलरेडी अलाट कर दिया है जिन कम्पनियों को नेफ्था, उनका नेफ्था तो हम छीने और उस कम्पनी को दें उसकी बजाय मैंने भारत सरकार को कहा कि आप इसके लिये स्पेशल अलाटमेंट कर दीजिये। स्पेशल अलाटमेंट यदि हो और राजस्थान का आगे हो रहा है तो और कम्पनियों को न देकर आप इनको दे दीजिये। अब नेफ्था का अलाटमेंट तो मेरे हाथ में नहीं है, यह तो भारत सरकार के हाथ में है। मान लीजिये कोई इनवेस्टमेंट करने के लिये, जैसे रघुवीर सिंह जी बता रहे थे, कईयों ने जमीन खरीद ली, कईयों ने क्या कर लिया। अब उनको तो कह दिया कि भारत सरकार ने जो अलोकेशन किया है उसके हिसाब से आपको अलाट हो जाएगा। उनका अलाटमेंट तो मैं कैन्सिल करूं और कैन्सिल करने के बाद में कृमको को देऊं तो आप यह सारा देख लीजिये। मेरे पास एक यूनिट भी नेफ्था की बची हुई हो अलाटमेंट के बाद में तो आप राजस्थान सरकार से ले लीजिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आप जितना चाहते हैं मैं भी चाहता हूं। मैंने इस सम्बन्ध में शीशराम जी से भी बात की, मैंने कहा आप अलाटमेंट वहां से क्यों नहीं करवाते हैं। कहा, नेफ्था है नहीं तो इम्पोर्ट करने की परमीशन दीजिये, इम्पोर्ट करके लाएंगे।

अब समस्या यह है कि इम्पोर्ट भी हम करें तो उसका ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं है। यह भी एक बहुत जबरदस्त बाटलनैक है। नेफ्था का एक्सपोर्ट करना या ट्रांसपोर्ट करना यह कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिये हमने कोशिश की कि कांडला के अन्दर हमें एक जेट्टी मिल जाए, पंजाब और राजस्थान इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर हमें जमीन मिल जाए, हम अपनी जेट्टी बना लें ताकि वहां से हम इन चीजों का ट्रांसपोर्ट करके अपने क्षेत्रों में ला सकें।

मैं हमारी तरफ से आपको यह अधिकार देता हूं कि राजस्थान सरकार को जो उन्होंने नेफ्था का अलाटमेंट किया है– मैं किस प्रकार से दूसरों का हक छीनकर उनको दे सकता हूं हमारा कोई रत्ती भर विरोध नहीं है कि भारत सरकार यदि नेफ्था का उनको अलाटमेंट कर दे तो हम सारा अलाटमेंट उनको दे देंगे। किसी तरह से भी कोई कारखाना लगाएं।

आज लिग्नाइट के मामले का जिक्र आया। लिग्नाइट में मैं कोई एक्सपर्ट नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हूं, न पावर प्रोजेक्ट्स में किसी प्रकार का एक्सपर्ट हूं और न मोदी जी की तरह फाइनैंशल मैटर्स में कि किसकी रेट्स कम हैं और किसकी रेट्स ज्यादा हैं। मैं इसमें आपकी एक्सपर्टाइज घोषित करता हूं। हालांकि ये लैटर तो कुछ लिखते हैं और बाद में बात कुछ करते हैं। अब उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि सदन के सामने लीडर ऑफ दी अपोजिशन कागज देखना चाहें, देख लें और भी 2-4 मैम्बर्स को शामिल करना चाहें वे कागज देख लें। हम सबको मिलकर इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि बिजली के मामले में राजस्थान में जो विकास की एक स्थिति बनी है वह किसी प्रकार से कम नहीं हो। लोग इनवेस्टमेंट करें और राजस्थान का विकास हो सके यही कहना चाहता हूं। बाकी की बातें जिस समय इस पर चर्चा होगी विस्तार से आपको बता दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्री जी, आपके स्पष्टीकरण से एक बात सदन के सामने स्पष्ट आयी है, वह यह कि जो कुछ भी आपके अभी तक पी.पी.ए. किये है नेपथा फ्यूल के बेसिस पर, वे 3346 मेगावाट के हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे पास नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : यह सब मेरे पास फिगर हैं। नहीं तो आप उठकर के जाएं, उधर बैठे हैं उनसे पूछ लीजिये। मैं कह रहा हूं करेक्ट ही है। यह इन्होंने किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जो कह रहे हैं उसे मैं सही मानता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : हाउस के पटल पर रखा है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, हम आपके पास कागज भेज देते हैं कि हम यह कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : कागज आपने अभी दिया है और मैंने इसे देख लिया है और देखने के बाद में उसका जोड़ किया है। आपको 1415 मेगावाट हुआ है अभी तक नेफ्था, नहीं मेगावाट के लिए। अभी एक सितम्बर को नेशनल कैपिटल रीजन की मीटिंग में जो इन्फोर्मेशन दिये हैं उसके बाद में तो एक दूसरी बात फिर आ गयी। जैसा कि आप अभी कोयले की बात कह रहे थे, आपके वहां पोर्ट्स पर इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है नेफ्था को इम्पोर्ट करने का। यह दूसरा प्रश्न आपके सामने खड़ा हो गया। कह दिया प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल कैपिटल रीजन की मीटिंग के अन्दर, इस आसपास के एरिया को डवलप करने के लिये बिजली एक मुख्य आधार है। उस संबंध के अन्दर आप बराबर कोशिश कर रहे हैं, 1945 से सेक्शन 43 के अन्दर अमेंडमेंट करने की बात, चिट्ठियां भी लिख रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट में अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं किया है, लिंकेज की पालिसी तय नहीं की है, आपका इन्फ्रास्ट्रक्चर का इम्पोर्ट का मामला अभी तक तय नहीं हुआ है और आप कह रहे हैं कि इन्टरनेशनल कम्पीटिटिव बिडिंग में राजस्थान की रेट्स नीची हैं। यह तो, मुख्य मंत्री जी, तुलनात्मक

(श्री परसराम मदेरणा)

देखने से पता लगेगा। इसलिये आप ऐसा कीजिये। यह इन्फार्मेशन हम मंगा नहीं सकते। आपने तीन तरह के समझौते बताये हैं। फास्ट ट्रैक के समझौते हुए हैं, इंटरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग के समझौते हुए हैं और कुछ एम.ओ. यूज भी हुए हैं। इन तीनों के अन्दर जो रेट्स हैं दूसरे राज्यों के अन्दर और जो उन्होंने पी.पी.ए. साइन कर लिये हैं, उन पी.पी.ए. के साइन करने के बाद में वे रेट्स क्या हैं, वह हमको अवलेबल करायी जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करा देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : ताकि हम कम्पेरेटिवली रेट्स को देख सकें और एक निश्चित आधार बन जाए कि आपकी रेट्स की पोजिशन क्या है।

जहां तक सोलर बेस बिजली का सवाल है वहां पर कोई लिकेज-विकेज की ज्यादा जरूरत नहीं है फ्यूल की। ऊपर की बिजली एनराम वाली है ना वो। उसमें अभी तक प्रगति नहीं हुई है और लिग्नाइट का तो उन्होंने कह दिया कि हमने कोई लैटर-वैटर लिख दिये हैं, उन मिनिस्टर्स को। जब तक आपका डिपार्टमेंट ऑफ फोरेस्ट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और उसके साथ में एनर्जी मिनिस्ट्री और एनर्जी मिनिस्ट्री के साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि आपके यहां बड़े इनवेस्टमेंट की आवश्यकता है। इनवेस्टमेंट के साथ ही मैं, ऊर्जा मंत्री जी, आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि आपने राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन को अण्डर दी कंपनीज एक्ट रजिस्टर करा लिया है? मैंने अखबार में यह पढा था कि वर्तमान में जो आपके आर. एस. ई. बी. के चेयरमैन हैं वे उसके अध्यक्ष बन गये हैं। यह ड्युअल आर्गेनाइजेशन हो गया है। कुछ पता नहीं है। आर. एस. ई. बी. अभी तक एग्जिस्टेंस में है, दूसरे, एक कारपोरेशन का अध्यक्ष बना हुआ है तो अभी तक उसके पास कुछ है नहीं, वह अध्यक्ष नाम मात्र का है। आपने नोटिफिकेशन निकाला होगा क्योंकि नोमिनेशन तो आपने किया है। क्या यह बात सही है? अगर बात यह सही है तो जब तक यह लिकेज का, दूसरा 16 लाख रुपये का मामला जो अभी बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य उठा रहे थे, यह प्रश्न आपके वहां से रवाना होने के बाद हुआ है।

एश्योरेंस तो किसी प्रकार से, येन-केन प्रकारेण, देने में आप माहिर हैं क्योंकि आप जिस तरह की एक फिजां बनाते हैं बैठकर आपने घुमाया जोरदार है। कहां तो नेशनल कैपिटल जोन के डवलपमेंट की बात वहां पर लाये हैं, उस एरिया के 100 मीटर के अन्दर विकास कैसे हो और विकास इसलिये नहीं हो सकता कि बिजली नहीं है, बिजली इसलिये नहीं है क्योंकि फ्यूल का लिकेज नहीं है। फ्यूल के लिकेज में इन्होंने घुमाकर, सब्जेक्ट मैटर बिलकुल नहीं था लेकिन किसी तरह से लाये। गुजराल साहब भी देखते रहे थे, हालांकि रेलेवेंट मैटर था। बहुत होशियारी से लाये आप। होशियारी ही नहीं मैं समझता हूं कि चातुरी से लाये, लाना चाहिये था। प्रश्न तो आप किसी तरह से उसको लाये और लाकर के वहां कह दिया, परन्तु दूसरी मिनिस्ट्री 20 तरह के रोड़े अटकाएंगी। यह गुजराल साहब के पास जेब में नहीं है

४८

(श्री परसराम मदेरणा)

कि जाते ही वे आपका 29-30 सितम्बर को फैसला कर देंगे। अभी तक इस स्तर पर यह मामला यूं ही पड़ा हुआ है। आप मेहरबानी करके इसकी हमको रेट्स बता दीजिए क्योंकि हमको यह पूरा डर है कि आपके सब....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : जहां-जहां पी. पी. ए. हुए हैं, वहां से मंगवा कर आपको भेज देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : अब देखिए, प्रश्न बहुत गम्भीर है। एक फाइव ईयर प्लान का टारगेट बिजली उत्पादन का और अचीवमेंट के बीच में भारी गैप है। 42 हजार और 18 हजार मेगावाट का यह गैप है। आपकी 50 सर्वे रिपोर्ट हैं पावर की, हालांकि उन्होंने तो कही, आपके प्रोजेक्ट को बार पर आने का सोच करके लिया है। इसमें बरसिहसर का भी उन्होंने,

(13.00)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नहीं, उसका सूरतगढ़ को समझ लिया है कि वह यूनिट आ जाएगी। 50 पर्सेंट गैप है पावर सप्लाई और डिमांड में, यह उन्होंने आपको आगाह किया है। मुझे तो उससे ज्यादा दिख रहा है। देश में क्राइसिस है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन क्राइसिस, के अन्दर जब तक पॉलिसी निर्धारित न हो भारत सरकार के स्तर पर तब तक पी. पी. ए. किए जाओ और पी. पी. ए. करने के बाद आप लोग शिलान्यास किए जाओ और शिलान्यास करके आप चिमनियां लगाये जाओ। चिमनियां लगीं नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं पर भी आपका कुछ हुआ नहीं। ये दो-तीन लेटर आपने जो मिनिस्ट्री को लिख दिए, फोरेस्ट मिनिस्टरी और एनवायरनमेंट मिनिस्टरी को लिग्नाइट के मामले में, बाकी कोई प्रोग्रेस नहीं है, कुछ नहीं। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हुए हैं। पी. पी. ए. करके बैठ गए और पी. पी. ए. करने के बाद में उनके पास इनवेस्टमेंट नहीं है। अभी मुझे आप कह रहे थे कि यह नहीं है। यह इनका परपज है, बिलकुल डेफिनेटली। एक तो फाइनेंशल इन्टीट्यूशन्स बिजली के उत्पादन के अन्दर नहीं कर रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी ने बहुत साफ कहा है। इसके कारण से वे यह चाहते हैं कि ये बीच में से बाटलनैक्स हटें एक तो आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में और दूसरा बिजली के उत्पादन के अन्दर जो इनवेस्टमेंट है वह इन्वेस्टमेंट भी वे यह चाहते हैं कि एक्ट में अमेंडमेंट लाया जाए। लेकिन जब तक भारत सरकार नेशनल पॉलिसी के अन्दर वह सोच रही थी पहले पूरे एक्ट का अमेंडमेंट करने का जब तक वह अमेंडमेंट नहीं करेगी उसके पचासों प्रावधान होंगे सी. ई. ए. आपके बीच में आती रहेगी बार-बार और आपको हिलने भी नहीं देगी। जब तक यह स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाती है बाटलनैक्स से, तब तक इसमें से लांच करने जा रही है यह प्रोग्राम पी. पी. ए., पी. पी. ए. रहेंगे, आपका बिजली का उत्पादन नहीं होने वाला है। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलौदी): ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट ऑफ ग्रार्डर सुनिए।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : चार दिन हो गए हम सबको, लोमड़ी वाली पूंछ पे रमाया जा रहा है। मुख्य विषय चार दिनों में भी ग्रभी तक आया नहीं। ग्रब यह ऊंचे, इतने ऊंचे स्तर की बहस हो रही है कि हम सब तो ले मैन हैं जो इसमें समझते नहीं हैं। ये विद्वान चार-पांच हैं, वे ग्रौर ग्राप अलग कमरे में विराज जाग्रो और वहां यह सब डिस्कस करके हां-ना के लिए यहां, ज्यादातर यहां हम लोग ले मैन हैं, हमारी जानकारी मामूली है, उस हिसाब से हमें कर दो, फिर ग्राप हां-ना करो तो उसको कह देंगे। मुबारक है आपको कि चार दिन में पाइंट पर ग्राने ही नहीं दिया ग्रौर आज भी विचार नहीं ग्राने दिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुख्य विषय पर झट से ग्रा जाएं। यह तो प्रश्न था, अब बिजली पर गहराई से चर्चा होने लगी। यह तो ग्रंतहीन चर्चा हो सकती है, बहुत आंकड़े हैं इसके, कई किताबें हैं तो यह छोड़िए न।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। कृपया विराजिए।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खिलाफ मुख्य मंत्रीजी ने व्यक्तिगत ग्रारोप लगाया है। उस ग्रारोप का जब तक मैं जवाब नहीं दूंगा तब तक ग्राप चाहे प्रश्नकाल स्थगित कर दीजिए ग्रौर चाहे कुछ भी कर लीजिए। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : कहा कि उनको कोई एतराज नहीं है इस पर डिबेट करवाने में, तो हम सब इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं।

श्री विष्णु मोदी : उन्होंने मुझे कहा मैं डिबेट कराने में हूं। उन्होंने मुझे कहा मोदीजी, उन्होंने स्पेसिफिक मुझे कहा है कि मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। इस पर मेरा जवाब, मैंने उस वक्त पहले भी कह दिया था कि हमेशा का यही तरीका है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ग्रापने आधा घण्टे का भाषण+++दिया। हम लोग कई बातें पूछना चाहते हैं, ग्रपनी बात कहना चाहते हैं इसलिए इस पर एक दिन की डिबेट रखवाइए।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : मैंने एक पर्ची दे दी है। भीनमाल में आज क्या हो रहा है इस पर चर्चा करवाइए। सारी जनता ग्रशांत बैठी हुई है, उस पर चर्चा करवाने के लिए मैंने पर्ची दी है सुबह दस बजे।

श्री विष्णु मोदी : जब तक ग्राप मुझे इस बात का नोटिस नहीं देंगे, मुझे इस बात का, जो उन्होंने मेरे ऊपर एलीगेशन लगाया है, आई हैव टू रिप्लाई दैम। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : गुजरात की, मध्यप्रदेश की, राजस्थान की,

---

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामनारायण डूडी)

सारी की सारी जनता वहां पहुंची हुई है। (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण मीणा : मुख्य मंत्री जी से माफी दिलाइये। वास्तव में हम जो कह रहे हैं, कटारिया साहब बिलकुल सही कह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मैंने कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया है और आप किसी बात को व्यक्तिगत आक्षेप समझते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आप पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है। जो कुछ मैंने कहा है इसको आप आरोप समझते हैं तो मैं विथड्रा करता हूं।

श्री विष्णु मोदी : सवाल इस बात का है कि इस सदन के माध्यम से....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विथड्रा कर लिया गया, कोई आरोप है ही नहीं।

श्री विष्णु मोदी : और इस राजस्थान की जनता पिछले चार साल से बिजली के मामले में, बल्कि नौ साल से, पिछले चार साल से सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को गुमराह किया जा रहा है, बिजली आ रही है, हमने समझौते कर लिए। पी.पी.ए. से बिजली नहीं आएगी। इस सिस्टम से बिजली का ट्रांसमिशन ठीक नहीं होगा। This Government is not only failed in Power but it is miserably failed.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री विष्णु मोदी : और इस गवर्नमेंट ने जो समझौते किए हैं, वे हिन्दुस्तान में...

श्री उपाध्यक्ष : अब अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट—4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ईंट उद्योग इकाइयों को अनुदान

130. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 1990 के बाद ईंट उद्योग (मशीनीकरण द्वारा) इकाइयों को कब-कब अनुदान राशि प्रदान की गई? प्रत्येक इकाई को स्वीकृत राशि, दिनांक एवं नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन इकाइयों को दिनांक 31 मार्च, 1997 तक कितनी अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(51)

उत्तर

(1) उद्योग विभाग/राजस्थान वित्त निगम द्वारा वर्ष 1990 के पश्चात ईंट (मशीनीकरण द्वारा) इकाइयों को प्रदान की गई अनुदान की राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) वितरण की गई राशि का उल्लेख भी परिशिष्ट "अ" में कर दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट—5 देखें)

तहसील बौंली व बामनवास के विभिन्न परियोजनाओं हेतु चयनित व्यक्ति

131. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1993-94 से 1996-97 में विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली और बामनवास में किन-किन व्यक्तियों को किस-किस परियोजना हेतु चयनित किया गया है ? चयनित व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चयनित व्यक्तियों को कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं स्वीकृत राशि का बैंक द्वारा कब-कब भुगतान किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या चयनित व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत की गई राशि चयनित कार्य पर खर्च कर दी गई है एवं क्या इसका किसी उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापन करवाया गया है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) वर्ष 1993-94 से 1996-97 में तहसील बौंली व बामनवास में प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत चयनित युवाओं की संख्या निम्नानुसार है :—

तहसील—बौंली

क्र.सं.	वर्ष		चयनित युवाओं की संख्या
1.	1993–94	शून्य	(ग्रामीण क्षेत्र में योजना लागू नहीं थी)
2.	1994–95	39	
3.	1995–96	88	
4.	1996–97	118	

तहसील-बामनवास

1.	1993–94	शून्य	(ग्रामीण क्षेत्र में योजना लागू नहीं थी)
2.	1994–95	18	
3.	1995–96	36	
4.	1996–97	69	

चयनित युवाओं की मय परियोजना के सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(52)

(उप मुख्य (उद्योग) मंत्री)

(2) सूचना संलग्न सूची में दर्शायी गई है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) चयनित युवाओं द्वारा स्वीकृत ऋण राशि चयनित कार्य पर ही खर्च की जा रही है। इसके सम्बन्ध में बैंक अधिकारी एवं उद्योग विभाग के उद्योग प्रसार अधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

उद्योग केन्द्र नागौर द्वारा युवकों का चयन

132. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला उद्योग केन्द्र नागौर द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना में युवकों का चयन कर लाभ देने के लिये बैंकों के नाम भेजे गये थे ? यदि हां, तो वर्ष 1995-96 में पंचायत समिति मकराना तथा कुचामन सिटी क्षेत्र के किन-किन युवकों का चयन कर किस-किस बैंक को कब-कब नाम भेजे गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भेजे गये नामों के व्यक्तियों को बैंक समय पर स्वीकृत राशि नहीं देकर उनको परेशान कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या वर्ष 1995-96 में उक्त क्षेत्रों के चयनित युवकों को बैंकों द्वारा लाभान्वित कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन को कब-कब और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति मकराना एवं कुचामनसिटी क्षेत्र में वर्ष 1995-96 में क्रमशः 139 एवं 124 युवाओं का चयन कर आवेदन पत्र ऋण उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न बैंकों को प्रेषित किये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बैंकों द्वारा योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृति के प्रकरण में युवाओं को परेशान करने के सम्बन्ध में जब भी शिकायत आती है, विभाग युवाओं की मदद करता है। विभाग द्वारा जिला स्तर पर आयोजित डी.एल.सी.सी. की बैठक में समस्त बैंकर्स को योजनानुसार समुचित ऋण उपलब्ध कराने के लिये निर्देश दिये जाते है एवं तद्रूप समय-समय पर सम्पर्क कर युवाओं की समस्या का समाधान किया जाता है। राज्य स्तर पर भी एस.एल.सी.सी. की बैठक में विभाग द्वारा बैंक के उच्चाधिकारियों के साथ वार्ता कर योजनाओं में चयनित युवाओं को ऋण देना सुनिश्चित करने के लिये ताकीद की जाती है एवं तद्रूप उनके द्वारा समय-समय पर निर्देश प्रसारित कर योजना की क्रियान्विति की जाती है। जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा लक्ष्यों के मुकाबले अधिक प्रार्थना-पत्र आयोजित किये जाते है एवं बैंकर्स से समन्वय स्थापित कर ऋण उपलब्ध कराया जाता।

(3) पंचायत समिति, मकराना एवं कुचामनसिटी में योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत एवं वितरण की सूचना निम्नानुसार है :—

(उप मुख्य (उद्योग) मंत्री)

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत संख्या	बैंक द्वारा ऋण वितरण संख्या
1.	मकराना	68	50
2.	कुचामनसिटी	64	31

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जिन युवाओं को स्वीकृत कर ऋण वितरण नहीं किया गया है उसका विवरण भी संलग्न सूची में दर्शाया गया है। जो प्रार्थना-पत्र बैंकों को भेजे गये तथा जिनमें ऋण स्वीकृत नहीं किया गया उसका प्रमुख कारण बैंकों को लक्ष्य से अधिक प्रार्थना-पत्र भेजना है। बैंकों को ऋण स्वीकृति एवं वितरण के लक्ष्य दिये गये थे, तथा उन लक्ष्यों से अधिक भेजे गये प्रार्थना-पत्रों पर ऋण स्वीकृत नहीं किया गया।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

करौली शहर के मन्दिरों की सम्पत्ति पर कब्जे

133. **श्री हंसराम** (करौली) : क्या देव स्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) करौली शहर में विभाग के कितने व कौन-कौन से मन्दिर हैं ?

(2) उक्त मन्दिरों एवं उनकी दुकानों आदि सम्पत्ति पर किस-किस द्वारा अनधिकृत कब्जा किया हुआ है ?

(3) क्या सरकार उक्त विभाग के मन्दिरों की दुकानों आदि अन्य सम्पत्ति से प्रति माह प्राप्त हजारों रुपये की आय जो कि मन्दिर के पुजारी द्वारा प्राप्त की जाती है, को राजकोष में जमा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) करौली शहर में देवस्थान विभाग के कुल 101 मन्दिर है, जिनकी सूची परिशिष्ट–1 संलग्न है।

(2) देवस्थान विभाग की जिन सम्पदाओं पर अनधिकृत कब्जा है उसकी सूची परिशिष्ट–2 संलग्न है।

(3) देवस्थान विभाग के सीधे प्रबन्धित एवं नियन्त्रित राजकीय आत्मनिर्भर मन्दिरों की आय (भेंट, किराया आदि) राजकीय कोष में जमा होती है, जिसका विनियोजन निजी निक्षेप ब्याज खाते में किया जाता है। सुपुर्दगी श्रेणी के जो मन्दिर हैं उनकी आय सम्बन्धित मन्दिर का पुजारी ही वसूल करता है चूंकि सुपुर्दगी श्रेणी के मन्दिरों की सम्पूर्ण व्यवस्था स्वयं पुजारी (सुपुर्दगार) करता है। अतः सुपुर्दगी श्रेणी के मन्दिरों की आय राजकीय कोष में जमा करवाने का प्रश्न ही नहीं रहता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

रामगढ़ (बून्दी) वन्य जीव अभ्यारण्य में खनन कार्य

134. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य (बून्दी) की सीमा में तथा

(श्री रामपाल उपाध्याय)

सीमा की 200 मीटर परिधि में खनिज विभाग द्वारा स्वीकृत खनन पट्टों की जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो कब ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खनन पट्टे की स्वीकृति के समय विभाग के किस अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया ?

(3) क्या अभ्यारण्य के समीप हो रहे खनन कार्य से वन्य जीवों के स्वतन्त्र विचरण में हो रहे व्यवधान को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या ?

(4) अभ्यारण्य के समीपस्थ क्षेत्र में खनन पट्टा जारी करने के लिये कौन दोषी है ? दोषी कर्मचारी के नाम सहित की जाने वाली कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त खनन लीज को निरस्त करवाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के 200 मीटर की परिधि में 7 खनन पट्टे स्वीकृत हैं जिसमें से एक खनन पट्टे के सम्बन्ध में तत्कालीन मंडल वन अधिकारी, बून्दी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। शेष 6 के सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।

(3) अभ्यारण्य सीमा से 25 मीटर तक की परिधि में खनन की स्वीकृति देने पर दिनांक 14-11-94 से राज्य सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है।

(4) स्वीकृत 7 खनन पट्टे रामगढ़ अभ्यारण्य की सीमा व इसकी 25 मीटर की परिधि में स्वीकृत नहीं है, जो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम 1986 एवं नई खनिज नीति के अनुसार नियमानुसार है। अतः कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(5) अभयारण्य की सीमा से 25 मीटर तक की परिधि में कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है अतः निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

कृषकों द्वारा अतिक्रमित वन भूमि का नियमन

135. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगू) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि कई किसानों ने वन भूमि पर विगत 25 वर्षों से भी अधिक समय से अतिक्रमण कर कुए खोद कर आम आदि के पक्के पेड़ लगा लिये हैं ? क्या सरकार उक्त कृषि योग्य वन भूमि को किसानों को आवंटित कर उन्हें नाजायज कब्जों की सजा/कार्यवाहियों से मुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा प्रसारित दिशा निर्देशानुसार जो प्रकरण नियमन हेतु उपयुक्त पाये गये हैं, उन्हें वन (संरक्षण) अधि-

(वन मंत्री)

नियम 1980 के अन्तर्गत नियमन हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जा रहा है। भारत सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर इनका नियमन कर दिया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र डग के स्वीकृत कार्य

136. **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में वन विभाग द्वारा वर्ष 1993–94 से अब तक कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये है ? स्वीकृत कार्य योजना की स्वीकृति, दिनांक, राशि एवं कार्य का प्रकार सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन समस्त कार्यों को पूरा करने में कितनी राशि व्यय की गई ? प्रत्येक कार्य पर व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन कार्यों का मुगतान मस्टर-रोल के आधार पर किया गया है ? यदि हां, तो प्रत्येक कार्य का मुगतान की जाने वाली मस्टर–रोल की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो अन्य प्रकार से की गई मुगतान प्रणाली का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में वन विभाग द्वारा वर्ष 1993–94 से अब तक 2090 हैक्टेयर क्षेत्र के 42 कार्यों की स्वीकृति जारी कर वृक्षारोपण कार्य कराया गया है। स्वीकृत कार्यों का विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) इन समस्त कार्यों के क्रियान्वयन पर 120.843 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। प्रत्येक कार्य पर व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) आश्वासित रोजगार योजना अन्तर्गत कराये गये 8 कार्यों पर मुगतान मस्टर–रोल के आधार पर किया गया है। मस्टर–रोल का विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है। शेष 34 कार्यों का सम्पादन विभाग में प्रचलित "पीस रेट प्रणाली" के अन्तर्गत कराया गया है। विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला झुन्झुनूं में पेड़ों की अवैध कटाई

137. **डा. मूलसिंह शेखावत** (झुन्झुनूं): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सड़क के दोनों ओर लगाये गये वृक्षों की रखवाली का जिम्मेदार कौनसा विभाग है ?

(2) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिले में अनेक स्थानों पर सड़क के दोनों ओर के पेड़ों की अवैध कटाई की शिकायत पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) जिले में हर वर्ष जो पेड़ वितरित किये जाते हैं, उनमें से कितने प्रतिशत वृक्ष पनप पाते हैं ?

उत्तर

(1) सड़क के दोनों ओर जहां वृक्षारोपण कार्य वन विभाग द्वारा कराया गया है अथवा सड़क के जिस हिस्से को सरकार ने रक्षित वन घोषित किया है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वन विभाग की हैं।

(2) राज मार्ग पर पेड़ों की कटाई के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर छानबीन करने पर पाया गया कि ग्राम सांगासी एवं मुकन्दगढ़ के निकट विद्युत लाइन के नीचे स्थित पेड़ों का विद्युत विभाग द्वारा कटान किया गया है।

(3) कृषि वानिकी के अन्तर्गत वितरित पौधों का नियमित मूल्यांकन नहीं करवाया जाता है। वर्ष 1984 में जीवित पौधों का पता लगाने के उद्देश्य से कराये गये मूल्यांकन से झुन्झुनूं जिले में 49.53 प्रतिशत पौधे जीवित पाये गये थे। इसके अतिरिक्त कृषि वित्त निगम दिल्ली के द्वारा वर्ष 1993 में कृषि वानिकी के अन्तर्गत वितरित पौधों में जीवित पौधों का मूल्यांकन राज्य के विभिन्न एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में किये जाने पर राज्य में औसतन 61.47 प्रतिशत पौधे जीवित पाये गये।

जिला जयपुर की मरम्मत योग्य सड़कें

138. **श्रीमती इन्दिरा मायाराम** (सांगानेर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर रोड से महापुरा होती हुई कलवाड़ा, अजराजपुरा तक बनी सड़क की देखरेख कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा की जा रही है? यदि हां, तो उसकी मरम्मत नहीं करवाये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि महापुरा रोड से झांई, बमोरिया एवं अंतीरामपुरा से लाकास, मांकरोटा खुर्द होती हुई अजराजपुरा तक की सड़क कृषि उपज मण्डी समिति ने बनाई है? यदि हां, तो उक्त सड़कों के क्षतिग्रस्त होने पर भी अब तक इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ग्राम महापुरा से कलवाड़ा तक की सम्पर्क सड़क का निर्माण वर्ष 1983–84 में कुल सात किलोमीटर का करवाया गया था। उक्त सम्पर्क सड़क महापुरा से कलवाड़ा की मरम्मत लागत रुपये 17.50 लाख के साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किया जा चुका है।

(2) प्रश्न में वर्णित नाम से मण्डी समिति द्वारा सम्पर्क सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में मरम्मत कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

विधान सभा क्षेत्र डग में स्वीकृत कार्य

139. **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में भू-संरक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1993–94 से अब तक कौन–कौन से कार्य स्वीकृत किये गये?

(श्री बाबूलाल वर्मा)

स्वीकृत कार्य योजना का प्रकार, दिनांक एवं स्वीकृत राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन समस्त कार्यों को पूरा करने में कितनी राशि व्यय की गई ? प्रत्येक कार्य पर व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि इन कार्यों का भुगतान मस्टररोल के आधार पर किया गया है ? यदि हां, तो प्रत्येक कार्य का भुगतान की जाने वाली मस्टररोल की प्रति सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो अन्य प्रकार से की गई भुगतान प्रणाली का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में भू-संरक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1993-94 से अब तक स्वीकृत किये गये कार्य/योजना का प्रकार, स्वीकृति दिनांक एवं राशि का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है ।

(2) इन समस्त कार्यों को पूरा करने में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है ।

(3) राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र देवरिया एवं धतुरियां में श्रमिकों का भुगतान यूजर्स कमेटियों के द्वारा किया गया है, इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं 1– डी.पी.ए पी., 2– तीस जिला 30 काम 3– सुनिश्चित रोजगार योजना, 4– बंजड़ भूमि विकास योजना अन्तर्गत पूर्व में भुगतान मस्टरोल के द्वारा किया गया परन्तु इन योजनाओं में भी सितम्बर, 1995 से भुगतान यूजर्स कमेटियों द्वारा ही किया जिसके लेखों का संधारण उनके द्वारा ही किया जाता है । विभाग द्वारा भुगतान की गई मस्टरोल की संख्या काफी अधिक होने के कारण माननीय सदस्य को विभाग द्वारा अलग से प्रेषित कर दिया जायेगा ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

निवाई व टोंक में निर्मित सड़कें

140. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा सड़क निर्माण कराया जाता है ? यदि हां, तो निवाई व टोंक में अब तक कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कराया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्रों में निर्मित सड़के क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां । कृषि उपज मण्डी समिति निवाई व टोंक द्वारा अब तक निर्मित कराई गई सड़कों का विवरण निम्नानुसार है :–

कृषि उपज मण्डी समिति, निवाई

(राज्य मंत्री, कृषि)

क.सं.	नाम सम्पर्क सड़क	लम्बाई कि.मी.	निर्मित वर्ष
1.	झिलाय रोड से आर्णी बुगलपुरा	0.50	1991–92
2.	डांकरथल रोड से जुझारपुरा	1.20	1991–92
3.	लालसोट रोड से हूरमावता	1.00	1992–93
4.	झिलाय रोड से सिरोही	4.10	1992–93
5.	वनस्थली रोड से पलेई	2.00	1992–93
6.	बहड से जामडोली	2.90	1991–92
7.	चेतपुरा से मावता	1.00	1991–92
8.	गुन्सी से लुहारा	3.40	1993–94
9.	जोधपुरिया से देवनारायण जी का मन्दिर	2.20	1996–97
	कृषि उपज मण्डी, समिति, टोंक		
1.	मण्डी यार्ड से कंकाली माता तक	1.50	1991–92
2.	मेहन्दवास से मालियों की झोपड़ियां	2.00	1991–92
3.	सं. स. एस. डब्ल्यू. एम. से रूपतमगंज	1.00	1992–93
4.	पीपलू रोड से हाडी गांव	0.50	1992–93
5.	मुख्य मण्डी से दिवानजी के गेट तक	1.50	1992–93
6.	सोलंगपुरा से बजीरपुरा	2.00	1993–94
7.	मेहुन्दवास से मालियों की झोपड़िया	1.00	1996–97
8.	घास से खजूरिया	3.00	1996–97
9.	जयपुर टोंक रोड से जोला	4.00	1995–96
10.	टोंक डिग्गी रोड से चोसाई	6.00	1995–96 1996–97
11.	सोलंगपुरा से बजीरपुरा	1.50	1996–97

(2) प्रश्न के भाग संख्या "एक" में दर्शायी गई मण्डी समिति, निवाई की सड़कों में से क्रम संख्या 1 तथा 9 को छोड़ कर शेष सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है, जिसकी मरम्मत हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, टोंक की मांग के अनुसार कुल राशि 18.50 लाख में से प्रथम किस्त के बतौर 9.25 लाख रुपये जरिये चैक नम्बर 649603 दिनांक 17.4.97 द्वारा भिजवा दिये गये हैं। प्रश्न के भाग संख्या 1 में दर्शायी गई मण्डी समिति, टोंक की सड़कों

(राज्य मंत्री, कृषि)

में से क्रम संख्या 5, 10 व 11 को छोड़कर शेष सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है जिनकी मरम्मत हेतु कुल राशि 10.55 लाख रुपये में से प्रथम किस्त राशि 5.25 लाख रुपये सैण्ट्रल को-ग्रापरेटिव बैंक, टोंक के जरिये चैक नम्बर 182299 दिनांक 21.4.97 द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग, टोंक को भुगतान कर दिया गया है। अब इन सड़कों की मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग, टोंक द्वारा कराया जाना है।

जिला जयपुर की जल संग्रहण योजनाएं

141. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जलसंग्रहण क्षेत्र के विकास के लिये सरकार ने इस वर्ष जयपुर जिले में कहां-कहां क्या-क्या योजनाएं हाथ में ली हैं ? उक्त योजनाओं में से योजनाओं की कितनी क्रियान्विति हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जलग्रहण क्षेत्र के विकास के लिए इस वर्ष जयपुर जिले में कोई भी योजना हाथ में नहीं ली गई। चालू वर्ष में विगत वर्षों के अवशेष रहे कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(2) कोई नये कार्य हाथ में न लेने के कारण जवाब अपेक्षित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र धोद के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

142. श्री अमराराम (धोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद के कितने विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के किन-किन विद्यालयों में कितने-कितने अध्यापकों के पद रिक्त है ? विषयवार एवं स्कूलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब अध्यापकों के रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद में रिक्त प्रधानाध्यापकों का विवरण परिशिष्ट–'क' पर है।

(2) विधान सभा क्षेत्र धोद के विद्यालयों में रिक्त अध्यापकों के पदों का विवरण परिशिष्ट–"क" पर है।

(3) विभाग द्वारा लगभग सभी पदों की डी.पी.सी. कर ली गई है। डी.पी.सी. द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित ग्रेड का लाभ प्राप्त कर लेने के कारण 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक ही कार्य ग्रहण किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पद रिक्त चल रहे हैं। विभाग द्वारा पदों को भरने का पूर्ण प्रयास किया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

जिला जोधपुर के विद्यालय

143. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर जिले में किस-किस श्रेणी के विद्यालय कहां-कहां पर कब-कब से चल रहे हैं ? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) जोधपुर जिले में गत पांच वर्षों में इन स्कूलों में छात्र एवं छात्राओं की संख्या कितनी-कितनी रही है ? इन स्कूलों में क्रमशः शिक्षकों की संख्या, छात्र संख्या के अनुपात में कितनी-कितनी रही ?

(3) क्या शिक्षा अधिकारियों द्वारा की गई जांच में कई स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत कम पाई गई एवं शिक्षकों की संख्या बहुत ज्यादा पाई गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई एवं इसके लिए कौन दोषी है ?

(4) जोधपुर जिले में शहर सहित कहां-कहां पर स्कूल किराये के भवन में एवं कहां-कहां पर सरकारी भवन में चल रहे हैं ? किराये में चल रहे भवनों में छात्रों की संख्या पिछले पांच वर्षों में क्या रही ? क्या छात्रों की संख्या एवं शिक्षकों की संख्या को देखते हुये यह उचित है ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में संचालित विभिन्न श्रेणी के विद्यालयों, कब से संचालित है का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है ।

(2) जोधपुर जिले में संचालित विद्यालयों में गत पांच वर्षों के छात्र एवं छात्राओं एवं अध्यापकों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है ।

(3) समानीकरण के तहत छात्रों के अनुपात में अध्यापकों की संख्या अधिक होने पर उनका समायोजन छात्रों के अनुपात में अध्यापक कम वाले विद्यालयों में अध्यापकों का समायोजन किया गया ।

(4) जोधपुर जिले में शहर सहित किराये के भवनों में संचालित विद्यालयों का विवरण तथा उसमें गत पांच वर्षों की छात्र संख्या का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है ।

(विवरण प्रश्न शाखा के मूल सैट में रखा गया)

प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति की पात्रता

144. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक के पद हेतु बी. एड. कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा सीनियर सैकण्डरी कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव रखने वाले शिक्षकों को ही उक्त पद पर नियुक्ति दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी, नहीं । प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय के पद पर चयन हेतु बी. एड. कक्षाओं को पढ़ाने के अनुभव के आधार

(शिक्षा मंत्री)

पर चयन में प्राथमिकता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, तथा ना ही सीनियर सैकेण्डरी कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव रखने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाती है। प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय के पद पर चयन हेतु 5 वर्ष का माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक कक्षाओं का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिये।

आमेर (जयपुर) के स्मारक स्थलों का जीर्णोद्धार

145. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि महाकवि बिहारी का आमेर स्थित ऐतिहासिक प्राचीन स्मारक स्थल के कलात्मक कंगूरे, बरामदा, गुम्बद, छतरी, सीढ़ियां एवं नीचे का भाग पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्मारक स्थल का जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में नागरिकों द्वारा बार-बार मांग की जाती रही है ? यदि हां, तो प्राप्त मांग पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त स्मारक स्थल के जीर्णोद्धार का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आमेर में महाकवि बिहारी से सम्बन्धित कोई ऐतिहासिक प्राचीन स्मारक राज्य सरकार द्वारा संरक्षित घोषित नहीं है।

(2) जी, हां। उक्त स्थल संरक्षित स्मारक न होने के कारण पुरातत्व विभाग की जीर्णोद्धार किये जाने वाली स्मारकों की कार्य सूची में सम्मिलित नहीं है।

(3) जी, नहीं। उक्त स्थल राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित नहीं है। ऐसी स्थिति में जीर्णोद्धार कराने का वर्तमान में राज्य सरकार का विचार नहीं है।

सराड़ा (उदयपुर) की जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण

146. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा, जिला उदयपुर में गत तीन वर्षों में कितनी जनजाति बस्तियों को विद्युतीकृत करने हेतु कितनी–कितनी राशि की सहायता दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या दी गई राशि का लाभ वहां के लोगों को मिल चुका है ? यदि हां, तो किस-किस को और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार व्यक्तिगत विद्युतीकरण हेतु सहायता देती है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के कितने लोगों को अब तक सहायता दी गई ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा जिला उदयपुर में जनजाति बस्तियों के विद्युती-

(ऊर्जा मंत्री)

करण हेतु तीन वर्षों में जनजाति विभाग द्वारा दी गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	बस्ती का नाम	राशि (लाख रु.)
1994–95	—	—
1995–96	1. मायर	0.90
	2. पाडला पाटिया	0.45
	3. पाडला कोटड़ी	0.75
	4. पाडला मापला	0.75
	5. पाडला गौरबडला	0.85
	6. पाडला कालिया	0.55
1996–97	—	—

टी.ए.डी. द्वारा जो राशि दी जाती है, विद्युत मण्डल द्वारा उससे कहीं अधिक राशि अपने स्रोतों से इन कार्यों पर व्यय की जाती है।

(2) ग्राम मायर में मांग पत्र की राशि (सिक्योरिटी आदि) उपभोक्ताओं द्वारा जमा नहीं कराने तथा पाडला पाटिया, पाडला कोटड़ी, पाडला मापला, पाडला गौरबडला व पाडला कालिया के लिए जनजाति विभाग द्वारा संशोधित मांग पत्र की राशि जमा नहीं कराने के कारण, दी गई राशि का लाभ लोगों को नहीं मिल सका।

(3) जनजाति योजना क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन हेतु 15–20 लोगों का समूह हो तो लाइन कार्य की लागत बस्ती विद्युतीकरण योजना के तहत जनजाति विभाग द्वारा जमा कराई जाती है। व्यक्तिगत विद्युतीकरण हेतु सहायता नहीं दी जाती है।

उपखण्ड लाडनूं एवं सुजानगढ़ में विशेष श्रेणी के कनेक्शन

147. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत वित्तीय वर्ष में उपखण्ड लाडनूं एवं सुजानगढ़ में विशेष सामान्य श्रेणी के कृषि कुओं के 10 कनेक्शन आवंटित किये गये थे ? यदि हां, तो कब तथा उनके डिमाण्ड नोटिस कब तक जारी होने चाहिये थे और कब जारी किये गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त डिमाण्ड नोटिस अब तक भी जारी नहीं हुये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त मामला सरकार की जानकारी में कब आया ? क्या उस पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

(3) जिस दिन उक्त आवंटन आदेश उपखण्ड में प्राप्त हुआ उस दिन इस श्रेणी में कनेक्शन के पात्र काश्तकारों के कितने प्रार्थना–पत्र कब–कब से लम्बित थे और अब कितने हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) चालू वर्ष में इस क्षेत्र के लिये उपरोक्त श्रेणी के कितने कनेक्शन कब आवंटित किये गये तथा उनका डिमाण्ड नोटिस कब जारी हुआ ?

(5) गत वर्ष जो दस कनेक्शन आवंटित किये गये थे और उनके डिमाण्ड

(श्री हरजीराम बुरडक)

नोटिस जारी नहीं हुये थे को सरकार अब कब तक डिमाण्ड नोटिस जारी करने का विचार रखती है ?

(6) इस प्रकरण में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं जिनके कारण इस क्षेत्र के काश्तकार इस लाभ से वंचित रहे हैं तथा दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

उत्तर

(1) सामान्य श्रेणी में लम्बित प्रार्थना-पत्रों में से पंचायत समिति लाडनूं में 10 आवेदकों को विशेष सामान्य श्रेणी में कनेक्शन देने हेतु आदेश संख्या 3206 दिनांक 20-3-1997 के द्वारा नोटिस दिये जाने के निर्देश दिये गये थे इसके पश्चात् आदेश संख्या 636 दिनांक 16-6-1997 के अनुसार विशेष सामान्य श्रेणी में 10 आवेदकों को नोटिस जारी करने के स्थान पर संशोधित कर वर्ष 1997–98 के लिये 8 कनेक्शनों का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया, जिनको नोटिस जारी कर दिये गये हैं। इसके बाद नियमानुसार मांग–पत्र जारी करने की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(2) जी, हां। मांग-पत्र जारी नहीं किये गये हैं लेकिन आवेदकों को नोटिस चालू मास में जारी किये गये हैं जिसमें आवेदकों द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ रुपये 4000/– जमा कराये जाने पर उनको मांग पत्र जारी किये जाने की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(3) विशेष सामान्य श्रेणी के पात्र काश्तकारों की कोई अलग से सूची नहीं होती है तथापि सामान्य श्रेणी के लम्बित आवेदनों पत्रों में से मोटे तौर पर 2 वर्ष की ओवर-राईडिंग प्रायोरिटी कर पात्र आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर चयन कर आदेश के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार 8 पात्र आवेदकों के प्राथमिकता के अनुसार 4000/– रुपये जमा कराने पर डिमाण्ड नोटिस जारी किये जायेंगे। यह योजना स्वैच्छिक है। जब 8 पात्र आवेदकों के आवेदन आ जायेंगे उसके आगे नोटिस जारी नहीं किये जायेंगे।

(4) वर्ष 1997–98 में विशेष सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत पंचायत समिति लाडनूं में 8 कनेक्शनों का लक्ष्य जून, 1997 में निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष प्राथमिकता में आने वाले आवेदकों को नोटिस जारी कर दिये गये हैं। इनके द्वारा प्रार्थना पत्र तथा 4000/– रुपये जमा कराने पर नियमानुसार मांग–पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(5) गत वर्ष 10 आवेदकों को नोटिस जारी करने हेतु आबंटन किया गया था उनमें से जितने आवेदक इच्छुक होंगे उनमें से 8 को कनेक्शन दिया जायेगा। अगर 8 आवेदक इस 10 में से इच्छुक नहीं होते हैं तो जितने कम रहते हैं उनको आगे और नोटिस दिये जायेंगे जब तक 8 कनेक्शनों का लक्ष्य पूरा नहीं होता है, जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(6) इस क्षेत्र के काश्तकार इस योजना से वंचित नहीं रहे हैं। हां, विलम्ब जरूर

(64)

(ऊर्जा मंत्री)

हुआ है जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

उपखण्ड भोपालगढ़ एवं बावड़ी में नर्सरी श्रेणी के कनेक्शन

148. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर जिले में उप खण्डवार कितने कृषि कनेक्शन अलग-अलग श्रेणीवार वर्ष 1995–96 से 1997–98 में दिये गये ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपखण्ड भोपालगढ़ एवं बावड़ी में नर्सरी श्रेणी के कृषि कनेक्शन काश्तकारों द्वारा सिक्योरिटी एवं डिमाण्ड राशि जमा करवाने के बाद भी जारी नहीं किये गये ? यदि हां, तो जमा कराई गई राशि का विवरण तारीख एवं नाम सहित सदन की मेज पर रखें। अब इन्हें कब तक कनेक्शन दे दिया जायेगा।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में वर्ष 1995–96 1996–97 एवं 1997–98 में उप खण्डवार दिये गये कृषि विद्युत सम्बन्धों की सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) उप खण्ड भोपालगढ़ एवं बावड़ी में माह जून, 1997 तक नर्सरी कनेक्शन हेतु जमा मांग पत्रों के आवेदकों को विद्युत सम्बन्ध प्रदान कर दिये गये हैं। उप खण्ड भोपालगढ़ एवं बावड़ी में माह जुलाई–अगस्त, 1997 में जमा कराये गये क्रमशः 52 एवं 75 आवेदकों को विद्युत सम्बन्ध देना शेष है। उन आवेदकों का विवरण उप खण्डवार प्रपत्र "ब" में संलग्न है। इन्हें सामान की उपलब्धता के अनुसार शीघ्र ही कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्रामों का विद्युतीकरण

149. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है व कितने गांव शेष हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में विद्युतीकरण हेतु शेष रहे गांवों का अब कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली जिला जयपुर के अन्तर्गत आने वाले सभी 137 ग्राम विद्युतीकृत घोषित हैं। गांवों की सूची "अ" संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्र में कोई ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

पंचायत समिति इटावा में विद्युत आपूर्ति

150. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा जिला कोटा में विद्युत की परेशानी रहती है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके समाधान के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि ढीबरी चम्बल में 33 के. वी. सब ग्रिड स्टेशन स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो उसका कार्य पूर्ण होने की अवधि क्या थी ? अब तक कार्य पूर्ण नहीं होने के लिये कौन कौन दोषी है ?

(3) क्या यह सही है कि इटावा में 132 के. वी. सब ग्रिड स्टेशन स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृत कब की गई ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें । अब उक्त स्वीकृत सब-ग्रिड स्टेशन का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) इटावा के लिये 33 के.वी. विद्युत सप्लाई की लाइन 132 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन, लाखेरी से आती है ये लाइन चम्बल नदी पार करके, चम्बल बीहड़ क्षेत्र से गुजरते हुये इटावा पहुंचती है । अतः जब कभी आंधी तूफान के कारण व वर्षा में लाइट फाल्ट होने पर इसके दुर्गम क्षेत्र व बीहड़ क्षेत्र में होने के कारण लाइन ठीक करने के लिये फाल्ट ढूंढने में व सही करने में पूर्ण प्रयत्नों के पश्चात् भी कुछ समय अधिक लग जाता है ऐसे में इटावा क्षेत्र के निवासियों को कुछ परेशानी हो सकती है । इस समस्या के लिये इटावा में 132 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाना प्रस्तावित है ।

(2) ढीबरी में 33 के.वी. सब-स्टेशन स्वीकृत किया गया था । इस सब-स्टेशन के लिये इटावा से ढीबरी 33 के.वी. लाइन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा इस 33 के. वी. लाइन को 11 के. वी. पर चार्ज करके उस क्षेत्र की विद्युत की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है । 33 के.वी. सब-स्टेशन ढीबरी का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा सब-स्टेशन स्ट्रक्चर खड़े किये जा चुके हैं ।

बरसात के कारण कार्य में कुछ अवरोध हो गया है, जैसे ही रास्ते सही होंगे इसका कार्य सामान की उपलब्धता के अनुसार शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जायेगा । उक्त कार्य आर.एम.पी. स्कीम (179042) के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था तथा वर्ष 1991–92 के फेज प्रोग्राम में कार्य हेतु सम्मिलित किया गया था लेकिन उस समय उक्त क्षेत्र में पर्याप्त लोड नहीं होने के कारण कार्य नहीं किया जा सका । 33 के.वी. सब स्टेशन क्षेत्र विशेष में लोड व वहां हो रही लोड वृद्धि की आवश्यकता अनुसार बनाये जाते हैं । पूर्व में लोड कम होने व लोड वृद्धि नगण्य होने से वहां सब स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका, अतः इसके लिये कोई दोषी नहीं हैं ।

(3) जी, नहीं । इटावा में 132 के. वी. सब-स्टेशन अभी स्वीकृत नहीं किया गया है । परन्तु इटावा में 132 के. वी. सब-स्टेशन बनाने की योजना प्रस्तावित है । इस योजना को विश्व बैंक सहायतार्थ

66

(शिक्षा मंत्री)

योजनाओं में सम्मिलित किया गया है तथा विश्व बैंक की सहायता से शुरू करने के प्रस्ताव हैं। इस वर्ष प्रारम्भिक कार्य शुरू किये जायेंगे।

उपभोक्ताओं से विद्युत राशि की वसूली

151. **श्री लक्ष्मणसिंह रावत** (भीम): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश की विद्युत दरों (घरेलू कृषि व औद्योगिक) में पिछले दस वर्षों में कब-कब, कितनी-कितनी वृद्धि की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के उपभोक्ताओं से मीटर किराया, स्थायी सेवा शुल्क, पावर सरचार्ज मण्डल राशि, विद्युत कर, कब-कब से कितना-कितना वसूल किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपभोक्ता से कनेक्शन लेने पर एक खम्भे की कितनी राशि वसूल की जाती है?

उत्तर

(1) पिछले 10 वर्षों में घरेलू, कृषि एवं औद्योगिक श्रेणियों में विद्युत दरों में की गई वृद्धि का विवरण परिशिष्ट 'अ' में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) प्रदेश के उपभोक्ताओं से मीटर किराया, स्थायी सेवा शुल्क, फ्यूल सरचार्ज, विद्युत कर की पिछले 10 वर्षों में समय-समय पर वसूल की जाने वाली राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन जारी करने के लिये निम्न प्रकार से राशि वसूल की जाती है:–

1—प्रथम खम्बे के लिये	950/–प्रति कनेक्शन
2—दूसरे खम्बे के लिये	1450/– ,,
3—तीसरे, चौथे एवं पांचवें खम्बे हेतु	1950/– ,,
4—पांच के अतिरिक्त लगने वाले खम्बे पर	9000/– 12,000/– प्रति खम्बा

(क्रमशः सिंगल फेज/थ्री फेज लाइन के लिये)

लघु एवं मध्यम औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता से 12000/– रुपये प्रति खम्बे चार्ज किया जाता है जिसमें लघु उद्योग को 2,000/– रुपये प्रति पोल एवं मध्यम उद्योगों को 1,000/– रुपये प्रति पोल अनुदान दिया जाता है।

शहरी क्षेत्रों में घरेलू श्रेणी में कनेक्शन देने के लिये प्रथम 100 फुट सर्विस लाइन मण्डल खर्चे पर लगाई जाती है। यदि किसी उपभोक्ता के 100 फुट से अधिक लाइन लगनी हो तो उसका वास्तविक व्यय उपभोक्ता से वसूल किया जाता है। जिन बस्तियों के विद्युतीकरण का खर्चा किसी लोकल बाड़ी, नगर निगम, नगर पालिका अथवा अन्य ने दिया हो अथवा जहां 75 प्रतिशत से अधिक बस्ती विद्युतीकृत हो चुकी हो, उन बस्तियों में प्रति छः

(ऊर्जा मंत्री)

कनेक्शन पर एक खम्बा मण्डल द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है।

विभिन्न गृह निर्माण समितियों द्वारा बसाई गई बस्तियों में जहां किसी लोकल बाडी नगर निगम, नगरपालिका अथवा अन्य ने विद्युतीकरण हेतु राशि जमा नहीं कराई हो एवं साथ ही उन बस्तियों में 75 प्रतिशत से कम विद्युतीकरण हुआ हो तो प्रथम पोल तक 5000/– रुपये प्रति प्लाट वसूल किये जाते हैं।

कृषि कनेक्शन हेतु आवेदक से विभिन्न श्रेणी के अन्तर्गत एक पोल की राशि निम्न प्रकार से देय है :–

सामान्य श्रेणी

सामान्य श्रेणी में कृषि कनेक्शन लेने के लिये आवेदक को 1 पोल प्रति हार्सपावर से 8 पोलों तक अनुदान देय है। अनुदान देने के बाद आवेदकों से पोल चार्जेज दर निम्न प्रकार से हैं :—

1. पहले 3 पोल रु. 1500/–प्रति पोल
2. चौथे व पांचवें- रु. 2250/–प्रति पोल
3. 6,7 व 8 पोलों के लिये रु. 3000/–प्रति पोल

अनुदान से अतिरिक्त लगने वाले पोलों का 9000/– रुपये प्रति पोल की दर से लिये जाते हैं।

नर्सरी श्रेणी

नर्सरी योजना में 11 के. वी. व एल. टी, लाइन की दर 9000/–रुपये प्रति पोल है। नर्सरी श्रेणी में निम्न प्रकार से पोल चार्जेज लिये जाते हैं :–

एक आवेदक	आवेदकों का समूह	पोल की दर
प्रथम 5 पोल	प्रथम 10 पोल	पूरी दर से
6 से 10 पोल	11से 20पोल	आधी दर से
18 पोल से अधिक	20 पोल से अधिक	एक तिहाई दर से

अविद्युतीकृत गांवों में भी नर्सरी श्रेणी में कृषि कनेक्शन देय है जिसमें पोल चार्जेज विद्युतीकृत ग्रामों के बराबर ही है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

विधान सभा क्षेत्र डग की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

152. **श्री बाबूलाल वर्मा (डग)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में अभी तक कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ? लाभान्वित बस्ती का नाम, दिनांक, लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों के नाम मय पते के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में अभी तक कितनी हरिजन बस्तियों को लाभान्वित किया जाना शेष है एवं सरकार इन बस्तियों को कब तक लाभान्वित करने की योजना रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डग के अन्तर्गत 31.3.97 तक 125 हरिजन बस्तियों को

(68)

(ऊर्जा मंत्री)

विद्युतीकृत कर लाभान्वित किया गया है। चूंकि प्रायोरिटी रजिस्टर ग्रामवार रखे जाते हैं, अतः विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों में जारी किये गये कनेक्शनों का पृथक से विवरण देना सम्भव नहीं है। विद्युतीकृत की गई हरिजन बस्तियों के नाम एवं विद्युतीकृत किये जाने की तिथि सहित विवरण परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डग में अभी कितनी हरिजन बस्तियों को लाभान्वित करना शेष है, के बारे में सूचना विद्युत मण्डल संकलित नहीं करता। फिर भी कलक्टर, झालावाड़ द्वारा प्रस्तावित कुमठिया, गोविन्दपुरा, ब्यासरा, रामपुरिया डग, खोखरिया खुर्द एवं बदनपुर की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण वर्ष 1997-98 में करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। कमेटी द्वारा चयनित हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण लक्ष्यों के अनुरूप संसाधनों के अनुसार किया जा सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

जोधपुर शहर में बिल संग्रहण हेतु आमंत्रित निविदा प्रकरण

153. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विद्युत मंडल द्वारा जोधपुर शहर सर्कल के लिए विद्युत बिल संग्रहण हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी? यदि हां, तो कब-कब एवं इसमें किन किन फर्मों ने निविदाएं भेजी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निविदाओं में क्या-क्या शर्तें मंडल द्वारा दी गयी है? इन निविदाओं से बिल संग्रहण की क्या-क्या दरें प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त निविदाओं में किस फर्म को कार्य दिया गया? क्या इस फर्म की दरें न्यूनतम थी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो किस आधार पर इस फर्म को कार्य दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या निविदा में बैंक गारंटी प्रतिभूति के रूप में मांगी गई है? यदि हां, तो कितनी? क्या जिस फर्म को कार्य दिया गया उस फर्म ने यह शर्त पूरी की है? यदि नहीं, तो किन कारणों से कार्य दिया गया?

(5) क्या यह निविदा पूरे जोधपुर शहर सर्कल के लिए थी? यदि हां, तो क्या यह कार्य आदेश पूरे सर्कल का दिया गया? यदि नहीं, तो किस आधार पर? क्या यह आधार निविदा की शर्त के विरुद्ध नहीं है?

(6) क्या निविदा में बूथ खोलने के लिए जनसंख्या एवं क्षेत्र निर्धारित किया गया? यदि हां, तो कितना-कितना? क्या दिये गये कार्य में उसका पालन हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(7) क्या निविदा की शर्त में पांच सौ रुपये के बिल पर रेवेन्यू स्टाम्प लगाना शामिल था? यदि हां, तो क्या ऐसे बिलों पर रेवेन्यू स्टाम्प लगाये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या मंडल से इसका भुगतान प्राप्त किया जा रहा हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(8) क्या मंडल द्वारा विद्युत बिल संग्रहण की न्यूनतम दर निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या उसका पालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो कहां-कहां और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। जोधपुर शहर वृत के विद्युत बिल की राशि संग्रहण के लिये निविदाएं आमंत्रित की थी। निविदाएं दिनांक 1.12.1995 को आमंत्रित की गई थी। निविदाएं निम्नलिखित पांच फर्मों ने दी थी :—

1. पावर लिंक्स इण्डिया, जोधपुर।
2. नेमीचन्द एण्ड सन्स, जोधपुर।
3. अशोक जैन, जोधपुर।
4. मून इलेक्ट्रिकल्स, जोधपुर।
5. जोधपुर एस.टी.डी/पी.सी.ओ. धारक संस्था, जोधपुर।

(2) विद्युत विपत्र संग्रहण की शर्त की प्रतिलिपि प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' संलग्न है। निविदाकर्ता द्वारा प्राप्त दरें एवं संशोधित दरों का विवरण प्रपत्र 'स' में संलग्न है।

(3) उक्त निविदाओं में मै. अशोक जैन, जोधपुर को कार्य दिया गया। मण्डल की निविदा शर्तों व संशोधित शर्तों के अनुसार इस फर्म की दर न्यूनतम थी। इस फर्म की दर रुपये 1.15 पैसे प्रति बिल थी। यह उल्लेखनीय है कि उदयपुर में 1.32 रु., अलवर में 1.25 रु., बांसवाड़ा में 1.20 रु., दौसा में 1.20 रु., हनुमानगढ़ में 1.15 रु., नागौर में 1.25 रु., जयपुर में 1.20 रु. की दर निर्धारित की गई है।

(4) जी, हां। निविदा में बैंक गारंटी सिक्योरिटी के रूप में मांगी गई थी। बैंक गारंटी अनुमानित 38 लाख रुपये की मांगी गई थी। मण्डल द्वारा सिक्योरिटी के रूप में ली जाने वाली राशि के लिये सारे राज्य के लिये संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये जिसमें एक दिन के रोकड़ संग्रहण के बराबर बैंक से फिक्स डिपोजिट जो कि बोर्ड के नाम रहन (प्लेज्ड) हो लेने का प्रावधान किया गया तथा दो दिन के रोकड़ संग्रहण के बराबर व्यक्तिगत गारंटी लेने का प्रावधान किया गया। जिस फर्म को यह कार्य दिया गया उस फर्म ने उपर्युक्त शर्तों के अनुसार आठ लाख दस हजार रुपयों की एफ.डी.आर विद्युत मण्डल में जमा कराई व 16,20,000/— रुपये की पर्सनल गारंटी जमा कराई। यह जोधपुर शहर वृत के औसत प्रतिमाह रोकड़ संग्रह के आधार पर ली गयी। यह उल्लेखनीय है कि बिल वसूली के कार्य को प्रारम्भ करने में कई कठिनाइयां समय-समय पर आती हैं तथा बार-बार प्रयास करने पड़ते हैं—जहां जयपुर/उदयपुर आदि नगरों में यह कार्य निजी संस्थाओं को सात वर्ष पहले दिया जा चुका था वहां जोधपुर में यह मामला अब तक टलता रहा। विभिन्न शहरों में यह व्यवस्था सफल बनाने के लिये सम्बन्धित पार्टियों को कई छोटी-मोटी सुविधाएं भी दी जाती हैं।

(5) जी, हां। निविदाएं पूरे शहर वृत जोधपुर के लिये मांगी गई थी एवं कार्य आदेश पूरे वृत के लिये ही दिया गया था। किन्तु प्रयोगात्मक परीक्षण हेतु प्रथम भाग

(70)

(ऊर्जा मंत्री)

में एक खण्ड का विद्युत संग्रहण का कार्य सौंपा गया और उसे संतोषजनक पाये जाने पर अन्य सभी खण्डों का कार्य सौंपा गया।

(6) निविदा में रोकड संग्रहण के लिये यह प्रावधान था कि निविदाकर्ता शहर के अन्दर पर्याप्त रोकड़ संग्रह केन्द्र खोलेंगे ताकि उपभोक्ताओं को आसानी से पैसा जमा करवाने के लिये सुविधा मिले। यह भी लिखा गया कि एक रोकड़ संग्रह केन्द्र 3500 से 4000 उपभोक्ताओं के बीच में खोला जायेगा। दिये गये कार्य में तीस रोकड़ संग्रह केन्द्र खोले गये। प्रतिमाह 75000 बिलों का जमा होना पाया गया। अत: 2500 उपभोक्ताओं पर एक रोकड़ संग्रह केन्द्र खोला जायेगा।

(7) जी, हां। निविदा शर्तों में 500 रुपये व उससे अधिक के विद्युत विपत्र पर रेवेन्यू स्टाम्प लगाने का कार्य शामिल था। रोकड़ संग्रह केन्द्र द्वारा विद्युत बिलों पर रेवेन्यू स्टाम्प लगाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। कुछेक अपवादों को छोड़कर अन्तिम देय भुगतान तिथि पर बहुत अधिक भीड़ हो जाने पर सम्भवतया कुछ रेवेन्यू स्टाम्प लगने से रह जाते हैं। मण्डल से सिर्फ उन्हीं रेवेन्यू स्टाम्प का पुनर्भरण किया जाता है जो वास्तव में लगाये जाते हैं।

(8) मण्डल द्वारा विद्युत बिल संग्रहण की न्यूनतम दर रुपये 1.10 पैसे प्रति विपत्र निर्धारित की गई है। जोधपुर शहर वृत में समाचार पत्रों में निविदाएं देकर इस कार्य के लिये निविदाएं आमंत्रित की गई थी और उन्हीं निविदा के अनुसार मण्डल के वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियंत्रक से स्वीकृति लेकर कार्य ठेके पर दिया गया।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

सरस घी के दामों में अभिवृद्धि

154. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1996 से 31 अगस्त, 1997 की अवधि में देशी घी सरस के दामों में कब-कब, कितनी-कितनी राशि की बढ़ोतरी की गई ?

(2) क्या यह सही है कि डेयरी फैडरेशन द्वारा घी के दामों में बढ़ोतरी किये जाने के बाद भी पुरानी दरों पर घी सप्लाई किया गया ? यदि हां, तो किन-किन फर्मों को कब-कब व कितनी-कितनी मात्रा में ? उक्त फर्मों की विगत माहों में वास्तविक खपत कितनी-कितनी रही ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट–"क" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। विवरण परिशिष्ट–"ख" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

मोती भवन निर्माण सहकारी समिति लि. की स्कीम संख्या 3 में पट्टे धारियों का कब्जा

155. श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या मोती भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर द्वारा 3 बीड़ सरकारी योजना के अन्तर्गत आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखण्डों का विक्रय किया गया था ? यदि हां, तो कब-कब ? इसका मास्टर प्लान एवं भूखण्ड संख्या 120 से 130 तक के पट्टे एवं साइड प्लान की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूखण्डधारियों को भूखण्डों का कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त भूखण्डों पर वर्तमान में किस-किस का कब्जा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिन भूखण्ड-धारियों को कब्जा नहीं मिला है, उनको कब्जा दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। भूखण्डवार आबंटन की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। योजना का ले आऊट प्लान एवं भूखण्ड संख्या 120, 121, 123, 125, 126, 127, 128 एवं 129 के आबंटन पत्र एवं साइड प्लान की प्रतियां परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। भूखण्ड संख्या 122, 124 एवं 130 के सदस्यों द्वारा अपनी हिस्सा राशि वापस लेने के कारण उनकी सदस्यता समाप्त की जा चुकी है।

(2) समिति द्वारा आबंटन पत्र जारी करते समय कब्जा दे दिया जाना बताया है, किन्तु समिति की जांच रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश आबंटी जयपुर के बाहर के होने के कारण भौतिक सत्यापन नहीं होने से यह स्पष्ट नहीं है कि समिति द्वारा आबंटियों को कब्जा दिया गया था अथवा नहीं। वर्तमान में उक्त योजना की भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण का कब्जा है।

(3) इसका सम्बन्ध जयपुर विकास प्राधिकरण से है। इसके लिए सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से उत्तर प्राप्त किया जा रहा है। प्राप्त होने पर भिजवा दिया जायेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

डेयरी फैडरेशन द्वारा मोनोकार्टन खरीद प्रकरण

156. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मई, 1994 में पंजीयक सहकारी समितियों की उपस्थिति में राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन के संचालक मण्डल ने वर्ष 1992–93 में कथित मोनोकार्टन खरीद में हुई वित्तीय अनियमितता की जांच कराये जाने का प्रस्ताव पारित किया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि शिकायत गलत पाये जाने पर शिकायतकर्ता के

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का उक्त प्रस्ताव में उल्लेख था ?

(3) यदि हां, तो सहकारिता विभाग द्वारा उक्त जांच कब सम्पन्न की गई एवं जांच में क्या मोनोकार्डन खरीद में वित्तीय अनियमितता पाई गई ?

(4) यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार जांच प्रतिवेदन अनुसार, कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, हां ।

(3) आर. सी. डी. एफ. के संचालक मण्डल के प्रस्ताव अनुसार विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां, जयपुर द्वारा अन्वेषणात्मक अंकेक्षण दिनांक 29-4-95 को सम्पन्न कर प्रतिवेदन सहकारी विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत की गई । अंकेक्षण में अनियमितताएं होना दर्शाया गया है ।

(4) यह प्रकरण सहकारी विभाग के अधिनियम धारा-74 के तहत प्रकरणों के सम्बन्ध में गठित स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष विचाराधीन है । स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(5) राज्य सरकार इस सम्बन्ध में नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही करेगी ।

पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जालसू (जयपुर) द्वारा जारी पट्टे

157. श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1985 से 1990 तक की अवधि में पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर द्वारा नियम विरुद्ध आवासीय/व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भूमि के पट्टे जारी किये गये है ? यदि हां, तो किस-किस तारीख को, किस खसरा नम्बर की भूमि के ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1975 में पंचायत द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले/भूमिहीन व्यक्तियों/लघु व सीमान्त कृषकों/केवल जालसू के व्यक्तियों/अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों/अल्प संख्यकों को जो निःशुल्क पट्टे जारी किये गये थे, उन भूखण्डों के भी उक्त पूर्व सरपंच ने दोहरे पट्टे बृहद् कृषकों/पूंजीपतियों को जो उक्त ग्राम पंचायत के निवासी नहीं है को भी निःशुल्क नियम विरुद्ध तरीके से जारी किये हैं ? यदि हां, तो किस-किस तारीख को और क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पूर्व सरपंच ने गोचर भूमि पर भी बिना सरकार की अनुमति लिये ही पट्टे जारी

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

किये हैं ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को और क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि जारी किये गये पट्टे बाबत् पंचायत की बैठकों में प्रस्ताव पास किया गया है ? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

(5) क्या इस सम्बन्ध में पूर्व सरपंच के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुईं ? यदि हां, तो कब और उन पर क्या कार्यवाही की गई या किया जाना प्रस्तावित है ? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार दोषी पूर्व सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी; नहीं। वर्ष 1985 से 1990 तक की अवधि में पूर्व सरपंच ग्रा पं. जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर द्वारा समस्त पट्टे पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 व 267(2) के तहत जारी किये गये हैं।

(2) जी, नहीं। वर्ष 1975 में पंचायत द्वारा जो पट्टे जारी किये गये हैं उन पट्टों पर दोहरे पट्टे दिये जाने का मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(3) जी, नहीं। पूर्व सरपंच द्वारा गोचर भूमि में पट्टे दिये जाने का रिकार्ड में कहीं उल्लेख नहीं हैं।

(4) जी, हां। जारी किये गये पट्टे बाबत पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है। प्रस्ताव की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(5) जी, हां। पूर्व सरपंच के विरुद्ध दिनांक 25.2.87 एवं 21.3.87 को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी तत्कालीन विकास अधिकारी द्वारा पंचायत प्रसार अधिकारी से जांच करवाई जाकर जांच प्रतिवेदन जिला कलक्टर, जयपुर को दिनांक 16–3–88 को प्रेषित किया जा चुका है। जांच अधिकारी को शिकायत आधारहीन पाई गई हैं। शिकायतों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(6) जी, नहीं। पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा की गई जांच में पूर्व सरपंच के विरुद्ध अभियोग तथ्यहीन व असत्य पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं हैं।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

खड़ी बारां (बून्दी) का भवन रहित विद्यालय

158. श्री जुबेर खान (रामगढ़) एवं **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक शाला खड़ी बारां (ग्राम पंचायत खटकड़)

(74)

(श्री जुबैर खान)

जिला बूंदी भवन विहिन विद्यालय होते हुए भी विद्यालय भवन का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक विद्यालय भवन का निर्माण करवा दिया जावेगा ?

(2) उक्त विद्यालय के लिए किस तारीख को कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं करने के लिए कौन जिम्मेदार है ? स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। प्राथमिक विद्यालय खड़ी बारां (ग्राम पंचायत खटकड़) जिला बून्दी में विद्यालय भवन पूर्व से ही निर्मित है परन्तु उसमें मरम्मत करवाने की आवश्यकता है। राशि की उपलब्धता होते ही कार्य करवा लिया जावेगा।

(2) उक्त विद्यालय के नये भवन के निर्माण हेतु राशि अभी स्वीकृत नहीं हुई है। अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है।

पंचायत समिति सवाईमाधोपुर एवं खण्डार के विद्यालय विहीन राजस्व ग्राम

159. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति सवाईमाधोपुर व खण्डार में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं। सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति खण्डार व सवाईमाधोपुर में कितने ऐसे राजस्व ग्राम हैं, जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं है ? क्या सरकार इन गांवों में विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समितियों में 300 से ऊपर आबादी की कई ढाणियां हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं ? यदि हां, तो ऐसी ढाणियों की सूची सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार उक्त ढाणियों में विद्यालय खोलने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सवाईमाधोपुर के ग्राम नया गांव के विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गुणशीला और ग्राम गुणशीला के विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नया गांव है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन दोनों गांवों के विद्यालयों के नाम सही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सवाईमाधोपुर में 111 एवं पंचायत समिति खण्डार में 105 प्राथमिक विद्यालय हैं। सूची संलग्न है।

(2) पंचायत समिति खण्डार में 26 एवं पंचायत समिति सवाईमाधोपुर में 13 राजस्व ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय नहीं

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

है। इन ग्रामों की जनसंख्या 250 से कम हैं। नीति अनुसार 250 से अधिक आबादी वाले विद्यालय विहीन राजस्व ग्रामों में प्राथमिक शाला खोल दी गयी है।

(3) पंचायत समिति सवाईमाधोपुर में 300 से अधिक आबादी की दो ढाणियां है।

1. कीरों की ढाणी (सारसोम)
2. कुम्हारों की ढाणी (महापुर)

पंचायत समिति खण्डार में 300 से अधिक आबादी वाली ढाणियां नहीं है।

नवीन प्राथमिक विद्यालय वित्तीय संसाधनों के अनुरूप खोली जाती है।

(4) जी, हां। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सवाई माधोपुर को उक्त प्राथमिक विद्यालय के नामों में परिवर्तन करने का लिख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

प्रश्न संख्या 160

(स्थगित)

सरपंच मौजमाबाद (जयपुर) के विरुद्ध लम्बित जांच प्रकरण

161. श्री बाबूलाल बछेर (दूदू) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान सरपंच मौजमाबाद जिला जयपुर के विरुद्ध किन-किन मामलों में जांच कार्यवाही विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ मामलों में जांच कार्यवाही पूरी कर ली गई है? यदि हां, तो कौन-कौन से मामलों में? जांच प्रतिवेदन की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या सरकार उक्त सरपंच के विरुद्ध लम्बित मामलों में शीघ्र निर्णय लेकर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? अब तक उक्त कार्यवाही अपूर्ण रहने के क्या कारण है? क्या सरकार उक्त प्रकरणों के दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बिन्दुवार सूचना सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी, हां। जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी, हां। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत दूदू की आय-व्यय

162. श्री बाबूलाल बछेर (दूदू) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत दूदू की गत तीन वर्षों की आय कितनी-कितनी रही? उक्त

(76)

(श्री बाबूलाल बछेर)

अवधि का आय–व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या सरपंच को पंचायत के उपयोग में लेने हेतु कोई भी सम्पत्ति खरीदने का अधिकार हैं ? यदि हां, तो किस प्रकार की सम्पत्ति एवं कितनी राशि तक ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान सरपंच दूदू द्वारा पंचायत के उपयोगार्थ ट्रेक्टर की खरीद की गई है ? यदि हां, तो कितनी राशि का किस आधार पर एवं किस की अनुमति से ? क्या सरकार उक्त सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच द्वारा कुछ कार्य पंचायत समिति की स्वीकृति के बिना ही करवा लिए गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से ? क्या सरकार इस अनियमितता के लिए सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत दूदू की गत तीन वर्षों की आय 36,93,491.64/– रुपये रही। वर्ष 1994–95, 1995–96 तथा 1996–97 का आय तथा व्यय का विवरण संलग्न है।

(2) जी, नहीं। नियमानुसार पंचायत के उपयोग में लेने हेतु सम्पत्ति खरीदने का अधिकार नहीं है।

(3) जी, हां। सरपंच दूदू द्वारा ट्रेक्टर क्रय किया गया है, जिसका क्रय मूल्य 243250/– रुपये हैं। यह क्रय ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 14-10-96 के अनुसार पंचायत समिति से दिनांक 17-1-97 को प्राप्त स्वीकृति के अनुसार किया गया है। लेकिन राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत एवं विभागीय आदेश क्रमांक 951 (19) ऋण वसूली/भीलवाड़ा/93/319 दिनांक 9-3-93 द्वारा निजी आय से व्यय करने के प्रदत्त अधिकारों में ट्रेक्टर क्रय करने हेतु शक्तियां प्रदत्त नहीं की गई है।

इस प्रकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जयपुर से विस्तृत जांच करवाई जा रही है एवं तत्पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी, हां। निम्नांकित कार्य पंचायत समिति की स्वीकृति के बिना ही करवा लिए गये :–

वर्ष 1994–95

1– राजकीय चिकित्सालय में बिजली फिटिंग व सीढियों का निर्माण।

2– पूर्व दरवाजे के पास डी. पी. हेतु चबूतरा।

वर्ष 1995–96

1– गोदाम भवन निर्माण।

2– पंचायत चबूतरे की मरम्मत।

उपरोक्त कार्य करवाने हेतु ग्राम पंचायत दूदू द्वारा प्रस्ताव लिए गये लेकिन बजट में प्रावधान नहीं था। इसकी जांच

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचा. राज)

करवाकर उत्तरदायित्व निर्धारित कर शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला झुन्झुनूं की हेरिटेज होटल्स को अनुदान/सहायता

163. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

गत तीन वर्षों में झुन्झुनूं जिले में सरकार/पर्यटन विभाग/टूरिस्ट डवलपमेंट कारपोरेशन/होटल डवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा हैरिटेज होटल योजना या अन्य किसी योजना के अन्तर्गत किन-किन होटलों को कितनी–कितनी धन राशि दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें। इसमें से कितनी–कितनी राशि ऋण/अनुदान/सहायता आदि मदों में दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गत तीन वर्षों में झुन्झुनूं जिले में पर्यटन विभाग/राजस्थान पर्यटन विकास निगम/राजस्थान राज्य होटल निगम द्वारा किसी भी होटल को ऋण/अनुदान/सहायता किसी भी मद में स्वीकृत नहीं की गई है।

बिचूनगढ़ किले में संचालित हेरिटेज होटल

164. श्री बाबूलाल बछेर (दूदू) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बिचूनगढ़ का किला कब बनवाया गया था ? वर्तमान में बिचूनगढ़ किस के कब्जे में है ? इस पर मालिकाना हक किसका है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बिचूनगढ़ में किसी के द्वारा होटल खोला गया है ? यदि हां, तो किसके द्वारा नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त गढ़ में हेरिटेज होटल खोलने के लिए किसी को ऋण/अनुदान भी स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस को कब एवं कितना ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बिचूनगढ़ का किला लगभग 250 वर्ष पुराना है। बर्तमान में बिचूनगढ़ श्रीमती नरेन्द्र कंवर पत्नी श्री मानसिंह, श्री रणवीरसिंह, श्री रणधीरसिंह, श्रीमती सरोज कुमारी ग्राम बिचून के कब्जे में हैं। जिला कलक्टर, जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 9-9-97 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त किला खसरा नं. 1306 रकबा 73 बीघा 3 बिस्वा किस्म जमीन गैर मुमकीन आबादी जो कि ग्राम बिचून की मुख्य आबादी है, में बना हुआ है। इस गढ़ के निर्माण कब्जे एवं मालिकाना हक बाबत राजस्व रिकार्ड में कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। पर्यटन विभाग द्वारा कोई ऋण अथवा अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है।

कुआ सुधार कार्यक्रम एवं हल्दीघाटी का वीडियो फिल्म प्रकरण

165. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या सूचना एवं जनसम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1997-98 के लिये वीडियो फिल्म निर्माण हेतु जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा निविदाएं आमन्त्रित कर अनुमोदित फर्मों का पैनल तैयार किया गया था ? यदि हां, तो किन-किन फर्मों को किस-किस दर पर वीडियो फिल्म निर्माण हेतु स्वीकृत एवं अनुमोदित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि "कुआ सुधार कार्यक्रम" एवं "हल्दीघाटी" पर वीडियो फिल्म का निर्माण अनुमोदित फर्मों के स्थान पर किसी अन्य से करवाया गया ? यदि हां, तो किस आधार पर ? उक्त फिल्मों का निर्माण किससे करवाया गया ?

(3) "कुआ सुधार कार्यक्रम" एवं "हल्दीघाटी" पर वीडियो फिल्म का निर्माण अनुमोदित फर्म के स्थान पर निजी व्यक्ति/फर्म से कराने का आदेश किन नियमों के तहत एवं किस अधिकारी द्वारा दिया गया ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों वीडियो फिल्मों के निर्माण हेतु जारी किये गये नियम विरुद्ध आदेश के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अब "कुआ सुधार कार्यक्रम" एवं "हल्दीघाटी" पर वीडियो फिल्म निर्माण हेतु दिये गये नियम विरुद्ध आदेश को रद्द करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। पैनल की सूची परिशिष्ट "ए" पर उपलब्ध है।

(2) जी, नहीं। "हल्दी घाटी" पर फिल्म का निर्माण नहीं कराकर आलेख व सम्पादन का कार्य कराया गया है। "कुआ सुधार कार्यक्रम" फिल्म का निर्माण पैनल में अनुमोदित मै. गिरधर शर्मा से कराया जा रहा है।

(3) अनुमोदन के आधार पर उक्त कार्य कराने के आदेश इस अनुमोदित फर्म को वित्तीय नियमों के अनुसार दिये गये हैं। आदेश सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय द्वारा दिये गये हैं। आदेश अनियमित नहीं हैं, इसलिए जांच का प्रश्न ही नहीं है।

(4) शिकायत पर जांच विचाराधीन है।

(5) जी, नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

जिला करौली में निगम आगार की स्थापना

166. श्री हंसराम कूमंर (करौली): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री हंसराम गुर्जर)

क्या सरकार जिला-करौली में निगम आगार खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, नहीं। करौली से 26 कि. मी. दूर स्थित हिण्डौन शहर में निगम का डिपो स्थापित है। करौली में वर्तमान में संचालित सेवाओं एवं रात्रि में सात बसों के विश्राम को देखते हुए पृथक आगार स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

पथ परिवहन निगम जयपुर की आरक्षण व्यवस्था

167. **श्री बयाराम परमार** (खैरवाड़ा): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जयपुर में किस–किस स्थान पर किस–किस श्रेणी की बस में यात्रा करने हेतु आरक्षण करवाने की सुविधा है? स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सिंधी कैम्प बस स्टेण्ड के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर आरक्षण सुविधा विधायकों, भूतपूर्व विधायकों एवं स्वतंत्रता सेनानिनों के लिए भी है? यदि हां, तो कब से, और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या निगम जयपुर सिंधी कैम्प बस स्टेण्ड के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी प्रश्न के भाग (2) में वर्णित व्यक्तियों को आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) परिवहन निगम द्वारा जयपुर में केन्द्रीय बस स्टेण्ड सिन्धी कैम्प, लाल निवास (नारायण सिंह सर्किल) तथा गोपालपुरा मोड़ स्थित निगम के बुकिंग घरों पर आरक्षण कराने की सुविधा उपलब्ध है। स्थानवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–1)

(2) जी, हां। सभी आगार मुख्यालयों पर स्थित केन्द्रीय बस स्टेण्ड्स पर विधायकों को वर्ष 1980 से, भूतपूर्व विधायकों को वर्ष 1989 से एवं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वर्ष 1987 से आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है।

(3) जी, हां। जयपुर सिन्धी कैम्प बस स्टेण्ड के अतिरिक्त उत्तर के बिन्दु संख्या-1 पर वर्णित स्थानों पर बिन्दु संख्या-2 के वर्णित व्यक्तियों को आरक्षण की सुविधा पूर्व में ही उपलब्ध है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–15 देखें)

भूंजर (भैंसरोडगढ़) का अपूर्ण तालाब

168. श्री **चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं): क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है भूंजर का तालाब पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में आता है? यदि हां, तो क्या उक्त तालाब का निर्माण अपूर्ण है?

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

(2) क्या सरकार ने उक्त तालाब को पूर्ण कराने हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो अब यह तालाब कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(त) जी, हां । यह सही है कि भूंजर का तालाब पंचायत समिति भैंसरोडगढ़, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में आता है । जी, हां, उक्त तालाब अभी अधूरा पड़ा है ।

(2) जी, हां । उक्त तालाब को पूर्ण कराने हेतु रुपये 19.95 लाख की एक योजना तैयार करायी गयी है । योजना की स्वीकृति राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

स्थगित प्रश्न

(सोमवार, दिनांक 8 सितम्बर, 1997)

औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित जल से नुकसान

6. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जोजरी (जोधपुर), बाण्डी (पाली) तथा लूनी (बालोतरा) नदियों में डाले जा रहे रंगाई, छपाई की औद्योगिक इकाइयों के निस्तारित जल (तेजाबी पानी) के कारण हो रहे नुकसान के आंकलन का कार्य केन्द्रीय रुक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान "काजरी" को सौंपा गया था ? यदि हां, तो कब ? सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि काजरी की ओर से किये गये सर्वेक्षण के अनुसार बाड़मेर जिले के बालोतरा-जसोल क्षेत्र का 71 वर्ग कि.मी. का इलाका रंगाई छपाई की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले तेजाबी पानी से प्रभावित होता जा रहा है और फसल उत्पादन व वानस्पतिक सम्पदा को भी भारी नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां । विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र सं. प. 22/11/वि. यो./2/94 दिनांक 16–8–95 के तहत रंगाई-छपाई उद्योगों से निकलने वाले पानी (प्रदूषित) से प्रभावित कृषि भूमि एवं कुओं के पानी के आंकलन का कार्य केन्द्रीय रुक्ष अनुसंधान संस्थान (काजरी) को दिया गया था । सर्वेक्षण रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है यथाशीघ्र रिपोर्ट से सदन को अवगत करा दिया जावेगा । इस सम्बन्ध में विशिष्ठ योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग को निर्देशित किया जा रहा है ।

(2) बालोतरा एवं जसोल स्थित रंगाई-छपाई के उद्योगों से निस्त्रावित उच्छिष्ठ बिना किसी उपचार के ही लूनी नदी में प्रभावित कर दिये जाने से नदी के डाऊन स्ट्रीम व आस-पास के क्षेत्र में प्रदूषण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

फसल उत्पादन व वानस्पतिक संपदा को नुकसान पहुंचाने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

(पर्यावरण मंत्री)

बालोतरा स्थित उद्योगों से जनित उच्छिष्ठ के उपचार हेतु एक सामूहिक उपचार संयंत्र लगाना प्रस्तावित है। जसोल स्थित उद्योगों से जनित उच्छिष्ठ के उपचार हेतु भी सामूहिक उपचार संयंत्र लगाना प्रस्तावित है।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य की समस्त शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देने के सम्बन्ध में।

(2) श्री विष्णु मोदी, सदस्य एवं 19 सदस्य विधान सभा की ओर से प्रदेश में विद्युत संकट को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा देशी-विदेशी कम्पनियों से विद्युत उत्पादन के लिए किए गए समझौतों वाली कम्पनीज को विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने से वित्तीय संस्थानों के कथित मना करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री खेतसिंह राठौड़ एवं 15 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश के अजमेर, जोधपुर एवं उदयपुर संभाग में पर्याप्त वर्षा नहीं होने से अकाल की स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(4) श्री भीमसेन चौधरी एवं 5 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 5 सितम्बर, 1997 को बीकानेर स्थित रूपम होटल में षड़यंत्रपूर्वक की गई कानाराम की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से थाना हिरणमगरी, उदयपुर में हत्या प्रकरण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 261/97 की निष्पक्ष पुनः जांच करवाए जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री रामनारायण मीणा एवं 2 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई मानसिंह चिकित्सालय के सामने फुटपाथ पर फुटकर व्यवसाय करने वालों को बिना उपयुक्त स्थान उपलब्ध करवाए बेदखल करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री लक्ष्मणसिंह एवं 20 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से पिछले कुछ वर्षों से जन-प्रतिनिधियों के साथ कथित दुर्व्यवहार एवं मारपीट की घटनाओं में वृद्धि में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री पूनमचन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जोधपुर की तहसील फलौदी के ग्राम जैसलां में किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रही 300 भेड़-बकरियों को कैटल फाउण्ड में डाले जाने एवं तत्पश्चात् पुलिस द्वारा उनको छोड़ दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री हरिसिंह कुम्हेर एवं श्री अरूण सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले में गत दो वर्षों में आई बाढ़

(श्री उपाध्यक्ष)

से क्षतिग्रस्त हुए बांध एवं नहरों की मरम्मत करवाए जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले में कलोलखान सिंचाई योजना पर कृषि दरें लागू नहीं करने तथा मिनिमम चार्जेज 75 रुपये प्रति हार्स पावर लगाने से 125 योजनाएं एवं 40 हजार कृषक प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): जैन मुनी का क्या होगा? सरकार क्या कर रही है जैन मुनि वाले मामले में? आप इस पर टाइम खराब कर रहे हैं। जैन मुनि का मामला, पहले इस पर चर्चा होगी। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के पहले यह व्यवस्था दी गई थी....

श्री शांतिकुमार धारीवाल: जैन मुनि की जो हत्या हुई है उसमें क्या कर रहे हैं? चर्चा करवाइए इस पर, सबको छोड़िए। पहले व्यवस्था हो चुकी है।

श्री भीमराज भाटी: कि प्रश्नकाल समाप्त होते ही गृह मंत्री वक्तव्य देंगे और इस मामले पर चर्चा की जाएगी। यह व्यवस्था दी थी कि यह प्रश्नकाल समाप्त होते ही गृह मंत्री वक्तव्य देंगे और सदन में इस पर चर्चा होगी और आप दूसरी चीजें पढ़ने लग गये।

श्री रामनारायण मीणा: आसन ने यह व्यवस्था दी थी कि इस पर स्टेटमेंट दिया जाएगा।

श्री भीमराज भाटी: प्रश्नकाल में यह व्यवस्था दी गई थी उसके बाद प्रश्नकाल चालू किया गया था।

श्री उपाध्यक्ष: इसके बाद गृह मंत्रीजी वक्तव्य देंगे। आप बिराजें। कृपया व्यवस्था देने दीजिये।

श्री रामनारायण मीणा: हम सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से सहमत नहीं हैं। जैन मुनि की हत्या के मामले पर आप चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी: उपाध्यक्ष महोदय, पहले चर्चा कराइए। गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे, पहले चर्चा होगी।

श्री भीमराज भाटी: आपने कहा था कि प्रश्नकाल समाप्त होते ही इस पर चर्चा होगी।

श्री रामस्वरूप मीणा: जैन मुनियों की हत्या हो रही है....(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़): माननीय सचेतक महोदय, आप जैन मुनि की हत्या के मामले में चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते? (व्यवधान)....आप चर्चा करवाइए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, पहले चर्चा होगी। कार्य सूची को क्यों बदला जा रहा है ? कार्य सूची नहीं बदली जाए। अध्यक्षपीठ से पहले ही घोषणा हो चुकी कि प्रश्नोत्तर काल के बाद सबसे पहले इस पर चर्चा होगी। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : जितने भी मामले हैं, जैन मुनि की हत्या हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने जैन मुनि की खिलाफत क्यों की। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : सैंकड़ों साधु उपवास में बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : यह एक घिनौना, घिनौना, घिनौना कार्य है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह मामले पर नजर रखे हुए है। जो भी गड़बड़ी करेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : इस घटना से पूरा राजस्थान उद्वेलित है। सचेतक महोदय, आप प्रस्ताव कीजिये। जैन मुनि की हत्या के मामले में सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाइए। उसको आत्महत्या करनी पड़ी। ....(व्यवधान) ... सरकार की नाकाबलियत, +++ के कारण ही इस सरकार के खिलाफ आप निन्दा प्रस्ताव पारित कीजिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : जैन मुनि को आत्महत्या करनी पड़ी .... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : जैन मुनि की हत्या हुई है। आप इस पर चर्चा कराइए, हम साथ देंगे। आप निन्दा प्रस्ताव लाइए। (व्यवधान) माननीय सचेतक महोदय, हम आपसे आशा करते हैं, जैन मुनि को आत्महत्या करनी पड़ी ... (व्यवधान)....

श्री भीमराज भाटी : उपाध्यक्ष महोदय यह व्यवस्था दी गयी थी कि प्रश्नकाल तभी शुरू किया जाए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए कृपया इस मामले पर चर्चा कराइए। (व्यवधान).... और अन्य विधायी कार्य बाद में लिये जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्री रामनारायण डूडी : पहले इस पर चर्चा होगी, फिर अन्य कार्य लिए जाएंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। अभी कुछ समय पूर्व...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा था कि व्यवस्था देने के बाद माननीय गृह मंत्री इस पर वक्तव्य दे रहे हैं। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय ने इसी कुर्सी पर, यहीं पर बिराजकर अभी एक रूलिंग दी थी, प्रश्नकाल के वक्त, 11 बजकर 10 मिनट पर कि जैन मुनि की कथित आत्महत्या का प्रकरण, जिसके कारण जैन समाज व्यथित है, उस पर गृह मंत्रीजी प्रश्नकाल के बाद में स्टेटमेंट देंगे, तुरन्त बाद में। उपाध्यक्ष महोदय, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अध्यक्ष महोदय की रूलिंग को ओवररूल करें। अध्यक्ष महोदय की रूलिंग को आपको मानना पड़ेगा, इसलिए कृपया होम मिनिस्टर से इसी वक्त स्टेटमेंट दिलाइए। आपको अधिकार नहीं है। या तो अध्यक्ष महोदय स्वयं आकर अपनी रूलिंग को ओवररूल करें। **You cannot over rule the ruling of Hon'ble Speaker.**

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय की रूलिंग को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अभी फरमाया, जैसे ही गृह मंत्री जी वक्तव्य देंगे उसके बाद इस पर चर्चा हो जाएगी। उनकी रूलिंग को ओवररूल करने का सवाल ही नहीं उठता। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब आप स्टेटमेंट देंगे तब क्या 164 के बयान को पूरा पढ़ेंगे ?

श्री रामस्वरूप मीणा : ....(व्यवधान) आप उसका विरोध कर रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी का स्टेटमेंट हम तभी मानेंगे जब 164 के बयान भी पूरे पढ़े जाएंगे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं निवेदन कर रहा हूं प्रश्नकाल के अन्तर्गत जो व्यवस्था दी थी उसके बाद वक्तव्य दे रहे हैं। कहां अव्यवस्था उत्पन्न हो गई ?

श्री रामनारायण मीणा : सरकार तथ्यों को छुपाना चाहती है, तोड़-मरोड़ करना चाहती है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं आप जैन मुनियों के मामले में ... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप रूलिंग को ओवररूल कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय महावीर जी, आप जैनी होकर भी इस पर चर्चा नहीं कराना चाहते। +++ आपको। आप काहे के जैनी हैं। (व्यवधान)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री गोपीचन्द गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले के नगर विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलने एवं पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

(2) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य विधान सभा की ओर से पंचायत समिति, सांगानेर के गोनेर में रंगरों के मोहल्ले में स्थित नाले को पक्का करवाने सबम्न्ध में ।

(3) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र की राजस्व सम्बन्धी प्रशासनिक व्यवस्था को पुनर्गठित करने के सम्बन्ध में ।

(4) श्री हरिनारायण बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डार के कतिपय गांवों एवं ढाणियों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के संबंध में ।

(5) श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले के चिकित्सालयों में खराब पड़ी एक्सरे मशीनों की जांच करवाए जाने के सम्बन्ध में ।

(6) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बूंदी की तहसील नैनवां के ग्राम भीमपुरा की सिवाय चक भूमि को चरागाह में तब्दील किये जाने के सम्बन्ध में ।

(7) श्री प्रतापसिंह सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र छबड़ा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में ।

(8) श्री शैलेन्द्र जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से टौंक रोड ओवर ब्रिज, जयपुर के पूर्वी किनारे स्थित रास्ते को बंद कर दिये जाने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में ।

(9) डा. मूलसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्यावर से रास व लाम्बिया सड़क पर बाबरा बांध के पास सड़क को ऊंचा करवाए जाने के सम्बन्ध में ।

(10) श्री अर्जुनलाल जीनगर, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला चित्तौड़गढ़ के ग्राम राशमी की सार्वजनिक बावड़ी पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में ।

(11) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय चिकित्सालय, गंगानगर में व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में ।

(12) श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालयों में कार्यरत श्रमिकों/सुपरवाइजरों की वेतन विसंगति एवं कतिपय अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में ।

(13) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों को राज्यकर्मी घोषित करने के सम्बन्ध में ।

(14) श्री रामकिशन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र रामगंजमण्डी की 855 बीघा चरागाह भूमि पर माइन्स के लोगों द्वारा अवैधानिक कब्जा कर लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(15) श्री कमल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में पंचायत समिति द्वारा कराये गये नवीन तालाबों के निर्माण में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में ।

(श्री उपाध्यक्ष)

(16) श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से देवस्थान विभाग द्वारा अपने मन्दिरों की करोड़ों रुपयों की सम्पत्तियों को लीज पर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में पंचायती राज एवं जवाहर रोजगार योजना की बी.एस.आर. सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के अनुरूप बनाए जाने के सम्बन्ध में।

(18) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बालोतरा शहर के समीप लूनी नदी पर सेतु का निर्माण करवाए जाने के सम्बन्ध में।

(19) श्रीमती मीना अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर शहर की सड़कों की खराब स्थिति के सम्बन्ध में।

(20) श्री रूपाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना की स्वीकृत सड़कों का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाकर उनका डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

(21) श्री नाथूलाल अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर नगरपालिका के गांव मालपुर, भाटपुर एवं राजपुर के काश्तकारों की अवाप्त भूमि का उचित मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

(22) श्री बनवारीलाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निवाई के दो पार्षदों के विरुद्ध चुनाव के पश्चात दो से अधिक सन्तान हो जाने पर उसे अपने पद से अयोग्य करने के सम्बन्ध में।

(23) श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गोवंश को बचाने एवं पशुओं की कटनी को रोकने हेतु तारणेश्वर पशु मेले के आयोजन को बन्द करने के सम्बन्ध में।

(24) श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीमकाथाना को जिला बनाए जाने के सम्बन्ध में।

(25) श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका बयाना के चुंगी ठेकेदार द्वारा नाजायज वसूली किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(26) श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से मारवाड़ के प्राचीन उद्यानों मण्डोर, पब्लिक पार्क, नेहरू पार्क की दुर्दशा के सम्बन्ध में।

(27) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती नहीं किये जाने से बेरोजगार व्यक्तियों में व्याप्त भयंकर असन्तोष के सम्बन्ध में।

निमय 295 के अन्तर्गत प्राप्त उक्त प्रस्तावों को पढ़ा हुआ माना जाए। गृह मंत्री महोदय।

(विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट–16 देखें)

शासकीय वक्तव्य
भीनमाल में जैन मुनि श्री लोकेन्द्र विजय की मृत्यु

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैन साधु श्री लोकेन्द्र विजय की मृत्यु पर वक्तव्य। 6 सितम्बर, 1997 को श्रीमती नैना पत्नी श्री रमेश जोगाणी (जैन), निवासी खीमत, तालुका धनेरा, जिला बनासकांठा (गुजरात) ने पुलिस अधीक्षक जालौर को उसके साथ कस्बा भीनमाल में मुनि श्री लोकेन्द्र विजय द्वारा 4 सितम्बर को प्रातः उपासरे में बलात्कार करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : टाइम बताइए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य, पहले सुनिए आप।

श्री कैलाश मेघवाल : उपरोक्त रिपोर्ट पर 6 सितम्बर, 1997 को अपराध संख्या 225, अन्तर्गत धारा 376, भारतीय दण्ड संहिता, थाना भीनमाल पर पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान नैना जोगाणी, जिगनेश, रमेश चन्द्र के बयान कलमबद्ध किए गए थे और जैन साधु लोकेन्द्र विजय को अनुसंधान हेतु थाना भीनमाल पर लाया गया। इसी दौरान जैन मतावलम्बियों की 1000–1200 की भीड़ थाने पर एकत्र हो गई। इन परिस्थितियों को देखते हुए जैन साधु लोकेन्द्र विजय को जैन समाज के व्यक्तियों के साथ थाने से वापस भेजा गया। प्रार्थिया नैना जोगाणी का मेडिकल परीक्षण मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाया गया। श्रीमती नैना जोगाणी का दिनांक 8 सितम्बर, 1997 को एवं श्री जिगनेश का दिनांक 9 सितम्बर, 1997 को 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत बयान करवाया गया जिससे घटना की पुष्टि हुई।

इस प्रकरण का अनुसंधान पुलिस उप अधीक्षक, भीनमाल के स्थान पर अपर पुलिस अधीक्षक, जालौर को सौंपा गया। दिनांक 10 सितम्बर,97 को प्रातः 5 बजकर 7 मिनट पर राजकीय अस्पताल भीनमाल के चिकित्सा अधिकारी ने थाना भीनमाल पर इस आशय की सूचना भेजी कि श्री लोकेन्द्र विजय तेजाब पी हुई हालत में गम्भीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इस पर थाना अधिकारी द्वारा अस्पताल जाकर जांच करने पर श्री लोकेन्द्र विजय जैन साधु को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती होना पाया। चिकित्सा अधिकारी ने उन्हें बयान देने की स्थिति में नहीं होना अंकित किया। श्री लोकेन्द्र विजय मुनि की गम्भीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जोधपुर अस्पताल ले जाने का सोचा गया, पर जैन धर्मावलम्बियों का अनुरोध देखते हुए उन्हे अहमदाबाद ले जाने का निर्णय लिया गया। अग्रिम चिकित्सा हेतु श्री लोकेन्द्र विजय को अहमदाबाद ले जाये समय रास्ते में डीसा (गुजरात) के पास उनकी मृत्यु हो गई, जिस पर उन्हें वापस भीनमाल लाया गया।

इस सम्बन्ध में फर्द संख्या 10, सन् 1997, अंतर्गत धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता, पुलिस थाना भीनमाल में दर्ज किया जाकर जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जालौर को सुपुर्द की गई। जांच के दौरान श्री लोकेन्द्र विजय महाराज का दिनांक 10.9.97 को 4.30 बजे प्रातः पर एसिड पाइजन के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पाया गया। लाश का पंचनामा बनाकर

(श्री कैलाश मेघवाल)

मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृत्यु का कारण रासायनिक जहर पीने से होना पाया गया है। लेकिन अंतिम राय रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट आने पर देना अंकित किया है। सम्भवतः रासायनिक जहर पीने से पूर्व उन्होंने किसी और तरीके से आत्महत्या करने का प्रयास किया है जिसके विषय में जांच की जा रही है।

मुनि श्री लोकेन्द्र विजय की गम्भीर हालत की सूचना मिलते ही जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक, जालौर भीनमाल के लिए तुरन्त रवाना हो गए। संभागीय आयुक्त, जोधपुर दि.9.9.97 को ही जालौर पहुंच गए थे, जिन्हें अतिरिक्त सचिव, गृह विभाग ने भीनमाल की उपरोक्त घटनाओं के विषय में जांच करने हेतु भेजा था उपरोक्त घटनाओं की सूचना मिलते ही पुलिस उप महानिरीक्षक, जोधपुर भी भीनमाल रवाना हो गए हैं। जालौर के आसपास के क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल का प्रबन्ध किया गया है। महानिरीक्षक पुलिस, कानून एवं व्यवस्था को जरिये स्टेट प्लेन जिला प्रशासन को समुचित मार्गदर्शन के लिए रवाना किया गया है। श्री लोकेन्द्र विजय का दाह-संस्कार अभी नहीं हो पाया है। वर्ग विशेष द्वारा पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर दाह-संस्कार नहीं किया जा रहा है।

श्री हीरालाल बिश्नोई (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में मैंने लिखकर दिया है। यह भीनमाल क्षेत्र का मामला है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे हर चीज की पूरी जानकारी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप बिराजें।

श्री हीरालाल बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में मैंने पहले दिया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है, आप एक मिनट बिराजें। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा और दोनों तरफ के जो मुख्य सचेतकगण हैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो सदस्य इस पर बोलना चाहें वे नाम मेरे पास भेजें जिससे मैं उनको बुलवा सकूं। बोलिये आप।

श्री हीरालाल बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले से, 8 तारीख से ही लिखकर दे रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा 8 तारीख को ही लिखकर दिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय को लिखकर दिया हुआ है। (व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, लोकेन्द्र गुरुजी महाराज साहब का चौमासा वहां भीनमाल कस्बे में है। (व्यवधान) चौमासा वहां कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के क्षेत्र का मामला है, उनको पहले बोलने दिया जाए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, भीनमाल के विधायक महोदय, को पहले बोलने दिया जाए। विधायक महोदय को क्षेत्रीय बात का पता है और क्षेत्रीय भावना को वे अच्छी तरह

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

से अभिव्यक्ति कर पाएंगे। भीनमाल से आने वाले विधायक महोदय को बुलवाया जाए, वे अपनी क्षेत्र की समस्याएं पहले बताएंगे। (व्यवधान)

श्री हीरालाल बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी की जानकारी में लाना चाह रहा हूं। जो प्रकरण हुआ उस प्रकरण के अन्दर मैं नहीं जाना चाहता मगर सरकार की और प्रशासनिक अधिकारियों की जो लापरवाही थी उसको मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, प्रक्रिया यह है कि जब कोई मंत्री वक्तव्य देता है तो उस पर आप केवल प्रश्न पूछ सकते हैं। आप प्रश्न पूछें।

श्री हीरालाल बिश्नोई : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, उस टाइम वह महिला वहां उपासेर के अन्दर थी और उसका बाप एक महीने के उपवास में वहां उपवास कर रहा था। इस महिला के लड़के ने आज से चार साल पहले उस साधु मुनि के पास सन्यास लिया था। उस लेडी संन्यासी को वापस ले जाने के लिए, इस साधु मुनि को ब्लैकमेल करने के लिए वहां आकर समाज के लोगों को और साधु जी को कहा कि मुझे पांच लाख रुपये दीजिये अन्यथा मैं इस साधु, मेरे लड़के को वापस ले जाऊंगी। वहां के समाज के लोग एकत्रित हुए और साधु महाराज ने उनको कहा कि अगर यह संन्यासी को वापस ले जाना चाह रही है तो आप इसको वापस सौंप दो। 4 तारीख को समाज के लोगों ने यह फैसला लिया कि हमें पैसा नहीं देना है, इसके लड़के को वापस भेज दो। समाज के लोग उनके गांव डीसा गांव तक उस लड़के को और उस महिला को 4 तारीख को छोड़कर आये। 4 तारीख को छोड़कर आये और 6 तारीख को वह लेडी वापस आयी। आते ही उसने उस मुनि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। थाने में कार्यवाही नहीं हुई। उस दिन संवत्सरी का दिन था, संवत्सरी का दिन होने से जैन समाज के सभी लोग उपवास में रहते हैं। कई आठ दिन का उपवास करते हैं, कई महीने का उपवास करते हैं। सभी लोग वहां उपवास में थे। साधु-सन्तगण भी कई दिनों तक उपवास में वहां रहते हैं। जब उस लेडी की वहां पर सुनवाई नहीं हुई तब वह लेडी जालौर गयी। जालौर कलक्टर और एस. पी. से बात हुई और इस मामले में पैसे का लेनदेन हुआ। एस.पी. खुद 4 बजे वहां से उस लेडी को साथ में बिठाकर भीनमाल लेकर गये। भीनमाल ले जाने के बाद में 4 घंटे तक वातावरण चलता रहा। 6 बजे के बाद 10बजे रात को जैन उपासरे के अन्दर डीवाई.एस.पी. को एस.पी. साहब ने भेजा। इसलिए भेजा कि आप रात को जाकर उस मुनि को अभी पकड़ कर लेकर आओ। वह मुनि वहां पर गिड़गिड़ाया। उस मुनि ने कहा कि मैं सुबह आ जाऊंगा, हाजिर हो जाऊंगा, रात को हम बाहर नहीं निकलते। उसने कहा कि आप चलते हो या नहीं चलते हो और उसको जबरदस्ती करके, धक्का-मुक्की करके रवाना किया। उसने कहा कि मैं पैदल चलने के लिए तैयार हूं लेकिन उसको धक्का-मुक्की करके, गाड़ी में घसीटकर बिठाकर ले जाकर

(श्री हीरालाल विश्नोई)

उसको बेइज्जत किया। बेइज्जत करने के बाद में ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। इस पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। श्री उगमराज जी मेहता।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी। मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि आप प्रश्न पूछें।

श्री हीरालाल विश्नोई : पूछ रहा हूं न। यही प्रश्न है। जो मुकदमा दर्ज किया, एफ.आई.आर. दर्ज की वह कितने बजे की? आप, गृह मंत्रीजी, बताइये कि उसने जो आरोप लगाया है वह कितने बजे का आरोप है? उसका आरोप यह है, उसने एफ.आई.आर. में टाइम लिखाया है पौने नौ बजे का और साढ़े आठ बजे साधु मुनि उपासरे के अन्दर अपना प्रवचन कर रहे थे। आप इतनी-सी बात को समझ नहीं सकते? सरकार की लापरवाही की वजह से, सरकार के दबाव की वजह से उस साधु को आत्महत्या करनी पड़ी। साधु को आत्महत्या इसलिए करनी पड़ी कि सरकार ने उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया। वहां के लोग एस.पी., कलक्टर और डी वाई.एस.पी. को सस्पेंड करने की मांग कर रहे थे, अगर उस दिन उनका ट्रांसफर भी कर दिया होता तो वह जैन मुनि आत्महत्या नहीं करता। लेकिन इनके डिसीजन नहीं लेने की वजह से उस जैन मुनि को आत्महत्या करनी पड़ी, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार साधु-सन्तों के माध्यम से सरकार के तख्ते पर आयी है और साधु मुनियों के लिए, साधु-सन्तों के लिए उनका क्या व्यवहार है? अगर उसी दिन कर देते? आज जब मैं उप मुख्य मंत्रीजी से मिला तो कह रहे थे कि उस डीवाई.एस.पी. का भी ट्रांसफर कर दिया, पुलिस अधीक्षक को भी बदलीकर दी और कलक्टर की भी कर देंगे तो मैंने कहा कि उस साधु को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के बाद में क्यों किया, जिस दिन वे मांग कर रहे थे उसी दिन कर देते, गृह मंत्री महोदय जिस दिन वे लोग, समाज के लोग इस चीज की मांग कर रहे थे। आज भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक इन तीनों को सस्पेंड नहीं करोगे, इनका दाह-संस्कार नहीं होगा। मैं आपको आज कहता हूं कि इन तीनों को सस्पेंड नहीं करोगे, कलक्टर, एस.पी. और डीवाई.एस.पी. को सस्पेंड नहीं करोगे तब तक उनका दाह-संस्कार नहीं होगा, समाज ने, सब ने मिलकर यह फैसला लिया है। हजारों-लाखों की तादाद में वहां लोग एकत्रित हो रहे हैं और पूरे जिले के लोग आकर उनसे जुड़े हुए हैं। गृह मंत्रीजी, आपको इस बात का डिसीजन लेना होगा। इसी बात के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, आचार्य हेमेन्द्र श्री जी के शिष्य लोकेन्द्र विजय जी 4 तारीख को साढ़े आठ बजे व्याख्यान हाल में अपना प्रवचन कर रहे थे। श्रीमती नैना ने 1994 में अपने पुत्र को उनके यहां भेजा और 1995 में उक्त नैना के पुत्र की दीक्षा

(श्री उगमराज मेहता)

हुई । पिछली 4 तारीख को श्रीमती नयना और उनके कुटुम्ब के व्यक्ति आये और महाराज साहब से कहा कि पांच लाख रुपये दीजिये । महाराज साहब ने कहा कि हम हमारे पास कोई पैसा नहीं रखते, यह बात समाज से करें । समाज के पास में श्रीमती नैना गयी । समाज ने मना किया कि हम पैसे नहीं दे सकते, किस बात के पैसे दें । तो उसने अपने पुत्र को वापस लेकर सांसारिक कपड़े पहना दिये । समाज के व्यक्ति डीसा जाकर उनको छोड़कर आये । यह 4 तारीख की बात है । 6 तारीख को श्रीमती नैना सीधी वहां से जालौर एस. पी. के पास जाती है । एस. पी. के यहां उसने सारी वार्ता की । एस. पी. के यहां थानेदार को बुलाया गया, एफ. आई. आर. दर्ज करवायी और श्रीमती नैना को लेकर एस. पी. खुद भीनमाल पहुंचने के बाद डी. वाई. एस. पी. और सी. आई. को बुलाकर इंस्ट्रक्शन दिये कि आप जाकर उस साधु को पकड़कर लाओ । डी. वाई. एस. पी. और सी. आई. ने कहा कि इस समय रात्रि को जैन साधु को हम किस प्रकार से पकड़ कर लाएं, किस प्रकार हम, जहां प्रवचन होता है, वहां प्रवेश करें । उन्होंने कहा, कुछ नहीं, आपको आदेश की पालना करनी है । डी. वाई. एस. पी. और सी. आई. वहां पहुंचे और जाकर कहा....

श्री हीरालाल विश्नोई : अकेला डी. वाई. एस. पी. गया था, सी. आई. नहीं था ।

श्री उगमराज मेहता : डी. वाई. एस. पी. गया । उसने जाकर कहा कि मुझे मांगलिक लेना है । ऐसे वहां पर कोई उपासरे को खोला नहीं जाता । मांगलिक के नाम पर उपासरे को खोला गया । महाराज साहब आये । उनके आते ही उन्होंने कहा कि आपको थाने चलना है । उन्होने कहा कि संवत्सरी का पर्व है, 6 तारीख को गणेश चतुर्थी का बहुत बड़ा पर्व है, आपको हमारा बयान लेना है तो सुबह लें । उन्होंने कहा कि नहीं । उन्होंने जबरदस्ती की, हाथ पीछे से बांधे, बांधकर उनको पकड़ कर गाड़ी में डाला और गाड़ी में डालकर थाने ले गये । थाने में ले जाने के बाद उस एस. पी. ने लोकेन्द्र मुनि के चार चांटे मारे । उनके चार चांटे मारकर उनके दो घूंसे दिये । घूंसे देने के बाद में जिस समय समाज को मालूम पड़ा, रात्रि को सारा समाज थाने के घेराव में पहुंच गया । पहुंचने के बाद में ए. एस. पी. ने साधु महाराज को वहां से रवाना किया । रवाना करने के बाद साधु महाराज लोकेन्द्र विजय जी वहां पर आये । संवत्सरी और मासखमण, उस समय जब उनके भाई-उनके चार भाई और चार बहिनें सभी दीक्षित हैं, सभी ने संसार छोड़ा हुआ है जब उनके भाई ने पूछा कि क्या बात है, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बातें है । एफ आई. आर. में टाइम बताया नहीं है । होम मिनिस्टर साहब ने यह 8.45 बजे का टाइम एफ आई. आर. में अंकित होना बताया है । (व्यवधान) 8.45 बजे सुबह प्रवचन हो रहा था और प्रातः 8.45 बजे बलात्कार का समय उन्होंने लिखाया है । यह क्या है ? जब सारा समाज यहां बैठा हुआ है समाज के सामने प्रवचन हो रहा है और एफ. आई. आर. में प्रातः 8.45 बजे का समय

(श्री उगमराज मेहता)

लिखा है ? उस एफ. ग्राई. आर. में 8.45 बजे का समय लेकिन ग्रापने वह समय बताया नहीं है कि उसका मेडिकल कब हुआ। यह किस्सा 4 तारीख का है, एफ. ग्राई. ग्रार. में लिखा है ग्रौर मेडिकल हो रहा है 8 तारीख को, यह क्या है ? ग्राज मुनि का वहां दाह संस्कार नहीं हो रहा है। सारे समाज के व्यक्ति, आस पास के सारे क्षेत्र के व्यक्ति वहां पहुंच गये हैं। उनका भाई वहां ग्रड़ा हुग्रा बैठा है जो मुनि महाराज है, साधु है। वह भी वहां है, वह कहता है कि जब तक ए. एस. पी. और इन कर्मचारियों को सस्पेंड नहीं किया जाता तब तक दाह संस्कार नहीं होगा। यह कहा हुग्रा है। खाली डी. वाई. एस. पी. को हटाने से नहीं, डी. वाई. एस. पी. से कोई नहीं, उसमें तो वहां ए. एस. पी. का मोटा रोल है....

श्री हीरालाल विश्नोई : ए. एस. पी. ग्रौर कलक्टर ही गुनहगार हैं, ग्रसली गुनहगार।

श्री उगमराज मेहता : मेरी मांग है राज्य सरकार से कि ए. एस. पी. कलक्टर जितने भी अधिकारी दोषी हैं, उनको तुरन्त वहां से हटाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय गृह मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया, उस महिला नैना जैन ने जो एफ. ग्राई. आर. दर्ज कराई, वह कोई साधारण ग्रादमी के खिलाफ नहीं कराई थी। लोकेन्द्र विजय जी, जो मुनि हैं, जिनकी प्रतिष्ठा है समाज में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में सब समाज ऐसे जैन मुनियों को ग्रादर्श मानते हैं ग्रौर इनके वचनों के ऊपर चलते हैं। 4 तारीख को कह रही है कि मेरे साथ बलात्कार हुग्रा ग्रौर 6 तारीख को एफ. ग्राई. ग्रार. दर्ज करा रही है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या एस. पी. को ग्रौर डी. वाई. एस. पी. को यह नहीं चाहिये था कि इतना प्रतिष्ठित ग्रादमी है, पहले इनकी जांच पड़ताल कर लें कि क्या सत्यता है या नहीं ? 8–8.30 बजे तक वे प्रवचन शुरू कर देते हैं ग्रौर टाइम महिला बता रही है 8.45 का, तो यहीं से जानकारी मिल जानी चाहिए कि यह रिपोर्ट झूठी है, इसकी जांच करानी चाहिए थी। ग्रगर एस. पी. या डी. वाई. एस. पी. पहले से यह तथ्य जान लेते कि क्या इसमें सत्यता है तो महाराज मुनि को तेजाब पीकर ग्रात्म-हत्या करने की जरूरत नहीं होती। इस-लिए गृह मंत्री जी से मेरा यह निवेदन है, क्या सरकार यह मानती है कि वह एस. पी. जिम्मेदार है उसकी ग्रात्महत्या का ? क्या उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए ?

मेरा सवाल दूसरा है, उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार चुनाव ग्राये तो साधु-मुनियों से कहे कि आप आगे-ग्रागे जाकर वोट मांगों ग्रौर जब उनके साथ ग्रन्याय हो, यह स्थिति ग्रा जाए कि उन्हें तेजाब पीकर ग्रात्महत्या करनी पड़े तो क्या उस सरकार का नैतिक ग्रधिकार है कि वह राज करे ? ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए ग्रौर ग्राज यह संकल्प ले

(श्री जुबेर खान)

लेना चाहिए कि आज के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी साधु मुनियों का सहारा नहीं लेंगे राजनीति में, क्योंकि ये नैतिकता खो चुकी है। माननीय (व्य-वधान) आपके पतंगे लगेंगे। इसलिए लगेंगे कि गृह मंत्री कौनसी पार्टी का है, एस. पी. को कौनसी पार्टी के लोगों ने लगाया, एस. पी. का बचाव कौनसी पार्टी के लोग कर रहे हैं। आज हम कांग्रेस के सदस्य सर्वसम्मति से कहते हैं कि आप एस. पी. को सस्पैंड करिये, कलक्टर को सस्पैंड करिये, डी. वाई. एस. पी. को सस्पैंड करिये और उनके खिलाफ लोकन्द्र मुनि की हत्या का 302 धारा में मुकदमा दर्ज कराइये। हिम्मत हो तो करिये वरना भारतीय जनता पार्टी की वकालत यहां पर बैठकर मत करिये। +++ इस सरकार में न महिलाओं की इज्जत सुरक्षित है, न मुनियों की सुरक्षित है....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। अब आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। श्री कालीचरण सराफ।

श्री जुबेर खान : मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, गृह मंत्रीजी, जब तक यह जांच तथ्यात्मक नहीं आ जाती, यह सरकार क्या सी. बी. आई. से इसकी जांच कराने का इरादा रखती है ?

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, भीनमाल में जैन मुनि के साथ जो भी घटनाक्रम हुआ और जिसके कारण श्री लोकेन्द्र विजय को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, निश्चित ही बहुत शर्मनाक और चिंतनीय कार्य है। मैं इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं।

श्री परसादी लाल मीणा : इस्तीफा मांगों इनसे, निंदा से क्या होगा ?

श्री कालीचरण सराफ : यह बात सही है कि घटनाक्रम से भीनमाल क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान का जैन समाज व्यथित है और उद्वेलित है। आपने जैसा कहा कि विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, केवल आप प्रश्न पूछिये, घटना का विवरण सारा आ गया है, मैं तो केवल 2-3 प्रश्न गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा।

श्रीमती नैना देवी ने यह रिपोर्ट लिखाई है कि 4 तारीख को प्रातः 8.45 बजे मेरे साथ बलात्कार किया गया है जबकि एक नहीं, दो नहीं, हजारों गवाहियां इस बात की हैं कि उपासरे में 8.30 बजे मुनि लोकेन्द्र विजय का प्रवचन प्रारम्भ हो गया और 11 बजे तक उनका प्रवचन चला। तो 8.45 बजे बलात्कार की रिपोर्ट जो लिखाई, उसकी जांच क्यों नहीं की गई ?

दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहूंगा, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि भीनमाल में थाना होते हुए उस महिला ने उस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, सीधे जालौर गई, जालौर में एस. पी. के यहां

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री कालीचरण सराफ)

रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर एस. पी. उसको साथ लेकर भीनमाल आये, उन्होंने डी. वाई. एस. पी. को उपासरे में भेजा और उस मुनि को पकड़कर लाने को कहा। मुनि ने कहा कि हमारी जैन परम्परा के हिसाब से हम किसी वाहन में नहीं बैठते, मैं पैदल आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। उसके साथ मारपीट क्यों की गई? धक्का-मुक्की क्यों की गई? और फिर जीप में धकेलकर क्यों बिठाया गया? फिर कोई भी धर्म गुरु हो, जांच निश्चित रूप से, पुलिस के पास रिपोर्ट आती है, करनी चाहिए लेकिन थाने के अन्दर उन मुनिश्री के साथ मारपीट की गई, उनको थप्पड़ मारी गई, घूंसे मारे गये।

श्री रामनारायण चौधरी : आप कंविंस्ड हैं क्या, आप आश्वस्त हैं क्या?

श्री कालीचरण सराफ : वहां जो घटनाक्रम है वह बता रहा हूं। माननीय गृह मंत्री जी, यदि वह सारी घटना सही है (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह घटना सही है। आप "यदि" क्यों लगा रहे हैं?

श्री कालीचरण सराफ : आप सुनिये, साहब, आप अपनी बात बाद में कह देना। बीच में नहीं टोकिये, प्लीज। निश्चित रूप से यह बहुत गम्भीर घटना है और आज पूरे राजस्थान में जैन समाज ही नहीं, अन्य समाज भी इससे उद्वेलित हैं, व्यथित हैं। मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहूंगा कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करायी जाए और जब तक जांच हो, कम से कम तब तक वहां जो डी. वाई. एस. पी. और एस. पी. हैं, उनको निश्चित रूप से वहां से हटाया जाए जिससे वे जांच में अपने प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकें। मुझे ज्यादा....

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र जी पल्लीवाल।

श्री कालीचरण सराफ : विपक्षी विधायक तो इसमें राजनैतिक चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, इसमें राजनीति लाने की कोशिश मत करिये। (व्यवधान)

श्री हीरालाल बिश्नोई : कोई राजनैतिक चाल नहीं है। हम राजनीति नहीं ला रहे हैं। लोकेन्द्र मुनि की हत्या के कारण हम उनसे हिसाब पूछ रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ : किसी जैन मुनि का अपमान, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना, यह हमारे लिए सबके लिए कलंक का विषय है, शर्मनाक है, इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। यदि इसमें एस. पी दोषी है, कलक्टर दोषी है तो जितनी बड़ी से बड़ी सजा उनको दी जा सकती है, वह दी जानी चाहिए। मैं यही कहूंगा कि इस पूरे प्रकरण की जांच करवाएं और दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाए। धन्यवाद।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह भादवे का महीना जैन धर्म मानने वालों के लिए तप, त्याग

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

और तपस्या का महीना होता है। उस समय जबकि अठाईयां चल रही हों और अठाईयों के अन्दर मीनमाल में जो उपासरा है उसमें दिनांक चार को, जैसा कि घटना के बारे में बताया गया है, जैन समाज में कोई स्वाध्याय करता है, कोई सामयिक करता है, कोई प्रतिक्रमण करता है। पौने नौ बजे का जो समय बताया है उस समय अठाईयों के महीने में एक नहीं, अनेक व्यक्ति उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि महिला ने जो आक्षेप लगाया है वह ऐसे समय का नाम लेकर लगाया है जब वहां पर हजारों की संख्या में स्वाध्यायी मौजूद थे। पहला प्रश्न तो मेरा यह था, क्या वहां पर जब मुनिजी पर बलात्कार का आरोप लगाया तो क्या उपासरे के अन्दर कोई नहीं था, जबकि हजारों की तादाद के अन्दर लोग स्वाध्याय, सामायिकी और प्रतिक्रमण करते हैं अठाईयों के महीने में ?

उपाध्यक्ष महोदय, जैन समाज के अन्तर्गत हमारे जो साधु हैं वे नौ महीने तक भ्रमण करते हैं पैदल और चार महीने चातुर्मास करते हैं। एक ही स्थान के ऊपर बैठ कर वे प्रवचन करते हैं धर्म की चर्चाएं करते हैं। ऐसे मौके के ऊपर इस तरह के घृणित अपराध का आरोप लगाना, यह बहुत बड़ा कुकृत्य है। मंत्री महोदय, मेरा, यह अनुरोध है कि जैन समाज में जब हमारे साधु-महात्मा पैदल प्रस्थान करते हैं, किसी गाड़ी में नहीं बैठते, न रात्रि को वे कहीं पर जा सकते हैं। तो क्या इतनी जल्दी हो गई थी कि रात्रि को पौने दस बजे एस.पी. इस महिला को लेकर मीनमाल आये, और डीवाई.एस.पी. को उपासरे में भेजा ? क्या वहां थानेदार नहीं था या कोई नहीं था जो आकर यह आदेश दिया कि तुरन्त मुनि महाराज को गिरफ्तार कर लाओ, जबकि मुनि महाराज ने यह कहा और जैन समाज के और व्यक्ति थे उन्होंने यह कहा कि न तो हम गाड़ी के अन्दर बैठ सकते हैं और न गाड़ी के अन्दर जा सकते हैं ? ऐसे मुनि को गाड़ी के अन्दर घसीट कर ले जाना, क्या इतनी जल्दी हो रही थी ? क्या प्रातःकाल मुनि महाराज के पास आकर, जो वे कहना चाहते थे, उनसे जानकारी प्राप्त करना चाहते थे वह नहीं ले सकते थे। या क्या उनको सुबह या जब भी उनको समय मिलता, जाकर उनको थाने में बुला नहीं सकते थे ?

उपाध्यक्ष महोदय, जैन समाज के साधुओं के साथ यह सिर्फ एक मीनमाल के अन्दर ही यह नहीं हुआ है, अलवर के अन्दर भी यही प्रकरण हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। श्री चन्दनमलजी बैद साहब।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : और जगह-जगह पर जाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि जो यह काण्ड किया है इसकी भर्त्सना तो करनी ही चाहिए साथ ही एस.पी. और कलक्टर जिन्होंने कि वहां पर इस तरह का कृत्य कराया है, उनको निलम्बित किया जाए। यही मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक महिला ने रिपोर्ट दे दी, उसकी जांच दिन में भी हो सकती थी। संवत्सरी जैनियों का सबसे

(श्री चन्दनमल बैद)

बड़ा पर्व होता है, जो साल में केवल एक बार आता है। मेरे जैसा बूढ़ा आदमी भी उस दिन उपवास करता है और हमारे बहुत-से लोग तो उस दिन पानी भी नहीं पीते हैं। हमारा उपवास आपके उपवास जैसा नहीं होता है। पहले दिन संध्या से लेकर तीसरे दिन सुबह, सूर्योदय तक कुछ नहीं खाते हैं। बहुत-से लोग पानी भी नहीं पीते हैं, मेरे जैसा कमजोर आदमी पानी पी लेता है। ऐसे पर्व के दिन एक जैन मुनि को रात्रि के वक्त। जो मुनि रात्रि को घर से बाहर नहीं निकलते हैं, जिस जगह ठहरते हैं वे वहीं रहते हैं। हमारे यहां छाया में नहीं निकलते हैं, मतलब छत होती है उसके नीचे चलते हैं, छत के बाहर नहीं निकलते। उस जैन मुनि को जो पैदल चलते, हैं घसीट कर ले जाना, जबरदस्ती जीप में बैठाना। सब जानते थे कि चातुर्मास है, जैन मुनि गाड़ी में नहीं बैठते, रेलगाड़ी में नहीं बैठते हैं, हवाईजहाज में नहीं बैठते, मगकर कहां जाएंगे। दूसरे दिन भी उसकी जांच की जा सकती थी। जिन अपराधियों को आपने भागने दिया, उसके लिए तो पुलिस कुछ नहीं करती और जो अपराधी, अगर मान लीजिये कल को आप अपराधी मानते भी हैं, उसको, वह भाग नहीं सकता, जा नहीं सकता कहीं चातुर्मास में, वहीं रह रहा है, उसको इस तरह से घसीट कर ले जाना और फिर उन पुलिस अधिकारियों को दण्डित नहीं करना यह साबित करता है कि यहां आज पुलिस का राज है, श्री कैलाशजी मेघवाल का राज नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है। आप मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक इसी घटना के आधार पर आज आपको अपने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो आप जैसा+++बेबस और+++आदमी कोई नहीं हो सकता। इस तरह से एक जैन मुनि को घसीट कर ले जाना, कितने जैनियों के दिलों को आज चोट पहुंची है। कल आप देखना, आपकी विधान सभा के सामने जैन कोई डण्डे मारते हुए नहीं आएंगे हल्ला मचाते हुए नहीं आएंगे, मुंह पर पट्टी बांध कर आएंगे। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि हमारे साधुओं को इस तरीके से आप बेइज्जत करें, हमारे साधुओं को इस तरह से आप घसीटें। आपने क्या इन्क्वायरी की उसकी? क्या उस महिला ने वह बात कही? क्या उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया आपने? कुछ भी नहीं करवाया और सीधे-सीधे उनको पकड़ कर रात को ले गये। उन्होंने कहा, मैं पैदल जाऊंगा, आप पैदल ले जाते उनको। पुलिस वाले साथ में थे, कहां भाग कर जाते वे? उनके पास हथियार थे क्या? जबरदस्ती उनको जीप में क्यों बैठाया गया?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत शर्मनाक बात है और इस शर्मनाक बात पर जितनी इस सरकार की प्रताड़ना की जाए भर्त्सना की जाए, उतनी ही थोड़ी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा

श्री भीमराज भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इधर से बोल लिये, उधर से बोल लिये, हमारा नम्बर नहीं आया।

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद आपका ले लेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। श्रीमती नैना, जो यहां पर शिकायतकर्त्ता है, वह खुद धमकी देकर गयी थी कि मेरे लड़कों को भी ले जाऊंगी और रुपये नहीं दिये तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। यह बात वहां के सब व्यक्तियों को ज्ञात है। तब मुनि महाराज ने कहा कि इसके पुत्रों को वापस कराओ, यह श्रेष्ठियों को भी मालूम है। उसने पैसे मांगे थे और वह धमकी देकर गयी थी। माननीय मंत्री महोदय, इस पर ध्यान दें, उसने मुनि महाराज को बदनाम करने की नीयत से आरोप लगाया और जिस समय का आरोप लगाया, मुनि महाराज सब के बीच में थे। मुनियों का अपमान, साधुओं का अपमान। और अकारण अपमान। जब उसके पुत्र वापस कर दिये, श्रेष्ठियों ने कह दिया कि हम पैसा नहीं देंगे, उसके बाद भी दूसरे उनको कहीं नहीं छोड़ने का यह षड्यंत्र किया। श्रीमती नैना विवाहित है, वह कुछ भी करके अपनी जांच में आ जाती। मैं आपको कहना चाहती हूं, इसके संकेत में कहना चाहती हूं, उसका प्रकरण आप समझें। मेरा यह भी कहना है कि अब जो घटनाक्रम घटा और जिसने यह कुकृत्य किया उसको सजा मिलनी चाहिए, यह आप देखें। मृतात्मा का, मृत देह का अपमान करना हमारे कानून में नहीं लिखा है, उनका संस्कार होना चाहिए। और उन अधिकारियों को जिन्होंने अपराध किया है, वहां से तत्काल हटाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। यही मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी।

श्रीमती बीना काक : साहब, मेरा भी नम्बर है।

श्री भीमराज भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुःख के साथ यह बात सदन में कहना चाहूंगा कि जिस पवित्र सदन में हम बैठे हैं उस पवित्र सदन में भगवान महावीर के अनुयायी, जो अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के जानकार होते हैं, ब्रह्मचर्य जिनका सबसे पहला सिद्धांत होता है, उस जैन साधु के खिलाफ एक किसी साधारण महिला की बलात्कार की रिपोर्ट के ऊपर पुलिस ने, राजस्थान की सरकार ने कार्यवाही की। जैन मुनि को जो गाड़ियों में नहीं बैठते, जो पैदल विचरण करते हैं, जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गये, रात के समय जब वे सो गये थे। दिन की घटना थी, दो दिन पहले की घटना थी। क्या जिले के पुलिस अधीक्षक में कामनसेंस नहीं, जो जैन धर्म के सिद्धान्तों को समझता नहीं, जैन धर्म के साधुओं के आचरण को समझता नहीं ? उन जैन साधु के खिलाफ राज्य सरकार की पुलिस, राज्य सरकार के अधिकारियों और राज्य सरकार ने यह जो कुकृत्य किया है उसकी वजह से उस जैन साधु को इतना जलील होना पड़ा और आज परिस्थिति यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि उस साधु ने आत्महत्या कर ली। आज उनकी देह वहां पड़ी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय गृह मंत्रीजी तो कितने संवेदनशील हैं मैं नहीं जानता। गृह मंत्री जी के यहां तो इससे पहले कई बलात्कार के किस्से, कई घटनाएं हो गई, ये तो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन हमारे

(श्री भीमराज भाटी)

परिवार में भी किसी सदस्य की मौत होती है तो हमें उस हमारे परिवार के सदस्य की पवित्र देह को जल्दी से जल्दी श्मशान ले जाकर उसका यथोसम्मान के साथ दाह संस्कार करने की जल्दी लगी रहती है लेकिन मुझे शर्म आ रही है आज इस बात की कि इस सरकार में जो जैन मंत्री बैठे हैं–गुलाबचंद जी कटारिया साहब यहां बिराजमान हैं, श्रीमान् महावीर प्रसाद जैन यहां बिराजमान हैं, श्री अनंगकुमार जी जैन यहां बिराजमान हैं, हमारे जैन साधु के पवित्र चरण हम स्पर्श करते हैं, जिनके चरणों में हम शीश नवाते हैं उस जैन समाज के ये मंत्री यहां पर बिराजमान हैं, अपनी कुर्सी से चिपके हुए यहां बिराजमान हैं और मामूली जिले के एस. पी. और मामूली जिले के कलक्टर को इस घृणित अपराध के बावजूद भी दण्डित करके सस्पैंड करके उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने का मोरल करेज इस राज्य सरकार में नहीं बचा है। यह राज्य सरकार शासन करने का अधिकार खो चुकी है। जैन मुनियों को हत्या के लिए प्रेरित किया जा रहा है इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। (धन्यवाद)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबचंद जी कटारिया।

श्री गुलाबचंद कटारिया (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे इस सदन में बोलते हुए बहुत दुःख है। एक सरकारी नौकर की गलती के कारण जिस प्रकार का माहौल खड़ा हुआ, मैं नहीं समझ पाया कि ऐसी गलती करने वाले अधिकारी को अगर हमने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो न तो आज राज चलेगा न भविष्य में कभी चलेगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि मेरे पास शिक्षा विभाग है कल कोई अध्यापिका मुझ पर अगर यह आरोप लगा कर रिपोर्ट दर्ज करा दे कि मैंने उसके साथ बलात्कार किया तो क्या आप मुझे इस बात का भी समय नहीं दोगे कि अपनी सच्चाई को आपके सामने कह सकूं और आप मुझे सीधा थाने में ले जाकर अपमानित और लज्जित करो? वह एस. पी. किस-किस रिपोर्ट के साथ आज दिन तक बलात्कार के केस में शिकायत करने वाली महिला को लेकर कहां-कहां अब तक गया अपनी जिन्दगी में? कौन-कौन से मुकदमों में उसने इस प्रकार से उसका फैसला करने की कोशिश की? 4 तारीख के बलात्कार का 6 तारीख को कोई हिसाब लगा सकता है? कोई मेडिकल कर सकता है? उसके आधार पर कर सकता है? नहीं कर सकता है।

मैं इस बात के लिए बहुत अपमान सहन करता हूं कि हम इतना समय निकल जाने के बाद भी यह तय नहीं कर पा रहे हैं यह वह समाज है जिसने हमेशा अपने उसूलों पर जीना सीखा है मनुष्यों में गलती हो सकती है, जैन साधु में भी गलती हो सकती है उसके जीवन में भी कमी हो सकती है मैं उसको नहीं बचाना चाहता हूं लेकिन आखिर किसी बात का पता लगाये बिना उसको दोषी करार दे दिया जाए और ले जाकर थाने में बन्द कर दिया जाए, इससे ज्यादा अपराध और क्या हो सकता है? जो हमने किया है, मैं सोचता हूं सम्पूर्ण देश का जैन समाज आज इस बात के लिए बहुत दुःखी है। मुझे इस

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बात को कहते हुए अफसोस है कि आज जैन मुनि की लाश पड़ी हुई है और सम्पूर्ण जैन समाज आज रो रहा है।

इसके लिए अगर मेरे त्याग पत्र देने से समस्या का समाधान होता है और लोकेन्द्र मुनि का अगर प्रायश्चित होता है तो मैं आधे सैकण्ड में यहां देने के लिए तैयार खड़ा हूं मुझे इसमें कोई दुःख नहीं है लेकिन मैं इस बात को सुनने के लिए कभी तैयार नहीं हूं कि हमारी सरकार इस तरह से कोई पाप को सीरियसली नहीं ले। उसके बाद 8 तारीख का मेडिकल ? किस बात का मेडिकल 8 तारीख का ? केवल अपने पापों को ढकने के लिए, इन पुलिस वालों की जाति को बचाने के लिए, + + + एस.पी. की गलती को बचाने के लिए ? सारी की सारी पार्टियों ने हमारी नीतियों को दांव पर लगा दिया और हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं ? मैं नहीं सोचता हूं कि जिसने अपराध किया उसको सस्पेंड नहीं किया जाए। ऐसे पुलिस अफसर को नौकरी में रहने का कोई हक नहीं है जो बिना जांच किए, बिना बात को पहचाने और समझे हुए किसी के खिलाफ इस प्रकार का एक षड़यंत्र रचे और षड़यंत्र का माहौल बनाया जाए हमारे साधुओं के साथ। मैं नहीं मानता कि हमारे में से किसी साधु ने कभी जिन्दगी में कोई गलती की होगी। आप उसको सजा दो, जो आपका कानून उसके लिए सजा कहता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता। एक एस.पी. के इस बदतमीजीपूर्ण व्यवहार के कारण सम्पूर्ण समाज आज हमको लांछित कर रहा है, हमको अपमानित कर रहा है।

मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि एस.पी. इतना बड़ा अपराध कर दे और हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते ? हम सरकार चलाते हैं उसके खिलाफ कार्यवाही हो, वह गिरफ्तार हो क्योंकि यह बिलकुल असत्य एवं षड़यन्त्रपूर्वक बनाया हुआ केस है इसमें कहीं एक-दूसरे का लिंक नहीं बैठता है। पौने नौ बजे और वह भी स्थानक में कोई बलात्कार करेगा ? कोई मूर्ख है ? इतने बड़े लोगों के समूह के बीच में बलात्कार की घटना जबरन हो जाए और कहीं उसकी आहट भी नहीं सुनाई दे, कहीं उसकी आवाज भी पता नहीं लगे ? किसी आदमी को पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। कौनसे कमरे में हुआ यह भी जाकर देखने की इच्छा जाहिर नहीं की और आपने यह कह दिया। मैं सोचता हूं कि इस बात के लिए आज निश्चित रूप से गृह मंत्री जी को अपना मन बनाकर, और आदरणीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस सदन के माध्यम से कि इस जघन्य अपराध का दण्ड उसको मिलना चाहिए वरना जैन समाज इसको शांति से तो बर्दाश्त नहीं करेगा। परिणाम इसका कुछ भी होगा, वह जो भी होना होगा, होगा, हम इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती बीना काक।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(100)

श्रीमती बीना काक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक ही सवाल है कि परसों जब बलात्कार का मामला उठा तो वर्ड बाई वर्ड एफ.आई.आर. को पढ़ा गया लेकिन आज वह एफ.आई.आर. क्यों नहीं पढ़ी गई ? बस।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनाराम जी। आपका नाम दिया है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : नहीं, है साहब, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गहलोत साहब, बोलिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीनमाल में जैन साधु के साथ किये गये व्यवहार से आज हम सब का सिर शर्म से झुक जाता है। पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन के अधिकारियों को इस बात का सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि चातुर्मास कर रहे संत मुनि के साथ हमारा व्यवहार किस प्रकार का रहे। दो माह से लगातार चातुर्मास वहां चल रहा है और चातुर्मास के समय जहां आध्यात्मिक प्रवचन और लोगों का आना-जाना है उसके बीच में ? क्या जिला प्रशासन को यह पता नहीं कि साधुओं के प्रवचन किस समय हो रहे हैं ? किस समय धार्मिक गतिविधियां क्या हो रही है ? यह सारी जानकारी होने के बाद जब एक महिला ने उनके साथ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया, उस में पहले वहां चातुर्मास कराने वाली जो समिति है उसके सभी पदाधिकारियों से, धर्म के सभी जो प्रमुख लोग हैं उनसे जिला प्रशासन को बातचीत करनी चाहिए थी। बातचीत करने के बाद यह बात उनको कहनी चाहिए थी कि जैन मुनि के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत आयी है, आप इस बात की जांच कीजिये। जांच की नहीं। जांच नहीं करने के बाद संवत्सरी का वह दिन जो आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र दिन है उस दिन रात को 10.00 बजे पुलिस ने उपासरे में जाकर मुनि के साथ जिस प्रकार व्यवहार किया है वह व्यवहार कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं इस धर्म का अनुयायी हूं, इस धर्म का अनुयायी होने के नाते मैं मांग करता हूं कि इस प्रकार का व्यवहार जिसके द्वारा किया गया है उस पुलिस अधीक्षक को बर्खास्त किया जाए।

(14.00)

उसके कारण हमारी सब की छवि खराब हुई है, हमारी सरकार की छवि खराब हुई है। इस सरकार का साधु और महात्माओं, सन्यासियों के प्रति चाहे वह सनातनी का हो, चाहे जैन धर्म का हो, चाहे किसी धर्म का हो, ऐसा व्यवहार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सन्तों के साथ और धर्म के लोगों के साथ जिस प्रकार का प्रशासन का व्यवहार होना चाहिए, यह निर्देश भी प्रशासन को दें। जिला प्रशासन व जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलक्टर ने इस बात पर विचार नहीं किया कि मुनि के साथ किये गये व्यवहार की क्या प्रतिक्रिया होगी। आज जो प्रतिक्रिया हो रही है, आज राजस्थान का किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, इस

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

बात के लिए दुखी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक और सम्बन्धित सभी पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। जब तक आप बर्खास्त नहीं करेंगे और जब तक मुनि का दाह-संस्कार नहीं होगा, मेरा भी उपवास जारी रहेगा। मैं इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज से मेरा उपवास है तब तक जब तक उनकी अन्त्येष्टि नहीं होगी। आप इन पुलिस अधिकारियों को जल्दी से जल्दी बर्खास्त करवाईये।

श्री उपाध्यक्ष : जो तथ्य आ गये हों उनको दोहराया नहीं जाए। श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह : बिलकुल नहीं दोहराऊंगा, कतई नहीं दोहराऊंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो घटना घटी भीनमाल में, एक व्यक्ति ने जो जैन धर्म में दीक्षित था, अपना जीवन दिया बहुत बुरी बात है। किन हालात में उन्होंने आत्महत्या की, यह देखने की बात है। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार देखे कि किसी को भी आत्महत्या करने के लिए दुबारा मजबूर नही होना पड़े। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बैंद जी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैन समुदाय अहिंसा में विश्वास करता है। अहिंसा, जो हमने गांधीजी के प्रवचनों से सुनी है और वहीं देखी है। अहिंसा कोई हथियार से ही नहीं होती है, अहिंसा दबाव से भी होती है इसलिए सम्पूर्ण जैन समाज से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का दबाव वे न दें और श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से उन जैन साधु का अन्तिम संस्कार कर दें। इस प्रकार का दबाव सरकार पर नहीं आए जिससे कि समाज का, हमारा वातावरण बिगड़े।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सदन पवित्र सदन है और इसमें ऐसी चर्चाएं गम्भीर होती रही है और भी आगे होती रहेंगी लेकिन इस सदन का भावनाओं में बहकर उपयोग कर हम वहीं कानूनी दृष्टि से अलग नहीं हो जाएं, इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी से तीन-चार बातें जानना चाहूंगा। क्या उन साधु का जिनके खिलाफ आरोप लगाया गया, मेडिकल एक्जामिनेशन करवाया गया? मैं मानता हूं जैन साधु पवित्र होते हैं और वे ब्रह्मचर्य में विश्वास रखते हैं लेकिन मनुष्य मनुष्य होता है, कभी भी किसी की नीयत डिग सकती है। हमारे बड़े-बड़े मुनि महात्माओं की नीयत डिगी हैं इसलिए उस साधु को पवित्र घोषित करने के लिए, उस साधु को निर्दोष घोषित करने के लिए आवश्यक था कि उनका मेडिकल एक्जामिनेशन किया जाता। दूसरा, यह जो महिला है जिसने अपने खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया है, यदि उस जैन साधु ने नहीं किया और मैं मानकर चलता हूं कि उन्होंने नहीं किया होगा, तो क्या सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस ने यह जानने की चेष्टा की, इन्वेस्टिगेशन किया कि उसके साथ में सम्भोग किसने किया? यह भी एक देखने का बिन्दु है। फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां वह पता लग जाता है- 8 तारीख को एक्जामिनेशन हुआ है-- उसके साथ में

(श्री शिवनाथ सिंह)

सम्भोग किस तारीख को हुआ है। ईजी है वह।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस पर दबाव देने, किसी भी सरकारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेन्सी के ऊपर दबाव डालने का काम सदन नहीं करे, सदन को उससे बचना चाहिए। आज इस प्रकार का वातावरण पैदा किया जा रहा है। मैं कटारिया जी का बहुत सम्मान करता हूं, जिस भावुकता से और रूंधे हुए कंठ से इन्होंने कहा है, इनकी पीड़ा मैं समझता हूं लेकिन हमारी सीमाएं हैं और हम इस प्रकार का वातावरण सदन के मार्फत नहीं बनने दें जिससे इन्वेस्टिगेटिंग एजेन्सी को प्रभावित किया जाए। ये हमारे सदन की परम्पराएं हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, इस मामले में क्या हुआ, कैसे हुआ उसकी सम्पूर्ण निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं दूसरा पक्ष रख रहा हूं। यह पर्युषण पर्व है और बड़े बड़े महात्माओं से, हम जिनको भगवान कहते हैं उनसे भी गलतियां हुई हैं। पर्युषण पर्व जैन समाज का सबसे बड़ा पवित्र समय है, इस समय, इस अवसर पर वे अपनी पुरानी साल भर में की हुई गलतियों की क्षमा मांगते हैं समाज से और भगवान से। हो सकता है कि जैन मुनि की, इनको पवित्र मानते हुए भी, कहीं कोई गलती हो और इस पर्युषण पर्व में उन्होंने आत्मोत्सर्ग करना उचित समझा हो। यह भी एक पक्ष देखने का है। यह जरूरी नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या की हो, वे आत्मोत्सर्ग भी कर सकते हैं। हमारे सामने उदाहरण हैं। भगवान राम जिनको हम कहते हैं, अयोध्या के राजा, उनके सामने भी इस प्रकार की.... (व्यवधान).... मुझे भी कहने दो कुछ। भगवान राम जिनके सामने एक बार समस्या आयी थी, जिनको हम भगवान कहते हैं, अपने खिलाफ लगाये गये आरोपों के कारण, सनातनी भाई मुझे माफ करेंगे, उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ली थी। सीता माता जिनको हम सीता माता कहते हैं, उनको भी भूमि में समाधि लेनी पड़ी थी। इस प्रकार की जो पवित्र आत्माएं होती हैं उनसे गलतियां होती हैं और वे कभी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इस प्रकार की समाधि लिया करते हैं, तो कहीं यह पर्युषण पर्व तो नहीं था।

मैं अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन करना चाहूंगा माननीय गृह मंत्री जी से कि कहीं यह अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। यदि वे साधु जिन्दा होते तो निश्चित उनके खिलाफ अपराध का मामला चलता। आज भी समाज के सामने या पुलिस की निगाह में वे अपराधी है या नहीं लेकिन भगवान के खिलाफ, सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार आत्महत्या सबसे बड़ा पाप होता है और यह पाप उन्होंने किया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनगोपाल कोगटा।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, भीनमाल में जो घटना घटी उसके लिए यह सदन और सारा जैन समाज ही नहीं पूरे राजस्थान के रहने वाले नागरिक बन्धुओं का आज शर्म के मारे सिर झुक रहा है। श्रीमती नैना देवी ने जो एस. पी. साहब को अपनी रिपोर्ट दर्ज

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

करायी थी और जो वातावरण आज बना है इसकी वजह से जैन मुनि सम्मानीय लोकेन्द्र विजय का देहावसान हो गया है और उनका दाह संस्कार नहीं हो रहा है। यह बात निश्चित है कि वहां की जनता, वहां के समाज के सामने कुछ प्रश्न उठे होंगे, वे प्रश्न मैं भी आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। क्षमायाचना पर्व संवत्सरी के दिन जैन समाज के लोग पूरे हिन्दुस्तान में, या विश्व में जहां भी जैन समाज वाले रहते हैं, परिवार रहते हैं, वे एक बार उपासरे में जाते हैं, बल्कि 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले से जैन समाज के बंधु, महिलाएं, बालक उपासरे में जाते हैं, रात्रि को वहीं रहते हैं और सुबह उठकर अपने घर जाते हैं। जिस रोज यह घटना हुई उस दिन, पूरे हिन्दुस्तान में सभी उपासरों की अगर जानकारी की जाए तो किसी भी उपासरे में चाहे वहां सन्त प्रवास करे, चातुर्मास करे या नहीं करे लेकिन उपासरे में समाज के अधिकांश लोग 24 घंटे रहते हैं। सूना अगर उपासरा हो, जिसमें कोई नहीं हो तो ऐसी घटना हो सकती है, अगर वहां के समाज वाले उसमें रहते हैं तो कैसे होगी? दूसरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपासरे की जो बनावट है उसमें कोई अलग से रूम की व्यवस्था नहीं है वह एक तरह के बरामदे होते हैं जिसमें पूरे समाज के लोग बैठते हैं, प्रवचन करते हैं और जो वहां साधु सन्त रहते हैं उनकी दिनचर्या भी स्पष्ट रूप से प्रत्येक आने वाले जो शिष्य हैं या समाज के बंधु हैं उनको दिखती है, ये जो घटनाएं है इनके होने के लिए एकान्त स्थान होना चाहिए लेकिन उपासरे में वहां ही नहीं, भीनमाल में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में जैन समाज के उपासरे में कमरे या कोई अलग से स्थान नहीं है. एक बरामदे जैसा होता है। तो मुझे शक होता है। इन दिनों में जैन समाज के अधिकांश लोग स्थानक में उपासरे में अपनी दिनचर्या बिताते हैं और और यही नहीं, क्षमायाचना के कुछ दिन पहले से जैन समाज के बंधु अपने व्यवसाय भी बन्द रखते हैं, 12 बजे के बाद अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, 12 बजे तक वे अपनी धार्मिक क्रियाएं हैं वे पूरी करते हैं। इससे शक होता है। यही नहीं, क्षमायाचना पर्व के पूर्व जैन समाज वाले अठाई करते हैं, क्रिया करते हैं। रात्रि को स्थानक में या उपासरा में ही रहते हैं और खास कर भीनमाल में जहां 1500 से 2000 तक के जैन समाज के घर हैं, अपना धार्मिक कार्य करने के लिये उपासरे में जाते हैं। स्थान अपने को पूरा पर्याप्त मिल जाए। इसकी होड़ रहती है कि कौन पहले उपासरे में जाकर बैठे। ऐसी स्थिति में मैं सोचता हूं कि यह जो घटना घटी है, उपासरे में नहीं हो सकती। यह बात मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

तीसरी बात जो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब 4 तारीख को श्रीमती नैना अपने लड़के को लेकर अहमदाबाद के लिये रवाना हो गयी, शक होता है कि वह भीनमाल के एस. पी. के पास गयी या अहमदाबाद से सीधे एस. पी. जालौर के पास गयी? इसकी भी जांच होनी चाहिये जिससे पता लग जाएगा कि यह षडयन्त्र है या वास्तविकता है।

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

उपाध्यक्ष महोदय, बलात्कार की ऐसी घटनाएं राजस्थान में और हिन्दुस्तान में होती रहती हैं। बहुत-सी बार सबसे पहले एस.एच.ओ. के पास जाते हैं। एस.एच.ओ. साहब अगर सुनवाई नहीं करते हैं तो डी.एस.पी. के पास जाते हैं और डी.एस.पी. साहब अगर सुनवाई नहीं करे महिला की तो एस. पी. के पास जाते हैं। यह क्या कारण हुआ, इसका पता लगाना पड़ेगा कि वह महिला पहले डीवाई.एस.पी. और एस.पी. भीनमाल के पास हाजिर हुई और अपनी एप्लीकेशन, अपनी कथा सुनाई। एस.एच.ओ. के पास गयी या नहीं या सीधे एस.पी. के पास गयी। इससे यह पता लगेगा कि इसमें यह षडयन्त्र है या वास्तविकता है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री किशनगोपाल कोगटा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात यह भी पूछना चाहता हूं कि जिस समाज का प्रतिनिधित्व मुनि लोकेन्द्र विजय कर रहे हैं, जो दिन में न खाते हैं न पैदल चलते हैं, रात्रि को न पीते हैं न खाते हैं न पैदल चलते हैं और जिन दिनों को चूज किया गया है, इन दिनों में तो वे विशेषकर व्रत रखते हैं। कोई संत-महात्मा 8 दिन रखते हैं, कोई 24 दिन रखते हैं, कोई 30 दिन रखते हैं। लोकेन्द्र मुनि जी, उन्होंने भी व्रत रखे हैं और जब व्रत रखे हैं तो निश्चित रूप से यह घटना नहीं हो सकती। मेरी तरफ से तो ये 4-5 विषय हैं जिनका जवाब आना चाहिये, इतना ही मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे इस पवित्र सदन के अन्दर दूसरी बलात्कार की घटना के ऊपर हमारे सामने जो समस्या आयी है, माननीय मुनि जी महाराज....

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई स्पष्टीकरण प्रश्न हो तो पूछ लें, आप प्रश्न करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : प्रश्न पूछ रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि आज हमारे हिन्दुस्तान में अहिंसा को किसी ने बचा रखा है तो हमारे जैन धर्म ने बचा रखा है। आज जैन मुनि के साथ जो कुछ हुआ है वह एक धर्म के साथ हुआ है। उसी जैन मुनि महाराज की लाश पड़ी हुई है, लाश को पड़े हुए इतना समय हो गया है और हम लोग आज मौज मस्ती उड़ा रहे हैं। राजस्थान की सरकार रो रही है, गुलाबचन्द जी कटारिया यहां रो रहे थे, उनको उठाकर बाहर ले जाया गया है। ऐसे समय में हम जाकर खाना खा रहे हैं और एक धर्म की लाश पड़ी हुई है। हम सबको शर्म आनी चाहिये। मैं घोषणा करता हूं जब तक मुनि महाराज की लाश रहेगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। कोई भी खाना नहीं खाएगा तब तक, यह प्रतिज्ञा करनी चाहिये हम लोगों को।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, खाना खाकर आये हैं अभी ये।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, शर्म से झुक जाना चाहिये।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

माननीय पारीक जी मजाक कर रहे हैं, इससे बड़ी लज्जा*की बात और क्या होगी? आपको*लज्जा की बात और क्या होगी ? और लज्जा*आनी चाहिये इस बात की। ये मजाक करते हैं। मुनि की लाश पड़ी हुई है और ये लोग हंस रहे हैं, इससे बढ़-कर लज्जा*की बात और क्या होगी। आप*से अच्छी तो सरकार है जो रो रही है। आप*हंस रहे हो, सरकार रो रही है। आपको रोना चाहिये उनसे ज्यादा लेकिन कोई बात नहीं आप हंस रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बयान पढ़ रहा हूं। आज अखबार में एक बयान आया है उसके बाप का। वह जो लड़की थी जिसने यह झूंठा आरोप लगाया महाराज के ऊपर, उस लड़की के बाप का बयान आया है। वह लड़की का बाप वहां उपवास पर बैठा था, मुनि महाराज के प्रवचन सुन रहा था। लड़की का बाप कहता है कि हे बेटी ! तैंने यह क्या किया, तू मेरे कुल में एक द्रोही पैदा हो गयी, तैंने मेरे महाराज जी पर झूंठा आरोप लगाया है। ये बयान हैं मुनि महाराज के शिष्य के। और वह लड़की जिसके बारे में कहा गया है, इससे बड़े दुःख की बात और क्या होगी कि उसका बाप कह रहा है इस बात को। अपनी लड़की से बाप कह रहा है कि हे बेटी ! तैंने बुरा किया है। महा-राज जी निर्दोष थे। तैंने महाराज जी के ऊपर कलंक नहीं लगाया तैंने धर्म के ऊपर कलंक लगा दिया। ऐसी बुरी बात जिस जगह हुई हो और फिर आपको क्या प्रमाण है इसका ? इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि उसका बाप कह रहा है अपनी लड़की से। इसलिए गृह मंत्रीजी आज अगर आपने इसमें कोई कार्यवाही नहीं की और वह लाश वहां पड़ी रह गयी तो आपको और हमको इस सदन के अन्दर यहां की जनता, लाखों जैन मुनि हैं जो धर्म के प्रवर्तक बनते हैं,+++राम के भक्त बनते हो, अयोध्या की बात करते हो...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक मुनि को नहीं बचा सकते+++इसलिए मेरा निवेदन है कि गृह मंत्री जी घोषणा करें कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाएगी और उनकी लाश का दाह संस्कार करा दिया जाएगा। जब तक दाह संस्कार नहीं होगा हम सबको भूखा रहना चाहिये, हममें से किसी को भी खाने का अधिकार नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था। मुझे जाना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि परसों भी इस सदन में चर्चा हुई थी, और किसी मुद्दे पर। मेरा निवेदन यह है कि जो मापदण्ड हैं वे समान होने चाहिये। इस मामले में, क्योंकि मुनि लोकेन्द्र विजय

---

* शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

साहब ने आत्महत्या कर ली इसलिए एक बहुत बड़ा सबूत खुद जो अपनी स्थिति, परिस्थिति मनोदशा और मनोवैज्ञानिकता, जो भी कोई बात बता सकते थे, वह संसार में नष्ट हो चुकी है। यह जो उनकी साक्ष्य नष्ट हो गयी, वे खुद की कुछ बताते, यह अपने आप में इस तरह का एक लेकुना रह गया है कि जिसकी वजह से यह विषय बहुत ही अहम् हो गया है जांच के लिये। इसके लिये मेरा निवेदन है कि जुडीशियल इंक्वायरी बैठायी जाए। जुडीशियल इंक्वायरी से यह मालूम हो जाएगा कि किन विषम परिस्थितियों में, किन मानसिक, उद्वेलित कंडिशन में मुनि ने आत्महत्या की। साथ ही श्रीमती नैना जोगाणी ने जो रिपोर्ट की और उन्होंने यह कहा कि मेरे लड़के को दीक्षा दिलाई गयी है, कहते हैं कि जबरन दीक्षा दिलवाई, जबकि स्वैच्छा से दीक्षा ली गयी, ये सारी जो मिलीजुली बातें हैं, इनके लिये जुडीशियल इंक्वायरी बैठाना निहायत जरूरी है। आज हम यह नहीं कहना चाहते कि वास्तव में कौन दोषी है लेकिन यह निश्चित बात है कि एक मुनि के द्वारा आत्महत्या कर लिये जाने से यह गुत्थी बहुत ही उलझ गयी है। ऐसी गुत्थी जो उलझ गयी है उसको सुलझाने के लिये परम आवश्यक है कि इसकी जुडीशियल इंक्वायरी हो। पुलिस पर से बिलकुल ही विश्वास उठ चुका है। राजस्थान की पुलिस इसकी जांच करने के कतई लायक नहीं है, कतई योग्य नहीं है क्योंकि पुलिस ने अपना जो कंडक्ट शो किया है वह बहुत ही गलत किया है। आज, माननीय होम मिनिस्टर महोदय, आपने न तो एफ.आई.आर. बतायी, न मेडिकल मुआयना बताया, न आपने 164 के बयान बताये। आपको तो कम से कम समान मापदण्ड रखने चाहिये थे। मेरा निवेदन यह है कि दोषी व्यक्ति को निश्चित तौर पर सजा मिले। वह एस. पी. हो, होम मिनिस्टर हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, बचे नहीं। कम से कम आपका जो पैरामीटर है जो स्टैण्डर्ड यार्ड स्टिक है वह तो समान होना चाहिये, वह बदलता हुआ नहीं होना चाहिये। आज जो कन्फ्यूजन है वह यह है कि पुलिस क्यों नहीं अपने एक स्टैण्डर्ड पर कायम रही। आज जनता में जो आक्रोश है वह किसलिये है? वह पुलिस के कंडक्ट के कारण है, इंवेस्टीगेशन के डिफेक्ट के कारण है। यदि पुलिस सही समय पर बड़ी संवेदन होकर, आपकी सरकार के तो, भारतीय जनता पार्टी के दो ही नारे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं समाप्त कर रहा हूं एक लाइन कह कर कि पारदर्शी और संवेदनशील। संवेदनशील आप कितने हैं वह तो आपने कटारिया जी का गला जो रूधा हुआ है, उससे मालूम कर लिया....

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालूलाल गूजर।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा यह कहना है कि इसकी जुडीशियल इंक्वायरी हो और दोषी व्यक्तियों को जल्दी से जल्दी सजा दिलवायी जाए।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ घटना घटी है उसके बारे में माननीय सदस्यों ने विस्तृत चर्चा शुरू की है। 2–3 पाइन्ट, 2–3 बिन्दुओं के बारे में माननीय गृह मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है। एक तो यह है कि अपने यहां पर भारतीय दण्ड संहिता प्रक्रिया बनी हुई है और उसी के तहत किसी भी अपराध में इंवेस्टीगेशन होता है, एफ.आई.आर दर्ज होती है। एफ.आई.आर. के बाद, जो एफ. आई. आर. दर्ज करवाता है उसके बयान, फिर गवाह के बयान। फिर यदि कोई उसमें बलात्कार जैसी घटना हो तो उसमें पहले पीड़ित पक्षकार का मेडिकल कराया जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में एफ.आई.आर. थाने में दर्ज न करवाकर एस.पी. साहब को दी गयी, फिर एस.पी. साहब ने थाने में भेजी और एस.पी. साहब खुद उस पीड़ित महिला को साथ लेकर गये। गृह मंत्री जी मुझे यह बता दें कि आज दिन तक ऐसा कोई एस.पी. हुआ जिसके पास इस तरह से पीड़ित महिला कभी गयी हो और एस.पी. साहब ने तुरन्त गाड़ी में बैठाकर मामले का इंवेस्टीगेशन शुरू कर दिया हो, नम्बर एक ?

श्री चन्दनमल बैद : इंवेस्टीगेशन तो हुआ ही नहीं।

श्री कालूलाल गूजर : हां, वही मैं कह रहा हूं।

नम्बर 2, इंवेस्टीगेशन के पहले उस महिला का मेडिकल 8 तारीख को क्यों करवाया ? उसी दिन करवाते तो पता लगता कि उसके साथ कोई बलात्कार हुआ या नहीं हुआ। दूसरा निवेदन मेरा यह था कि वहां जाने के बाद मुल्जिम को कब अरेस्ट करना चाहिए, मुल्जिम को कब तलब करना चाहिए ? मान लो, ऐसा इमर्जेन्सी केस है कि डकैत है, भागने का अंदेशा है या कोई ऐसा बदमाश है, अन्तरराष्ट्रीय गिरोह का आदमी है, कहीं भाग सकता है, तब तो एफ.आई.आर. दर्ज होते ही पहले, प्राइमाफेसी पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी। परन्तु जहां संत, मुनि हैं, जो चौमासा कर रहे हैं, वहां चातुर्मास कर रहे हैं, चार महीने वहां रहने वाले हैं, दो महीने से जो प्रवचन कर रहे हैं, जिनके भागने का कोई अंदेशा नहीं है ऐसे संत पुरुष को, सीधे ही मुल्जिम के नाते पहले तलब कर लिया। मैं कहता हूं कि पहले इंवेस्टीगेशन करके इंवेस्टीगेशनकर्ता इस बात से सन्तुष्ट होता है कि कोई अपराध बनता है, तभी अन्त में मुल्जिम को गिरफ्तार करके पेश किया जाता है। इसके पहले तो सारी प्रक्रियाएं होती हैं, गवाहों के बयान भी लिये जाते हैं, उसमें इंवेस्टीगेशनकर्ता संतुष्ट होता है। मान लो, अगर बयानों में कोई डिफेंस की बात भी आती है तो उस पर भी उसको देखना पड़ेगा। सीधे-सीधे किसी आदमी को बिना अपराध साबित हुए, इस तरह बुलाने का अधिकार उनको नहीं था।

दूसरा मेरा निवेदन यह था कि वैसे भी असली बड़े-बड़े अपराधी जिनका और इन्वाल्वमेंट होता है, जिनका पास्ट खराब होता है उनको कभी भी पुलिस वाले रात को नहीं पकड़ते हैं, जब तक अगर बहुत बड़ा मर्डर या डकैती जैसी बात न हो। छोटे-मोटे मामलों में कभी नहीं बुलाते हैं। इस मामले में भी यहां एफ.आई.आर. दर्ज

(श्री कालूलाल गूजर)

हुई है लेकिन सबूत नहीं थे तो फिर उन मुनिजी को बुलाने का औचित्य क्या था ? तीसरी बात यह थी कि एस.पी. जैसा समझदार, जो सीनियर अफसर कहलाता है, उसको यह जानकारी थी कि जैन मुनि के लिये रात्रि को बाहर निकलना मना है और किसी वाहन में बैठना भी मना है। आज दिन तक नहीं बैठे हैं। आचार्य तुलसी ने, केवल इनके दूसरे जो मुनि है उनको हवाई जहाज में अलाउ किया, बाकी किसी भी वाहन में कोई जैन मुनि बैठ ही नहीं सकता। तो ऐसे मामलों में उनको जब तक कि कोई केस साबित नहीं होता उसके पहले प्रिकाशन रखना चाहिए था।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि उपासरे में जहां पर बलात्कार की बात कही, वहां पर अकेले जैन मुनि नहीं ठहरे हैं, वहां पर 3–4 मुनि और ठहरे हैं। 3–4 मुनि ठहरे हुए हैं, वहां एक उपासरा है जिसमें साथ रहते हैं। प्रवचन का समय नहीं हुआ, यह भी मान लिया जाए तो भी 4 आदमी, 3–4 मुनि जहां ठहरे हुए हैं और एक कमरा, एक ही उपसरा, एक बड़ा हाल है उसके अन्दर कैसे बलात्कार सम्भव है ?

उपाध्यक्ष महोदय, चौथा इंवेस्टीगेशन का सवाल यह है कि उस महिला ने 5 लाख रुपये मांगे। अपने लड़के को पहले उसने मुनि बनाया, दीक्षा दी। बाद में उसने कहा कि मेरे एक ही लड़का है और इसको दीक्षा दे दी, अब मेरे कमाने वाला कोई नहीं बचा है इसलिये आप मुझे कमाई के लिये कुछ दीजिए, 5 लाख रुपये की मांग की। जब मुनि और सारे समाज वालों ने इकट्ठा होकर कहा कि 5 लाख रुपये जो मुनि बनते हैं उनको नहीं देते हैं, तब उसने कहा कि अच्छा नहीं देते हो तो मैं मेरे लड़के को वापस ले जाती हूं। तब समाज ने फैसला करके लड़का उसको सौंपा। यह इंवेस्टीगेशन का पहला प्रश्न था। एस.पी. साहब को यह चाहिए था कि पहले यह मालूम करते कि इस महिला ने 5 लाख रुपये मांगे कि नहीं मांगे। यह तो एक लालच की बात थी कि 5 लाख रुपये दे दो। पांच लाख रुपये नहीं दिये, मेरे लड़के को आपने रखा है इसलिए....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। (व्यवधान) समाप्त करें। श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि एस.पी. जैसा सीनियर आदमी (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में इस तरह की घटनाएं, भीलवाड़ा में भी पहले एस.पी. की गलती से दो आदमी मरे थे और वहां पर भी जैन मुनि को आत्महत्या के लिये बाध्य होना पड़ा। इसलिए ऐसे दोषी एस.पी. को तुरन्त बर्खास्त किया जाए। उनको सस्पैंड करके इस मामले की जांच की जाए, मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो सारी घटना यहां पर इतनी चर्चा हो रही है, उसके पीछे कोई न कोई षडयन्त्र होना चाहिए। क्योंकि कोई भी महिला जानती है ऐसी रिपोर्ट

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

दर्ज कराने से पहले कि इसका क्या नतीजा होने वाला है, उसके साथ क्या होगा, क्योंकि ऐसी तो कोई मूर्ख औरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुनि महाराज या दूसरे मुनि महाराज का कोई झगड़ा होगा या कोई बड़े सरमायेदार व्यक्ति होंगे जो उस महिला को इस तरह से किया होगा। या महिला के साथ हुआ कि नहीं हुआ, इन सारी बातों की जांच किये बिना यह कहना कि उक्त महिला ने अपने आप जाकर, और सचमुच यह भी हो सकता है कि उसके बेटे को सचमुच जबर्दस्ती दीक्षा दी हो, तो ये सब ऐसी घटनाएं हैं कि किसी महिला के साथ जाकर एकदम से ऐसा किया हो यह मैं नहीं मानती। मेरा कहना यह है कि महिला भी गलत हो सकती है, पुरुष भी गलत हो सकते हैं। इन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। यह बात नहीं है कि जैन मुनि ही थे, वह महिला भी जैन थी। यह मत भूलिये कि वह महिला भी जैन थी। इसलिए जैन महिला किसी मुनि महाराज के खिलाफ कहे, यह बहुत ही कठिन काम है। अगर यह उसने किया है तो कोई न कोई मजबूरी उसके पीछे होगी, कोई न कोई प्रेशर उसके पीछे होगा, कोई न कोई सख्त बात होगी जिसके कारण उसने यह किया हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है, गृह मंत्री जी, कि उसके पीछे क्या षडयन्त्र हैं, उसकी जांच करायी जाए तब हम तय कर पाएंगे कि क्या कारण था, क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसको मजबूर होना पड़ा, क्यों यह बात हुई। यह कहना कि थाने में क्यों नहीं गयी, उसकी मैं नहीं जानती कि हुआ क्या, लेकिन किसी औरत के साथ में कोई बहुत बड़ा, पैसे वाला आदमी कोई ऐसा काम करता, थाने में जाएं तो कोई सुने ही नहीं तो सचमुच एस.पी. के पास जाएगी। सब बातें मेरे को मालूम नहीं है इस घटना के बारे में जो कोई तथ्य मैं आपके सामने बोल सकूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराज जाएं। श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : लेकिन मैं आपको इतना ही कह रही हूं कि इस घटना की पूरी न्यायिक जांच होनी चाहिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक वाकया है जिससे कि अहिंसा का पुजारी जो समाज है वह पूरा हिल गया है। एक मुनि पर आरोप लगाया गया, वह आरोप कहां पर लगा, किसके द्वारा लगाया गया, पहले इस बात की जांच होनी चाहिए थी, पुलिस कोई कार्यवाही करती उससे पहले।

डीसा जो गुजरात में आता है, वहां की रहने वाली औरत, जब वह जालौर जाती है तो भीनमाल बीच में आता है। अगर वाकया भीनमाल का था तो भीनमाल के थाने में उसने क्यों नहीं पहले एफ.आई. आर. दर्ज करावायी ? उसको सीधे जालौर एस.पी. के पास जाने की क्या आवश्यकता थी ? वह बराबर कई दिनों से जालौर एस.पी के काण्टेक्ट में क्यों रही ?

मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या पुलिस की जानकारी में यह बात नहीं आयी थी कि उसके लड़के को 4 तारीख को सैकड़ों आदमियों ने मुनि महाराज के पास से, उस औरत की इच्छा से डीसा तक पहुंचाया

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

था। सैकड़ों आदमियों के सामने वह 5 लाख रुपये की खुली फिरौती मांग रही थी तथा जैन समाज ने कहा था कि हमारे पास देने के लिये 5 लाख रुपये नहीं हैं, तेरे लड़के को हम डीसा पहुंचा देते हैं। यह खुला फैक्ट था जिसको कि पूरा नगर जानता था। भीनमाल ही नहीं, भीनमाल के आसपास का सारा इलाका जानता था। यह चार तारीख का वाकया था। वाकया 4 तारीख का बताया जाता है बलात्कार का और 6 तारीख को एस.पी. खुद अपनी गाड़ी में उसको लेकर भीनमाल आते हैं? क्या जरूरत आ गयी एस पी. को भीनमाल आने की? वे चाहते तो वायरलैस से भीनमाल थाने के डीवाई. एस.पी. को या सी. ओ. को आदेश दे सकते थे कि इसकी एफ. आई.आर. दर्ज करो। रात के 10 बजे एक औरत के साथ, एक जवान एस.पी. का आना और फिर पुलिस वालों के ऊपर बार बार दबाव डालना, नीचे के स्टाफ पर उस एस.पी. का कि पकड़ कर लाओ इस जैन मुनि को, पकड़ कर लाओ जैन मुनि को, क्या दर्शाता है? गृह मंत्री जी, अगर इतने संवेदनहीन हो गये हो आप लोग, तो हमें कुछ नहीं कहना, आप करे जाओ, आपकी मर्जी पड़े जो करे जाओ ऊपर वाला भी देखने वाला है। उस औरत का पिता एक महीने से लगातार उपवास में था, इन्हीं मुनिजी के पास, उसी उपासरे में, जहां कि यह घटना बताती है और जब उसके अपने पिता ने, इस श्रीमती नैना के पिता ने जब यह बात सुनी कि मेरी लड़की ने इस प्रकार का आरोप लगाया हैं तो उसके मुंह से सैकड़ों आदमियों के बीच में यह निकला कि कलमुंही! तू मर जाती, मेरे कुल में क्यों पैदा हुई। एक एविडेंस नहीं, गवाह एक नहीं, सैकड़ों गवाह इस बात के थे, हजारों गवाह थे। पुलिस को चाहिये था कि उपासरे में पुलिस भेजने से पहले कम से कम इन सब चीजों की दरियाफ्त कर लेती। अगर पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होता पुलिस का तो पचासों बातें हो सकती थीं। शक की सुई तो यहां घुमती है कि जब पुलिस चाहती है, जिस तरीके का पुलिस ने मुकदमा बनाया है, पुलिस 164 के बयान खुद लेती है, क्या जरूरत आ गयी 164 के बयान की? क्यों लिया गया? हर केस में लिया जाता है कभी 164 का बयान फरियादी का? 164 का बयान इसलिये लिया गया कि एस.पी. चाहता था कि मैंने जिस तरीके से एफ. आई.आर. इससे दर्ज करवायी है, कहीं यह पलट नहीं जाए वहां पर।

श्री चन्दनमल बैद : एस.पी. को मालूम था कि भीनमाल के ओसवाल और जैन जो हैं वे पैसे वाले हैं और वे उसको तंग करेंगे। (व्यवधान) तो फिर वह बदल जाएगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पैसा मिलेगा। बात सीधी सीधी यह है कि पैसा मिलेगा। खुले आम जो बाप यह कह दे, लगातार एक महीने से उपवास में रहने वाला व्यक्ति कितनी बड़ी तपस्या, कितना त्याग, वह बाप कह दे कि "ये कलमुंही मर जाती।" यह सब पुलिस की जानकारी में था, उस एस.पी. की जानकारी में था और उसके बावजूद उस पर प्रैशर डालकर 164 के बयान करवाये गये। आपने 164

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

के बयान क्यों नहीं पढ़े ? न आपने एफ. आई. आर. पढ़ी। वे तो छुपाएं जो छुपाएं पर कम से कम आप तो मत छुपाओ, इस सदन से ये सब बातें, गृह मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : पर्युषण पर्व चल रहे हैं आपके, अब तो यह (व्यवधान) पर्युषण पर्व चल रहे हैं आपके। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : महिला का मेडिकल क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : जहां तक लज्जा की बात है, हम राजनीति में इस तरीके से नहीं आये। मैंने आपको यहां बैठे हुए और बोलते हुए देखा है, मैं जो कहता हूं वह करता हूं और जहां तक इस बात का सवाल है (व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक : कहता हूं जहां तक, वह पूरी असत्य बोलता हूं। असत्य बोलते हो, सारी असत्य बात बोलते हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जहां तक इस बात का सवाल है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार न्याय करेगी और नहीं करेगी तो आप हमसे... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार को इस बात पर कि... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : (व्यवधान) आप यहां नहीं देखोगे। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सरकार को सेंसर कर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : (व्यवधान) नहीं करेंगे तो हम जैन समाज में नहीं रहेंगे। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अगर सरकार न्याय करती तो गुलाबचन्दजी को इतना मार्मिक होकर यहां पर बोलना नहीं पड़ता।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो हमारी परम्परा रह गयी है। आज हम केवल वोट के लिये बात करते हैं। यदि शिवनाथ सिंहजी बोल रहे हैं तो सिर्फ इसलिये कि वहां पर कोई वोट नहीं है (व्यवधान) आज हम केवल वोट की चिन्ता कर रहे हैं। न्याय और अन्याय के हम यहां पर तर्क-वितर्क नहीं करते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप तो वोट से जीत कर नहीं आये, आप तो.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुझे अफसोस इस बात का है कि न्याय और अन्याय के जो आंकड़े हैं, जो प्राइमाफेसी मामले हैं, उनको नहीं उठाकर केवल वोट, केवल जाति और इस प्रकार की बातें करते हैं, इसलिये ये लज्जाजनक घटनाएं हो रही हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह तो राजस्थान की जनता देखेगी आपको। यह शुरूआत आप लोगों की पार्टी ने की है, अब आप धर्म की बात कर रहे हो। (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर, Sir, I am raising a point of order.

श्री भीमराज भाटी : आप लज्जा की बात कर रहे हैं, लज्जा आपको आनी चाहिये।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि सरकार इमीजिएट एक्शन लेती है....

श्री उपाध्यक्ष : धारीवालजी, आप समाप्त करिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक सैकण्ड में।....(व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : Sir, how far my point of order ? उपाध्यक्ष महोदय, उस महिला के आचरण के बाबत आपके साथी ने आपकी सरकार की धज्जियां उड़ायी हैं, You are collectively responsible. Has he resigned ? Has the Education Minister Resigned ? He has censored Your Government. इतना बड़ा....(व्यवधान) ....किया है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये। माननीय सदस्य, मैंने आपको अवसर नहीं दिया है। समाप्त करिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उस महिला के आचरण के बाबत न केवल भीनमाल का थाना, पूरा जालोर ही नहीं बल्कि जालोर के पास की डीसा वगैरह-वगैरह ये जितनी भी गुजरात की बार्डर है, हर व्यक्ति उसका आचरण जानता है। आपके पुलिस को उसके आचरण बाबत जानकारी नहीं थी ? क्यों एस.पी. उसको अपने साथ लाया ? और उस एस.पी. ने, कलक्टर ने, इन दोनों ने मिलकर जो षड़यन्त्र किया उस पर आपने क्या एक्शन लिया ? आग लगी हुई है, मेरी तरफ देखने से नहीं बुझेगी, गृह मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगवानदास डोसी : कृपया समाप्त करिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दोनों को बर्खास्त करो। कलक्टर और एस.पी. दोनों को सस्पैंड करिये और फौरन वहां से हटाइये। अगर आपने नहीं हटाया तो इसके परिणाम गम्भीर होंगे। माननीय गृह मंत्री महोदय, आप अपनी सरकार और पार्टी से भी कह दीजिये कि इस तरह की बातें कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। नीचे महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के साथ में पुलिस ने बहुत भारी लाठीचार्ज किया है बारह से ज्यादा महिलाएं घायल हो गयी हैं। इनको बालों से पकड़कर जिस तरीके से....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : और दस एस.एम.एस. हास्पिटल में भर्ती के लिये चली गयी हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : उनको मारा जा रहा है... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस तरह से निर्मम तरीके से मारापीटी की है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : वे प्रोटेस्ट कर रही थीं और उनको इस तरीके से, यहां

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, नीचे लज्जा-जनक हादसा हो रहा है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उनके बाल खींचे गये हैं, कपड़े फाड़े गये हैं, उनको नोंच लिया गया है। पुलिस के+++ और महिलाओं ने उनको मारा। पांच महिलाएं बेहोश हो गयीं और सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के लिये बैठी हुई हैं। इतनी बुरी हालत कर दी गयी है पुलिस के द्वारा, उसकी जांच की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सुन लिया। आपने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया। कृपया विराजिए। श्री भगवान दास डोसी।

श्रीमती कमला (बैराठ) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कह दिया कि आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, किस्सा खतम हो गया आखिर इस तरह की घटनाएं रोज-रोज किसी न किसी रूप में होती चली जा रही हैं। आपके दरवाजे के बाहर इस तरह का व्यवहार हो रहा है कि उनके बाल नोंचे हैं, उनको मारा है, पीटा है और चोटें आयी हैं, मंत्री महोदय वहां जाकर पूछने का, बात करने का, या पता करने का या किसी को भेज कर पता करने का, कोई बात तो कहे खड़े होकर।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगवान दास डोसी।

श्रीमती कमला : आखिर यह क्या जनतंत्र है कि इसमें जनता प्रदर्शन करने के लिये, सरकार को अपने एतराजात बताने के लिये यहां पर इकट्ठी होती है और पिछली बार भी (व्यवधान) लाठीचार्ज हुआ है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : महिलाओं को घसीटा गया है, उनको मारा गया है, उनके बाल खींचे गये हैं, उनके जगह-जगह चोटें आयी हैं। उनके कपड़े अस्त-व्यस्त कर दिये गये, कपड़े फाड़ दिये गये। उनको बेरहमी से डण्डों से मारा गया है।

श्रीमती कमला : सरकार की तरफ से....(व्यवधान) बिलकुल मिट्टी की सरकार बन गयी है। किसी भी बात पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। न कोई कदम उठा रही है, न कुछ कर रही है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है, जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनको दोषी करार दिया जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, उनको सजा दिलायी जाए।

श्री राजेन्द्र चौधरी : जिस तरह से मारपीट की गयी है आप देख नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते। ध्यान आकर्षित करने पर, गृह मंत्री महोदय.. (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इससे घृणित मामला यह हुआ है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : प्रेस ने सारे फोटो खींचे हैं जिसमें निर्ममता से लाठीचार्ज किया गया है, मारा गया है। सारी चीज

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(115)

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

पिक्चराइज्ड है, जिससे मालूम पड़ता है कि राजस्थान की पुलिस कितनी अमानवीय और पाशविक हो चुकी है।

श्रीमती कमला : इतनी सारी आपने महिला पुलिस भर्ती कर रखी है, क्या उस महिला पुलिस के जरिए से आप उसको पीछे नहीं कर सकते थे? क्या आपको लाठीचार्ज ही करना पड़ा, उनको मारने की नौबत आ गयी?

श्री शैलेन्द्र जोशी : गृह मंत्री महोदय, इस बारे में कोई वक्तव्य दें कि महिलाओं के साथ कितना पाशविक अत्याचार किया जा रहा है। आप पारदर्शी सरकार की घोषणा करते हैं।

श्रीमती कमला : इस तरह की कोई सरकार है क्या? आखिर आप चाहते क्या हैं कि राजस्थान का कोई व्यक्ति किसी अन्याय का कोई प्रदर्शन नहीं करें? कोई बात पैदा नहीं करें? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यूं लग रहा है कि माननीय गृह मंत्री महोदय स्थितप्रज्ञ की स्थिति में आ गये हैं। आप जैन मुनि हो गये और आप स्थितप्रज्ञ की स्थिति में आ गये। आपके मन में कहीं यह पीड़ा उठती ही नहीं है। इतना संवेदनशील मामला है, महिलाओं पर बाहर लाठीचार्ज हो रहा है। हाउस में इतना महत्वपूर्ण मामला चल रहा है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, जिसके आगे पीछे कोई नहीं हो वह तो यथा स्थितिवाद ही अपनाएगा क्योंकि उसको कोई चिन्ता नहीं है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सामने प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन इतने + + + के हो गये हैं हमारे गृह मंत्रीजी कि इन पर कुछ असर ही नहीं पड़ता है। कुछ तो + + + कीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया था कि माननीय गृह मंत्री महोदय... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी की जांच करायी जाए मेडिकल बोर्ड बैठा कर, इनको मानवता और संवेदनशीलता... (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : गृह मंत्री महोदय मुस्करा रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : कोई असर ही नहीं होता, मुस्कराते रहते हैं। चाहे बलात्कार हो, चाहे मुनि मरे, चाहे महिलाओं पर डंडे पड़े, ये मुस्कराते रहते हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनके कोई परिवारजन तो हैं नहीं कि जो उसके डंडे पड़ें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहे। श्री भगवान दास डोसी बोलिये।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

115

श्री राजेन्द्र पारीक : आप ताड़ना तो दीजिये, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री चन्दनमल बैद : क्या होगा ताड़ना देने से ? होगा क्या ?

सूचना प्राप्ति प्रश्न

महिला कांग्रेस के शिष्टमण्डल पर लाठीचार्ज

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी महिला कांग्रेस का एक शिष्टमण्डल यहां पर आया था और जैसी कि बात बतायी गयी, माननीय सदस्य बाहर जाकर आये हैं, उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया । आपकी कई लम्बी-चौड़ी फौज आपने यहां पर महिला पुलिस की खड़ी की है फिर भी महिला पुलिस को यहां पर तैनात नहीं करना, फिर उन पर लाठीचार्ज करना, बाल खींचना और दुर्व्यवहार करना, यह सब ऐसा दिखता है कि सरकार खुद इतनी निष्ठुर हो गयी है कि डंडे के बल पर वह लोगों की आवाज को दबाना चाहती है । इसलिए आप मेहरबानी करके अभी तथ्य मालूम कराइये किसी को भेज कर, इस सदन में आप एक वक्तव्य दीजिये और वास्तविक स्थिति से हमको अवगत कराइये ।

श्री कैलाश मेघवाल : यह हो जाए उसके बाद ।

श्री भगवानदास डोसी (चौहटन) : उपाध्यक्ष महोदय, यह घटना जो पयुर्षण पर्व में हुई यह बहुत ही निन्दनीय है । हमारे जैन समाज के मुनि या और कोई भी संत हम गृहस्थियों से ऊपर हैं, वे पूजनीय हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जैन समाज के मुनियों के पांच महाव्रत होते हैं । पर्युषण पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें जैनी अधिकांश शीलव्रत की सौगन्ध लेते हैं । ऐसा एक पर्व है और इस पर्व में यह घटना हुई है । मेरी समझ में यह साबित है कि यह घटना झूठी है क्योंकि इस औरत के और साधु के कोई ताल्लुक नहीं रहा । जब इसका लड़का दीक्षित कराया और दीक्षा के बाद वापस ले गये तब तो झगड़ा हो गया । एक तो झगड़ा हो गया और दूसरे उपासरे में किस लिए गयी ? बलात्कार साधु कर भी सकता है लेकिन बलात्कार वही कर सकता है जिसके पास कुछ भय हो, शस्त्र हो । हमारे जैन साधु न तो कोई शस्त्र रखते हैं, न लाठी, न चाकू रखते हैं और यह नियम है कि एक साधु कहीं बैठा हो तो अकेली औरत न जाए दो औरतें जाएं और कोई एक साध्वी औरत बैठी हो तो दो पुरुष साथ जाएं अकेला पुरुष नहीं जाए । औरत को साधु पुरुष छूता नहीं है । इन ताल्लुकातों के बीच में यह बलात्कार की घटना बता कर जो बेइज्जत किया है एस.पी. ने, एस.पी. ही इसमें गुनहगार है । ऐसा सुनने में आया है कि डिप्टी साहब ने इन्कार किया कि क्यों पकड़ें लेकिन एस.पी. ने दबाकर डिप्टी को भेजकर इनको पकड़ा । एस.पी. ही गुनहगार है । एस.पी. आई.पी.एस. आफिसर है, आई.पी.एस. आफिसर की लाबी है इधर जैन साधुओं की लाबी है । तो जो अन्याय करते हैं एस.पी., आई.पी.एस. आफिसर से सरकार डरे नहीं और जो मांग है, एस.पी. को सस्पैंड करे और उस साधु का दाह संस्कार हो, यही न्याय

(श्री भगवानदास डोसी)

है। अगर आप झुकते रहेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। इसमें बिलकुल एस.पी. दोषी है तभी तो उसने वापस छोड़ा है। इन्होंने बिलकुल भी कोई बलात्कार नहीं किया है, यह साबित है। इसलिये मेरा निवेदन है कि एस.पी. को निलम्बित कर लाश का दाह संस्कार कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस शर्मनाक घटनाक्रम पर आज इस सदन में विचार हो रहा है उसमें मैं शिरकत करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो घटना है इसका पहला पहलू है उस महिला की शिकायत। महिला की शिकायत कैसी है और उस पर क्या कार्यवाही करनी है, यह तय करने से पहले निश्चित रूप से जिम्मेदार अधिकारी को, एस.पी. लेवल के अधिकारी को थोड़ी गम्भीरता से उस पर विचार करना चाहिए था। एस.पी. जिनका नाम हेमन्त प्रियदर्शी है, यदि वे प्रियदर्शी थोड़े दूरदर्शी भी होते तो यह दुःखद हादसा नहीं होता। शिकायत पर कार्यवाही करने से पहले कुछ बातों पर जरूर इनको विचार करना चाहिए था कि उस शिकायतकर्ता महिला की पारिवारिक और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि क्या है। उसके पुत्र की दीक्षा हुई थी और दीक्षा से उसको वापस घर भेजा गया, यह भी इस केस में एक बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है, इस पर भी विचार होना चाहिये। मुनिजी महाराज की पारिवारिक और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि क्या है, इस पर विचार होना चाहिए था। उस समय जो परिस्थितियां सामने थी, संवत्सरी है, पर्व है, प्रवचन चल रहे हैं, उन सारी परिस्थितियों का आकलन होना चाहिये था। जैन परम्पराओं के बारे में जानकारी कर उसके बाद उसमें क्या निर्णय करना है, क्या एक्शन करना है, उस पर भी ठीक से विचार होना चाहिये था। उस महिला का मेडिकल मुआयना, यदि मुनिजी महाराज का मेडिकल मुआयना करवाना भी आवश्यक होता तो खून से भी जांच हो जाती है, डी.एन.ए. जांच हो जाती है, आजकल इस जमाने में बहुत एडवांस टैक्निक आ गयी हैं, इन सारी बातों पर पहले विचार होना चाहिये था। उसके बाद यदि आवश्यक है तो, यदि कोई अपराध पाया जाए तो मुनिजी महाराज तक पहुंचने की बात आनी थी। लेकिन जो काम तीन-चार दिन में होना चाहिये था उस काम को अदूरदर्शितापूर्ण तरीके से तीन-चार घंटे में अंजाम देने की जो कोशिश की गयी है उसके कारण यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी है कि एक साधु वेषधारी व्यक्ति को आत्महत्या के लिये मजबूर होना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, जैन समाज की परम्परा से मैं भी वाकिफ हूं और जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है, जैन साधु भी इन्सान होते हैं, चूक हो जाती है। मान लो कभी चूक हुई है, ऐसे उदाहरण जैन समाज में मौजूद हैं जब जैन समाज ने पाया कि साधु साधुत्व के व्यवहार के अनुकूल नहीं चल रहा है, तो उसको साधु के कपड़े उतार कर गृहस्थी के कपड़े पहनाकर समाज ने हाथों-हाथ घर भेजा है कि, चल भैया, तेरे बस का रोग नहीं है साधु रहना, घर जा। यदि एस.पी. और प्रशासन ने सारे तथ्यों का पहले अन्वेषण करने

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

के बाद परिणामों के आधार पर जैन समाज से बात की होती कि आपके साधु में यह दोष हमको मिल रहा है तो जैन समाज निश्चित रूप से उस साधु को घर भेजता और स्वयं समाज उसके खिलाफ कार्यवाही करता, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से यह सब नहीं हुआ, वह नहीं हुआ जो होना चाहिये था और उसका दुष्परिणाम यह निकला कि उसके कारण एक समाज भी उद्वेलित हुआ और वे साधु महाराज भी उद्वेलित हुए, व्यथित हुए, पीड़ित हुए और उसका अन्तिम परिणाम इस दुखद घटना के रूप में सामने आया कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। अब उस महिला की शिकायत की जांच करने का भी आपके पास कोई साधन नहीं बचा, वह शिकायत सही है या गलत है, इसको प्रमाणित करने का कोई साधन आपके पास नहीं बचा। इन परिस्थितियों में अब मैं समझता हूं कि वह केस एक प्रकार से समाप्त हो गया। महाराज ने जो आत्महत्या की है उस मुद्दे पर जितना संवेदनशील यह हाउस है, यह सदन जिस संवेदनशीलता से, जिस गम्भीरता से इस सारे मुद्दे पर पेश आया है निश्चित रूप से इस गम्भीरता का यह मुद्दा हकदार है इसलिए सरकार को भी इस मुद्दे पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। और किया भी है सरकार ने विचार, मेरी जानकारी में है। 6 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई, 6 तारीख की रात को जो कुछ हरकत साधु महाराज के साथ हुई उसकी शिकायत यहां प्राप्त हुई है, उसके बाद 7 तारीख को डीवाई. एस. पी. को तुरन्त सरकार ने वहां से हटाया है और 8 तारीख को डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर को जांच के लिए भेजा है। एस. पी. या अन्य किसी के भी आचरण में कहां गलती रही है, कहां कमी रही है, इसकी जांच कर उस के आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, यह आदेश मेरे सामने माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया, और कठोरतापूर्वक आदेश किया कि तीन दिन के अन्दर—अन्दर मेरे को जांच रिपोर्ट लाकर दो। यह सब हुआ है। पर दुर्भाग्य से इस सब के दौरान ही, जब कमिश्नर महोदय जांच के लिए वहां पहुंच रहे थे उससे पहले ही हत्या वाली घटना हो गयी, इस कारण परिस्थितियां एकदम बदल गयीं। आज की तारीख में जैन समाज बहुत उद्वेलित है, पूरे हिन्दुस्तान का जैन समाज उद्वेलित है। बोम्बे से मेरे पास समाचार आये हैं, बड़ौदा से मेरे पास फोन आये हैं और अन्य कई स्थानों से संदेश आ रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी के पास भी आ रहे हैं और अन्य लोगों के पास भी आ रहे हैं। यह बहुत चिन्ताजनक समाचार है। बहुत उद्वेलित है यह जैन समाज, बहुत अपमानित और आहत महसूस कर रहा है यह जैन समाज। इस समय इस समाज के आहत होने के भाव को दूर करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार इस बारे में निर्णय ले और अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करे, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं तो कुछ दो-तीन प्रश्न गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। यद्यपि यह तो सही है कि गृह मंत्रीजी जिस रूप में चाहें और जिस प्रकार से चाहें,

118

(श्री हरिसिंह)

अपना स्टेटमेंट दें लेकिन अब तक जो स्टेटमेंट आप देते आये हैं, उन स्टेटमेंटों में और आज जो स्टेटमेंट दिया है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। स्टेटमेंट में पहले आप एफ.आई.आर. पढ़ते थे, कौन तफतीश कर रहा है यह बताते थे, इस स्टेटमेंट में वह बात नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं आपसे कि यह एफ. आई. आर. कब रजिस्टर हुई? एफ. आई. आर. रजिस्टर होते समय ही किस को तफतीश दी जाती है उसका नाम अंकित होता है। इस मुकदमे की तफतीश, गृह मंत्री महोदय, किसको सुपुर्द की गयी, उसका कृपया आप नाम बताएं। उस तफतीश कुनिन्दा ने क्या वह इस नतीजे पर पहुंचा वह कि मुनिजी को बुलाकर इस सम्बन्ध में पूछताछ की जाए? उस औरत की मेडिकल रिपोर्ट कराने के लिये उस तफतीश कुनिन्दा ने क्या कार्यवाही की? क्या रोजनामचे के अन्दर यह बात दर्ज है कि नहीं कि मुनिजी को थाने में बुलाया गया और फिर वापस किया गया। उस मेडिकल के हिसाब से उस स्त्री के बदन पर क्या चोटें हैं? क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स पहली बार किया गया था वह इस बात की आदी थी? क्या उसके कोई चोट है कि नहीं जो बता सके कि बलात्कार हुआ या नहीं हुआ? ये सब बातें जब तक नहीं आएं तब तक पता कैसे चलेगा? इसलिए ये सब बातें आप कृपया बताने की कृपा करें।

दूसरा आपसे मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जोइंट रेस्पांसिबिलिटी है कैबिनेट की, एक कैबिनेट के मंत्री ने इस सम्बन्ध में एक स्टेटमेंट दिया कि वे उस घटना को सही मानते हैं और इसमें वे कार्यवाही निश्चित रूप से चाह रहे हैं, क्या एज पर जोइंट रेस्पांसिबिलिटी आप उन मंत्री के स्टेटमेंट से डिफर कर सकते हैं? कर सकते हैं तो किस हैसियत से कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इन प्रश्नों का उत्तर कृपया आप दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरसिंह डांगावास। केवल प्रश्न पूछिये आप।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : प्रश्नों से ही शुरू करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या पुलिस अधीक्षक, जालोर को जब महिला ने रेप होने की सूचना दी तो बिना नंबरी प्रथम इत्तला रिपोर्ट जालोर थाने में पंजीबद्ध हुई या नहीं हुई? वहीं से अन्वेषण प्रारम्भ होना चाहिये था, चाहे स्वयं पुलिस अधीक्षक करते या किसी अन्य अधिकारी से करवाते। उसी समय उस महिला का धारा 161 सी.आर.पी.सी में बयान लेने के बाद वहीं शफाखाने में मेडिकल मुआयाना क्यों नहीं कराया गया? जहां प्रथम इत्तला रिपोर्ट दी वहीं की मैं बात कर रहा हूं।

इसके आगे चलता हूं। सरकम्स्टांसेज ऐसे थे, बच्चे को दीक्षा दी गयी, दीक्षा छुड़वायी गयी, पैसे मांगे गये, इन सारे सरकम्स्टांसेज को रिकार्ड पर लिये जाकर क्या आधी रात को डकैत की तरह किसी साधु को गिरफ्तार करना आवश्यक था? प्रश्न है क्या भोर होने पर या प्रातः साधु को बुलाकर पूछताछ नहीं की जा सकती थी?

एक प्रश्न और आता है। जब एस.पी. स्वयं महिला को लेकर साथ गये और दो दिन बाद में मेडिकल कराया, क्या एस.पी.

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

की खुद की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस अन्वेषण को, जो कोई भी कर रहा था, ठीक ढंग से सुपरवाइज करते ? मैं जैन समाज का अनुयायी नहीं, मैं महाराज रजत का शिष्य हूं लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि एक समाज के ऊपर धब्बा पुलिस की जल्दबाजी, नासमझी हैरेस एण्ड नेग्लेक्ट एक्ट के कारण लगा है । और मैं आगे बढ़कर, गृह मंत्री महोदय, आप सुनिये, मैं निवेदन करता हूं कि एक जुल्म हुआ है पुलिस एस.पी. द्वारा कि सुसाइड करने के लिये उन्होंने जबरदस्ती साधु को प्रेरित किया । धारा 306 में आज एफ.आई.आर. दर्ज की जाकर पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध तफतीश की जानी चाहिये, इतना ही मेरा आग्रह है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादी लाल मीणा ।

—

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आज गृह मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, चार तारीख को बलात्कार हुआ, 6 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई, रात को 10 बजे मुनि महाराज को वहां से उठाया गया, 7 तारीख को जनता के विरोध के कारण उनको छोड़ा गया और 7 तारीख को आपने डी.वाई.एस.पी. का ट्रांसफर कर दिया । गृह मंत्रीजी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं इन परिस्थितियों में क्या उस महिला के 164 के बयान करवाना कोई जरूरी था ? यही कारण था । अगर आप 164 के बयान नहीं करवाते तो मुनि महाराज नहीं मरते । पुलिस ने 164 के बयान क्या लिये, आपने हमको बताया नहीं । हो सकता है उस महिला ने वही बयान दिये हों जो एस.पी. से उन्होंने एफ.आई.आर. में मैनेज किये और यही कारण है कि मुनि महाराज मरे हैं । आप कृपया हाउस में 164 के बयान और एफ.आई.आर. दोनों पढ़कर बताएं । इसमें एस.पी. या उससे बड़े कोई अधिकारी का हाथ है, उसको सजा देनी चाहिये ।

मुनि महाराज के जो गुरु हैं हेमेन्द्र गिरी, उनकी मांग है । आज उनकी लाश भीनमाल में पड़ी हुई है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने उसके अंतिम संस्कार के लिये क्या उनकी मांगों को मानने के लिये अपने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं ? ऐसे हालात हैं, एक तपस्वी की तपस्या भंग की है ऐसे राक्षसों को आप राजस्थान से बाहर भेज दें । वहां कलक्टर और एस.पी. आप रोज बदलते हैं, वहां लाश पड़ी हुई है आप कलक्टर, एस.पी. को हटा नहीं सकते ? हम हिंदू हैं, चाहे जैन हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं, कम से कम उसका अंतिम संस्कार तो करवाइये । आपकी व्यवस्था है, आप सरकार लेकर बैठे हैं । यह बड़ी शर्म की बात है हमारे लिये कि मुनि महाराज की लाश पड़ी है और उसका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है । कलक्टर और एस.पी. तो क्या, गृह मंत्रीजी, सरकार हट जाती है । जब बाबरी मस्जिद गिरी तो चार सरकारें एक झटके में चली गयीं, मुनि महाराज के लिये आप कलक्टर और एस.पी. को सस्पैंड नहीं कर सकते ? आप सस्पैंड करिये, यह सदन की भावना है, हमारी मांग है । अगर आपने नहीं किया तो आप अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासीन हैं । मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि जैसे चन्दनमल जी ने, कटारिया जी ने

(श्री परसादीलाल मीणा)

भावनाएं व्यक्त की है, मुख्य मंत्रीजी को इसमें देर नहीं करनी चाहिये और आज ही कलक्टर और एस.पी. के लिए जो भी मुनि महाराज की मांग है, जो भी हमारे जैन धर्मावलम्बियों की मांग है, उसको मानकर अंतिम संस्कार करवाया जाना चाहिये। इसके बहुत बुरे नतीजे होंगे, इसका बहुत बड़ा परिणाम होगा। किसकी सरकार किसका क्या? अगर हिन्दुस्तान के सारे जैनी भीनमाल में आ गये तो आप स्थिति को कंट्रोल करेंगे? क्यों नहीं अंतिम संस्कार के लिये उनकी मांगों को मान लेते हैं? मेरा आपसे निवेदन है कि उनके हाथ में एस.पी. और कलक्टर हटाना नहीं है, मुख्य मंत्रीजी को आकर तुरन्त अपना स्टेटमेंट देना चाहिये। अन्तिम संस्कार के लिये जो भी उनकी मांग है वह मांग माननी चाहिये, इसी में हम सबका भला है। जैन धर्मावलम्बियों की जो मांग है, उसको मानना चाहिये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जैन संतों और अन्य विभिन्न धर्म के संतों का मन से आदर करता हूं। मैंने यह महसूस किया है कि मैं नासमझ था और इनकी संगत में जब भी मुझे मौका मिला है चाहे जैन मुनि का प्रवचन हुआ बीकानेर में, देशनोक में, पाली में, घंटे दो घंटे बैठकर सीखने, समझने और अपने को इन्सान बनाने का प्रयास किया है। संत और महात्मा, मैं मानता हूं कि उनका बहुत बड़ा बलिदान होता है। हम सारे गृहस्थी के सुख देखना चाहते हैं, बेटे-पोतों का सुख देखना चाहते हैं और वे अपना सर्वस्व त्याग कर मानव जाति का भला करने के लिए अपना पूरा जीवन होमते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक यह भी भावना है कि जो अल्प संख्या में होते हैं उनका सोच अलग होता है। वे अपने आप में यह महसूस करते हैं कि हम कम संख्या में हैं इसलिए हमारी बात और मांग की ओर कम ध्यान दिया जाता है इसलिए कभी-कभी उग्र रूप भी धारण कर लेते हैं।

(15.00)

श्री चन्दनमल बैद : उग्र रूप धारण नहीं करेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : जैसा अपन देख रहे हैं, अखबारों के माध्यम से सुन रहे हैं चाहे वह प्रेशर हो, चाहे थाने के बाहर का प्रेशर हो, चाहे यहां सदन के अन्दर प्रेशर बन जाए, अलग-अलग है।

उपाध्यक्ष महोदय, परसों नौ तारीख को यही विषय आया। एक महिला के साथ कुछ लोगों ने बलात्कार किया। सारा सदन उद्वेलित हो गया, महिला के प्रति-सहानुभूति प्रकट की और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। उस दिन भी मुझे लगा कि कुछ हमारे साथी एक वर्ग विशेष का पक्ष लेने के लिए उस घटना को मोड़ देना चाह रहे थे। मैं उस समय के लिए तो तारीफ करूंगा कि उस घटना में एक पारीक नाम का वकील भी शामिल था जिसके खिलाफ यहां के जिला अभिभावक संघ ने तुरन्त कार्यवाही की लेकिन उस वर्ग का समुदाय का उसकी पैरवी में यहां कोई खड़ा नहीं हुआ बल्कि सबने एक स्वर से उसकी प्रताड़ना की। उस बात के लिए

(श्री देवीसिंह भाटी)

धन्यवाद दिया उन वकील संघों का कि गलत आदमी के लिए कार्यवाही की। धन्यवाद के पात्र, मैं मन से उस वर्ग को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस सदन में बैठे हैं। उन्होंने इस बात को अपने ऊपर नहीं लिया जैसे सबने भावना प्रकट की कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। उपाध्यक्ष महोदय, यह अलग-अलग हमारे समाज में जो होने लगा है कि जाति का, अपने वर्ग का और समुदाय का जहां सवाल खड़ा होता है, सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। समाज में पूरे हिन्दुस्तान में एक रोग उत्पन्न हो रहा है। मैं यह भी यहां कहने में शंका महसूस नहीं करूंगा कि सती प्रकरण हुआ, सारे राजपूत खड़े हो गये। अगर इस प्रकार अलग-अलग जातियों का संरक्षण देने का, सिर्फ अपने तक ही सोचने का सिलसिला चला तो यह बहुत गलत होगा। गलतियां होती हैं। कोई भी हमारे सम्प्रदाय का मुखिया, संत, अब्दुल बुखारी अगर किसी बात को, किसी कानून को तोड़ते हैं तो वे ऐसे सुरक्षित महसूस किये जाते हैं कि वहां कोई घुस नहीं सकता, कानून की कार्यवाही नहीं कर सकता। अगर संत भिण्डरवाला भी कानून तोड़े तो सरकार की इच्छा शक्ति मर जाती है, हिम्मत नहीं होती और तब ये ब्ल्यू स्टार के कांड होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में आप सबने पढ़ा होगा कि दक्षिण में कोई एक संत प्रेम कुमारजी थे जो बरसों से एक व्यभिचार का माहौल चला रहे थे। कानून ने अपना काम किया और उसको गिरफ्तार किया, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। सच्चाई को सच्चाई मानना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि यह घटना जो घटित हुई है, जिन्होंने गलत कार्य किया है, जानबूझकर किसी को फंसाने का किया है या किसी को बचाने के लिए किया है या किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है, इन सारे बिन्दुओं पर निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार कार्य करेगी लेकिन अगर दबाव में शासन और प्रशासन कार्य करने लगेगा तो हम अपने साथ न्याय नहीं कर पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण देना चाहूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा। राष्ट्रपति शासन में बहुत बुरा हुआ। हमारे बीकानेर के अन्दर एक किसी हिस्ट्रीशीटर को पकड़ना था ...

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह जनरल डिस्कशन हो रहा है ?

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, जनरल डिस्कशन नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मंत्रीजी खड़े हुए और आपने कहा पाइंटेड पूछिये, दोहरे मापदंड मत रखिये :

श्री देवीसिंह भाटी : दोहरे मापदंड मैं इसीलिए रख रहा हूं कि .

श्री जगदीप धनखड़ : सब्जेक्ट पर कन्फाइन कीजिये। जब सभी वक्ता सब्जेक्ट पर कन्फाइन कर रहे हैं आप राष्ट्रपति शासन पर आ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के मंत्री कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी से तो भागते जा रहे हैं....

श्री देवीसिंह भाटी : मैं नहीं भाग रहा।

श्री जगदीप धनखड़ : अलग-अलग दिशा में बात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री पता नहीं क्या-क्या कह गये, मैं तो जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस्तीफा दिया कि नही दिया? मंत्रीजी को कह दीजिये आप।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं प्रशासन और शासन की इच्छाशक्ति की बात कर रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : इच्छाशक्ति की सलाह आप केबिनेट में बैठकर दीजिये, यहां पर तो इसी मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त कीजिये। परसों आपने मुझे टोका था, आपने मुझे कहा था कि इसी मुद्दे पर बात कीजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा।

श्री जगदीप धनखड़ : सब जानते हैं कि कौन किसका पक्ष लेता है। कहना बड़ा आसान है। आप क्यों कहते हो, पक्ष क्यों नहीं लेंगे? अगर किसी को कोई बात सही नजर आएगी तो पक्ष लेगा। पर यहां तो आप वही आचरण कीजिये जो परसों आप औरों से चाहते थे, विषय से हटकर बात नहीं करें। आप राष्ट्रपति शासन तक पहुंच गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, it is a point of order. You are discussing a particular subject, an issue, in a pointed manner. Please, persuade the Hon'ble Minister to confine to the issue.

श्री देवीसिंह भाटी : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जो भी विषय आता है, उसकी गहराई से जांच हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, कृपया सब्जेक्ट मैटर पर ही बोलें।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं विषय की गहराई में जाना चाहता हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : या राष्ट्रपति शासन को डिसकस कर रहे हैं, I have no difficulty.

श्री देवीसिंह भाटी : जो समय चल रहा था उसके बारे में कह रहा हूं। घटना के बारे में बात कर रहा हूं, उस समय किसी मुल्जिम को पकड़ने के लिए गये, ऊपर से दबाव आया कि साहब, प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हिस्ट्रीशीटर को पकड़ने जा रहे हैं। पुलिस पूरे लवाजमे के साथ गयी, उसको पकड़ने का प्रयास किया, उसके चोट लग गयी। उसके बाद दबाव पड़ा कि साहब पुलिस के अधिकारी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करें। दबाव में आ गये। वह पुलिस का अधिकारी जो अपना कर्तव्य निर्वहन करने जा रहा था, उसके खिलाफ 302 का मामला दर्ज हो गया। एक डाक्टर ने किसी ने पेस्टीसाइड ले लिया पेसेन्ट आया, उसका इलाज किया, उसने रैफर कर दिया बीकानेर के लिए। वापस दबाव पड़ा। अब चिकित्सक ने अपना काम किया। उसने जितना इलाज होना था कर दिया। उसके बाद पी. बी. एम. हास्पिटल में रैफर कर दिया।

श्री जगदीप धनखड़ : वह बहुत गम्भीर प्रकृति का मामला था। या तो

(श्री जगदीप धनखड़)

उस विषय पर इस सदन में अलग से चर्चा कीजिये। वरना इस अनुसंधान को, इस कार्यवाही को आप प्रभावित करना चाहते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं-नहीं, मैं प्रभावित नहीं करना चाहता हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : That was a case of murder.

श्री देवीसिंह भाटी : मैं यही कह रहा हूं। जैसे दबाव पड़ा और 302 का उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, मेरा यही निवेदन है कि जो शासन और प्रशासन को सही लगे, वह कार्यवाही करनी चाहिये। दबाव में अगर हम कार्यवाही करेंगे तो निश्चित तौर पर हम इस समाज के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। आपको जो बात सही लगे कार्यवाही कीजिये, किस बात का डर है? अगर आपको लगता है कि गलत है तो उसी के अनुसार कार्यवाही कीजिये और अगर आपको लगे कि सही है तो उस अनुसार कार्यवाही कीजिये। अगर दबाव के अन्दर समाज चलने लग गया तो किसी प्रकार न्याय नहीं होने पाएगा। इस घटना की मुझे नजदीक से कतई जानकारी नहीं है। मैं इतना महसूस कर रहा हूं कि कल परसों एक अलग दबाव था, आज एक अलग दबाव आ रहा है। मैंने जैसा सती प्रकरण का मामला कहा, भिण्डरवाला का उदाहरण दिया, इस प्रकार यह सदन जो सर्वोच्च सदन है और जनता का लाखों का प्रतिनिधित्व हम लोग कर रहे हैं, हमें उस बात पर सोचना चाहिए। यह इन्वेस्टीगेशन का मामला है। हम कह सकते हैं कि दबाव में मत आइये और इस केस को ढीला मत छोड़िये। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। किसी बात की हमारे अन्दर कमजोरी है। यदि हम इस प्रकार की कमजोरियां लाएंगे तो निश्चित तौर पर हम सब महसूस करते हैं कि समाज के अन्दर कमजोरियां डवलप हो रही है। मेरा इसलिये अनुरोध है कि कोई विषय आएं तो शासन में इच्छाशक्ति होनी चाहिये। अगर इच्छाशक्ति का अभाव रहा तो कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में हो नहीं पाएगी।

श्री चन्दनमल बैद : इच्छाशक्ति का बहुत बड़ा अभाव है इस सरकार में। अगर इच्छाशक्ति होती तो... (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : इच्छाशक्ति होती तो इस साधु को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती।

श्री जगदीप धनखड़ : ... (व्यवधान) गम्भीर टीका–टिप्पणी की है। यह है दबाव असली।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं यही निवेदन कर रहा हूं....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने का मौका दीजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : कि हमारा सबका यह दबाव रहना चाहिए कि हम किसी के दबाव में नहीं आएं।

श्री चन्दनमल बैद : सही बात तो कहेंगे, कहेंगे, कहेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : बिलकुल कहना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जो

(श्री देवीसिंह भाटी)

आप लोगों की भावना है उसी के अनुरूप मैं कह रहा हूं। यह सही घटना हुई या किसी के साथ जानबूझकर भी गलती की है या करवायी गयी है चाहे किसी को मजबूर किया गया है....

श्री राजेन्द्र पारीक : सही बात है या गलत बात है इसका फैसला कौन करेगा ? हम आज सुबह से इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सही बात का फैसला होना चाहिये और उसके लिए सी.बी.आई. से जांच करवायी जानी चाहिये।

श्री परसादीलाल मीणा : अन्तिम संस्कार की व्यवस्था तो करवाइये आप। (व्यवधान) आप सरकार में बैठे हैं अन्तिम संस्कार कैसे हो मुनि महाराज का, यह व्यवस्था तो करवाइये। यह व्यवस्था करना सरकार का काम है... (व्यवधान)...वहां लाश पड़ी है .. (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मैं आपकी ही बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, श्रीमान् भाटी साहब।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका दीजिए।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी मंशा क्या है, यह कार्यवाही सही है या गलत है ? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : हम सहमति व्यक्त करते हैं कि सरकार में इच्छाशक्ति नहीं है। आपकी भावनाएं बिलकुल दुरुस्त है।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्री महोदय, आप सरकार में बैठे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मुनि महाराज के अन्तिम संस्कार कराने की व्यवस्था करें।

श्री परसादीलाल मीणा : आप सरकार में बैठे हैं, मुनि महाराज का अन्तिम संस्कार कैसे हो ? सही और गलत कार्यवाही तो बाद में (व्यवधान)...पहले यह व्यवस्था करवाइये कि इनका अन्तिम संस्कार कैसे हो। आपकी जिम्मेदारी है। यह आप इसके पीछे देखें।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री परसादीलाल मीणा : अगर आप मुनि महाराज का अन्तिम संस्कार नहीं करवाएंगे तो जनता आपका अन्तिम संस्कार कर देगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमान् परसादीलाल जी, कृपया बिराजें। सुबह से इस सदन में चर्चा चल रही है। माननीय भाटी साहब, सदन मुझे एकमत लगता है इसलिए आप बिराजें।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं क्योंकि सन्तों के विचारों को सुनकर अपने आप में कुछ सुधार करने

(श्री देवीसिंह भाटी)

का प्रयत्न किया जा सकता है। इसमें मैंने प्रयास किया है और मुझे लाभ मिला है इस बात का। 14 तारीख को ही हमारे आचार्य महाप्रज्ञ का वहां बीकानेर में.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं उसमें शामिल होऊंगा और मैंने हमेशा प्रयास किया है। मेरा तो आखिर में इतना ही अनुरोध है कि जो सही है उसके अनुसार सही कार्यवाही हो और गलत को गलत कहें। किसी दबाव में आकर कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, यही मेरा अनुरोध है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मुनियों के वचनों से लाभ तो लिया लेकिन बोल खराब रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : सही पर तो पर्दा डाला जा रहा है। जिस मुकदमे की एफ.आई.आर. दर्ज हुई उसकी जांच नहीं की गयी और बिना जांच के इस तरीके का....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री मोहनलाल मोदी : एक सैकण्ड, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे बोलने की मन में आ रही है, मैं बोलना नहीं चाह रहा था।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि कोई महिला यहां आकर कह दे कि देवीसिंह जी भाटी ने मेरे साथ बलात्कार किया और एस.पी. तुरन्त आपको गिरफ्तार कर ले, यह कहां का न्याय है ?

श्री देवीसिंह भाटी : यह हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की यह रूलिंग आयी है कि महिला यदि यह कह दे कि मुझे बुरी नजर से देखा है तो कार्यवाही हो जाएगी।

श्री अनंग कुमार जैन : भाटी साहब, गलत बयानी मत करिये। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : यह गलत है, यह रूलिंग नहीं है।

श्री अनंग कुमार जैन :....(व्यवधान).... भाटी साहब, आप यहां इस तरह का असत्य भाषण मत करो। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हमने भी पढ़ी है।

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान).... कृपया बिराजें।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री से मंत्री लड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : उपाध्यक्ष महोदय, आप आसन पर हैं लेकिन यह ऐसी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कोट की है वह सदन के पटल पर रखी जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो आंखें मूंद कर पुलिस को यह अधिकार दे कि सिर्फ एक महिला के बयान पर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : बोल रहे हैं वे। मैंने उनको टाइम दिया है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एफ.आई.आर. की कापी मिल गयी है, मैं पुनः कुछ सवाल रखना चाहती हूं।

(श्रीमती बीना काक)

(व्यवधान)....उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एफ. आई.आर. की कापी मिल गयी है मैं उसके बेसिस पर कुछ सवाल करना चाहूंगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनके खिलाफ ह्यूमन राइट्स का मामला चलाया जाना चाहिये। एक सन्त को पिटवा दिया बिना किसी तथ्य के आधार पर।

श्री जगमराज मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, सवा तीन बज गये हैं मुनि महाराज का दाह संस्कार होना है, आप इसकी घोषणा करवाएं और एस.पी. को और कलक्टर को सस्पैण्ड किया जाए। सवा तीन बज गये हैं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एफ.आई.आर. की कापी के ऊपर सवाल करना चाहती हूं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : (व्यवधान) यहां पर घोषणा करिये। वह क्या पड़े रहेंगे दो-तीन दिन तक ?

श्रीमती बीना काक : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एफ.आई.आर. की कापी की मांग की थी वह मुझे मिल गयी है, कृपया मुझे मौका दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। मैंने जगराज जी को समय दिया है। आप बोलने दीजिये। माननीय पारीक साहब, बिराजें आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : मुनि महाराज का अन्तिम संस्कार नहीं होगा तब तक ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पारीक साहब, बिराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनका जब तक अन्तिम संस्कार नहीं हो जाए तब तक यह सदन नहीं चलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : चल रहा है, चल रहा है, बैठिये आप।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुनि महाराज का अन्तिम संस्कार करने की व्यवस्था कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं बोलना चाहते हैं क्या ? बोलिये आप।

श्री मोहनलाल मोदी : गृह मंत्री जी से घोषणा तो करवाएं इस बात की, उपाध्यक्ष महोदय। सवेरे से यह मामला चल रहा है, इनसे घोषणा तो करवाएं इस बात की .. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमारी सरकार के मंत्रियों का ही अलग-अलग व्यवहार है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : गवर्नमेंट को घोषणा करनी चाहिये तुरन्त। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी को कृपया बुलवाइये, बड़ा गम्भीर मामला है, गृह मंत्री जी के बस की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़ी तसल्ली रखिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सूर्यास्त होने वाला है। सवा तीन बज गये, दो घण्टे बाद

(श्री राजेन्द्र पारीक)

सूर्यास्त हो जाएगा और सूर्यास्त के बाद अन्तिम संस्कार नहीं होगा। मेरा नम्र निवेदन है कि जब तक अन्तिम संस्कार नहीं हो तब तक सारा सदन यहीं बैठा रहे। (व्यवधान)

श्री मगराज चौधरी (आहोर) : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से पिछले तीन दिन के अन्दर महिलाओं के देह शोषण की घटनाओं के सम्बन्ध में हमें दो बार चर्चा करनी पड़ रही है। जहां तक भीनमाल में जो घटना हुई है उससे सम्बन्धित मामला है उसके बारे में कानूनी दृष्टिकोण से तो पहले सदन में चर्चा हम तब करते, अच्छा होता कि गृह मंत्री जी एफ. आई. आर. में क्या तथ्य आये हैं वह पढ़कर हमें सुनाते। इसके साथ-साथ महिला का अगर मेडिकल समय पर किया गया है तो उसकी मेडिकल की क्या रिपोर्ट है यह भी तथ्य अगर हमारे सामने आ जाते तो बहुत अच्छा होता। तीसरा, एफ. आई. आर दर्ज कराने के बाद एस.पी. कितने समय बाद भीनमाल पहुंचे हैं और 161 सी. आर. पी. सी. के तहत में ड्यूरिंग दी कोर्स आफ. इन्वेस्टीगेशन उस पीड़ित महिला के बयान कब लिये गये हैं, किसके द्वारा लिये गये हैं और उस बयान में उसने क्या वर्णन किया है? यह एक पहलू तो होता है महिला का। यह दूसरा पक्ष यह था, जैसा कि झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक बार जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाये गये बलात्कार करने के तो उसके बारे में यह जरूरी था कि उससे पूछताछ करनी चाहिए थी। पूछताछ करने के साथ उसका मेडिकल भी यदि करावाया जाता तो भी मैं समझता हूं इस मामले में पुलिस को सच्चाई मालूम करने का मौका मिलता।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य। मंत्री महोदय, बात नहीं करें। श्रीमान् अनंग कुमार जी जैन, मैंने यह निवेदन किया है कि आप बातचीत न करें बैठकर। आप बिराजें।

श्री मगराज चौधरी : सम्बन्धित व्यक्ति एक जैन मुनि थे। जैन मुनि हो, चाहे वैष्णव,, चाहे मुस्लिम समाज के फकीर हो, चाहे कोई एक बड़ा नगरिक हो, जहां तक कानून का सवाल है जब-जब भी इस प्रकार की घटनाओं के बारे में पुलिस को सूचना मिलती है विशेषकर किसी महिला के साथ बलात्कार करने के बारे में, मैं समझता हूं पुलिस को तत्परता से कार्यवाही करनी चाहिए। कार्यवाही नहीं करने के कारण आज से तीन दिन पहले जे. सी. बोस होस्टल में घटना हुई थी, पुलिस के द्वारा नाकेबंदी नहीं की गयी, तुरन्त मुलिजमान को जयपुर से बाहर जाने दिया गया। उस बात को लेकर सारा सदन बहुत उद्वेलित हो गया था इसलिए हमें भावना में बहकर कानूनी दृष्टिकोण से डबल स्टैण्डर्ड नहीं अपनाना चाहिए।। कानून में तो हमको एक ही स्टैण्डर्ड बनाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि गृह मंत्री जी सदन में जो सही तथ्य इस घटना से सम्बन्धित हैं वे हमको बताना नहीं चाहते। अगर शुरू में ही बता दिये होते तो मेरे ख्याल से बहुत से माननीय सदस्य जो कि काफी विचलित हो रहे हैं इस बात को लेकर सच्चाई मालूम करने के लिए, उन्हें सच्चाई मिल जाती। क्योंकि इस सदन के अन्दर छोटे मोटे पन्द्रह-

(श्री मगराज चौधरी)

बीस माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनका कि कोर्ट से वकील के रूप में काफी लम्बे समय तक प्रेक्टिस करने का सम्बन्ध रहा है। किसी प्रकार का जुर्म जब होता है तो जुर्म की सच्चाई मालूम करने के लिए उसके कानूनी पहलू होते हैं। उन कानूनी पहलुओं के बारे में हमें जांच पड़ताल करनी पड़ती है, उनको एग्जामिन करना पड़ता है, देखना पड़ता है तभी कहीं जाकर हम अपनी तरफ से कुछ बात कह सकते हैं। वरना तो मैं समझता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री मगराज चौधरी : सच्चाई जाने बिना और केवल भावना के आधार पर हम कुछ कह दें कि ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, वह मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। जैसे कि पहले बात कही गयी है, इस सदन को भावना में बहे बिना वस्तुस्थिति मालूम करने के लिए सरकार को कहना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री मगराज चौधरी : और सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि सरकार स्थिति मालूम करे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मुझे बोलने ही नहीं देंगे क्या ?

श्री मगराज चौधरी : स्थिति जो भी जैसी भी इसके बारे में कार्य करें। जहां तक जैन मुनि की आत्महत्या हो गयी, आत्महत्या करली....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री मगराज चौधरी : उनका दाह संस्कार का प्रश्न है, दाह संस्कार करवाना चाहिए परन्तु दाह संस्कार करवाने के बारे में जो भी आवश्यक स्थिति हो जो भी आवश्यक कदम हों, वे उठाने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप देर क्यों कर रहे हैं ? आप विराजें, समाप्त करें। श्री विष्णु मोदी।

श्री मगराज चौधरी : मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब अंकित नहीं होगा आपका, आप बिराज जाएं।

श्री मगराज चौधरी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। अंकित नहीं हो रहा है। बोलने से कोई फायदा नहीं।

श्री मगराज चौधरी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैं किसी और का नाम पुकारूं ? आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं ? विष्णु मोदी जी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : मैं आपके माध्यम से चाहे आज की चर्चा का जवाब माननीय गृह मंत्री जी दें या मुख्य मंत्री दें, एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री विष्णु मोदी)

इस तरह की कोई अत्यन्त गम्भीर चर्चा सदन में हुई है तो अन्त में जवाब चाहे मुख्य मंत्री ने दिया हो चाहे गृह मंत्रीजी ने दिया हो, एक ही आया है कि निष्पक्ष जांच होगी, जांच में किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे मैं या मेरे परिवार का या किसी बड़े से बड़े आदमी का व्यक्ति शरीक हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन बातों को सुनते-सुनते सदन के कान पक गये हैं और इस राजस्थान की जनता के कान पक गये हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : ये तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाही इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इससे अधिकारियों का मनोबल गिर जाता है। हमें अधिकारियों का मनोबल भी उतना ही ऊपर रखना है, भले ही बड़े से बड़ा गुनाह हो जाए अधिकारियों का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम जब आज चर्चा का जवाब दिया जाए तो उसमें इन तीन बातों का कि निष्पक्ष जांच होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ढिलाई नहीं होगी, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी इसमें शरीक हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, रटी-रटायी तीन बातें हैं, आज गृह मंत्रीजी या मुख्य मंत्रीजी जो भी जवाब दें उससे हमारे कानों को बचाएं जो पक चुके हैं उनको दुबारा पकने की नौबत न आए।

(15.22)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : कृपया शांत रहिये। ध्यान से सुनें जो बात कही जा रही है।

एक माननीय सदस्य : प्रतिपक्ष के नेता खड़े हुए हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : तीन व्यक्ति यहां से बोल रहे हैं, इस तरफ का नाम नहीं है क्या?

श्री सभापति : कृपया बिराजें। प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जब भी आप इस कुर्सी पर बैठते हैं मुझे आपको देखकर बहुत खुशी होती है।

श्री सभापति : मुझे भी बहुत खुशी होती है आपको देखकर यह तो पारस्परिक खुशी है।

श्री रामस्वरूप मीणा : आज जैन मुनि की लाश पड़ी हुई है और आपको खुशी हो रही है।

श्री सभापति : कृपया बिराजें। प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं। आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति जी, भीनमाल में मुनि लोकेन्द्र विजयजी की जो आत्महत्या है उसके सम्बन्ध में पिछले तीन घण्टों से चर्चा हो रही है। गृह मंत्रीजी का वक्तव्य भी आया है, जे. सी. बोस वाले में उन्होंने एफ. आई. आर. भी पढ़ी लेकिन यहां पर एफ. आई. आर. नहीं पढ़ी है। लेकिन जो

30

(श्री परसराम मदेरणा)

तथ्य सामने आये हैं वे यह हैं कि संवतसरी का दिन था जो जैन धर्म के लोगों के लिए सबसे पवित्र और पावन दिन होता है। पर्युषण पर्व पर 4 सितम्बर को जिस महिला का पुत्र दीक्षा ले चुका था 1995 में, वह उसको वहां से ले गयी और ले जाने के बाद यह बलात्कार की एफ. आई. आर. दर्ज हुई। वह भी 4 तारीख को नहीं हुई। पुलिस स्टेशन में पहले की होगी या नहीं की होगी यह तथ्य सामने नहीं आया लेकिन वह एस. पी. से जरूर मिली है। एस. पी. उसको साथ लेकर 6 तारीख को भीनमाल पहुंचे हैं और डीवाई.एस.पी. को उन्होंने निर्देश दिये हैं कि मुनि लोकेन्द्र विजयजी को पुलिस स्टेशन ला दें। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कि तथ्य सामने आये हैं, कि पुलिस ने जो भी कार्यवाही की है वह काफी हेस्ट और रैश में की है। तथ्य जो आपके सामने आये हैं मैं उन तथ्यों को नहीं रखना चाहता कि कौन लोग बैठे थे और किस वक्त का समय था और संवतसरी के दिन उपासरे में कितने लोग रहते हैं, रात भर रहते हैं लेकिन ओस्टेंसिब्ली और प्राइमाफेसी ऐसा होता है कि इसमें पुलिस ने हेस्ट और रैश में काम किया है। अगर नहीं किया होता तो, गृह मंत्री जी, आप इस सदन को बताने की कृपा करें कि आपने डीवाई. एस. पी. का वहां से ट्रान्सफर क्यों किया है जो कि जाकर पकड़कर लाया था। अगर वे कलप्रिट थे, उनको पकड़कर लाये हैं, उस आदमी को प्राइमाफेसी आपने माना है कि गलती की है और जब उन्होंने इस बात की गलती की है तो किसके निर्देश पर की है? महिला नैना को अपनी गाड़ी में 6 तारीख को जालौर से भीनमाल ले जाने के बाद एस. पी. ने अपने सबार्डिनेट ऑफिसर्स को, पुलिस का अमला था उसको निर्देश दिया। इन निर्देशों की अनुपालना में डीवाई. एस. पी. वहां गया है और राज्य सरकार ने डीवाई. एस. पी. का वहां से स्थानान्तरण कर दिया है। करने के बाद परसों रात को जैन मुनि ने ऐसी चीज, तरल पदार्थ पिया है या कोई चीज खाई है जो उनकी तबियत खराब हो गयी। अहमदाबाद लेकर जा रहे थे पालनपुर के पास में उनका देहांत हो गया। अब उनका पार्थिव शरीर वहां पड़ा हुआ है और उन लोगों का कहना है कि उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है। अगर यह बलात्कार का ही केस होता, जैसे अभी साधु प्रेमकुमारजी साउथ वाले की बात कर रहे थे, वहां तो सब साबित ही हो गया ना, कई तो लाशें निकली हैं और कई शराब की बोतलें उसकी गुफा में थीं जहां वह तपस्या कर रहा था, वहां पर लोगों को उसके प्रति नफरत हो गयी। लेकिन यह प्रश्न ऐसा है, सरकार पहले इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि एस. पी. ने जो कुछ भी निर्देश दिये हैं वे हेस्ट में दिये हैं, रैशली एक्ट किया है और नैग्लीजेंट रहे हैं। मैं मनोबल किसी का तोड़ना नहीं चाहता, मनोबल यूं टूटने वाला भी नहीं है। इस प्रकार के लोगों ने जो ज्यादतियां की हैं आज फोर्स के अन्दर भी उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो रहा है कश्मीर के अन्दर। पुलिस के डी. आई. जी. तक के ऑफिसर्स सस्पैण्ड हुए हैं आज हरियाणा के अन्दर।

मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि

(श्री परसराम मदेरणा)

यहां इच्छाशक्ति की बात आयी और दबाव की बात आयी। प्रेशर में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूं। आप जो कुछ भी इनवेस्टीगेशन करा रहे हैं इस मामले का, केवल एक पक्ष रह गया, दूसरा पक्ष तो है ही नहीं, उन्होंने तो आत्महत्या कर ली। अब सिर्फ केवल यही एक पक्ष रहा है कि पुलिस आफिसर ने जो एफ. आई. आर. दी। एफ. आई. आर. देने के बाद उसको एविडेंस कलक्ट करनी चाहिये थी और उसके आधार पर एक्ट करना चाहिए था, चाहे वह मेडिकल एग्जामिनेशन है, चाहे दूसरी बातें है और वहां के जो लोग हैं उनसे पूछना चाहिये था, यह सब लेकिन आप उनको ले गये पकड़कर और वहां ले जाने के बाद लोगों ने यह बात कही कि हम सब लोग मौजूद थे और यह एक असत्य मामला है। मैंने भी कल–परसों यहां सदन में कहा था कि किसी महिला का एफ. आई. आर. देना ही जुर्म नहीं है। मेरे सामने भी एक ऐसा केस आया है जो बाड़मेर का है जिसमें 65–65 साल के बूढ़ों पर बलात्कार का असत्य मामला बनाया गया कुछ आपस में पार्टी बाजी की वजह से जब एस. पी. खुद के एक्ट करने के बाद सब उसके सामने तथ्य आए तो उसने स्वयं ने लोकेन्द्र मुनि को वापस भेज दिया वहां से। यह बहुत सीरियस मैटर हैं। और आज आपके सामने मांग क्या है? मांग यह है कि जैन समाज की लेकिन उस समाज की मैं बात नहीं करना चाहता। अभी सिंचाई मंत्री जी जो बात कर रहे थे वह बहुत काफी ऊंचे स्तर की बात थी। जैसे एक आदमी अपने स्वाध्याय और आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर जाने के लिए रास्ता चुन लेता है अभी भाटी जी ने भी वह मार्ग अख्तियार कर लिया, प्रशस्त करते हुए आगे जा रहे हैं।

ट्रेजरी बैंचेज के लोगों की व्यथा को भी मैं समझ सकता हूं। वे बोल रहे थे, कटारिया जी ने जो कुछ बातें कहीं, उन्होंने भारी मन से कुछ बात कही। यह सदन इस बात का तो फैसला नहीं करेगा, मैं यह कह रहा हूं। मैंने परसों भी यह बात कही थी कि क्राइम के सम्बन्ध में सदन इनवेस्टीगेशन करने का स्थान नहीं है। और क्राइम में हमेशा इनवेस्टीगेशन होगा इसलिए आप इस मामले की जांच किसी बहुत ही सीनियर अधिकारी से, जैसे सी. बी. आई. की बात आई थी, मैंने सी. बी. आई. की इसलिए बात की थी ताकि किसी को भी शंकाएं नहीं रहें। शिवानी केस को लेकर इन्होंने उसको दूसरा टर्न दिया कि हम ज्यादा निष्पक्ष हैं, एक तो आप इसमें निष्पक्ष जांच करवाइये। निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है कि जो जिम्मेदार अधिकारी इसके अन्दर हैं क्रिमिनल नेग्लीजेंस के और रैशनेस के, बिना विवेक में, हेस्ट में काम किया है, उनका एक का आपने स्थानान्तरण कर दिया है। आज उनका दाह संस्कार इसलिए नहीं किया जा रहा है कि निराधार होते हुए भी इस मामले को तूल दिया है वह पुलिस सुपरिटेंडेंट जालोर ने दिया है, उन्होंने रैशली एक्ट किया है। अभी एक माननीय सदस्य यहां कह रहे थे कि आज ही उनका दाह संस्कार हो। आज जो यह मांग है, निराधार नहीं है, उसका एक बेसिस है

(श्री परसराम मदेरणा)

और जिसको सरकार स्वयं स्वीकार कर चुकी है डीवाई.एस.पी. का ट्रांसफर करके। सीनियर आफिसर्स के खिलाफ एक्शन लेने में किसी का मनोबल गिरता है वह आप बचा नहीं सकते लेकिन उनको आप इतनी छूट भी नहीं दे सकते। इतनी फ्रीडम भी नहीं है कि मनचाहे जैसे कानून वे खुद हाथ में ले लें। हमारी मांग यह है कि आप एस. पी. और डीवाई. एस. पी. दोनों को सस्पेंड करें और उसके बाद में रेवेन्यू बोर्ड के किसी सदस्य और सीनियर आफिसर से जो पुलिस का नहीं है, जांच करवाइये। मैं समझता हूं आप इस मांग को स्वीकार करेंगे। अब आपकी क्या इच्छाशक्ति है?

सभापति महोदय, मैंने सदन की भावनाओं को देख कर यह जो मांग आपके सम्मुख रखी है मुझे विश्वास है कि इसे स्वीकारते हुए आप इस मामले का समाधान करेंगे।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती वस्ता जी। कोई बोलना चाहें और तो... (व्यवधान) कुछ महिलाएं बोलना चाहती हैं तो महिलाओं को मौका मिलना चाहिये।

श्रीमती बीना काक : मैंने एफ. आई. आर. की कापी मांगी थी वह मुझे मिल गयी है इसलिए पहले मैं कुछ सवाल मेरे रखना चाहूंगी...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय, सभी बातें आ चुकी हैं सदन के अन्दर। मैं समझता हूं सब बातें आ चुकी हैं, प्रतिपक्ष के नेता बोल चुके हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदय, टेलीग्राम आया है। यह तो कहना ही पड़ेगा।

श्रीमती बीना काक : सभापति महोदय, मैंने सरकार से एफ. आई. आर. की कापी मांगी थी... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट महिलाओं की बात सुन लें।

श्रीमती बीना काक : उसके बाद ही मैं सवाल रखना चाहती थी। अब मेरे पास कापी आ गयी है, मेरे सवाल मंत्रीजी के जवाब से पहले सुने जाने चाहिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह कोई बात थोड़े ही हुई, सभापति महोदय---

श्रीमती मीना अग्रवाल : मेडिकल किस मजबूरी के कारण नहीं कराया गया?

श्रीमती बीना काक : सभापति महोदय, मैंने एफ.आई.आर. की कापी (व्यवधान)

श्री सभापति : दोनों महिलाओं में से कम से कम एक ही बोलें, एक तो बिराज जाएं...(व्यवधान) माननीय मीनाजी, आप बिराजिए... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मैं केवल दो मिनट चाहूंगा ...

श्रीमती बीना काक : मैंने मेरे सवाल पहले नहीं रखे थे क्योंकि एफ. आई. आर. की कापी मैं लेना चाहती थी।

श्री सभापति : माननीय सूर्यकान्ता जी।

श्रीमती बीना काक : वह मुझे मिल गयी है और मैं अपने सवाल रखना चाहती हूं।

श्री सभापति : बिराजिये .. (व्यवधान) आप बिराजिये, आप बिराजिये । माननीय सूर्यकान्ता जी ।

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय सभापति महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है ।

श्री सभापति : अभी मैं दूसरा नाम बोल चुका, आपको बुलवाऊंगा । बिराजिये । महिलाओं-महिलाओं को बुलवाऊंगा बस । (व्यवधान) बस केवल मात्र महिलाएं । सूर्यकान्ता जी....(व्यवधान) बिराजिये तो सही, अभी नाम पुकारूंगा आपका . (व्यवधान) माननीय बीनाजी । अभी मैं नाम पुकारूंगा, आप तो बिराजो । आपका नाम पुकारूंगा, अभी आप बिराजो ।

एक माननीय सदस्य : और बाकी को क्यों नहीं बुलाओगे आप ? हम महिलाओं के पक्ष में बोलना चाहते हैं ।

श्रीमती बीना काक : जल्दी पुकारिएगा।

श्री सभापति : जरूर, जरूर निवेदन करूंगा । बिराजो आप।

श्रीमती बीना काक : मंत्रीजी के रिप्लाई के पहले मैं बोलना चाहती हूं ।

श्री सभापति : जरूर, जरूर । बिराजिये । बिराजिये ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : सभापति महोदय, लोकेन्द्र मुनि ने जो आत्महत्या की उसकी मैं बात कहना चाहती हूं । यह बहुत शर्मनाक बात हुई है । सदन के सभी सदस्यों के लिए*लज्जा की बात है ।

सभापति महोदय, मैं दो-चार बात ही कहना चाहूंगी । ऐसी क्या परिस्थितियां आ गयीं कि महिला को जो एफ.आई.आर. भीनमाल में दर्ज करानी चाहिये थी, जबकि भीनमाल के अन्दर थाना है, पुलिस चौकी है, उसने जालौर में जाकर दर्ज कराई ? सभापति महोदय, भीनमाल में न करा करके जालौर में की, सबसे पहले गलती तो इस बात की है । दूसरी बात यह है कि जब संवतसरी होती है वह साल भर का पर्व होता है । यह बात सारे लोगों ने कह दी है मगर मैं सिर्फ जिस-जिस महाराज का मैसेज आया है वह आपको सुनाना चाहती हूं । यह संवतसरी का दिन बहुत बड़ा पर्व माना जाता है । ये साधु-संत ऐसे होते हैं कि अपने पैर भी महिलाओं को नहीं छूने देते हैं । ऐसे महाराज के ऊपर इस तरह से करना और एस.पी. साहब का उनको आश्रम से उठाकर लाना, क्या एस. पी. साहिब ने अन्दर जाने की परमिशन ली ? किसी मकान के अन्दर पुलिस अधिकारी ऐसे कैसे चला गया, यह सोचने की बात है ।

सभापति महोदय, यह शर्म की बात तो है जो है, मगर इस बात के लिये नड़ियाल से गुसांई जी महाराज का टेलीग्राम आया है और जोधपुर से शांतेश्वर जी महाराज का जो बाई जी महाराज के आश्रम में बैठे हैं । यह जैन मुनियों का सवाल नहीं है, एक धार्मिक महाराज की बात है और जो धर्म को मानने वाले हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी बात है । उनको मरने के लिये मजबूर किया, इसके लिये सोचने की बात है ।

* शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया ।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

हमारे सब महाराज का मैसेज है कि हम सारे जयपुर आएं। मैंने उनको कहा कि जयपुर आने के लिये तो आप जोधपुर में जो साधु-संत बैठे हैं उनसे चर्चा करना, हम आपकी बात विधान सभा तक, मुख्य मंत्री जी तक पहुंचा देंगे। आपको जो कुछ करना है वह जोधपुर में करना है। वे मुझे जोधपुर भी बुला रहे हैं कि आप जल्दी आइये।

श्री सभापति : बिराजें। आपने कहा है मैं समझ गया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री सभापति : आपने कह दिया, मैसेज पहुंच गया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदय, यह क्या बात हुई? ये लोग इतनी इतनी देर तक बोलते हैं जब आप कुछ नहीं कहते हैं और हम दो मिनट बोलें तो हमारी बात ही पूरी नहीं सुनेंगे। सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगी कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। पूरे सदन से यह निवेदन करूंगी कि महाराज की जो अर्थी पड़ी है उसको दाह संस्कार करने के लिये सब एक साथ जुटकर मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करें, उस एस. पी. साहब को यहां पर जाने में एक मिनट नहीं लगा तो अपने को इस बात पर सोचने की कहां जरूरत है? अपन सब जाकर मुख्य मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें और हमारे महाराज का दाह संस्कार किया जाए। यह बात.... (व्यवधान) एक ही विचार से, बात से बैठे हैं, एक ही विचार से कर रहे हैं, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : शशीदत्ता जी। (व्यवधान) मैं सबको निवेदन करूंगा। सबके नाम नोट कर रखे हैं, शांति रखें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात आ चुकी हैं, जो तथ्य आ चुके हैं उनको रिपीट मत कीजिये। जो बात आपको संक्षेप में कहनी है, कह दीजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदय, महाराज का जो मोड आया है वह आपको बता दूं। नाड़ियाल से गुसांई जी महाराज ने, जोधपुर से शांतेश्वर जी महाराज ने...

श्रीमती बीना काक : उपासरे से बता दीजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : राम ऋषि महाराज ने यह परम्परा रही है कि जब तक दाह संस्कार नहीं होता है तब तक हम में से भोजन ग्रहण नहीं करना है।

श्रीमती बीना काक : महाराज के उपदेश किसी उपासरे में सुना दीजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : एम. एल. एज. ने बैठकर यह तय किया है कि जब तक दाह संस्कार नहीं होगा हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे।

श्रीमती शशीदत्ता (टीबी) : माननीय सभापति महोदय, जब से सदन चालू हुआ

(श्रीमती शशीदत्ता)

है उसी दिन से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जिन पर यह सदन बहुत ज्यादा उद्वेलित है। परसों यहां माननीय मुख्य मंत्री जी वक्तव्य दे रहे थे, उनके वक्तव्य के 2-3 अंश मैं आपको बता रही हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया कि हमारी कानून व्यवस्था इस तरह से बंधी हुई है कि कहीं तो मानवाधिकार आयोग है, कहीं महिला आयोग है और इन आयोगों के चलते हुए पुलिस के सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है कि किस मुल्जिम को किस तरह से गिरफ्तार किया जाए। यह माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में बोल रहे थे। आज जो स्थिति यहां है वह बिलकुल विपरीत है। जो वाकया जैन मुनि जी के साथ हुआ उस वाकये में पुलिस सरासर दोषी है। माननीय सभापति महोदय, क्या उनके ऊपर उस समय मानवाधिकार आयोग का डर नहीं था? इतनी जल्दी कौनसी हो गयी थी कि तुरन्त उस पवित्र जगह पर जाकर उनको गिरफ्तार करने की नौबत आयी?

मैं गृह मंत्रीजी से दो ही बातें पूछूंगी। मेरा पहला प्रश्न कि इतनी रैश और नेग्लीजेंट हरकत एक उच्चाधिकारी के द्वारा किया जाना, क्या यह उच्चाधिकारी पूर्णतः स्वतंत्र था ऐसा कृत्य करने के लिये? सभापति महोदय, मेरा दूसरा स्पेसिफिक प्रश्न, पूरा पुलिस प्रशासन यहां विराजमान है। मेरे से पहले भी एक वक्ता ने यह बात कही थी कि सर्कम्स्टांसेज एविडेंस टोटली रिकार्ड पर आ चुका है कि किन हालात में पुलिस ने एक ऐसे साधु को आत्महत्या करने के लिये मजबूर कर दिया कि वे इस दुनिया से अपनी जान लेकर चले गये? क्या इसमें किसी और एविडेंस की जरूरत है? एक बात मैं माननीय धनखड़ साहब को कहना चाहूंगी, वे मेरे से सीनियर वकील हैं, अभी उन्होंने माननीय भाटी साहब को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई रूलिंग नहीं है लेकिन मैंने भी एक किसी में पढ़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी रूलिंग है लेकिन वह सिर्फ दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली में जो महिलाएं बसों में और इनमें ट्रेवल करती हैं उनके साथ बसों में अगर कोई छेड़छाड़ हो जाए या कोई नेग्लीजेंस बरती जाती है तो उन हालात में, उसी आफेंस के कारण तुरन्त गिरफ्तार किया जाए। तो माननीय धनखड़ साहब, भाटी साहब इस मामले में गलत नहीं थे।

माननीय सभापति महोदय, आज यह माहौल इस तरह का बना हुआ है, माननीय बीना जी इन्तजार में हैं, मैं यही निवेदन करूंगी कि निष्पक्ष जांच हो और दोषी व्यक्तियों के साथ कड़ाई से पेश आएं।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय बीना जी....(व्यवधान) आपका नाम लिख लिया है, बिराजें आप। ऐसी क्या जल्दी आ रही है?

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक मिनट, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय के बोलने के बाद यह परम्परा बहुत गलत पड़ रही है। प्रतिपक्ष के नेता के बोलने के (व्यवधान) उससे पहले सबको बुलवाएं।

श्री सभापति : यह तो जैसा आप चाहें (व्यवधान) यदि आप सब बोलना बन्द कर दें तो मैं मंत्री जी से निवेदन कर दूं.... (व्यवधान) मैं तो आप सब लोगों की इच्छा के अनुरूप काम कर रहा हूं.... (व्यवधान)

श्रीमती वीना अग्रवाल : मेरा नम्बर कब आएगा ?

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, दो मिनट का समय मैं भी लेना चाहूंगी।

श्रीमती वीना अग्रवाल : सभापति महोदय, आपने कहा था ना, कि महिला का नम्बर आएगा।

श्री सभापति : आपका इसके बाद।

श्रीमती वीना काक : सभापति महोदय, आज यह बहुत गम्भीर मामला है। मेरा पहले नाम पुकारा गया था लेकिन मैंने सिर्फ एक मांग की थी कि मुझे एफ. आई.आर. की कापी दिलवायी जाए। वह सरकार से मांगने पर मुझे मिल गयी है। मैं सवाल ही रखूंगी ज्यादा कुछ पढ़ने वाली नहीं हूं, चिंता नहीं करें।

श्री सभापति : जल्दी-जल्दी समाप्त कीजिये।

श्रीमती वीना काक : सिर्फ एक बात, एक बात का मुझे गिला है, एक बात की बहुत परेशानी है कि इस सदन में दोहरे मानदण्ड अपनाये जा रहे हैं। परसों एक बहन के साथ बलात्कार हुआ उसकी एफ. आई.आर. की रिपोर्ट वर्ड बाई वर्ड यहां पर सुनायी गयी। सब लोग....

श्री सभापति : यह बात आप बोल चुकी हैं पहले।

श्रीमती वीना काक : कृपया मुझे बोलने दें। आपने मुझे अलाउ किया है।

श्री सभापति : मेरा निवेदन है रिपीट नहीं करें। यह बात आप पहले बोल चुकी हैं।

श्रीमती वीना काक : कोई-कोई अलफाज रिपीट हो ही जाएंगे। थोड़ी भूमिका मुझे बनानी पड़ेगी, कृपया मुझे अलाउ करें। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि दोहरे मानदण्ड यहां अपनाये जाते हैं। उस मामले में पूरा सदन एक था और यह कह रहा था कि पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। आज मैंने एफ. आई. आर. देखने के बाद में, एज एन इंडिविजुअल बोल रही हूं और बहुत मुश्किल है कि पूरे करेन्ट के खिलाफ तैरना It is going to be against the current today. लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहती हूं, मेरे मन की बात यहां रखना चाहती हूं। तो कुछ सवालात हैं जो मेरे मन में आए। ये सब जो कुछ भी हुआ, मैं पढ़ूंगी नहीं क्योंकि एक बहन का मखौल उड़ाया जाए या कोई इस तरह की बात आ ही जाए।

"जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरी माता शारदा बहन वहीं उपासरे में महोत्सव का तप कर रही थीं, मैं उनके पास पहुंची, उनको मेरे साथ हुए की बात बताई और माता पिता से कहा कि अपनी बेटी की इज्जत खराब होगी इसलिये इनको

(श्रीमती बीना काक)

को दुबारा से साधुत्व के कपड़े उतरवाकर ले जाना हुआ, वह सब हुआ। मैंने मेरे पति को बम्बई टेलीफोन किया, पूरी बात बताई और वे लोग आए। उन सबके साथ में मैंने जाकर के यह एफ.आई.आर. दर्ज करवाई।"

कोई भी महिला, माननीय सभापति महोदय, अपनी जान, इट इज लाइक ए ह्यूमन बम, अपने आपको उन्होंने ऐसी स्थिति में पाया कि पूरा जैन समाज, हिन्दुस्तान भर एक तरफ होगा और ह्यूमन बम बन जाएगी यह औरत। मेरे ख्याल से जब तक उसके साथ कोई ऐसी बात नहीं होती, मैं नहीं जानती इस मामले में क्या हुआ लेकिन मैं एक महिला की बात रखना चाहती हूं, तब तक वह इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकती। एक औरत की बात कर रही हूं और औरत के लिए रिपोर्ट पेश करने आयी है। तो, माननीय सभापति महोदय, इस एफ.आई.आर. से सम्बन्धित मेरे कुछ सवाल हैं। पहली बात, एफ.आई.आर. की कापी सदन में क्यों नहीं रखी गयी? सरकार इस बात का जवाब दे कि परसों पढ़ी गयी, आज क्यों नहीं पढ़ी? क्या इतना जबर्दस्त प्रेशर इस पुरुष प्रधान समाज का था या किसी एक पर्टिकुलर समाज का था कि उस वक्त तो महिला को जब न्याय मिलने की बात थी ऐसा नहीं हुआ और आज ऐसा क्यों हुआ, नम्बर एक? मैंने सुना है कि 164 के बयान भी हो गए हैं, उसकी कापी भी मैं चाहूंगी कि सदन के पटल पर रखी जाए। यदि मेडिकल मुआयना हुआ तो क्या उसके अन्दर रेप की पुष्टि हुई है? जो भी उसके कपड़ों पर, इस महिला ने साफ कहा है इसके अन्दर, सभापति महोदय, अगर किसी महिला के साथ कोई बात होती है तो वह कहती है मेरे कपड़े सीज किया जाएं और उसके ऊपर जो कुछ भी दाग मिलते हैं, वह उसकी डी.एन.ए. रिपोर्ट से मेल किये जाएं। वह सीमन,....(interruptions)....Whatever. Whatever. I don't want to use the word. मेडिकल मुआयना हुआ तो क्या उसमें रेप की पुष्टि हुई है? उसकी कापी सदन के पटल पर रखी जाए। डी.एन.ए. क्यों नहीं करवाया गया? जब वह महिला खुद कह रही है कि मेरे कपड़ों को आप सीज करिए उनकी आप रिपोर्ट लीजिए तो उसके खून की मैचिंग क्यों नहीं करवायी गयी? ऐसा मानना है कि तीन दिन तक डी.एन.ए. ब्लड लिया जा सकता है। लेकिन वह स्वयं ही ईश्वर के पास किसी दिमागी परेशानी के अन्दर या कैसे वह किया, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहती हूं, लेकिन इससे काफी सबूत नष्ट हो गए, या नहीं है। तो जो कुछ भी है लेकिन डी.एन.ए. करवाया जाना चाहिये था जबकि वह महिला खुद गुहार कर रही है।

16 लड़कियों ने अजमेर फोटो कांड के अन्दर आत्महत्या कर ली। उस मामले में भी मुझे प्रसन्नता होती कि यह पूरा हाउस एक होकर जैसे आज हुआ, उन बच्चियों की भी आवाज को उठाता, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : + + +

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती बीना काक : क्या युवती के कपड़े सीज किये गये ? डी. एन. ए. की रिपोर्ट मैच की गयी ? मैं तो कहती हूं कि डी.एन.ए. जरूर होना चाहिये था। वूमैन एट्रोसिटी एक्ट में क्या लिखा हुआ है, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगी कि वे हमें बताएं। उस एक्ट के तहत, यह भी पूछना चाहूंगी कि आपकी पुलिस ने कार्यवाही की, क्या वह कानूनी थी या नहीं थी ? यदि कानून के तहत कार्यवाही पुलिस ने की तो बहुत ही, वेरी अनफारच्यूनेट, सभापति महोदय, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जब किसी चीज को लागू करता है, किसी एक्ट को लागू करता है, उसको एण्डोर्स करके काम करता है तो भी भर्त्सना होती है और अगर परसों जैसे मामले में नहीं करता है तो भी उसकी भर्त्सना होती है। आज आपकी पुलिस किसी भी मामले में एक्शन लेती तो पुलिस वालों को सजा दीजिये क्योंकि एक्शन ले लिया, पुलिस वाले नहीं करते तो सजा दीजिये तो पुलिस जाए कहां ? मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की किसी तरह की पैरवी नहीं कर रही हूं लेकिन ये दोहरे मापदण्ड क्यों ? मुझे कृपया, बहुत मुश्किल है महावीरजी मेरे से यह सब कहना ...

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्रीमती बीना काक : मैंने अपनी बात कही है। एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी (व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय, बिराजिये। सुनिये, आप बोल चुकी हैं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : जैन उपासरे में औरतें भी जा सकती हैं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : किसी की जाति की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूं लेकिन मैं चाहती हूं कि इन सब चीजों की

श्री सभापति : ठीक है आपका.... (व्यवधान) माननीय पल्लीवाल जी, बिराजिए। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : माननीय सभापति महोदय, मैं चाहती हूं कि इसकी पुष्टि हो। एक इण्डिपेंडेंट कमीशन बैठाया जाए, जुडीशियल कमीशन बैठाया जाए, ज्यादा से ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बैठाया जाए या नेशनल कमीशन फार वूमैन को दिया जाए।

श्री सभापति : दैट्स ऑल, कंक्लूड।

श्रीमती बीना काक : अपनी बात कहने का सबको हक है। यह आप पहले कहते जब मैं बोलने के लिए उठी थी। आपने उस वक्त क्यों नहीं रोका मेरे को ? उस वक्त क्यों नहीं रोका आपने मुझे ?

श्री रिछपालसिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या हालत मचा रखी है आपने ....

श्रीमती बीना काक : जब मैं बोलने लगी... (व्यवधान).... मैं एक रिस्क लेकर बोल रही हूं यहां पर.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया शांत रहिए।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : बोलने नहीं दे रहे हैं, आप चाहते क्या हैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : बीनाजी, कंक्लूड कीजिए ।

श्रीमती बीना काक : पहले रोकते आप ....(व्यवधान)

श्री बलजीत सिंह (बाड़ी) : महिलाओं का मामला है और महिलाएं बोलेंगी । (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांत रहें । माननीय बीनाजी, बोलिए, बोलिए, आप बोलिए ।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : अपना पक्ष इस हाउस में रखना चाहती हैं आप किसी को बोलने नहीं देते । (व्यवधान)

श्री बलजीतसिंह : जुबान बन्द कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री श्रवणकुमार (पिलानी) : माननीय सभापतिजी, इनके कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी सरकार में न्याय एकदम खतम हो चुका है, कानून व्यवस्था रही नहीं है । केवल भाषणबाजी से सरकार नहीं चलती है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार अपने कार्य और अस्तित्व में नहीं रही है इसलिये सरकार को स्वयं को इस्तीफा दे देना चाहिये । सरकार कार्य करने में सक्षम नहीं रही हैं । इनके कार्य की जो प्रणाली है वह खतम हो गई है, कानून व्यवस्था राजस्थान में सब खतम हो चुकी है । भ्रष्टाचार चरम सीमा पर आ गया है इसलिये सरकार को चाहिये कि स्वयं इसमें सुधार करे वरना अपने आप इस्तीफा देकर सरकार को अपने घर चले जाना चाहिये ।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : सोरो कोनी इस्तीफो लेणो ।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर): सभापति महोदय, परसों भी.... (व्यवधान) .... घटना बड़ी शर्मनाक और दुःख की है । परसों भी यह घटना हुई । इससे यह लगता है कि पुलिस प्रशासन निष्क्रिय है । मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से दो सवाल करना चाहती हूं । एक सवाल यह है .... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : +++, +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांत रहें ।

श्री परसादीलाल मीणा : एक महिला को अधिकार है....(व्यवधान)

श्री सभापति : जब मैं आपको इजाजत दे रहा हूं बोलने की तो फिर क्यों आप हल्ला कर रहे हैं ? बिराजिये । मैं आपको इजाजत दे रहा हूं बोलने की ।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : +++ (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : जब नेता महोदय बोल गए, फिर क्या हक है बोलने का ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : सभापति महोदय, सार्जेण्ट को बुलवाओ ।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री सभापति : मीनाजी, बोलिए। आप बोलिए नहीं फिर मैं दूसरे का नाम बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : लीडर हैं हमारे, वे सब तय करेंगे। आप कौनसे लीडर के साथ हैं? (व्यवधान)

श्रीमती मीना अग्रवाल : सभापति महोदय, यह घटना बहुत दुःखदायी है बलात्कार की। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लीडर हैं हमारे, ये कहेंगे जो करेंगे।

श्री बलजीत सिंह : +++(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बिना मतलब की बात मत करो। (व्यवधान)

श्रीमती मीना अग्रवाल : इन बातों से जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय है। मैं आपसे दो ही बातें पूछना चाहती हूं मंत्रीजी, कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो महिला की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं हुई? ऐसी क्या मजबूरी थी जो पुलिस प्रशासन हिन्दुस्तान के धर्म को हटाकर रात को पकड़ कर उसको जीप में बैठा कर ले गए? इस तरह पुलिस को धर्म की भी ट्रेनिंग दी जाय कि हिन्दुस्तान में क्या-क्या धर्म हमारे हैं और धर्म का पालन पुलिस प्रशासन करे। पुलिस प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी थी जो उनका इतना भारी अपमान किया जिससे वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए? मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से गृह मंत्री जी सख्त कार्यवाही करें जिससे इस तरह की घटना राजस्थान में नहीं हो। यह कह कर आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बी. पी. सिंह।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : सभापति महोदय, आज पहली बार इस हाउस में ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक जजमेंट देना चाहते हैं। कभी पहले ऐसा नहीं हुआ। हम जजमेंट सुनाना चाहते हैं कि वहां पर क्या होना चाहिए। पहले कभी ऐसा माहौल मैंने नहीं देखा। 1977 से मैं भी यहां पर मैम्बर रहा हूं। यह भी है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अन्दर पब्लिक ओपिनियन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैन समुदाय जो मांग कर रहा है वह यह तो मांग नहीं कर रहा है कि जो आई. पी. एस. ऑफिसर है या एस. पी. है उसको सूली पर चढ़ा दिया जाए। वह जो मांग कर रहा है, और मैं भी उनके साथ में हूं, यही कि अभी जो एस.पी है उसको जो कुछ भी हो वहां से हटाकर फिर इन्क्वायरी की जाए। नहीं तो जो भी हमारे पास एविडेंस आ रही है वह तोड़-मरोड़कर आ रही है, सत्यता हमारे सामने नहीं आएगी। इसलिए पब्लिक ओपिनियन

(16.00)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही, मैं उसका समर्थन करता हूं और कहता हूं कि जल्दी से जल्दी एस. पी. को वहां से सस्पेंड किया जाए या हटाया जाए,...(व्यवधान)....

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर काफी डिसकशन हो गया है। मैं इस डिसकशन के कलोजर का प्रस्ताव रखता हूं। गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट दिलाया जाए। कोई भी विषय आएगा तो यह आसन की जिम्मेदारी है कि उसकी एक समय सीमा निर्धारित करके उसमें निपटाना चाहिए। नहीं तो सदन में एक विषय बराबर चलता रहे तो आज डिमाण्ड्स थीं, डिमाण्ड्स पर लोग बोलने वाले थे, वह अवसर नहीं मिला है। मेरा निवेदन यह है कि इस पर डिसकशन क्लोज किया जाए और माननीय गृह मंत्री जी से कहा जाए कि वे स्टेटमेंट दें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं भी बोलना चाहता हूं।....(व्यवधान).... क्या यह सही है कि जालोर एवं सिरोही जिलों में.... (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार क्लोजर मोशन मूव होने के बाद या तो उसे आप रिजैक्ट करें.... (व्यवधान)....

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, जालोर अनूप मण्डल के लोग जैन साधुओं के साथ मारपीट करते रहे हैं। मैं यह मांग करता हूं कि इसकी भी जांच करवाई जाए। अनूप मण्डल के लोगों ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई है, इसकी जांच कराई जाए। ....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने मोशन ऑफ क्लोजर मूव कर दिया, फिर डिबेट कैसे चलेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री जी।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आज जिस प्रकरण पर चर्चा हो रही है, इस विधान सभा में कई बार कईसंवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन मेरा यह मानना है कि आज का जो प्रकरण है यह अति संवेदनशील प्रकरण है और उसी अनुरूप चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों ने अपनी मानवीय संवेदनाओं को वाणी के माध्यम से यहां अभिव्यक्ति दी है जिसमें भावनाएं भी थीं, आक्रोश भी था, गुस्सा भी था। मैं उन सबका स्वागत इसलिए करता हूं कि अभी परिस्थिति असाधारण बनी हुई है, मैं इसको मानकर चलता हूं। जो भी पृष्ठभूमि बनी, सारे तथ्य जिस तरह के हैं वे सदन के सामने आ चुके हैं। बहुत ज्यादा गंभीरता इस प्रकरण में इसलिए आ गयी कि जिन मुनिश्री के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उन्होंने आत्महत्या का रास्ता अपनाया। उसके बाद कई तरह की पृष्ठभूमि सामने आ रही है, महिला के बारे में भी, प्रकरण के बारे में भी, पुलिस की कार्यवाही के बारे में भी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी जबसे यह प्रकरण हुआ है इस पर पूरी निगाह रखे हुए हैं। हमारे चीफ सैकेटरी और पुलिस के बड़े अधिकारी भी और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, श्रीमती तारा भण्डारी जो

(श्री कैलाश मेघवाल)

विधायिका हैं, ये उस रोज भी वहां पर थीं, फिर आज वहीं पर हैं, उस क्षेत्र के जो माननीय मंत्री हैं श्री अर्जुन सिंहजी देवड़ा, वे भी वहां पर गये हुए हैं। इस बात के लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं कि गुत्थी किसी तरह सुलझे।

जैसा मैंने निवेदन किया, असाधारण परिस्थितियां अभी विद्यमान हैं और सारे देश के जैन समाज के सामने जिस तरह की परिस्थिति गयी है, जैन समाज का आंदोलित होना वाजिब है और जैन समाज आज आंदोलित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की मन की इच्छा है, पूरे प्रयत्न इस बात के चल रहे हैं, हर स्तर पर इस बात के प्रयत्न किए जा रहे हैं और जो-जो भी जैन समाज के साधु-संत, पूज्य संत, प्रतिष्ठित संत, जो इस बारे में हस्तक्षेप कर सकते हैं उनसे भी और जैन समाज के नेताओं से भी सम्पर्क करके इस बात की कोशिश की जा रही है कि इस सारी गुत्थी को सुलझाया जाए और जैन साधुजी का अच्छे ढंग से दाह-संस्कार हो। यह आज हमारे सामने एक स्थिति खड़ी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बातें कही गयीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अलग-अलग परिस्थिति में अलग-अलग बातें आती हैं। इस प्रकरण में, उस सारे विस्तार में मैं जाऊं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, डी. एन. ए. कैसे होगा, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट क्या है, तो 164 के बयान के बारे में एक बात उठाई गयी कि 164 के बयान कराने की क्या आवश्यकता थी। मैं आपसे निवेदन करूं कि गृह विभाग ने 2-7-97 को एक आदेश निकाला महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के बारे में, उनके साथ आउटरेजिंग ऑफ दी मोडेस्टी के प्रकरणों में, रेप के प्रकरणों में, महिलाओं से सम्बन्धित दूसरे तरह के प्रकरणों में इस बात के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल अनुसंधान प्रारम्भ होने के साथ ही 164 के बयान करा दिए जाएं और इसीलिए यह प्रक्रिया चल रही है। जहां 164 के बयान नहीं कराए जाते हैं वहां अधिकारियों से एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाता है जिससे कि एक पुख्ता अनुसंधान बन सके। उस परिस्थिति में 164 के बयान कराए। लेकिन आज एक ऐसी असाधारण परिस्थिति पैदा हो गयी है कि एफ. आई. आर. भी है, 161 के बयान भी हैं, 164 के बयान भी हैं, उनको चुनौती देने वाले कई दूसरी तरह के तथ्य भी सामने आए हैं और जो विक्टिम है, अपराधी जिसके खिलाफ यह सारा काम में लिया जा सकता है, अदालत में जाया जा सकता है उनकी मृत्यु हो चुकी है। इन परिवर्तित परिस्थितियों में अब इस केस का किस तरह से अनुसंधान आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सारी स्थिति पुलिस के सामने है, कपड़े भी हैं, पुलिस के सामने स्वर्गीय साधुजी का खून भी लिया गया है, उनके मांस की कई जांचें हो सकती हैं? लेकिन इस बात पर विचार गंभीरता से होगा, उच्च स्तर पर विचार करेंगे कि अनुसंधान पक्ष को किस सीमा तक आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आरोपित व्यक्ति, जो जैन साधु हैं वे अब नहीं रहे हैं, यह एक पक्ष है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

दूसरा पक्ष, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं 10 तारीख की रात की घटना है और 7 तारीख को सवेरे ही मालूम पड़ गया था, सवेरे वहां से जन–प्रतिनिधियों की भी और जैन समाज के प्रमुखाओं की इस तरह की शिकायतें आईं, टेलीफोन से भी, कि इसमें पुलिस के द्वारा ग्रति की गयी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो सारी पृष्ठभूमि थी उसमें तत्काल माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी निर्णय लेकर जो डिप्टी एस. पी. था उसको तत्काल हटा दिया। क्योंकि जो अपराधी नामजद किया गया था और जिस महिला ने एफ. आई. आर. दी थी, इसमें संयम बरता जाना चाहिए था, विवेक का प्रयोग न्यायोचित तरीके से किया जाना चाहिए था। जैसा माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा, इसमें रैसनैस भी थी, हेस्ट भी था और नेगलिजेंस भी थी। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि उस समय विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में, उस समय जैन समाज के लोगों का जो आंदोलन चल रहा था वे संतुष्ट थे कि आप इस डीवाई. एस. पी. को हटा दो, इसकी ज्यादती है, उसके बाद सारी शांति आ गयी। उसके आगे जब शिकायत हुई तो अभी जो एक मांग रखी है, अगर आप इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि जोधपुर के कमिश्नर को इन्हीं सब बातों की जानकारी कि हेस्टनैस क्या थी, रैशनैस क्या थी, समयोचित और न्यायोचित कार्यवाही हुई या नहीं हुई, एस. पी. का क्या रोल था, उसके लिए आठ तारीख को ही आदेश जोधपुर के कमिश्नर को जांच के दे दिये गये थे। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने यह सुझाव रखा है कि राजस्व बोर्ड के सदस्य इसकी जांच करा ली जाए तो जोधपुर के कमिश्नर को इसी बात के लिए तुरन्त रवाना कर दिया 8 तारीख को। वे 8 तारीख से वहीं कैम्प किये हुए हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिये हैं कि वे सारी परिस्थितियों की जांच करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मनोबल तोड़ने की बात कही गयी। मैं साढ़े तीन–पौने चार साल से यहां पर गृह मंत्री के रूप में आपके सामने हूं। मेरा न तो एक शब्द, न तो विधान सभा में और न विधान सभा के बाहर कोई ऐसा वक्तव्य कि जब मैंने यह कहा हो कि कोई एक्शन लेने से किसी गलती करने वाले, अपराध करने वाले, अनियमितता करने वाले किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने से उसका मनोबल गिरेगा इसलिए हम दब रहे हैं। आज तक मेरा कोई कथन नहीं है। इसलिये यह जो स्वयं की कमजोरी की भावना यहां प्रकट की गयी कि आप यह कहोगे कि मनोबल गिरेगा, मैंने आज तक नहीं कहा, मुख्य मंत्रीजी ने आज तक नहीं कहा। जब भी जैसा अवसर आया....

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी पार्टी के ही कहते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : हमारी पार्टी से नहीं इधर से। आप बता दीजिये विधान सभा का।

(144)

श्री परसराम मदेरणा : अभी सिंचाई मंत्रीजी यह कह रहे थे कि इच्छाशक्ति का अभाव है। मनोबल और इच्छाशक्ति कोई दो चीज नहीं हैं, एक ही बात है। वे अभी कह रहे थे कि इच्छाशक्ति का अभाव प्रतीत होता है तो वह इच्छाशक्ति आप बटोरिये अगर अभाव है तो।

श्री कैलाश मेघवाल : प्रतिपक्ष के नेता, आपके अनुभव और आपकी बुजुर्गी का आदर करते हुए भी मैं आपसे असहमत हूं। क्योंकि मनोबल और इच्छाशक्ति होती है एक्शन लेने वाले की। यह दोनों ही को जोड़ा है, इससे मैं आपसे असहमत हूं। उन्होंने कहा कि इच्छाशक्ति नहीं है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इच्छाशक्ति पूरी है लेकिन इच्छाशक्ति का प्रकटीकरण कानून और नियमों की परिधि में ही किया जा सकता है, इतना अवश्य है, जिससे हम भी बंधे हैं और आप भी बंधे हैं।

हमारे पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य से मुझे नयी डिक्शनरी मंगानी पड़ेगी। जांच कराएंगे, पुख्ता कार्यवाही करेंगे, आखिर यही शब्दावली है जो हमेशा प्रयोग की जाती रहेगी और इसके आधार पर काम भी होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कहोगे, मुख्य मंत्री जी भी ऐसा कहेंगे, गृह मंत्री जी भी ऐसा कहेंगे तो आप मुझे एक ऐसी शब्दावली बनाकर दे दें कि हमको क्या करना चाहिए किन परिस्थितियों में ताकि मैं आपको विश्वास दिला सकूं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जिस तरह की भावनाएं व्यक्त की गयीं....

श्रीमती कमला : माननीय गृह मंत्री जी, यहां पर सदन में पहले भी चर्चा हुई है और आज भी एक चर्चा हुई है। आपने और हमने, सब ने इस बात को महसास किया कि सरकार की कार्यवाही कैसी होगी, निष्पक्ष होगी या नहीं होगी और सरकार सचमुच में दोषी को ही सजा देगी, निर्दोष को नहीं देगी और तथ्यों पर जरूरी तौर पर पहुंचेगी। इस बारे में आम तौर पर सदस्यों को आशंकाएं हैं तो सरकार यह सौगन्ध खाकर क्यों बैठी है कि हम सिर्फ अपने ही कार्यालय मे अपने ही विभाग से जांच कराएंगे? हम कोई जुडीशियल इन्क्वायरी को नहीं मानते, हम सी. बी. आई. की इन्क्वायरी भी नहीं मानते, ऐसी सौगन्ध खाकर क्यों बैठे हुए हैं? आप इस तरह के गम्भीर संवेदनशील मुद्दे को अगर सी. बी. आई को जुडीशियल इन्क्वायरी को सौंप दें तो आपका भी मुखौटा साफ रहेगा, आपकी नीयत भी साफ रहेगी और आप जनता के सामने भी निष्पक्ष रूप से उभरेंगे। आप इसको क्यों नहीं मानते, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है?

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय गृह मंत्री जी, आपकी याददाश्त में हो तो....

श्री उपाध्यक्ष : पहले गृह मंत्री जी को पूरा करने दीजिये, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने कई बार स्टेटमेंट दिये हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आदरणीय पारीक साहब, बिराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप कम से कम आपकी याददाश्त है तो बताइये कि आपने कितनी बार स्टेटमेंट दिये हैं? (व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र पारीक)

और जब साफ–साफ यह लग रहा है कि पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच होनी है तो मामला आपको इस राजस्थान के बाहर सी.बी.आई. एजेन्सी को सौंपना चाहिये ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसमें कहां परेशानी हो रही है ?

श्री कैलाश मेघवाल : मेरी याददाश्त की परीक्षा तो आप मत लो, मेरी याददाश्त की परीक्षा देने के लिए मैं तैयार भी नहीं हूं लेकिन मैंने जो कहा है उसको अगर आपमें हिम्मत है तो मेरा वक्तव्य निकालकर, अखबारों से समाचार निकालकर या इस रिकार्ड के आधार पर आप दे दें ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह आपका चुनावी नारा है कि हम जो कहते हैं वह करते हैं। (व्यवधान) यह आपका चुनावी नारा है। इस हाउस में आप क्या कहना चाहते हैं उस पर बात करिये। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : आपकी आदत पड़ गयी जोर से बोलने की, इस तरह से करने से क्या निकलेगा ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आदत तो अपन दोनों की ही पड़ गयीं है। आपकी आदत तो यह पड़ गयी कि यह पूरा सदन चाहे आपको....(व्यवधान) .. कितना ही प्रताड़ित करे लेकिन आपके +++ और हमारी आदत यह पड़ गयी है कि हम आप से लगातार तीन वर्षों से आपकी हर तरह की +++ को सुनते आ रहे हैं और फिर भी यहां बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : यह +++ शब्द निकाला जाए।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री जी, पहले आप अपनी बात पूरी करिये इन सवालों का जवाब मत दीजिये। कृपा करके पहले आप अपनी बात पूरी कीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि ऐसे गम्भीर, संवेदनशील मुद्दे पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं तो उस समय इस तरह की हल्की-फुल्की बातें करके इसकी गम्भीरता को कम करना, यह विधायकों को शोभा नहीं देता. यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

मैंने सब विधायकों के विचार बड़ी संवेदनशीलता से सुने हैं। मैं माननीय चन्दनमल जी बैद का दर्द भी, पीड़ा भी अपनी पीड़ा मानता हूं, हमारे अपने मंत्रिमण्डल के सहयोगी की पीड़ा भी मैं अपनी पीड़ा मानता हूं और दोनों ने ही एक बात स्पष्ट कही है कि अगर स्पष्टता के आधार पर कोई चीज है तो, लेकिन जो पृष्ठभूमि बनी है उसमें उनकी पीड़ा वाजिब है और वह सारे सदन की पीड़ा है। यहां कई लोगों ने इस तरह के संकल्प भी किये कि दाग नहीं होगा तब तक हम भी इस तरह के प्रण लेते हैं, इस तरह के प्रण लेते हैं...

श्री रामस्वरूप मीणा : मैंने खुद ने प्रतिज्ञा ली हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : आपने ले रखा है। ऐसी परिस्थिति में एक मुद्दा और रखा गया। माननीय मुख्य मंत्रीजी भी

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री कैलाश मेघवाल)

विराजमान हैं, सदन के प्रतिपक्ष के नेता की ओर से एक मांग आयी थी एस.पी. के बारे में, तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी इस प्रकरण में लगातार अपनी निगरानी में कार्यवाही करायी है, वे कुछ सदन के सामने अपने विचार रखें, यह मेरा निवेदन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के पूरे काल में एक बहुत ही दुर्घटना के ऊपर चर्चा हुई। जैन समाज, यह आप सब जानते हैं और आप सब लोगों ने कहा भी है कि हम साधुओं के भरोसे चुनाव जीतकर आते हैं, इससे कम से कम एक अनुमान तो लगाया जा सकता है कि जैन समाज किसके साथ है। और जब जैन समाज के किसी मुनि के साथ कोई इस प्रकार की घटना हो जाए तो जितनी वेदना आपको होगी उससे कम वेदना हमको नहीं होगी। उस घटनाक्रम में मैं नहीं जाना चाहता, गृह मंत्रीजी ने काफी उसका स्पष्टीकरण कर दिया। अब प्रश्न यह आता है कि इस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों में से किस प्रकार से निकला जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन के सामने कई बार आये हैं और कई बार माननीय सदस्यों ने स्पष्ट रूप से अपनी इच्छाएं व्यक्त की हैं, क्या करना चाहिये इस संबंध में सुझाव दिये हैं, इसकी निन्दा की जाए वह भी सब कुछ हुआ है। जन भावनाएं फैलाना तो बहुत आसान है लेकिन उन भावनाओं को सही रास्ते पर फैलाना, यह बहुत कठिन कार्य है। आज हम किसी भी समाज के पक्ष में बोलें, वह समाज भी अच्छी तरह से समझता है कि हम क्यों बोले हैं और इस बोलने का अर्थ क्या हो सकता है। यह सदन इस बात का साक्षी होगा कि जब मैं विपक्ष में था और आप लोग सत्ता में थे, एक सती प्रकरण आया। सती का प्रकरण आया उस समय सारा राजपूत समाज मेरे विरोध में हो गया। मैंने विधान सभा में सती प्रथा का विरोध किया, विधान सभा के बाहर सती प्रथा का विरोध किया और उस विरोध का परिणाम यह निकला कि लगभग 50 हजार व्यक्ति इस जयपुर शहर में तलवार, भाले और जो भी हथियार उनके पास उपलब्ध हो सकते थे, वह लेकर उन्होंने जुलूस निकाला मेरे विरोध में, भैरोंसिंह मुर्दाबाद, भैरोंसिंह मुर्दाबाद।

श्री चन्दनमल बैद : तभी आप महान हुए हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये आप। अब मेरे सामने दो ही विकल्प थे। या तो मैं उस बात को कहूं कि नहीं, सती प्रथा होना आवश्यक है, यह धार्मिक चीज है या यह कि मैं सती प्रथा का विरोधी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह जुलूस निकाला, तीसरे दिन ही जोधपुर में हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, एक दिन बाद ही आल इण्डिया वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। मैं यहां से गाड़ी में बैठकर जोधपुर गया। कोई रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं होगा, जिस स्टेशन पर भैरोंसिंह मुर्दाबाद, भैरोंसिंह मुर्दाबाद के नारे नहीं लग रहे हों। जोधपुर स्टेशन पर उतरा तो मुर्दाबाद के नारे और जब पब्लिक मीटिंग की हमारी तरफ से घोषणा की गयी तो सती समर्थक उसी

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

प्रकार से, उन्होंने भी नारे लगाये। जोधपुर में आने के बाद में मेरे साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी शामिल कर लिया क्योंकि उन्होंने भी सती का विरोध किया था– भैरोंसिह और अटलबिहारी मुर्दाबाद। वहां प्रश्न आया, पुलिस ने कहा कि मीटिंग करना ठीक नहीं होगा। मैंने कहा कि मीटिंग निश्चित रूप से होगी। मीटिंग हुई और दोनों तरफ से जब प्रचार हुआ तो वहां भीड़ भी बहुत ज्यादा हो गयी। भीड़ ज्यादा हो गयी तो मैंने उस भीड़ को नियन्त्रित करने के लिए कहा कि और नेता बोलें उससे पहले मैं स्वयं ही अपना भाषण देकर इस बात को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूं। मैं खड़ा हो गया, कोई नारेबाजी नहीं हुई। मैंने दो ही प्रश्न पूछे। मैंने कहा कि कौनसा घर है जोधपुर शहर में या राजस्थान में जिसमें किसी की मां विधवा नहीं हो, किसी की बहन विधवा नहीं हो और किसी की बेटी विधवा नहीं हो। सब घरों में विधवाएं हैं। सती प्रथा की व्यवस्था के अनुसार अगर कोई सती नहीं होती तो वह पापिन होती। मैंने कहा, कौन व्यक्ति है जो अपने घर में मां, बहिन और बेटी को पापिन समझता हो और उसके बाद मैंने अपनी भी बात कही कि जब मैं 17 वर्ष का था तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। हमारी मां ने चाकी पीस–पीसकर हमको पढ़ाया, लिखाया, होशियार किया। वह उनके साथ यदि सती हो जाती तो हम तो भिखारी बन जाते। न तो मैं मुख्य मंत्री बनता और न राजस्थान का प्रतिपक्ष का नेता बनता। इस समाज में जिस प्रकार से भी आप हिम्मत करके खड़े होंगे तो मै समझता हूं कि समाज का भी हित करेंगे और यदि उन सारी बातों का कोई राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश करेंगे तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि सामाजिक व्यवस्थाओं में जिन लोगों ने राजनैतिक लाभ उठाने की आज तक कोशिश की है, वे कामयाब नहीं हुए।

इसी प्रकार का एक प्रसंग, उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, उधर से खेतसिंह जी और ये सब तीनों जानते होंगे, जिस समय पहली बार मैं विधायक बनकर आया 1957 में या 1951 में, जिस समय टीनेंस प्रोटेक्शन आर्डिनेंस निकाला और उसके बाद में जागीर रिजम्पशन का एक्ट आया तो मैंने विधान सभा में स्पष्ट रूप से कहा था कि जागीर का रिजम्पशन होना चाहिए। उसी को लेकर हमारे छह विधायक हमारी पार्टी छोड़कर चले गये, दो विधायक हम रहे। जिस कमय भू-स्वामी संघ का आन्दोलन चला, कोई दिन ऐसा नहीं होता था, मेरे मकान पर 2–3 पूलों का पूतला वे जलाकर नहीं जाते। मैंने उसका भी विरोध किया। मेरे विरोध करने के बाद में मैं चुनाव नहीं हारा। 1957 में वहीं श्रीमाधोपुर से चुनाव जीता, 1962 में यहां से जीता। इसलिए चुनाव का, राजनीति का और इन चीजों का कोई सम्बन्ध नहीं है। एक बार आदमी वैचारिक दृष्टि से अपनी मजबूती कर ले कि यह गलत है और यह सही है तो इसको किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। तात्कालिक रूप से यदि हम लाभ उठाना चाहें तो इस विधान सभा में कितनी ही घटनाएं हुई हैं, उसका लाभ कभी किसी को नहीं मिला।

(148)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आप सभी को, माननीय शिवनाथसिंह जी को याद होगा, झुन्झुनूं में बालूराम की बिजली के मामले को लेकर हत्या हुई, वे मर गये। उसके बाद में 2–3 दिन तक लाश पड़ी रही। यही सरकार थी, जिस सरकार में चार दिन तक लाश पड़ी रही। उसकी जांच कराने के सम्बन्ध में या और कार्यवाही करने के सम्बन्ध में कोई मांग स्वीकार नहीं की, कोई मांग स्वीकार नहीं की। स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा, जब वे मेरे पास आये मिलने के लिए कि मुझे स्वर्गीय जोशीजी ने बुलाया है और बुलाकर ये–ये बातें कहीं हैं तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप लाश को कितने दिन तक रखोगे। इसका दाह संस्कार होना चाहिए। जिस आदमी ने अपना शरीर छोड़ा है जनता के काज के लिए, उस आदमी का शरीर या शव हम पटका हुआ रखें, यह उचित नहीं है। नाथूराम जी आज गवाही देने के लिए नहीं हैं, अगर नाथूराम जी से आज पूछें तो नाथूराम जी ने कहा कि लोग नहीं मानेंगे तो? मैंने कहा कि नहीं मानेंगे तो आप मुझे भी बुलवा लेना। मैंने टेली-फोन से बातचीत कर कराकर सारी व्यवस्था की थी कि उनके जाते ही उसका दाह संस्कार हो जाएं। अब प्रश्न आता है कि इन सामाजिक मामलों में या जाति के मामलों में या धर्म के मामलों में यदि हम डिगते गये तो यह संसार, यह देश कहां पहुंचेगा। इसका कोई अन्त नहीं है और न ही इसके अन्त का अनुमान लगाया जा सकता है।

इस प्रसंग के अन्दर मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिस समय यह सूचना मुझे मिली, उसी समय मैंने कमिश्नर और डी.आई.जी. से कहा कि आप दोनों मौके पर जाओ और जाकर सारी स्थिति का अध्ययन करके मुझे बताओ। अध्ययन करने के बाद में हमारे भी प्रतिनिधि थे, जैन समाज के भी प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि डीवाई.एस.पी. ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है वह अनुचित है और इस डीवाई.एस.पी. को तत्काल यहां से हटाओ। मैंने डीवाई.एस.पी को तत्काल वहां से हटा दिया। हटाने के बाद परसों के दिन या परले दिन, मुझे याद नहीं है, परसों ही जैन समाज के आज जो लोग मांग कर रहे हैं, वे लोग मेरे पास आये और आकर उन्होंने कहा कि आपने डीवाई.एस.पी. को हटाया है, एस.पी. को क्यों नहीं हटाया। तो मैंने उनसे कहा कि एस.पी. को हटाने में और रखने में किसी प्रकार की कोई जिद नहीं है मेरी, मैं इसकी जांच करवा लूं। तो उन्होंने कहा कि जांच जल्दी होनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि जांच किससे? मैंने कहा कि आप चाहो तो मैं जांच रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर से करवा दूं या जोधपुर के आयुक्त से करा दूं। तो वे आयुक्त से जांच कराने की बात पर एग्री कर गये। मैंने तीन दिन का समय लिया और कमिश्नर को सी.एस. से उसी समय टेलीफोन करा दिया कि आप जाओ और इसकी जांच करके रिपोर्ट भेजो कि इसमें एस.पी. का कितना योगदान है। मैं समझता हूं, उस समय भी मैंने गलती नहीं की। जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अनुसार यदि उस समय तक कमिश्नर की रिपोर्ट आ जाती, कल तक आ जाती या आज तक भी आ जाती तो एस.पी. के खिलाफ कार्यवाही करने में मुझे कोई संकोच नहीं होता, न संकोच आज के दिन है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अब प्रश्न इतना सा आकर खड़ा हुआ अर्थी के सम्बन्ध में अभी लगातार हर 15 मिनट में मेरी उनसे बातचीत होती जा रही है उस बातचीत में यह आया कि साहब एस.पी. को हटाया जाए। एस. पी. को हटाकर यह सब कार्यवाही की जाए। मैंने कहा, एस पी. को हटाने के विषय में आपको कोई सन्तोष होता हो तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। एस. पी. को मैं हटा दूंगा लेकिन वहां गुलाबचन्द जी कटारिया के नाम से प्रचार हो गया कि गुलाबचन्द जी कटारिया ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे दिया तो जब तक गुलाबचन्द जी कटारिया से बातचीत नहीं करेंगे, तब तक हम इनका दाह संस्कार नहीं करेंगे। अब वहां तो फीलिंग्स ये हैं। आप लोगों ने कितनी मेहनत की है आज बोलने में, उसकी मैं बात कह सकता हूं लेकिन सारा श्रेय गुलाब चन्द जी कटारिया को मिल रहा है। आपका बैलेंस, आपके खाते में जीरो है, कुछ नहीं मिल रहा है। मैं इसलिए कहता हूं....

श्री चन्दनमल बैद : हमें खुशी है कि गुलाबचन्द जी कटारिया को मिल रहा है। बहुत खुशी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मिल रहा है। वह ठीक है तो होनी ही चाहिए तो इनको खुशी है।

वहां से मेरे पास टेलीफोन आया कि गुलाबचन्द जी कटारिया ने इस्तीफा दे दिया क्या? मैंने कहा, आप बात कर लें, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने अपनी वेदना प्रकट की है और मैं समझता हूं, वेदना प्रकट की है तो न तो मुझे आपत्ति प्रकट हो सकती है और न सदन को किसी प्रकार की आपत्ति हो सकती है। वेदना है, वह वेदना उन्होंने प्रकट की है और उन्होंने जो वेदना प्रकट की है, मैं इसको सीरियसली लेता हूं। मैंने कहा उनको कि आप दाह संस्कार कीजिये और एस.पी. को वहां से हटाने के मैं निर्देश दे देता हूं। वह उनको कनवे भी कर दिया।

अब सवाल यह आता है कि निर्देश देने के बाद अभी वह इस्तीफे की बात अभी इनके मुंह से कहलवाई कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। इन्होंने भी कहा कि एस.पी. को हटा रहे हैं, उसके बाद में दाह संस्कार होना चाहिए। अब वहां पर कई प्रकार के ग्रुप्स बने हैं। वह ग्रुप्स, कोई तो कहता है कि जब तक एस.पी. को निलम्बित नहीं किया जाएगा, कलक्टर को नहीं हटाया जाएगा, अब इनकी यह चैन तो कभी पूरी नहीं होती। आज एक सिपाही से हम चलते-चलते डीवाई.एस.पी. पर आ गए, एस.पी. पर आ गये, फिर आएंगे डी. आई. जी. पर फिर आएंगे होम कमिश्नर पर और फिर आएंगे मेरे ऊपर। मैं समझता हूं, यह आपका आने का अधिकार है, बात करना तो बहुत ठीक है लेकिन इसकी तह में जाकर आप यह भी देखें कि इसके कारण से कोई व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं हुई है।

आज मैं आपको कह सकता हूं, गुलाब चन्द जी कटारिया और बाकी के सब लोग साक्षी हैं, जैन धर्म के प्रति मेरी कितनी आस्था है। कोई बड़ा जैन मुनि हिन्दुस्तान में नहीं होगा कि जैन मुनि के सामने जाकर मैंने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम नहीं

(150)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किया हो और उनका आशीर्वाद नहीं लिया हो। आज भी मैं कह सकता हूं कि आप लोग, जितने लोग बैठे हैं, मैं गुलाबचन्द जी कटारिया का तो मुकाबला नहीं कर सकता, या महावीर जी का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि ये जैन धर्म के हैं या चन्दनमल जी बैद का नहीं कर सकता लेकिन हिन्दुस्तान का कोई जैनी या जैन मुनि यह नहीं कह सकता कि मैंने कभी किस से, काम से, कर्म से कभी किसी जैन समाज को आघात पहुंचाया हो या किसी जैन मुनि को किसी प्रकार से भी मैंने अपनी तरफ से अपमानित करने की कोशिश की हो पर्युषण दिनों में हम भी जाते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : इसका फल मिल रहा है न आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : इसका प्रतिफल मिल रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, आप कोशिश कर रहे हैं फिर भी वह फल मुझे ही मिलेगा, इसलिए आप क्यों इस बात के झगड़े में पड़ रहे हो।

अब आज एक और स्थिति का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि समस्याएं आएंगी। समस्या आ रही है, जालौर जिले में, कुछ सिरोही जिले में, आप सब लोगों को मालूम है, विश्नोईजी को खास तौर से मालूम है कि अनूप मण्डल नाम की एक संस्था है। आज के बीस दिन पहले मेरे पास जैन समाज के जिसमें रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज जसराज जी चौपड़ा और बड़े प्रतिष्ठित आदमी आये और आकर कहने लगे, अनूप मण्डल की गतिविधियां बढ़ रही हैं। मैंने उनको बताया कि मैं 1977-78 में जब राज्य का मुख्य मंत्री था उसके पहले से अनूप मण्डल बना हुआ है। अनूप मण्डल आज का नहीं है, 1887 या 88 के अन्दर अनूप मण्डल की स्थापना हुई। उस समय से लेकर जिस समय अनूप मण्डल की गतिविधियां बढ़ीं, मैंने अनूप मण्डल द्वारा प्रकाशित सारी पुस्तकों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मैंने कोई पुस्तक ऐसी नहीं देखी जिसमें एक समाज दूसरे समाज से नाराज हो या एक समाज दूसरे समाज की इस प्रकार की प्रवृत्ति पैदा करे। लेकिन जगह-जगह झोंपड़े बना कर जैन मुनियों के व्यवहार में बाधाएं उपस्थित कीं, उसके बाद में अनूप मण्डल को मैंने प्रतिबंधित कर दिया और उनकी किताबों को जब्त कराया जब्त कराने के बाद में अभी एक महीने पहले फिर आये और फिर आकर वही कहने लगे। इस समय बरसात नहीं हुई थी। तो एक वह अनूप मण्डल के कारण से जो प्रचार दुनिया में हो रहा है वह प्रचार यह है कि जहां जहां भी जैन मुनि चौमासा करते हैं वहां चौमासा होता ही नहीं है, बरसात नहीं होती। वहां से सब लोगों को मैंने यहां बुलाया और बुलाकर कहा कि आपकी ये जो पुस्तकें, अब के जो नया प्रकरण निकला है इस प्रकरण में आपत्तिजनक बातें हैं, मैं इसको जब्त कराऊंगा। मैंने जब्त करने के आदेश दे दिये। कई जगह छापे डाले और छापे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भागकर जितनी भी किताबें जब्त की जा सकती थीं वे सारी किताबें जब्त कीं। जब्त करने के बाद अभी जिस दिन जैन समाज का मेरे पास प्रतिनिधि मण्डल आया, वहां से भी एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि मण्डल आया और आकर मुझे कहने लगा कि आपने डीवाई.एस.पी. का स्थानान्तरण कैसे कर दिया ? मैं बोला, क्यों ? कि डी.वाई.एस.पी. तो भला आदमी है। मैंने कहा, भई भला आदमी था तो यह इतनी ज्यादती क्यों की ? यह बात सही है, मैं भी मानता हूं कि जैन मुनि कोई भागकर तो जाने वाले नहीं हैं। उस जैन मुनि के भागकर नहीं जाने के कारण से आप उपासरे में गये क्यों ? जाने के बाद में आप उपासरे में उन लोगों से बात कर लेते, उपासरे में जो भी जैन समाज के लोग प्रतिष्ठित हैं उनको कहकर थाने में बुलवा लेते, कोई आपत्ति नहीं थी। इस कारण से मैंने इसको वहां से हटाया है। मैं आज भी कहता हूं, इसमें आप निष्पक्ष जांच कराओ तो मैं आप पर छोड़ना चाहता हूं। आप यदि जुडीशियल इंक्वायरी कराना चाहो मैं जुडीशियल इंक्वायरी करा दूं, यदि आप सी.बी.आई. से इंक्वायरी कराना चाहते हैं मैं सी.बी.आई. से इंक्वायरी करा देता हूं और यदि आप चाहो कि राजस्थान के किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच इसकी कराई जाए तो मैं जांच करा दूंगा लेकिन इतना ध्यान रखिये कि जांच का स्कोप बढ़ेगा। जांच का स्कोप ज्यों ही बढ़ा तो एक ही बात नहीं है। आपने यह जांच किन्हीं लोगों से करायी या जुडीशियली करायी या सी.बी.आई. से कराई या किसी अधिकारी से जांच करायी तो जो अधिकारी दोषी है उसका भी एक राइट है। कानून में उनको भी अधिकार है कि वे अपना डिफेंस में उस इंक्वायरी के सामने पेश करें। उस डिफेंस में वे सब बातें आएंगी जो बातें आप भी नहीं कहना चाहते और मैं भी नहीं कहना चाहता। जिन बातों को लेकर हम कहने में गुरेज कर सकते हैं वे बातें डिफेंस के अन्दर निश्चित रूप से आएंगी और समाज में एक जबरदस्त क्रांति पैदा होगी। मैं इसलिए जैन समाज से भी इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं जैन समाज यह समझ कर नहीं चले कि सरकार उसके विरोध में है, जैन समाज यह समझ कर नहीं चले कि जैन मुनि का अपमान हुआ है, वह हमारा अपमान नहीं हुआ है। हमारे सब का अपमान हुआ है। लेकिन अगर किसी प्रकार की ऐसी इंक्वायरी कराना चाहते हैं, मैं तो अपनी तरफ से, माननीय सदस्य बोले हैं सबकी भावनाओं को ध्यान में रखकर, आप जो कहें फैसला करने को तैयार हूं लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इसकी परिधि या इसकी परिणति जो सामने होगी, वह अच्छी होने वाली नहीं है इसलिए विचार कर लें।

जहां तक एस.पी. को हटाने का प्रश्न है, मैंने आदेश दे दिये और जैन समाज को मैं अपील करता हूं कि आप निश्चित रूप से दाह-संस्कार करें, कितने दिन तक आप डैड बॉडी को रखेंगे ? यह कुछ उत्तेजना पैदा करने से काम क्या होगा ? उस उत्तेजना पैदा करने से कहीं वर्ग-भेद पैदा न हो जाए, मुझे इस बात का भी डर है। इस डर के कारण से मैं कहता हूं कि जो कुछ हुआ है उसके लिए जो व्यवस्थाएं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
करनी हैं वे व्यवस्थाएं मैं निश्चित रूप से करूंगा। मैं गुलाबजी से कहूंगा, महावीर जी से कहूंगा, इधर भी जैन समाज के व्यक्ति बैठे हैं, कम से कम जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की है, उस व्यक्ति के कारण छोड़िये, किसी कारण से आत्महत्या की हो लेकिन उनका शव क्यों पड़ा रहे? क्या आप इतना सन्देश नहीं दे सकते कि यह सदन आपकी व्यथा से परिचित है, आपकी व्यथा को सदन में व्यक्त किया गया है और व्यक्त करने के बाद में जो उनकी मोटी मांग थी, एस.पी. को हटा दिया। कमिश्नर जांच कर रहा है और जांच करने के बाद में कमिश्नर कहेगा कि इसमें एस. पी. का दोष है तो मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि उस एस.पी. के खिलाफ कार्यवाही करने में मुझे रत्ती भर संकोच नहीं होगा। बिलकुल संकोच नहीं होगा। एस. पी. पहली बार जालौर गया, नया व्यक्ति है और नये व्यक्ति के सामने इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। आज कोई बलात्कार का मामला हो, तो हम इस सदन में पूछते हैं, सदन के बाहर पूछते हैं, मैं तो जनरली इस बात को पूछता हूं कि किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो निश्चित रूप से उसके 164 के बयान करायें जायं। मैं यह भी कहता हूं, पुलिस वालों को भी कई बार मैंने कहा कि आपके पास टेपरिकार्डर होना चाहिए, उसका स्टेटमेंट टेपरिकार्ड करिये, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाइये। मेडिकल एक्जामिनेशन करने के साथ ही यदि आपको ये सब बातें लगती हों कि इस प्रकार का अपराध हुआ है तो कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण अपराधी के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो। एस. पी. नये थे, सर्कुलर्स तो पढ़े हैं लेकिन इस बात की जानकारी नहीं थी कि उपासरा में मुनिजी बैठे हैं, ये फरार होने वाले नहीं हैं। आज नहीं, इनको कल सुबह भी अपन बुला सकते हैं। वहां भी गिरफ्तारी का सवाल नहीं है, न गिरफ्तार किया गया, केवल अनुसंधान के लिए कि मुनिजी से इस बात को पूछें। प्रश्न यह आया कि वहां उपासरे में और जैन समाज के आदमी बहुत बैठे थे, जैन समाज के आदमियों के सामने इस प्रकार की बात करना, यह कहां तक उचित होता, और कहां तक मुनिजी उन प्रश्नों का उत्तर देते, जो पुलिस पूछना चाहती थी। यह हम खुद विचार कर लें, यह बिलकुल सम्भव नहीं है। जिस औरत ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई है वह भी जैन समाज की है, उसका लड़का भी साधु हुआ है। अब उसका लड़का साधु है, इसका मतलब तो यह लगा लें कि उस औरत के मन में भी जैन समाज के प्रति प्रतिष्ठा है, जैन धर्म के प्रति मान्यताएं हैं और उसका लड़का चार वर्ष से साधु हुआ है तो उस परिवार में इस प्रकार की व्यवस्था है, वह किस प्रकार से रिपोर्ट करती? अब इसमें विचार करना है कि भीनमाल में कोई और तत्व तो नहीं हैं जिन्होंने इस महिला को आगे किया?

श्री चन्दनमल बैद : वह तो लड़के को वापस लेने के लिए आई थी और वापस ले गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक और बता दूं आपको, मेरी सुनिये। अगर वापस लेने के लिए चार वर्ष से कोशिश कर रही थी, अगर लेने की ही इच्छा थी तो कोशिश तो चार वर्ष में निश्चित रूप से उसने की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होगी और इतना तो आप भी जानते हैं कि यह जो दीक्षा ली जाती है, यह बहुत कष्ट का विषय है। बहुत कष्ट का विषय है। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक वार मुझे दीक्षा समारोह में बाड़मेर ले गये। बाड़मेर में मुझे समारोह में ले गये तो जिस परिवार की लड़कियां दीक्षा ले रही थी उसी परिवार में, सर्किट हाउस में ठहरने की उस समय तक व्यवस्था हो गई थी लेकिन पहले मैं उन्हीं के घर में ठहरता था। वही लड़कियां रोटी खिलाती थी, वही चाय पिलाती, पूरी सेवा करती थी। जब मैं रेलवे स्टेशन के ऊपर रहता था, उतरा तो मुझे कहा कि आप काहे के लिए आये हो। मैंने कहा कि दीक्षा समारोह के लिए। मैंने पूछा भी नहीं दीक्षा समारोह कहां होगा, कैसे होगा। मुझे उसका पता भी नहीं था। मुझे जब सर्किट हाउस में बताया कि हमारे ही मित्र की दोनों लड़कियां दीक्षा ले रही हैं तो मैं बस के ऊपर चला गया और बस में बैठ कर जाने की तैयारी थी। मैंने कहा कि यह दीक्षा मेरे से नहीं देखी जाएगी। यह नहीं कि मैं उसका विरोधी हूं लेकिन मैं देख नहीं सकता। और फिर जबरदस्ती मुझे पकड़ कर ले गये। जिन लड़कियों ने दीक्षा ली, मुझे देखते ही पहले तो उनकी आंखों में आंसू आ गये और फिर मैं भी हिचकियां लेकर रोने लगा। रोने के बाद में धीरे-धीरे निकल कर बस में बैठ कर जोधपुर आ गया। तो दीक्षा लेना और साधु होना, यह मामूली बात नहीं है। घर करोडपतियों के लड़के जब दीक्षा लेकर जाते हैं, करोड़पतियों की लड़कियां जब दीक्षा लेकर जाती हैं तो त्याग जिस सीमा तक वे कर रहे हैं उस त्याग की कोई सीमा नहीं। कोई सीमा नहीं है। पैदल चलना भूखे रहना और समाज के अन्दर चटाई पर, चटाई पर नहीं जमीन के ऊपर सोना और घास पर सोना और इसमें भी दिगम्बर जैनियों का यदि हाल देखें तो भगवान ही बचाए कि किस प्रकार के कष्ट वे सहन करते हैं और किस प्रकार से कष्टों से अपना यह साधु का सारा जीवन वे निभाते हैं। उनको देखने के बाद में एक प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा निश्चित रूप से मिलती हैं। भगवान महावीर के सिद्धान्त उठाकर देखें तो भगवान महावीर कोई जैनी नहीं थे, यह भी किसी को धोखा नहीं रहना चाहिए। भगवान महावीर क्षत्रिय थे। आज जितने जैन समाज के तीर्थंकर हैं वे सारे तीर्थंकर क्षत्रिय हैं, कोई तीर्थंकर जैन समाज से नहीं आया है। सब जो शासन करते थे या जिनके हाथ में शासन था या जिनको थोड़ी-बहुत भी शासन की जानकारी थी वे तीर्थंकर बने हैं। जैन धर्म में कहीं यह नहीं है कि कोई जैनी के घर में पैदा होगा वही जैनी होगा।

मेरे सामने एक सदस्य बैठते थे श्री मोतीलालजी, वे चौधरी थे। वे जैन धर्म में विश्वास करते थे कट्टर जैनी थे। व्यवहार में जैनी, बातचीत में जैनी, शास्त्रार्थ में जैनी, सब प्रकार से थे वे। तो यह जैन धर्म कोई एक विशेष धर्म नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस समय भी जैनियों में ज्यादा साधु राजपूत ही हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आप यह समझते हों कि राजपूतों में खाने-पीने का नहीं था इसलिए वे साधु हो गये, यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी भी जैन धर्म में आस्था है, जैन मुनियों के प्रति मेरी जबरदस्त आस्था है। उनके त्याग और तपस्या का मैं गुणगान करता हूं और आज भी कहता हूं कि हिन्दुस्तान की जिस प्रकार की अब व्यवस्थाएं चल रही है उन व्यवस्थाओं में धर्म की जो संरचना है, संरक्षण है वह इन मुनियों द्वारा किया जा रहा है, चाहे वे जैन मुनि हों, चाहे वे दूसरे मुनि हों। इन सब मुनियों ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं समाज में दी हैं उन व्यवस्थाओं के आधार पर चलते रहेंगे तो ज्यादा ठीक है।

मैं सदन के बारे में एक निवेदन करना चाहूंगा और मैं समझता हूं, दो मिनट में अपनी बात खतम करता हूं लेकिन आप इसको गम्भीरता से लें। यह सदन एक इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी नहीं है। यह सदन जनभावनाओं का प्रतीक हो सकता है लेकिन यह सदन इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी नहीं है। सदन ही अगर इन्वेस्टीगेशन करके कोई फैसला करे तो पुलिस की और जुडीशियरी की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के मामलों में अल्पमत और बहुमत के भी फैसला नहीं होता। यह फैसला इस आधार पर होता है कि हम अपनी भावनाएं सरकार तक पहुंचाएं और सरकार उन भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रशासन में इस प्रकार का सुधार करे जिससे लोगों की इस प्रकार की व्यथाएं कम हों और धीरे–धीरे समाप्त हो जाएं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि धीरे-धीरे, धीरे–धीरे अगर सदन को हम इस ओर ले जाएंगे कि राजपूत का मामला है तो भैरोंसिंह बोलेगा, जाट का मामला आया तो रामनारायणजी बोलेंगे, जैन का मामला आया तो कोई जैनी बोलेगा, ब्राह्मण का मामला आया तो जगन्नाथजी बोलेंगे। मैं समझता हूं कि सदन में कम से कम इस प्रकार की चर्चा नहीं हो। इस आधार पर चर्चा नहीं हो कि हम जाति के आधार पर चल रहे हैं या परिस्थितियों के आधार पर बोल रहे हैं।

कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि आपने एफ. आई. आर. यहां पर पढ़कर क्यों नहीं सुनाई। और परसों गृह मंत्री जी ने एफ. आई. आर. का उल्लेख कर दिया तो उधर से आपत्ति आई कि आपने एफ. आई. आर. क्यों सुनाई। जब हमारी हालत तो दोनों तरफ से विचित्र है, एफ. आई. आर. पढ़कर सुनाते हैं तो आपत्ति, एफ. आई. आर. पढ़कर नहीं सुनाते हैं तो आपत्ति। आज अगर नहीं सुनाई तो उसके ऊपर आपत्ति हुई, परसों सुना दी थी तो उसके ऊपर आपत्ति हुई। आखिर कहीं न कहीं तो कोई सीमा होगी। यह समस्या मेरे लिए ही नहीं है यह समस्या आपके लिए भी है। कोई भी राज करेगा उसके सामने यह समस्या पैदा होगी। ऐसी समस्याओं का समाधान यदि निश्चित रूप से और निष्पक्ष रूप से सदन का क्या अधिकार और क्या कर्तव्य है उस सारी परिधि में रहते हुए हमने किया तो इस राजस्थान का ही नहीं हम पूरे हिन्दुस्तान का मार्गदर्शन कर सकते हैं। और यदि इन्हीं बातों को लेकर हम चले कि जाट का मामला आया तो जाट को बोलना चाहिए,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजपूत का मामला आया तो मुझे बोलना चाहिए, ब्राह्मण का मामला आया तो घनश्याम जी को बोलना चाहिए तो भगवान की कृपा से जो समाज में विभाजन हो रहा है... वह हो रहा है वह भी खतरनाक है। किसान सभा के माध्यम से इस प्रकार के विभाजन की प्रेरणा हम नहीं दें यह ज्यादा उचित होगा।

मैं अन्त में फिर सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे एस. पी. ने गलती की हो चाहे, किसी भी अफसर ने गलती की हो उस अफसर के खिलाफ तो कार्यवाही की जाएगी। मैंने एक कमीशन नियुक्त कर दिया, आप अगर कोई दूसरा कमीशन चाहें तो मैं नियुक्त करने को तैयार हूं। हम सब लोगों की इच्छा यह होनी चाहिए कि मुनि जी का दाह संस्कार हो। दाह संस्कार के साथ ही इन्क्वायरी की सारी प्रक्रियाएं चलें वह ज्यादा उचित होगा। यह जिद करना कि दाह संस्कार नहीं होगा तब तक हम भूखे रहेंगे, मैंने तो कल का खाना अभी तक नहीं खाया। ये तो सुबह खाकर आये हैं लेकिन सतीश जी की मृत्यु होने के बाद में रात का खाना भी नहीं खा सका, मेरी तबियत भी खराब थी और सुबह भी मैंने खाना नहीं खाया। लेकिन इसलिए नहीं कि जैन मुनि का दाह संस्कार नहीं हुआ। मैं जब यहां आया हाउस में और आते ही जिस प्रकार की चर्चा हुई, मैंने अपने साथियों से बात की गई, उन मुनिजी का क्या दोष है? उन्होंने आत्महत्या कर ली, उनके शव के ऊपर यह सारा वातावरण क्यों बनाया जा रहा है?

अन्त में मैं आपको एक सेन्टेन्स में कह देना चाहता हूं कि चाहे बलात्कार हो, चाहे हत्या हो, चाहे डकैती हो, चाहे बच्चों का अपहरण हो इस राजनीति के आधार पर हम कई बार कहते हैं कि महिलाओं का देह शोषण हो रहा है बलात्कार नहीं हो रहा है। मैं आज आपको कहता हूं कि इन अपराधियों के प्रति राजनीतिक शोषण उस देह व्यापार से ज्यादा खतरनाक है, देह शोषण से भी ज्यादा खतरनाक है इसलिए हम किसी का राजनीतिक शोषण करने की चेष्टा छोड़ें और अपनी आत्मा में झाक कर जो सही लगता हो वह कहें। सरकार की आलोचना मुझे आप से करें, खुले मुंह से करें मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। आज यह सरकार बैठी है और आप विरोधी दल में हैं, हम ही विरोधी दल है तो हमारा विरोध तो करेंगे ही और हमारी सरकार बैठी है, हम सरकार चलाएंगे लेकिन यह जिस प्रकार की शोषण की स्थिति है इन घटनाओं का राजनीतिक शोषण नहीं करें। राजनीतिक शोषण करेंगे तो आज चाहे आप मेरी आलोचना कर लें कल आपके सामने भी यही समस्याएं रहेंगी। कांस्टीट्यूएंसी में भी इस प्रकार की समस्याएं खड़ी होंगी। इस धोखे में नहीं रहें कि इस घटना के कारण जैन समाज हमारे खिलाफ हो जाएगा। आप कहो तो मेरे साथ जालौर चले चलो जैन समाज किसके साथ है इसका पता लग जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(156)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहीं आप क्षत्रिय परम्परा निभाते हुए उनके तीर्थंकर नहीं बन जाएं वरना राजस्थान का क्या होगा ? यह निवेदन कर रहा हूं मैं तो कि क्षत्रिय परम्परा निभाते हुए कहीं आप उनके तीर्थंकर नहीं बन जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : अधिसूचनाएं। माननीय सदस्य, अधिसूचनाएं।

एक माननीय सदस्य : मेरी अभी-अभी भीनमाल में बात हुई है, भीनमाल के अन्दर....

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, एक मैंने मांग रखी थी और काफी लोगों से बातचीत करने के बाद रखी थी, कोई राजनीतिक शोषण की बात नहीं है। प्रतिपक्ष के लोगों की भावना थी और जनप्रतिनिधियों की जो भावना होती है वह इस सदन से रखी जाती है। मैंने आपसे यह मांग की थी कि क्योंकि डीवाई. एस. पी. के रिमूवल के बाद कम से कम गवर्नमेंट इस बात से प्राइमाफेसी सेटिसफाई होगी कि एस.पी. ने हेस्ट और रैशनैस से काम किया है, और मैंने मांग रख दी थी मुख्य मंत्री जी के बोलने के पहले। उस पर आप कहें कि हमने सिर्फ उनका स्थानान्तरण कर दिया है और आप उसको सस्पेंड करने के सम्बन्ध में आज कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं क्योंकि यह मांग पहले ही मैं रख चुका हूं और आप मांग को स्वीकार नहीं करते हैं इसके विरोध में मैं मेरे दल के साथ यहां से बहिर्गमन करता हूं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के **सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन**)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से आज की कार्य सूची पूरे होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है कि आज की कार्यसूची जो दी गई है उसमें डिमाण्ड्स पास होना अंकित है। डिमाण्ड्स के लिए और एप्रोप्रिएशन बिल दोनों के लिए तीन रोज का समय रखा गया था। आज यदि डिमाण्ड्स पर कार्यवाही शुरू और पूरी होती है तो उस पर समय नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो तीन दिन का समय रखा गया था वह तीन दिन का समय इसके लिए निर्धारित किया जाए। वरना आज ही आपकी कार्य सूची में उन सबका पास होना जरूरी है।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

परिवहन विभाग

श्री उपाध्यक्ष : श्री रोहिताश्व कुमार, परिवहन राज्य मंत्री विभाग की, 48 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा (राज्य मंत्री परिवहन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की निम्नांकित 48 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:–

1. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु/95/पार्ट-फा दिनांक 31 मार्च, 1997 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951 में संशोधन किये गये है,

2. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/ पार्ट–का–I दिनांक 24 अप्रेल, 1997 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951 में संशोधन किये गये हैं,

3. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/ पार्ट–फा–I दिनांक 30 अप्रेल, 1997 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951 में संशोधन किया गया हैं;

4. अधिसूचना संख्या एफ. 10(240) परि/पी. डी./91/पार्ट–फा दिनांक 30 अप्रेल, 1997 जिसके द्वारा मल्टी व एक्सेल भार वाहनों को दी गई छूट को समाप्त किया गया है;

5. अधिसूचना संख्या एफ. 10(240) परि/पी. डी./91/पार्ट–फा–II बी दिनांक 5 मई, 1997 जिसके द्वारा मल्टी एक्सेल भार वाहनों को दी गई छूट के प्रकरण में समयावधि बढ़ाई गई है;

6. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/1 दिनांक 31 मार्च, 1997 जिसके द्वारा नए कर की दरों में संशोधन किया गया है;

7. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु /95/1 ए दिनांक 24 अप्रेल, 1997 जिसके द्वारा नए कर की दरों में संशोधन किया गया है;

8. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/1 बी दिनांक 31 जुलाई, 1997 जिसके द्वारा नए कर की दरों में संशोधन किया गया है;

9. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/2 दिनांक 31 मार्च, 1997 जिसके द्वारा नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों के अलावा अन्य वाहनों पर लगने वाले एक बारीय कर की दरों में संशोधन किया गया है;

10. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/2ए दिनांक 24 अप्रेल, 1997 जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 6(179) परि/टैक्स/मु./95/2 दिनांक 31 मार्च, 1997 में संशोधन किया गया है;

11. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/2बी दिनांक 31 जुलाई, 1997 जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/2 दिनांक 31 मार्च, 1997 में संशोधन किया गया है;

12. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/3 दिनांक 31 मार्च, 1997 जिसके द्वारा ट्रांसपोर्ट वाहनों पर की दर का निर्धारण किया गया है;

(श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा)

13. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/3ए दिनांक 24 अप्रेल, 1997 जिसके द्वारा ट्रांसपोर्ट वाहनों पर कर की दरों में संशोधन किया गया है;

14. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/3बी दिनांक 30 अप्रेल, 1997 जिसके द्वारा ट्रांसपोर्ट वाहनों पर कर की दरों में संशोधन किया गया है;

15. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/3सी दिनांक 1 जुलाई, 1997 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/3बी दिनांक 30 अप्रेल, 1997 में संशोधन किया गया है;

16. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/3डी दिनांक 22 जुलाई, 1997 जिसके द्वारा ट्रांसपोर्ट वाहनों पर कर की दरों में संशोधन किया गया है;

17. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/4 दिनांक 31 मार्च, 1997 जिसके द्वारा अस्थायी अनुज्ञा पत्रों पर संचालित अन्य राज्यों के माल वाहनों पर लगने वाले करों का निर्धारण किया गया है;

18. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/4ए दिनांक 24 अप्रेल, 1997 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/4 दिनांक 31 मार्च, 1997 में संशोधन किया गया है;

19. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/5 दिनांक 31 मार्च, 1997 जिसके द्वारा वाहन निर्माताओं एवं डीलरों के अधिपत्र में रखे वाहनों पर कर का निर्धारण किया गया है;

20. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/5ए दिनांक 24 अप्रेल, 1997 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/5 दिनांक 31 मार्च, 1997 में संशोधन किया गया है;

21. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/6 दिनांक 31 मार्च, 1997 जिसके द्वारा जिसके द्वारा फिलट मार्ग के अलावा राज्य की मंजिली मार्गों पर विशेष पथ कर का निर्धारण किया गया है;

22. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/6ए दिनांक 24 अप्रेल, 1997 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/6 दिनांक 31 मार्च, 1997 में संशोधन किया गया है ;

23. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/6बी दिनांक 30 अप्रेल, 1997 जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./92/6 दिनांक 31 मार्च, 1997 में संशोधन किया गया है;

24. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/7 दिनांक 31 मार्च, 1997 जिसके द्वारा फिलट मार्ग के मंजिली यानों पर कर का निर्धारण किया गया है;

25. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179)

(श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा)

परि/टैक्स/मु./95/7ए दिनांक 24 अप्रेल, 1997 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/7 दिनांक 31 मार्च, 1997 में संशोधन किया गया है;

26. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु./95/8 दिनांक 31 मार्च, 1997 जिसके द्वारा नगरीय सीमा में संचालित मंजिली वाहनों पर विशेष पथ कर का निर्धारण किया गया है;

27. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु/95/8ए दिनांक 30 अप्रेल, 1997 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 6(179)परि/टैक्स/मु/95/8 दिनांक 31 मार्च, 1997 में संशोधन किया गया है;

28. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु/95/9 दिनांक 31 मार्च, 1997 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य की भार वाहनों पर विशेष पथ कर का निर्धारण किया गया है;

29. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु/95/9ए दिनांक 30 अप्रेल, 1997 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ 6 (179)परि/टैक्स/मु/95/9 दिनांक 31 मार्च, 1997 में संशोधन किया गया है;

30. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु/95/10 दिनांक 31 मार्च, 1997 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में अस्थायी अनुज्ञा पत्रों पर संचालित अन्य राज्यों के परिवहन यानों पर विशेष पथ कर का निर्धारण किया गया है;

31. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु/95/10ए दिनांक 24 अप्रेल, 1997 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ 6(179)परि/टैक्स/मु/95/10 दिनांक 31 मार्च, 1997 में संशोधन किया गया है;

32. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु/95/10बी दिनांक 30 अप्रेल, 1997 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु/95/10 दिनांक 31 मार्च, 1997 में संशोधन किया गया है;

33. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु/95/11 दिनांक 31 मार्च, 1997 जिसके द्वारा अस्थायी व स्थायी संविदा अनुज्ञा पत्रों पर संचालित वाहनों पर विशेष पथ कर का निर्धारण किया गया है;

34. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु/95/11ए दिनांक 1 जुलाई, 1997 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 6(179)परि/टैक्स/मु/95/11 दिनांक 31 मार्च, 1997 में संशोधन किया गया है;

35. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु/95/12 दिनांक 31 मार्च, 1997 जिसके द्वारा अन्तरराज्यीय मार्गों पर संचालित अन्य राज्यों की मंजिली वाहनों पर विशेष पथ कर का निर्धारण किया गया है;

36. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु/95/12ए दिनांक 1 जुलाई, 1997 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ 6(179)परि/टैक्स/मु/95/12 दिनांक 31 मार्च, 1997 में संशोधन किया गया है;

37. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु/95/13 दिनांक 31 मार्च, 1997 जिसके द्वारा निजी सेवा यानों पर विशेष पथ कर का निर्धारण किया गया है;

(श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा)

38. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु/95/14 दिनांक 31 मार्च, 1997 जिसके द्वारा पारस्परिक समझौते के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा पत्रों पर संचालित अन्य राज्यों में भार वाहनों पर विशेष पथ कर का निर्धारण किया गया है;

39. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु/95/15 दिनांक 31 मार्च, 1997 जिसके द्वारा बिना पारस्परिक समझौते के अन्तर्गत अन्तरराज्यीय मार्गों पर संचालित अन्य राज्यों के भार वाहनों पर कर की दर निर्धारण किया गया है;

40. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु/95/16 दिनांक 31 मार्च, 1997 जिसके द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 (9) के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा पत्रों पर संचालित अन्य राज्यों की परिवहन यानों पर कर की दर का निर्धारण किया गया है;

41. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु/95/17 दिनांक 10 अप्रेल, 1997 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951 में संशोधन किया गया है;

42. अधिसूचना संख्या एफ. 6(179) परि/टैक्स/मु/95/18 दिनांक 10 अप्रेल, 1997 जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ. 6(179)परि/टैक्स/मु/95/16 दिनांक 31 मार्च, 1997 में संशोधन किया गया है;

43. अधिसूचना संख्या प. 6 (125) परि/कर/कर मुक्त दिनांक 26 मार्च, 1997 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गीता बजाज महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, मोती डूंगरी, रोड जयपुर की छात्राओं एवं अध्यापिकाओं को शैक्षणिक भ्रमण दिनांक 28.3.1997 से 2.4.1997 तक के अवसर पर अनुबन्धित बस संख्या आर.जे. 14/पी-1191 को देय कर में छूट दी गई है;

44. अधिसूचना संख्या प. 6 (96) परि/मु/कर/मु/93-11 दिनांक 5 जून, 1997 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत श्री योग वेदान्त सेवा समिति के अन्तर्गत डी.एल.-1 पी. 4774 को करों में छूट दी गई है;

45. अधिसूचना संख्या प6 (96)परि/मु/कर/मु/93-11 दिनांक 19 अगस्त, 1997 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत श्री ओस्मान ए. गांधी की वाहन संख्या जी. जे. 1i टी 1587 में कर दी छूट की गई है;

46. अधिसूचना संख्या प. 7 (100) परि/नियम/मु/दिनांक 26 अगस्त, 1997 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प. 7(100) परि/मु/नियम/मु/95 दिनांक 19.11.96 में संशोधन किया गया है;

47. अधिसूचना संख्या प. 7(127) परि/नियम/एच.क्यु/एमेन्ड/95/पार्ट दिनांक 26 अगस्त, 1990 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 में संशोधन किया गया है;

(श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा)

48. अधिसूचना संख्या प. 7 (14) परि/नियम/मु/95/दिनांक 1 सितम्बर, 1997 जिसके द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 200 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1996 से पूर्व कारित विभिन्न अपराधों के प्रशमान के लिए निर्धारित राशि को आधा किया गया है।

कृषि विभाग

श्री उपाध्यक्ष : श्री जसवन्त सिंह जी, राज्य मंत्री कृषि विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री जसवन्त सिंह विश्नोई (राज्य मंत्री कृषि) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कृषि विभाग की निम्नांकित तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं –

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ. 6 (6) एग्री/ग्रुप-2/97 दिनांक 7 जून, 1997 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 में संशोधन किये गये हैं;

(2) अधिसूचना क्रमांक एफ 9 (11) कृषि/ग्रुप-2/94-I दिनांक 28 जून, 1997 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मण्डी समितियों द्वारा अभिदाय) नियम, 1974 में संशोधन किया गया है; एवं

(3) अधिसूचना क्रमांक प. 8 (8)कृषि/ग्रुप-2/92 दिनांक 7 जून, 1997 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी सेवा (पेंशन) नियम, 1995 में संशोधन किया गया है।

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रताप खाद्य एवं नागरिक रसद राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

डा. रामप्रताप (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक रसद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 17 (24) खा.वि. विधि/90 दिनांक 6 मार्च, 1997 जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ. 7 (24) एफ. एस./लीगल/90 दिनांक 28 अक्टूबर, 1990 व क्रमांक एफ. 17 (24) एफ.एस. लीगल/90 दिनांक 18 जून, 1994 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री, लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : आई एम ऑन ए पाइंट ऑफ आर्डर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मुख्य मंत्री जी, मैंने सुबह आपको नोटिस भी भेजा है, स्पीकर के कार्यालय में। भारतीय संविधान की धारा 323 (2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 46वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 सदन की मेज पर रखेंगे और दूसरा है लोकायुक्त के निम्नांकित सात विशेष प्रतिवेदन एवं धारा 12 (5) के अन्तर्गत उस पर स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन की मेज पर रखेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1990 से जब यह सरकार आयी है तब से राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर और राजस्थान लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर आज तक चर्चा नहीं हुई। हमारे जो विधान सभा के नियम

(श्री विष्णु मोदी)

हैं उसमें रिपोर्ट आदि पर चर्चा-126 में है कि सदन के किसी सत्र या सत्रों में निम्नलिखित रिपोर्टों आदि पर जैसी कि सदन के पटल पर रखी जाएं प्रत्येक वर्ष कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर चर्चा की जाएगी अर्थात् राजस्थान लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का प्रतिवेदन । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त राजस्थान लोक सेवा आयोग की क्या स्थिति है ? पर्चे लीक-आउट हुए, परीक्षा के बिके....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि कार्य सलाहकार समिति में अगर इस विषय पर विचार होगा तो निश्चित रूप से हो जाएगा । पदस्थापन तो कमेटी में भी हो सकता है पहले ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट । हमारी जो रूल्स और रेगुलेशंस की किताब है उसमें कार्य सलाहकार समिति लिखा हुआ है । कार्य सलाहकार समिति में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है । 1990 से लेकर आज तक राजस्थान लोक सेवा आयोग और लोकायुक्त की किसी रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हुई । अगर आप सदन के नेता....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : मुझे दुःख है कि माननीय सदस्य ने कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर कभी भी संशोधन पेश नहीं किया, उसके लिए आप भी दोषी हैं । कार्य सलाहकार समिति में सारी बातें निर्विरोध हुई हैं, उसमें तय हुई हैं सर्वसम्मति से ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बी.ए.सी. का विषय है ।

श्री विष्णु मोदी : मेरा एक मिनट सुन लें आप ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके पाइंट आफ आर्डर को रिजेक्ट करता हूं । रिजेक्ट हो गया, यह तो रिजेक्ट हो गया ।

श्री विष्णु मोदी : मैंने पूरा किया ही नहीं । मैंने अपना पाइंट आफ आर्डर पूरा किया ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पूरा सुन लिया, अंकित नहीं होगा । माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा ।

श्री विष्णु मोदी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मैंने रिजेक्ट कर दिया । अंकित नहीं होगा । आपके रेज करते ही मैं समझ गया कि आपका पाइंट आफ आर्डर क्या है, उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया । अभी भी आप आगे बोलेंगे तो अंकित नहीं होगा ।

श्री विष्णु मोदी : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

प्रतिवेदन

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 46वां वार्षिक प्रतिवेदन

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारतीय संविधान की धारा 323 (2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 46वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995–96 सदन की मेज पर रखता हूं।

लोकायुक्त के 7 विशेष प्रतिवेदन तथा धारा 12(5) के अन्तर्गत उस पर स्पष्टीकारक ज्ञापन

इसी के साथ मैं लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12(3) के अन्तर्गत लोकायुक्त के निम्नांकित कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सात विशेष प्रतिवेदन तथा धारा 12(5) के अन्तर्गत उस पर स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूं :–

(अ) श्री आर. पी. जैन, आई.ए.एस. तत्कालीन जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा के विरुद्ध टीक की लकड़ी में 11 लट्ठों के अवैध ट्रांसपोर्टेशन के आरोप के सम्बन्ध में;

(ब) श्री आई. एस. कावड़िया, आई.ए.एस. तत्कालीन आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण के विरुद्ध जयपुर स्थित हथरोई कच्ची बस्ती, लिंक रोड, क्षेत्र के निजी भूखण्ड संख्या 73, 74 व 75 से बेदखल किये परिवारों को बिना आबंटन आदेश शर्तों एवं निबंन्धों की पालना किये बिना ई.डब्ल्यू.एस. क्वार्टर्स का कब्जा दिलवाकर प्राधिकरण को लगभग 40 लाख रुपये की वित्तीय हानि पहुंचाने के आरोप के सम्बन्ध में;

(स) श्री टी. आर. वर्मा, आई.ए.एस. तत्कालीन आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण के विरुद्ध आवासीय प्लाट–सी, तोला निवास, सी-स्कीम (पुरानी सब्जी मण्डी के पास), जयपुर के सन्दर्भ में मै. अनुकम्पा बिल्डर्स के विरुद्ध स्वीकृत क्षेत्र से अधिक क्षेत्र पर निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करने के आरोप के सम्बन्ध में,

(द) श्री टी. आर. वर्मा, आई.ए.एस. तत्कालीन आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण के विरुद्ध प्लाट संख्या एच–19, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर के मालिक श्री बेनीप्रसाद अग्रवाल को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बिल्डिंग रेग्युलेशन का उल्लंघन कर प्लाट निर्माण में अधिक एफ.ए.आर. (2) तथा अधिक ग्राउण्ड कवरेज तथा जीरो संटबैक बी. पी. सी. 11 की मीटिंग में स्वीकृत कराकर अपनी पदीय स्थिति का दुरुपयोग करने के आरोप के सम्बन्ध में।

(य) श्री एम. डी. कोरानी, आई. ए. एस तत्कालीन आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण के विरुद्ध कुछ प्रतिष्ठावान व्यक्तियों को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

(र) श्री टी. आर. वर्मा, आई.ए.एस. तत्कालीन आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण के विरुद्ध एम. आई. रोड पर आनन्द चैम्बर्स के निर्माण में हुई अनियमितताओं को नियमित करने के आरोप के सम्बन्ध में, एवं

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

(ख) श्री टी. आर. वर्मा, आई.ए.एस. तत्कालीन आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण के विरुद्ध नियमों के विपरीत मैसर्स ग्रोम स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के हित को ध्यान में रखते हुए रिवाल्विंग टावर के क्षेत्रफल को अधिकतम एफ.ए.आर. 2.5 के अलावा रखने एवं टावर की छठी से नवीं मंजिल पर रेस्ट्रां बनाने की स्वीकृति देने के आरोप के सम्बन्ध में ।

समिति का प्रतिवेदन

याचिका समिति 1997-98 का सप्तम् प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ, सभापति, याचिका समिति, 1997-98 समिति का एक प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे ।

श्री कालीचरण सराफ (सभापति, याचिका समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, याचिका समिति, 1997-98 समिति का सप्तम् प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन । श्रीमती नरेन्द्र कंवर, सभापति, प्रवर समिति, राष्ट्रीय रज्जू मार्ग विधेयक, 1996-97 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगी ।

राष्ट्रीय रज्जू मार्ग, 1996-97 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (राज्य मंत्री, पर्यटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्रवर समिति राष्ट्रीय रज्जू मार्ग विधेयक, 1996 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन । श्री अमरचन्द मिड्ढा, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सूचना देनी है । मेरे यहां माननीय ओमप्रकाश सांई 11 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं एस.डी.ओ. कोर्ट के आगे । उनकी हालत खराब हो रही है । वे नीमकाथाना को जिला बनाने के लिए 11 दिन से बैठे हुए हैं, तीन किलो वजन कम हो गया । उसकी कोई न कोई व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये । आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं एस.डी.ओ. कोर्ट के सामने और उनकी मंशा है कि नीमकाथाना पहले निजामत चलता था स्टेट का और वह निजामत का दर्जा जिले के बराबर था और उसके नीचे श्रीमाधोपुर....

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरचन्द मिड्ढा ।

याचिकाओं का उपस्थापन

जयपुर शहर के महादेव नगर में पाइप लाइन बाबत

श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य, विधान सभा जयपुर शहर के महादेव नगर में पाइप लाइन डलवाने विषयक एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

श्री मोहनलाल मोदी : टाइम देंगे मेरे को एक मिनट का ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा चार याचिकाएं उपस्थापित करेंगे ।

श्री महावीर मगोरा (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित चार याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :–

नांदेशमा तहसील गोगुन्दा में पशु औषधालय स्वीकृति हेतु

(1) ग्राम पंचायत मुख्यालय नांदेशमा तहसील गोगुन्दा में पशु औषधालय स्वीकृत कराये जाने बाबत सात व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित;

गोगुन्दा से पदराड़ा वाया नांदेशमा ढोल, कपोल मार्ग को राष्ट्रीयकृत घोषित कर परिवहन निगम की बसें चलाने बाबत

(2) जसवन्तगढ़ तहसील गोगुन्दा से पदराड़ा वाया नांदेशमा, ढोल, कपोल मार्ग को राष्ट्रीयकृत घोषित कर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलाने बाबत सात व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित;

नांदेशमा तहसील गोगुन्दा (उदयपुर) में बीजावाला नाला एनीकट निर्माण एवं शोभावास तालाब की दुरुस्ती करने बाबत

(3) ग्राम पंचायत क्षेत्र नांदेशमा तहसील गोगुन्दा (उदयपुर) में बीजावाला नाला एनीकट निर्माण एवं शोभावास तालाब की दुरुस्ती कराने बाबत सात व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित; एवं

ढोल (गोगुन्दा) में सूरत (गुजरात) तक परिवहन निगम की बसें संचालित करने बाबत

(4) ढोल (गोगुन्दा) में सूरत (गुजरात) तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित करने बाबत सात व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री मोहनलाल मोदी : कि पहले यह निजामत होती थी नीमकाथाना....

व्यवस्था
अनुपूरक अनुदान एवं अतिरेक मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

श्री उपाध्यक्ष : अनुपूरक अनुदान की मांगों एवं अतिरेक मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस संबंध में गत कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होते हैं, वे यह मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिये कटौती प्रस्तावों में से उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती रही है जिसके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत कर दिये जाते हैं। जब मांग मतदान के लिए आती है उस समय भी स्वतः यह मान लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं वे वापस ले लिये गये हैं, यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा दिये जाएगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती

(166)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके उनके लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है।

(17.00)

(क) अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष, 1997–98 (प्रथम संकलन) पर विचार एवं मतदान।

(ख) वर्ष, 1986–87, 1987–88, 1988–89, 1989–90 एवं 1990–91 के लिए अतिरेक मांगों पर विचार एवं पारण।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य– विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा हुई थी तो इन मांगों पर चर्चा के लिये और इससे सम्बन्धित विधेयक को पास करने के लिये 3 दिन का समय तय किया गया था। आज....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पहले पुट-अप तो कर लेने दीजिए। पुटअप के बाद....

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, मैं पुटअप के बाद ही कह रहा हूं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, पुटअप तो कर दीजिए, आप पास भी कर लीजिए....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पुटअप ही कर रहा हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : एक मिनट, एक सवाल उठाया था ....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां, उसके बाद बताएं आप। एक बार यहां पुरःस्थापित कर दें उसके बाद में बताएं आप।

अनुदान की मांगें

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1997-98 तथा अतिरेक अनुदान की मांगों वर्ष 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90 व 1990-91 का उपस्थापन

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19–लोक निर्माण कार्य की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1997–98 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांगें तथा वर्ष 1986–87 एवं 1987–88 की अतिरेक मांगों में से मांग संख्या–19 लोक निर्माण कार्य को सदन के समक्ष विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री मांग संख्या 27 पेयजल योजना विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27–पेयजल योजना की प्रस्तुति

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1997–98 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांगें तथा वर्ष 1987–88, 1988–89, 1989–90 एवं 1990–91 की अतिरेक मांगों में से मांग संख्या 27–पेयजल योजना को सदन के समक्ष विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी, सिंचाई मंत्री, मांग संख्या 46 सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर योजना सहित) विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46 सिंचाई की प्रस्तुति

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1997–98 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांगें तथा वर्ष 1986-87, 1987-88, 1988–89 एवं 1990-91 की अतिरेक मांगों में से मांग संख्या 46–सिंचाई को सदन के समक्ष विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवरलाल जाट, सहायता एवं पुनर्वास, राज्य मंत्री मांग संख्या 34–प्राकृतिक आपदाओं से राहत विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34–प्राकृतिक आपदाओं से राहत की प्रस्तुति

श्री सांवरलाल जाट (राज्य मंत्री, सहायता एवं पुनर्वास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1997–98 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांगें तथा वर्ष 1987–88, 1988–89 एवं 1990 91 की अतिरेक मांगों में से मांग संख्या 34–प्राकृतिक आपदाओं से राहत को सदन के समक्ष विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दनमल बैद।

श्री शिवनाथ सिंह : आप मांगों पर बोल रहे हैं क्या ?

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ इनफोरमेशन है। मैं एक इनफोरमेशन देना चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट मोदी जी को बोलने दें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष जी, **I am speaking on a point of order.**

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष जी, नीमकाथाना में एक ओमप्रकाश सांई 11 दिन से भूख हड़ताल पर, आमरण अनशन पर एस. डी. ओ. कोर्ट के सामने बैठा हुआ है। उनकी मांग है कि नीमकाथाना को जिला बनाया जाए। नीमकाथाना को जिला बनाने के लिये उन्होंने अपनी यह स्थिति बताई है कि पहले जयपुर स्टेट के टाइम में वहां निजामत होती थी और श्रीमाधोपुर तहसील, खण्डेला तहसील, दांतारामगढ़, बैराठ, शाहपुरा सारा इलाका नीमकाथाना निजामत के नीचे होता था। इसलिये वहां के नागरिकों की बहुत बड़ी मांग है और उनमें बहुत बड़ा रोष है। इस सांई का 3 किलो वजन घट गया है, एक सितम्बर से वह आमारण अनशन पर बैठा हुआ है। इसलिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके इसका कोई न कोई हल निकाले। धन्यवाद।

मांग संख्या 19 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 19 मुख्य शीर्षक लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :–

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) :

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) :

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार मिटाने बाबत चर्चा के लिए।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर):

2. सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

श्री भूपसिंह शेखावत (झुन्झुनूं) :

3. विभाग के द्वारा जयपुर में स्कूल भवनों की जीर्ण शीर्ण स्थितियों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

4. विभाग के सचिव पद पर तकनीकी अधिकारी के बजाय प्रशासनिक अधिकारी लगाये जाने पर चर्चा के लिए।

5. नागौर जिले के उपखण्ड लाडनूं में लम्बे समय से दो जूनियर इंजीनियरों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) :

6. तहसील मुख्यालय औसिया एवं भोपालगढ़ में डाक बंगले का निर्माण बाबत चर्चा के लिए।

7. निर्वाचन क्षेत्र भोपालगढ़ में सरकारी भवनों से वंचित ग्रामीण क्षेत्र में उचित रख-रखाव पर चर्चा के लिए।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :

8. सार्वजनिक निर्माण विभाग में फैले व्यापक भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

9. जहाजपुर में डाक बंगले के अधूरे कार्य को पूरा कर विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :

10. झुन्झुनूं जिले की सड़कों की लम्बाई को देखते हुए एक दूसरा पद अधिशासी अभियन्ता सृजन हेतु चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

11. महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर में 1932 में बनी सुरंग (रास्ता) का रख-रखाव न होने के कारण चिन्ताजनक हालत है। इस सुरंग की मरम्मत करने पर चर्चा के लिए।

12. महात्मा गांधी चिकित्सालय, उम्मेद चिकित्सालय एवम् मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर के जनरल वार्डों के बाथ-रूम व भवन के रख रखाव मरम्मत पर चर्चा के लिए।

13. सार्वजनिक विभाग के डाक बंगला (रेस्ट हाउस) में नये कमरों का निर्माण व रख रखाव पर चर्चा के लिए।

14. स्कूल भवनों एवं सरकारी भवनों के रख रखाव पर चर्चा के लिए।

15. महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर में नये और कौटेज वार्ड बनाये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री मदनमोहन (खेरथल) :

16. इस विभाग द्वारा कराये गये निर्माण की जांच के लिये अलग से सैल बनाने पर चर्चा के लिए।

17. लोक निर्माण विभाग के द्वारा निर्माण कार्यों को बन्द कराया जाकर इसके लिये अलग से समिति के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. लोक निर्माण विभाग की लापरवाही व व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) :

19. ग्रामीण क्षेत्र केशवरायपाटन में पंचायत स्तर पर कर्मचारियों के आवासीय भवन, चिकित्सा भवन आदि न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

20. केशवरायपाटन (बूंदी) तहसील मुख्यालय पर चिकित्सा भवनों पर भू-गर्भीय हलचल से हो रही क्षति के कारण अन्यत्र भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. बूंदी जिले की कापरेन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छात्रा के भवनों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

22. केशवरायपाटन क्षेत्र में अधिकांश उच्च प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

23. उदयपुर में सरकारी भवनों के रख-रखाव के लिये वित्तीय व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

24. सकरारी भवन खास कर महाराजा भूपाल सामान्य चिकित्सालय में साधारण मेंटीनेस के कार्य भी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

25. उदयपुर एस. आई. आर. टी. के हाल निर्माण के लिये वित्तीय स्वीकृति के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

26. बढ़ती महंगाई को देखते हुए मजदूरों की मजदूरी बढ़ायें जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. वस्तुओं के बढ़े हुए दामों के अनुसार क्रय की जाने वाली निर्माण सामग्री के मूल्य को न बढ़ाये जाने से निर्माण कार्य के गिरते स्तर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या 27 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक पेयजल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:–

श्री भरतसिंह (खानपुर) :

1. प्रदेश में भू-जल के गिरते स्तर एवं पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री भरतसिंह)

2. रामगंज मण्डी के खनिज क्षेत्रों में से भू-जल को व्यर्थ निकालने के जल स्तर के गिरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :

3. ग्राम बादला के निवासियों को खारे पानी की जगह शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

4. ग्राम गोल, ग्राम तेंवरी तहसील सिरोही की हरिजन बस्तियों में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु पाइप लाइन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

5. सिरोही विधान सभा क्षेत्र के गांव मोकरोडा, फूंगणी, धान्ता, नया खड़ा, रामपुरा, पालडी आदि फ्लोराइड आधिक्य वाले गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

6. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पेयजल योजनाओं की क्रियान्विति में अतिशय विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) :

7. विजयनगर नगरपालिका क्षेत्र की नई बसी बस्तियों में पानी की व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) :

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) :

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

8. हैण्ड पम्पों के रख-रखाव में लापरवाही तथा पुरानी रीजनल योजनाओं को पूर्ण तथा दुरुस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) :

9. बांदीकुई क्षेत्र में 2,000 से भी ज्यादा आबादी के गांवों में पम्प एण्ड टैंक स्कीम लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) :

10. विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के थाणा रठोडा, सेमाल, करणपुरिया एवं सराड़ा में पेयजल योजनाओं के निर्माण की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

11. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के गांव करावाड़ा एवं थाणा में नल योजना की स्वीकृति पर चर्चा के लिए।

श्री भीमराज भाटी (पाली) :

12. पाली विधान सभा क्षेत्र के बोमादडा, सोवनिया, खेतावास आदि गांवों में जवाई नहर का पानी उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिए।

13. पाली विधान सभा क्षेत्र के जैतपुर गांव में जवाई नहर का पानी पहुंचाकर रोहट पंचायत समिति के गांवों में पीने के पानी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. पाली विधान सभा क्षेत्र के घोसे-

(श्री भीमराज भाटी)

रिया शासन, घोलेरिया जागीर, फेकारिया, मुरडिया, नेहड़ा आदि गांवों में जवाई नहर का मीठा पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री योगेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर):

15. कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खण्डेला (सीकर) में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

16. नामजद स्थान पर स्वीकृत हैण्ड पम्प को अधिकारियों द्वारा अन्यत्र लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

17. वारिसपुर बांधोली क्षेत्रीय पेयजल (अलवर) योजना को शीघ्र शुरू कराये जाने की आवश्यकता के लिए।

18. दौगड़ी सलालपुर क्षेत्रीय पेयजल योजना (अलवर) को पुनः आरम्भ कराये जाने के क्रम में चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

श्री मूलसिंह शेखावत (झुंझुनूं) :

19. जयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के शहरी नगर के वार्ड नम्बर 54 व 52 गोविन्द नगर पूर्व, पश्चिम व गोविन्द नगर विस्तार में प्रदूषित पानी से नागरिकों पर हो रहे कुप्रभाव से राहत के लिये बड़े पैमाने पर नल की लाइनें डालकर जमवारामगढ़ पेयजल से जोड़ी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. पंचायत समिति सुमेल के ग्राम बल्लुपुरी तथा पंचायत विजयपुरा के ग्राम-वाली की कोठी पंचायत समिति झोटवाड़ा के पानी की टंकी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. जमवारामगढ़, नायला, राहोरी, बांगड़ीवास, वासना, मानपुरकलां, रूपवास, पापड़, नटाटा, इन्द्रगढ़, सायपुरा पंचायतों में खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

22. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में विभाग की ओर से 8 शहरी वार्डों एवं ग्राम पंचायतों में एक भी हैण्ड पम्प उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

23. वार्ड नं. 49 जयपुर में ऋषि गालव नगर व सूर्य नगर में पानी की टंकी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

24. सरवड़ी सुथारों की ढाणी (बाड़मेर) को नेवरी से पेयजल योजना बनाकर पेयजल की व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. पंचायत समिति बालोतरा के पंचायत मुख्यालयों को पाइप लाइन से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) :

26. टोंक-निवाई पंचायत समितियों में फ्लोराइड युक्त जल की व्यवस्था को ठीक नहीं करवाने पर माशी बांध से निवाई नगर को पर्याप्त पानी नहीं देने एवं ग्रामीण

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

क्षेत्रों में पेयजल का संकट हल नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :

27 टोडाभीम क्षेत्र में पेयजल योजनाओं की स्वीकृति में देरी एवं भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

28. ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के बराखन पंचायत के ग्राम ऊपरली मेडिया, निचली मेडिया, में गम्भीर पेयजल समस्या का समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के बड़ा खेड़ा ग्राम (पंचायत समिति जवाजा) की पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

30. उपखण्ड डीडवाना के ग्राम आजवा अरिया पासी के लिये जल योजना पर बिजली की सीधी लाइन के लिये मुख्यालय में प्राप्त स्कीम को स्वीकृति नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

31. पंचायत मुख्यालय मीखनेरा की पेयजल योजना को स्वीकृत किये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर):

32. श्री गंगानगर में कृषि भूमि पर बनी आवासीय कालोनियों को पेयजल योजना में शामिल नहीं करने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

33. गंगानगर जिले में पेयजल योजना में लगे हुए फिल्टर्स की जांच कर डबल फिल्टर्स लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. राजीव गांधी मिशन के तहत गंगानगर जिले में मीठे पानी के लिये स्वीकृत शेष हैण्ड पम्प नहीं लगाने पर चर्चा के लिए।

35. गंगानगर जिले में ग्रामीण क्षेत्र के जी. एल. आर. से घरेलू कनेक्शन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. गंगानगर शहर की मंजूर हुई पेयजल योजना (34 करोड़ रुपये) को लागू नहीं करने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) :

37. मोहल्ला नारवान, मोहल्ला अम्बेडकर नगर, हरिजन बस्ती, मोहल्ला बिसायतियान में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु ट्यूब वैल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. सीकर शहर में बनने वाले साकपिट (शौचालय हेतु 50 फीट गहरा गड्ढा) के निर्माणों से भू-जल के प्रदूषित होने की स्थिति से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए।

(173)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :

39. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम दौलतपुरा–होदायली में पेयजल संकट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) :

40. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना की ग्राम पंचायत पुराना बांस की ढाणियों में खारा पानी होने के कारण नागरिकों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

41. बनास नदी बीसलपुर योजना से जहाजपुर तहसील कोटडी तहसील के गांवों में क्षेत्रीय योजना बनाकर जनता को पेयजल उपलब्ध कराये जाने बाबत चर्चा के लिए।

42. जहाजपुर तहसील की ऊंचा टीकड कूद्धलवाड़ा कलां क्षेत्रीय योजना तथा हाजीवास गहूंली एवं मेटादेवरिया आदि निर्माणाधीन योजनाओं के निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

43. जहाजपुर तहसील के अनेक गांवों तथा ढाणी मजरों में पेयजल हेतु हैण्ड पम्प के प्रस्तावों पर स्वीकृति बाबत चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :

44. झुंझुनूं जिले में पी.एच.ई.डी. को स्वीकृत कार्यों के पूर्ण करने में ढिलाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

45. झुंझुनूं जिले में स्वीकृत जनता जल योजनाओं के कार्यों को चालू करने में बरती जा रही शिथिलता पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

46. ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर पेयजल योजना चालू होने के बावजूद कनेक्शन नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

47. जोधपुर शहर के पुराने जलाशय कुए व बावडियों जो पेयजल के स्रोत है, उनका रख-रखाव नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

48. जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल वितरण व पुराने पाइप लाइनें बदलने तथा सुधार करने हेतु चर्चा के लिए।

श्री मदन मोहन (खैरथल) :

49. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए नलकूप, कुओं को गहरा कराकर जल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) :

51. गांव खरैरी में पाइप लाइन बिछाने पर एवं घरों में कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(174)

श्री जगतार सिंह कंग (श्रीकरणपुर) :

52. जी. एल. आर. से श्रीकरणपुर विधान सभा क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) :

53. खेतड़ी निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में समुचित पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद) :

54. राज्य की पेयजल योजनाओं के लिये घटिया सामग्री का उपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्र की टी. एस. एस. योजनाओं का सही क्रियान्वयन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. जनता जल योजना के बिजली बिल सीधे विभाग द्वारा जमा करवाने की व्यवस्था पर चर्चा के लिए।

57. लोसल नगरपालिका जिला सीकर की पुनर्गठित जल योजना का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल मेघवाल(केशवरायपाटन):

58. केशवरायपाटन क्षेत्र के पेयजल संकट के समुचित समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. केशवरायपाटन (बूंदी) क्षेत्र में वर्षों से स्वीकृत हैण्ड पम्प न लगाये जाने से क्षेत्र की जनता को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

60. केशवरायपाटन क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल योजना की क्रियान्विति में हो रही देरी से जनता में हो रहे आक्रोश पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) :

61. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में स्वीकृत सुनेल पेयजल योजना में फिल्टर का कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के ग्राम मिलवाड़ी व गुणदी में मीठा पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कमल (हिण्डौन) :

63. ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी नलों से पेयजल रिसाव रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. हिण्डौन क्षेत्र की समस्त ग्रामीण जनता को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. गांवों में हैण्ड पम्प लगाने के लिये निश्चित मापदण्ड नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

66. हिण्डौन में हैण्ड पम्प लगाने की लागत वास्तविक लागत से बहुत अधिक दर पर कार्य स्वीकृत करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) :

67. मात्र मुण्डिया बांध से गंगापुर को पानी देने की स्वीकृत योजना को निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

68. नव निर्मित पेयजल योजना चन्देरिया से जनता को नल कनेक्शन दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

69. 1500 की आबादी के गांव बारू, बावलास, नेवरिया, जाडाना में पनघट योजनाएं स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) :

70. टोंक तहसील की फ्लोराइड योजना के धीमी गति के कारण उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

71. टोंक शहर के लिये सन् 1995 के बाद की पेयजल स्कीम नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

72. जयपुर को बीसलपुर के स्थान पर कम लागत में ईसरदा बांध से पेयजल उपलब्ध होने पर भी बीसलपुर से ही पेयजल उपलब्ध कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

73. ग्राम रामपुरिया, खेरपुरा, टाकरदा, रावड़दा, खड़ामा, जावदा (नीमड़ी), कुआखेड़ा (जवाहरनगर) में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

74. मालपुरा शहर में पीने के पानी हेतु पेयजल योजना प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

75. मालपुरा विधान सभा क्षेत्र में डोरियां एवं इन्दोली पेयजल स्कीम प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

76. मालपुरा विधान सभा क्षेत्र फ्लोराइड युक्त ग्रामों में स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) :

77. बांसवाड़ा शहर में पुरानी पाइप लाइन बदलने एवं गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) :

78. बनेड़ा विधान सभा क्षेत्र में लम्बित पेयजल योजना की क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) :

79. ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल हेतु ग्राम जयसंगसर, राजस, देवासर, रंगाईसर, आसपोलसर, अजीतसर में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

80. टी. एस. एस. स्कीमों पर जलने वाले मोटरों की मरम्मत नहीं करने एवं अन्य सामान उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिए ।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

81. तहसील सरदारशहर के विभिन्न ग्रामों में पेयजल संकट उत्पन्न होने पर चर्चा के लिए।

82. ग्रामीण क्षेत्र तहसील सरदारशहर में पिछले सात वर्ष में बनी हुई टंकियों को पाइपों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

83. पंचायत समिति क्षेत्र में चालू क्षेत्रीय जल योजनाओं का सुचारू संचालन नहीं होने के कारण दूर दराज के गांवों में पानी नहीं पहुंचने के कारण होने वाली परेशानियों पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) :

84. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में वर्ष 1996–97 के तीस जिला तीस योजना के अन्तर्गत विधायक कोटे के हैण्ड पम्प नहीं लगने पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र सिकराय के सभी ग्रामों ढाणियों में लगे हैण्ड पम्प की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में ग्राम ठिकरिया, नादरी, पांचोली, करोड़ी, दुब्बी में नल योजना लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) :

87. बेड़ला डग पंचायत समिति में जवता जल योजना स्वीकृत करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा) :

88. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के तहसील कोटकासिम में ग्राम खानपुर में काफी समय से ओवर टैंक व बोरिंग बना होने के उपरान्त पानी की सप्लाई चालू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

89. खातियों की ढाणी तन पाटोदा को पीने का पानी तथा जल योजना ग्राम अम्बेडकर नगर (लूणा) हरिजन बस्ती में चालू करने पर चर्चा के लिये।

90. बिसाऊ कस्बे में सभी क्षेत्रों में समुचित पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. ग्राम महणसर के ऊपरी दक्षिण मोहल्ले के गरीब परिवार अनुसूचित जाति खटीक, चमार, कुम्हार तथा लोहारों के मोहल्लों में पीने का पानी हेतु नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

92. कमालसर ग्राम की क्षेत्रीय जल योजना का पीने का पानी स्वीकृत गांव कबीरसर तथा ग्राम पुरियां में नहीं पहुंचने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

93. उदयपुर में मानसी वाकल योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

94. उदयपुर की झीलों का दूषित पानी पी.एच.ई.डी. द्वारा पीने के कार्य के लिए उपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

95. हिन्दुस्तान जिंक देवारी के आस पास के कुओं का जल पीने योग नहीं रहने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

96. उदयपुर में खराब पड़े हैण्ड पम्पों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

97. उदयपुर जिला के एकलिंग की पेय योजना वर्षों से अधूरी पड़ी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द (दानपुर) :

98. विधान सभा क्षेत्र दानपुर में पेयजल व्यवस्था कराने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र दानपुर में हैण्ड पम्प खोदने व पेयजल उपलब्ध कराने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) :

100. कुशलगढ़ क्षेत्र की सामुहिक आबादी, कुशलगढ़, छोटी सरवा, रामगढ़, सज्जनगढ़, डूंगरा बड़ा छोटा में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. ग्रामीण क्षेत्र में हैण्ड पम्पों से व कुओं से ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. महाविद्यालय कुशलगढ़ व मस्का मदुड़ी, कसारवाड़ी में पेयजल योजना उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. प्रदेश में पेयजल सुलभ कराने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 46 मुख्य शीर्षक सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :–

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) :

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) :

1. इन्दिरा गांधी नहर से निकलने वाली नोहर साहवा लिफ्ट योजना से सिंचित क्षेत्र में चूरू जिला का सिंचित रकबा कम करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

2. सिद्धमुख नहर परियोजना से राजगढ़ जिला चूरू के गांवों को हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरतसिंह (खानपुर) :

3. हरिचन्द्र सागर पर बांध बनाने तथा सिंचाई व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. झालावाड़ जिले में वर्षा ऋतु में व्यर्थ बहते नदी नालों के जल को सिंचाई हेतु उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. थापा बांध सिंचाई योजना पर कार्य समय पर पूरा नहीं करने बाबत चर्चा के लिये।

6. थापा सिंचाई परियोजना के कार्य में गुणवत्ता का अभाव बाबत चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :

7. वर्ष 1990 की बाढ़ में टूटे कमेरी एवं नून बांध को अभी तक पुर्निर्माण नहीं करवाने से क्षेत्र की जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

8. सिरोही नगर के मान सरोवर अखेलाव तालाब एवं उससे निकलने वाली नहरों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. कैलाश नगर तहसील शिवगंज के बांध कार्य को स्वीकृत कर निरन्तर बढ़ते रेगिस्तान एवं घटते जल स्तर से बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. अणगोर बांध से निकलने वाली नहरों की मरम्मत एवं बांध की दीवार ऊंची कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) :

11. देवी सागर फीडर रामगढ़ को पूर्ण कराने बाबत चर्चा के लिये।

12. नारायण सागर बांध जालिया–II की नहरों की मरम्मत के बाबत चर्चा के लिये।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) :

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा):

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) :

13. एनीकटों के निर्माण तथा मरम्मत पर लगाई रोक को हटाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) :

14. बांदीकुई में रेहडिया बांध के विस्तार योजना की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये।

श्री बस्तराम परमार (खैरवाड़ा) :

15. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र की झांमरी एवं दो नदी योजनाओं का कार्य प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) :

16. छोटे-छोटे एनीकट्स बनाकर पानी का जल स्तर ऊपर उठाने हेतु चर्चा के लिये।

17. जावण्द फीडर के निर्माण, काछब वाड़ा, एनीकट, नठारा तालाब व पछेद के तालाब निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली) :

18. वायद बांध पंचायत समिति रोहट की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. नेशनल वाटर मैनेजमेन्ट के तहत हेमावास एवं सरदार समन्द बांधों की एवं दोनों बांधों की नहरों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

20. सीलीसेढ़ बांध (अलवर) से एक नई नहर (ग्राम साहोड़ी, मांचड़ी एवं अकलापुर की भूमि को सिंचित करने हेतु) के निर्माण के क्रम में चर्चा के लिये।

(श्री जुबेर खान)

21. तहसील रामगढ़ (अलवर) के कंसखाल बांध को बांधे जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

22. बरिया बरेचा के पास बरिया बांध का निर्माण शीघ्र कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) :

23. बीसलपुर बांध से सिंचाई की व्यवस्था अभी तक नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

24. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में किये गये कार्य में हुयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

25. बीसलपुर बांध के विस्थापितों को मुआवजा देने के मामलों में विभाग के इंजीनियरों द्वारा किये गये घोटालों पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

26. इन्दिरा गांधी नहर से लाडनूं लिफ्ट कैनाल की योजना बनाने के बाद भी स्वीकृति नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

27. दतौर ब्रांच की निर्धारित क्षमता के अनुसार सिंचाई हेतु पानी न दिये जाने पर चर्चा के लिये।

28. कंवरसेन लिफ्ट नहर की वाटर इन्टेनसिटी 3.90 से कम न किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

29. गंगनहर की लाईनिंग हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग कर मैन कैनाल का कार्य पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये।

30. इन्दिरा गांधी नहर की जीर्ण-शीर्ण अवस्था एवं टूट फूट को सुधार कर पानी के बहाव की उचित व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. इन्दिरा गांधी नहर के उचित रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) :

32. नीमकाथाना क्षेत्र में झालरा बांध बनवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

33. बनास नदी में पीकवियर तथा एनीकट बनाकर भीलवाड़ा जिले की तहसील जहाजपुर कोटड़ी माण्डलगढ़ में सिंचाई बाबत चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

34. नागौर जिले में विभाग का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय जिला मुख्यालय पर नहीं रख कर मेड़ता में रखे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

35. जोधपुर जवाई नहर की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदनमोहन (खैरथल) :

36. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, कार्यों में लापरवाही समय पर बांधों की मरम्मत न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

37. विभागीय अधिकारियों की कार्य शैली में परिवर्तन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा (बयाना) :

38. 100 वर्ष पुराने बांध बन्द बारेठा की नहरों को पक्की कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

39. खानखेड़ा बांध कई वर्षों से टूटा पड़ा है उसकी मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

40. ककुन्द नदी को गहरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

41. धुरेरी बांध के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) :

42. माशी बांध से निवाई तहसील को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दो फुट ऊंचा उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

43. दौलत सागर बांध जिला टोंक की नहरों को पक्की कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

डा. शंकरलाल (कपासन) :

44. बड़ गांव बांध के लिये चंगेड़ी नाले से फीडर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

45. बनास नदी पर बामनिया पिक-अप वियर बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

46. मेवदा बांध को 5 फुट ऊंचा करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री जगतार सिंह कंग (श्री करणपुर) :

47. गंग कैनाल की टेलों पर पानी न पहुंचने तथा नहरों को पक्का न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

48. गंग कैनाल की वर्ल्ड बैंक योजना को लागू नहीं करने की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) :

49. खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में समुचित एनीकट बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री अमराराम (धोद) :

50. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

51. हनुमानगढ़, श्री गंगानगर एवं बीकानेर जिले की सिंचाई परियोजनाओं में पानी कम करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

52. सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन):

53. कोटा सिंचित क्षेत्र परियोजना में विशेषकर बाई मुख्य नहर क्षेत्र में कार्यरत अभियन्ताओं के मुख्यालयों पर न रहने से जनता को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

54. कोटा सिंचित क्षेत्र परियोजना द्वारा करवाये जा रहे ड्रेन मैनेजमेन्ट कार्य की उच्च स्तर पर समीक्षा कर इसमें हो रहे दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. केशवरायपाटन क्षेत्र में विभागीय अधिकारियों द्वारा एनीकट बनाने पर विशेष ध्यान न देने पर क्षेत्र में जनता को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

56. केशवरायपाटन विधान सभा क्षेत्र का मेज परियोजना की स्वीकृति एवं अन्य प्रयास न होने से हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

श्री कमल (हिण्डौन) :

57. जगर बांध की नहरों की मरम्मत समय पर व ठीक प्रकार से नहीं करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

58. जगर बांध की नहर से कालवाड़ी ( ) रा. रा. शाहपुर, चिनायठा, खेड़ी आदि गांवों के लिये नई माइनर निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. पांचना बांध से दाई नहर निर्माण कर हिण्डौन क्षेत्र के गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

60. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में साधन डिस्ट्रीब्यूटरी की आर. डी. 20. 500 की पुलिया में बियरिंग के फर्जी भुगतान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की ठेका प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) :

62. ईसरदा बांध का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. टोंक तहसील में देवरी एनीकट के नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेंगू) :

64. मंडसेरा, मानसरोवर व श्रीपुरा तालाबों की जीर्ण-शीर्ण नहरों की एवं राणा प्रताप सागर की बाड़ोलिया-जावरा नहर की मरम्मत नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. मेनाली बांध, भूंजर तालाब, निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

66. डोराई बांध की नहरों की क्षमता बढ़ाने एवं नहरों को पक्का नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

67. बीसलपुर बांध से इस वर्ष सिंचाई के लिए 10हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

182

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) :

68. भीलवाड़ा शहर का पीने का पानी देने के परिणामस्वरूप काश्तकारों हेतु सिंचाई के लिये नई योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) :

69. सिंचाई विभाग व इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में हर स्तर पर हुई अनियमितताओं व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

70. तहसील सरदारशहर के नये जुड़े हुए गांवों को साहवा लिफ्ट योजना से वंचित कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. साहवा लिफ्ट नहर का कार्य बन्द कर दिये जाने और धीमी गति से कार्य चलने पर जनता में व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

72. झुंझुनूं जिले में सिंचाई हेतु यमुना से पानी देने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) :

73. सिकराय विधान सभा क्षेत्र के भण्डारी बांध, माधोसागर बन्ध, कालाखो बांधों की मरम्मत व रख-रखाव में लापरवाही बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) :

74. गुणवत्ता तहसील आमेर जिला जयपुर में बांध नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

75. हरमाड़ा से मान सागर (जिला जयपुर) में आने वाली नहरों को पक्का नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

76. जल महल से निकलने वाली नहर को कूकस से निकलने वाली नहर से मिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

77. इन्दिरा गांधी नहर को पूरा कर वितरिकाओं से नहीं जोड़े जाने से क्षेत्र के विकास कार्यों में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. विभाग के दोषी अधिकारियों के मामलों में निर्णय लेने में देरी से गिरती छवि पर चर्चा के लिये।

79. अमानीशाह के नाले तथा क्षेत्र जयपुर के नालों के निर्माण को विभाग द्वारा शीघ्र पूरा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) :

81. कुशलगढ़ क्षेत्र में अधूरी सिंचाई योजनाओं को पूर्ण कराकर किसानों को राहत दिलाने में राज्य सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

82. कुशलगढ़ क्षेत्र के कलीजरा, सोनारीयां तालाबों की नहरे समय पर पूर्ण कराने में राज्य सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

(श्री फतेहसिंह)

83. बांसवाड़ा जिले में सिंचाई के पुराने तालाब व माही डैम की नहरों की मरम्मत करने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

84. कुशलगढ़ क्षेत्र के अधूरे बांध पीपल्लोन गोपालपुरा, खजुरा, टिडीया देव, को प्लान में लेकर पूर्ण कराने में राज्य सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

85. पुराने बांधों की टूट फूट व नहरों की मरम्मत के लिये अलग से बजट देकर ठीक कराने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बलीचन्द (दानपुर) :

86. विधान सभा क्षेत्र दानपुर में एनीकट बनवाकर सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

87. दानपुर विधान सभा क्षेत्र में अधूरे पड़े तालाबों को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. दानपुर विधान सभा क्षेत्र में माही से लिफ्ट सिंचाई योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र दानपुर में माही की नहरें टूटने से पानी के रिसाव को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र दानपुर में माही नदी का पानी टेल तक पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली) :

91. पाली जिले के बोमादड़ा–खारड़ा फीडर पर लगे गेट की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 34 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 34 मुख्य शीर्षक प्राकृतिक आपदाओं से राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य करेंगे/करेंगी कि :–

श्री भरतसिंह (खानपुर) :

1. खानपुर तहसील के बाढ़ प्रभावित गांवों को राहत पहुंचाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

2. भरतपुर जिले में गत दो वर्षों में बाढ़ से किसानों को हुए नुकसान पर भी सरकार द्वारा राहत प्रदान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) :

3. मसूदा क्षेत्र के बाढ़ से क्षतिग्रस्त तालाबों की अकाल राहत के तहत मरम्मत हेतु चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) :

4. पाली जिले में बांडी नदी पर पानी के बहाव से 17 व्यक्तियों की मृत्यु पर भी सरकार द्वारा उचित राहत प्रदान करने में विफलता पर चर्चा के लिये।

184

श्री भीमराज भाटी (पाली) :

5. जिला मुख्यालयों पर बाढ़ नियंत्रण कक्षों पर समुचित संचार सहायता एवं पूर्व सूचना के लिये व्यवस्था आदि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

6. तहसील रामगढ़ (अलवर) में गत वर्ष आई अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण भूमि के कटाव को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) :

7. ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर उपयुक्त मुआवजा दिये जाने में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :

8. ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर उचित मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) :

9. ग्राम अयाना में बाढ़ से हुये नुकसान का मुआवजा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

10. विभाग द्वारा पंचायतों को आबंटित अग्रिम में भेदभाव बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. अकाल राहत विभाग द्वारा पंचायतों के कार्यों को राजनैतिक आधार पर भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये।

12. पंचायतों को भेदभाव पूर्ण तरीके से राशि का आबंटन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. भीलवाड़ा जिला एवं अजमेर जिले में अकाल राहत कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

14. अकाल राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को भुगतान समय पर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. पुराने फैमिन कोड को बदल कर नया नहीं बनाये जाने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

16. अकाल राहत के तहत चारा घोटालों में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में बरती जा रही ढिलाई पर चर्चा के लिये।

श्री मदनमोहन (खैरथल) :

17. देवी विपत्तियों से उत्पन्न समास्याओं का उचित समाधान न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

18. सीकर जिले में बाढ़ एवं आगजनी से प्रभावित लोगों को सहायता नहीं मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

19. हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सीकर जिले में पिछले दो वर्षों में आकाशीय बिजली ओलावृष्टि से किसानों की हुई मृत्यु पर सरकार द्वारा उचित मुआवजा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम (मकराना) :

20. विधान सभा क्षेत्र मकराना में काला माडा में वर्षा का पानी भर जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) :

21 प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को उचित सहायता नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

22. उदयपुर जिले में अकाल के दिनों में कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को चारा सप्लाई का पैसा नहीं चुकाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

23. अकाल राहत कार्यों का समय पर भुगतान न किये जाने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनराज माली (पाली) :

24. बाढ़ से घिरने वाले पाली विधान सभा क्षेत्र के धींगाणा कुलथाना, लाम्बड़ा, लाम्बिया, ऊमकली आदि गांवों के बाढ़ बचाव का समुचित समाधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रतिरेक मांगों की प्रस्तुति में विलम्ब तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी, क्या कर रहे हैं आप ? पाइंट आफ क्लेरिफिकेशन ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं पाइण्ट आफ आर्डर। जो आपने प्रतिरेक डिमांड प्रस्तुत की है, उनके सम्बन्ध में मेरा पाइंट आफ आर्डर है। पाइंट आफ आर्डर दो कारणों से है, एक तो यह है कि ये डिमांडें इतने विलम्ब से पेश की गई हैं कि इन का अब रखना और सदन में उन पर विचार करना मुनासिब नहीं है, एक बात। दूसरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि जिस रूप में इनको रखना चाहिये, जो इन्फारमेशन इस को देनी चाहिये वह मंत्री महोदय ने दी नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सप्लीमेंट्री डिमांड और एक्सस डिमांड जो हैं वे आर्टिकल 205 के अन्तर्गत रखी जाती हैं। 205 में आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिससे कि आप रिफ्रेश हो लें। "Supplementary additional or excess grants : (1) The Governor shall;

(a) if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of Article 204 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year, or

(b) if any money has been spent on any service during a

(श्री हरिसिंह)

financial year in excess of the amount granted for that service and for that year." इसमें एक्सस डिमांड रखी जाती है। और श्रीमान्, एक्सस डिमांड रखने में आपको क्या प्रोसीजर फालो करना पड़ता है वह कौल एण्ड शकधर में दिया हुआ है। इसमें आप मुलाहिजा करें, Books of demands for grants.

श्री उपाध्यक्ष : इसका पेज नम्बर क्या है ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इसका पेज नं. कौल एण्ड शकधर में 610 है, एडीशन 1983.

"After the presentation of the supplementary or excess demands for grants, as the case may be, copies of the Books of Demands for Supplementary or Excess Grants, supplied by the Ministry concerned, are circulated to members. जो सर्कुलेट हुई है।

"These books give the details of the expenditure, यहां रेलेवेंट बात है- the overall cost of a project for which money is being asked for, and its break up in broad details for the information of Parliament, even though Parliament's approval is sought only for a portion of the expenditure to be incurred either on the project or a phase of it."

आपको कम पैसे की आवश्यकता है लेकिन आपको पूरे प्रोजैक्ट का डिटेल देना पड़ेगा और उसके ब्राड हैड से उसका डिटेल देना पड़ेगा कि इस प्रकार से इतने का प्रोजैक्ट है, इतना हमको जरूरत है, इतना पहले पास हुआ। अब आप देखिए, एक्सस डिमांड में क्या है। आप यह मुलाहिजा करें कि 1986 में बजट पास हुआ। 1980 से 86 के बाद इसकी सप्लीमेंट्री ग्रांट पास हुई। सप्लीमेंट्री ग्रांट पास होने के बाद भी आपने एक्सस एक्सपेंडीचर किये 1986-87 में और अब आप आ रहे हैं एक्सस डिमांड के लिये। यह आप स्वयं कह रहे हैं, एक्सस डिमांड का आपने जो दिया है आप यह मुलाहिजा करें जो शुरू का है। इसमें आपने जो स्पष्टीकरण दिया है, 1986-87 में पहला ही पेज है- राजस्थान विनियोग (सं. 2) अधिनियम, 1986 के द्वारा वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए प्रारम्भ में 2784.22 करोड़ रुपये के चार्ज्ड एप्रोप्रिएशन तथा अनुदानों के लिए मांगें प्राधिकृत की गई थीं। बाद में अप्रत्याशित अतिरेक व्यय को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर 514.12 करोड़ रुपये अनुपूरक अधिनियम के द्वारा और आबंटन प्राधिकृत हुआ। इस प्रकार सकल अनुदान तथा विनियोग 3298.34 करोड़ रुपये हुए। भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त 1986-87 के विनियोग लेखे तथा उनके सम्बन्ध में अंकेक्षण प्रतिवेदन में कुल व्यय 2894.97 करोड़ होना ही दिखलाया गया है। इस प्रकार विधान सभा द्वारा अनुमोदित सकल आबंटन की तुलना में कुल व्यय कम हुआ था परन्तु इन लेखों में कतिपय अनुदानों के अन्तर्गत विधान सभा द्वारा अनुमोदित राशियों से व्यय अधिक

(श्री हरिसिंह)

हुआ है। वर्ष 1986-87 के विनियोग लेखों के पृष्ठ 11 पर दिये गये विवरणों के अनुसार इस अधिक व्यय की कुल राशि रुपये 9,02,74,353/- है। समिति ने अपने उक्त प्रतिवेदन में इस राशि को नियमित करा लेने की सिफारिश कर दी है। इस अतिरेक के विस्तृत कारण जन लेखा समिति 1996-97 के 79वें प्रतिवेदन में बतलाये गये हैं, फिर भी मुख्य कारण संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पी. ए. सी. कमेटी जिस समय अपनी रिपोर्ट पेश करे, पी. एस. सी. कमेटी की रिपोर्ट पेश हो जाए तो उसी सेशन में एक्सस डिमांड आनी चाहिये या उसके अगले सेशन में एक्सस डिमांड आनी चाहिये। और अभी तक हमें उस पी. ए. सी. की रिपोर्ट का 79वां प्रतिवेदन सर्कुलेट नहीं हुआ। हमें पता नहीं किन कारणों से पी. ए. सी. ने इन एक्सस डिमाण्ड के लिये रिकमण्ड किया है हाउस के लिये। श्रीमान् जी, या तो इन सब कारणों का आप उल्लेख कर देते। अगर उसका उल्लेख नहीं किया है तो हाउस यह जानने का अधिकारी है और मैम्बर्स ये जानने के अधिकारी हैं कि क्या कारण था। जबकि कांस्टीट्यूशन यह कहता है कि कंसोलिडेटेड फण्ड से एक पैसा भी अधिक आप खर्च नहीं कर सकते, जब तक इस हाउस की परमीशन नहीं हो। आपने उससे एक्सस खर्च किया और एक्सस खर्च करने का कारण पी. ए. सी. ने अपनी रिपोर्ट के अन्दर लिखा है, तो पी. ए. सी. की रिपोर्ट हमको सर्कुलेट होनी चाहिए थी, नम्बर-एक।

नम्बर दो मैं निवेदन करता हूं। आपने जो कारण दिया है, श्रीमान् मैं/लोक निर्माण के बारे में बात कर रहा हूं, 1986-87 में ही, इसका पेज है तीसरा, 19-लोक निर्माण कार्य, 45, 33, 697, और इसको आपने किस हैड में दर्शाया है, अनुरक्षण व मरम्मत। निर्माण कार्य पर अधिक व्यय तथा कर्मचारियों के बोनस, महंगाई भत्ता व चिकित्सा व्यय में वृद्धि होने से राशि के अधिक भुगतान के कारण अतिरेक हुआ।

अब मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये सब अलग-अलग हैड हैं। आपका अनुरक्षण व मरम्मत निर्माण कार्य अलग हैड है, आपका कर्मचारियों का बोनस अलग हैड है, महंगाई भत्ता तथा चिकित्सा व्यय अलग हैड में है। यह जो मैंने आपको 'कौल एण्ड शकधर" वाली बात बताई, इसके अनुसार यह बात लाजिमी है कि आपके जो मैन हैड थे उनमें अलग-अलग, कितना-कितना पैसा आपको चाहिए, यह आप हमको बताएं। वह आपने नहीं बताया। आपने इकट्ठा बता दिया 45,33,697। अब आप यह पास कराना चाहते हैं। क्या आपके लोक अनुरक्षण व मरम्मत और चिकित्सा व्यय का एक ही हैड है? यदि दोनों अलग-अलग हैड हैं तो आप हमें डिटेल्स बताइये कि किस हैड में आपको कितना पैसा चाहिए। जब तक आप वह नहीं बताएंगे तब तक यह बात इन्कम्प्लीट है, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, आपने किन कारणों से किया है वे कारण आप हमको बताइये। आप पी. ए. सी. की रिपोर्ट के लिये रैफर कर

(श्री हरिसिंह)

रहे हैं, वह हमको सकुंलेट हुई ही नहीं है। इसलिए दोनों काम में आब्जेक्शन करना चाहता हूं, पहली आपकी यह 1986–87 की बात है, इमीजिएट ही आपको रखनी चाहिए थी। पी. ए. सी. की रिपोर्ट पेश हुई थी उसके बाद इमीजिएट आपको रखनी चाहिए थी। आप इतने विलम्ब से आए हैं और फिर भी आप इम्प्रोपर वे में आए हैं, पूरी डिटेल लेकर नहीं आए हैं। इसलिए या तो आप इनको समय दें, या अगर आप समय नहीं देना चाहते हैं तो कम से कम हाउस को इन डिटेल्स के बारे में पूरे तरीके से जानकारी तो दें कि आप किस-किस हैड में कितना-कितना पैसा हमसे लेना चाहते हैं, जिससे हम उस पर विचार कर सकें। यह मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है।

श्री रमाकान्त शर्मा (खानागाजी) : मैं भी इस मामले में अपनी बात रखना चाहता हूं, फिर आप जवाब दे दीजिए।

जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा, 1986–87 का मामला ले लीजिए, या 1987–88 का ले लीजिए। जब बजट पास होता है, उसके बाद यदि मान लीजिए, खर्चा ज्यादा होने वाला है तो सप्लीमेंट्री ग्राण्ट आती है, सप्लीमेंट्री ग्राण्ट के अन्दर वह खर्चा आ जाता है। परन्तु उसके बावजूद भी खर्चा ज्यादा कर दिया जाता है और यह खर्चा अक्सर हैड आफ दी डिपार्टमेंट कर देते हैं, तथा हैड आफ दी डिपार्टमेंट के द्वारा किया हुआ खर्चा गवर्नमेंट अपने आप मालूम नहीं करती। अकाउंटेंट जनरल जिस वक्त में आडिट करता है तब वह प्राप्त करता है कि यह खर्चा इसके अन्दर ज्यादा हो गया है और फिर ए. जी. की रिपोर्ट पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी के अन्दर डिस्कस होती है। तब वहां प्रश्न आता है कि अब इसमें क्या किया जाए। इसको दुबारा वोट करवाएं, बिना वोट करवाए हुए तो वह खर्च मान्य नहीं है।

मेरा तो सिम्पल निवेदन इस बात में यह है कि जिन लोगों ने इस प्रकार से बजट पास किये हुए पहले, जिसमें कि 3 दफे मौका मिलता है, बजट पास होता है तब मौका मिलता है, रि-एप्रोप्रिएशन हैड आफ दी डिपार्टमेंट के लेवल पर होता है, रि-एप्रोप्रिएशन गवर्नमेंट के लेवल पर होता है और फिर एप्रोप्रिएशन यहां पर भी आता है, फिर सप्लीमेंट्री ग्राण्ट आती है और उसके बावजूद भी खर्चा ज्यादा कर दिया जाए तो ऐसे उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने खर्चा किया है, क्या कार्यवाही की गयी? मसलन कह दिया कि स्टाफ का खर्चा आ गया। यह तो उस वक्त मार्च में पता चल जाता है और मार्च में बजट हो रहा हो तो उसमें सप्लीमेंट्री ग्राण्ट आ जाती है। सप्लीमेंट्री ग्राण्ट के अन्दर पुट-अप कर दिया होता। इसलिए 1986–87 के अन्दर या 1987–88 में किसी वर्ष के अन्दर खर्चा ऐसा नहीं किया गया है। इससे वित्तीय प्रबन्ध बिलकुल बिगड़ता है। यदि इसी तरीके से हम हर साल करते रहे 5–5, 7–7 साल पहले बिना वोट किये हुए, तो हमारे बजट के अन्दर आज हम मांग रहे है किसी मामले में 8 करोड़, किसी मामले में 2 करोड़ या 20 लाख, तो कल को फिर 50 करोड़ मांगेंगे सौ करोड़ मांगेंगे और बजट की सैंक्टिटी ही खतम हो जाएगी। इसलिए

(श्री रमाकान्त शर्मा)

ऐसे मामले में कम से कम यह एक्सप्लेनेशन आना चाहिए कि किन अधिकारियों की गलती हुई और उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? क्या पी. ए. सी. ने कोई एडवाइज दी थी कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ? उसका पालन किया गया है क्या ? यह एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिरेक मांगों के विषय में भरतपुर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने और अलवर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ शंकाएं प्रकट की हैं । यह 1986-87 का खर्चा तो तब हो गया, अभी नहीं हुआ । प्रश्न यह है कैलकुलेशन का जोड़, बाकी, गुणा, भाग और जो आया उसके बताने का । प्रारम्भ में बजट आ गया जिसकी जानकारी मिली, फिर सप्लीमेंट्री बजट आ गया, उसके बाद भी हिसाब-किताब में निकला जो शायद अकाउंटेंट जनरल की आडिट से हुआ होगा, पी.ए.सी. की रिपोर्ट से हुआ होगा, उसको वोट करने के लिये यह आपके सामने आया है । इसलिए यह कह देना कि खर्चा हो गया, कौन अधिकारी वह है, क्षमा करेंगे, अधिकारियों से 1986-87 में हो गया, हो सकता था अगर ठीक कैलकुलेशन हो जाता या अगर सी.ए.जी. नहीं कहता, सी.ए.जी. की रिपोर्ट के पहले ठीक हो जाता । सी.ए.जी. की रिपोर्ट हुई, पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी की रिपोर्ट हुई, उसमें कैलकुलेशन निकला । निकलने के बाद वह अतिरेक आज विधान सभा के सामने वोट करने की दृष्टि से आया है । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह लोक निर्माण के 19 का बजट मद 259 है । यहां अब इसमें कहते हैं कि चिकित्सा का क्या होगा और अनुरक्षण मरम्मत का क्या होगा, नहीं है । इस 259 मद के नीचे ही, ये भाग हैं, इसलिए इसकी अलग-अलग मद बताना, इसकी आवश्यकता नहीं है । मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसी नाते से 1996-97 में जन लेखा समिति का 79वां प्रतिवेदन आया है । यह 1996-97 अभी वर्ष जो गया इसमें प्रतिवेदन आया है पी.ए.सी. का और उन्होंने कहा, इतना खर्चा ज्यादा हो गया, आखिर इसका वोट लेना आवश्यक है ही । इसलिए आपके सामने लाए हैं, सदन के सामने लाए हैं । अतः मैं समझता हूं कि जो दोनों आपत्तियां हैं, वे निरस्त करने लायक हैं, उनको वो नहीं होना चाहिए ।

गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने तीन दिन की चर्चा की है । अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही है, निश्चित रूप से उसमें विचार होगा, आज का दिन चला गया तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, वह प्रतिवेदन आपके सामने आएगा, उसको मंजूरी देंगे कि नहीं देंगे यह आपको करना है । इसलिए मैं समझता हूं कि आपने जो भावना प्रकट की है, वह भावना निश्चित रूप से सलाहकार समिति के मन में होगी तो विचार करेंगे । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर बहस चालू की जाए ।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना

(190)

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

है कि कंसोलिडेटेड अमाउण्ट बताया गया है, उसकी बजाए हैडवाइज, फ्रैगमेंटवाइज, सैगमेंटवाइज बताया जाए और यह कहा था कि प्रावधानों की पालना करवायी जाए। आपने यह कहकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि बल्कि कंफ्यूज की है और यह प्रोविजन को....(व्यवधान) डिसप्रोबे कर रहे हैं, इस तरह से जो....(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नहीं, मैं यह कहना चाहता हूं कि पी. ए. सी. की रिपोर्ट 79 रख दी गयी है उसमें इसकी डिटेल है, वह सदन पर आ गयी है।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग रिजर्व कर लीजिए और बहस चालू करवाइये।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने निवेदन किया, वह शायद समझ में नहीं आया, मैं कुछ ढंग से नहीं कह सका।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, आपका कहना सही है।

श्री रमाकान्त शर्मा : मेरा निवेदन यह है कि मात्र आंकड़ों की, जोड़-बाकी की गलती नहीं है, यह जानकर सरकार के नियमों की, सरकार के आदेशों की उपेक्षा करके डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर खर्चा कर देते हैं, यह जानते हुए कि हर साल ऐसा ही होता आया है तथा यह बाद में नोट हो जाएगा। फिर ए.जी. पकड़ता है उस खर्चे को अपनी आडिट के अन्दर और तब बताता है कि आपकी इस पर्टीकुलर के अन्दर सैक्शन ही नहीं है, बजट में ही पास नहीं हुआ, आपने कैसे कर दिया। फिर उसके बाद में यह तो ठीक है कि हमारे सिस्टम के अन्दर पी. ए. सी. की रिपोर्ट उसी साल में नहीं आती, कभी 2 साल का गैप रहता है, कभी 4 साल का गैप रहता है, कभी 3 साल का गैप रहता है। पहले तो बहुत लम्बा गैप रहता था, अब तो खैर कम गैप रहता है। परन्तु यदि पी. ए. सी. के अन्दर 15 साल में आए तो 15 वर्ष में लेकर के आएंगे इस बात को? सिर्फ निवेदन यह है कि यदि इन चीजों के अन्दर हरेक जो रुपया खर्च हुआ है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वित्तीय प्रबन्ध गड़बड़ा जाएगा। सरकार के हित में यह है, हमारे हित में नहीं है। सरकार के हित में प्रत्येक खर्चा जो इस तरह का हुआ है, इसमें एक भी खर्चा जोड़-बाकी की गलती की वजह से नहीं है। यह चाहकर सरकारी आदेशों की उपेक्षा करके इस प्रकार से खर्चे किये गये हैं। जिन लोगों ने इस तरह का खर्चा किया है उन पर कोई न कोई प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिये और सदन को बताना चाहिये कि फलां अधिकारी ने इस तरह से किया है, आइंदा वह नहीं करेगा, तब तो हम हमारा वित्तीय प्रबन्ध ठीक कर देंगे भविष्य के अन्दर, अन्यथा हमारा वित्तीय प्रबन्ध बिगड़ता चला जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह कुम्हेर ने पाइंट आफ आर्डर जो रेज किया और श्री रमाकान्त जी शर्मा ने उसके समर्थन में जो बातें कहीं, इस पाइंट आफ आर्डर को मैं रिजेक्ट करता हूं और इस पर कल मैं अपनी रूलिंग विस्तृत रूप से दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद।

अनुपूरक अनुदान एवं अतिरेक मांगों पर विचार

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, 1996-97 के बजट पर जब बहस हो रही थी तो मैंने सिंचाई विभाग के इन्दिरा गांधी नहर से निकलने वाली नोहर-साहवा लिफ्ट योजना के सिलसिले में कुछ चर्चा की थी और मैंने यह भी कह दिया था कि हमारे सिंचाई मंत्रीजी देवीसिंह जी भाटी चूरू जिले के दुश्मन हैं। उनको बड़ी नाराजगी हुई। मौजूद नहीं थे यहां, वापस आकर बड़ी नाराजगी हुई और अपना जवाब दिया, फिर मुझे जब अवसर मिला तो मैंने कहा, फिर भी वे हाजिर नहीं थे। मैंने कहा, जो चूरू जिले का अहित करे उसको दुश्मन नहीं तो दोस्त कैसे कहूं ? आप मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय को मिटा दीजिये मैं आपको मित्र कह दूंगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि दोनों बार भी वे हाजिर नहीं थे और आज भी मेरा दुर्भाग्य यह है कि वे मेरी बात को सुनने के लिये हाजिर नहीं हैं। खैर, उप मुख्य मंत्रीजी को मैं अपनी बात सुना देता हूं, शायद वे ही जो अन्याय मेरे साथ हुआ है उसको न्याय में बदलने की कोशिश करेंगे, इसकी मुझे उम्मीद है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : खजाना तो उनके हाथ में है।

श्री चन्दनमल बैद : खजाना तो मेरे हाथ में भी बहुत वर्षों तक रहा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपके साथ पूरा न्याय किया जाएगा।

श्री चन्दनमल बैद : धन्यवाद। उप मुख्य मंत्रीजी, आश्वासन से फायदा नहीं होता है। जब तक रिकार्ड की बात रिकार्ड पर नहीं जाए खाली आश्वासन से कुछ नहीं होता है। कई बार मुख्य मंत्रीजी यूं मुंह हिला देते हैं लेकिन हिलाने से वह बात उसमें दर्ज नहीं होती है इसलिए मैं अपनी पूरी बात कहूंगा और पूरी बात को सुनकर वे पूरा जवाब देंगे तभी मैं उसको आश्वासन मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1983 में मंत्रिमण्डल की मंजूरी से चूरू जिले के 159 गांवों के लिये एक नोहर-साहवा लिफ्ट योजना की स्वीकृति हुई थी। उसमें सरदारशहर के 56 गांव थे, और तारानगर के 65 गांव थे तथा राजगढ़ के 38 गांव थे।

श्री उपाध्यक्ष : राजगढ़, अलवर ?

श्री चन्दनमल बैद : राजगढ़, अलवर नहीं, यह चूरू की बात हो रही है। सर, यह अलवर की बात नहीं हो रही है। राजगढ़ तो है, तारानगर भी शायद दो हो सकते हैं।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि 1983 में मंत्रिमण्डल से मंजूरी हुई। सन 1987 में इस लिफ्ट का पुनरावलोकन किया गया और यह तय किया गया कि इसका सिंचित क्षेत्र 97,059 हैक्टेयर होगा और इसमें चूरू जिले का 42,693 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया। यानी इस चूरू जिले का कुल सिंचाई क्षेत्र में से 44 प्रतिशत था, हो सकता है साढ़े 44 हो, साढ़े तियालीस हो लेकिन करीब 44 प्रतिशत था। मैंने जब इस बात का जिक्र किया था तब मैंने यह कहा था, यह मेरी बात ही नहीं बल्कि राजस्थान सरकार के

(192)

(श्री चन्दनमल बैद)

इन्दिरा गांधी नहर डिपार्टमेंट का मेरे कट-मोशन का एक जवाब आया था, उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि 1995 में इस स्कीम का पुनरवलोकन किया गया है, उसमें सिर्फ 39 गांव चूरू जिले के रहेंगे। मतलब 159 गांवों में से 39 गांव रखे गये हैं, 120 गांव चूरू जिले के काट किये गये हैं। तो मेरी नाराजगी वाजिब थी। मेरी नाराजगी वाजिब थी तो मेरा गुस्सा भी वाजिब था और मैं यह चाहता था कि मेरे गुस्से पर सिंचाई मंत्री जी को भी गुस्सा आए। अगर मैंने गुस्सा किया और सामने वाले को गुस्सा नहीं आए तो मेरे गुस्सा करने का फायदा क्या हुआ? तो मुझे खुशी है इस बात की कि इनको गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मेरे को दुश्मन कैसे कह दिया।

अब मुझे कटमोशन पर जो जवाब मिला है उसमें यह लिखा है कि इस नहर से चूरू जिले की तहसील तारानगर के लगभग तीस गांव और सरदारशहर के 9 गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके पहले सन 1983 में स्कीम पास हुई थी, उसमें जो हैंड नोट एक निकला है, उसके अनुसार जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, तारानगर के 65 गांव थे, सरदारशहर के 56 गांव थे और राजगढ़ के 38 गांव थे। अब सरदारशहर के गांव थे 56 वे रह गये 9 और तारानगर के जो 65गांव थे वे रह गये 30 और राजगढ़ तो बिलकुल ही, इन्द्रसिंहजी, आपको तो साफ कर दिया। इस तरीके से यह जो अन्याय हुआ उसके विरुद्ध मैंने आवाज उठायी। मेरी आवाज पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई तो मैं मुख्य मंत्रीजी से मिला व मैंने मुख्य मंत्रीजी से कहा, मुख्य मंत्रीजी, मेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, चूरू जिले के किसानों के साथ, जनता के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, मेहरबानी करके इस अन्याय की तरफ आप देखिये। मुझे खुशी है कि इस बात की कि उन्होंने मुझे कहा और श्री अर्जुन सिंहजी कपूर जो इन्दिरा गांधी नहर मण्डल के अध्यक्ष हैं, उनको उन्होंने मेरे सामने फोन किया कि इसके बारे में मुझे पूरी रिपोर्ट भेजो। इसके बारे में मैंने देवीसिंहजी भाटी को भी एक पत्र लिखा। मुझे दुःख है इस बात का कि मेरे पत्र का जवाब उन्होंने आज तक नहीं दिया। मैंने मुख्य मंत्रीजी से मिलने के बाद मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र भी लिखा। मुझे खुशी है इस बात की कि मुख्य मंत्रीजी ने बड़ा अच्छा जवाब मुझे दिया कि मैं इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग को शीघ्र प्रभावी कार्यवाही हेतु भिजवा रहा हूं। तो मैंने कहा, कम से कम यह तो उन्होंने लिखा है कि प्रभावी कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं तो जरूर कोई न कोई प्रभावी कार्यवाही होगी। बहुत धन्यवाद, सिंचाई मंत्रीजी, आप पधार गये मेरी बात सुनने के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी : जैसे ही पता लगा कि चन्दनमलजी साहब बोल रहे हैं तो दौड़कर आया हूं।

श्री चन्दनमल बैद : धन्यवाद। आपके सांस तो नहीं आती न? मैं आपका आभारी हूं।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि सिंचाई मंत्रीजी को भी मैंने एक पत्र लिखा था, वह लिखा 29 मई को, लेकिन सिंचाई

(श्री चन्दनमल बैद)

मंत्रीजी ने, एम.एल.ए. के पत्र का जवाब तो देना चाहिये, नहीं दिया तो आपकी मर्जी है ।

श्री देवीसिंह भाटी : हर विधायक के पत्र का जवाब भेजता हूं । आप वाला थोड़ा वो राजनीति से उलझा हुआ मामला था ।

श्री चन्दनमल बैद : राजनीति से उलझा हुआ था यह ? मैं पढ़कर सुना दूं, राजनीति से उलझा हुआ है क्या यह ? पढ़ कर सुना देता हूं ।

श्री देवीसिंह भाटी : यह इसमें नहीं आएगा ।

श्री चन्दनमल बैद : प्रिय श्री देवीसिंह जी भाटी, नमस्कार ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नमस्कार भी लिखा है ।

श्री चन्दनमल बैद : नमस्कार भी लिखा है, साहब । आगे अभिवादन भी लिखा है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जब तो ज्यादती है ।

श्री चन्दनमल बैद : "कुछ दिनों पहले इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की साहवा लिफ्ट योजना के सम्बन्ध में मैंने इसके अध्यक्ष श्री अर्जुनसिहजी कपूर से बातचीत की थी । मैंने उनसे निवेदन किया था कि जब योजना बनी थी उस समय चूरू जिले की इस योजना में 159 गांव थे लेकिन मुझे इस सम्बन्ध में जो सूचना दी है, उसके अनुसार केवल 39 गांव रह गये हैं, 120 गांव काट दिये गये हैं । उन्होंने मुझे बताया कि सन् 1983–84 में यह योजना मंत्रिमंडल से स्वीकृत हुई थी उस समय 97,000 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई करने का प्रावधान था, अब इसको बढ़ाकर 1,44,000 हैक्टेयर कर दिया गया है । मैंने जब उनसे जानना चाहा कि जब 97,000 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई करने का प्रावधान था, उस समय

(17.29)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पदासीन)

चूरू जिले के कितने रकबे में सिंचाई होनी चाहिये थी और अब उसे बढ़ाकर 1,44,000 हैक्टेयर कर दिया गया है तो चूरू जिले के कितने रकबे में सिंचाई होगी? उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वे इस बात का पता लगाकर मुझे सूचित करेंगे । इसके दो–तीन दिन बाद ही श्री अर्जुनसिंह जी कपूर ने मुझे आप द्वारा दिये गये वक्तव्य की जो राजस्थान पत्रिका के 20 मई, 1997 के अंक में प्रकाशित हुआ है, उसकी एक प्रति भेजी । जिसमें आपने यह कहा है कि चूरू जिले की 5[illegible],000 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचाई में लायी जा सकेगी । मैंने उनको जवाब में यह लिखा है कि अखबार की खबर में मैं विश्वास नहीं करता । अगर श्री अर्जुनसिंह कपूर या आपके हस्ताक्षरों से मुझे पत्र मिले कि पहले इतना रकबा चूरू जिले का सिंचित होता था और अब इतना रकबा चूरू जिले का सिंचित होगा, तब ही मैं विश्वास करूंगा । उनको मैंने जो पत्र लिखा है, उसकी एक प्रति आपकी जानकारी के लिये इस पत्र के साथ भेज रहा हूं । कृपया मुझे सूचित करें कि जब 97,000 हैक्टेयर भूमि में साहवा लिफ्ट योजना होनी थी, तब चूरू जिले के कितने

(194)

(श्री चन्दनमल बैद)

रकबे में सिंचाई होनी थी और अब 1,44,000 हैक्टेयर में सिंचाई होनी है तो चूरू जिले में कितने रकबे में सिंचाई होगी ? आशा है मेरी चिन्ता को देखते हुए आप जल्दी ही उचित व सही जानकारी मुझे देने की कृपा करेंगे। सहअभिवादन आपका, चन्दनमल बैद। अब इसमें राजनीति कहां है ?

श्री देवीसिंह भाटी : पीछे है।

श्री चन्दनमल बैद : राजनीति इसमें है कहीं ? यह तो चूरू जिले के किसानों के प्रति मैंने चिन्ता जताई है। मेरा चूरू जिले में कोई खेत नहीं है, मंत्री महोदय। उन किसानों में जाट भी हैं, राजपूत भी हैं, हरिजन भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ओ.बी.सी. के लोग भी हैं, सारी जाति के लोग हैं। और मेरी एक इंच भी वहां जमीन नहीं खेती की। इस वास्ते मैंने तो किसानों के प्रति अपनी चिन्ता जतायी है, किसानों का केस प्लीड किया है। इसमें राजनीति कहां है ? 24 जून को संयोग से अपन बीकानेर में मिले थे, मैंने उस वक्त आपको उलाहना दिया था। आपने कहा, मैं जल्दी जवाब दूंगा। अब 24 जून को लेकर आज जुलाई, अगस्त और करीब-करीब आधा सितम्बर बीत गया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, आपने जवाब नहीं दिया, मैं उसको बर्दाश्त कर रहा हूं लेकिन मैं आपसे यह प्रार्थना जरूर कर रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुझे लिखा है। मुख्य मंत्रीजी को भी मैंने पत्र लिखा था, मुख्य मंत्रीजी ने लिखा कि मैं इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग में शीघ्र प्रभावी कार्य हेतु भिजवा रहा हूं। तो जब मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि प्रभावी कार्यवाही के लिए भिजवा रहा हूं तो जरूर आपने कोई प्रभावी कार्यवाही की होगी, और की होगी तो मुझे कम से कम बताएंगे आप, इसके लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : इसी सदन में बताएंगे। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। अगर अखबार में कोई बात आयी है तो उसके पीछे हमारी मंशा देखिये। हमारी करने की इच्छाशक्ति है और हमारी इच्छाशक्ति इतनी प्रबल है वह मैं इसी हाउस में घोषणा कर के बताऊंगा।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, मैंने यह निवेदन किया था कि पहले जब यह योजना बनी थी तो उस योजना के कुल सिंचित क्षेत्र में चूरू जिले का हिस्सा 44 प्रतिशत था। यानि कुल सिंचाई क्षेत्र में से 44 प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र चूरू जिले का था। मैं गांवों की बात नहीं करता। फिर उसके बाद जब 1995 में आपने उसका पुनरावलोकन किया तो हमारा सिंचाई क्षेत्र आपने 19 प्रतिशत कर दिया। कुल सिंचाई का क्षेत्र तो बढ़ा दिया आपने लेकिन हमारा घटा कर 19 प्रतिशत कर दिया। मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप हमारा सिंचित क्षेत्र नहीं बढ़ावें तो कम से कम इसको 44 प्रतिशत तक तो ले आवें। हमारे किसानों को जो तकलीफ हुई है, जो परेशानी हुई है, जो नाराजगी है उसके कारण से मुझे भी बहुत नाराजगी है और इस वास्ते कभी-कभी तो मैं गुस्से में आकर कह देता हूं कि देवीसिंह जी भाटी चूरू जिले के दुश्मन नम्बर एक हैं। उसका आपने नतीजा भी देख लिया। नतीजा आपने यह देख

(श्री चन्दनमल बैद)

लिया कि आप उप चुनाव में बी.जे.पी. के इन्चार्ज बनकर गये थे और 20,000 वोटों से हारकर आये ।

श्री देवीसिंह भाटी : ग्रामीण अंचल में जिसकी आप बात कर रहे हैं न, वहां सबसे ज्यादा प्रतिशत वोटों का बढ़ा है और लोगों ने समर्थन दिया है । उसका परिणाम है....

श्री चन्दनमल बैद : अच्छी बात है, आपको समर्थन इसी तरह से देते रहें, आप इसी तरह से हारते रहें । मैं तो यही चाहता हूं ।

श्री देवीसिंह भाटी : हम तो जीतते रहे हैं, जो बात की उस पर कायम रहे । 1980 से कोलायत का अभी तक प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और प्रतिशत बढ़ाया ही बढ़ाया है ।

श्री चन्दनमल बैद : ठीक है, आप कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कांग्रेस कहां रुक गयी ? जो सीट आपके पास थी उसकी जमानत जब्त हो गयी ।

श्री चन्दनमल बैद : ठीक है, जमानत जब्त हो गयी क्योंकि मुझे हार्ट अटैक हो गया था नहीं तो आप 40,000 वोटों से हारते और कांग्रेस की जमानत जब्त नहीं होती । अब मैं क्या करूं, भगवान ने मेरा हार्ट अटैक कर दिया, मुझे यहां आना पड़ा । अगर मैं वहां रहता तो आप आधी केबिनेट के रहते हुए....

श्री सभापति : व्यक्तिगत कमेंट्रीज नहीं, प्लीज ।

श्री चन्दनमल बैद : आधी केबिनेट वहां थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर गांव-गांव फिर रहे थे । आप तो वहां थे भी नहीं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अभी क्यों बहस करते हो, साल भर बाद आ जाना मैदान में ।

श्री देवीसिंह भाटी : अभी भी हम तो मैदान में हैं । आप किसी भी क्षेत्र में आइये, चाहे पंचायती राज के चुनाव ले लीजिये, चाहे आप नगरपालिकाओं के चुनाव ले लीजिये सब जगह आपको ऐसा मटियामेट किया है कि जिन्दगी भर नहीं उठ सकोगे ।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी ।....
(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आप कैसे चुनाव जीते हैं, यह सारी जनता को पता है ।

श्री चन्दनमल बैद : ठीक है, ठीक है । बातों में मटियामेट करने में आप माहिर हैं ।

श्री देवीसिंह भाटी : राष्ट्रपति शासन में जीते हैं । राष्ट्रपति शासन में जब निरंकुश शासन था उस समय भी 22,500 वोटों से जीते हैं ।

श्री सभापति : House may come to order please. माननीय मंत्रीजी, बिराजें । चन्दनमल जी, प्लीज कन्टीन्यू करें ।

श्री राजेन्द्र पारीक : +++ कह रहे हैं आपकी चोटी काट देंगे ।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री सभापति : माननीय पारीक जी, प्लीज फिनिश इट ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : भ्रष्टाचार के क्षेत्र में आप आगे बढ़ो ।

श्री चन्दनमल बैद : तो, सभापति महोदय, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं कि मुख्य मंत्रीजी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम मुझे जवाब दिया और संतोषजनक जवाब दिया। और मुझे आशा है कि अपने मन से नहीं तो मुख्य मंत्रीजी के प्रभाव से कम से कम आप कोई प्रभावी कार्यवाही तो करेंगे ।

दूसरा मेरा कट मोशन है सिद्धमुख नहर के बारे में । राजीव गांधी ने सिद्धमुख नहर का शिलान्यास किया था उस समय उन्होंने यह डिक्लेयर किया था कि चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के 14 गांव इसमें शामिल हैं । मुझे इस बात का अफसोस है, मुझे बताया गया है कि अब जो नयी योजना बनी है उसमें 14 गांवों को काट दिया गया है । देवीसिंह जी, हम आपके पड़ौसी हैं और आप बीकानेर के रूलर तो नहीं रहे हुए हो लेकिन रूलरों के माई, भांजे या कुछ तो रहे ही हो ।

श्री देवीसिंह भाटी : रूलर नहीं रहे हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : रूलर तो नहीं रहे, रूलर तो राठौड़ थे ।....(व्यवधान)....रूलर तो राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ थे ।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं ।

श्री चन्दनमल बैद : उनके पूर्वजों के साथ हमारे पूर्वज भी जोधपुर से आये थे, इसका इतिहास है । रूलर तो आप नहीं रहे, या तो रूलरों के मामाजी रहे हैं या रूलरों के और कुछ रहे हैं ।

श्री देवीसिंह भाटी : हम बीकानेर स्टेट में नहीं थे हम जैसलमेर स्टेट में थे । यह तो स्टेट मर्ज होने के बाद में बीकानेर में ।

श्री चन्दनमल बैद : ठीक है । कोई बात नहीं, आप थे रूलर वहां पर । तो मैं यह कहता हूं कि आप रूलर तो नहीं रहे हैं लेकिन कम से कम हमारे पड़ौसी जरूर रहे हैं, पड़ौसी होने के नाते चूरू जिले के साथ अन्याय मत करो ।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और बिलकुल मन से, हृदय से कह रहा हूं कि मेरे लिए ना तो कोई जिला है, न कोई पार्टी है, मेरे लिए है किसान, उसका भला करेंगे । जो हमने क्रांतिकारी कदम उठाये हैं, आने वाले समय में पूरा राजस्थान कमांड करके बताएंगे । हमारे लिए कोई तहसील और जिला अलग-अलग नहीं हैं, कोई पार्टी नहीं है ।

श्री चन्दनमल बैद : मैं किसान की ही बात कर रहा हूं । जब मैं इन्दिरा गांधी नहर का मंत्री था तो 6 लिफ्ट योजनाएं हमने स्वीकार की थीं, उसमें चूरू जिले की केवल एक थी और बीकानेर की तीन योजनाएं थीं । मैं बीकानेर का तो नहीं था लेकिन बीकानेर की तीन योजनाएं थीं, गजनेर, कोलायत और एक और थी । इस तरह तीन योजनाएं बीकानेर की थीं । मैंने स्वीकार की थीं, आप मानते हैं इस बात को ? जब मैं इन्दिरा गांधी नहर का मंत्री था तब तीन योजनाएं बीकानेर की मैंने स्वीकार कीं और चूरू की केवल एक थी । अब मैं

(श्री चन्दनमल बैद)

आपसे यह तो करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, मैं आज गुस्से से बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि शांति से बात कर रहा हूं कि मेहरबानी करके आप चूरू जिले के पड़ौसी हैं और सबके साथ न्याय कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है लेकिन कम से कम चूरू जिले के साथ अन्याय तो मत कीजिये। हमारा 44 प्रतिशत जो हिस्सा है सिंचाई क्षेत्र में नोहर–साहवा लिफ्ट योजना में उस 44 प्रतिशत को मेहरबानी करके रैस्टोर कीजिये और 14 गांव जो सिद्धमुख नहर के आपने काटें हैं, मेहरबानी करके उनको वापस बहाल कीजिये। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कट मोशन प्रस्तुत कर रहा हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री अमराराम जी चौधरी। (अनुपस्थित) श्री किशन गोपाल जी कोगटा।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में एक देवी सागर फीडर है, देवी सागर तालाब है। उसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि उसके नीचे जो सिंचित जमीन है, कृषि योग्य जमीन है अगर देवी सागर पूरा भर जाए तो अजमेर जिले की खाद्यान्न की समस्या को पूरे साल भर की पूर्ति कर सकता है। अजमेर क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है मसूदा, घाटा वगैरह, उसमें देवी सागर फीडर का काम प्रारम्भ किया जिससे उसको भरा जा सके। सभापति महोदय, पिछले पांच साल से अकाल राहत कार्य में लगातार उसका काम होता रहा पर अभी तक उसका काम अधूरा है। अकाल राहत कार्य अकाल पड़ेगा तभी शुरू होता है, तभी उस पर काम चलता है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, देवी सागर फीडर का काम जो अधूरा पड़ा है उसको अगर इरिगेशन विभाग से कराएं तो निश्चित रूप से जो पानी बहकर नदियों में और छोटे–मोटे नालों में चला जाता है वह पानी एकत्रित होकर देवी सागर तालाब में जाएगा और उसका उपयोग कृषि भूमि के लिए होगा। उस पर अभी तक लगभग 40 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। वह महत्वपूर्ण नहर है पर उसमें यही समस्या है कि जमीन पथरीली है इस कारण फेमिन में वे काम पूरे नहीं हो सकते। जो क्षेत्र छूटा हुआ है वह एक्चुअली पथरीला क्षेत्र है, उसको तो एक्सप्लोजिव और ठेके से ही कराया जा सकता है और ट्रैक्टर से या मशीन से उसको खोदा जाए तभी हो। बहुत छोटा-सा हिस्सा रह गया है। पानी इतना पर्याप्त आता है कि उसका उपयोग हो सके। इसको देखते हुए कि मसूदा विधान सभा क्षेत्र में यह बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है और इसमें सरकार का 40 लाख रुपया लग चुका है, इसको पूरा करना चाहिए।

दूसरा, सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में जालिया सैकण्ड में नारायण सागर बांध है। नारायण सागर बांध में पानी मेवाड़ के आसींद और बदनौर से आता है। अगर उधर बारिश होगी तो यह बांध भर जाएगा। लेकिन खारी नदी के ऊपर इतने बांध और एनीकट बन गये कि वह बांध बहुत मुश्किल से पांच-छह साल में एक बार भरता है। जब भरता है तो उसके पानी का उपयोग होना चाहिये लेकिन उस

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

बांध से निकलने वाली नहरें टूटी–फूटी है, उनकी मरम्मत जब से वह बांध बना है तब से नहीं हुई। जितना पानी आता है, उसका सदुपयोग हो उसके लिये मैं सिंचाई मंत्री जी से आपके माध्यम से बजट चाहता हूं। सिंचाई विभाग से अजमेर.... (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी चन्दनमलजी को तो बार–बार जवाब दे रहे थे, आपको जवाब नहीं दे रहे हैं। जो दोनों मुद्दे आपने उठाये हैं, उनके बारे में कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : वह इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इनका मन जल्दी जाने में लग रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह अजमेर का मामला है।

श्री देवीसिंह भाटी : जितने माननीय सदस्य हैं यहां पर, वे कोई भी बात या सुझाव रखेंगे, मैं एक–एक माननीय सदस्य के मुद्दे पर जवाब दूंगा।

एक माननीय सदस्य : वह चैलेंजेबल मामला था। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह भी चैलेंजेबल हो जाएगा।

श्री सभापति : अभी कुछ तो जवाब दे दो। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : सभापति महोदय, मेरी तरफ अगर इनका मुंह हो तो यह भी चैलेंजेबल हो जाएगा। आप इधर थोड़ा हमारे पर भी निगाहें रखें।

जब से यह नारायण सागर बांध बंधा तब से सिंचाई विभाग ने एक पैसा भी नहीं लगाया। दुर्भाग्य समझिये, माननीय सभापति महोदय, इरिगेशन का पिछले पांच साल से इस ओर बजट का एक भी पैसा अजमेर जिले के लिये नहीं दिया गया निर्माण या उसकी मरम्मत के लिये।

श्री सभापति : यह आरोप के रूप में मत कहो आप।

श्री किशन गोपाल कोगटा : पूरे जिले में नहीं आया। बस, जवाब दीजिये आप। बताइये आप।

श्री सभापति : कोगटा साहब, जवाब लेने के लिये तरीका चाहिये। देवीसिंह जी ऐसी सीधी खीर नहीं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : ऐसे दो देंगे नहीं, पर जिले का कहूंगा तो फिर एरिये की (व्यवधान) मैं कह रहा हूं जिले के लिये कोई बजट नहीं आया।

श्री सभापति : O.K. now finish it.

श्री किशन गोपाल कोगटा : सभापति महोदय, ऐसे ही अराई में रत्न सागर देवलिया है। नहर व फीडर अकाल में बनी हुई हैं। अकाल में उस पर बहुत पैसा लग गया है, लगभग 30 लाख रुपये अकाल राहत में जब के अकाल कार्य चले तब लगे, लेकिन वह

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

काम अधूरा पड़ा है। उस पैसे का उपयोग होने के लिये अगर सिंचाई विभाग रामसागर बांध को अपने हाथ में ले ले तो निश्चित रूप से काश्तकारों को एग्रीकल्चर पेटा काश्त और उसके नीचे वाली जो काश्त होती है, उसका उपयोग हो सकता है।

श्री सभापति : ज्यादा मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा।

श्री किशन गोपाल कोगटा : सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं प्राकृतिक विपदा में अभी पिछले दो महीनों में अजमेर में इतनी बारिश हुई कि अजमेर शहर की कोई सड़क ऐसी नहीं बची जिनमें बड़े-बड़े गड्ढे नहीं हुए हों। सभापति महोदय, अजमेर में दरगाह है, विदेशों से भी जायरीन आते हैं और सारे हिन्दुस्तान भर से भी आते हैं। लेकिन जो स्थिति अभी अजमेर की बनी हुई है, उसमें मेरा आग्रह है ...(व्यवधान)

श्री सभापति : इसके लिए सांवरमल जी अभी घोषणा कर देंगे आपको 40 लाख की।

श्री किशन गोपाल कोगटा : अजमेर में सड़कों की जो स्थिति बनी हुई है उनकी मरम्मत आवश्यक है। मरम्मत केवल छोटी कारपेट की हो या छोटी–मोटी पैचिंग की हो तो, निश्चित रूप से डिपार्टमेंट को जाएं लेकिन पूरे अजमेर में जो सड़कों की स्थिति बनी है उसके लिये अलग से बजट पास होकर तुरंत सड़क तैयार करवाएं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह बात माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सांवरलालजी, कुछ घोषणा करेंगे ?

श्री सांवरलाल जाट (राज्य मंत्री, अकाल राहत) : बाद में करेंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री पूनमचन्द जी विश्नोई।

श्री किशन गोपाल कोगटा : सुनिये साहब, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया।

श्री सभापति : अब खतम करो न।

श्री किशन गोपाल कोगटा : एक मिनट बस। माननीय सभापति महोदय, मेरा यही कहना है कि पूरे अजमेर जिले में 1400 तालाब हैं छोटे–मोटे करके और हर साल बारिश में ये टूटते–फूटते रहते हैं अकाल राहत सहायता के सिवाय कोई ऐसा बजट नहीं जिसमें उनकी मरम्मत हो सके। अकाल नहीं पड़े और अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं हों तो ये जो तालाब हैं इनकी मरम्मत नहीं हो सकती। अजमेर जिले की सारी कृषि और पशुपालन इन तालाबों पर निर्भर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि अजमेर जिले में तालाबों की मरम्मत के लिये अलग से एक हैड रखना चाहिये ताकि जब कभी भी ऐसा हो जाये तो उनकी मरम्मत करायी जा सके और जो पानी बहकर चला जाता है, उसको रोका जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मसूदा

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

के पास एक रपट है, वह पहाड़ी एरिया है। आये दिन जब भी बारिश होती है तो उसमें पानी भर जाता है और जो लोग मसूदा के गांवों में जाते हैं तो उसमें बहकर चले जाते हैं। पिछली बार भी दो जने इस रपट में बहकर चले गये थे और उनकी मौत हो गयी। मैं आपके माध्यम से सहायता मंत्री से आग्रह करूंगा कि इस रपट को ठीक बनाएं ताकि पानी नीचे से निकल जाए और आवागमन का साधन सही हो सके।

श्री सभापति : अब आप समाप्ते करें। Please, now cooperate, (व्यवधान) आप गैर हाजिर थे। आप कृपा करके बैठें, आपको समय मिलेगा। आप बैठें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से, कि अजमेर में माडर्न ब्रिज बन रहा है, रेलवे की वजह से वह ऊंचा हो रहा है। अभी क्योंकि कार्य प्रारम्भ है तो अजमेर से ब्यावर जाने की तरफ जो रास्ता पड़ता है, वह घूमकर वापस ब्यावर की तरफ जाना पड़ता है चाहे रामगंज से आएं, चाहे नगरा से आएं, चाहे श्रीनगर से आएं। और ब्यावर से उधर जाएं तो ब्रिज पारकर घूमकर जाना पड़ता है क्योंकि अभी बन रहा है। मेरा यह आग्रह है, जिस प्रकार से श्रीनगर और विजयनगर रोड की तरफ ब्रिज को मोड़ रहे हैं, उसी प्रकार से शहर से ब्यावर की तरफ जाने वाला ब्रिज अगर ऊपर से ही कन्वर्ट होकर नीचे जाए तो निश्चित रूप से ब्यावर की तरफ कन्वर्ट करके उतारा जाए। इससे निश्चित रूप से शहरवासियों के लिये सहूलियत होगी।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ–साथ पुष्कर के लिये पिछले बजट में रोड निकालने के लिये, कट करके एक सुरंग बनाने के लिये बजट.... (व्यवधान)

श्री सभापति : टनल रोड।

श्री किशन गोपाल कोगटा : हां, टनल रोड। मेरा कहना यह है कि वह बजट घोषणा तो हो गयी लेकिन आज तक उसमें कोई काम प्रारम्भ नहीं हुआ। मेरा यह आग्रह है कि वह कार्य इसी वर्ष प्रारम्भ हो जाए तो तीर्थराज पुष्कर, जो एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ है, उसका रास्ता शार्ट हो जाये।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करो। ये तो अनुपूरक मांगे है, इस पर थोड़ा शार्ट में You should speak. इसके लिये जब लम्बी आएगी तब बोलना खूब।

श्री किशन गोपाल कोगटा : पी. एच. ई.डी. पर मांग है। मेरा यह आग्रह है कि अजमेर जिले में मेरा क्षेत्र विजयनगर म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र छोड़कर सारा बीसलपुर परियोजना से जुड़ा हुआ है। मेरे क्षेत्र में जिसकी सरकार थी उसी का एम. एल. ए. आज तक था, जो एम. एल. ए. जीतता था उसी की सरकार होती थी। लेकिन दुर्भाग्य है, उस मसूदा विधान सभा क्षेत्र में जो विजयनगर का क्षेत्र पड़ता है, ब्यावर बीसलपुर से जुड़ा हुआ है, नसीराबाद बीसलपुर से जुड़ा हुआ है, सरवाड़ जुड़ा

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

हुआ है, केकड़ी जुड़ा हुआ है, अजमेर जुड़ा हुआ है, किशनगढ़ जुड़ा हुआ है, केवल विजयनगर म्युनिसिपेलिटी एरिया रहा है। इसका क्या कारण है? जिसकी सरकार हो उसकी चलती नहीं है। मेरे क्षेत्र में ऐसे 70-80 गांव हैं जो फ्लोराइडयुक्त हैं, जिनको इस डिपार्टमेंट ने भी डिमार्किंग किया है और ये 70 गांव फ्लोराइडयुक्त हैं। फ्लोराइड गांव होने के बावजूद भी वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अब पी.एच.ई डी. मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जो फ्लोराइडयुक्त गांव हैं वहां पीने के पानी की समस्या है, वहां पर बीसलपुर परियोजना का पानी पहुंचाएं।

श्री सभापति : श्री पूनमचन्द जी विश्नोई। (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन।

श्री टीकमचन्द कान्त : माननीय सभापति महोदय, मुझे इनके बाद में नम्बर दे दें। मैं बहुत थोड़ा कहूंगा। दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा।

श्री सभापति : अपने सचेतक महोदय से बात करें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : मैं पांच मिनट में ही सब बात कह दूंगा। सभापति महोदय, बात बहुत ही संक्षेप में कहनी होगी। पहले मैं ले रहा हूं लोक-निर्माण, मांग संख्या-19, यह बहुत लम्बा-चौड़ा विषय है पर इसमें इतना ही अर्ज है। एक कहावत भी है अंग्रेजी में We have roads or we have no roads but we pay for roads, we pay more if we have no roads. चाहे सड़क बनाओ, चाहे सड़क मत बनाओ, समाज को सड़क का व्यय उठाना पड़ता है। लेकिन अगर सड़क नहीं हो तो समाज के ऊपर सड़क का भार ज्यादा पड़ता है। सड़क के बगैर आधुनिक युग में कोई तरक्की नहीं हो सकती। मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं। आज एक किलोमीटर डामर की सड़क बनाएं तो कई जगह सात-सात, आठ-आठ लाख रुपये खर्च होते हैं। 32 हजार गांव पुराने हैं, कई गांव हो गये। इस लागत से आप सबको कब जोड़ेंगे? हर्गिज नहीं जोड़ सकते इसलिए सड़क की एक नीति होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाली सड़कें, सब डिवीजन को जोड़ने वाली सड़कें और तहसील को जोड़ने वाली सड़कें होनी चाहिए। ग्रेवल को इंजीनियरों ने न मालूम किस बात से और हम लोग भी इतनी समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं कि ये जो ग्रेवल रोड्स हैं इनको कतई तौर पर त्याग दिया है। ये सबसे सस्ती बनती हैं, सबसे ज्यादा मजदूरी देती हैं। डामर की सड़कें तो कैपिटल इन्टेंसिव हैं, ये लेबर इन्टेंसिव हैं। अकाल पड़ते रहते हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह एक फिलोसॉफी फैलायी जा रही है कि मुरंम की सड़कें किसी काम की नहीं हैं। सरदारसमंद की सड़क को देख लीजिये आप, जोधपुर से सीधी एक लाइन है सरदारसमंद डैम तक। जब मैं छोटा-सा बच्चा था उस वक्त बनी थी। उसके आसपास से सड़कें ले गये लेकिन आज तक उस पर ग्रेवल नहीं डाला है लेकिन उस वक्त का एक-एक फीट का ग्रेवल डला हुआ है, पचास साल के बाद भी वह कायम है। तो मेरा नम्र निवेदन

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

हैं कि सड़कों की एक नीति बनाइये। गांवों को जहां जोड़ना है वहां पर ज्यादा से ज्यादा ग्रेवल उपलब्ध हो तो ग्रेवल रोड्स बनानी चाहिए। यह तो हुआ सड़क के बारे में।

दूसरा है भवन निर्माण के बारे में। भवन निर्माण के बारे में ऐसा है कि आपने पाश्चात्य तरीका अपना लिया और वह मैटीरियल अपना लिया जिसका नतीजा ठीक नहीं है। बहुमंजिली इमारतें तो आर.सी.सी. की ही बन सकती हैं लेकिन एक-दो मंजिल के मकान वर्तमान में बनाये हुए, इतने गर्म रहते हैं कि अगर आप कूलर और ए.सी., हालांकि एफोर्ड नहीं कर सकें, ए.सी. जब तक उसमें आप नहीं लगाओ, तब तक रह नहीं सकते। पुराने जो मकान थे स्थानीय मैटीरियल से बने हुए थे। इतने ठंडे रहते हैं जैसे कि आप कोई एयर कंडीशनर में बैठे हों। बहुमंजिली इमारतें हों या कोई बड़े-बड़े और संस्थान हों वे तो भले ही आर.सी.सी. के बनाये हुए हों लेकिन दूसरे सब भवन लोकल मैटीरियल से, जहां पट्टियां मौजूद हैं, जहां पर ग्रेवल मौजूद है, उससे चुनाई हो सकती है। उसके बारे में तो ये दो सुझाव हैं।

उसके बाद में हैं "प्राकृतिक आपदाएं"। इसमें कई तरह की आपदाएं हैं–बरसात का मौसम है, बाढ़ की कई जगहों से शिकायतें आई हैं। इसमें एक ही नम्र निवेदन है कि बाढ़ आती है, 1979 में सबसे भयंकर बाढ़ आयी, उसमें पांच सौ लोग बह गये। और कितने दिन तक बहे वे? 16 तारीख को बिलाड़ा और पीपाड़ में बाढ़ आयी और 20 तारीख को। रणकच्छ में पहुंची तब तक टेल एण्ड तक लोग डूबते रहे। एक सड़क है, लूणी स्टेशन से सरवाणा गांव के रणकच्छ के किनारे पर जहां नदी रणकच्छ में पड़ती है, वहां तक पास में एक सड़क है। अगर एक जीप दौड़ा देते, बाढ़ आने में तो चार दिन लगे, जीप जाने में ज्यादा से ज्यादा 20 घण्टे लगते और एक आदमी भी नहीं मरता। आम तौर पर हैलीकाप्टर बुलाते हैं। मुख्य मंत्री जी अभी उस मौके पर जाकर आये, कलक्टर और एस.पी. मौजूद थे। गांव वाले तैरू निकाल रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हैलीकाप्टर आ रहा है। हैलीकाप्टर कहीं आया न गया, 19 आदमी डूब गये। 1979 में मेरी सगी बड़ी बहन के परिवार के नौ जने बाढ़ में बह गये। उनमें से छः तो बच गये, तीन खतम हो गये। टाइम पर इत्तला दे दी, हैलीकाप्टर आ रहा है, आ रहा है। हैलीकाप्टर आया न गया और वहां नौ जने बह गये जिनमें से छः तो बच गये और तीन डूब गये। यदि हैलीकाप्टर का बन्दोबस्त करना है तो, आर्मी का हैलीकाप्टर एकदम नहीं मिलता है क्योंकि उनको कहीं से परमीशन लेनी होती है। बाढ़ की स्थिति हो तो थोड़ा पैसा जरूर ज्यादा लगेगा लेकिन आपको हैलीकाप्टर वगैरह का प्रबन्ध रखना चाहिए। बाढ़ का जो वार्निंग सिस्टम है कि बाढ़ इतनी भयंकर आ रही है, इसमें आपको बराबर व्यवस्था करनी चाहिए।

बाढ़ क्यों आती है? कोई ज्यादा बरसात नहीं आ रही है। बाढ़ आने का कारण यह है कि पहले तो यहां बरसात होगी तो पहले यहां का पानी निकलेगा। जैसे आमेर का पानी थोड़े बाद में आएगा, उससे अगले गांव अचरोल का उसके बाद

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

में आएगा, तो पानी निकलता रहता था। अब बिना विचारे बिना कोई ध्यान दिये जगह-जगह बांध बना दिये। ऊपर वाला बांध फूटता है तो दो बांधों का पानी इकट्ठा हो जाता है। दो वे फूटे तो आगे के तीन चार पांच और छः सब फूटते चले जाते हैं, गांठ की गांठ जाती है, उसके कारण से बाढ़ आती है और लोग खतम होते रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बांध बनाते वक्त आउटलेट का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अतिवृष्टि हो गयी तो उसका कहां-कहां प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ एक सुझाव यह भी है कि बाढ़ के टाइम में जो आसपास के गांवों के लोग होते हैं, उनकी खुद की विधियां होती हैं लेकिन हम उन विधियों को काम में आम तौर से लेते नहीं हैं उस बाढ़ के पानी का उपयोग भी हम कर सकते हैं लेकिन वह भी हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

इसके बाद में आती है सिंचाई की मांग। बहुत लम्बा-चौड़ा विषय हैं, थोड़े समय में कह नहीं सकता केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो सिंचाई की प्रणाली ईजाद की है वह आज से डेढ़ सौ साल पुरानी है। उस वक्त भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश था, तीनों की मिलाकर आबादी 21 करोड़ थी। नदियां पानी से भरी हुई रहती थीं। उस वक्त जो टेक्नालॉजी, जो फ्लो इरिगेशन का शुरू किया अभी उसको अपन पीट रहे हैं। ठीक है, फव्वारा इरिगेशन पद्धति थोड़ी बहुत अच्छी शुरूआत की है लेकिन यह आटे में नमक जैसा ही है। राजस्थान नहर से पूरा पश्चिमी राजस्थान अगर अपन विधियों को पलटें तो पूरे डेज़र्ट को सिंचित कर सकते हैं। इरिगेशन के अन्दर हमको नये तरीके हमारे हिसाब से ईजाद करने चाहिए। हमारे इंजीनियर बहुत अच्छे हैं, विश्वभर में उन्होंने नाम कमाया है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं लेकिन हमारी कमी इसलिए है कि हम टैक्नालाजी की नकल नहीं करते हैं। उन्होंने जो भी आविष्कार किये अपनी आवश्यकतानुसार किये, उसकी दुनिया ने नकल की। अपना तो इतना बड़ा देश है, अपनी समस्याओं के अनुसार अच्छे-अच्छे इंजीनियर हैं लेकिन उनको गांवों का अनुभव नहीं है। मैं बाढ़ की बात कर रहा था, जब 16 तारीख को बिलाड़ा और पीपाड़ में बाढ़ आयी, रात को 11 बजे बाढ़ लूणी पहुंची तो मैंने कलक्टर साहब को फोन किया। वहां एक आफिस सुपरिंटेंडेंट था, उन्होंने कहा कि साहब, यहां जोरदार बाढ़ आ रही है। मैंने कहा कि तू बेवकूफ है, कि बाढ़ तो बिलाड़ा और पीपाड़ में ही जब आयी हुई है तो उसके पांख थोड़े ही लग गयी जो उड़कर वहां आ गयी। उन महाशय को यही मालूम नहीं था, वहां की स्थानीय ज्योग्राफी का ही पता नहीं था। पीपाड़ में बाढ़ आ गयी, बिलाड़ा में आ गयी तो वह तो निश्चित रूप से लूणी आएगी और उससे भी आगे जाएगी। हर जगह पुस्तिकाएं होनी चाहिए जिलेवार कि यहां पर अतिवृष्टि होगी। जितने जलग्रहण क्षेत्र हैं उनका स्थानीय इंजीनियरों तक को ज्ञान नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस के अफसरों को इसका कतई ज्ञान नहीं है। ये बातें उनको सीखनी चाहिए।

जहां तक पेयजल का सवाल है, यह पेयजल का हमने जो तरीका अपनाया है,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

अभी जोगदा साहब फरमा रहे थे, मेरा समर्थन कर रहे थे कि एक ब्यावर शहर को पानी देने के लिए पहले तो ये ब्यावर गये, वहां के तालाब और कुएं वगैरह हैं, खाली किये। फिर गये सेंदड़ा, वहां के कुएं खाली किये। वहां से भी काम नहीं चला, फिर गये नीमाज, वहां के कुएं खाली किये। ब्यावर तो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, वहीं किसी बड़े नाले पर कच्चे बांध का, छोटे बांध का या तालाब का निर्माण कर दो तो ब्यावर में पानी ही पानी हो जाएगा। लेकिन अब बीसलपुर जा रहे हैं। पानी वालों ने क्या किया है?

(18.00)

जोधपुर एक शहर को पानी देने के लिए पहले हेमावास का पानी इंजीनियर साहिबान यहां बैठे हैं, जानते होंगे पाली के पास हेमावास है। हेमावास से काम नहीं चला तब जवाई से लिया। जवाई खेती के लिए था लेकिन खेती नहीं सिर्फ जोधपुर शहर के के लिए पानी रिजर्व किया जाता। कोई पांच-दस साल में एक आध बार होता उससे भी काम नहीं चला तो तिवरी अभानिया गये। वहां पर जल स्तर था पचास फीट, आज वह गया है आठ सौ फीट। उससे भी काम नहीं चला तो वे गये रणसी गांव और इधर बोरुंदा। वहां का पानी खाली किया फिर भी जोधपुर की पूर्ति नहीं हुई तो राजस्थान नहर से जोड़ रहे हैं। लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं कि एक एकड़ में एक इंच बरसात होती है तो सवा लाख लीटर पानी बरसता है। कम से कम भी बरसता है वह जैसलमेर में जहां एक्स्ट्रीम में पांच इंच तो बरसता है। पांच इंच बरसता है तो भी पौने छह लाख लीटर एकड़ के अन्दर पानी पड़ता है। वाटर हारवेस्टिंग करना है तो यह टैक्नालाजी अपन अपनाएं ना। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि वहां पर सीमेंट ही लगाया जाए या पत्थर कंकरीट लगाया जाए। आप जानते हो ग्रेवल भी कई जगह ऐसा है जैसे यह कापरड़ा का ग्रेवल है, पानी का एक गिलास ढोल दो और सुबह एक गिलास वापस भर दो। मेरे कहने का आशय यह है कि इन्होंने जो यह तरीका अपनाया हैं यह 6साल के अन्दर या10साल के अन्दर पूरे पश्चिमी राजस्थान को पी.एच.ई.डी. सुखाकर छोड़ेगा। अनाज के बिजोग, चारे के बिजोग, मवेशी और मनुष्य लाखों-करोड़ों की संख्या में मरे हैं लेकिन दस साल बाद में राजस्थान नहर को छोड़कर पूरा पश्चिमी राजस्थान है इसका भू-जल समाप्त होगा, जहरीला हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। बहुत गहरा चला गया है और ये इसको खतम करके छोड़ेंगे। अन्दर से निकालते हो ट्यूबवैल से तो मैंने कहा, रीचार्ज वाले वापस बताओ, इतना पानी बरसता है। अपन ने नई टैक्नालोजी कोई उधार नहीं ली, हमारे इंजीनियर बहुत होशियार हैं, दुनिया के किन्हीं इंजीनियरों से, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों से वे वाकिफ ही नहीं हैं। यूरोप की लिखी किताबों के अन्दर जो लिखा है खाली उसी से 90–95 शत प्रतिशत नम्बर लाते हैं लेकिन यहां की समस्याओं का उनको ध्यान नहीं है।

आनासागर की बात चल रही थी। कितना सुन्दर तालाब है, विश्व विख्यात,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

इसकी हालत क्या है ? इसके केचमेंट एरिया में और किनारों के ऊपर आपने बस्तियां बसायी हैं। वहां पर मैला डाला जाता है। जोधपुर का बालसमन्द कहलाता था, खाली पड़ा है, कायलाणा खाली पड़ा है। जोधपुर शहर के एक गुलाब सागर का आप निर्माण कराओ तो पचास करोड़ में आज निर्माण नहीं हो सकता। कहां-कहां से पानी लाये हैं। वाटर हारवेस्टिंग का अगर सिस्टम देखना हो तो जोधपुर का प्राचीन सिस्टम देखो। तो तालाबों को आपने कतई तौर पर अबंडन कर दिया है, छोड़ दिया है क्योंकि इससे गिनी वर्म हो जाता है। आखिर पानी का फिल्टर आज क्या है ? वो का वो, तालाब को भर दो और पास एक कुआं बना दो, बीच में जिस तरह से छानकर निकालते हो पानी निकालो। मवेशी उसमें पीते रहेंगे, लोग बाग इसमें पीते रहेंगे। लेकिन हम एक छोटी साधारण-सी बात है उस समस्या को हल नहीं कर सकते। अगर यही तरीका रखा तो दस साल बाद में पी. एच. ई. डी. वाले क्या करेंगे ? अभी तो इंजीनियर इन्ट्रेस्टेड हैं। सभी इंजीनियर कोई बुरे नहीं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे-अच्छे हैं लेकिन टकियां ज्यादा बनें, पाइप ज्यादा खरीदे जाएं, क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं बनाएं, जी.एल.आर. बनाएं जो कैपिटल इंटेन्सिव हो। क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं में कितनेक में पानी जाता है, आप और हम अच्छी तरह से परिचित हैं। पेयजल के लिए ये जो रास्ते हैं इन पुराने रास्ता को हमको छोड़ना पड़ेगा और नया दृष्टिकोण अपनाना। अपने यहां पर पानी का मैंने अर्ज किया, कोई कमी नहीं है, अनाप-शनाप है।

एक बात कहते हुए मैं समाप्त कर रहा हूं। पाली के अन्दर बिना सोचे-विचारे छोटे-छोटे अनाप-शनाप बांध बना दिये। सिंचाई मंत्रीजी, आपको मैंने मुबारकबाद दी थी बांध खुदवाने के लिए कुछ दिन पहले। मैंने निमन्त्रण भी दिया था कि मेरे बीस–तीस बांध ध्यान में हैं। मैं भी आपके साथ होऊंगा अपन जाकर फोड़ कर चलेंगे। होता क्या है कि तीन–तीन फीट पानी आता है किसी बांध में पहला रैला ही वहां आता है और तीन चार स्क्वायर किलोमीटर में फैल जाता है। जुलाई में ज्यादातर पानी आता है या अगस्त की शुरूआत में। तीन-चार महीने, नवम्बर में पानी छोड़ते हैं तब तक तीन-चौथाई पानी तो जमीन में बैठ जाता है और फिर क्या है। ज्यादातर, सिंचाई मंत्रीजी, आप देख लेना, पानी में जो बनाये हैं छोटे छोटे बांध

(18.06)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक सिंचाई होती हैं उससे बीज भी जाता है, बीज की भी वसूली होती नहीं है वापस। तो ये बांध वगैरह बिना सोचे–समझे कभी नहीं बनाने चाहिए। बनाओ तो वाटर हारवेस्टिंग की दृष्टि से बनाओ। क्योंकि जितनी भी संसार की सभ्यताएं हैं सब नदियों के किनारे हुई हैं, जल बिना कोई जीवधारी रह नहीं सकता। नदियों के किनारे सब बड़े गांव-कस्बे, ऊपर आप बांध देते हो वे सूख जाते हैं। तो भू-जल बराबर नीचे आ रहा है। इधर तो आप दस एकड़ में सिंचाई कर रहे हो और ऊधर पांच सौ

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

एकड़ खतम हो रहा है। सेमज के एरिया में कोई समझते हों, मारवाड़ का रहने वाला जानता होगा सेमज किसको बोलते हैं। जहां पर एक दफा पानी छूट जाए, जैसे लूणी नदी में होता है। संचोर एरिया में एक दफा पानी छूट गया। जबर्दस्त गेहूं की, चने की इन सबकी फसलें होती हैं। ऊपर बांध बना देते हैं। आहोर तहसील, पाली तहसील का हिस्सा, सिवाणा तहसील, जितना भी यह क्षेत्र था, बारानी रबी क्षेत्र जिसको बोलते हैं जहां बरसात से रबी की फसल होती थी वह सब आपने उजाड़ दिया। ये कुछ सुझाव मैंने निवेदन किये। इंजीनियरों से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अपनी समस्याओं को अध्ययन करके उस हिसाब से काम करो। पानी की कमी नहीं है, सब कुछ अपने दिमाग में होते हुए भी अनुभव की कमी है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरसिंह डांगावास।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो तीन मिनट मांगे थे। सभापति महोदय से बात हो गयी थी, दो-तीन बातें कहनी हैं। इनके बाद मुझे अवसर दिया जाए।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 27 के बारे पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गत वर्ष ढाणियों तक को इन्होंने अपनी योजना में लेकर पानी पिलाने का वायदा किया था। योजनाएं बनी, स्वीकृत हुई। तत्पश्चात् करीब दस माह से उन योजनाओं के लिए पी.वी.सी. पाइप उपलब्ध नहीं हैं। न मालूम किसका ठेका हुआ। ठेका रद्द हुआ, पुनः ठेका हुआ। मैं यहां तक निवेदन कर दूं कि विधायक कोटे से और सांसद कोटे से जो पैसे दिये गये उनके काम भी अभी तक अधूरे पड़े हैं। जलदाय विभाग के लिए इतना ही निवेदन है।

सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने गत वर्ष दो अन्डर बेल्ट एनीकट्स मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनवाये। ये बने डी.आर.डी.ए. से हैं फिर भी उनके पीछे दो किलोमीटर की लाइन में सारे कुओं का पानी रीचार्ज हुआ है, पानी का स्तर बढ़ा है। हम बहता हुआ पानी ऊपर का नहीं रोक रहे। लूणी नदी पुष्कर से प्रारम्भ होकर मेरे विधान सभा क्षेत्र से गुजरती है और आगे जाकर पिच्याक में पानी देती है। उस बांध में पानी जाने में कोई बाधा नहीं हुई। मेरा यह निवेदन है कि इस नदी पर ऐसे अन्डर बेल्ट एनीकट्स कुछ और लिये जाएं और सिंचाई विभाग के माध्यम से लिये जाएं। डी.आर.डी.ए. के पास इतना धन नहीं है कि वह स्वीकृति दे सके। ये दो ही बातें मुझे कहनी थी। धन्यवाद।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पिछले 2–3 सालों से इस सदन में भी, उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिला हूं और जिला स्तर पर भी मैंने कहा है कि सिवाना क्षेत्र का जो भाकरड़ा एरिया है उसके अन्दर पहाड़ों के पास-पास में अगर अपन ने रिंग वाल खड़ी

(श्री टीकमचन्द कान्त)

नहीं की तो धीरे-धीरे वह पूरा एरिया समाप्त प्रायः हो जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, पहाड़ों से गिरता हुआ पानी जब तीव्र गति से गिरता है, उस क्षेत्र की रचना ही ऐसी है कि एक तरफ पहाड़ है दूसरी तरफ बिलकुल बालू रेत है। उस बालू रेत की वजह से पानी के बहाव का कोई परमानेन्ट रास्ता नहीं है। उसके गिरने के साथ ही वह बालू को तो अपने साथ में उठाता ही है और जब अपना रास्ता बदलता है तो कभी ढाणियां समाप्त होती हैं, कभी खेत समाप्त होते हैं, कभी गांव मुसीबत में पड़ जाते हैं, यह स्थिति है। एक बार उन्होंने प्लान भी बना दिया है। 2–4–5 करोड़ की योजना हो सकती है या 6 करोड़ की योजना हो सकती है। व्यक्तिगत रूप में तो सिंचाई मंत्रीजी ने कहा था कि भले 60 करोड़ की योजना हो जाए, पैसा हमारे पास खूब है। कम से कम उस क्षेत्र के अन्दर जो छपनी पहाड़ियों का क्षेत्र कहलाता है, जो भाकरडा कहलाता है उसके अन्दर रिंग वाल बनानी आवश्यक है। कृपया इस ओर सिंचाई विभाग भी ध्यान दे और माननीय मंत्रीजी भी ध्यान दें।

जहां पेयजल की बात आती है मेरे क्षेत्र के अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था काफी सुचारू रूप से है लेकिन जैसा कि पूर्व में माननीय सदस्य ने बोलते हुए कहा था, पाइपों की कमी वहां भी नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात थी हमने ढाणियों तक पानी पहुंचाया। सिवाना क्षेत्र में 154 ढाणियों को चिन्हित किया गया पर 154 ढाणियों में से अभी तक 6 ढाणियों में ही स्वीकृति प्राप्त हुई है। मेरा निवेदन है कि बाकी बची 148 ढाणियों की भी पेयजल की योजनाओं की स्वीकृति तुरन्त विभाग दे ताकि इन ढाणियों को हम पानी पिला सकें।

जहां तक सड़कों का सवाल है ऐसे-ऐसे गांव जोड़ने की योजना है जिन गांवों की कल्पना नहीं की थी कि सड़कें वहां पहुंचेगी। सड़कों से एक क्रान्ति उस क्षेत्र में आनी प्रारम्भ जरूर हुई है, एक नयी आशा बनी है लेकिन सड़कें एक तो कुटाई के अन्दर अधूरी रह गयीं, वहां रुक गयीं और ऊपर से समय पर डामरीकरण नहीं हुआ। बरसात में लोगों के चलने से पत्थर सारे उखड़-उखड़ करके बिखरते जा रहे हैं। इसके कारण एक नयी समस्या खड़ी हो गयी है कि लोग सड़क पर नहीं चल सकते हैं तो दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जो सड़कें कुटाई तक आ चुकी हैं उन पर डामीकरण तुरन्त किया जाए।

दूसरी चीज, सिवाना क्षेत्र के अन्दर खारे का पानी आता है। वहां पहाड़ों से पानी आता है, नदियों का पानी है फलस्वरूप जब वहां थोड़ा पानी ज्यादा बरसता है तो फ्लड की स्थिति हो जाती है। फ्लड के अन्दर कई किलोमीटर की सड़कें साफ हो गयीं, कई सड़कें टूट गयीं। फ्लड का पैसा हमें नहीं मिला उस कारण से टूटी हुई सड़कों की, टूटे हुए रास्तों की मरम्मत नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण सड़क है सिवाना से कल्याणपुर। समदड़ी जैसा कस्बा उसके बीच में आता है और यातायात भी उस पर रहता है। उस समदड़ी वाली सड़क पर कोई रिपेयरिंग कार्य नहीं हुआ है, ऐसी टूटी फूटी सड़क पड़ी

(श्री टीकमचन्द कान्त)

हैं। उस सड़क को तैयार करना बहुत आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, समदड़ी से अजीत होते हुए रामपुरा, अजीत के बाद में सड़क बनी थी फ्लड में, ऐसी वह सड़क गयी कि उसका नामोनिशान भी मिट गया कि कभी कोई सड़क भी थी। उसके बाद में प्रकवासित रोजगार योजना के तहत कुछ कार्य करने वाले थे। माल अभी वहां पड़ा हुआ है, सारी सामग्री पड़ी हुई है उस सड़क को तो बनाया जाना ही चाहिए लेकिन समदड़ी से अजीत तक की सड़क भी ऐसी अवस्था में है कि लोगों को सड़क से हटकर दूसरे रास्ते बनाने पड़ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार कर्मावास से मवास बहुत महत्वपूर्ण सड़क, उसकी भी हालत ऐसी ही टूटी-फूटी है, उस सड़क की मरम्मत होनी चाहिए। जहां तक मेंटीनेंस का, मरम्मत का सवाल है, संधारण का सवाल है, वहां के अधिकारियों से बात करते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि मेंटीनेंस का पैसा हमें नहीं मिल रहा है। इतनी सारी सड़कें बनाने के बाद उनका संधारण नहीं कर पाएं, हम उनका मेंटीनेंस नहीं कर पाएं तो सारी हमारी तैयार की हुई सम्पत्ति मिट्टी में वैसे ही मिल जाएगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसके मेंटीनेंस के लिए, संधारण के लिए तो अतिरिक्त पैसा देना चाहिए ताकि हमारी जो परि–सम्पत्तियां हमने निर्माण की हैं वे कम से कम बनी तो रहें, उनका मूल्य बना रहे, उनका उपयोग बना रहे। इसी कारण से मेरा विशेष निवेदन है, मेरे क्षेत्र के अन्दर भी इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरतसिंह।

श्री टीकमचन्द कान्त : कुंघाड़ा से पूंजावाली सड़क रपट, उसके अन्दर कार्य हो गया, 2–3 विभागों से पैसा लाकर रपट तैयार की जानी है। वह आधी बन पायी है उनको शीघ्र पूरा किया जाए तो पूरा क्षेत्र जुड़ेगा। धन्यवाद।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मांग संख्या 19–लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। सड़क नीति में मोटे तौर पर सड़कों को विकास की धमनियां माना गया है। मैं मंत्रीजी की बात से सहमत हूं कि विकास के लिए सड़कों का वही महत्व है जो धमनियों का मनुष्य के जिन्दा रहने के लिए। मगर जिस जिले से मैं आता हूं और राजस्थान की जो सड़कों की हालत है, राष्ट्र के औसत में, सड़कों के घनत्व में हमारा रेशो लगभग आधा है। झालावाड़ जिले की बात करते हैं तो राजस्थान का जो औसत है उसका भी आधा झालावाड़ जिले का औसत है। उन कम सड़कों के बाद सबसे अधिक नदियां प्रदेश के अन्दर किसी जिले में हैं या सबसे अधिक वर्षा कहीं होती है तो वह झालावाड़ में होती है। हमारा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है उस जिले के अन्दर वह भी प्री-इन्डिपेन्डेन्स, रियासत के जमाने का है। मामूली बरसात के अन्दर सारी नदियों की पुरानी रपटें हैं उनमें पानी आ जाता है और जब पानी आ जाता है तो हमारी विकास की धमनियां रुक जाती हैं। हम इस सदन में मंत्रीजी से यही मांग करते हैं, जब आपने माना है कि सड़कें विकास की धमनियां हैं तो कम से कम रियासत काल

(श्री भरतसिंह)

की जो पुलियाएं हैं उन पर आप उच्च स्तर के पुल बनाए या सब्मर्सिबल ब्रिज बनाने का निर्णय लें। इस दिशा में आपने काफी कुछ काम किया भी है पिछले दो तीन सालों में, मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। आपने इस दिशा में शुरूआत की है मगर अभी भी बारां और झालावाड़ को जोड़ने वाली जो प्रमुख सड़क है, उच्च मार्ग–19, उसमें परवन नदी के ऊपर जो पुल बनाना है उसका निर्णय आप और सिंचाई मंत्री आपकी बगल में बैठे हैं, दो विभागों के बीच में अटका हुआ है। सिंचाई विभाग ने उस परवन नदी के ऊपर तुलसा ग्राम के यहां एक लिफ्ट योजना चालू की और उस लिफ्ट योजना के लिए पानी का भराव करने के लिए परवन नदी के ऊपर एक एनीकट का निर्माण किया है। लेकिन इस एनीकट का निर्माण पांच साल से अधूरा इसलिए छोड़ दिया गया है कि अगर उस एनीकट को सिंचाई विभाग पूरा करवाता है तो मार्ग पर आने वाली रियासत काल की जो रपट है उसके ऊपर 6 फीट पानी आ जाएगा। पिछले साल के बजट में सिंचाई विभाग ने 70 लाख का प्रोवीजन पी.डब्ल्यू.डी. के लिए उस पुल को ऊंचा करने के लिए रखा था कि इसका उपयोग पी.डब्ल्यू.डी. करे। उस पुल का एस्टीमेट पी.डब्ल्यू.डी. ने करवाया जिसकी मंत्रीजी को जानकारी है। उस सब्मर्सिबल ब्रिज का एस्टीमेट करीब 4 करोड़ का है या उससे कुछ कम होगा। हाई लेवल ब्रिज जहां उसकी आवश्यकता है उसका एस्टीमेट 6-7 करोड़ का होगा। यह पूरे कोटा सम्भाग की एक महत्वपूर्ण पुलिया है, इसका काम दोनों विभागों के बीच में अटका हुआ है। आप दोनों आपस में इसको तय कर लें, अधिकारियों के स्तर पर नहीं छोड़ें और इस पुलिया को बनाने का आप निर्णय लें। इससे पूरे देश, प्रदेश और इस सम्भाग को राहत मिलेगी।

दूसरी बात, मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में सड़कों की गुणवत्ता और क्वालिटी आफ वर्क अत्यन्त चिन्ताजनक है। उसके पीछे जो कारण है, मैं समझता हूं मंत्रीजी, आप स्वयं इस चीज को जानते होंगे। पिछले एक साल में झालावाड़ जिले में चार एक्स.ईएन. तब्दील किये गये। तब्दील इसलिये नहीं किये गये कि वे अधिकारी भ्रष्ट थे बल्कि तब्दील इसलिये किये कि भ्रष्ट लोगों की उस जिले में चलती थी और अधिकारी जो काम करना चाहते थे, क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते थे उससे उन भ्रष्ट लोगों को तकलीफ हुई। एक जिले में अगर एक साल में चार एक्स.ईएन. पलटेंगे तो किस प्रकार का कार्य होगा इसके लिए आपको विचारना है क्योंकि आपका दायित्व है। जिलों की सड़कों की क्वालिटी को आप सुधारना चाहते हैं, किस प्रकार आप सुधारेंगे अगर आप ताश के पत्तों की तरह से एक साल में चार एक्स.ईएन. पलट दें? इसलिए पलट दें क्योंकि आपके बगल में बैठने वाले लोग जो इस सदन में बैठते हैं उनके भाई लोग ठेकेदारी करने लग जाएं, ठेकेदारी करके इस प्रकार का वजन अपनाएं कि वे जिस एक्स.ईएन. को चाहे उसको पलटा दें। उससे हमारी सड़कें प्रभावित होती हैं और पूरी जनता कुछ लोगों की वजह से परेशान होती है। आप किसी को भी

(श्री भरतसिंह)

लगाएँ, हम आपको यह नहीं कहते कौन अधिकारी लगाएं, मगर जिसे अधिकारी को लगाएं, कम से कम विभाग के उन अधिकारियों को अपनी ताकत दीजिए और ईमानदारी से काम करने के लिए उनको प्रेरित करिये। इस प्रकार से हमारी सड़कें सही प्रकार से नहीं बन पाएंगी।

एक बड़ी समस्या है विभाग की कि इसमें जो ठेकेदारी पर काम करते हैं, दादागिरी के बल पर लोग वहाँ आकर अपने ठेके ले लेते हैं। एक ठेके से दूसरे ठेकेदार को सबलैट, दूसरे से तीसरे और यहाँ तक कि तीसरे से चौथे के पास जाकर जब काम होगा और आपके विभाग के अधिकारी उसको देखते रहेंगे तो किस प्रकार कार्य अच्छा होगा, यह आप स्वयं जानते हैं। कैसे आप इसको सुनिश्चित करते हैं कि जो ठेका ले वही इस काम को करे और पूरा करे, इस बात के ऊपर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं आपको यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि डी. आर. डी. ए. के अन्दर विभिन्न एजेंसीज से पैसा हम विभाग को दे सकते हैं, चाहे वह निर्बन्ध राशि का पैसा है, चाहे वह तीस जिले तीस काम का पैसा हो, क्योंकि सड़कों की हालत खराब है, पुलियाओं का अभाव है। मुझे खेद है कि हमने और विकास कार्यों से हटाकर जो पैसा पी. डब्ल्यू. डी. के कार्य में दिया है, तीन-तीन साल हो गये मगर उस पैसे का अभी उपयोग नहीं हुआ है और उस पर विभाग की किसी प्रकार का अंकुश भी नहीं है कि उस पैसे को खर्च करने के लिए कार्य करे। आपकी सड़क नीति के अनुसार....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : के अतिरिक्त मांगें हैं इस पर डिटेल से डिस्कशन नहीं होता है। फिर वही कर रहे हैं।

श्री भरतसिंह : सड़क नीति के अनुसार मार्च, 1997 तक सब पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की आपकी योजना थी। आपने और जिलों में इस दिशा में काम भी किया था मगर झालावाड़ जिले में नहीं। सड़कों से जोड़ने के लिए आपको अभी 4 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है। एक करोड़ रुपया आपको डी.आर.डी.ए. ने प्रोवाइड कर दिया है। एक्स.ईएन. आपके उच्च अधिकारियों को लिखते हैं कि हमें सड़कों को पूरा करने के लिए डी.आर.डी.ए. से एक करोड़ रुपया मिला है, इसमें करीब ढाई करोड़ रुपया और पी.डब्ल्यू.डी. से आप दीजिए। वे चिट्ठियां पिंग पांग बाल की तरह से कभी डिपार्टमेंट से आपके यहां आती हैं और यहां से वापस जाती हैं मगर वह पैसा सड़क नीति के अनुसार जो सड़कें बनती हैं, पंचायत मुख्यालय बनने हैं, उनको आबंटन नहीं हुआ है और हमारा काम रुका हुआ है।

सड़क नीति के तहत जहां पंचायतों को आपने जोड़ भी दिया है, माननीय मंत्रीजी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जहां पर भी सी.डी. वर्क्स कराने थे, जहां पर भी पानी का निकास था वहां पाइप लगा दिये गये और मिट्टी का भराव

(श्री भरतसिंह)

फ्लो कर दिया। जहां पाइप लगाने थे एक ही बरसात में जिले में पानी के निकास के लिए सम्भव ही नहीं है। वहां पाइप नहीं लगाने चाहिये उस जिले में। पाइप्स क्यों लगाए गये इसके पीछे मैं नहीं जाता क्योंकि पाइप्स किसके यहां से लिये, किसने आबंटन किये? मगर वह जितने भी पाइप जहां भी लगे हैं पंचायत हैड क्वार्टर्स के ऊपर सब सड़कें कटी हैं। विभाग को दुबारा खर्चा करना पड़ेगा और वह पंचायत मुख्यालय सड़कों से आपके कागज से जुड़ गये होंगे मगर मौके पर जाओ तो आप भी उन गांवों का आदमी गांवों तक नहीं पहुंच सकते।

दूसरी मांग सिंचाई से सम्बन्धित है। मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक नदियां हैं मगर उसके बाद भी अधिकांश वर्षा का पानी व्यर्थ बहकर चला जाता है। प्रमुख नदी है वहां की कालीसिंध, उस कालीसिंध नदी में चम्बल से कम पानी बरसात में नहीं आता है। बरसात में चम्बल से अधिक ही पानी उसके अन्दर आता है, मगर वह पानी बिना रुके आगे चला जाता है। राजस्थान में कहीं भी कालीसिंध नदी के पानी को रोकने की कोई योजना नहीं बनायी गयी है। उस नदी पर सिर्फ हरिशचन्द्र सागर बांध है, वह भी नाम तो बांध है मगर मौके पर वहां बांध नहीं है। बरसात में नदी में जो फ्लो होता है उसको चैनलाइज करके जितनी सिंचाई हो जाती है उस सिंचाई का उपयोग होता है। उसकी जो ओरिजिनल सिंचाई क्षमता थी उस सिंचाई क्षमता से आज आधी सिंचाई हो रही है। आवश्यकता है कि कालीसिंध जैसी नदियों के ऊपर बांध का निर्माण किया जाए चाहे वह हरिशचन्द्र सागर बांध के स्थान पर ही या अप स्ट्रीम पर कहीं हो। इसी प्रकार से अन्य नदियों के जल स्तर को रोका जाए उसके....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं आपके करेक्शन के लिए बताना चाहता हूं हालांकि विभाग नहीं है मेरे पास कि इस बारे में बहुत एक्सपेरिमेंट 1977 से 80 तक किये गये। जब-जब बांध बना तब-तब टूटा। आप कपूर साहब बैठे हैं यहां, वे और मैं दोनों मिलकर दौरे पर गये थे और यह तय किया था कि एक कैनाल ही ऐसी डीप बनायी जाए कि जिसके आधार पर सिंचाई हो सके। उसी तरह की सिंचाई वहां सम्भव है, हरिशचन्द्र सागर बांध पर विशेषकर।

श्री भरतसिंह : मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वहां पर नहीं बन सकता मगर अप स्ट्रीम में तो बांध बन सकता है। आज, मंत्रीजी, दिक्कत यह है कि एक हजार किलोमीटर चलकर राजस्थान कैनाल का पानी जैसलमेर जिले तक तो आ सकता है मगर कालीसिंध नदी का पानी 40 किलोमीटर झालावाड़ जिले में नहीं लग सकता। यह एक कालीसिंध नदी की ही बात नहीं है, इस प्रकार की अनेक नदियां है, आऊ नदी है, परवन नदी है, सबमें व्यर्थ पानी बहकर जा रहा है। आज की तारीख में जब राजस्थान के पास सरफेस वाटर की बहुत कमी है, मगर यहां का पानी व्यर्थ जाए तो यह सबके लिए चिन्ता का विषय है।

(२१२)

(श्री भरतसिंह)

पी.एच.ई.डी. मंत्री का मैं ध्यान दिलाऊंगा कि झालावाड़ जिले में इतनी नदियां होते पर भी, इतनी बारिश होने पर भी मार्च के बाद से पेयजल समस्या पैदा हो जाती है। जिस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, जिस जिले में सबसे ज्यादा नदियां हैं अगर उसके अन्दर भी मार्च के बाद पी. एच.ई.डी. के लिए समस्या बन जाए, लोगों को ग्राउण्डवाटर यूटिलाइज करना पड़े और सरफेस वाटर हमारी आंखों के सामने बहकर चला जाए तो इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। हमें जगह-जगह पर पानी को रोकना पड़ेगा ताकि सरफेस वाटर यूटिलाइज हो। चाहे इरिगेशन के लिए आप बड़े बांध नहीं बांधे मगर प्रकृति ने भी हमको कुछ सिखाया है। नदी में जगह-जगह दह हैं। दह से मतलब है कि बरसात के बाद उन दह में पानी रुक जाता है, प्रकृति ने दह बनाये हैं। आज के इतने विकास के बाद हम नदी में अपनी तरफ से छोटे-छोटे दह हैं उनके ऊपर अगर एक मीटर की ऊंची दीवार बनाकर पानी रोकें तो पानी हो जाएगा। पी.डब्ल्यू.डी. की जो पुरानी रपटें हैं जिनके स्थान पर पुलियाएं बन गयी हैं, उन रपटों का आप उपयोग करिये, नहीं तो धीरे-धीरे वे नष्ट हो रही हैं। उन रपटों का आप उपयोग करें उनके दरवाजे लगाकर। ये बातें जो मैं सदन में कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है कि जिला स्तर के ऊपर बात नही आयी हो, सब चीज आयी है मगर दुर्भाग्य यह है कि सरकार में एक विभाग और दूसरे विभाग में आपस में तालमेल नहीं है और समस्या का समाधान नहीं होता।

कटौती प्रस्ताव में रामगंजमंडी की ओर आपका ध्यान दिलाया है, वहां पर पीने के पानी की जटिल समस्या हो जाती है। बरसात के दिनों में रामगंजमंडी की कुओं में जितना ऊंचा पानी रहता है वह शायद प्रदेश के और जिलों, तहसीलों की तुलना में इन दिनों में सबसे ऊंचा है। मगर जैसे ही खनिज सीजन चालू होगा, आर्टिफीशयल स्केयरसिटी क्रीएट होती है। खान मालिक डेढ़ सौ-दो सौ फीट से पत्थर तोड़ने के लिए एक तहसील का पूरा पानी बन्द कर देते हैं, वह पूरा पानी नदियों में व्यर्थ जाता है और पूरा डिपार्टमेंट देखता रहता है। आपकी योजना यह तो है कि हम करोड़ों रुपया खर्च करके चम्बल से पानी रामगंजमंडी में लाएंगे मगर क्या आपने इस ओर भी ध्यान दिया है कि खानों का पानी व्यर्थ में जा रहा है। आप लोगों ने सर्कुलर भेजे हैं कि किस प्रकार से हम भू-जल के दोहन पर प्रतिबन्ध लगाएं पर आज मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आक्सीजन कम हो गयी तो लोगों से बोलोगे आप कि रुक-रुक कर सांस लो? प्रतिबन्ध लगाने से जल स्तर समस्या का समाधान नहीं होगा। किसान को जमीन के नीचे पानी दिखता है और वह उसका उपयोग करना चाहता है क्योंकि बरसात का पानी रोकने के उसके पास साधन नहीं हैं। मगर जो सरकार के करने के काम हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो आपको स्टैप्स लेने हैं कि किस प्रकार से आप भू-जल के दुरुपयोग को रोकें, आप उपयोग को रीचार्ज करने की बात करें। उसका मैं स्वागत करता हूं, करना चाहिए मगर जो इस पानी का मिसयूज कर रहे हैं उसके ऊपर आप सर्कुलर देकर कानून बना लें। किस प्रकार आप ग्राउण्डवाटर टेबल

(श्री भरतसिंह)

को गिरने से रोकने की बात कर रहे हैं ? इस प्रकार आपकी आंखों के सामने नेचुरल रिसोर्स जो हमारी वैल्थ है, पानी उसको इस प्रकार नष्ट किया जाए ताकि वहां के किसान धीरे-धीरे अपनी जमीनों को बेचने को मजबूर हो जाएं तो यह हमारे लिए शर्म की बात होगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस समस्या पर ध्यान दें।

अकाल राहत मंत्रीजी का मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले साल परवन नदी में बाढ़ आयी थी। खानपुर तहसील के 6 गांव बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हुए थे। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने भी उस समय उन गांवों का दौरा किया था, आप तो अन्य क्षेत्रों में शायद व्यस्त होंगे इसलिए नहीं पधार सके मगर सरकार की तरफ से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने उन गांवों का दौरा किया था। दो गांव इस प्रकार के हैं छापीहेड़ा और हतौली इन दो गांवों को अन्य स्थान पर बसाने की बात की थी और निर्णय लिया गया था कि बरसात के बाद इनको अन्य स्थान पर जगह दिखायी जाएगी। मैं लगातार उस बाढ़ के बाद से जिला प्रशासन और सरकार से कोरस्पोंडेस कर रहा हूं। बाढ़ आयी उस समय नुकसान हुआ, सबका ध्यान उस पर केन्द्रित हुआ मगर बाढ़ खतम होने के बाद हम इन्तजार कर रहे हैं कि दूसरी बाढ़ कब आएगी तब उसकी चिंता करेंगे। लोगों को आप जमीन दीजिये। जमीन नहीं देंगे तो वे फिर अतिक्रमण करेंगे। जो चीज हम हमारे कानून के तहत उनको दे सकते हैं दें, जिस बात के लिए हम कमिट कर चुके हैं, मंत्रीजी कर चुके हैं, प्रशासन कमिट कर चुका है। मैं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय में जहां पर उन गांवों के अस्तित्व को खतरा है, अन्य स्थान पर जिला प्रशासन उनको बसाने की मांग कर रहा है, आप निर्णय लेंगे और उन लोगों को जमीन दिखाएंगे। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 25वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे। ये यह भी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 25वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 25वां प्रतिवेदन

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 25वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष के वेश्म में दिनांक 11 सितम्बर, 1997 को मध्यान्ह पश्चात् 4.30 बजे हुई। समिति दिनांक 12 से 15 सितम्बर, 1997 तक सदन में लिए जाने वाले कार्य के बारे में विचार-विमर्श कर सिफारिश करती है कि कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :—

शुक्रवार; 12 सितम्बर, 1997 : 1. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1997-98 का प्रथम संकलन;

शुक्रवार; 12 सितम्बर, 1997 : 2. वर्ष 1986-87 के लिए अतिरेक मांगें

3. वर्ष 1987-88 के लिए अतिरेक मांगें

4. वर्ष 1988-89 के लिए अतिरेक मांगें

5. वर्ष 1989-90 के लिए अतिरेक मांगें, एवं

6. वर्ष 1990-91 के लिए अतिरेक मांगें-

-पर अग्रेतर विचार एवं पारण।

शनिवार; 13 सितम्बर, 1997 : बैठक नहीं होगी।

रविवार; 14 सितम्बर, 1997 : बैठक नहीं होगी।

सोमवार; 15 सितम्बर, 1997 : 1. राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1997

2. राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 1997

3. राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 1997

4. राजस्थान विनियोग (संख्या-7) विधेयक, 1997

5. राजस्थान विनियोग (संख्या-8) विधेयक 1997

6. राजस्थान विनियोग (संख्या-9) विधेयक, 1997

7. प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान रज्जू मार्ग विधेयक, 1996 एवं

8. राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1997

-पर विचार एवं पारण।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 25वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 25वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

श्री अमराराम चौधरी।

अनुपूरक अनुदान व अतिरेक मांगों पर विचार

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 19, 27 और 46 के बारे में आपसे विशेष तौर से निवेदन करूंगा। माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि बालोतरा लूणी नदी पर है। जब लूणी नदी में पानी आता है तब लाखों लोग उससे प्रभावित होते हैं और लोगों का आवागमन रुक जाता है, खास तौर से रामदेवरा जाने वाले लोग। यह औद्योगिक क्षेत्र है जो कि लूणी नदी के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर बसा हुआ है। दक्षिण में हमारा आई.टी.आई. कॉलेज है। अभी आपने 22 कॉलेज खोले हैं तो यह भवन भी बन रहा है, हास्टिग बोर्ड है। हमारी समिति के अलावा सिवाना की समिति, जालौर जाने का रास्ता, सिणधरी जाने का रास्ता यह अवरुद्ध हो जाता है, हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं।

मेरा निवेदन माननीय मंत्री महोदय से है कि एक बार इस पुल का शिलान्यास भी हुआ, उस समय ढाई करोड़ की लागत थी। उसके बाद में धीरे-धीरे अब 16 करोड़ तक यह कीमत बढ़ गयी है। यदि इतना बड़ा पुल नहीं बन सके तो मेरा विनम्र निवेदन यह है और इस साल सारे लोगों की यही मंशा है कि इस तरह का पुल बने, 2–4 दिन अगर रास्ता रुके तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी 15–20 दिन तक रुक जाता है। खास तौर से हमारी गर्भवती महिलाओं के लिए क्योंकि बालोतरा में 100 बेड का चिकित्सालय है और जसवाल के अन्दर महिलाएं बीमारी में हो जाती हैं तो उनको हास्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। लेकिन इस नदी के आ जाने के कारण उन को लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं माननीय मंत्रीजी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बड़ा पुल नहीं बना सकें तो कम से कम समर्सिबल छोटे आठ फीट के पुल का निर्माण जरूर करायें। नगरपालिका ने अपने बजट में दो करोड़ रुपये आपके पुल के लिये रखे हैं, नाकोड़ा ट्रस्ट वाले भी कह रहे है कि दो करोड़ रुपये दे देंगे तो कम से कम आधा खर्चा आप दे दें, सात करोड़ के अन्दर ही यह पुल बन जाए, आधा पैसा नाकोड़ा ट्रस्ट और नगर पालिका देने के लिए तैयार हैं। इससे यह जो लोगों के आने–जाने की हमेशा की समस्या बनी हुई है वह नहीं रहेगी। कम से कम आठ फीट या सात फीट पानी आएगा। इस साल पांच फीट पानी आया था और पांच फीट के अन्दर हमारे कई यात्री आने–जाने में रुक गये, गाड़ियां रुक गयीं और जो लोग रामदेवरा से आये वह तो यह कह रहे हैं कि हम तो आपकी किसी गाड़ी में नहीं बैठेंगे हम तो इसमें पैदल होकर के आयेंगे।

इधर बांडी नदी में बाढ़ आ गयी, हमारे बालोतरा से सात आदमी उसमें बह गये। उसके कारण से प्रशासन ने इतनी रोक लगा दी कि एक–डेढ़ फुट पानी के अन्दर भी लोगों का जाना रोक दिया। इसलिये मेरा विनम्र निवेदन यही है कि इस नदी पर समर्सिबल पुल का निर्माण करें।

(18.40)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

आपने बहुत सड़कें बनायी हैं उसके लिये

(216)

(श्री अमराराम चौधरी)

धन्यवाद, लेकिन अभी 68 पंचायतों में से मेरे 14 ऐसे पंचायत मुख्यालय रह गये हैं जो डामरीकरण से जुड़ने हैं। बायतू की चार जो पंचायतें हैं वे मेरे क्षेत्र में हैं और बाकी की बालोतरा पंचायत समिति में हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनका कार्य भी जल्दी शुरू कराया जाए। एम.एन.पी. के पैसे हमारे यहां पर अभी तक आए नहीं हैं जिसके कारण से एम.एन.पी. में जो भी हमारी सड़कें हैं उनका काम भी रुका हुआ है।

दूसरा मैं पेयजल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पेयजल के बारे में 29 मई को इतनी भयंकर गर्मी के अन्दर हमारे मंत्रीजी ने मेरे इस रेगिस्तानी क्षेत्र में दौरा किया और आपने वहां की पेयजल की समस्याओं को देखा पूरे दिन, सुबह नौ बजे से लगा कर शाम तक। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने सरौली में यह घोषणा की थी कि आठ लाख की नेवरी से यह योजना पड़ेगी, क्योंकि वहां पर तालाब टूट गया और असराणा से पूरा पानी पहुंच नहीं पा रहा है। तो वह भी सारी स्कीम है चीफ इंजीनियर के पास, वहां भेज दी गई है। वह जल्दी स्वीकृत करके इसका काम चालू किया जाए ताकि वहां लोगों की पानी की समस्या न रहे।

दूसरा मेरा निवेदन है कि गोदावास कलां, गोदावास खुर्द में अब कह रहे हैं खारा पानी है, कोई बात नहीं। गोदावास खुर्द तीन किलोमीटर की आपको पाइप लाइन लगानी है, खारा पानी हमारे मवेशी लेंगे और हम टांकों का पानी पी लेंगे। अभी आपने चौदह या बारह करोड़ की स्कीम लूणी सैक्टर में इन्दिरा कैनाल से बनाई है और गोदावास और इसके किनारे-किनारे लगते हुए जो इलाके हैं आपने वहां पानी पहुंचाया है। दस फुट का फासला है, वे तो इन्दिरा गांधी नहर का पानी पी रहे हैं और हमारे लिए बहुत समस्या हो रही है। ऐसी जो पंचायतें हैं, ऐसे जो एक-दो गांव हैं उनको यह धावा-रोड़ी जो योजना बनाई है इससे जोड़ा जाए ताकि वहां से पानी लोगों को पीने का मिल सके।

दूसरा मेरा निवेदन है, सिंचाई मंत्रीजी, कि मेरे यहां सिंचाई का काम बहुत कम है। आपने हमारी लूणी नदी की तटबंदी करवाई है, लेकिन अभी तक भी बहुत बाकी है। यह नदी जब आती है तब खेत ज्यादा कटते हैं और इस साल कई लोगों के चार-चार, पांच–पांच बीघा खेत हैं, वे कट गए हैं तो वहां पर तटबंदी करवाना बहुत जरूरी था। आपने अर्थवर्क करवाया लेकिन पैंचिग नहीं करवाई। बहुत–सा काम अर्थ-वर्क करवाया हुआ है, पैसे लगे हैं लेकिन जब तक पत्थरों की पैंचिग नहीं होगी उसके कारण से क्या है कि वह कराया गया काम भी खराब हो जाएगा।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, और मांग करना चाहता हूं कि, बरिया एनीकट आपने बना दिया। इस साल पूरा भरा हुआ है और इसके पानी के भराव से आस-पास के कुएं ऊंचे हो गए जिससे हमारे क्षेत्र के अन्दर लोगों को पीने के लिए पानी मिलेगा। लेकिन बरिया बांध की जो आठ लाख की योजना है यह 1990 में टूट गया था, अगर उसको आप बांध न बना कर एनीकट ही बना दें, जहां से पानी का

(श्री अमराराम चौधरी)

उद्गम होता है वहां से यदि एनीकट ही बना दें तो यह पानी बेकार नहीं जाएगा और भूमि कटाव नहीं होगा। यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री किशन गोपाल कोगटा। (अनुपस्थित) श्री चुन्नीलाल धाकड़।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 46 सिंचाई के ऊपर माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए सबसे पहले माननीय सिंचाई मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि मेरी काफी वर्षों पुरानी मांग रूपारेल जो अधूरी थी उसकी स्वीकृति माननीय मंत्रीजी ने प्रदान की जिससे तीन–चार पंचायतों के गांवों के किसानों को उनकी जमीन के लिए सिंचाई का लाभ मिलेगा। यह इस क्षेत्र के लिए बड़ी भारी उपलब्धि है। साथ ही मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि मेरे क्षेत्र में कुछ पुराने बांध हैं जिनकी नहरें 18–20 साल पहले बनीं और आज ऐसी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं कि उनके अन्दर जो कुछ भी पानी है वह खेतों तक नहीं पहुंच पाता और बीच में ही नहर टूटी–फूटी होने के कारण से बेकार चला जाता है। ये पुरानी नहरें हैं।

मंडेसरा बांध, मानसरोवर, श्रीपुरा छोटे–छोटे तालाब हैं, इनमें बहुत थोड़ा पानी ही रुकता है और बहुत अधिक पानी बहकर चला जाता है। अगर इनकी क्षमता बढ़ा दी जाए तो कई काश्तकारों को इसका फायदा मिल सकता है। मेरे क्षेत्र में एक घानड़ा बांध है जिसकी काफी समय से मांग करते आ रहे हैं। दो गांवों में इसकी बाढ़ का पानी भरता है, घरों में घुस जाता है, अनाज गल जाता है, कपड़े–बिस्तर आदि भीग जाते हैं, इस तरह से यह अगर बन जाता है तो उन गांवों को राहत मिलेगी और इसके पानी का भी पूरा उपयोग हो पाएगा सिंचाई में।

माननीय मंत्रीजी, रावतभाटा, आर.पी.एस. द्वारा एक पैरीफेरी रोड बननी थी। काफी बरस हो गए बनते–बनते। जब से राणा प्रताप सागर बांध बनना शुरू हुआ और उन लोगों को इसके आसपास बसाया गया तब से बनता–बनता काफी कुछ बन चुका है लेकिन फिर भी इसके बीच में गांधी सागर और जावदा के बीच में एक–डेढ़ किलोमीटर का टुकड़ा–सा बचा हुआ है। न मालूम किन ठेकेदारों की कमजोरी की वजह से या उनकी शर्तों को पूरा न होने की वजह से यह छूटा हुआ है। वह बन जाता है तो जावदा से गांधी सागर तक बसें आने–जाने में सुविधा रहती है। यह रोड का काम पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा न करके आर.पी.एस. के द्वारा ही किया जाता रहा है। अगर इसको कम्प्लीट कर दिया जाए तो इसका फायदा मिलेगा। साथ ही इस पैरीफेरी रोड पर रावतभाटा से वाया मंडेसरा होकर जावदा तक का रास्ता अभी तक पक्का नहीं बन पाया है और इसका काम बहुत धीमी गति से है। मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि इस पर विशेष ध्यान दें और शीघ्र इसको पूरा करवाएं।

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

छोटे–छोटे बहुत एनीकट की मेरे इलाके में काफी महत्वपूर्ण सम्भावनाएं हैं– देवनारायण का तालाब, शम्भूनाथजी का बेड़ा। मैंने इनके मौके पर ए.ईएन. साहब को साथ ले जाकर बताया भी है । अगर ये बन जाते हैं तो इससे पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जल स्तर भी ऊंचा आएगा और सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होगी।

मांग संख्या 19 पर लोक निर्माण मंत्रीजी का बहुत–बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं, आभार मानता हूं कि आपने मेरी वर्षों पुरानी मांग बोराव गोपालपुरा के बीच में ब्राह्मणी नदी पर पुलिया पिछले सत्र में बनाने की स्वीकृति प्रदान करने की घोषणा की। मुझे उम्मीद है कि इसका निर्माण कार्य बहुत शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा। एक पूरी पंचायत गोपालपुरा जो बरसात के दिनों में अलग–थलग पड़ जाती है, उनके खाने–पीने की सामग्री, इमर्जेन्सी में अस्पताल पहुंचना आदि दूभर हो जाता है, इस पुलिया के बन जाने से उनको लाभ मिलेगा।

मेरे क्षेत्र में कुल पंचायत 55 हैं, जिनमें से 19 पंचायतें अभी और छूटी हुई हैं जो डामरीकृत सड़क से नहीं जुड़ी हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उनका कार्य शीघ्र पूरा करके जोड़ा जाए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके।

दो अन्तरराज्यीय सड़कें हैं, अनोपपुरा से जाट और सेमलिया से कांकरिया तलाई, इनके बन जाने से मध्यप्रदेश से जो आवागमन हमारा होता है उसमें पूरी सुविधा मिलेगी।

इसके साथ ही सड़कों की मरम्मत के लिए, यह बात सही है कि जब भी हम इंजीनियर्स से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास बहुत कम बजट आता है और हम इसकी मरम्मत नहीं कर पाते । कुछ सड़कें तो ऐसी जर्जर हालत में हैं कि बैलगाड़ी जैसे गाड़ी चलानी पड़ती है, गड्ढे पड़े हुए हैं। जिनमें एक तो है एकलिंगपुरा घाटा से लेकर चित्तौड़ की सीमा में मन्या खेड़ी तक। एकलिंगपुरा घाटा में तो हालत यह है कि ट्रक वगैरह को चढ़ाना पड़ता है, उनमें ट्रैक्टर फांद–फांदकर चढ़ाना पड़ता है। बहुत ही हालत खराब हो रही है, इसकी मरम्मत होनी चाहिए। ठुकराई से जोगणिया माता बेगूं से सामरों का लेवा के लिए मुझे उम्मीद है माननीय मंत्रीजी मरम्मत के लिए धन कुछ अधिक देंगे और यह सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

चित्तौड़ से बेगूं वाया भैंरूंघाटी, अरिया महादेव होकर अगर सड़क बनाई जाती है, मात्र 18 किलोमीटर की सड़क है, तो इसके बन जाने से बेगूं की चित्तौड़ से 12 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। अगर यह सड़क बन जाएगी तो इससे एक पंचायत मुख्यालय भी जुड़ेगा और चित्तौड़ की दूरी भी कम होगी।

पुलियाएं, सड़कें बन जाने के बाद नींव भर जाने से वह रास्ता अवरुद्ध है, एक कुण्डाल में है लाडपुरा, एक उधर जावदा नीमड़ी में है टीलों का लुहारिया । उसको नाबार्ड से बनाने का प्रस्ताव दिया था,

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

लेकिन मुझे मालूम हुआ कि यह इस तरह से अटकी पड़ी है कि जो स्टेट हाइवे नम्बर 9 (ए), वल्लभनगर से खेड़ा रूपा है, यह लाडपुरा की पुलिया है उसके ऊपर पड़ जाने से थोड़ी रुकावट आ रही है। छोटी–सी पुलिया है और कई गांव इससे जुड़ते हैं, मुझे उम्मीद है कि इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। एक अनोपपुरा के पास ब्राह्मणी नदी पर पुलिया अधूरी रह गई है।

इसके बाद मांग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं पर माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि पिछले जो अकाल राहत के अधूरे कार्य थे उनमें एक रूपाजी करपाजी शहीद स्थली के लिए आपने दो लाख की स्वीकृति और दी जिससे वह कार्य पूरा हो सकेगा।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। अकाल राहत में जिन लोगों की फसलें दाह से जल जाती हैं या ओलावृष्टि से खतम हो जाती हैं या आग से खलिहान में जल जाती हैं उनको जो राहत मिलती है वह बहुत कम मिलती है, इसमें थोड़ी वृद्धि की जाए ताकि काश्तकार को यह महसूस हो कि कुछ राहत मिली है।

मैं पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे क्षेत्र में पधारकर गांवों का अवलोकन किया और कुछ गांवों को पेयजल की सुविधा प्रदान की जैसे–राजगढ़, चेची, नीमोदा, बोराव, रायता, सादी, ठुकराई। उसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। कुछ गांव और बच गए हैं जिनमें मैं और मांग करता हूं कि कुछ सुविधा दें, जिनमें रामपुरिया, खेरपुरा, जावदा नीमड़ी, कुआ खेड़ा टाकरदा, खड़ामा, रावड़दा हैं।

मेरा एक सुझाव और है। कुछ जगह सीमेंट की पाइप लगाने से उनकी बार–बार टूट–फूट की दिक्कत रहती है। मेरे क्षेत्र में काली मिट्टी है और कुछ पथरीली है वहां ये सीमेंट के पाइप काम नहीं देते हैं इसकी जगह कुछ और उपाय कीजिए। यही निवेदन करता हुआ आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री माधवसिंह जी दीवान (अनुपस्थित), श्री उदयलाल आंजना (अनुपस्थित), श्री लक्ष्मणसिंह जी (अनुपस्थित), श्री शैलेन्द्र जी जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 46 सिंचाई के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मैंने कट मोशन लगाया है बांदीकुई में रेड़िया बांध की विस्तार योजना के बारे में। माननीय सिंचाई मंत्री महोदय को मैंने दो बार पत्र भी लिखा और उन्होंने उत्तर भी दिया। बांदीकुई में रेड़िया सिंचाई योजना के एक्स्टेंशन के लिए मैं लगभग एक दर्जन बार माननीय सिंचाई मंत्री महोदय, से व्यक्तिगत रूप से भी मिल चुका हूं। माननीय मंत्री महोदय, बांदीकुई, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रेड़िया बांध है जिसमें पानी का बारह महीने ओवर फ्लो चलता है। अभी सिंचाई जितने रकबे में होती है उसके बाद भी पानी के भराव की पर्याप्तता है। 1.80 करोड़ का सर्वे होकर एक्स्टेंशन के लिए योजना बनी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप 1.80 करोड़ का

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

प्रावधान रखें ताकि जो एक्सटेंशन योजना है वह मंजूर हो सके और मुझे तेरहवीं, चौदहवीं बार रिपीट नहीं करना पड़े।

अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 27 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय को कट मोशन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने दो हजार से ज्यादा की आबादी वाले गांवों में पाइप एण्ड टैंक स्कीम लागू करने की योजना बनाई है, घोषणा की है। मेरे यहां 17 ऐसी जगह हैं जहां पर दो हजार से ज्यादा आबादी है, लेकिन वहां पाइप एण्ड टैंक स्कीम नहीं बनाई गई। इसके बावजूद कि पैसे की अल्पता है, तीन स्पोट जो हायर पापुलेशन के छांटे गए–2900, 2700 और 2500, उसमें भी आपकी अपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें यह तय किया गया कि एक योजना को आप टेक–अप करेंगे और दो योजनाओं को डी.आर.डी.ए. करेगा। माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करूं, डी.आर.डी.ए. ने पहले ही कह दिया है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हमको कितनी ही योजनाएं दे दें पैसा तो हमें ही देना है. उनके पास पैसा नहीं है। इसलिए या तो आप निर्धारित मापदण्ड बनाएं नहीं और यदि बनाएं तो उसकी पालना के लिए फाइनेंस की व्यवस्था करें। मेरा निवेदन है कि मेरे यहां जो उन्नीस जगह हैं, दो हजार से ज्यादा पापुलेशन हैं उनको पाइप एण्ड टैंक स्कीम से जोड़ने की व्यवस्था करें।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब से मांग संख्या 19 के अन्तर्गत कि मेरे दौसा में साढ़े तीन साल में नौ एक्स.ईएन. का ट्रांसफर किया गया है। आप चाहे तो मैं उनके नाम बता सकता हूं–श्री पी. के. अग्रवाल, आर.के. मेहता, एस.पी. सिंह, एस.एल. जैन, आर.सी. जैन, ए.सी. गुप्ता, बी.के. गर्ग, आर.सी. जैन, और के.सी. बोहरा। साढ़े तीन साल में नौ एक्स.ईएन. का ट्रांसफर हो गया। एक्स.ईएन. एक बार दौसा की ज्योग्राफी समझे ही नहीं और उससे पहले ही ट्रांसफर हो जाए तो क्या यह बंदी की बात है या खुली की बात है, क्या बात है? प्रशासन के लिए उनके पास समय ही नहीं रहता है।

माननीय मंत्री महोदय, आपके सहयोग से हमारी बांदीकुई में सड़क को चौड़ा करने के लिए आपने कहा था कि यदि मैं सात लाख रुपया डी.आर.डी.ए. से दिला दूं और एक सिंगल स्टिप की सड़क बन जाए तो डबल लेन की सड़क आप कर देंगे। माननीय मंत्री महोदय, ये आपके दो पत्र हैं–यह बहुत अच्छा है कि आप हर पत्र का विधायक को उत्तर देते हैं, ये दोनों पत्र हैं, 6 लाख की जगह 28 लाख रुपए डी.आर.डी.ए. ने मंजूर कर दिए। वह पैसा आपके पास आ गया, वह 28 लाख रुपया आपने यूज भी कर लिया, आपने कहा जून माह से पहले–पहले यह डबल लेन का काम हमारे यहां हो जाएगा। ये दोनों पत्र आपके रखे हैं, फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि आप में शब्दों की संकल्पबद्धता है और उसके तहत यह कार्य निश्चित तौर पर इस बजट राशि में करवाएंगे।

इसके अतिरिक्त माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

करना चाहूंगा कि आपके यहां ठेकेदारों के द्वारा जो टेण्डर होते हैं पुल बन जाते हैं और बी.एस.आर. से 30 व 40 प्रतिशत बिलो ले लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि कोई ठेकेदार पागल है जो 30 या 40 पर्सेंट बिलो लेकर भी कोई काम कर सकता है? रिजल्ट यह होता है कि तीन-तीन, चार-चार महीने तक वे वर्क टच नहीं करते हैं, वे वर्क में चाहे पैनल्टी भर देते हैं। कास्ट कंस्ट्रक्शन बहुत हाई हो जाती है और कुल मिलाकर आपके विभाग को घाटा होता है। कांट्रेक्ट कैंसिल होता है उसके बाद दूसरे व्यक्ति को ठेका दिया जाता है। जब बी.एस.आर. से 30-40 प्रतिशत लैस देते हैं तो ऐसी स्थिति में आए दिन ठेके लैप्स होते हैं। ऐसी स्थिति में जबकि ठेकेदार बिडिंग के टाइम पुल बना लेते हैं तो क्या आप कोई कंपोजिट प्लान बनाएंगे रिफार्मेटिव स्ट्रक्चर के लिए ताकि पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारी और ठेकेदारों का जो माफिया है इसका खात्मा हो सके। मेरी आपसे विनती है कि आप इस बारे में सोचें।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह आप गांवों को मुख्यालय बनाकर जोड़ रहे हैं, पंचायत मुख्यालयों को ग्रेवल सड़क से जोड़ रहे हैं, ग्रेवल सड़क में दो किलोमीटर पर 2.5 लाख रुपये खर्च हो जाते हैं। तीन साल बाद आप देखेंगे वहां फोसिल्स नहीं मिलेंगे, उस सड़क के अवशेष नहीं मिलेंगे। तो क्या हमारी राजस्थान सरकार का ऐसा कैसा है कि डेढ़ [illegible] [illegible]-[illegible] सिट्टी की [illegible] [illegible] [illegible] उखड़ जाए, ऐसी सड़क ग्रेवल बना दी जाए? मैं कहता हूं ऐसी ग्रेवल सड़क बनाने की बजाय आप मैटल सड़क बनाइए। भले ही 25 किलोमीटर बनाइए, लेकिन यह नहीं कि ढाई साल, डेढ़ साल के लुभावने आकर्षण के बाद खड्डे, उसके बाद दुर्घटनाएं और उसके बाद पता ही नहीं कितनी सड़क बनी थी, अवशेष मात्र भी नहीं रहे। इसलिए इस योजना को बदलिए।

अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा और अकाल राहत मांग संख्या 34 के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मैंने एक कट मोशन लगाया है जो बहुत गम्भीर है कि पाली जिले में बांडी नदी पर पानी के बहाव से 17 आदमियों की मृत्यु हो गई। सरकार द्वारा उचित राहत प्रदान करने में विफलता के बारे में चर्चा के लिए कट मोशन दिया था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दिनांक 26 अगस्त, 1997 को एक यात्री बस से लोग जा रहे थे। जिस समय यह बस नदी के पास से जा रही थी, जालौर की रोड के पास, वहां पर केवल 2.5 फीट पानी था। बस ड्राइवर ने सोचा कि आगे ट्रक जा रहा है इसलिए मैं भी निकल जाऊंगा। मैं आज इस घटना को इसलिए उठाना चाहता हूं कि हमारे पास कोई संसाधन नहीं है जिसके द्वारा किसी पर कोई प्राकृतिक विपदा आ जाए उससे जिला प्रशासन मुकाबला कर सके। मैं कहना चाहूंगा कि पाली जिला प्रशासन ने 17 व्यक्तियों की मौत अपने सिर पर मढ़ी है, वह 17 व्यक्तियों की जान का हत्यारा है। यदि राजस्थान में कोई कानून होता, [illegible] होता, [illegible] मुख्य मंत्री जी एक प्रतिशत भी संवेदनशील होते तो वहां के

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कलक्टर के खिलाफ, वहां के एस.डी.एम. के खिलाफ 17 आदमियों को जान से मारने का मुकदमा बनाया जाता। यह एक ध्रुव

(19.00)

सत्य है। मेरा मानना है कि इस कटु सत्य को आप जानना चाहेंगे। प्रशासन को 2 बजकर 25 मिनट पर मालूम पड़ गया था कि ढाई फीट पानी है। यह बिलकुल सही बात है इस दुखान्तिका में कि बस के अन्दर जो 27 आदमी थे उनमें से एक बच्चा भी ढाई साल का नहीं मरा, क्योंकि बस में सीट तक पानी था और वे सब लोग खिड़कियों के द्वारा ऊपर आ चुके थे। उसके बाद एस. डी. एम. जो कि केवल 50 फीट की दूरी पर वोटर लिस्ट को संशोधन करने की मीटिंग ले रहे थे, वे आये। उनको सूचना दी तो वे रोहट जो कि 16 किलोमीटर दूर है, वहां पर गये। वहां पर एक क्रेन खड़ी थी, उसको कोई नहीं लाया। पाली मुख्यालय पर देवड़ा क्रेन नाम से एक क्रेन हमेशा खड़ी रहती है जो 30 किलोमीटर दूर है न तो यह क्रेन मंगवायी गयी और न ही जो गोताखोर हैं, उनको बुलाया गया। बल्कि यह और हुआ कि पाली की जिला कलक्टर महोदया आयीं और जो लोग टायरों में हवा भर-भरकर फेंक रहे थे, जिन्होंने रस्सा लगाया था और 27 आदमियों में से 9 आदमियों को जिन्दा हालत में निकाल लिया था, उनके लिये कलक्टर ने कहा कि रस्सा हटा दो, तो रस्सा हटा दिया गया। उसके बाद पुलिस ने डंडे बजा-बजाकर सब लोगों को भगा दिया कि हैलीकाप्टर आ रहा है। जबकि मुख्य मंत्री महोदय वहां गये तो ...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : ये बात कह रहे हैं, वहां गोताखोर आये थे। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : गोताखोर आर्यवीर दल, पाली के आये थे जब लोग डूब चुके थे। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आप इतने जोर से क्यों बोल रहे हैं? आपको पाली की क्या जानकारी है? हम तो खुद जाकर आये थे, वहां देखकर आये थे। गोताखोर आये थे। यह नहीं कह सकते कि कोई नहीं आया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको क्या मालूम? आप जो कह रहीं हैं जरूर कहियेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं लेकिन मेरे को बोलने दीजिये। मैं यह कह रहा हूं कि गोताखोर जो आर्यवीर दल के आये, वे 7 बजकर पांच मिनट पर आये। तो जानबूझकर जिला प्रशासन ने....

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह मिलिट्री को बदनाम करने की कोशिश की है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समय सीमा का ध्यान रखें। 7 मिनट में अपनी बात कहें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बात कहकर रहूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरी सुन ली न आपकी बात। कितनी बात कहना चाहते हैं ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा कहना यह है कि ऐसी स्थिति में....

श्री अध्यक्ष : सुबह से बात ही कह रहे हैं अपन, कोई हल भी निकले तो।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : मांग संख्या 46, सिंचाई के सम्बन्ध में मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगा।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, हो गयी आपकी बात, पूरी सुन ली। माननीय ताम्बी साहब।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चूंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है....

श्री अध्यक्ष : आपको अभी ले लेंगें। आप भी बोल लेना।

श्री भीमराज भाटी : हाउस में कोई गलत मैसेज नहीं चला जाए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं मेरी बात कह रहा हूं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब सरकार के पास संसाधन नहीं हैं, जब सरकार के पास प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : ये गलत बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप क्यों बोल रहे हैं ? Every body is guiding me.

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : पाली की जानकारी इनको कैसे है ? है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अपने आप में रेस्ट्रेन रखिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने कलक्टर को बचाने का ठेका लिया है ? आप कलक्टर को बचाना चाहते हैं। (व्यवधान) हम कोई कलक्टर को बचाना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जितना बोलेंगी आपके समय में कटौती होगी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : कलक्टर के माथे पर 17 आदमियों का खून है।

श्री अध्यक्ष : जो भी माननीय सदस्य बीच में खड़े हुए हैं उनके समय में कटौती करूंगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : 17 आदमियों का खून कलक्टर के माथे पर रहा हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो भी माननीय सदस्य बीच में बोलना चाहते हैं बोलें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पांच जने एक साथ बोलें, मैं उनके समय में कटौती करूंगा।

२२५

श्री भीमराज भाटी : हम तो आपकी इजाजत हो तो बोलें।

श्री अध्यक्ष : पहले ताम्बी साहब बोलें, मैं आपको भी सुनूंगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मुझे मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात तो कहने दीजिये।

श्री भीमराज भाटी : मैं आधा मिनट लूंगा। इस मुतल्लिक माननीय पूनम चन्द जी साहब ने और मैंने, दोनों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है। अच्छा होगा कि उस दरमियान अपन यह बात करें ताकि गलत मैसेज नहीं जाए।

श्री अध्यक्ष : मैं भी यही बात कर रहा हूं। बिराजें। ताम्बी साहब।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 46 पर अपने विचार रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री महोदय और सिंचाई मंत्री महोदय का बहुत–बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने बीसलपुर बांध के कैचमेंट के नाम पर भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और राजसमन्द जिलों की अधूरी सिंचाई योजनाओं पर निर्माण के लिए जो रोक लगा रखी थी, काफी प्रयत्नों के बाद वह रोक हटने के फलस्वरूप काफी सिंचाई परियोजनाएं मंजूर की। मेरे जहाजपुर क्षेत्र में ही सकरगढ़, नवरत्न सागर, गणेशपुरा, महादेव सागर, मेई जेसूला, झारला, सरसिया बारगान साढ़े पांच करोड़ की अधूरी सिंचाई योजनाएं जो लम्बित थीं, काफी पैसा पहले खर्च हो चुका था, वे इन्होंने पूरी करने की स्वीकृति दी। इसके लिए मैं बहुत–बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : यह सदन में पहली बार किसी को धन्यवाद दे रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : आपको पहले भी दे चुका हूं। इसके साथ-साथ मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं सिंचाई मंत्री जी ने इन सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति के बाद पत्र द्वारा हमको सूचित किया कि और समय पर जो भी पत्र लिखते हैं उसका जवाब देते हैं। यह एक अच्छी परम्परा है, इसके लिए मैं सिंचाई मंत्री जी और सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि कम से कम विधायक जो पत्र लिखते हैं उनका वे उत्तर देते हैं। मैं इस मौके पर कुछ विभाग के कारण समय पर आब्जर्वेशन या आपत्तियों में जो योजनाएं लम्बित रह गयीं, जो इसी तरह की योजनाएं थीं, उनके लिए भी आग्रह करना चाहूंगा। रतनसागर, भेडूंदा, पच्यानपुरा, जहाजपुर तहसील में गुढ़ा रोजड़ी तहसील, गंधेल, दबेल्या, बजरंगसागर और कोटड़ी और इस तरह की और योजनाएं जिन पर काफी रुपया लग चुका....

श्री देवीसिंह भाटी : अगर धीरे–धीरे बोलें तो आराम से लिख सकता हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी : रतनसागर, भेडूंदा, बजरंगसागर बूंदी तहसील कोटड़ी, पच्यानपुरा तहसील जहाजपुर, गुढ़ा रोजड़ी तहसील जहाजपुर, गंधेल, दबेल्या, ये योजनाएं हमारी अधूरी हैं, विभाग में आब्जर्वेशन में लम्बित हैं, मैं समझता हूं कि

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इनको भी यदि आप समय पर स्वीकृत कर देते। नाम लिस्ट में था

श्री राजेन्द्र पारीक : इससे बहतर स्थिति और क्या हो सकती है कि इधर डिक्टेशन दे रहे हैं और उधर ले रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : किन्तु यह नहीं होने से मैं चाहूंगा कि इनको आप स्वीकृत करें। इनके साथ–साथ नयी सिंचाई परियोजनाएं जो बीसलपुर के अन्तर्गत नहीं आती हैं, वे भी लम्बित हैं रतनगढ़, अमरगढ़, तहसील जहाजपुर। दो ऐसी योजनाएं जो लम्बित हैं आब्जर्वेशन में, वे बनास के केचमेंट में आती हैं दुवारिया और पीपलूंज, इन योजनाओं पर भी आपका ध्यान जाएगा, मेरा आपसे यह अनुरोध है।

इसके साथ–साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बीसलपुर परियोजना बनने के बाद बेकवाटर बनास नदी में करीब 25–30 किलोमीटर रहेगा, यह आप रिपोर्ट देख लें। जहाजपुर नगर की 4 हजार बीघा जमीन जो सूखी है, बंजर है, उस जमीन में सिंचाई विभाग की लिफ्ट ईरिगेशन योजना 30 साल पहले चालू की गयी थी। वह डीजल सैट से चालू की गयी थी। इसलिए असफल हो गयी। डी. आर. डी. ए. में यह मामला नहीं आएगा क्योंकि नगरपालिका एरिया से सम्बन्धित है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि इस योजना को पुनः शुरू करवाएंगे जिससे जहाजपुर को बहुत लाभ मिलेगा।

इसके साथ–साथ इस मौके पर मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा सरप्लस पानी और योजनाएं सर्वे होना कहीं बाकी हैं तो वह जहाजपुर तहसील में बाकी है। अब वह चाहे राजनीतिक कारणों से हो, आपसे पहले के वर्षों में भी रहती आयी हो, मैं आप पर ही आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन वह लम्बित है। सर्वे उपखण्ड का जहाजपुर में पहले आफिस था वह हटा दिया गया। मैं चाहूंगा कि सर्वे उपखण्ड का एक आफिस इन 2–3 वर्षों के लिए आप वहां लगा दें तो ये सारी की सारी योजनाएं, जहां शेष निर्माण होना है, वह सब सर्वे हो सकेगा। यह मेरा आपसे अनुरोध है और मैं समझता हूं कि आप इस बारे में खास तौर से ध्यान देंगे।

इसके साथ–साथ मेरा एक सुझाव है वह यह है कि मांडलगढ़, जहाजपुर और कोटड़ी तहसील की हजारों बीघा जमीन नदी के दोनों किनारे पड़त या असिंचित है। उस जमीन पर बनास नदी में 5–5, 7–7 किलीमीटर पर पिक-अप-वेयर बनाकर सिंचाई कर सकते हैं। उस बारे में आपका ध्यान जाएगा निश्चित रूप से, यह बात कहते हुए अगली सार्वजनिक निर्माण विभाग सम्बन्धी मांग संख्या 19 पर निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय मंत्री महोदय, आपसे पहले हमने भी और आपके दल के विधायक महोदय ने, दूसरों ने भी हमेशा एक मांग की है। देश का एक बड़ा तीर्थ स्थान है चंवलेश्वर पार्श्वनाथ, पहाड़ों पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहां हिन्दुस्तान भर के यात्री आते हैं। आपने खजूरी से आमल्दा तक एक सड़क मंजूर की। उस सड़क को

(श्री रतनलाल ताम्बी)

चंवलेश्वर तक, ऊपर तक, बढ़ाकर इस महत्वपूर्ण मांग को पूरा करेंगे। इसके साथ ही काछोला से पड़ोली, बनास नदी पर 40 किलोमीटर होकर जहाजपुर आना-जाना पड़ता है इन गांवों के लोगों को। पड़ोली से काछोला के बीच में आप एक पुलिया का निर्माण करा देंगे तो निश्चित रूप से करीब सौ-सवा सौ गांवों को काफी बड़ी सुविधा मिल सकेगी।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा, एक स्टेट हाईवे है सतूर से नागौर वाया सकरगढ़, जहाजपुर, गुलाबपुरा, विजयनगर। वह सड़क आपके प्लान में स्वीकृत है। इस साल उसके लिए पैसे का भी प्रावधान किया गया था किन्तु मुझे 10–15 दिन पहले सूचना मिली है कौनसे डिस्कशन में कहां पता नहीं किस ढंग से लेकिन राशि का जो आबंटन किया गया है इस साल के प्लान में वह पैसा आपने विथड्रा कर लिया है। कृपया आप देखें, ऐसी महत्वपूर्ण सड़क जो आपने योजना में ली है, उसके काम में जो व्यवधान आ रहा है उसको दूर किया जाना चाहिए।

एक सड़क सकरगढ़ से बिजौलिया जिसके लिए सेन्टर रोड फंड से पैसा मिला था आपको 4 करोड़ रुपये, विभाग की कुछ ढिलाई या ठेकेदारों के कारण काफी समय लगने से राशि तो पूरी हो गई लेकिन बीच में कुछ हिस्सा आज भी अधूरा है। शायद कभी उस रास्ते से आप निकले भी हैं। इतनी महत्वपूर्ण सड़क है कि इस पर पट्टियों के सैकड़ों ट्रक प्रतिदिन निकलते हैं, जिसमें 40–50 गांव बूंदी जिले के, जहाजपुर तहसील के और मांडलगढ़ तहसील के जुड़े हुए रहते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी महत्वपूर्ण सड़क को, जो काम उसमें अधूरा है उसे पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

डाक बंगला जहाजपुर 10–12–15 साल पहले बना था उस समय अधूरा काम पड़ा हुआ था, उसमें कुछ और कमरे और बनने थे। आपने स्वयं जहाजपुर को देखा ही होगा, उस डाक बंगले की स्थिति को देखा होगा। आज के हालात में काफी आने-जाने वाले रहते हैं। मैं इसलिए समझता हूं, उस काम को भी आप प्राथमिकता देकर पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। इसके साथ-साथ पंचायत मुख्यालय जो भी आपने लिये हैं, वहां डामरीकरण नहीं हो पाया है उससे पहले ही वह सड़क टूट–फूट रही है। इसलिए जो-जो सड़कें आप बना रहे हैं अपनी घोषित नीति के अनुसार, उनका डामरीकरण भी हो, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

मांग संख्या–47 पानी के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। पानी जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है और इस आवश्यकता के लिए हमेशा बहुत चर्चा होती है। भीलवाड़ा जिले का काफी बड़ा हिस्सा फ्लोराइड से अफेक्टेड है। यह आपके पास रिपोर्ट है, इसका सर्वेक्षण है। योजना आपके पास है उसके बावजूद इतनी बड़ी जनसंख्या को आज भी खारा पानी और वह भी अपर्याप्त पानी पीना पड़ रहा है। मेरे पास इस सम्बन्ध में 2–3 सुझाव हैं। पहला सुझाव तो मैं

(श्री रतनलाल ताम्बी)

निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सिंचाई मंत्रीजी अभी यहां पर नहीं हैं, भीलवाड़ा जिले का सबसे बड़ा मेजा बांध, इसमें 32 फीट पानी का भराव है। आज के दिन करीब 15 फीट पानी केवल पेयजल में जा रहा है जिससे हजारों नीचे के कमांड के जो गांव हैं, उन किसानों में बहुत बड़ी नाराजगी पैदा हो रही है। अभी 7–8–10 दिन पहले 40–50 गांवों के किसान हजारों की तादाद में हरणी महादेव इकट्ठे हुए थे इस समस्या को लेकर। मैं यह चाहूंगा कि आप आल्टरनेटिव अलाटमेंट करें। भीलवाड़ा की जनसंख्या बढ़ रही है, औद्योगिक विकास के साथ ही उसका विस्तार हो रहा है लेकिन उस दृष्टि से आपके सामने कोई सुनिश्चित योजना नहीं है जिससे आने वाले समय में काफी बड़ा संकट पैदा हो सकता है। भीलवाड़ा की जनता को आज कल–कारखानों का पानी, प्रदूषित पानी पीना पड़ रहा है ट्यूबवैल के माध्यम से, कुओं के माध्यम से और इस तरह से हालात बहुत खराब है। वह बनास नदी में जा रहा है और बनास नदी का पानी भीलवाड़ा जिले के 40 गांवों में कुओं से सप्लाई हो रहा है। बनास नदी का वह सारा पानी प्रदूषित पानी है। इस बारे में आपसे मेरे दो निवेदन हैं। पहला निवेदन तो है कि बिसलपुर बांध से आप भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील, शाहपुरा तहसील, हुरड़ा बलेरा तहसील जो फ्लोराइड से ज्यादा अफेक्टेड हैं उनमें इस योजना का आप लाभ दें। पीने के पानी की प्राथमिकता पहले है और भीलवाड़ा का ही सर्वाधिक पानी उसमें जा रहा है। जयपुर की समस्या आपके सामने होगी, उसका समाधान आप ईसरदा बांध बनाकर करें। बनास नदी पर अटूट देह है आसनमाता का देह, उसका आप नाम नोट कर लें खास तौर से, मंत्री महोदय। उसका सर्वेक्षण कराकर भीलवाड़ा नगर की समस्या का समाधान आप उससे कर सकते हैं, इतना पानी वहां है। भीलवाड़ा जिले के खास तौर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में....

श्री अध्यक्ष : माननीय ताम्बी साहब, अब आप समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं काफी शार्ट कर रहा हूं, साहब। आज तो मैं सोच रहा था कि आप मुझे खुद टोकें नहीं तो ही काम जल्दी निपटा दूंगा।

बनास नदी की इस क्षेत्रीय योजना के लिए भी मैं चाहूंगा कि 40–50 गांवों में....(व्यवधान) आसनमाता का दह कोटड़ी तहसील जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है। आप कहीं पत्थर डालकर या रस्सी डालकर देख लें, कोई थाह ही नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बनास नदी के किनारे-किनारे फ्लोराइड अफेक्टेड कोटड़ी तहसील और जहाजपुर तहसील के 40–50 गांवों के लिए क्षेत्रीय योजना बनाकर उन गांवों की समस्या का समाधान करें। इन गांवों की हालत बहुत खराब है। मंत्री महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1989–90 में स्वीकृत बोरड़ा–बिसणिया की 21 गांवों की क्षेत्रीय योजना का सोर्स तो डवलप हो गया लेकिन उन 21 गांवों की योजना आब्जर्वेशन में आपने वापस लौटा दी।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

वापस आई तो बी. ई. सी. ने क्या किया कि उनको फ्लोराइड प्रोजेक्ट के साथ डाल दिया। कितना बड़ा अन्याय है। जो योजना 1989–90 में स्वीकृत है उस योजना को फ्लोराइड प्रोजेक्ट के विचार के साथ डालकर आपने उन गांवों के साथ बड़ा अन्याय किया है। उन 21 गांवों की योजना अलग से जो बनी थी उसके आधार पर स्वीकृत करके समस्या का समाधान करें, यह मेरा आपसे आग्रह है। जहाजपुर तहसील के कूचावाड़ा, ऊंचा वगैरह के नौ गांव और कोकड़ी तहसील के आमीवास, धोली, मनसा, देवरिया, वगैरह जो गांव है, उनकी स्वीकृत योजना 3–4 साल से चल रही है। यह विभाग की उदासीनता के कारण और अनिश्चितता के कारण पूरी नहीं हो रही है। उसका समय निश्चित है उसके आधार पर इन योजनाओं को आप पूरा करवाने का प्रयत्न करें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

बनास नाले के साथ–साथ ढाणी–मगरों की बात करना चाहता हूं। आइडेंटिफाइड मगरों में काफी हैण्ड पम्प लग चुके हैं, लेकिन मगरे और काफी रह गये हैं जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया। उनके लिए लिस्ट भी हमने विभाग को दी है। मैं समझता हूं, उस योजना के आधार पर उस गांव को सुविधा उपलब्ध करवाएंगे।

अब मैं आखिरी मांग अकाल राहत वाली उस पर 2–3 मिनट चर्चा करके....

श्री अध्यक्ष : आपके कहां अकाल है? फर्माएं जल्दी।

श्री रतनलाल ताम्बी : उसमें निवेदन है कि अकाल राहत विभाग और बाढ़ सहायता विभाग, दो विभाग हैं। इसी विधान सभा के फ्लोर पर तीन साल पहले एक आश्वासन दिया गया था। फलदेई ग्राम जहाजपुर तहसील में है, वह नाले के किनारे स्थित है। सारा जंगलों का पानी उसमें बहकर जाता है। 30–40–50 घर पहले भी गिर गये थे और काफी संकट उपस्थित हो गया था। इस आश्वासन के आधार पर सिंचाई विभाग ने पूरी एक योजना तैयार करायी। 28 लाख रुपये का प्रोजेक्ट यहां आने के बाद अकाल राहत एवं बाढ़ सहायता विभाग ने उसको आश्वासन होते हुए भी स्वीकृत नहीं किया। मैं समझता हूं उसको स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है, उसको किया जाना चाहिए।

मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहाजपुर तहसील, कोटड़ी तहसील की पंचायतों में बहुत कामकाज हुआ। लेकिन उन कामों में काफी भ्रष्टाचार-घोटाला हुआ। उसकी शिकायतें विभाग में आईं तो कलक्टर ने एफ. आई. आर. दर्ज करने के आदेश दिये कुछ जगह के लिए। जयपुर में राजनैतिक संरक्षण और कुछ मंत्रियों के आधार पर फर्जी मस्टर रोल तैयार किये गये थे। जब पेमेंट करने के लिए राजस्व एजेंसीज गईं तब उन्होंने मना कर दिया कि वहां पर काम ही नहीं किया है, हम किस बात का पैसा लें। इतना गम्भीर मामला होते हुए भी सारे मामले को दबाया जा रहा है।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

2–3 साल से भ्रष्टाचार और घपलों के मामले सारे के सारे राजनैतिक संरक्षण में और मिले–जुले तौर–तरीकों से दबे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, अब बिराजिये। बहुत हो गया। पराक्रम सिंह जी। आपको पूरे 20 मिनट हो गये हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : कहां बिराजिये, एक मिनट और। कहां हुआ ? अभी बाकी है।

श्री अध्यक्ष : आप पूरे 20 मिनट बोले हैं। सात मिनट की सीमा है।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक मिनट और निवेदन करता हुआ राजस्थान के भीलवाड़ा और अजमेर जिले के लिए मांग कर रहा हूं कि अकाल राहत कार्यों में घपलेबाजी, भ्रष्टाचार और जो निर्वाचित संस्थाएं थीं उनसे काम छीनकर अपने चहेतों को देने के कारण इतना बड़ा, घोटाला गड़बड़ी जो हुई है उसकी सी.बी.आई. से जांच कराएं तो लाखों–करोड़ों रुपये का इन जिलों में घोटाला मिलेगा। गुणात्मक दृष्टि से भी काम बहुत खराब हुए हैं। उन कामों का पूरा भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। उसका अंकेक्षण किया जाए तो राजस्थान में जो धन का दुरुपयोग बड़ी मात्रा में हुआ है उसके निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे। धन्यवाद।

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सड़क मंत्री जी से एक जानकारी चाहूंगा। मैं यह प्रश्न कई बार पूछ चुका हूं। जहां तक मुझे याद है, मैं छोटा–सा बच्चा था, तब से उस इलाके में घूम रहा हूं आज मैं वहां से विधायक हूं। मैंने जिला लेवल के ऊपर भी यह जानकारी चाही थी लेकिन आज दो साल हो गये, मुझे जानकारी नहीं मिली, कि भिडवाड़ा सांगानेर वाया बनेड़ा से आगूचा सड़क कब स्वीकृत हुई थी ? आज दिन तक भी यह सड़क पूरी नहीं बनी हुई है। मैं आपसे यह जानकारी चाहता हूं कि इस सड़क की स्वीकृति कब हुई ? कौन से साल में स्वीकृत हुई ? अभी तक यह सड़क कम्प्लीट नहीं हुई, इसके लिए आपका विभाग या आप स्वयं क्या कहना चाहते हैं ? बनी ही नहीं, साहब, अभी तक। बनती है, पीछे टूट जाती है, पता नहीं क्या है उसका।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो साल पूर्व मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सड़कों के टेण्डर्स काल किये गये पर अभी तक उनका कार्य चालू नहीं हुआ। उन कार्यों को शीघ्र ही चालू करवाएं। काफी सड़कें दो साल पूर्व बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई थीं, वे आज भी वैसी की वैसी पड़ी हैं।

मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और यह बड़ा गम्भीर मामला है। 1956 के अन्दर मेजा बांध का निर्माण हुआ था और उसके अन्दर भीलवाड़ा शहर के लिए पेयजल की व्यवस्था का भी प्रावधान रखा गया था। पर भीलवाड़ा शहर की आबादी बढ़ती जा रही है हर वर्ष और मेजा बांध जो सिंचाई के लिए बनाया गया था, उससे सिंचाई का पानी काट कर काश्तकारों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी और साथ में माननीय

(श्री पराक्रम सिंह)

पेयजल मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से भीलवाड़ा की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और अगर मेजा बांध पर निर्भर रहे तो वह भी पर्याप्त नहीं रहेगा। और मेजा बांध का पानी पूरे का पूरा भीलवाड़ा शहर के लिए दे देंगे तो काश्तकारों के साथ अन्याय होगा। आप एक तरफ तो पानी दे रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे आदमियों का गला घोंट रहे हैं; यह बड़ी गम्भीर समस्या बनती जा रही है। इस विषय के ऊपर भी सरकार को विचार करना चाहिए और भीलवाड़ा शहर के लिए अन्य स्रोत से पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए।

आखिर में मैं पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इलाके के अन्दर कुछ योजनाएं उन्होंने स्वीकृत कीं और कुछ लम्बित पड़ी हैं। खैर! वे भी हो जाएंगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ गांवों के अन्दर पीने का पानी उपलब्ध है लेकिन जो फंड आपने हम विधायकों को दिलाया है, जो फण्ड हमें संसद कोटे से मिलता है उससे उन गांवों के अन्दर पेयजल चालू करते हैं जिसमें विभाग से हम एक पैसा नहीं मांगते, फिर भी विभाग उसके अन्दर हर प्रकार के रोड़े अटकाता है कि टाइम ऑफ स्कीम चेंज हो रही है। टाइम ऑफ स्कीम एक न एक दिन तो चेंज होनी है, अध्यक्ष महोदय, पर वे चाहते हैं कि हम ही इसको चेंज करें। अन्य स्रोत से भी चेंज करना आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर भी मंत्री महोदय ध्यान दें तथा और भी स्रोत से, अन्य फण्ड से जो हम योजनाएं बना रहे हैं उनकी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री दयारामजी परमार। श्री रघुवीर सिंहजी।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19, 27 एवं 46 पर मैं अपने आपको कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सम्मिलित करते हुए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र सराड़ा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर शायद जानते भी हैं। कुछ-कुछ सड़कें ऐसी हैं, साहब, जो बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस साल पहले बनी हुई हैं, परन्तु कोई तीन किलोमीटर, कोई पांच किलोमीटर, कोई छह किलोमीटर कच्ची हैं और जहां तीन-तीन, चार-चार गाड़ियां चलती हैं, बसें चलती हैं। सड़कों की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से बस वाले बस चलाते नहीं हैं। कई पंचायतों को पार करती हुई सड़कें जाती हैं। खैरवाड़ा, सराड़ा और सलूम्बर को मिलाने वाली सड़क है, उसमें मुख्य तौर पर मैं आपसे दो-चार-पांच सड़कों के लिए निवेदन करूंगा।

खड़ा चौराहा से लेकर इटाड़ी वाया बड़ावली सड़क, यह बहुत पुरानी सड़क है, बहुत बड़े-बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जहां बस वालों को बहुत दिक्कत होती है, बराबर जाते-आते नहीं हैं। यह सड़क कोई नौ-एक किलोमीटर बची है, मामूली पैसा चाहिए। ज्यादा कटिंग नहीं है, न कोई पुलिया बनानी है। थोड़ा-सा डामरीकरण कर दें तो यह खैरवाड़ा और सलूम्बर को

(श्री रघुवीर सिंह)

मिलाने वाली सड़क है। तीनों तहसीलें मिल जाती हैं तो वहां के जनजाति लोगों को आने–जाने में बहुत सहूलियत हो जाती है। एक सल्लाड़ा से भाटखारम वाया भाटखारम से सलूम्बर मिलाने वाली सड़क है, मात्र तीन किलोमीटर रह गयी है। सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र जहां लगता है वहां तक पक्की सड़क है लेकिन तीन किलोमीटर, साढ़े तीन किलोमीटर पूर्ण नहीं है। वहां भी तीन–चार बसें चलती हैं, रोज अप–डाउन करती हैं लेकिन कच्ची रोड की वजह से वहां बस वाले आते–जाते नहीं हैं, लोगों को बहुत परेशानी है। एक सड़क है पाराई, नेशनल हाइवे नम्बर आठ से तहसील मुख्यालय सराड़ा को पाराई, खरबर, लिम्बोदा होती हुई मिलाती है। इस पर करीब बारह किलोमीटर डामरीकरण हो गया है लेकिन बीच में करीब पांच किलोमीटर अधूरी रह गयी है जिसकी वजह से बसें आर-पार नहीं जा सकती हैं। यह सड़क तीन–चार पंचायतों को चीरती हुई जाती है, यह पूर्ण हो जाने से वहां के लोगों को काफी फायदा होगा। एक जयसमंद के अन्दर साइड जावद, अदबाद, सेमाल, तीन पंचायतें तो अपने आप को आंध्रप्रदेश के नाम से कहा करती हैं। हम जब भी जाते हैं तो हमें यही ओलमा देते हैं कि हम आंध्र प्रदेश वालों को कौन देखने वाला है। सरकार किसी की ही बन जाए तो भी हमको कोई देखने वाला नहीं है। उनका ओलमा यह भी है कि वहां जावद से सेमाल सड़क कच्ची है और हर बार बारिश में टूट जाती है। सेमाल पंचायत मुख्यालय है, अगर वह सड़क से जुड़ जाता है, वहां भी बसें चलती हैं, तो एक समस्या दूर हो जाती है। उदयपुर–सलूम्बर के बीच पक्का रोड जो है उससे ओड़ा होते हुए वाया बगरूआ और जावद मिल जाती है सड़क, तो करीब बीस किलोमीटर घूमकर आने वाला फासला कम होकर कोई पांच–सात किलोमीटर में उदयपुर के लिए सीधे आ जाते हैं। तो यह सड़क भी बनाई जाए। एक मेरे विधान सभा क्षेत्र में गिर्वा तहसील में चणावदा से जावर माइंस मिलाने वाली सड़क है, जो कच्ची तो लगभग काफी जगह हो भी गई है लेकिन कुछ काम बाकी है। कुछ तो क्या, बाकी है पर ज्यादा करोड़ों का काम नहीं है, वह कोई लाखों का ही काम है। अगर यह जुड़ जाती है और चणावदा से जावर माइंस सीधा मिलता है तो इनको करीब पच्चीस-तीस किलोमीटर घूमकर नहीं आना पड़े। वह बारह-तेरह किलोमीटर से काम चल सकता है। तो इस सड़क को भी दिखवाएं और कराएं। एक नेशनल हाइवे नं. 8 परसाद से ऋम्बर होती हुई ऋषभदेव–खैरवाड़ा तहसील को मिलाने वाली सड़क है जो खैरवाड़ा तहसील जहां तक चलती है वहां तक तो पक्की हो गई है। सराड़ा का एरिया वहां मेरे अन्दाज से तीन–साढ़े तीन किलोमीटर के आसपास ही है, कच्ची है। कच्ची क्या वह बिलकुल अन कम्प्लीट है। इसकी वजह से वहां न तो बसें आती हैं, न मोटर साइकिल वहां आती हैं, न जीप जा सकती हैं। इस वजह से वहां के लोगों को बहुत लम्बा–चौड़ा राउण्ड करके आना पड़ता है, परेशानी आती हैं। वह सीधा मिल जाता है ऋषभदेव जाने के लिए तो वहां भी लोगों को सब्जियां हैं, कोई दूध वाले हैं, आने–जाने वालों को

(श्री रघुवीर सिंह)

आसानी हो सकती है । एक मेवाड़ काम्प्लेक्स के अन्तर्गत महाराणा प्रताप के समाधि स्थल पर काम चल रहा है । चावण्ड जहां महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हुआ है, उनकी समाधि है, वहां से बण्डोली सड़क है वह बिलकुल ही डेढ़–दो किलोमीटर भी नहीं है, उसको पूरा करें । इसको पूरा करना बहुत जरूरी है, इसको दिखवाएं साहब ।

पी.डब्ल्यू.डी. के अन्तर्गत सड़कों के अलावा निर्माण कार्य की जहां तक बात है, थोड़ा सा क्वालिटी का सवाल है, वहां थोड़ा सख्ती से निगरानी की जरूरत पड़ती है । मेरे विधान सभा क्षेत्र परसाद, मेरा गांव ही है, वहां पी.एच.सी. भवन बन रहा है । वह बिल्डिंग पिछले एक साल से भी ज्यादा समय हो गया न तो पूर्ण हो पा रही है और बड़े दुःख की बात तो यह है कि....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कौन-सी बिल्डिंग ?

श्री रघुवीर सिंह : परसाद । आप तो पधारे हैं वहां ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उसकी बिल्डिंग कौन-सी ?

श्री अध्यक्ष : पी.एच.सी. ।

श्री रघुवीर सिंह : पी एच सी. । पी. डब्ल्यू.डी. के अन्तर्गत ही चल रहा है काम । आठ–दस–ग्यारह लाख, पता नहीं कितने का काम है, साहब । छत डाली जो पूरी बिल्डिंग पर नहीं डाली है, आधी बिल्डिंग पर छत डाली है, आधी खुली है । परन्तु ताज्जुब की बात यह है कि उस बिल्डिंग पर छत डालने के बाद एक दिन भी तराई नहीं हुई है । एस.ई. साहब उदयपुर को भी मैंने निवेदन किया था, वे स्वयं भी प्रोग्राम बनाकर जाने के लिए कह रहे थे । विजिट करने के लिए, क्या स्वयं गये या नहीं गये ? इसको भी दिखवाएं, साहब । यह जनहित का मामला है ।

अब मैं मांग संख्या 27 की ओर पी. डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र थाणा एक गांव है वहां पेयजल की काफी समस्या है । वहां हैण्ड पम्प नहीं हैं और कुछ हैण्ड पम्प सूखे हैं । वहां लम्बे समय से यह मांग भी चल रही है और विभाग वालों ने भी सर्वे किया है वहां एक छोटा सा एनीकट बन जाये ताकि पानी का थोड़ा ठहराव हो जाये । उसी पानी को उपयोग में लेकर गांव वालों को पिलाया जा सकता है । थाणा में बहुत भारी समस्या रहती है, गर्मी में हमें गांव वालों के विरोध का सामना करना पड़ता है । गांव वालों को परेशानी हैं, आप वहां किसी तरह से पानी की व्यवस्था कराएं । थाणा पंचायत में ही पंचायत हैडक्वार्टर भी है, पंचायत में एक बण्डोली गांव हैं बण्डोली में हैण्ड पम्प सूखे रहते हैं । खारा पानी है तो या तो उसे पाइप लाइन से जोड़ें या किसी तरह उस गांव को भी दिखवाएं । एक ढाकरड़ा गांव है ग्राम पंचायत सगतड़ा में, वहां पानी का टैस्ट भी किया है और आइडेंटीफाइ भी हो गया है कि ढाकरड़ा गांव में फ्लोराइड है । उस गांव के कई सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो कुबड़े हो गये हैं । अभी हमारे पंचायत

(श्री रघुवीर सिंह)

हैडक्वार्टर या विकास मेला लगा था उस समय उस गांव में एक वकील साहब रहते हैं वे वकील साहब तीसेक बुड्ढों को इकट्ठा करके लाये थे। वे सारे लकड़ी के सहारे झुके हुए आये थे और सबके सामने कहा कि इनको कहीं और ले जाएं ये हमारे गांव में नहीं चाहिये। तो वहां भी दिखवाइये। दिखवाना क्या वहां विभाग के पास सारी व्यवस्थाएं भी हैं परन्तु विभाग न जाने क्यों काम नहीं करना चाह रहा है, यह वही जाने। आप इसको दिखवाइएं, साहब। सराड़ा पंचायत समिति हैडक्वार्टर है। वहां पानी की बड़ी गम्भीर समस्या रहती हैं। बोर कराके या कुई आदि की व्यवस्था कराके पानी की व्यवस्था कराएं। एक कुराड़िया गांव है वहां पर हैण्ड पम्प सूख गये है, बाकी एक–दो है वे खारे है। वहां नल योजना के लिये भी सर्वे हुये हैं। गांव वालों ने बहुत मेहनत की है, हमने भी कोशिश की है परन्तु गांव में नार्म्स लेकर आ जाते हैं कि नार्म्स के हिसाब से जनसंख्या बैठती नहीं है। कुराड़िया के पास में एक ढाणी है उसको सम्मिलित करके किसी तरह उस गांव को राहत दें। नार्म्स के हिसाब से देखना चाहेंगे तो लोग प्यासे मर जाएंगे। अगर नार्म्स के अन्तर्गत नहीं करते हैं तो पास में एक ढाणी है उसको भी जोड़कर आप पापुलेशन बैठाकर वहां कर सकते हैं।

रठौड़ा एक बहुत बड़ा गांव है पंचायत में, जहां के लिये हम बराबर पिछले समय से मांग करते रहे हैं परन्तु वहां भी कहीं रोड़ा अड़ रहा है कि नार्म्स के हिसाब से पापुलेशन नहीं बैठती है। अब तो मेरे ख्याल से 1991 की जनसंख्या के हिसाब से हो गयी होगी। उस गांव में पानी की बड़ी समस्या है। उसको दिखवाकर नल योजना का विस्तार करें या कुएं की व्यवस्था करके कैसे न कैसे करवाए।

श्री अध्यक्ष : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री रघुवीर सिंह : मैं तो पहली बार बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : चलो अच्छा है। दो मिनट में खतम कर लो अब आप।

श्री रघुवीर सिंह : अब आपने टोक ही दिया तो सिंचाई पर सीधा आ जाऊं।

श्री अध्यक्ष : जो तालाब बनाने हैं वे बता दो।

श्री रघुवीर सिंह : सर मांग संख्या 46 पर मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जयसमंद झील जो विश्व प्रसिद्ध मीठे जल की झील है, आप सबके ध्यान में है। उसके पानी के लिए जब स्टार्ट में योजना बनी होगी, कोई सैकड़ों एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए बनी होगी, पर अब तो हजारों–हजारों एकड़ भूमि में सिंचाई होती है। पानी की कमी रहती है उसमें पूरा भरता नहीं है। ऊपर से उस पानी को उदयपुर शहर को देने के लिये भी जोड़ दिया है। अब सराड़ा के किसान तो ताकते रह गये और पानी उधर जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, पीने के पानी के लिये सराड़ा के लोग इतने बड़े दिल के हैं कि हम ना भी नहीं करते। परन्तु हमारा निवेदन यह है कि जितना

(श्री रघुवीर सिंह)

पानी उधर जा रहा है उतना ही पानी उसमें ला सकते हैं, अगर विभाग मुस्तैदी से थोड़ा सर्वे करके देखे। जाखम बांध धरियावद में है वह भर जाता है और उसका ओवरफ्लो होता है, उस ओवरफ्लो को मोड़ कर अगर जयसमन्द में लाया जाए तो मेरे ख्याल से जयसमन्द हमेशा भर सकता है और उदयपुर जैसे दो उदयपुर को और पानी दे दें तो भी पानी की कमी नहीं आएगी। जो जयसमन्द की टेल है, सिंचाई में वह हिस्सा ही पानी से वंचित रहता है। अभी अमूमन यही देखा गया है कि पानी से वंचित रहते हैं पूरे एरिया में क्योंकि वहां पहाड़ी क्षेत्र होने से छोटी-छोटी जमीन है। थोड़ा बहुत पानी मिल जाए उससे लोगों को राहत मिलती है।

एक बहुत छोटी-सी योजना है जो महत्वपूर्ण भी है और कम खर्चे की भी है। चणा डेलबा एक एनीकट है, तालाब है, जो मैंने विभाग से दिखवाया भी है। सन् 1965 से लेकर पिछले साल तक तो वह हर साल बरसात के बाद ओवरफ्लो हुआ है। विभाग के नीचे के स्तर के अधिकारी पता नहीं क्या रिपोर्ट भेज दें परन्तु मैंने एक्स.ईएन. साहब के पास बैठकर बराबर आंकड़े देखे कि हर साल भर जाता है ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होकर वह पानी सीधा माही में होता हुआ समुद्र में चला जाता है, बीच में कोई टैंक नहीं पड़ता है। इस ओवरफ्लो को एक छोटी-सी पिकअप वियर की तरह नहर बना दें और उसको चावण्ड तालाब में डाल दिया जाए। एक किलोमटर की नहर बनी है मात्र, उसमें दिया जाए तो चावण्ड तालाब भर जाएगा, चावण्ड तालाब भर कर ओवरफ्लो होकर केजड़ तालाब भर जाएगा, केजड़ तालाब ओवरफ्लो होकर हरचंद तालाब भर जाएगा। तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में आधे नहीं तो कम से कम 30 प्रतिशत लोग बड़े सुखी भी होंगे, कुओं का जलस्तर भी ऊंचा आएगा और उस क्षेत्र के काफी लोगों को बेनिफिट होगा।

एक नठारा तालाब, कातनबाड़ा तालाब, बण्डेर तालाब, की स्कीम चल रही है कई साल से। तीन-चार सालों से सर्वे होकर तैयार होकर जयपुर तक फाइल आयी लेकिन जयपुर से वापस भिजवा दी कि 1991 की जनसंख्या के हिसाब से सर्वे करके भेजिएगा। विभाग ने वापस सर्वे कर के इन तीनों तालाबों के लिए स्कीम भेजी है किन्तु पता नहीं फाइल कहां पर पड़ी है। इन तीनों तालाबों को दिखवाएं और बनवाएं। बहुत अच्छी स्कीमें हैं, छोटी-छोटी स्कीमें हैं। ट्राइबल बैल्ट में ये काफी फ्रूटफुल हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या–क्या नाम है ?

श्री रघुवीर सिंह : कातनबाड़ा, नाठरवाला और बण्डेर तालाब। तीनों चार–पांच साल से लगातार प्रोसेस में हैं और बहुत बड़ी स्कीम नहीं हैं, छोटी-छोटी स्कीम हैं।

एक बाराई नदी पर एनीकट है जो पहली बरसात में भर कर ओवरफ्लो होकर उसका पानी माही में होते हुए सीधा समुद्र में चला जाता है। इस एनीकट को ज्यादा नहीं तो तीन–चार फीट ऊपर ले लिया जाए। ऊपर न तो कोई सरकारी जमीन

(श्री रघुवीर सिंह)

डूबती है न कोई घर है न कोई खेती की जमीन डूबती है। कुछ भी नहीं और पानी की आवक इस एनीकट की इतनी है कि नीचे के तीन-चार गांव और पी सकते हैं। पहले मैं विभाग के अधिकारियों को इस मौके पर ले भी गया हूं। इनके दिमाग में भी बैठी है। सम्बन्धित ए.ईएन. वगैरह को कहा कि इस माइनर स्कीम के लिए प्रपोजल बनाकर ले आएं परन्तु उसमें कोई प्रगति हुई नहीं है। तो, इसको दिखाइये, साहब।

ट्राइबल बैल्ट में विशेषकर सराड़ा की बात कहूं, पहाड़ी क्षेत्र है, छोटे-छोटे एनीकट, ज्यादा नहीं तो जमीन के ऊपर एक मीटर, दो मीटर जगह-जगह एनीकट बनवाएं तो जो पहाड़ियों से बह कर पानी सीधा समुद्र में चला जाता है वह पानी रुकेगा। सिंचाई के काम नहीं आएगा परन्तु कम से कम कुओं का जलस्तर ऊपर आएगा, हैण्ड पम्पों का जलस्तर ऊपर आएगा तो पीने के पानी की समस्या दूर होगी। इसी आशा के साथ आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता जी। श्री रामनारायण जी किसान। श्री ओम प्रकाश जी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-27, 19 एवं 46 पर मैं भी बूंदी जिले की ओर आपके माध्यम से पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वैसे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी ने और जलदाय मंत्री जी ने बूंदी जिले के लिये काफी पैसा दिया और वहां के विकास में बहुत अहम भूमिका निभायी, इसके लिये तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा परन्तु इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करूंगा कि जो सड़कें पुरानी बनी हुई हैं, जैसे सी.ए.डी. से बनी थीं या कृषि विभाग से बनायी गयीं वे सारी सड़कें खराब हो गयीं, खड्डे पड़ गये और उनकी स्थिति जर्जर है। मैं निवेदन करूंगा, कोटा से केपाटन रोड सींगता, इसी रोड से मेहराणा, इसी से तीरथ, इसी रोड से गामच, इसी से भवानीपुरा और इसी से देहित और यहां से बाजड वाया भैरूंदा और इसी के साथ ही तादड़ा से सादड़ी और मांदड़ी भी जुड़े हुए हैं। ये सड़कें और बूंदी से गरदड़ा सड़क, यहां पर खड्डे पड़े हुए हैं, वहां चलना भी मुश्किल हैं। ट्रैक्टर हैं अधिकतर, लेकिन चल नहीं सकते हैं। इसलिये पहले उनकी मरम्मत के लिये पैसा दिया जाए। इसी प्रकार बरूंदण चौराहे से सेंथड़ा वाया डोरा की स्थिति जर्जर है। यह सड़क इसलिये आवश्यक है, अध्यक्ष महोदय, कि डाबी बुधपुरा चलकर बूंदी आने के लिये कोटा होकर आना पड़ता है तो 30 किलोमीटर उसको ज्यादा चलना पड़ता है। जिसको जयपुर आना है उसको भी कोटा होकर आना पड़ेगा तो 30 किलोमीटर उसको ज्यादा चलना पड़ेगा। इस 30 किलोमीटर की बचत के लिये जैसा मैंने निवेदन किया, बरूंदण चौराहे से डोरा और सेंथड़ा रोड की मरम्मत होना अति आवश्यक है। इसी के साथ साथ, गरदड़ा से डाबी केवल 4 किलोमीटर का रास्ता रह गया। उसमें बार बार यह बात आती है कि वन विभाग में आती है। पहले इसके लिये पी.डब्ल्यू.डी.मंत्री जी ने और वन मंत्री जी ने बैठकर बात भी की थी। जहां पर पगडंडी होती है वहां किसी की इजाजत

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

लेने की जरूरत नहीं है और 4–5 किलोमीटर का टुकड़ा हैं, इससे बूंदी में आने के लिये, जयपुर आने के लिये 30 किलोमीटर का रास्ता बचेगा। इसको स्टेट हाईवे किया जाए क्योंकि सारा माइंस एरिया है और वहां से लगभग 300 ट्रकें रोज आती हैं।

इसी प्रकार कुछ सड़कें ऐसी हैं जो नीति में नहीं आती परन्तु जब हम लोग चुनाव में आये उस समय नीतियां नहीं थी। उस समय वहां पर लोगों ने निवेदन किया था तो आश्वासन देकर आये थे, चुनाव के बाद में आश्वासन दिये थे। जैसे नानकपुरिया है डेढ़ किलोमीटर सड़क है, कोठी रोड से रघुवीरपुरा माताजी का मन्दिर है रंगरान का, वह तीन किलोमीटर है। ये छोटी–मोटी सड़कें हैं इनको भी किया जाए। इसके साथ जब मंत्री महोदय संवासा पधारे थे तब आपने दो बातें वहां कहीं थी। संवास से सेकड़ी, इसके लिये आपने कहा था कि इसको शीघ्र ही पूरा किया जाए। वहां पर ग्रेवल रोड बनी हुई है उसको भी इसमें लिया जाए। इसके साथ ही 1981 के आधार पर दो हजार की आबादी वाले तालाबरदा गांव ग्रेवल रोड में नहीं लिया, उसको भी लिया जाए। 1991 की आबादी के आधार पर कुछ गांव हैं जैसे सांकड़दा है, जलोदी है इनको भी लिया जाए।

इसके साथ साथ मैं जलदाय मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अभी 4 हजार की आबादी से ऊपर के लिये बड़ी टंकी की बात की। बूंदी जिले में और खास तौर से खनिज एरिया जिसको बरड़ बोला जाता है, जहां 60 प्रतिशत आदिवासी और 20 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं वहां पीने का पानी नहीं है। वहां योजनाएं बन चुकी हैं, आज भी चार योजनाएं जयपुर में टी.एम. साहब की टेबल पर पड़ी हुई है। वे कहते हैं कि 10 स्कीम हमने मंजूर कर दीं। स्कीमें आपने मंजूर की होंगी परन्तु जो मेरा एरिया है, जहां पर आवश्यकता है वहां पर तो आपने किया नहीं है। धनेश्वर गांव जो पंचायत समिति भी है, राजपुरा, सूंथड़ा ये गांव ऐसे हैं जहां पर डेढ़ हजार से ऊपर की आबादी है, इसी प्रकार बुधपुरा, लाम्बाखोह ये ऐसे गांव हैं जहां पर 4 हजार से ऊपर की आबादी है परन्तु उनकी स्कीमें यहां पर पड़ी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन योजनाओं को शीघ्रताशीघ्र शुरू कराया जाए, स्वीकृति दी जाए।

इसके अलावा जैसे मैंने निवेदन किया, वह इलाका ऐसा है जहां गांव छोटे-छोटे हैं, आबादी कम है, दूरी बहुत है, पीने के पानी का बड़ा संकट है। गोवर्धनपुरा के बारे में 4 साल से लगातार निवेदन करता आ रहा हूं, वहां 400 फीट तक पानी नहीं मिला। इसी प्रकार बड़बू, आमथूण, रघुवीरपुरा कैथूदा ये 4-5गांव ऐसे हैं, जहां पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। वहां पर ऐसी योजनाएं बनायी जाए जिससे गांवों में पीने का पानी मिले और लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को फिर बधाई दूंगा कि बूंदी नगर के लिए आपने स्कीमें बनायी हैं, स्कीमें चालू भी हैं। परन्तु पर्याप्त रूप से पैसा वहां अब तक नहीं पहुंचा। अगर

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

पैसा समय पर नहीं मिलेगा तो कीमतें बढ़ेंगी और जनता को लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसको भी तत्काल प्रारम्भ कराया जाए।

मैं सिंचाई मंत्री महोदय का भी ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा। वैसे वे प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा परन्तु फिर भी उसमें कमी है। प्रयास से ही काम नहीं चलने वाला है, जब तक वहां काम नहीं होगा जनता नहीं मानेगी। अध्यक्ष महोदय, गरड़दा में बांध बनेगा। वहां पर तीन बार पहले शिलान्यास हो चुका है। शिवचरण जी माथुर मुख्य मंत्री थे वे शिलान्यास कर आये, एक मंत्री महोदय कर आये। वहां की जनता इस बात को नहीं मानती। वहां की जनता मानती है कि काम शुरू हो गया और काम पूरा होगा तब जनता मानेगी। आपने यहां पर दो बार घोषणा कर दी, आपने अधिकारी भी बिठाये, इसमें कोई शक नहीं है, वन विभाग से जमीन क्लियर भी हो गयी परन्तु इस बांध को शीघ्रताशीघ्र प्रारम्भ किया जाए। इसी प्रकार एक बोरगाखाल है। बोरगाखाल के बारे में भी मैं चार साल से निवेदन कर रहा हूं, इसकी भी तत्काल स्वीकृति दिलायी जाए। इसके साथ ही, वहां पर राजाओं के समय में जो एनीकट या छोटे बांध बनें थे अगर उनकी मरम्मत नहीं की गयी तो वे बांध सारे खराब हो जायेंगे, टूट जायेंगे। इसके बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया है [illegible] बरड़दा बांध है, बरड़दा बांध में [illegible] होकर पानी निकलता है। इसके लिये ऊपर एनीकट बनाना आवश्यक है।

एक, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय अगर विधान सभा में किसी बात का आश्वासन दें या घोषणा करे तो वह पूरी होनी चाहिए। परन्तु दुःख है कि अधिकारी ध्यान नहीं देते। मैं आपके बारे में निवेदन नहीं कर रहा हूं। जनजाति मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, आपने गोहड़ा पुल के बारे में मुझे 19 मार्च को इसी विधान सभा में आश्वासन दिया था। पत्र मेरे पास अभी भी है, मैं पढ़कर सुना सकता हूं लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं मानता। मंत्री महोदय खुद यहां विराजमान हैं, मैं चाहूंगा कि जो आपने आश्वासन दिया है उसको पूरा करें। इसके साथ ही मैं सी. ए. डी. के बारे में निवेदन करना चाहूंगा....

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस बांध की चर्चा कर रहे हैं उसका सर्वे करवा लिया गया है। शीघ्र ही वह सारी योजना सिंचाई मंत्री महोदय को प्रस्तुत की जाएगी ताकि राज्य मद से माडा क्षेत्र में जो पैसा ईयरमार्क होता है उससे यह मंजूरी कर सकें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं सी. ए. डी. के बारे में निवेदन कर रहा था। मेरे बूंदी जिले में माही मुख्य नहर आती है। एक [illegible] हैक्टेयर और पचास हजार हैक्टेयर से ऊपर जहां भी जमीन होती है

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

एक्स. ईएन. का आफिस वहां खोला जाता है। पाटन कार्पेट में जहां मर्जी हो एक कार्यालय खोला जाना अति आवश्यक है। इसके साथ ही अधिकारी वहां पर रहें, यह भी अति आवश्यक है। वहां जो अधिकारी आते हैं वे रात्रि को, शाम को वहां नहीं रहते। शनिवार को, इतवार को कोई रहता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। समाप्त करें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकारी वहां रहें। जो नहरें फूटी हुई हैं, खराब हो रही हैं उनकी मरम्मत करवायी जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहूंगा। पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री महोदय, जलदाय मंत्री महोदय दोनों बैठें हैं। जहां पर पाइप लाइन डालनी हो और वहीं पर सड़क बनानी हो तो पहले विचार कर लिया जाए कि पहले पाइप लाइन डाल दें और फिर सड़क बना दें। पर इसका मतलब यह नहीं कि साल भर लग जाए। क्योंकि पहले अगर सड़क बन जाएगी फिर सड़क खोदोगे, फिर पाइप लाइन आएगी तो सरकार का पैसा खर्च होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पाइप लाइन डालनी हो और सड़क बनानी हो तो पहले पाइप लाइन डाली जाए, दोनों विभाग बैठकर बात कर लें। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : वह सब कर लेंगे, बिराजें। श्री हीरालाल जी।

श्री हीरालाल बिश्नोई (सांचोर) : साहब, हीरालाल कई हैं यहां पर।

श्री अध्यक्ष : बिश्नोई जी।

श्री हीरालाल बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 19 और 27 पर जो चर्चा हो रही है उसमें सम्मिलित होते हुए मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे मेरे एरिये में मेरे साथ चले। जहां-जहां भी वे गये वहां एक भी स्कीम में पानी चालू नहीं था, क्या कारण था, यह भी मंत्री महोदय ही जानें। 4 महीने हो गये उस बात को, आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है? मैं आपके माध्यम से फिर मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। जालोर में भी आपने मीटिंग ली थी। आपके कार्यकर्ताओं ने, हमने, सब लोगों ने यह बात कही थी कि 1990 से लेकर आज 1997 तक कोई भी स्कीम स्वीकृत नहीं हुई। अगर कोई स्वीकृत हुई तो उसका काम एक भी नहीं हुआ। जो स्वीकृत हुई, हमने विधायक कोटे में से, एम. पी. कोटे में से जो स्वीकृतियां करवायीं थीं, उसके लिये आपके विभाग द्वारा जो पाइप लाइन खरीदी गयी थी वह इतनी घटिया स्कीम की पाइप थी कि लगाते ही टूट गयीं। आपने स्वयं ने वे बातें देखीं, पाइपें भी देखीं। मगर आज तक एक भी स्कीम की पाइप लाइन बदली नहीं गई। ऐसा दोहरा व्यवहार जब हमारे साथ हो रहा है....

(239)

श्री अध्यक्ष : आप तो सजेशन दीजिए कि ये–ये काम करवाइए। इतना दोहरा व्यवहार और इतना करेंगे जब तक तो लाइन छूट जाएगी।

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, स्वयं मंत्री महोदय वहां पधार कर देख कर आये और जिस-जिस स्कीम की इन्होंने हिदायत दी थी उसमें एक भी काम चालू नहीं हुआ तो फिर नयी क्या मांग करूं इनसे, आप बताइये। मैं तो यह चाहता हूं कि जो स्वीकृतियां इन्होंने पहले दी हैं उसका काम चालू करवाएं। आपके महकमे के द्वारा जो खराब पाइपें लगायी थीं उन पाइपों को बदला जाए। अब वही काम नहीं हो रहा है तो मैं आपसे क्या निवेदन करूं? सजेशन तो मैं आप कहें तो आपको बता देता हूं। एम. एल. ए. कोटे में जहां–जहां जो स्वीकृतियां हुई थीं, रतनपुरा से मेघवालों की ढाणी पिछले 4 साल से स्वीकृत है। जी. एल. आर. बन गया, पाइप लाइन डाल दी मगर वे पाइप खराब है। बावनला, विश्नोई व मेघवालों की ढाणी में भी यही स्थिति है। आमली साजन की ढाणी है, वहां भी यही स्थिति है। मीरपुरा काओं की ढाणी, सीसावा तरड़ी की ढाणी व मालियों की ढाणी डूरवा भीलों की ढाणी, सूराचन्द बलाइयों की ढाणी, लिहादरा विश्नोइयों की ढाणी, जितनी भी ढाणियों की स्कीमें थीं वहां जी. एल. आर. बना दिये, फर्जी पाइप डाल दिये। जब महकमे से पूछते हैं, एक्स. ईएन. से बात करते हैं कि ये पाइप खराब आ गये तो कहते हैं हमने आर्डर दिया हुआ है वे पाइप आएंगे जब हम पाइप बदलेंगे। मंत्री महोदय मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कब तक होगा? आखिर होगा या नहीं होगा, यह हमें जानकारी तो दीजिए। और होगा तो कब तक होगा?

दूसरी 2–3 बड़ी स्कीमें थी कि जिनके लिये पानी की असुविधा है उसकी समायोजना हो सके और दूर–दराज के गांवों में जहां नेड इलाकों में आप जाकर आये थे, पानी जा सके। इसके लिये जो स्कीमें बनी थीं वे स्वीकृत हुई या नहीं हुई, अभी तक तो हमारी जानकारी में कुछ आया नहीं है। अगर नहीं हुई हैं तो आप उसकी स्वीकृति कराएं। एक तो परावा और चितलवाना स्कीम थी और एक सूरावा से सांचोर वाया हाडेचा होते हुए टेल एण्ड तक पानी जाने की स्कीम थी कि अकोमोडेशन करके दूसरी स्कीम डालकर शहर, गांव और ढाणियों को अलग करेंगे। इन दो स्कीमों की आपने वहां पर चर्चा की थी और आपने आश्वासन भी दिया था। अब मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि वे स्कीमें स्वीकृत हुई? अगर हुई हैं तो उसका काम कब तक शुरू होगा? हाडेचा इतना बड़ा गांव है, हाडेचा में आपके महकमें की जो एस. आर. बनी हुई है वह एस. आर. पिछले पांच साल से खराब पड़ी है और डायरेक्ट रूरल एरिया को पानी जा रहा है। वह आपने भी देखा था कि डायरेक्ट पाइप लाइन में से उस छह गांव को पानी दे दिया। आगे के टेल एण्ड पर कहीं पानी जाता ही नहीं। आपने यह भी इंस्ट्रेक्शन किया था कि एस. आर. को जल्दी से जल्दी ठीक करवाएंगे। वह आज दिन तक ठीक नहीं हुई। मेरा निवेदन है कि उसको भी

(श्री हीरालाल विश्नोई)

जल्दी से जल्दी ठीक कराने की कृपा करें।

राजीव गांधी फाउंडेशन मिशन ढाणियों को जोड़ने वाली स्कीम थी। पूरे जिले में सब जगह स्कीमें जुड़ी हैं, ढाणियां जुड़ी हैं, सब जिलों में जुड़ी हैं, पूरे राजस्थान में यह काम हो रहा है मगर मेरे सांचोर में एक भी ढाणी स्कीम से नहीं जुड़ी। यह दोहरा व्यवहार क्यों करवा रहे हो? जितनी भी मेरी स्कीमें हैं, स्वयं आप देख कर आये थे, आप खुद दुःखी थे उस बात से कि पिछले 4–5 साल से कोई काम नहीं हुआ। वे काम कराने की कृपा करें जो आप देखकर आये हो। खेजड़ियाली और कोलियों की ढाणी का जी एल. आर. देखा था, वहां बीच की पाइप लाइन गायब थी। ऐसे जो आपके पुराने जी. एल. आर. बने हुए हैं उनको भी पाइप लाइन से जुड़ाने की कृपा करें। अगर स्कीम आपकी सेंक्शन हुई है, आप हाथ में कागज लिये बैठे हो, कुछ कहना चाहो तो मैं सुन लूं पहले। फिर मैं पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि मैं आपके साथ आपके इलाके में गया था और वास्तव में वहां जो स्थिति मैंने देखी थी उसके आधार पर कुछ निर्णय किये थे। दो बड़ी स्कीमें आपने मुझे बतायीं थीं जिसका जिक्र अभी आपने किया। वे दोनों स्कीमें बनकर आ गयीं। उसमें कुछ आब्जेक्शन रह गये हैं इसलिए हमने वापस भेजी हैं। दोनों स्कीमें — एक तो परवासा से चितलवाड़ा कोई है वह बन कर आ गयी। कुछ उसमें कमी रह गयी थी इसलिए उसको वापस भेज दिया। उसकी जांच होकर वह वापस आ जाएगी। दूसरी स्कीम सूराया से सांचोर है। ये दोनों स्कीमें बहुत बड़ी स्कीमें थीं, इतने कम समय में बनकर आ चुकीं अब हाथों से निकल कर। लेकिन कुछ उसमें टेक्नीकल बात रह गयी थी इसलिए मैंने भेजा है और मेरा विश्वास है कि उसमें जल्दी ही काम पूरा करा देंगे। ये दोनों बड़ी स्कीमें आपकी पूरी हो जाएंगी।

(20.00)

श्री हीरालाल विश्नोई : कब तक हो जाएंगी, साहब?

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सैकण्ड ठहरिये, आते ही जल्दी कर देंगे इसको। और आप यह कहते हो कि वहां कुछ भी नहीं हुआ, अभी यकायक तो मैं जानकारी नहीं दे सकता हूं लेकिन मैंने लगातार यह तो जानकारी की है कि मेरे जाने के बाद में कुछ काम हुए हैं क्या। मुझे बराबर यह सूचना मिली है कि कुछ काम तो हुआ है। और आपने भी एक बार यह स्वीकार किया था, कुछ तो हुआ है .... (व्यवधान) मैं आपको यह बता.... (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : आप बता दो ना, साहब।

एक–दो किलोमीटर पाइप लाइन

(श्री हीरालाल विश्नोई)

अकोमोडेशन की डाली थी, उसके बाद में आप जिन गांवों में जाकर आए थे आज आप जांच करा लें, एक भी जगह अभी तक पानी नहीं जा रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : सोमवार को बता दूंगा कि क्या काम हो गया है। यह तो आपको सोमवार को बता दूंगा कि क्या काम और हुआ है और वे दो स्कीमें आपकी बनकर आ रही हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई : यह कब तक हो जाएगा, साहब ?

श्री अध्यक्ष : वे स्कीम आएंगी और पास होंगी, तब होंगी। बिराजें, हो गयी बात आपकी।

श्री हीरालाल विश्नोई : बात होनी है, साहब, पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना है।

श्री अध्यक्ष : अब तो बंद कर दें आप।

श्री हीरालाल विश्नोई : इस सम्बन्ध में पी. डब्ल्यू. डी. मंत्रीजी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन्होंने भी विभाग द्वारा मेरे एरिये में काफी स्वीकृतियां तो दे दीं, 1994–95, 1995–96 में, मगर निवेदन यही है कि काम बहुत धीमी गति से हो रहा है। पिछले 3–4 साल में 8–10 किलोमीटर का डामरीकरण नहीं हुआ है। मंत्री महोदय, अगर हुआ है तो आप बता दें, नहीं तो मैं बता दूं।

आपकी जो स्वीकृतियां हुई पड़ी हैं उनका कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे कि वर्ष 1994–95 में पमाणा में खेड़ा स्वीकृत सड़क कार्य अधूरा पड़ा है, जण्हाबी से खेजड़वाली जो नहरी इलाके का गांव है, उसमें भी आबकारी स्वीकृति प्रदान है मगर काम शुरू नहीं हुआ है। सिबाना से चितलवाड़ा रिपेयरिंग के लिये आपके महकमे से 12 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे, आज दिन तक 3–4 साल में कोई काम नहीं हो रहा है। चितलवाड़ा से होती गांव की अधूरी सड़क जो कि आपके महकमे द्वारा 4 साल पहले स्वीकृत की गयी थी, एक किलोमीटर अधूरी पड़ी है, वह ऐसी की ऐसी है। आधे–सांचे गोमी हैडक्वार्टर, वहां पर भी पंचायत हैडक्वार्टर की स्कीम बनी हुई है, स्वीकृत है मगर वह कार्य भी बंद है। हेमागुढ़ा से इरादा का कार्य स्वीकृत है, मगर वह भी काम बंद है। सांचोर से भीनमाल सड़क पिछले 20 साल से बनी हुई है, उसमें जितने भी खड्डे पड़े हुए हैं वे रिपेयर कराने का कष्ट करें। रिहाजा से खेड़ा सड़क जो कि सांचोर से चलकर 25 किलोमीटर लम्बी सड़क है, मगर दो किलोमीटर लम्बी सड़क है, मगर दो किलोमीटर वह भी अधूरी पड़ी है। खेड़ा से देवड़ा जो कि रानीवाड़ा से जहाज जाने वाली सड़क है, 40 किलोमीटर लम्बी सड़क है लेकिन 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर जो बीच का टुकड़ा है वह इसलिए पड़ा है कि ठेकेदार लोग मिलीभगत करके नहीं बनाते कि इतनी लम्बी सड़क बन जाएगी तो आपकी एस. टी. लग जाएगी। इसलिए वे लोग ऐसी सड़कों को अटकाकर रखते हैं। अतः मैं आपके माध्यम से यह भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि खेड़ा से देवड़ा 5 किलोमीटर

(श्री हीरालाल विश्नोई)

सड़क का टुकड़ा बन जाता है तो 35 किलोमीटर लम्बी सड़क का लिंक बनता है।

सिंचाई विभाग मंत्रीजी का भी मैं थोड़ा–सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सन् 1990 की बाढ़ में जो एनीकट टूटे थे ..

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : एनीकट हमारा काम नहीं है।

श्री हीरालाल विश्नोई : एनीकट बांध तो सिंचाई में ही आता है, साहब। सिंचाई ही बांधते हैं आप लोग।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की थोड़ी जानकारी बढ़ाने के लिये मैं बता दूं कि एनीकट का काम सिंचाई विभाग का नहीं है, लेकिन स्पेशल स्कीम्स आर्गेनाइजेशन है, डी. आर. डी. ए. या अन्य किसी विभाग से हमें पैसा मिल जाता है तो हमारे अभियन्ता उसको बना देते हैं, हमारा विभाग बना देता है।

श्री हीरालाल विश्नोई : सिंचाई मंत्री जी, अगर आप यह कह रहे हो कि हमारे पास में नहीं आता है तो एक बड़ा डैम बनाना है, जिसके लिये पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया था, क्रोस बांध है। चितलवाड़ा-केरिया क्रोस बांध, लूणी नदी के ऊपर यह क्रोस बांध है, जिससे पूरे हमारे मेढ़ इलाके के अन्दर जब नदी में थोड़ा–सा भी पानी आता था तो उस पूरी नदी के एरिये में गेहूं होता था। मगर जब से वह बांध टूटा है अभी तक नहीं बंधा है। इसको आप पक्का बांध बनाइये। केरिया से चितलवाड़ा जो क्रोस बांध है, मैंने आपको 2–3 बार पहले लिखकर दिया था मगर उस पर आपके विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी या आपको कोई बड़ी स्कीम बनाकर भेज दी इसलिए आपके द्वारा स्वीकृत नहीं हुई। अगर वह स्वीकृत हो जाए तो हमारे एरिये में पानी की काफी राहत मिलेगी और जिस तरह हमारी लूणी नदी का फालतू पानी दरिये में चला जाता है वह पानी भी नहीं जाएगा इसलिए ये एनीकट बांध तो आप जरूर बंधाइये।

दूसरा, जो नर्मदा नहर की स्कीम आपके पास है ...

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें, माननीय।

श्री हीरालाल विश्नोई : इसके सम्बन्ध में तो आप दो राय हैं कि नहीं है, पहले भी आपने फरमाया था कि 1997–98 में आपकी स्कीम पूरी हो जाएगी। अभी तक जो हमारी नहर खुली है, उसमें बांधने का काम नहीं हुआ है। वहां की जो–जो स्कीम्स थीं, वे ऐसी–की–ऐसी अधूरी पड़ी हैं, ये कब तक पूरी हो जाएंगी? नर्मदा बांध वाली स्कीम है, उसके बारे में भी आपके द्वारा थोड़ी–सी बात बताई जाए। (व्यवधान) जिससे कि लोगों को उनका ज्ञान हो जाए।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही शुक्रवार; 12 सितम्बर, 1997 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 20.06 बजे शुक्रवार; दिनांक 12 सितम्बर, 1997 के 11.00 बजे तक लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 84 का विवरण)

क्र.सं.	पंचायत समिति	नाम सदस्य	पद	संस्था का नाम	शिकायत प्राप्त होने की तारीख	जांच की प्रगति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	छीपाबड़ोद	श्रीमती बिमला पाहरीया	सदस्य जिला परिषद बारां	बारां	16.1.97	शिकायत गलत पायी गयी	
2.	बारां	श्री हेमराज चौपदार	प्रधान	पं.स. बारां	21.2.97	मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास	
3.	छीपाबड़ोद	श्री हेमराज नागर	सदस्य प.स.	ग्राम प. छीपाबड़ोद	5.1.97	जांच राज्य सरकार के विचाराधीन	
4.	शाहाबाद	श्रीमती रामकली	सरपंच	,, शुभघार	25.6.96	अयोग्य घोषित (14.11.96)	
5.	छबड़ा	श्री लड्डू लाल	सरपंच	,, जैपला	28.6.96	अयोग्य घोषित (17.1.97)	
6.	बारां	श्री दीनदयाल	,,	,, कलमण्डा	28.6.96	,, (मा. उ. न्या., के निर्णयद्वारा)	
7.	शाहाबाद	श्रीमती गीताबाई	,,	,, देवरी	10.7.96	,, (14.1.96)	
8.	,,	श्रीमती सियाबाई	,,	,, कस्बानोनेरा	,,	,, (4.2.97)	
9.	बारां	श्री अशोक बागड़ी	,,	,, रटावद	29.8.96	मा. उ. न्यायालय का स्टे प्राप्त हुआ	
10.	शाहाबाद	श्री कल्याण	,,	,, बन्दोकड़ा	30.11.97	जांच विकास अधिकारी के पास है	
11.	किशनगढ़	श्री प्रहलाद मीणा	,,	,, पिपल्दाकला	18.12.96	अयोग्य घोषित (26.2.97)	

247

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	छीपाबड़ोद	श्री राधेश्याम आर्य	सरपंच	ग्राम प. रामगढ़	22.2.97	जांच विकास अधिकारी के पास वि.	
13.	अन्ता	श्रीमती कन्चनबाई	,,	,, काचरी	18.6.97	,, ,,	
14.	,,	श्री सुनील कुमार	,,	,, मटवाड़ा	20.2.97	,, ,,	
15.	छीपाबड़ोद	श्री नवलसिंह	उप सरपंच	,, काल्यजागीर	10.9.96	मा. उ. न्या. के निर्णय की अनुपालना	
16.	किशनगंज	श्री लक्ष्मी नारायण	,,	,, रानीबड़ोद	25.9.96	अयोग्य घोषित (25.4.97)	
17.	अन्ता	श्री रामसिंह	,,	,, उदयपुरिया	19.11.96	जांच वि.अ. के पास विचाराधीन	
18.	किशनगंज	श्री किशन गोपाल	,,	,, जलवाड़ा	12.1.97	,, ,,	
19.	किशनगंज	श्री राम दयाल	,,	ग्रा.प.मियाड़ा	20.1.97	जांच वि.अ. के पास विचाराधीन	
20.	अन्ता	श्री किशन गोपाल	,,	,, मटवाड़ा	20.2.97	,, ,,	
21.	,,	श्री राधा किशन	,,	,, बड़गांव	,,	,, ,,	
22.	शाहाबाद	श्री गुलाब चन्द	,,	,, झुमधारा	21.1.97	,, ,,	
23.	अन्ता	श्री बृज मोहन	,,	,, बमोरी	13.2.97	मा.उ.न्या. के निर्णय की पालना जांच स्थगित	
24.	छबड़ा	श्री सूरजमल	,,	,, तीतखेड़ी	27.2.97	,, ,,	
25.	शाहाबाद	श्री फूलचन्द	,,	,, खाडासहरोल	17.4.97	अयोग्य घोषित (रिट दायर)	
26.	अटरू	श्री कृष्ण मुरारी	,,	,, सकतपुरा	19.6.97	मा.उ.न्या. के निर्णय की पालना में जांच स्थगित	
27.	शाहाबाद	श्री शंकरलाल ओझा	पंच	,, राजपुरा	26.3.96	,, ,,	

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	अटरू	श्री बृज मोहन	पंच	ग्राम प. बमोरी	23.8.96	मा.उ.न्या. के निर्णय की पालना जांच स्थगित	
29.	,,	श्री चौथमल	,,	,,	,,	,, ,,	
30.	अन्ता	श्री महेन्द्र कुमार	,,	,, मिर्जापुर	13.9.96	,, ,,	
31.	किशनगंज	श्री बादाम बाई	,,	,, अजनावँर	19.9.96	,, ,,	
32.	छीपाबड़ोद	श्री द्वारका लाल माली	,,	,, ढोलम	15.10.96	,, ,,	
33.	,,	श्रीमती मरोस बाई	,,	,, कलमोदिया	28.10.96	अयोग्य घोषित (30.7.97)	
34.	छबड़ा	श्री प्रहलाद	,,	,, भीलवाड़ापीच	11.12.96	मा.उ.न्या. के निर्णय की अनुपालना में स्थगित	
35.	अन्ता	श्रीमती धापूबाई	,,	,, मोज्या खेड़ी	11.12.96	अयोग्य घोषित (30.7.97)	
36.	किशनगंज	श्री नन्दकिशोर	,,	,, मियाड़ा	20.1.97	जांच वि.अ. के पास विचाराधीन है।	
37.	,,	श्री बाबूलाल सहरिया	,,	,, मियाड़ा	,,	,,	
38.	बारां	श्री गणेश लाल मेघवाल	,,	,, मेलखेड़ी	,,	,,	
39.	बारां	श्री अमर लाल बैरवा	,,	,, सुन्दलक	,,	,,	
40.	अन्ता	श्री तेजमल सैनी	,,	,, सीसवाली	24.1.97	जांच वि.अ. के पास विचाराधीन है।	
41.	बारां	श्री भंवर लाल	,,	,, बोहत	5.2.97	,,	
42.	,,	श्री हजारी लाल	,,	,, ,,	,,	,,	
43.	अन्ता	श्री हेमराज सुमन	,,	,, बमोरीकला	,,	,,	

245

1	2	3	4	5	6	7	8
44.	अन्ता	श्रीमती राधा बाई	पंच	ग्राम पं. मदुवाड़ा	20.2.97	जांच वि.प्र. के पास विचाराधीन है।	
45.	,,	श्री गिरिराज सुमन	,,	,, बडगांव	,,	,,	
46.	,,	श्री बाबूलाल नायक	,,	,, ,,	,,	,,	
47.	,,	श्री रामेश्वर लोदा	,,	,, ,,	,,	,,	
48.	,,	श्री चौथमल	,,	,, बमोरी	13.2.97	मा.उ.न्या. के निर्णय की पालना में जांच स्थगित	
49.	अटरू	श्रीमती ललिताबाई	,,	,, कवाई	,,	,,	,,
50.	,,	श्रीमती सुरजाबाई	,,	,, केरवालिया	,,	,,	,,
51.	अटरू	श्री गिरराज नागर	,,	,, खुरी	22.2.97	,,	,,
52.	छबड़ा	श्री रामस्वरूप	,,	,, जैपला	,,	,,	,,
53.	,,	श्री बाल चन्द	,,	,, ,,	,,	,,	,,
54.	,,	श्री प्रभु लाल	,,	,, ,,	,,	,,	,,
55.	,,	श्री हंस राज	,,	,, ,,	,,	,,	,,
56.	शाहाबाद	श्री तेज भान	,,	,, खाकासहरोल	17.4.97	अयोग्य घोषित (12.5.97)	
57.	,,	श्रीमती गब्बो बाई	,,	,, ,,	,,	शिकायत असत्य पायी गयी।	
58.	,,	श्री महावीर	,,	,, ,,	9.5.97	जांच वि.प्र. के पास विचाराधीन है।	
59.	अटरू	श्री गीता बाई	,,	,, दड़ा	15.5.97	मा.उ.न्या. के निर्णय की पालना में जांच स्थगित	

1	2	3	4	5	6	7	8
60.	शाहाबाद	श्रीमती फूलिया बाई	पंच	ग्रा.प. गदरेटा	17.5.97	जांच वि.स. के पास विचाराधीन है ।	
61.	शाहाबाद	श्रीमती सोमतिया बाई	,,	,, केलवाड़ा	17.5.97	,, ,,	
62.	छबड़ा	श्री मांगी लाल	,,	,, भूलोन	12.6.97	मा.उ.न्या. के निर्णय की पालना में जांच स्थगित	
63.	अटरू	श्री राम दयाल	,,	,, पटना	,,	,, ,,	
64.	छीपाबड़ोद	श्री लाल नागर	,,	,, गोरधनपुरा	,,	,, ,,	
65.	अटरू	श्री सत्य नारायण	,,	,, बडोरा	11.6.97	,, ,,	
66.	,,	श्री राम चरण	,,	,, ,,	,,	,, ,,	
67.	,,	श्री राजाराम मीणा	,,	,, ननावता	19.6.97	,, ,,	
68.	छीपाबड़ोद	श्रीमती सुल्तान बाई	,,	,, गोरधनपुरा	18.6.97	,, ,,	
69.	शाहाबाद	श्रीमती श्यामा	,,	,, केलवाड़ा	22.5.97	,, ,,	
70.	अन्ता	श्री मोहन लाल	,,	,, पलायथा	13.6.97	,, ,,	

247

(२४८)

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 3 की सूची)

परिशिष्ट–2

जल भराव के कारण प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

क्र. सं.	चक नाम	सीसीए (है.)	जल भराव से प्रभावित क्षेत्र (है.)
1	2	3	4
1.	2 आर. डब्ल्यू. बी.	252.37	126.00
2.	3 आर. डब्ल्यू. बी.	82.00	62.00
3.	4 आर. डब्ल्यू. बी.	113.22	80.00
4.	5 आर. डब्ल्यू. बी.	124.65	82.00
5.	6 आर. डब्ल्यू. बी.	141.61	49.00
6.	1 आर. डब्ल्यू. बी.	150.18	37.00
7.	2 आर. डब्ल्यू. बी.	112.24	28.00
8.	3 आर. डब्ल्यू. बी.	192.75	59.00
9.	4 आर. डब्ल्यू. बी.	143.98	29.00
10.	5 आर. डब्ल्यू. बी.	149.40	33.00
11.	6 आर. डब्ल्यू. बी.	123.85	48.00
12.	1 डी. बी. एल. के.	155.82	12.00
13.	2 डी. बी. एल. के.	104.00	25.00
14.	3 डी. बी. एल. के.	127.32	88.00
15.	4 डी. बी. एल. के.	94.02	45.00
16.	5 डी. बी. एल. के.	153.95	92.00
17.	6 डी. बी. एल. के.	42.86	32.60
18.	7 डी. बी. एल. के.	132.55	24.00
19.	8 डी. बी. एल. के.	96.75	40.00
20.	9 डी. बी. एल. के.	159.79	130.00
21.	11 डी. बी. एल. के.	75.00	61.00

1	2	3	4
22.	12 डी. बी. एल. के.	182.20	128.00
23.	13 डी. बी. एल. के.	98.66	46.00
24.	14 डी. बी. एल. के.	184.08	54.00
25.	1 ए. जी.	128 70	17.00
26.	2 ए. जी.	91.99	22.00
27.	3 ए. जी.	139.56	43.00
28.	4 ए. जी.	97.88	31.00
29.	5 ए. जी.	155.20	63.00
30.	6 ए. जी.	171.16	67.00
31.	7 ए. जी.	157.56	49.00
32.	11 ए. जी.	159.52	96.00
33.	12 ए. जी.	204.11	81.60
34.	15 ए. जी.	137.60	28.00
35.	18 ए. जी.	179.79	29.00
36.	19 ए. जी.	53.36	13.00
37.	20 ए. जी.	166.32	10.00
38.	21 ए. जी.	114.66	88.00
39.	1 एम. जेड. डब्ल्यू.	138.00	45.00
40.	2 एम. जेड. डब्ल्यू.	140.69	71.00
41.	3 एम. जेड. डब्ल्यू.	99.21	80.00
42.	4 एम. जेड. डब्ल्यू.	161.73	65.00
43.	5 एम. जेड. डब्ल्यू.	219.91	88.00
44.	6 एम. जेड. डब्ल्यू.	164.80	59.00
45.	7 एम. जेड. डब्ल्यू.	207.22	163.00
46.	8 एम. जेड. डब्ल्यू.	123.88	47.00
47.	1 एम. जेड. डब्ल्यू. एस. एम.	157.66	120.00
48.	2 एम. जेड. डब्ल्यू. एस. एम.	124 50	62.00

1	2	3	4
49.	3 एम. जेड. डब्ल्यू. एस. एम.	143.03	103.00
50.	डी. ओ. आर. डी. 11–12 (आर) ऑफ आई जी एम एन (2–एम एस. टी. एस. एम.)	204.45	104.00
51.	डी. ओ. आर. डी. 24 (एल)	199.13	76.00
52.	डी. ओ. आर. डी. 34 (एल)	77.43	24.00
53.	डी. ओ. आर. डी. 41 (एल)	408.76	85.00
54.	1 एन. डी. आर.	132.00	112.00
55.	2 एन. डी. आर.	126.00	39.00
56.	3 एन. डी. आर.	107.00	43.00
57.	4 एन. डी. आर.	208.00	59.00
58.	8 एन. डी. आर.	130.12	17.00
59.	9 एन. डी. आर.	159.56	24.00
60.	10 एन. डी. आर.	103.95	8.00
61.	1 एम. एस. टी.	97.00	24.00
62.	2 एम. एस. टी.	112.00	35.00
63.	4 एम. एस. टी.	158.00	47.00
64.	5 एम. एस. टी.	69.45	18.00
65.	1 एम. एस. टी. एस. एम.	76.00	56.00
66.	3 एम. एस. टी. एस. एम.	95.00	95.00
67.	4 एम. एस. टी. एस. एम.	152.00	69.00
68.	3 एल. के.	चक समाप्त	चक समाप्त
69.	5 एम. डब्ल्यू. एम. (ए)	186.21	32.00
70.	5 एम. डब्ल्यू. एम. (बी)	218.38	40.00
71.	12 आर. पी.	160.01	17.00
72.	14 आर. पी.	चक समाप्त	चक समाप्त
73.	15 आर. पी.	312.10	37.00
74.	6 बी. पी. एस. एम.	136.24	26.00

1	2	3	4
75.	1 के. डब्ल्यू. डी.	63.96	29.00
76.	3 के. डब्ल्यू. डी.	217.40	120.00
77.	4 के. डब्ल्यू. डी.	253.85	48.00
78.	5 के. डब्ल्यू. डी.	201.62	52.00
79.	4 के. डब्ल्यू. एम.	171.85	47.00
80.	5 के. डब्ल्यू. एम.	154.82	38.00
81.	6 के. डब्ल्यू. एम.	160.24	12.00
82.	डी. ओ.–644 (एल)	360.32	58.00
83.	डी. ओ.–650 (एल)	324.41	82.00
84.	डी. ओ.–644 (ग्रार)	150.20	47.00
85.	डी. ओ.-645 (ग्रार)	323.07	75.00
86.	डी. ओ.–651 (ग्रार)	445.50	84.00
87.	डी. ओ.–654 (ग्रार)	319.92	90.00
88.	डी. ओ.–659 (ग्रार)	519.43	78.00
89.	6 जेड. डब्ल्यू. डी. (ए)	92.00	92.00
90.	6 जेड. डब्ल्यू. डी. (बी)	106.00	106.00
91.	7 जेड. डब्ल्यू. डी.	114.00	104.00
92.	8 जेड. डब्ल्यू. डी.	175.00	170.00
93.	9 जेड. डब्ल्यू. डी.	140.00	135.00
94.	10 जेड. डब्ल्यू. डी.	99.00	92.00
95.	11 जेड. डब्ल्यू. डी.	173.00	125.00
96.	12 जेड. डब्ल्यू. डी.	152.00	130.00
97.	13 जेड. डब्ल्यू. डी.	152.00	100.00
98.	14 जेड. डब्ल्यू. डी.	138.00	130.00
99.	15 जेड. डब्ल्यू. डी.	156.00	140.00
100.	16 जेड. डब्ल्यू. डी.	119.00	112.00
101.	17 जेड. डब्ल्यू. डी.	169.00	153.00
102.	18 जेड. डब्ल्यू. डी.	183.00	168.00

1	2	3	4
103.	3 जेड. डब्ल्यू डी.	98.00	85.00
104.	4 जेड. डब्ल्यू. डी.	166.00	120.00
105.	5 जेड. डब्ल्यू. डी.	171.00	165.00
106.	2 एन. एम.	152.00	4.00
107.	3 एल. बी. एम.	186.00	105.00
108.	4 एल. बी. एम.	28.00	6.00
109.	आर. डी.–51000	42.00	5.00
110.	आर. डी.–54000	79.00	6.00
111.	आर. डी.–57000	229.00	10 00
112.	आर. डी.–71–75000	185.00	25.00
113.	6 एस. टी. बी.	243.00	20.00
114.	7 एस. टी. बी.	148.00	5.00
115.	8 एस. टी. बी.	172.00	5.00
116.	9 एस. टी. बी.	180.00	20.00
117.	10 एस. टी. बी.	234.10	10.00
118.	12 एस. टी. बी.	214.00	8.00
119.	2 एस. टी. बी.	104.00	45.00
120.	4 एस. पी. डी. 'बी'	194.00	25.00
121.	5 एस. पी. डी. 'ए'	133.00	15.00
122.	5 एस. पी. डी. 'बी'	160.00	40.00
123.	6 एस. पी. डी. 'ए'	126.00	15.00
124.	10 एस. पी. डी.	173.00	5.00
125.	11 एस. पी. डी. 'ए'	160.00	3.00
126.	12 एस. पी. डी.	199.00	15.00
127.	13 एस. पी. डी. 'ए'	160.00	38.00
128.	13 एस. पी. डी. 'बी'	144.00	40.00
129.	16 एस. पी. डी.	95.00	46.00
130.	16 एस. पी. डी. 'ए'	81.00	3.00

1	2	3	4
131.	17 एस. पी. डी.	173.00	38.00
132.	19 एस. पी. डी.	179.00	45.00
133.	20 एस. पी. डी.	153.00	31.00
134.	3 बी. एच. एम.	302.00	20.00
135.	4 बी. एच. एम.	135.00	30.00
136.	5 बी. एच. एम.	130.00	40.00
137.	6 बी. एच. एम.	143.00	10.00
138.	1 बी. ग्रार. पी.	126.00	17.00
139.	3 बी. आर. पी. 'बी'	185.35	11.00
140.	1 बी. ग्रार. पी. 'ए'	193.45	36.00
141.	4 बी. ग्रार. पी. 'ए'	155.00	51.00
142.	4 बी. ग्रार. पी. 'बी'	169.57	26.00
143.	5 बी. ग्रार. पी. 'ए'	145.29	105.00
144.	5 बी. ग्रार. पी. 'बी'	136.00	136.00
145.	6 बी. ग्रार. पी.	305.14	276.14
146.	1 जेड. डब्ल्यू. डी.	173.00	116.00
147.	1 जेड. डब्ल्यू. डी. 'ए'	92.00	60.00
148.	2 जेड. डब्ल्यू. डी.	124.00	20.00
149.	2 जेड. डब्ल्यू. डी. 'ए'	190.00	20.00
150.	1 एस. पी. डी.	165.00	31.18
151.	2 एस. पी. डी.	153.00	31.18
152.	3 एस. पी. डी.	44.00	10.00
153.	4 एस. पी. डी. 'ए'	172.00	160.00
154.	1 के. एल. एम.	166.00	140.00
155.	2 के. एल. एम.	102.00	150.00
156.	2 के. बी. एम.	125.00	125.00
157	3 जेड. डब्ल्यू. डी.	98.00	7.27
158.	4 जेड. डब्ल्यू. डी.	166.00	18.85

1	2	3	4
159.	5 जेड. डब्ल्यू. डी.	171.00	169.25
160.	6 जेड. डब्ल्यू. डी. 'ए'	92.00	49.59
161.	6 जेड. डब्ल्यू. डी. 'बी'	106.00	28.34
162.	7 जेड. डब्ल्यू. डी.	114.00	57.18
163.	8 जेड. डब्ल्यू. डी.	175.00	105.50
164.	9 जेड. डब्ल्यू. डी.	140.00	81.39
165.	10 जेड. डब्ल्यू. डी.	99.00	70.42
166.	11 जेड. डब्ल्यू. डी.	173.00	88.55
167.	12 जेड. डब्ल्यू. डी.	152.00	45.03
168.	13 जेड. डब्ल्यू. डी.	152.00	21.00
169.	14 जेड. डब्ल्यू. डी.	138.00	57.68
170.	15 जेड. डब्ल्यू. डी.	156.00	94.88
171.	16 जेड. डब्ल्यू. डी.	119.00	37.95
172.	17 जेड. डब्ल्यू. डी.	150.00	88.55
173.	18 जेड. डब्ल्यू. डी.	183.00	75.90
174.	1 के. ए. एल. एम.	166.00	14.17
175.	2 के. ए. एल. एम.	102.00	20.75
176.	3 के. ए. एल. एम.	143.00	14.67
177.	3 एल. बी. एम.	186.00	99.94
178.	4 एल. बी. एम.	28.00	152.00
179.	4 बी. आर. पी. 'ए'	155.00	23.00
180.	1 बी. आर. पी. 'ए'	194.00	66.00
181.	4 बी. आर. पी. 'बी'	170.00	81.00
182.	5 बी. आर. पी. 'ए'	145.00	122.00
183.	5 बी. आर. पी. 'बी'	136.00	171.00
184.	6 बी. आर. पी.	305.00	291.00
185.	2 एन. एम.	152.00	9.00
186.	2 के. एच. बी. एम.	195.00	28.08

1	2	3	4
187.	1 एस. पी. डी.	165.00	31.18
188.	2 एस. पी. डी.	165.00	12.40
189.	4 एस. पी. डी. 'ए'	172.00	1.52
190.	9 एस. पी. डी. 'ए'	113.00	23.28
191.	9 एस, पी. डी. 'बी'	173.00	14.86

परिशिष्ट 'ख'

सेम से प्रभावित गांवों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	क्र. सं.	गांव का नाम
1.	किशनपुरा	15.	गन्धेली
2.	बांरीका	16.	दसुवाली
3.	रंगमहल	17.	डबलीखुर्द
4.	मानकथेडी	18.	डबलीकलां
5.	बडोपाल	19.	लूनियों की ढाणी
6.	जाखडावाली	20.	सिलवाला
7.	भैरूसरी	21.	मैहरवाला
8.	कल्लालों की ढाणी	22.	11/12 एस. एल. डब्ल्यू.
9.	कुम्हारों वाली ढाणी	23.	5 जी. जी. आर.
10.	खैतावाली	24.	मीर्जावाली
11.	लखूवाली	25.	मोहनमगरियां
12.	रावतसर	26.	मैनावाली
13.	जोरावरपुरा	27.	खेडासरी
14.	13/15 एस. पी. डी.		

(256)

परिशिष्ट–3

(तारांकित प्रश्न संख्या 85 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

विभिन्न निजी कंपनियों के साथ किए गए विद्युत क्रय अनुबंध का विवरण

क्र.	उत्पादक कंपनी का नाम	स्थान	क्षमता (मेगावाट में)	अनुमानित लागत (करोड़ में)	ईंधन
1	2	3	4	5	6
1.	सनसोर्स (इंडिया) लि.	जिला बाड़मेर	50	397	(सोलर)
2.	एमको/एनरॉन सोलर पावर डेव.	जिला जैसलमेर	50	400	(सोलर)
3.	इन्डो-कॉल पावर वेंन्चर	ग्राम कनकानी जिला जोधपुर	100	350	नेफ्था
4.	आर.पी.जी.-धौलपुर पावर कम्पनी लि.	धौलपुर	700	2067	,,
5.	जोधपुर इलैक्ट्रिक पावर कम्पनी लि.	जोधपुर	2×75	340	एल.एस.एच. एस/एफ.ओ.
6.	वर्धन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	आबूरोड (सिरोही)	100	330	नेफ्था
7.	भिवाड़ी पावर कंपनी लि.	ग्राम साराखुर्द (अलवर)	50	165	,,
8.	भिवाड़ी जनरेशन लि.	ग्राम साराखुर्द (अलवर)	100	330	,,
9.	पोयषा पावर प्रोजेक्ट्स लि.	बारां	140	315	,,
10.	ग्लोबल बोईस लि.	केशोरायपाटन (बूंदी)	166	400	,,
11.	जोधपुर इलैक्ट्रिक पावर कम्पनी लि.	भरतपुर या बांसवाड़ा	2×75	340	एल.एस.एच. एस/एफ.ओ.
12.	डी.एल.एफ. पावर लि.	सवाईमाधोपुर उदयपुर, झालावाड़ तीन स्थान	3×100	390	,,

1	2	3	4	5	6
13.	पाँयशा पावर जनरेशन लि.	अलवर	140	315	नेफ्था
14.	यूरो पावर कन्सो. इंडिया लि.	चित्तौड़गढ़/ हनुमानगढ़/	(2 × 50) 5 स्थान		,,
15.	भगत पावर लि.	केशोरायपाटन (बूंदी)	100	380	नेफ्था
16.	पीराज पावर जनरेशन प्रा. लि.	हनुमानगढ़	150	400	,,
17.	चित्तौड़गढ़ पावर प्रा. लि.	चित्तौड़गढ़	100	330	,,
18.	भीलवाड़ा पावर प्रा. लि.	भीलवाड़ा	100	330	,,
19.	उदयपुर पावर प्रा. लि.	उदयपुर	100	330	,,
20.	राजसमंद पावर प्रा.लि.	राजसमंद	100	330	,,
21.	बांसवाड़ा पावर प्रा.लि.	बांसवाड़ा	100	330	,,
22.	हिन्दुस्तान विद्युत कारपोरेशन लि.	बरसिंगसर	2 × 250	2468	लिग्नाइट

परिशिष्ट-"ब"

वर्षवार 1995-96 व 1996-97 का स्रोतवार विद्युत (दर) खरीद का विवरण

क्र.सं.	स्रोत	1995-96 दर प्रति यूनिट (पैसों में)	1996-97 दर प्रति यूनिट (पैसों में)
1	2	3	4
(अ)	एन. टी. पी. सी.		
1.	सिंगरौली (एस. टी.)	77.88	87.62
2.	रिहन्द (एस. टी. पी. एस.)	120.44	130.60
3.	वेस्टन ग्रिड	66.21	73.88

1	2	3	4
4.	अन्ता (जी. टी. पी. एस.)	116.10	112.56
5.	औरया (एस. टी. पी. एस.)	120.41	124.44
6.	दादरी (टी. पी. एस.)	169-12	183.89
7.	दादरी (जी. टी. पी. एस.)	110.23	123.68
8.	उनचाहर (टी. पी. एस.)	150.77	161.42
(ब)	**न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन**		
1.	राज. परमाणु ऊर्जा स्टेशन	0.0 ×	0.0
2.	नरोरा पावर परियोजना	149.31	152.88
(स)	**एन. एच. पी. सी.**		
1.	तकनपुर	124.74	129.[illegible]
2.	सलाल	0.0 ×	71.83
3.	चमेरा	167.17	198.63
(द)	पड़ोसी राज्य	111.64	158.07
(न)	आर. एफ. एफ.	64.40	65.88

टिप्पणी :—

1. दरों में प्रसारण मूल्य की राशि भी शामिल है ।
2. 1996–97 की दरें प्रोविजनल आधार पर है ।
3. × बिजली नहीं मिली/उपलब्ध नहीं थी ।

परिशिष्ट–4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

प्रश्न संख्या 86

(स्थगित)

विदेशी कम्पनियों द्वारा राज्य में स्थापित उद्योग

87. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द): क्या उप मुख्य (उद्योग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कितने उद्योग (एम. एन. सी.) विदेशी कम्पनियों द्वारा स्थापित किये गये हैं ? विगत पांच वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उद्योग निजी क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों द्वारा कहां–कहां कितनी-कितनी लागत के लगाये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) चालू वर्ष और अगले वर्ष में निजी क्षेत्र में कितने उद्योग विदेशी अनिवासी भारतीयों या अन्य द्वारा कितनी राशि के लगाये जाने प्रस्तावित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्वेक्षण के आधार पर उपलब्ध सूचना के अनुसार गत 5 वर्षों में विदेशी कम्पनियों के सहयोग से देशी कम्पनियों द्वारा राज्य में स्थापित उद्योगों का विवरण परिशिष्ट–अ सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) निजी क्षेत्र में उक्त 48 स्थापित उद्योगों का कुल अनुमानित विनियोजन 1,28,733.05 लाख रुपये का है, जिसमें से 12,285.35 लाख रुपये विदेशी मुद्रा में विनियोजन प्रस्तावित है। इसका विवरण परिशिष्ट–अ में उल्लेख कर दिया गया है।

(3) उपलब्ध सूचना के आधार पर चालू वर्ष और अगले वर्षों में 12 उद्योग विदेशी कम्पनियों के सहयोग से 169860 लाख रुपये के विनियोजन से तथा अन्य द्वारा 244370 लाख रुपये के विनियोजन से 8378 उद्योग लगने की सम्भावना है। विवरण परिशिष्ट–ब सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(260)

परिशिष्ट—"म"

पिछले पांच वर्षों में स्थापित राज्य में विदेशी पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाइयां

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	उत्पाद	अनु. विदेशी इक्विटी	अनु. परियोजना लागत	देश का नाम
1.	M/s. अहिंसा माइन्सएण्ड मिनरलस् लिमिटेड, बगरू, जयपुर	पॉलिश्ड् ग्रेनाइट स्लेब	300.00	4210.00	इटली
2.	,,आकाश इंडिया प्रा.लि. भिवाड़ी, अलवर	ऑप्टीकल फाई-बर केबिल्स	23.00	2000.00	स्वीजरलैण्ड
3.	,,अम्बे स्नाइड आक्साइड लि. इण्डस्ट्रीयल एरिया भिवाड़ी अलवर	सेरेमिक कलरस	203.4	678.00	यू.के
4.	,,अम्बुजा इण्डिया लि. भिवाड़ी, अलवर	कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रीप्स	525.00	1575	स्पेन
5.	,,एशियन केन लि. उदयपुर राजस्थान	एल्यूमिनियम कैन्स् एण्ड कांटेनर्स	588.22	12500.00	यू.के
6.	,,भगवती गैसेस लि. झुन्झुनूं, राजस्थान	इण्डस्ट्रीयल आक्सीजन नाइट्रोजन	500.00	2500.00	फिलीपीन्स्
7.	,,भीलवाड़ा सिन्थैटिक लि. 26, इण्डस्ट्रीयल एरिया भीलवाड़ा, राज.	वूलन, वर्सटड ब्लेन्डेड फैबरिक्स	260.00	3038.00	जर्मनी
8.	,,बांश एण्ड लाम्ब इंडिया लि. भिवाड़ी अलवर	कान्टैक्ट लैन्स एण्ड सन ग्लासेस	100.00	2900.00	यू.एस.ए
9.	,,ब्रिटिश हैल्थ प्रोडक्ट्स इंडिया लि. भिवाड़ी	न्यूट्रीटियोनल सप्लीमैन्ट्स हैल्थ प्रोडक्ट्स	54.62	136.55	यू.के
10.	,,चौक्सी मल्टीमोठरस् प्रा.लि. उदयपुर	इलैक्ट्रकल्स इक्यूकमैन्ट्स	140.00	350.00	जर्मनी

1	2	3	4	5	6
11.	M/s.क्लाईमेट सिस्टमस् इंडिया लि. भिवाड़ी	एल्यूमिनियम रेडीटर	180.00	400.00	यू.एस.ए
12.	,,कान्टीनेन्टल ब्रेक्स लि. भिवाड़ी	ब्रेक डिस्क	68.00	6575.00	यू.के
13.	,,डिमेक्स ग्रेनाइट्स अलवर	पालिश्ड् ग्रेनाइट्स स्लेब्स	148.50	495.00	इटली
14.	,,एरिक्सन इंडिया लि. कूक्रस, जयपुर	टेलीफोन इक्यूपमैन्ट्स	2500.00	13000.00	स्वीडन
15.	,,फ्यूटैक्स स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. पाली राज.	प्रीसीशन स्टील ट्यूब्स	80.00	100.00	ताईवान
16.	जीन्स ओवरसीज इलैक्ट्रोनिक्स लि. जयपुर	हाईब्रेड माइक्रो सर्किट	197.00	1580.00	जर्मनी
17.	,,गोविन्द रबर लि. भिवाड़ी, अलवर	साइकिल टायर ट्यूब	945.70	2702.00	ताईवान
18.	एच.ई.जी लि. भीलवाड़ा	कैप्टिन वैस्ट्स हीट रिकवरी प्लान्टस	126.20	25250.00	ताईवान
19.	,,हिरीटेज रीसोर्ट, अलवर	होटल	459.00	2500.00	हांगकांग
20.	,,इंडिया रबर लि. भिवाड़ी, अलवर	ट्रीड मैटीरियल्स	323.00	852.00	यू.एस.ए
21.	इंडियन शैविंग प्रोडक्ट्स लि. भिवाड़ी, अलवर	सैफ्टी रैजर ब्लैड	193.18	1425.00	,,
22.	इटैलियन ज्वेलरी मैन्यूफैक्चरिंग क. लि. जयपुर	प्रीसियस एण्ड सेमी-प्रोडक्ट्स स्टोन्स.	95.00	200.00	इटली
23.	,,के.जी. पैट्रो कैमीकल्स् प्रा.लि. जयपुर	HDPE/PP वूवन फैबरिक्स एण्ड सैक्स	150.00	400.00	जर्मनी

1	2	3	4	5	6
24.	M/s.महाराजा इण्टर-नेशनल लि. अलवर	मैन्यूफेक्चरिंग रैफिजरेटरस् एण्ड वाशिंग मशीन	755.00	1500.00	स्वीडन
25.	,,माडर्न इन्स्यूलेटर्स लि. सिरोही	इन्स्यूलेटर्स	141.70	1596.00	जर्मनी
26.	,,पैसिफिक ग्रेनाइटस लि. उदयपुर	पालिशड् ग्रेनाइटस स्लांब	200.00	1071.00	यू.एस.ए
27.	,,पोद्दार पिगमैन्टस सीतापुरा जयपुर	मास्टर बैचेसस	493.00	1975.00	रिपब्लिक
28.	,,पोलर मार्मो लि. उदयपुर	मारबल स्लाब	21.00	1072.00	इटली
29.	,,पुलसूमी इंडिया लि, बनीपार्क, जयपुर	लो वोल्टेज फारमर्स	147.12	1700.00	जापान
30.	,,राज. पालीमर्स & रैजिन्स लि. आबू रोड	पी.वी.सी. रैजिन्स	75.00	7300.00	रशिया
31.	,,राठी ग्राफिक टैक्नो-लोजी टैक्नोलोजीकल्स लि. भिवाड़ी	डवलपर्स एण्ड टोनर्स	40.00	1430.00	यू.एस.ए.
32.	,,रविन्द्रा प्लीटिनियम प्रा.लि. उदयपुर	कैमीकल्स	117.50	587.50	जर्मनी
33.	,,रोयल इंडिया ज्वैलरी क्र. प्रा.लि. मालवीया ओ.ऐ.जयपुर	गोल्ड ज्वैलरी	34.00	150.00	स्पेन
34.	,,सेमकोर ग्लास वर्कस, कोटा	ग्लास शैल फॉर टी.वी	277.00	3600.00	यू.एस.ए
35.	,,सिकपा इंडिया लि. भिवाड़ी	सिक्योरिटी इंक	549.00	3400.00	स्वीट्जरलैण्ड
36.	,,एस.आर.एफ. लि. अलवर	रैफिजेरेटर गैसेस	4.23	300.00	फ्रांस

	1	2	3	4	5	6
37.	M/s. स्टेनफोर्ड इंजनी-यरिंग लि. भिवाड़ी, अलवर	एक्सवटॅार मोब्-इलस टॉवर क्रेन्स	89.6	448.00	जर्मनी
38.	,,टेक गैस इक्वी-पमेन्टस् अलवर	आक्सीजन	375.00	1330.00	स्वीट्जरलैण्ड
39.	,,टैरी [illegible] (इं.) लि. [illegible]	[illegible] टॉवल	90.00	1942.00	जापान
40.	,,यूनीकेलर इंडिया लि. बहरोड़	माल्ट शीट	16.38	338.00	स्वीट्जरलैण्ड
41.	,,बिसनम बेवरीज लि., भिवाड़ी	बीयर	अप्राप्त	2096.00	जर्मनी
42.	टेक्गेस इक्विपमेन्ट प्रा. लि., अलवर	ऐयर सेपरेटर	225.00	1330.00	स्वीट्जरलैण्ड
43.	ग्वालियर-पोलि-पाईटर्स लि., कोटा	पी.वी.सी.	अप्राप्त	1126.00	कनाडा
44.	अक्श इण्डिया लि. भिवाड़ी	आप्टिकल फाइबर केबल	460.00	1700.00	आस्ट्रिया
45.	अक्श इण्डिया लि., भिवाड़ी	आप्टिकल फाइबर लाइन टर्मीनल इक्विपमेन्ट	अप्राप्त	1000.00	,,
46.	सिलिकोन्स इण्डिया लि. तिजारा	सिलिकोन प्रोडक्ट	अप्राप्त	6025.00	यूकेन
47.	कम्यूकॉम टैक्नॉ-लाजी प्रा. लि. कनकपुरा, जयपुर	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	4.00	150.00	यू.एस.ए
48.	रायल इंडिया ज्वेलरी मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, जयपुर	गोल्ड ज्वेलरी	अप्राप्त	200.00	स्पेन
		योग :—	12,285.35	1,28,733.05		

(264)

परिशिष्ट–"ब"

विदेशी अनिवासी भारतीय या अन्य द्वारा प्रस्तावित उद्योग

1. उपलब्ध सूचना के अनुसार मार्च, 96 से अप्रेल 1997 तक की अवधि में राज्य में वृहद एवं मध्यम उद्योग लगाने हेतु 259 औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं। जिनमें कुल अनुमानित विनियोजन 2083 करोड़ रुपया प्रस्तावित है।

2. उपरोक्त अवधि में राज्य में उद्योग लगाने हेतु 6 आशय–पत्र भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें अनुमानित विनियोजन 84 करोड़ रुपया प्रस्तावित है।

3. उपरोक्त औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन एवं आशय–पत्रों में 12 उद्योग विदेशी कम्पनियों के सहयोग से स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं, जिनमें लगभग 1698.60 करोड़ रुपये का अनुमानित विनियोजन प्रस्तावित है।

4. इसके अतिरिक्त वर्ष 1996–97 में 8113 लघु उद्योगों की स्थापना हेतु उद्योग विभाग में पंजीयन हुआ है। जिनमें 276.70 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन प्रस्तावित है।

उपरोक्त प्रस्तावित उद्योगों के चालू वर्ष एवं आगामी वर्षों में लगने की सम्भावना है।

उदयपुर संभाग में जल ग्रहण (भू-संरक्षण) के तहत कार्य

88. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जल ग्रहण (भू-संरक्षण) हेतु उदयपुर संभाग में पिछले दो वर्षों में किस-किस योजना के तहत कितने-कितने कार्य कितनी-कितनी लागत के कहां-कहां स्वीकृत किये गये ? विवरण जिलेवार कार्य अनुसार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वीकृत कार्य प्रारम्भ हो गये एवं आबंटित राशि का वर्ष अनुसार उपयोग हो गया ? यदि नहीं, तो कितनी राशि का उपयोग हुआ एवं राशि उपयोग नहीं होने के क्या कारण रहे ? विवरण कार्यवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण हेतु उदयपुर संभाग में पिछले दो वर्षों में आश्वाशित रोजगार योजना के तहत 22, डी.डी.पी. के तहत 14, डी.पी.ए.पी. के

(राज्य मंत्री, कृषि)

तहत 3, अकाल राहत कार्य के तहत 7, टी.ए.डी. के तहत एक, कुल 47 कार्य स्वीकृत किये गये जिसकी कुल स्वीकृत राशि रुपये 3067 लाख है। जिलेवार कार्य सूची मय स्वीकृत राशि परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों में 52 एवं 15 छोटे-छोटे कार्य जो पूर्व में स्वीकृत किये गये थे नियमों के परिवंतन के कारण कार्य पूर्ण कर/नई योजना के तहत समायोजित कर दिये गये हैं।

(2) इनमें 46 जल ग्रहण क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं। वर्ष 1995-96 में 151 लाख रुपये प्राप्त हुये जिसके विरुद्ध 79.58 लाख के कार्य करवाये गये। वर्ष 1996-97 में 323.62 लाख रुपये प्राप्त राशि के विरुद्ध 313.18 लाख रुपये के कार्य करवाये गये। नये दिशा निर्देश लागू करने में समय लगने के कारण आवंटित राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। व्यय की गई राशि का ब्यौरा जल ग्रहण क्षेत्रवार परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट–1

क्र. सं.	जिले का नाम	योजना का नाम	नाम जलग्रहण	पंचायत समिति	लागत (लाखों में)
1.	चित्तौड़गढ़	ई. ए. एस.	बम्बोरी	छोटी सादड़ी	70.18
2.		,,	बोहेड़	बड़ी सादड़ी	74.45
3.		,,	लक्ष्मीपुरा	बड़ी सादड़ी	77.49
4.		,,	सिद्धपुरा	प्रतापगढ़	79.52
5.		टाडा	बीहरा	प्रतापगढ़	5.22
6.		अकाल राहत कार्य	चरागाह विकास कार्य खेराट	प्रतापगढ़	0.46
7.		,,	,, वरमण्डल		1.09
8.		,,	,, पानमोड़		0.54
9.		,,	वाटर हारवेस्टिग स्टक्चर थंडा		0.19
10.		,,	सिहाना एनीकट	राश्मी	2.00
11.		,,	आन्जनाखेड़ा एनिकट	कपासन	2.00
12.		,,	घेतकला एनीकट	चित्तौड़गढ़	5.00

1	2	3	4	5	6
13.	राजसमन्द	आ. रो. यो.	दालाखेड़ा	देवगढ़	70.95
14.			हमेला का खेड़	भीम	97.54
15.	राजसमन्द	डी. डी. पी	खलेतरा	भीम	53.00
16.			सानवी का वारिया	देवगढ़	59.04
17.	उदयपुर	ग्रा. रो. यो.	कालीघाटी	खेरवाड़ा	108.33
18.		,,	मोकरवाड़ा	खेरवाड़ा	52.96
19.		,,	चन्दोरा	गिरवा	128.47
20.		,,	मादडी	झाडोल	51.8
21.		,,	ढाईखेड़ा	सलुम्बर	120.00
22.		,,	पालसराक	सराड़ा	113.00
23.		,,	कुन्थावास म	भिन्डर	69.94
24.		,,	कुन्थावास ब	भिन्डर	107.83
25.		,,	भौरवा	धारियावाड़	87.75
26.	उदयपुर	डी. डी. पी.	सेमल	गोगुन्दा	82.95
27.		डी. पी. ए. पी.	कानपुर 1	खेरवाड़ा	53.53
28.			अधालिया	झाड़ोल	39.16
29.			गोदाना	झाड़ोल	43.37
30.			चोली	गोगुन्दा	55.20
31	डूंगरपुर	ग्रा. रो. यो.	पिण्डावल	आसपुर	90.20
32.			चेला खेरवाड़	डूंगरपुर	96.51
33.			करियाणा	सांगवाड़ा	136.29
34.		डी. पी ए. पी.	काकरादरा	बिछिवाड़ा	176.66
35.		,,	जसेला	सिमलवाड़ा	105.00
36.		,,	नाडा	सिमलवाड़ा	84.68
37.		,,	15 जल ग्रहण कार्य	समस्त पंचायत समिति	128.64

1	2	3	4	5	6
38.	बांसवाड़ा	आ रो यो.	भूमरिया	गढ़ी	2.27
39.			डूडिया	गढ़ी	2.10
40.			काला खेत	घाटोल	3.50
41.			खजूरी	घाटोल	3.50
42.	बांसवाड़ा	डी. पी. ए. पी.	52 जलग्रहण कार्य	बांसवाड़ा, गढी, कुशलगढ़, घाटोल	141.76
43.		,,	गढ़ा रोहनवारी	बागीदोरा	79.10
44.		,,	खालपुरा	बांसवाड़ा	94.50
45.		,,	रोहानियाखेरवा	घाटोल	96.14
46.		,,	तेजपुर	पीपलखूट	129.08
47.		,,	सरवाकलां	कुशलगढ़	82.42

परिशिष्ट–2

क्र. सं.	जिले का नाम	योजना का नाम	नाम जल-ग्रहण	पंचायत समिति	लागत (लाखों में)	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1.	चित्तौड़गढ़	ई ए.एस.	बम्बोरी	छोटी सादड़ी		7.63	प्रगति पर
2.			बोहेडा	बड़ी सादड़ी	74.45	3.17	प्रगति पर
3.			लक्ष्मीपुरा	बड़ी सादड़ी	77.49	3.10	प्रगति पर
4.			सिद्धपुरा	प्रतापगढ़	79.52	3.94	प्रगति पर
5.		टाडा	बीहरा	प्रतापगढ़	5.22	2.12	प्रगति पर
6.		अकाल राहत कार्य	चारागाह विकास कार्य खेराट	प्रतापगढ़	0.46	0.46	पूर्ण
7.		,,	,, वरमण्डल		1.09	0.71	पूर्ण
8.		,,	,, पानमोडा		0.54	0.08	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
9.		ग्रा. रा. का.	वाटर हारवेस्टिंग स्टक्चरथवा		0.19	0.09	पूर्ण
10.		,,	सिहाना एनीकट	राश्मी	2.00	0.08	प्रगति पर
11.		,,	ग्रान्जनाखेड़ा एनीकट	कपासन	2.00	0	निरस्त
12.		,,	घेत कला एनीकट	चित्तौड़गढ़	5.00	3.67	पूर्ण
13.	राजसमन्द	आ.रो.यो.	दालाखेड़ा	देवगढ़	70.95	1.63	प्रगति पर
14.			हमेला की खेड	भीम	97.54	3.01	प्रगति पर
15.	राजसमन्द	डी.डी.पी.	खसेतरा	भीम	53.00	8.71	प्रगति पर
16.			सानवी का वारिया	देवगढ़	59.04	8.63	प्रगति पर
17.	उदयपुर	ग्रा.रो.यो.	कालीघाटी	खेरवाड़ा	108.33	11.56	प्रगति पर
18.		,,	मोकरवाड़ा	खेरवाड़ा	52.96	7.95	प्रगति पर
19.		,,	चन्दोरा	गिरवा	128.17	5.48	प्रगति पर
20.		,,	मादडी	झाडोल	51.9	6.14	प्रगति पर
21.		,,	डाईखेड़ा	सलूम्बर	120.00	10.56	प्रगति पर
22.		,,	पालसराडा	सराडा	113.00	6.22	प्रगति पर
23.		,,	कुन्थावास अ	भिन्डर	69.94	10.12	प्रगति पर
24.		,,	कुन्थावास ब	भिन्डर	107.83	11.10	प्रगति पर
25.		,,	आरवा	धारियावाडा	87.75	9.77	प्रगति पर
26.	उदयपुर	डी.डी.पी.	सेमल	गोगुन्दा	82.95	6.94	प्रगति पर
27.		डी.पी.ए.पी.	कानपुर 1	खेरवाड़ा	53.53	9.91	प्रगति पर
28.		,,	अधकालिया	झाडोल	39.16	7.29	प्रगति पर
29.		,,	गोदाना	,,	43.37	6.46	प्रगति पर
30.		,,	चूली	गोगुन्दा	55.20	9.17	प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	डूंगरपुर	ग्रा.रो.यो.	पिण्डावल	ग्रासपुर	90.20	—	प्रगति पर
32.		,,	चेला खेरवाड़ा	डूंगरपुर	96.51	2.89	प्रगति पर
33.		,,	करियाणा	सागवाड़ा	136.29	4.91	प्रगति पर
34.		डी.पी.ए.पी.	काकरादरा	बिछिवाड़ा	176.66	5.30	प्रगति पर
35.		,,	जसेला	सिमलवाड़ा	105.00	—	प्रगति पर
36.		,,	नाडा	,,	84.68	2.45	प्रगति पर
37.		,,	15 जल ग्रहण कार्य	समस्त पंचायत समिति	128.64	119.48	पूर्ण
38.	बांसवाड़ा	आ.रो.यो.	भूमरिया	गढी	2.27	0.71	प्रगति पर
39.		,,	डूडिया	गढी	2.10	0.93	प्रगति पर
40.		,,	काला खेत	घाटोल	3.50	1.32	प्रगति पर
41.		,,	खजूरी	घाटोल	3.50	1.73	प्रगति पर
42.	बांसवाड़ा	डी.पी.ए.पी.	52 जल-ग्रहण कार्य	बांसवाड़ा, गढी, कुशलगढ़, घाटोल	141.76	78.43	
43.		,,	गढा रोहन-वारी	बागीदोरा	79.10	11.27	प्रगति पर
44.		,,	खालपुर	बांसवाड़ा	94.50	5.67	प्रगति पर
45.		,,	रोहानिया-खेरवा	घाटोल	96.14	11.82	प्रगति पर
46.		,,	तेजपुर	पीपलखूंट	129.08	15.97	प्रगति पर
47.		,,	सरवाकलां	कुशलगढ़	82.42	8.62	प्रगति पर

(270)

जिला बीकानेर के पंचायत मुख्यालयों पर स्वीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालय

89. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत चार वर्षों में बीकानेर व लूणकरणसर पंचायत समिति के पंचायत मुख्यालयों के लिये कौन-कौन से उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्वीकृत विद्यालयों में आम तौर पर या तो पर्याप्त अध्यापकों को नियुक्तियां नहीं दी गई या सम्बन्धित विद्यालयों में अध्यापक अनुपस्थित रहते हैं ?

(3) उपरोक्त विद्यालयों का किन-किन अधिकारियों ने कब-कब निरीक्षण किया ?

(4) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामबाग व सहजरासर में लम्बे अरसे से प्रधानाध्यापक कार्यरत नहीं है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में बीकानेर व लूणकरणसर पंचायत समिति के पंचायत मुख्यालयों के लिये स्वीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालय की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी, नहीं । उपरोक्त शालाओं में स्वीकृत पदों के अनुसार ही नियुक्तियां दी गई है अध्यापकों के विद्यालय से अनुपस्थित रहने की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) उपरोक्त शालाओं का किये गये निरीक्षण का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(4) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामबाग में वर्तमान में प्रधानाध्यापक कार्यरत है । राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सहजरासर में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है, प्रधानाध्यापक के रिक्त पद पर प्रधानाध्यापक का पदस्थापन किया गया था परन्तु सम्बन्धित के द्वारा कार्य-ग्रहण नहीं किया गया ।

प्रश्न के भाग संख्या-1 की सूची

क्र.सं.	पंचायत समिति	विद्यालय का नाम	क्र.सं.	पंचायत समिति	विद्यालय का नाम
1	2	3	1	2	3
वर्ष 1994–95			5.	लूणकरणसर	संसारदेसर
1.	बीकानेर	राजेरा	6.	लूणकरणसर	रबरबारा
2.	बीकानेर	कावनी	7.	बीकानेर	22 के.वाई.डी.
3.	बीकानेर	34 के.वाई.डी	8.	लूणकरणसर	हंसेरा
4.	बीकानेर	2 के.डब्लू.एम.	9.	बीकानेर	3 के.जे.डी.

1	2	3
	वर्ष 1995–96	
1.	बीकानेर	दन्तौर
2.	बीकानेर	जोधासर डेली
3.	लूणकरणसर	मकडासर
4.	लूणकरणसर	केला
	वर्ष 1996–97	
1.	बीकानेर	रूणियाबड़ावास
2.	बीकानेर	जालवाली
3.	बीकानेर	कचाणीसरमाटियान
4.	बीकानेर	मोतीगढ़
5.	बीकानेर	3 पी.डब्लू.एम.
6.	बीकानेर	सियासर चौगान
7.	बीकानेर	लूणखा
8.	बीकानेर	खाखासली
9.	बीकानेर	चारणवाला
10.	लूणकरणसर	मुकाम
11.	लूणकरणसर	हाउलामाटियान
	वर्ष 1997–98	
1.	बीकानेर	कतरियासर
2.	बीकानेर	किलयूदेवस्थान
3.	बीकानेर	थारूसर
4.	बीकानेर	बल्लर
5.	बीकानेर	गुल्लूवाली
6.	बीकानेर	भादूरी
7.	बीकानेर	गंगाश्रली
8.	बीकानेर	पहलवान का डेरा
9.	बीकानेर	मकेरी
10.	बीकानेर	शिवनगर
11.	बीकानेर	17 के.वाई.डी.
12.	लूणकरणसर	ढाणी पाण्डूसर
13.	लूणकरणसर	रोंजा
14.	लूणकरणसर	बालोडसर
15.	लूणकरणसर	सोढवाली
16.	लूणकरणसर	बन्धेरण
17.	बीकानेर	बण्डी

प्रश्न के भाग सं. 003 की सूचना

क्र.स.	निरीक्षण का दिनांक	शाला का नाम	निरीक्षण अधिकारी का नाम एवं पद
1.	2.7.94	हंसेरा	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शा.)
2.	6.7 94	हंसेरा	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शा.)
3.	3.2.96	कावनी	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शा.)
4.	12.3.96	सत्तासर	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शा)
5.	12.3.96	बारवारा	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शा.)
6.	12.3.96	संसारदेसर	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शा.)
7.	5.4.96	हंसेरा	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शा.)

२७२

1	2	3	4
8.	11.4.96	हुंसेरा	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शा.)
9.	26.11.96	रूणियाबडावास	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शा.)
10.	21.12.96	ख्यालवाली	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शा.)
11.	13.2.97	कावनी	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शा.)
12.	15.2.97	कावनी	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शा.)
13.	13.3.97	सत्तासर	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शा.)
14.	8.3.96	दन्तौर	व. उ. जि. (प्रा.शा.)
15.	16.10.96	खारवाली	व. उ. जि. शि. अ. (प्रा.शा.)
16.	27.8.96	हुंसेरा	व. उ. जि, शि. अ. (प्रा.शा.)
17.	19.12.96	हुंसेरा	विद्यालय अवर निरीक्षक
18.	3.1.97	हुंसेरा	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शा.)
19.	6.2.97	रूणियाबडावास	व. उ. जि. शि. अ. (प्रा.शा.)
20.	2.7.97	अलिवाली	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शा.)
21.	11.7.97	मोतीगढ़	व. उ. जि. शि. अ. (प्रा.शा.)
22.	14.7.97	हुंसेरा	विद्यालय अवर निरीक्षक (प्रा.शा.)
23.	22.12.95	संसारदेसर	व. उ. जि. शि. अ. (प्रा.शा.)
24.	22.8.97	हुंसेरा	व. उ जि. शि. अ. (प्रा.शा.)

ग्राम हाणिया (जोधपुर) का होमियोपैथिक चिकित्सालय

90. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में वर्ष 1989-90 से आज तक कितने होमियोपैथिक औषधालय खोले गये ? सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम हाणिया (तापू) पंचायत समिति औसियां में आदेश क्रमांक 90/900 दिनांक 14-2-1990 द्वारा होमियोपैथिक औषधालय खोला गया था ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि इस होमियोपैथिक औषधालय को वहां से स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(श्री रामनारायण डूडी)

(4) क्या यह भी सही है कि गांव में इस औषधालय हेतु जिला विकास अभिकरण, जोधपुर ने 60,000 रुपये की लागत का भवन भी वर्ष 1990-91 में ही बना दिया था ? यदि हां, तो इस औषधालय को वहां से क्यों हटाया गया ? क्या वहां पुनः औषधालय खोलने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में वर्ष 1989–90 से आज तक एक होमियोपैथिक औषधालय ग्राम हाणिया (तापू) पंचायत समिति ओसियां में खोला गया।

(2) जी, नहीं। पत्र क्रमांक 90/909 दिनांक 14.2.90 से सहायक निदेशक, होम्योपैथी, अजमेर के द्वारा ग्राम हाणिया (तापू) में होमियोपैथिक औषधालय खोलने के लिये भवन व्यवस्था उपलब्ध होने सम्बन्धी जानकारी, सरपंच ग्राम पंचायत ओसियां से चाही गयी थी। इस ग्राम में नवीन होमियोपैथिक औषधालय खोलने की स्वीकृति राज्य सरकार के पत्रांक प. 1(5) आयुर्वेद/89, दिनांक 21.12.98 से जारी की गयी थी। जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गयी है।

(3) जी, हां। ग्राम हाणिया (तापू) के होमियोपैथिक औषधालय को हाथीराम का ओडा (जोधपुर शहर) में स्थानान्तरित करने के आदेश क्रमांक प. 14 (20) आयु/93, दिनांक 30.8.93 से प्रसारित किये गये। आदेश की प्रतिलिपि परिशिष्ट 'ख' सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) जी, नहीं। वर्ष 1990-91 में ही ग्राम हाणिया (तापू) के होमियोपैथिक औषधालय के लिये जिला विकास अभिकरण, जोधपुर के द्वारा भवन बनाकर विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया था, ग्राम हाणिया (तापू) के होमियोपैथिक औषधालय की रोगी संख्या अत्यधिक न्यून होने एवं हाथीराम का ओडा(जोधपुर शहर) में पर्याप्त भवन व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराने तथा इस स्थान पर इस औषधालय की अधिक उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुये यह औषधालय स्थानान्ततरित किया गया। वित्तीय संसाधन के अभाव में उक्त स्थान पर पुनः औषधालय खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(274)

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक : 1 (5) आयुर्वेद/89 जयपुर, दिनांक 21 सितम्बर, 1989

निदेशक,
आयुर्वेद विभाग,
अजमेर।

विषय :– वर्ष 1989–90 में खोले जाने वाले भारतीय चिकित्सा पद्धति के औषधालय।

महोदय,

निर्देशानुसार वर्ष 1989–90 में निम्नांकित स्थानों पर भारतीय चिकित्सा पद्धति के नवीन औषधालय खोले जाने की राज्य सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति इसके द्वारा प्रदान की जाती है :–

क्र. सं. 1	स्थान 2	पंचायत समिति 3	जिला 4	टिप्पणी 5
1.	लुन्दाड़ा	बाली	पाली	आयुर्वेदिक
2.	कानूजा	रायपुर	,,	,,
3.	गुडा पृथ्वीराज	देसूरी	,,	,,
4.	खेरली रेल	कठूमर	अलवर	,,
5.	मोठू का फतेहपुरा	बानसूर	,,	होमियोपैथिक
6.	माछरोली	किशनगढ़बास	,,	आयुर्वेदिक
7.	शाहपुर	अलवर	,,	,,
8.	घेवर	राजगढ़	,,	,,
9.	भजेडा	राजगढ़	,,	,,
10.	बालेटा	उमरेन	,,	,,
11.	डिडायच	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	,,
12.	पहाड़ी	टोडाभीम	,,	,,
13.	चन्देलीपुरा	सपोटरा	,,	,,
14.	शिशोलाव	बोली	,,	,,
15.	टोडूपुरा	हिण्डौन	,,	,,
16.	सिन्डोली	दौसा	जयपुर	,,

1	2	3	4	5
17.	साली	दूदू	जयपुर	आयुर्वेदिक
18.	बठेरी	बस्सी	,,	,,
19.	खिरखा	फुलेरा	,,	,,
20.	बासना	जमवारामगढ़	,,	,,
21.	हरीपुरा	लालसोट	,,	,,
22.	रामनगरीया	सांगानेर	,,	होमियोपैथिक
23.	कुंडली	फागी	,,	आयुर्वेदिक
24.	जोपाडा	दौसा	,,	,,
25.	खेलना	कोटपूतली	,,	,,
26.	माणूता	जमवारामगढ़	,,	,,
27.	गजरूपदेसर	नोखा	बीकानेर	,,
28.	दियातरा	कोलायत	,,	,,
29.	सुथारों का वास	बीकानेर शहर	,,	,,
30.	16 जी. छोटी	केसरीसिंहपुर	श्रीगंगानगर	,,
31.	69 एल. एन. पी.	पदमपुर	,,	,,
32.	32 बी. बी.	पदमपुर	,,	,,
33.	दुलपुरा	सादुलशहर	,,	,,
34.	77 के.डब्लू. ताखरावाली	,,	,,	,,
35.	काचेरा	बयाना	भरतपुर	,,
36.	लोधा	सेवर	,,	,,
37.	सुदाबेरी	धोरीमन्ना	बाड़मेर	,,
38.	मीठोडा	सिवाना	,,	,,
39.	कोशलू	सिणधरी	,,	,,
40.	माटिया	घाटोल	बांसवाड़ा	,,
41.	घन्टाला	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	होमियोपैथिक
42.	राखो	बागीदोरा	,,	आयुर्वेदिक
43.	देवदा	घाटोल	,,	,,
44.	बासनी हरिसिंह	भोपालगढ़	जोधपुर	,,

1	2	3	4	5
45.	खबानिया	ओसिया	जोधपुर	आयुर्वेदिक
46.	जेतीवास	बिलाड़ा	,,	,,
47.	ढ़ाणिया (तापू)	ओसिया	जोधपुर शहर	होमियोपैथिक
48.	माताजी का थान बासनी तमोडियान	जोधपुर शहर	जोधपुर	आयुर्वेदिक
49.	बासनी निकूबा	मण्डोर	जोधपुर	,,
50.	जुड़	ओसिया	जोधपुर	,,
51.	धणामगरा	बिलाड़ा	,,	,,
52.	खडाला	लूणी	,,	,,
53.	देदासरी	फलौदी	,,	,,
54.	जम्भेशवर नगर लोहावट	फलौदी	,,	,,
55.	गोमती चौराहा	कुम्भलगढ़	उदयपुर	,,
56.	राजपुरा	भिण्डर	,,	,,
57.	सालेराकलां	मावली	,,	,,
58.	निम्बोदा	सराड़ा	,,	,,
59.	पुठोल	राजसमन्द	,,	,,
60.	गठेट	सलूम्बर	,,	,,
61.	लखाऊ के गांव करणपुर	चूरू	चूरू	,,
62.	बामणिया	सुजानगढ़	,,	होमियोपैथिक
63.	दुघलासर	श्रीडूंगरगढ़	,,	आयुर्वेदिक
64.	जेतपुरा	गुढ़ा	झुन्झुनू	,,
65.	दीपुपुरा	उदयपुरवाटी	,,	,,
66.	चुडोला	अलसीसर	,,	,,
67.	मरक	सहाड़ा	भीलवाड़ा	,,
68.	इन्दौकिया	जहाजपुर	,,	,,
69.	सियार	सुवाणा	,,	होमियोपैथिक
70.	हाडेतर	सांचोर	जालौर	,,
71.	लियादरा	सांचोर	,,	,,

1	2	3	4	5
72.	झोसाना	सिगलवाड़ा	डूंगरपुर	आयुर्वेदिक
73.	पालडी सासरपुर	डूंगरपुर	डूंगरपुर	,,
74.	चांवडिया (गनाहेडा)	पिसांगन	अजमेर	,,
75.	बीर	श्रीनगर	,,	,,
76.	खेड़ी	भिनाय	,,	,,
77.	चीतिवास	केकड़ी	,,	,,
78.	आमली	उनियारा	टोंक	,,
79.	बामोर	टोंक	टोंक	,,
80.	मण्डावर	टोंक	टोंक	,,
81.	चौगाई	टोंक	टोंक	,,
82.	नेठवा	फतेहपुर	सीकर	,,
83.	फतेहपुर	खण्डेला	सीकर	,,
84.	सावलोदालाखानी	धोंद	सीकर	,,
85.	रेटा	दांतारामगढ़	सीकर	,,
86.	दरीबा	नीमकाथाना	सीकर	,,
87.	आबलहेड़ा	गंगरार	चित्तौड़गढ़	,,
88.	कीरतपुरा	बड़ी सादड़ी	,,	,,
89.	सामरिया	बेगूं	,,	,,
90.	गठेरी	कपासन	,,	,,
91.	बम्बोरी	छोटी सादड़ी	,,	,,
92.	मांगरोल	निम्बाहेड़ा	,,	,,
93.	चाडी	मकराना	नागौर	,,
94.	मौलासर	डीडवाना	,,	,,
95.	आलवा	डीडवाना	,,	,,
96.	किरोदा	डेगाना	,,	,,
97.	अलतुआ	मकराना	,,	,,
98.	लालास	कुचामनसिटी	,,	,,

1	2	3	4	5
99.	रमायदलपत	पिडावा	झालावाड़	यूनानी
100.	उदयपुरिया	अन्ता	कोटा	आयुर्वेदिक
101.	कुन्डी	अटरू	कोटा	"
102.	कुनाड़ी	कोटा	कोटा	"

भवदीय,
ह०
(ए. के. भटनागर)
उपशासन सचिव

परिशिष्ट–"ख"

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप–4 (आयुर्वेद विभाग)

क्रमांक : प. 14(20) आयुर्वेद/93 जयपुर, दिनांक 30–8–93

निदेशक,
आयुर्वेद विभाग,
अजमेर।

विषय :–राजकीय होमियोपैथी औषधालय, हुणियाटापू (ओसिया) जोधपुर को हाथीराम का ओड़ा (जोधपुर शहर) में स्थानान्तरित करने की स्वीकृति।

प्रसंग :– आपका पत्र सं. 25904 दिनांक 25–6–93 तथा 30686 दिनांक 3–8–93।

महोदय,

निर्देशानुसार राजकीय होमियोपैथी औषधालय, हुणियाटापू (ओसिया) (जोधपुर) को हाथीराम का ओड़ा जोधपुर शहर में स्थानान्तरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह औषधालय श्री एम. एम. सिंघवी, एडवोकेट, जोधपुर शहर द्वारा दान में दिए जा रहे भवन में संचालित किया जाना है। दानदाता से तत्काल सम्पर्क कर दान पत्र अभिलेख राज्य सरकार के पक्ष में दो प्रतियों में प्राप्त कर पंजीकृत कराने की कार्यवाही की जाये।

भवदीय,
ह०
(जे. पी. गुप्ता)
उपशासन सचिव

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक सामा/भवन व्य 90/909 दिनांक 14-2-90

सरपंच, हाणिया तापू,
ग्राम पंचायत ओसिया,
जिला जोधपुर।

विषय :–होमियोपैथिक औषधालय खोलने बाबत।

उपरोक्त विषय में राज्य सरकार ने ग्राम हाणिया तापू में होमियोपैथिक चिकित्सालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। आप कृपया निम्नहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने का कष्ट करें कि क्या आपके ग्राम द्वारा उक्त औषधालय के लिए निःशुल्क भवन एवं फर्नीचर उपलब्ध कराया जा सकेगा। यदि हां, तो भवन किस प्रकार का उपलब्ध करा सकेंगे एवं फर्नीचर की क्या-क्या सामग्री उपलब्ध करा सकेंगे।

उक्त सूचना तुरन्त ही इस कार्यालय को भिजावें ताकि स्टॉफ व औषधियों की व्यवस्था की जा सके।

ह०
सहायक निदेशक (होमियो.)

सहकारी बैंक बूंदी का भवन प्रकरण

91. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बूंदी में सहकारी विभाग का बैंक भवन बाइपास रोड पर बनाया गया है? यदि हां, तो इसे ब्रिज कारपोरेशन द्वारा कितनी राशि में बनाने का अनुबन्ध किया गया एवं इसकी

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

स्वीकृति कब दी गई थी ? अनुबन्ध के तहत इसका निर्माण कितनी समयावधि में पूर्ण करने का लक्ष्य था ?

(2) जुलाई, 1997 तक कितनी राशि बैंक द्वारा ब्रिज कारपोरेशन को कब-कब दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ब्रिज कारपोरेशन द्वारा निर्मित भवन का कब्जा लेने हेतु बैंक अधिकारियों से कहा गया है? यदि हां, तो कब-कब ?

(4) क्या यह सही है कि बैंक अधिकारियों द्वारा समय पर कब्जा न लेने या दोनों विभागों में तालमेल के अभाव के कारण इस भवन की लागत दो गुनी हो गई ?

(5) क्या भवन की लागत में वृद्धि का प्रस्ताव बैंक द्वारा विभागीय बैठक में स्वीकृत कराया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों व ऐसे कौन-कौन से अधिकारियों के कारण बैंक को दुगुनी राशि से अधिक का भुगतान करना पड़ा ?

उत्तर

(1) बूंदी में सहकारी विभाग का नहीं, बल्कि केन्द्रीय सहकारी बैंक बूंदी का भवन बाईपास रोड पर बनाया गया है। बैंक द्वारा पुल निगम से राशि सम्बन्धी कोई अनुबंध तो नहीं किया गया है परन्तु बैंक के संचालक मण्डल के प्रस्ताव सं. 3(10) दिनांक 20-1-89 में बैंक भवन निर्माण हेतु 20 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई। तत्पश्चात् बैंक के पत्र क्रमांक-4147 दिनांक 1-2-89 से वास्तविक लागत पर 12.50% ओवरहैड चार्जेज पर पुल निगम को निर्माण हेतु उनके पत्र क्रमांक-12530 दिनांक 9-11-84 के अनुसार मंजूरी दी गई। बैंक द्वारा पुल निगम से समयावधि हेतु कोई अनुबन्ध नहीं किया गया है। किन्तु बैंक के पत्र क्रमांक-2198 दिनांक 22-7-92 के द्वारा पुल निगम को निगम की सहमति के अन्तर्गत दिनांक 31-12-92 तक भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करने हेतु लिखा गया था।

(2) राजस्थान पुल निगम को बैंक द्वारा निम्न विगतानुसार विभिन्न दिनांकों में राशि का भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	ड्राफ्ट नं.	दिनांक	राशि (लाखों में)
1.	75194	30-1-89	2.00
2.	76285	26-5-89	3.00
3.	77993	29-9-89	3.00
4.	78683	18-1-90	3.00
5.	78786	15-3-90	3.00
6.	79054	27-9-90	246382.00
7.	79114	5-12-90	5.00
8.	82077	13-12-91	5.00
9.	83953	5-1-93	5.00
10.	84540	22-4-93	1.68

इसके अतिरिक्त बाण्ड्रीवाल के लिए डी. डी. 92609 दिनांक 23-12-96 से 1.00 लाख रुपये की राशि पुल निगम को बैंक द्वारा भुगतान की गई। इस प्रकार जुलाई 97 तक पुल निगम को कुल राशि

(सहकारिता मंत्री)

3414382.00 का भुगतान किया जा चुका है ।

(3) जी, हां । राजस्थान पुल निगम के पत्र दिनांक 4-5-94, 28-7-94, 10-8-94 तथा 21-2-97 के द्वारा बैंक को भवन का कब्जा लेने हेतु लिखा गया ।

(4) पुल निगम द्वारा उनके पत्र क्रमांक–1153 दिनांक 14-3-90 के द्वारा संशोधित एस्टीमेट राशि 33.14 लाख का भेजा गया, जिसमें भवन की लागत में वृद्धि का कारण प्लीन्थ लेवल में परिवर्तन प्लाट साइड का विकास कार्य एवं फीलिंग तथा मीटिंग हाल व कोरीडोर साइड के कालम की राशि जो पूर्व एस्टीमेट में सम्मिलित नहीं थी, को संशोधित एस्टीमेट में शामिल होना बताया है । अतः निगम से प्राप्त संशोधित एस्टीमेट के अनुसार बैंक के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 25-7-90 में पारित प्रस्ताव के अन्तर्गत भवन की संशोधित लागत 33.14 लाख हेतु संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृति दी गई । अतः उपरोक्त तथ्यों के रहते हुए यह सही नहीं है कि भवन की लागत में वृद्धि का कारण बैंक अधिकारियों द्वारा समय पर कब्जा नहीं लेने अथवा तालमेल का अभाव रहा है ।

(5) जी, हां । बैंक भवन लागत में वृद्धि की राशि की स्वीकृति बैंक के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 25-7-90 के प्रस्ताव संख्या 1(1) के अनुसार दी गयी है । बढ़ी हुई भुगतान राशि दो गुनी नहीं होकर लगभग 67% अधिक है, जिसका कारण उपरोक्त बिन्दु संख्या–4 में अंकितानुसार है । अतः इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी को दोषी नहीं माना गया ।

पंचायत समिति खण्डार एवं सवाई-माधोपुर के आंगनबाड़ी केन्द्र

92. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति खण्डार और सवाईमाधोपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र चलाए जा रहे हैं ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) पंचायत समिति खण्डार और सवाईमाधोपुर में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कितनी महिला कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कौन-कौन से गांवों में ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) ग्रामीण विकास में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर और कार्यकर्ता का क्या योगदान है तथा इनका कार्य समय कब से कब तक का रहता है ?

(4) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर महिला एवं बालकों को पौष्टिक खाद्य सामग्री वितरित की जाती है ? यदि हां, तो पंचायत समिति खण्डार व सवाई-माधोपुर में वर्ष 1996–97 में क्या-क्या सामग्री प्राप्त हुई व उसमें से कितनी सामग्री वितरित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां। पंचायत समिति खण्डार में 86 आंगनबाड़ी केन्द्र व सवाईमाधोपुर में 155 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। जिनके विरुद्ध माह जुलाई, 97 तक क्रमशः 80, 113 केन्द्र कार्यरत हैं। चलाये जा रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची गांव वार सदन की मेज पर प्रस्तुत है। (परिशिष्ट "अ")

(2) पंचायत समिति खण्डार और सवाईमाधोपुर में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 374 महिलाएं कार्यरत हैं। जिन्हें क्रमशः आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के नाम से सम्बोधित किया जाता है। कार्यरत महिलाओं के नामों की सूची गांव वार सदन की मेज पर प्रस्तुत है। (परिशिष्ट "ब")

(3) ग्रामीण विकास में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सुपरवाइजर का महत्वपूर्ण योगदान है। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक रूप से सक्षम बनाने एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु समाज में जनजागृति पैदा करने का कार्य करती है। इसके साथ ही केन्द्र पर पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, सन्दर्भ सेवा, 3 से 6 वर्ष के बालकों को स्कूल पूर्व शिक्षा से लाभान्वित कराती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को उनके कार्य में आने वाली समस्याओं के रूप में मार्ग दर्शन करने एवं पर्यवेक्षण के कार्य के लिए महिला पर्यवेक्षक नियुक्त कर रखी है। आंगनबाड़ी केन्द्रों का कार्य समय निम्न प्रकार है :–

1. ग्रीष्म ऋतु–प्रातः 8.00 बजे से 12.00
2. शरद ऋतु–प्रातः 9.00 बजे से 1.00

(4) जी, हां। सवाईमाधोपुर जिले की खण्डार पंचायत समिति एवं सवाईमाधोपुर परियोजना में विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त इण्डिया, मिक्स का वितरण किया जाता है। वर्ष 1996–97 में प्राप्त सामग्री व बांटी गई सामग्री का विवरण निम्न प्रकार है :–

परियोजना खण्डार

	(मात्रा क्वि. में) उपलब्ध मात्रा	वितरण मात्रा
1. मुरमुरे	351.38	349.78
2. पंजीरी	100.46	100.07
3. इण्डिया मिक्स	860.00	473.13
4. गुड़	40.00	1.76

परियोजना सवाईमाधोपुर

1. मुरमुरे	246.34	246.34
2. पंजीरी	85.05	85.05
3. इण्डिया मिक्स	980.00	517.91
4. गुड़	28.00	8.40

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति निम्बाहेड़ा द्वारा दुकानों का आवंटन

93. श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री उदयलाल आंजना)

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति निम्बाहेड़ा ने अपनी दुकान नं. 1 व 4 को एक ही दिन में किरायेदारों से खाली बताकर एक ही परिवार के दो सदस्यों के नाम फोरी कार्यवाही कर स्थिर किराया पद्धति से आबंटित कर दिया है ?

(2) क्या उक्त आबंटन नियमों के अधीन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इन दोनों दुकानों के आबंटन को लेकर किसी संस्था द्वारा धरना दिया गया था एवं आबंटन निरस्त करने व पंचायत समिति निम्बाहेड़ा की आर्थिक आय बढ़ाने हेतु खुली नीलामी बोली द्वारा किराये पर देने तथा आबंटन में की गई गड़बड़ियों की जांच की मांग का ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इन दुकानों के आबंटन को लेकर क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों द्वारा राज्य के मुख्य मंत्री महोदय, जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ एवं अन्य विभागों को शिकायतें की गई थीं ? यदि हां, तो उनके निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या आबंटन कार्यवाही सम्बन्धी दस्तावेजों को राज्य अन्वेषण ब्यूरो चित्तौड़गढ़ द्वारा पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा के कार्यालय से जब्त कर जांच की गई थी ? यदि हां, तो जांच तथ्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि इन दोनों दुकानों की पूर्व किरायेदारों एवं आबंटनधारियों या अन्य किन्हीं व्यक्तियों के मध्य खरीद फरोख्त हुई ? यदि हां, तो क्या आबंटन कार्यवाही में गड़बड़ियां करने व दुकानों की खरीद-फरोख्त को लेकर उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा को प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं शिकायतों पर सरकार द्वारा कोई जांच करवाई गई थी ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन एवं तथ्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि 19 जुलाई, 1997 को पंचायत समिति निम्बाहेड़ा की साधारण सभा की बैठक में उक्त दोनों दुकानों के आबंटन को निरस्त करने एवं पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा की आर्थिक आय के हित में इन दुकानों को नियमानुसार कार्यवाही करके खुली नीलामी बोली द्वारा किराये पर देने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा ने अपनी दुकान नं. 1 एवं 4 को एक ही दिन में किरायेदारों से खाली बताकर आबंटन की कार्यवाही फिक्स किराये पद्धति से की गई है। जहां तक एक ही परिवार के दो सदस्यों के नाम आबंटन करने का प्रश्न है यह सही नहीं है क्योंकि दुकान न.1 की आबंटिती श्री प्रकाश पिता पारस मल पारेख व दुकान नं. 4 के आबंटिती श्री हिम्मत सिंह पिता चांदमल जैन एक ही परिवार के सदस्य हों ऐसा

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

रेकार्ड से स्पष्ट नहीं होता है। उक्त भ्राबंटन की कार्यवाही दिनांक 17.5.97 को भ्राबंटितियों के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर की गई है।

(2) जी, नहीं। इसके लिये जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा उप–खण्ड भ्रधिकारी, निम्बाहेड़ा से जांच कराई गई है।

(3) दुकान नं. 1 व 4 के भ्राबंटनों को निरस्त करने एवं भ्राबंटन में की गई गड़बड़ियों की जांच की मांग ज्ञापन उप–खण्ड भ्रधिकारी, निम्बाहेड़ा को दिया गया था। उप–खण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा दुकानों के भ्राबंटन के सम्बन्ध में जांच कार्यवाही की गई है।

(4) जी, हां। शिकायत की जांच उपखण्ड भ्रधिकारी, निम्बाहेड़ा से कराई गई है। जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ ने जांच रिपोर्ट ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर को दिनांक 9.9.97 को भ्रावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। जिस पर भ्रग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

(5) उक्त दुकानों के भ्राबंटन की कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति उप भ्रधीक्षक, राज्य भ्रन्वेषण ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ द्वारा पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा के कार्यालय से ली गई है। जांच भ्रमी विचाराधीन है।

(6) उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा की दुकान संख्या 1 व 4 के भ्राबंटन के सम्बन्ध में की गई शिकायत की जांच की गई है एवं जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(7) दिनांक 19.7.97 को पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में दुकान संख्या 1 व 4 के भ्राबंटन को निरस्त करने ने लिए एवं दुकानों को दोबारा खुली नीलामी से प्रचार-प्रसार कर नीलाम किराये पर देने का प्रस्ताव भ्रवश्य रखा या था लेकिन उक्त दुकानों को किराये पर देने की कार्यवाही का भ्रनुमोदन पंचायत समिति की प्रशासनिक एवं वित्त कर स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10 जून, 1997 के प्रस्ताव संख्या 10 द्वारा किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 19 जुलाई, 1997 के प्रस्ताव का समर्थन पंचायत समिति के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से नहीं हो पाया।

पंचायती राज भ्रधिनियम 1994 की धारा 59 (2) में यह प्रावधान है कि "धारा 59 की उप धारा (1) के भ्रधीन उसकी स्थायी समिति के किसी विनिश्चय को उलटने या उपान्तरित करने वाला भ्रादेश उसके सदस्यों की कुल सं. के 2/3 भ्रन्यून बहुमत से समर्थित होना चाहिए जिसमें विफल होने पर स्थायी समिति का विनिश्चय बना रहेगा"।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला करौली के ग्रामों का विद्युतीकरण

94. श्री हंसराम (करौली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री हंसराम)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा करौली जिले के ग्राम ताली डांडा, डुकावली, सकरघटा, जमूरा, मोजपुर, खूडरी, देवरी, पिपरानी, हकीमपुरा आदि को सरकारी रिकार्ड में विद्युतीकृत घोषित किया हुआ है जबकि उक्त ग्रामों में अभी तक भी विद्युत उपलब्ध नहीं कराई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इसमें लिप्त दोषी अधिकारी/कर्मचारियों को दण्डित करने का विचार रखती है तथा इसकी जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अब उक्त ग्रामों को विद्युत उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) करौली जिले की पंचायत समिति करौली के ग्राम ताली, डोडा, डुकावली, सकरघटा, हकीमपुरा एवं खूडरी विद्युतीकृत घोषित हैं लेकिन इन ग्रामों की खेंची गई लाइन आंधी–तूफान से क्षतिग्रस्त होने के कारण विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं है। ग्राम देवरी, मोजपुर एवं पिपरानी अभी अविद्युतीकृत हैं। तमुरा नाम से जनगणना पुस्तिका में कोई ग्राम वर्णित नहीं है लेकिन जम्बूरा नाम से ग्राम अंकित है जिसके विद्युतीकरण की प्रक्रिया जारी है।

(2) उक्त वर्णित ग्रामों की लाइन आंधी-तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं व इनमें कनेक्शन की मांग नहीं होने के कारण विद्युत उपलब्ध नहीं है। अतः कोई दोषी नहीं है।

(3) प्रश्न में वर्णित ग्रामों में ग्राम देवरी एवं पिपरानी को वर्ष 1997-98 के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। शेष रहे ग्राम मोजपुर के विद्युतीकरण का कार्य तथा विद्युतीकृत घोषित क्षतिग्रस्त लाइनों का कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार किया जाना सम्भव होगा।

मोबाइल मजिस्ट्रेट द्वारा वाहनों की जांच का प्रकरण

95. डा. मूलसिंह शेखावत (झुन्झुनू): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विगत एक वर्ष में जिला परिवहन अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा मोबाइल मजिस्ट्रेट सीकर से वाहनों का निरीक्षण एक बार भी नहीं करवाया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि सीकर मोबाइल मजिस्ट्रेट ने सीकर में वाहनों की जांच से करीब 15 लाख रुपये वसूले हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा यदि उक्त मजिस्ट्रेट को वाहन उपलब्ध करवाया जाता तो अतिरिक्त राजस्व की आय होती ?

(3) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कितने मोबाइल मजिस्ट्रेट कार्यरत हैं ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। मोबाइल मजिस्ट्रेट, सीकर के अधिकारिता क्षेत्र में सीकर एवं

(राज्य मंत्री, यातायात)

झुंझुनूं जिले में आते हैं तथा मोबाइल मजिस्ट्रेट का मुख्यालय सीकर में है, इसलिए पिछले एक वर्ष में मोबाइल मजिस्ट्रेट, सीकर को अधिकारिता क्षेत्र में वाहनों की जांच हेतु जिला परिवहन अधिकारी, सीकर द्वारा वाहन मय निरीक्षण स्टाफ के उपलब्ध करवाया गया है। इसी वाहन से मोबाइल मजिस्ट्रेट द्वारा झुंझुनूं जिले में भी वाहनों की जांच की गयी है।

(2) मोबाइल मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा अगस्त, 96 से 31.7.97 तक अपने अधिकारिता क्षेत्र में वाहनों की जांच कर रुपये 9,19,047/– की वसूली की गयी है। चूंकि मोबाइल मजिस्ट्रेट, सीकर का मुख्यालय सीकर है, इसलिए उन्हें उनकी अधिकारिता क्षेत्र, सीकर एवं झुंझुनूं जिले के लिए वाहनों की जांच हेतु सीकर मुख्यालय पर वाहन मय निरीक्षण दल उपलब्ध करवाया गया है। मजिस्ट्रेट को केवल वाहन उपलब्ध कराये जाने से कोई अतिरिक्त राजस्व की आय नहीं होती है क्योंकि मजिस्ट्रेट के स्तर पर निरीक्षक दल के द्वारा जांच के दौरान बनाये गये मामलों पर ही कार्यवाही/जुर्माना किया जा सकता है।

(3) जिला सीकर एवं झुंझुनूं में वाहनों की जांच के लिए केवल एक ही मोबाइल मजिस्ट्रेट, सीकर जिला मुख्यालय सीकर पर कार्यरत है।

आबकारी ठेकों की स्वीकृति में विलम्ब के कारण राजस्व हानि

96. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : क्या उप मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की वर्ष 1997–1999 की आबकारी नीति के तहत दिनांक 12–3–1997 को पृथक-पृथक समूहवार/दुकानवार टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो कितने टेण्डर प्राप्त हुए तथा उनकी कब-कब स्वीकृति जारी की गई ?

(2) क्या यह सही है कि टेण्डर प्राप्त नहीं होने पर प्रस्ताव आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह आबकारी नीति के विरुद्ध नहीं है ? क्या ऐसा करने के लिए सरकार ने विभाग को स्वीकृति दी थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि ठेकेदारों ने प्रस्ताव इकजाई जिलेवार समस्त देशी, भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर थोक व खुदरा के एक ही प्रार्थना–पत्र में दिये थे ? यदि हां, तो स्वीकृतियां समूहवार पृथक-पृथक क्यों निकाली गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि धौलपुर जिले का ठेका 1–4–1997 के प्रस्ताव पर उठा था परन्तु स्वीकृति 5 दिन बाद जारी हुई जिससे सरकार को 5.84 लाख रुपये की हानि हुई ?

(5) क्या यह भी सही है कि जोधपुर जिले का ठेका 6 दिन बाद उठाया गया, परन्तु कुछ समूहों की स्वीकृति उसी दिन जारी की गई तथा कुछ समूहों की 13 दिन बाद जारी की गई जिससे सरकार को 37.15 लाख रुपये की हानि हुई है ?

(6) क्या यह सही है कि पाली जिले का ठेका 7 दिन बाद उठा था परन्तु कुछ

(श्री परसराम मोरदिया)

समूहों की स्वीकृति उसी दिन जारी की गई जबकि कुछ समूहों की स्वीकृति 20 दिन बाद जारी की गई जिससे सरकार को 102.56 लाख रुपये की हानि हुई है ?

(7) क्या यह भी सही है कि नागौर जिले का ठेका 6 दिन बाद उठा था परन्तु कुछ समूहों की स्वीकृति 19 दिन बाद जारी की गई जिससे सरकार को 91.00 लाख रुपये की हानि हुई है ?

(8) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर का ठेका 7–4–1997 को उठा था परन्तु स्वीकृति 14 दिन बाद जारी की गई इसके कारण 5.00 लाख रुपये की हानि हुई है ?

(9) क्या यह सही है कि आबकारी आयुक्त ने ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु राज्य के हितों की अनदेखी करते हुए 241.55 लाख रुपये की सरकार को हानि पहुंचाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । राज्य सरकार की आबकारी नीति के अनुसार दिनांक 22–2–97 को समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रसारित कर मदिरा समूहों एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर क्षेत्रों के लिए दिनांक 13–3–97 को निविदाएं आमन्त्रित की गई थी । दिनांक 13–3–97 को प्राप्त निविदाओं व उनकी स्वीकृति दिनांक का विवरण परिशिष्ट–I पर संलग्न है ।

(2) जी, हां । दिनांक 13–3–97 को पर्याप्त निविदाएं प्राप्त न होने के कारण दिनांक 15–3–97 को विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 19–3–97 को पुनः निविदाएं आमंत्रित की गई परन्तु दिनांक 19–3–97 को भी पूर्ण निविदाएं/दरें प्राप्त न होने से राज्य सरकार के पत्र सं. प. 4 (62) वित्त/आब/96/दिनांक 21–3–97 के द्वारा राज्य स्तरीय निविदा निर्णायक समिति को प्रस्ताव प्राप्त करने व प्राप्त प्रस्तावों पर समझौता (निगोसिएशन) ज्ञात करने हेतु अधिकृत किया गया । इस अनुसार दिनांक 21–3–97 को विज्ञप्ति प्रसारित कर पहले समूहों एवं क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव आमन्त्रित किये गये । इस पर भी दिनांक 29–3–97 तक पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने पर समाचार पत्रों में दिनांक 29-3-97 को विज्ञप्ति जारी की जाकर पूर्ण राजस्व जिले के समूहों एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर दुकानों के क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव आमन्त्रित किये गये ।

इस प्रकार से प्रस्ताव आमन्त्रित करने की कार्यवाही राज्य सरकार की आबकारी नीति के अनुरूप एवं स्वीकृति के अनुसार की गई ।

(3) जी, हां । स्वीकृतियां आबकारी नीति के अनुसार प्रत्येक समूह एवं दुकान क्षेत्र के अनुसार [illegible] विशेषाधिकार राशि पूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र में वर्णित समूहों एवं क्षेत्रों के अनुसार ही जारी की गई ।

288

(उप मुख्य (आबकारी) मंत्री)

(4) जी, नहीं । धौलपुर जिले के लिए प्रस्ताव श्री रामावतार एण्ड पार्टी ग्राम बिडियारी तहसील-बयाना द्वारा 31-3-97 को प्रस्तुत किया गया । निविदा निर्णायक समिति व प्रस्तावक के मध्य विचार-विमर्श के पश्चात् दिनांक 6-4-97 से स्वीकृति प्रभावी की गई, इससे कोई हानि नहीं हुई है ।

(5) जोधपुर जिले के समूहों एवं मा. नि.वि.म. एवं बीयर क्षेत्रों के लिए श्री पुखराज सिसोदिया-मुरलीधर एण्ड पार्टी से प्रस्ताव दिनांक 3-4-97 को प्राप्त हुआ । प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार जोधपुर जिले के मदिरा समूहों एवं क्षेत्रों के लिए स्वीकृतियां निम्नानुसार जारी की गई :—

क्र.सं. 1	समूह/क्षेत्र 2	प्रभावी दिनांक 3
1	जोधपुर शहर (दे. म.)	1-4-97
2	जोधपुर ग्रामीण	14-4-97
3	शेरगढ़	14-4-97
4	बिलाड़ा	7-4-97
5	भुपालगढ़	14-4-97
6	फलोदी	14-4-97
7	ग्रोसियां	14-4-97
8	मा.नि.वि.म. एवं बीयर क्षेत्र सं. 1 से 45	7-4-97

उल्लेखनीय है कि इसी पार्टी द्वारा दिनांक 13-3-97 को प्रस्तुत निविदा के क्रम में जोधपुर शहर देशी मदिरा समूह की स्वीकृति दिनांक 1-4-97 से जारी की गई थी । जिसे दिनांक 3-4-97 के प्रस्ताव के क्रम दिनांक 14-4-97 से संशोधित किया गया दिनांक 3-4-97 को प्राप्त प्रस्ताव के अलावा जोधपुर जिले के समस्त मदिरा समूहों एवं क्षेत्रों के लिए और कोई बेहतर प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं था । अतः विभाग को इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से कोई हानि नहीं हुई ।

(6) पाली जिले के समस्त मदिरा समूहों एवं मा.नि.वि.म. एवं बीयर दुकानों के लिये निविदाएं प्राप्त नहीं हुई । दिनांक 4-4-97 को पाली जिले के लिए श्री राजेन्द्र कुमार एण्ड पार्टी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं. 1	मदिरा समूह/क्षेत्र 2	प्रभावी दिनांक 3
1	पाली ग्रामीण	21-4-97
2	बाली	21-4-97
3	सुमेरपुर	8-4-97
4	देसूरी	21-4-97
5	सोजत	21-4-97
6	मारवाड़ ज.	21-4-97
7	रायपुर	21-4-97
8	जैतारण	8-4-97
9	पाली शहर (दे.म.)	8-4-97
10	मा.नि.वि.म. एवं बीयर क्षेत्र सं. 1 से 8	8-4-97

(उप मुख्य (आबकारी) मंत्री)

प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार ही स्वीकृति में प्रभावी दिनांक अंकित की गई। विभाग के समक्ष अन्य कोई बेहतर प्रभाव नहीं था। अतः इस प्रस्ताव के स्वीकार करने से कोई हानि नहीं हुई।

(7) जिला नागौर के समस्त मदिरा समूहों एवं क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव दिनांक 4–4–97 को श्री पंकज मधोक मिश्री खान एण्ड पार्टी का प्राप्त हुआ था। स्वीकृति दिनांक 5–4–97 को जारी की गई। प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार प्रभावी दिनांक निम्नानुसार अंकित की गई है :—

क.सं.	मदिरा समूह/क्षेत्र का नाम	प्रभावी दिनांक
1	2	3
1–	डीडवाना समूह	7–4–97
2–	नागौर शहर (दे.म.)	7–4–97
3–	मा.नि.वि.म. एवं बीयर क्षेत्र सं. 1 व 2	7–4–97
4–	नागौर–जायल	20–4–97
5–	मेड़ता	20–4–97
6–	डेगाना	20–4–97
7–	नावां–कुचामन	20–4–97
8–	मकराना शहर (दे.म.)	20–4–97
9–	मकराना परबतसर (ग्रामीण)	20–4–97
10–	मकराना क्षेत्र सं. 1	20–4–97

प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार व निविदा निर्णायक समिति की अनुशंषा के क्रम में स्वीकृतियां जारी की गई। विभाग को इस प्रस्ताव से बेहतर प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से कोई हानि नहीं हुई।

(8) जिला डूंगरपुर के सभी मदिरा समूहों एवं मा.नि.वि.म. एवं बीयर क्षेत्रों के लिए बार-बार निविदाएं/प्रस्ताव आमन्त्रित करने पर भी निविदा/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। दिनांक 2-4-97 को श्री ओमसिंह राठौड़ एण्ड पार्टी द्वारा डूंगरपुर जिले के समस्त समूहों एवं क्षेत्रों को आरक्षित राशि पर लेने के प्रस्ताव प्राप्त हुए। निविदा निर्णायक समिति द्वारा प्रस्तावक से हुए विचार-विमर्श के क्रम में स्वीकृति 15-4-97 से प्रभावी की गई। विभाग के समक्ष और कोई बेहतर विकल्प उपलब्ध नहीं था। अतः इस स्वीकृति से विभाग को कोई हानि नहीं हुई है।

(9) प्रश्न सं. 4 से 8 वर्णित हानि रुपये 241.55 लाख वास्तविक हानि नहीं होकर काल्पनिक (नेशनल)है, क्योंकि विभाग के समक्ष उपलब्ध समस्त प्रस्तावों का परीक्षण राज्य स्तरीय निविदा निर्णायक समिति द्वारा किया जाकर बेहतर प्रस्तावों को स्वीकृत करने की अभिशंषा की गई। परीक्षण के दौरान यथा सम्भव प्रस्तावकों से विचार विमर्श भी किया गया। यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि प्रस्ताव में वर्णित शर्तों व प्रस्तावकों की सहमति से भिन्न स्वीकृति जारी करना सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त किसी भी समूह एव क्षेत्र को आरक्षित राशि से कम राशि पर स्वीकार नहीं किया गया।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर एवं भरतपुर की क्षतिग्रस्त सम्पर्क सड़कें

97. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1995 एवं 1996 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से जिला अलवर एवं भरतपुर में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सम्पर्क सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी थीं ? यदि हां, तो क्षतिग्रस्त सम्पर्क सड़कों की आवश्यक मरम्मत के लिये क्या कार्यवाही बोर्ड द्वारा की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड अलवर एवं भरतपुर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपरोक्त सड़कों की मरम्मत के लिए तखमीने एवं प्रस्ताव बनाये गये थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही बोर्ड द्वारा की गई ?

(3) क्या यह सही है कि अभी तक क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो मरम्मत कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तर

(1) यह सही है कि वर्ष 1995 एवं 1996 में अतिवृष्टि से अलवर एवं भरतपुर जिलों में सम्पर्क सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी थी। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 1995 में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करायी गयी तथा वर्ष 1996 में क्षतिग्रस्त सड़कों को मरम्मत एवं रख रखाव हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को मरम्मत राशि सहित हस्तान्तरण की गयी/की जा रही है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि उक्त सड़कों के तखमीने तैयार किये गये थे व उनकी स्वीकृति अनुसार सम्पर्क सड़कों की मरम्मत का कार्य सम्पादित करवाया गया है।

(3) वर्ष 1995 में क्षतिग्रस्त सड़कों पर मरम्मत कार्य बोर्ड द्वारा पूरा करा दिया गया है। परन्तु वर्ष 1996 में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को मय लागत राशि के हस्तान्तरित की जा रही है। भरतपुर तथा अलवर जिलों में कुल 174.02 लाख रुपये हस्तान्तारित किया जा चुका है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला दौसा में अध्यापकों एवं व्याख्याताओं के रिक्त पद

98. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला दौसा के विभिन्न उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के अध्यापक एवम् व्याख्याताओं के पद कब-कब से रिक्त हैं ? विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय [illegible] में व्याख्याताओं के पद एक वर्ष से भी अधिक समय से रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री परसादीलाल मीणा)

(3) अब उक्त सभी श्रेणी के रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला दौसा में संचालित राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय में रिक्त अध्यापकों एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर है।

(2) जी, हां। विषय व्याख्याता का एक पद पर पदस्थापित व्याख्याता द्वारा कार्यग्रहण नहीं किये जाने के कारण पद रिक्त है।

(3) नव नियुक्ति आशार्थियों के द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने तथा विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित आशार्थियों के द्वारा 9, 18, व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त कर लेने के परिणाम स्वरूप पदोन्नति पर 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक ही कार्यग्रहण किया जाता है। विभाग द्वारा रिक्त पदों को भरने का पूर्ण प्रयास किया जाता है।

परिशिष्ट–"क"

प्रश्न के भाग संख्या–1 की सूची

क. सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पद			कब से रिक्त है
		I	II	III	
1	2	3	4	5	6
1.	रा.सी.मा.वि. बांदीकुई	5	3	—	2–पद 94–95 से, 1–पद 6/97 से, 2–पद 7/97 से व 2–पद 6/97 से
2.	,, गीजगढ़	3	—	—	3–पद 7/97 से
3.	,, बसवा	3	—	—	1–पद 1/97, 1–पद 5/97 व 1–पद 7/97 से
4.	,, लोटवाड़ा	1	—	—	तीन वर्ष से
5.	,, महुवा	3	—	—	2–पद 6/97, 1–पद 6/97 से
6.	,, राजो. दौसा	8	—	—	2–पद 6/97, 6–पद 7/97 से
7.	,, मण्डावर	3	1	—	3–पद 7/97, 1–पद 6/97 से
8.	,, पावटा	3	—	—	1–पद 7/97, 1–पद 12/96 व 1–पद 4/97 से
9.	,, लवाण	1	—	—	1–पद 7/97 से

२९३

1	2	3	4	5	6
10.	रा.सी.मा.वि.रेल्वे दौसा	2	—	—	1–पद 2/97, 1–पद 8/97 से
11.	,, सैंथल	1	1	—	1–पद 7/97, 1–पद 6/97 से
12.	,, बिनौलाकला	1	—	—	7/97 से
13.	,, मण्डावरी	2	—	1	2–पद 7/97, 1–पद 6/97 से
14.	,, बड़ागांव खेड़ला	5	1	2	3–पद 6/97, 2–पद 7/97 व 1–पद तीन वर्ष व 2–पद दो वर्ष से
15.	,, रामगढ़ पचवार	1	—	—	7/95 से
16.	,, पाड़ली	1	—	—	7/95 से
17.	,, (अशोक) लालसोट	—	2	—	6/97 से
18.	रा. मा. वि. डिगारिया	—	1	1	1–पद 6/97, 1–पद 6/97 से
19.	,, लालचोड़ी	—	1	—	6/97 से
20.	,, जसोता	—	2	—	6/97 से
21.	,, ववारावजी	—	1	—	6/97 से
22.	,, बनियाना	—	1	—	6/97 से
23.	,, गण्डरावा	—	2	—	6/97 से
24.	,, रसीदपुरा	—	1	—	6/97 से
25.	,, महेश्वराकला	—	1	—	6/97 से
26.	,, खारड़ा	—	2	—	6/97 से
27.	,, डीडवाना	—	1	—	6/97 से
28.	,, देवली	—	2	—	6/97 से
29.	,, पापडदा	—	2	—	6/97 से
30.	,, गुमानपुरा	—	1	—	6/97 से
31.	,, कोट	—	1	—	6/97 से
32.	,, अचलपुरा	—	1	—	6/97 से
33.	,, महारिया	—	1	—	6/97 से
34.	,, खानवास	—	1	—	6/97 से
35.	,, बाढ्याल कला	—	1	—	6/97 से

1	2	3	4	5	6
36.	रा. मा वि. हिगोरा	—	—	1	6/97 से
37.	,, गढहिम्मतसिंह	—	—	1	6/97 से
38.	,, विवाई	—	—	1	6/97 से
39.	,, ढिगारियाभीम	—	—	1	6/97 से
40.	,, चान्दराना	—	—	1	6/97 से
41.	,, कल्लाबास	—	—	1	6/97 से
42.	,, महारिया	—	2	—	7/97 से
43.	रा.बा.मा.वि. गीजगढ़	1	—	—	7/96 से
44.	,, मण्डावरी	—	1	—	3/96 से
45.	रा.सी.मा.वि. भोलदा	—	—	1	6/97 से
46.	रा.उ.प्रा.वि. जोध्या	—	1	1	7/97 से
47.	,, ढोली का बास	—	1	—	7/97 से
48.	,, फर्रासपुरा	—	1	—	11/96 से
49.	,, चावेरा	—	—	1	8/97 से
50.	,, पीपलको	—	—	1	7/97 से
51.	,, मोचिगपुरा	—	—	1	7/97 से
52.	,, निहालपुरा	—	—	1	7/97 से
53.	,, गनीपुर	—	—	1	7/97 से
54.	,, बटवा	—	1	—	7/97 से
55.	,, बिवरखा	—	1	—	7/97 से
56.	,, तलावगांव	—	1	1	7/97 से
57.	,, बीछा	—	1	—	7/97 से
58.	,, बगड़ी	—	1	—	7/97 से
59.	,, टोडीगंगा	—	1	—	7/97 से
60.	,, चांदाबास	—	1	—	7/97 से
61.	,, श्रीरामपुरा	—	1	—	7/97 से
62.	,, डोब	—	—	1	7/97 से
63.	,, कटकया	—	—	2	7/97 से

1	2		3	4	5	6
64.	रा.उ.प्रा.वि.	मरियावास	—	—	1	7/97 से
65.	,,	मिर्जापुरा	—	—	1	7/97 से
66.	,,	कीलीवाड़ा	—	—	2	8/97 से
67.	,,	काकरिया	—	—	2	7/97 से
68.	,,	अमराबाद	—	—	1	7/97 से
69.	,,	टोडाठेकला	—	—	1	7/97 से
70.	,,	श्रीमां	—	—	1	7/97 से
71.	,,	रतनपुरा	—	1	—	7/97 से
72.	,,	रायपुर	—	1	—	8/97 से
73.	,,	बीचेपुरी	—	—	1	8/97 से
74.	,,	पालखेड़ा	—	—	1	7/97 से
75.	,,	ठेकड़ा	—	—	2	2/97 से
76.	,,	खटूम्बर	—	—	2	7/97 से
77.	,,	सुरजपुरा	—	1	—	8/97 से
78.	,,	कालावास	—	—	1	7/97 से
79.	,,	नागोरियान दौसा	—	—	1	7/97 से
80.	,,	ऐलावना	—	—	1	7/97 से
81.	,,	भेडोली	—	—	1	7/97 से
82.	,,	चौरड़ी	—	—	1	7/97 से
83.	,,	खोहराकला	—	—	1	7/97 से
84.	,,	चांदेरा	—	—	1	8/97 से
85.	,,	श्यामसिंहपुरा	—	—	1	7/97 से
86.	,,	लीलोज	—	—	2	7/97 से
87.	,,	खोहरमिल्ला	—	—	1	7/97 से
88.	,,	गोन्दरवाड़ा	—	—	1	7/97 से
89.	,,	गेलवा	—	—	1	7/97 से
90.	,,	हांडली	—	—	1	7/97 से
91.	,,	जयसिंहपुरा	—	—	1	7/97 से

1	2	3	4	5	6
92.	रा उ.प्रा.वि. ग्रासोरामपुरा	—	—	1	7/97 से
93.	,, भोजवाड़ा	—	—	1	7/97 से
94.	,, चादेरा	—	—	1	7/97 से
95.	रा.बा.उ.प्रा.वि. रामगढ़ पचवारा	—	1	1	3/97, 3/97 से
96.	,, भीकवाना	—	1	1	3/97, 3/97 से
97.	,, किशनपुरा	—	1	1	3/97, 3/97 से
98.	,, हापावास	—	1	—	3/97 से
99.	,, कुण्डल	—	—	1	3/97 से
100.	,, पापड़दा	—	—	1	3/97 से
101.	रा.प्रा.वि. सेवारा कोढाणी	—	—	1	7/97 से
102.	,, ग्रम्बेडकर कालोनी	—	—	1	7/97 से
103.	,, व्यास मोहल्ला दौसा	—	—	1	7/97 से
104.	,, कोशका की झुपंडिया	—	—	1	8/97 से
105.	रा.उ.प्रावि. डिगो	—	—	1	7/97 से
	योग	44	52	64	

राज्य के ग्रायुर्वेदिक ग्रौषधालय

99. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या ग्रायुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत चार वर्षों में ग्रायुर्वेद विभाग द्वारा कितने ग्रौषधालय खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इतने कम ग्रौषधालय खोलने के क्या कारण हैं ?

(3) बेरोजगार आयुर्वेद ट्रेंड कम्पाउण्डर्स दवाखाने कम खोलने की स्थिति में किस प्रकार पदस्थापित हो सकेंगे ?

उत्तर

(1) विगत चार वर्षों में वर्ष 1993-94 से 1996-97 की ग्रवधि में ग्रायुर्वेद विभागान्तर्गत 25 नवीन ग्रौषधालय खोले गये। सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

२९८

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(2) वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण कम औषधालय खोले गए हैं।

(3) नवीन नियुक्ति हेतु पर्याप्त पदों के अभाव में सभी बेरोजगार ट्रेण्ड आयुर्वेद कम्पाउण्डर्स को राज्य सेवा में नियुक्ति दिया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट "क"

गत चार वर्षों (वर्ष 1993–94 से 1996–97) की अवधि में नवीन स्वीकृत औषधालयों की सूची

क.सं.	स्थान का नाम	तह./पं. स. नाम	जिले का नाम	चिकि. पद्धति
1	2	3	4	5
		वर्ष 1994–95		
1.	मोरवा	गारही	बांसवाड़ा	होमियोपैथी
2.	पच्छावा	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	आयुर्वेदिक
3.	धमोतर	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	,,
4.	कतिसोर	—	डूंगरपुर	,,
5.	कोटड़ा	कोटड़ा	उदयपुर	,,
		वर्ष 1995–96		
1.	कानोड़	वल्लभनगर	उदयपुर	यूनानी
2.	सिहड़ा	बाप	जोधपुर	आयुर्वेद
3.	बावड़ा	डीडवाना	नागौर	,,
4.	जोगा	सम	जैसलमेर	,,
5.	इन्द्राणा	सिवाणा	बाड़मेर	,,
6.	ठाकुरवा	पाली	पाली	,,
7.	मादानामाटान	रानी	पाली	,,
8.	मरता	दूदू	जयपुर	यूनानी
9.	ईसाली	मारवाड़ जंक्शन	पाली	आयुर्वेद
10.	बड़ाना	घाटोल	बांसवाड़ा	,,
11.	डोडावली	गिर्वा	उदयपुर	,,
12.	सलूम्बर	सलूम्बर	उदयपुर	,,

1	2	3	4	5
13.	गेतवाला	कुशलगढ़	बांसवाड़ा	होमियोपैथी
14.	मोरथल	आबूरोड	सिरोही	"
15.	जूना जोगापुर	सिरोही	सिरोही	आयुर्वेद
16.	गढा जसराजपुर	डूंगरपुरा	डूंगरपुर	"
17.	मावल	आबूरोड	सिरोही	"
18.	सीमलवाड़ा	सीमलवाड़ा	डूंगरपुर	"
19.	बजरंगगढ़	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	"
20.	कुलथाना	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	"

नोट :– वर्ष 1993–94, 1996–97 में कोई नवीन औषधालय स्वीकृत नहीं हुआ ।

प्रश्न संख्या–100

(स्थगित)

विकास अधिकारी एवं प्रधान पंचायत समिति लाडनूं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

101. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी व प्रधान पंचायत समिति लाडनूं के विरुद्ध विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो 1 जनवरी, 1997 से अब तक क्या-क्या शिकायतें किस-किस अधिकारी को प्राप्त हुई और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? शिकायतों व उन पर की गई कार्यवाहियों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सह सही है कि उक्त पंचायत के पूर्व विकास अधिकारी के विरुद्ध राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विभाग से बार-बार चालान की अनुमति मांगी जा रही है ? यदि हां, तो अनुमति कब दी गई और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । विकास अधिकारी एवं प्रधान, पंचायत समिति, लाडनूं के विरुद्ध शिकायतें मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, जिला परिषद, नागौर को प्राप्त हुई हैं । इन शिकायतों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, जिला परिषद, नागौर द्वारा जांच कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । शिकायतों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) पंचायत समिति, लाडनूं के पूर्व विकास अधिकारी श्री के. डी. शर्मा के

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

विरुद्ध दिनांक 9-9-1997 को अभियोजन की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

उदयपुर की झीलों पर व्याप्त प्रदूषण

102. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर की विश्व प्रसिद्ध झीलों के आसपास बढ़ते प्रदूषण से उक्त झीलों के अस्तित्व पर खतरा बढ़ता जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त झीलों के आसपास आवास/होटल बनाने पर रोक लगाने के बावजूद सरकारी निगमों, कार्यालयों को भवन बनाने की स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) सरकार ने स्वयं के कोष एवं संसाधनों से पिछले तीन वर्षों में उक्त झीलों के संरक्षण पर कब-कब व कितनी कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार भविष्य में उक्त झीलें जो उदयपुर की लाइफ लाइन है, को बचाने व संरक्षण देने के लिये क्या-क्या ठोस कदम कब तक उठाने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 171 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17-1-97 को अधिसूचना जारी कर फतेहसागर एवं पिछोला झील के इर्द-गिर्द के क्षेत्र को निर्माण निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। राज्य नगरपालिका अधिनियम की धारा 171 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व जो भूमि, भवन, स्थल के रूप में अलग रखी गई है, ऐसी भूमियों को भवन निर्माण की अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं किया जायेगा। इस प्रकार निर्माण निषेध क्षेत्र की इस अधिसूचना के पूर्व जो भूमि राज्य सरकार, नगर विकास न्यास, नगर परिषद द्वारा भवन स्थल के लिए आरक्षित की गई थी उस भूमि के अलावा किसी भूमि पर न्यास द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई है।

(3) उदयपुर न्यास द्वारा झीलों के संरक्षण पर निम्न प्रकार व्यय हुआ:—

(i) जल कुंभी के निस्ताकरण हेतु—9,72,696

(ii) आवास विकास संस्थान को पायलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अग्रिम भुगतान—20,00,000

कुल—29,72,696

(4) उदयपुर की फतेहसागर एवं पिछोला झीलों को प्रदूषण मुक्त करने/प्रदूषण की रोकथाम के लिए कुछ आवश्यक

(पर्यावरण मंत्री)

रुपये 12 करोड़ की तात्कालिक कार्य-योजना कलक्टर, उदयपुर के स्तर पर तैयार की गई है। जिसकी 58 प्रतिशत राशि प्रन्यास नगर परिषद, उदयपुर एवं जन सहयोग से प्राप्त की जा रही है तथा शेष 58 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत उदयपुर की झीलों को सम्मिलित किया है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा 135.88 करोड़ की पूर्व सम्भाव्यता रिपोर्ट (Pre-Feasibility Report) केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की गई है। इस योजना में निम्न कार्य करना प्रस्तावित है—

1. झीलों में मल के गिरने को रोकने के लिये वर्तमान में बन्द एवं खुले नालों का निर्माण एवं अवरुद्ध मल-नल प्रणाली एवं दिशा परिवर्तन हेतु निर्माण कार्य।
2. सीवरेज पंपिग स्टेशनों का नवीनीकरण एवं निर्माण।
3. उच्छिष्ठ के उपचार हेतु उपचार संयंत्र की स्थापना।
4. स्नानघरों एवं धोबीघाटों का निर्माण।
5. शवदाह गृह निर्माण।
6. सुलभ शोचालयों का निर्माण।
7. झीलों में से मिट्टी, कचरा आदि निकालने का कार्य।
8. नंगी पहाड़ियों एवं इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं मृदा संरक्षण कार्य।
9. कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं जनचेतना जागृत करना। केन्द्र सरकार द्वारा विस्तृत कार्य-योजना स्वीकृत करने के उपरान्त कार्यों की क्रियान्विति कराई जायेगी।

जयपुर शहर के आटो रिक्शाओं का मीटर से संचालन

103. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर शहर में आटोरिक्शा मीटर से चलाने हेतु क्या सरकार द्वारा कोई नियम बनाये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में और कड़ा रुख अपनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 7.82 के अनुसार आटो रिक्शाओं में किराया मीटर लगाया जाना अनिवार्य है। राज्य सरकार द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 67 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आटो रिक्शा की किराये की दरें निर्धारित की गयी है।

(2) जी, हां। मीटर से आटो रिक्शा नहीं चलने की शिकायत प्राप्त होंने पर सम्बन्धित आटो रिक्शाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में

(राज्य मंत्री, यातायात)

दिनांक 1-4-97 से 31-8-97 तक की अवधि के कुल 577 आटो रिक्शा मीटर से नहीं चलने के कारण चालान बनाकर 81,250/– रुपये प्रशमन राशि वसूल की गयी है।

बीयर बार अनुज्ञाधारियों द्वारा बीयर क्रय प्रकरण

104. श्री मोहनलाल बाकपाल (जायल) एवं श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) :– क्या उप मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीयर बार अनुज्ञाधारी रेस्टोरेन्ट को बीयर कहां से खरीदने का प्रावधान है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अनुज्ञाधारी रिटेल आफ दुकान से बीयर खरीदते हैं ? यदि हां, तो इससे सरकार को प्रति पेटी कितनी हानि होती है ?

(3) जयपुर शहर स्थित बीयर बार अनुज्ञाधारियों ने कितनी-कितनी बीयर रिटेल आफ से एवं कितनी कितनी बीयर थोक दुकान से अप्रेल, 1997 से अगस्त, 1997 तक खरीदी ?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के शराब ठेकेदारों को फायदा देने हेतु आबकारी आयुक्त ने स्थानीय रिटेल दुकान से बीयर बार अनुज्ञाधारी बीयर खरीद सकेंगे, का परिपत्र जारी किया है ?

(5) क्या यह सही है कि इस परिपत्र से सरकार को 10 या 15 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से घाटा हुआ है ? क्या सरकार इस नुकसान की पूर्ति उस रिटेल लाइसेंसधारी या आबकारी आयुक्त से वसूल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) रेस्टोरेन्ट बीयर बार अनुज्ञाधारी को स्थानीय खुदरा तथा राजस्थान में स्थित किसी भी बीयर थोक अनुज्ञाधारी से बीयर खरीदने का प्रावधान है।

(2) जी, हां। सरकार को कोई नुकसान नहीं होता।

(3) माह अप्रेल से अगस्त, 1997 तक निम्नानुसार बीयर क्रय की गई :—

होलसेल से	रिटेल आफ से
24,219 बल्क लिटर्स	61,405 बल्क लिटर्स

(4) जी, नहीं। बीयर बार अनुज्ञाधारियों को बीयर खरीदने हेतु पहले से ही यह प्रावधान है कि वे किसी भी थोक अथवा स्थानीय खुदरा अनुज्ञाधारी से क्रय कर सकते हैं। इसी प्रावधान की निरन्तरता में आयुक्त आबकारी द्वारा दिनांक 5-6-97 के परिपत्र सं. 16/97 जारी किया गया है। परिपत्र के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई फायदा नहीं कराया गया है।

(5) जी, नहीं। पूर्व से विद्यमान उक्त प्रावधान अथवा दिनांक 5-6-97 को जारी परिपत्र से सरकार को कोई हानि नहीं होती, अतः किसी से वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता।

मार्ग दर्शिका परिवर्तन प्रकरण

105. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा कार्य निष्पादन करवाने के लिये बनाई गई मार्ग दर्शिका में परिवर्तन किये गये ? यदि हां, तो कब तथा क्या-क्या ? तुलनात्मक विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 1995 से अब तक की अवधि में जिला चित्तौड़गढ़, बूंदी, टोंक व झालावाड़ में दो लाख रुपये से अधिक लागत की एनीकट का निर्माण कराया गया है तथा इस लागत के एनीकट का निर्माण कार्य करवाये जाने के लिये स्वीकृति जारी की गई है ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम की राजस्व सीमा में ? जलग्रहण विकास परियोजना क्षेत्र के नाम सहित ग्रामवार नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। 17 अक्टूबर 1994 को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जलग्रहण विकास हेतु नयी मार्गदर्शिका जारी की गई है। उक्त मार्ग दर्शिका को जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा नवम्बर, 1995 को अपनाई गई। विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उक्त मार्गदर्शिका को 26/8/96 को जारी किया गया। इन दिशा निर्देशों के अनुसार विभाग का कार्य क्षेत्र जलग्रहण परियोजना में ही सीमित रहेगा। नवम्बर, 1995 में 2,000 हैक्टेयर से अधिक के जलग्रहण क्षेत्र स्वीकृत किए जाते रहे हैं। 26-8-97 के पश्चात् उन्हीं जलग्रहण क्षेत्रों को 500 हैक्टेयर के टुकड़ों में विभक्त किया गया है।

(2) टोंक, चित्तौड़ एवं बूंदी जिलों में 2 लाख से अधिक राशि के कोई कार्य नहीं करवाया गया है। झालावाड़ जिले में दो लाख से अधिक की राशि के निर्माण कार्य करवाये गये हैं जिसकी स्वीकृति जारी की गयी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	एनीकट का नाम	राजस्व सीमा ग्राम
1.	मिश्रोली एनीकट	पोली
2.	खानपुरियां	खानपुरिया

सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय, भरतपुर

106. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर स्थित सनातन धर्म सभा संस्थान द्वारा संचालित श्री सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय, भरतपुर को मिलने वाला अनुदान सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों एवं कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय में कार्यरत अध्यापक एवं कर्मचारियों को पिछले 14 माह से वेतन भुगतान नहीं होने के फलस्वरूप व्याप्त असन्तोष के कारण कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ?

(श्री आर. पी. शर्मा)

(3) क्या सरकार अब उक्त विद्यालय एवं संस्था का किसी सक्षम विभागीय प्रतिनिधि द्वारा तत्स्थानीय निरीक्षण करवाकर संस्था द्वारा की जा रही अनियमितताओं यथा समय पर चुनाव आदि की पुष्टि कर संस्था में प्रशासक नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण के वाद संख्या 246/95 में दिये गये निर्णय तथा उक्त निर्णय की अनुपालना कराने के लिये विभाग द्वारा भी दिये गये आदेश दिनांक 21.11.96 की पालना नहीं करने के कारण विभागीय आदेश दिनांक 30.11.96 से उक्त संस्था का अनुदान तत्काल प्रभाव से रोका गया ।

(2) जी, हां ।

(3) उक्त संस्था की जांच, हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर द्वारा गठित कमेटी ने जांच करके हाल ही में रिपोर्ट निदेशालय को दी है । समीक्षा उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

आभानेरी (दौसा) का पर्यटन स्थल के रूप में विकास प्रकरण

107. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला दौसा की पंचायत समिति बांदीकुई के ग्राम आभानेरी स्थित मन्दिर व कुण्ड पुरातत्व महत्व के स्थान हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त स्थान पर पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु एवं उन्हें बैठने के लिये बारादरी, जलपान, पेयजल आदि की सुविधा के इन्तजाम कराये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई ?

(3) प्रतिवर्ष आभानेरी में भरने वाले वार्षिक मेले की व्यवस्था विभाग द्वारा कराये जाने की क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(4) क्या सरकार उक्त दर्शनीय स्थल को बढ़ावा देने हेतु पैकेज टूर में आभानेरी का नाम भी दर्ज किये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार ने आभानेरी कुण्ड के प्रचार-प्रसार हेतु कोई साहित्य कलैण्डर भी छपवाया है ? यदि हां, तो प्रकाशित सामग्री की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) वर्तमान में कोई योजना नहीं है ।

(3) जी, नहीं ।

(4) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(5) जी हां । वर्ष 1994–95 में आभानेरी कुण्ड का पोस्टर मुद्रित करवाकर

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

वितरित किया गया है । इसके अतिरिक्त आमानेरी के प्रचार-प्रसार के लिये आमानेरी के सम्बन्ध में सूचना जयपुर सर्किट के ब्रोशर में भी सम्मिलित की गई है। आमानेरी कुण्ड का पोस्टर वितरित करने के उपरान्त समाप्त हो गया है । जयपुर सर्किट के ब्रोशर की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन का अंकेक्षण

108. श्री संगारसिंह चौधरी (खारची): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायतों का ऑडिट हर साल किया जाता है ? यदि, हां तो पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन की पंचायतों का आडिट वर्ष 1993-94 से आज तक नियमानुसार कब-कब हुआ व कौन-कौन सी पंचायतों का आडिट नहीं हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त पंचायतों पर लगाई गई अंकेक्षण आपत्तियों की क्रियान्विति कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब अंकेक्षण आपत्तियां कौन-कौन सी पंचायतों पर क्या-क्या लगाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1).(क) जी, हां । कभी हर साल व कभी दो-तीन वर्ष का एक साथ आडिट किया जाता है ।

(ख) वर्ष 93-94 से अब तक मारवाड़ जंक्शन की पंचायतों का आडिट दि.20.11.95 से 27.1.96 व 16.12.96 से 22.2.97 तक किया गया ।

(ग) कुल 47 ग्राम पंचायतों में 36 ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण हो चुका है । सूची संलग्न है ।

(घ) जिन ग्राम पंचायतों ने आडिट नहीं करवाया उनकी सूची संलग्न है ।

(2) जी, नहीं आपत्तियों की क्रियान्विति अभी नहीं की गई है । वर्ष 93-94 से 95-96 तक की प्रत्येक पंचायत की अंकेक्षण आपत्तियों का विवरण संलग्न है । वर्ष 96-97 का अंकेक्षण दिनांक 26.6.97 तक हुआ था । उनके अंकेक्षण प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं । वर्ष 93-94 से अब तक के आक्षेपों की अनुपालना नहीं किये जाने की जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाली से कराई जा रही है जिसके उपरान्त आवश्यक पाया गया तो दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सहायक अभियन्ता, कार्यालय पीपलाई (बामनवास) का स्थानान्तरण प्रकरण

109. श्री हीरालाल (बामनवास): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बामनवास में सहायक अभियन्ता का कार्यालय ग्राम

304

(श्री हीरालाल)

पीपलाई में था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यालय को किन कारणों से नादोती स्थानान्तरित किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि सहायक अभियन्ता विद्युत का कार्यालय, नादोती होने के कारण तहसील में विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है तथा उक्त कार्यालय में स्टाफ की कमी के कारण अनधिकृत बिजली का उपयोग भी अधिक हो रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि अब सहायक अभियन्ता कार्यालय, नादोती जिला करौली में सम्मिलित हो चुका है और बामनवास तहसील सवाईमाधोपुर में है ? क्या सरकार अब सहायक अभियन्ता कार्यालय पीपलाई में स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता का कार्यालय पीपलाई से प्रशासनिक कारणों से नादोती में स्थानान्तरित किया गया।

(2) जी, नहीं। बामनवास में विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। अनाधिकृत रूप से बिजली के उपभोग में किये जाने की निगरानी हेतु मण्डल द्वारा सतर्कता दल गठित किया हुआ है जो कि समय-समय पर ऐसे मामलों को पकड़ कर उन पर उचित कार्यवाही करते हैं।

(3) सहायक अभियन्ता कार्यालय, नादोती अब जिला करौली के अन्तर्गत आता है, जबकि उक्त कार्यालय के सब-आफिसेज बामनवास एवं पीपलाई, जिला सवाईमाधोपुर के अन्तर्गत आते हैं, जिसके पुर्नगठन के प्रस्ताव क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कोटा को प्रेषित किये हुये है। सहायक अभियन्ता कार्यालय, पीपलाई में खोलने के प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता कोटा जोन से प्राप्त हुए थे, जिनके परीक्षण पर पाया गया कि प्रशासनिक वित्तीय एवं भौगोलिक दृष्टि से अभी वहां सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोलना उपयुक्त नहीं है।

मदिरा विक्रय ठेका प्रकरण

110. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या उप मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा छोटे-छोटे समूहों को मदिरा के ठेके देने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो निर्णय के विपरीत बड़े समूहों को ठेके दिये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में दिनांक 1 अप्रेल, 1997 से 21 अप्रेल, 1997 तक मदिरा का विक्रय किन समूहों द्वारा किया गया व इस अवधि की राजस्व आय कितनी हुई इसे कहां व कब जमा कराया गया ? क्या इस अवधि में मदिरा विक्रय पुराने लाइसेंसधारी द्वारा किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस वर्ष के पहले किसी भी लाइसेंसधारी

(श्री रघुवीर सिंह)

को ठेके देते समय 17 प्रतिशत अमानत राशि जमा की जाती थी ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष मात्र 5 प्रतिशत राशि ही जमा कराई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या जनजाति उपयोजना क्षेत्र में भारत निर्मित अंग्रेजी शराब के विक्रय हेतु कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या ? तथा उक्त क्षेत्र की भारत निर्मित अंग्रेजी शराब की दुकानों की विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आबकारी नीति वर्ष 97-99 के अनुसार राज. राज्य में ठेके देने हेतु 216 मदिरा समूह व 352 भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर क्षेत्र बनाये गये थे। इन समस्त 216 समूह व 352 भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर क्षेत्रों के लिए दिनांक 22.2.97 को समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर दि. 13 मार्च, 97 को निविदाएं आमन्त्रित की गई थी। दिनांक 13 मार्च, 97 को खोली गई निविदाओं में समस्त समूहों एवं क्षेत्रों के लिए निविदाएं/दरें प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः पड़त समूहों/क्षेत्रों के लिए दिनांक 15 मार्च, 97 को समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जाकर दिनांक 19 मार्च, 97 को निविदाएं मांगी गई। दिनांक 19 मार्च, 97 को भी पर्याप्त निविदाएं प्राप्त नहीं होने के कारण समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति दिनांक 21 मार्च 97 जारी की जाकर पड़त समूहों/क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव मांगे गये। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने अपने पत्र सं. प. 4 (62) वित्त/आव/96 दिनांक 21.3.97 द्वारा आबकारी आयुक्त को निर्देश दिए कि जहां कहीं सम्पूर्ण जिले की आरक्षित राशि अक्षुण रहे वहां निविदा निर्णायक समिति पूर्ण जिले हेतु उच्चतम निविदा को स्वीकार कर सकती हैं।

इसके साथ ही निविदा निर्णायक समिति को प्राप्त प्रस्तावों पर नेगोसिएशन करने हेतु अधिकृत किया गया। इसी को मद्देनजर रखते हुए दिनांक 29 मार्च, 97 को समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर पूर्ण राजस्व जिले के लिए आबकारी अनुज्ञापत्र हेतु आरक्षित राशि पर आधारित प्रस्ताव आमन्त्रित किए गये। ऐसे प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य स्तरीय निविदा निर्णायक समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं अधिकतम राजस्व आय सुनिश्चित करने हेतु सम्पूर्ण जिले के प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

(2) राज्य में दिनांक 1.4.97 से 21.4.97 तक स्वीकृत समूहों एवं क्षेत्रों (सूची संलग्न) के अनुज्ञाधारियों द्वारा मदिरा का विक्रय किया गया। राज्य सरकार को 1.4.97 से 21.4.97 तक आबकारी राजस्व मद में 44 49 करोड़ रुपये की आय हुई जो चालान द्वारा सम्बन्धित बैंक/कोषालयों में जमा कराई गई है। दिनांक 1.4.97 से किसी भी पुराने अनुज्ञाधारी द्वारा मदिरा का विक्रय नहीं किया गया।

(3) जी, नहीं। किसी भी निविदादाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय 5 प्रतिशत अमानत राशि निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होती है। निविदा स्वीकार

(उप मुख्य (आबकारी) मंत्री)

होने की दशा में निविदादाता को निर्धारित धरोहर राशि 17 प्रतिशत की 70 प्रतिशत रकम स्वीकृत निविदा की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा होने की तारीख से तीन दिन (चस्पा होने की दिनांक छोड़कर) के भीतर जमा करानी होती है। शेष धरोहर राशि निविदादाता को स्वीकृति सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने के दिन से (चस्पा दिनांक को छोड़कर) 10 दिवस में या दुकानें प्रारम्भ करने से पूर्व (जो भी पहले हो) जमा करानी होती है।

(4) जी, हां। बार बार निविदाओं/प्रस्तावों के आमन्त्रण के बावजूद भी ठेके नहीं उठने के कारण, ठेकों को उठाए जाने के लिए एवं राज्य के राजस्व हित को ध्यान में रखकर इस वर्ष 5 प्रतिशत या कम अमानत राशि के साथ निविदा/प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर, यह सुनिश्चित करने के उपरांत कि निविदादाता/प्रस्तावक के बेक-आउट होने की संभावना न्यूनतम है, के नाम पर ठेका स्वीकृत किया गया।

(5) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में राज्य सरकार की आबकारी नीति के अन्तर्गत भा. नि. वि. म. एवं बीयर दुकानों को ठेके पर दिये जाने का प्रावधान है। राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में संचालित भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानों की सूची संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मण्डी प्रांगण की दुकानों के भागीदारों में परिवर्तन प्रकरण

111. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विभाग के पत्र क्रमांक प. 11 (12) कृषि/ग्रुप–2/93 दिनांक 7-6-1997 द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगण में फर्म के भागीदारों में परिवर्तन होने पर दुकानों के परिवर्तन एवं फर्म के नामों में परिवर्तन करने के आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो तत्संबंधित समस्त आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन आदेशों के पूर्ववर्ती आदेशों के अनुसार सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी? यदि हां, तो नये आदेशों के जारी करने का क्या औचित्य है?

(3) क्या सरकार राजस्व में करोड़ों रुपयों की हानि होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आदेशों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। प्रश्नांकित आदेश दिनांक 7-6-97 की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

(2) प्रश्नांकित आदेश से दुकान परिवर्तन पर प्राप्त होने वाला राजस्व प्रभावित नहीं होता।

(3) जी, नहीं। उपरोक्तानुसार आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट 'श'

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प. 11(12) कृषि/ग्रुप–2/93/ जयपुर, दिनांक : 7-6-97

निदेशक,
कृषि विपणन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :–कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण में फर्म के भागीदारों में परिवर्तन होने पर दुकानों के परिवर्तन एवं फर्म के नामों में परिवर्तन करने के संदर्भ में।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक : प. 5 (3) नि कृ वि/आवंटन/22379 दिनांक : 15-5-97

महोदय,

इस विभाग के पत्र क्रमांक : प 15 (25) कृषि/ग्रुप–2/86/II दिनांक : 10-1-90 के द्वारा मण्डी प्रांगणों में दुकान का नाम/फर्म के भागीदारों में परिवर्तन के लिये कुछ शर्तें रखी गई थी। इन शर्तों में क्रम संख्या 3 पर शर्त अंकित की गई थी कि "फर्म के हिस्सेदारों में परिवर्तन से फर्म के नामों में परिवर्तन, किन्तु शर्त यह होगी कि हिस्सेदारों में एक भागीदार पुराना ही होगा" को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,
ह./–
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

कृषि विपणन निदेशालय

क्रमांक : प. 5(3) आवंटन/97/30954–31104 जयपुर, दिनांक : 9-8-97

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. अतिरिक्त निदेशक,
2. संयुक्त निदेशक,
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी,

4. समस्त उप निदेशक,
5. समस्त क्षेत्रीय सहायक निदेशक,
6. समस्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति...... ....

ह.

संयुक्त निदेशक,
कृषि विपणन

उप निदेशक मंडल अजमेर कार्यालय में प्राप्त शिकायतें

112. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक कार्यालय उप निदेशक, पुरुष एवं महिला मंडल अजमेर एवं उनके अधीन जिला स्तरीय कार्यालय में कार्यरत कतिपय अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? समस्त कार्यवाही एवं जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रश्न सम्बन्धी शिकायतों पर समय पर कार्यवाही नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक उप निदेशक (पुरुष एवं महिला) अजमेर एवं उनके अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय में कार्यरत निम्नांकित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई :-

1. श्रीमती सावित्री शर्मा,
   उप निदेशक (महिला), अजमेर।
2. उप निदेशक (पुरुष), अजमेर।
3. श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव,
   उप निदेशक (महिला), अजमेर।
4. उप निदेशक (पुरुष), अजमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा)अजमेर
6. श्रीमती एलिस इलियास,
   उप निदेशक (महिला), अजमेर।
7. उप निदेशक (पुरुष), अजमेर।
   जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र/छात्रा/प्रारम्भिक शिक्षा), अजमेर।
8. श्री हरिशचन्द्र जोशी, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अजमेर।
9. श्री नरेन्द्र दुबे, तत्कालीन कार्यालय सहायक, उप निदेशक (पुरुष) अजमेर।

परिशिष्ट "ए" से "जी" पर शिकायतों की प्रति संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा उक्त अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर जांच की गई/कराई जा रही है।

(3) प्राप्त शिकायतों पर यथासमय कार्यवाही की गई है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 130 का विवरण)

परिशिष्ट–'अ'

ईंट उद्योग (मशीनीकरण द्वारा) इकाईयों को स्वीकृत/वितरण अनुदान राशि की सूचना

राज्य स्तरीय अनुदान समिति स्तर पर स्वीकृत/वितरण प्रकरण

क्र. सं.	इकाई का नाम व पता	समिति की बैठक का दिनांक	स्वीकृति राशि (लाख रु.)	वितरण राशि (लाख रु.)	दिनांक	राशि वितरण करने वाले विभाग का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै. सेण्ड प्लास्ट इण्डिया लि०, बहुरोड़, अलवर	7-3-91	15.00	11.25 3.75	30-3-91 9-6-93	उद्योग विभाग
2.	मै. पेरीवाल ब्रिक्स लि०, डूंगरगढ़, चूरू	26-6-91	15.00	11.25 3.75	15-12-92 20-5-94	,, ,,
3.	मै. आधुनिक क्ले प्रोडक्ट्स, भीलवाड़ा	7-10-91 4-5-92	9.41	7.05	30-3-93	वित्त निगम
4.	मै. सोम प्रकाश एण्ड संस ब्रिक्स प्रा. लि., श्रीगंगानगर	9-1-92 26-12-92	10.28	5.44	20-2-92	,, ,,

310

जिला स्तरीय प्रनुदान समिति स्तर पर स्वीकृत/वितरण प्रकरण

क्र. सं.	इकाई का नाम व पता	स्वीकृत राशि एवं दिनांक (लाख रु.)		वितरण राशि एवं दिनांक (लाख रु.)		राशि वितरण करने वाले विभाग का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै. मेवाड़ ब्रिक्स उद्योग मुंगासन (कपासन) जिला चित्तौड़गढ़	2.41	7-10-92	1.50 0.83	22-10-92 15-2-93	वित्त निगम
2.	मै. महालक्ष्मी उद्योग, पटियावली रोड, चित्तौड़गढ़	0.79	28-3-95	0.39	30-5-96	,, ,,
3.	मै. स्टार ब्रिक्स बिल्डर्स, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़	0.96	28-3-95	0.96	30-3-95	उद्योग विभाग
4.	मै. तिरुपति रिफरेटर्स प्रा. लि., मानपुरा, चित्तौड़गढ़	1.54	31-3-97	—	—	
5.	मै. पारीक ब्रिक्स, औद्योगिक क्षेत्र, बिछवाल, बीकानेर	2.72	20-4-93	2.72	18-7-93	राज. वित्त निगम
6.	मै. खण्डेलवाल ब्रिक्स इण्ड., श्रीमाधोपुर, सीकर	0.63	6-1-93	0.57	4-2-93	,, ,,
7.	मै. प्रजापत रेड ब्रिक्स, ग्राम मगवास तहसील झाडोल (उदयपुर)	3.86	30-3-95	—	—	
8.	मै. राजस्थान रेड ब्रिक्स ग्रा. टोकर तहसील सराडा (उदयपुर)	2.71	30-3-95	—	—	,, ,,
9.	मै. संगम रेड ब्रिक्स औद्योगिक क्षेत्र गुडली (उदयपुर)	2.22	24-6-95	—	—	,, ,,
10.	मै. गणेश ईंट उद्योग, चक 6 एस.सी.एम. भगवानसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर	3.57	15-1-93	3.57	27-3-93	उद्योग विभाग

परिशिष्ट–6 परिशिष्ट "1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या 133 की सूची)

करौली शहर में स्थित देवस्थान विभाग के मंदिरों की सूची
राजकीय आत्म निर्भर

क्र.सं.	नाम मंदिर एवं संस्थान	पता	स्थान	जिला
1	2	3	4	5
1.	मन्दिर श्री राधागोपाल जी	पानी की टंकी के पास किले के बाहर	करौली	करौली
2.	मन्दिर श्री प्रतापनवलबिहारीजी	सेढ़माता के मठ के पास, छतपाड़ा मोहल्ला	,,	,,
3.	मन्दिर श्री गोपीनाथ जी	छतपाड़ा मोहल्ला	,,	,,
4.	मन्दिर श्री मुरलीमनोहरजी (दानसिंह वाला)	मेला ग्राउन्ड	,,	,,
5.	मन्दिर श्री गोपालजी अट्टा	किले में	,,	,,
6.	मन्दिर श्री मुरलीमनोहरजी	अखाड़ा, किले में	,,	,,
7.	मन्दिर श्री हरदेवजी व गणेशजी सदावृत भण्डार	नक्कारखाने के सामने किले में	,,	,,
8.	मन्दिर श्री मठ सुमेरगिरी अथवा सेवागिरीजी	हिण्डोन दरवाजे के बाहर	,,	,,
9.	मन्दिर श्री नृसिंहजी	मोहल्ला सीतावाड़ी	,,	,,
10.	मन्दिर श्री कुंज दादूपंथीयान	अनाज मण्डी	,,	,,

———

(318)

। १६ 312

करौली शहर में स्थित देवस्थान विभाग के मन्दिरों की सूची
राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी

क्र.सं.	नाम मंदिर एवं संस्थान	पता	स्थान	जिला
1	2	3	4	5
1.	मन्दिर श्री अमरशिरोमणीजी	नगरपालिका के पास	करौली	करौली
2.	,, श्री सूर्य नारायणजी	,,	,,	,,
3.	,, श्री बलदाउजी	,,	,,	,,
4.	,, श्री बांके बिहारीजी	,,	,,	,,
5.	,, श्री मदनगोविन्देश्वरजी	मं. सूर्यनारायणजी के पास	,,	,,
6.	,, श्री प्रतापजड़ावशिरोमणीजी	नाहर दरवाजे के बाहर	,,	,,
7.	,, श्री पुष्पबिहारीजी	मंदिर मदनमोहनजी के सामने	,,	,,
8.	,, श्री राधावल्लभजी	बड़े रावले में किले में	,,	,,
9.	,, श्री मोहनलालजी	,,	,,	,,
10.	,, श्री ब्रजमोहनजी	,,	,,	,,
11.	,, श्री जगमोहनजी	,,	,,	,,
12.	,, श्री शेषजी	निज रावले में (किले में)	,,	,,
13.	,, श्री लक्ष्मीनारायणजी व गोपालजी	खिरनी नीचे, रावले में (किले में)	,,	,,
14.	,, श्री ब्रजमोहनजी	रावले रसोई में (किले में)	,,	,,
15.	,, श्री लक्ष्मीनारायणजी	रावले अखाड़े में (किले में)	,,	,,
16.	,, श्री सत्यनारायणजी	रावले आमली वाले में	,,	,,
17.	,, श्री गंगाजी	रावले के दालान में	,,	,,
18.	,, श्री गोपालजी (कछवाईजी)	मन्दिर मदनमोहनजी के अहाते में	,,	,,
19.	,, श्री कुशलमनोहरजी	महल के अन्दर किले में	,,	,,
20.	,, श्री केशोरायजी	,,	,,	,,
21.	,, श्री मधुसुदनजी	रावले अखाड़े में (किले में)	,,	,,
22.	,, श्री आनन्दघनजी	सुर्री गुर्ज के पास, किले के पास	,,	,,

1	2	3	4	5
23	मन्दिर श्री हनुमानजी	श्री गोपालसिहजी के अखाड़े में, किले में	करौली	करौली
24.	,, श्री कल्याणरामजी	नक्कार खाने के सामने	,,	,,
25.	,, श्री गोपालजी (मा. सा.) चन्द्रावतजी वाला)	,,	,,	,,
26.	,, श्री मदनधनुष बिहारीजी	हिण्डोन दरवाजे के बाहर	,,	,,
27.	,, श्री रसिक बिहारीजी	,, बागुर में	,,	,,
28.	,, श्री भेरूजी	,, बागुर में	,,	,,
29.	,, श्री सुजानमनोहरजी	पांडे के कुए के पास हिण्डोन रोड	,,	,,
30.	,, श्री हनुमानजी	अनाज की मंडी (गंज)	,,	,,
31,	,, श्री गणेशजी	,,	,,	,,
32.	,, श्री गोपालजी	मण्डी टकसाल अनाज की मंडी	,,	,,
33.	,, श्री हरबख्तावर शिरोमणीजी	पानी की टंकी के पास	,,	,,
34.	,, श्री कृष्ण बलदाऊजी	सूबेदार की हवेली के पास घुर दरवाजा	,,	,,
35.	,, श्री बालकृष्ण बिहारीजी	पावर हाउस के सामने, घुर दरवाजा	,,	,,
36.	,, श्री लक्ष्मीनारायणजी	घुर दरवाजे के बाहर	,,	,,
37.	,, श्री गणेशजी	,, के अन्दर	,,	,,
38.	,, श्री दाऊजी गुरजी	गुरजा दरवाजा (कालेज की नई बिल्डिग के सामने)	,,	,,
39.	,, श्री गोवर्धनस्वरूप शिरोमणी जी (मावासा वाला मंदिर	बाजार गोनवालान (बड़ा बाजार)	,,	,,
40.	,, श्री राधादामोदरजी	,,	,,	,,
41.	,, श्री भेरूजी गंज	,,	,,	,,
42.	,, श्री राधावल्लभजी	पीपल के नीचे, बाजार गोनवालान (बड़ा बाजार)	,,	,,

1		2	3	4	5
43.	मन्दिर	श्री अमरउम्मेद बिहारीजी	बाजार गोनवालान (बड़ा बाजार)	करौली	करौली
44.	,,	श्री सीतारामजी	होली खिड़कियों के पास	,,	,,
45.	,,	श्री सीतारामजी व हनुमानजी	,,	,,	,,
46.	,,	श्री मनकल्याणेश्वर जी महादेव	नदी दरवाजा	,,	,,
47.	,,	श्री मुरली मनोहरजी	नदी दरवाजा (गुदड़ीयान) का अखाड़ा	,,	,,
48.	,,	श्री छत्री गोपालसिंहजी	नदी दरवाजा	,,	,,
49.	,,	श्री गोपालजी	नदी दरवाजे के बाहर (सुख विलास)	,,	,,
50.	,,	श्री गोपालजी	नदी दरवाजे के बाहर	,,	,,
51.	,,	श्री नृसिंहजी	नदी दरवाजे के बाहर (कुंड)	,,	,,
52.	,,	श्री लक्ष्मणजी	नदी दरवाजे के बाहर	,,	,,
53.	,,	श्री अखाड़ा मोज गिरीजी	नदी मदावती (चोर खिड़कियों के बाहर)	,,	,,
54.	"	श्री अखाड़ा जोधपुरीजी	चोर खिड़कियों के बाहर	,,	,,
55.	"	श्री सीतारामजी	तीन दरवाजा	,,	,,
56.	"	श्री गोपालजी	शामनाथजी की खिड़की के पास	,,	,,
57.	"	श्री दाऊजी	बड़पाडा में (मंदिर श्री गणेश जी के पास)	,,	,,
58.	"	श्री गोपालजी छेड	मासलपुर दरवाजे के पास	,,	,,
59.	"	श्री रामललाजी	जयकिशन दीवान की हवेली	,,	,,
60.	"	श्री महादेवजी	बाग शिकार महल डाक बंगले के पास	,,	,,
61.	"	श्री पंचपूजा रतिगिरीजी	गुंसाई पाड़ा, सिनेमा के पास	,,	,,
62.	"	श्री महादेवजी	गुंसाई पाड़ा	,,	,,
63.	"	श्री नर्बदेश्वरजी महाराज	मंवर चमनसिंहजी के नोहर के पास	,,	,,

1	2	3	4	5
64.	मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायणजी	लालदास का डांडा शुक्ल खिड़की के पास	करौली	करौली
65.	" श्री सुन्दर सिरताज शिरोमणीजी	बजाजा बाजार	"	"
66.	" श्री बिष्णुबिहारीजी	बजाजा बाजार	"	"
67.	" श्री कुंज बिहारीजी	मुण्डारा	"	"
68.	" श्री प्रताप शिरोमणीजी	मुण्डारा	"	"
69.	" श्री मुरलीमनोहरजी	मुण्डारा	"	"
70.	" श्री राधारूप बिहारीजी	मुण्डारा	"	"
71.	" श्री जुगलकिशोरजी	गुलबंद पातर का मन्दिर, मुण्डारा	"	"
72.	" श्री जगन्नाथजी	फूटा कोट	"	"
73.	" श्री गणेशजी	फूटा कोट	"	"
74.	" श्री गोपालजी	गडन्त	"	"
75.	" श्री बांके बिहारीजी	वारियों की गली	"	"
76.	" श्री जुगल किशोरजी	वारियों की गली	"	"
77.	" श्री राधा कृष्णजी	चटीकना, धाबाईयों की हवेली के पास	"	"
78.	" श्री महादेवजी	भंवर विकास के पास	"	"
79.	" श्री राधावल्लभजी	भंवर विकास के पास	"	"
80.	" श्री दरियावनाथजी	चटीकना जोगी डांगा दरवाजे के बाहर	"	"
81	श्री भेरूजी के	चटीकना, प्रदंली का सवेला	"	"
82.	" श्री जलवम्बरायजी	मंदिर श्री गोपीनाथजी के सामने, छतवाड़ा	"	"
83.	" श्री बलदाऊजी	कायस्थ पाड़ा (चौधरी पाड़ा) जकात के पास	"	"
84.	" श्री गुर्जबिहारीजी	कायस्थ खिड़कियों के पास	"	"

1	2	3	4	5
85. मन्दिर	श्री कुंजबिहारीजी	अखाड़े की खिड़कियों के पास	करौली	करौली
86. "	श्री राधागोपालजी	सर्राफा बाजार	"	"
87. "	श्री राधाकृष्णजी	चौधरी पाड़ा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के पास	"	"
88. "	श्री कल्याणरायजी, वमसूवाले	चौधरी पाड़ा	"	"
89. "	श्री रघुनाथजी व गोपालजी	परशुराम खिड़कियों के पास	"	"
90. "	श्री महादेवजी	मेगजीन	"	"
91. "	श्री प्रतापेश्वर महादेवजी	मन्दिर श्री प्रतापनवल बिहारीजी के पीछे	"	"

परिशिष्ट–II

सूची अनाधिकृत कब्जेदारों की जिन्होंने मन्दिरों की सम्पदाओं पर कब्जा कर रखा है

क्र. सं.	नाम अनाधिकृत कब्जेदार	सम्पत्ति का विवरण
1–	**मन्दिर श्री प्रताप नवलबिहारीजी, करौली**	
1.	श्री प्रकाश चन्द्र जती	नोहरा एवं भूमि पर
2.	श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता, विष्णुचन्द्र गुप्ता, कमलेश कुमार गुप्ता, महेशचन्द्र गुप्ता	पांच दुकानों के ऊपरी छत पर
2–	**मन्दिर गोपीनाथजी, करौली**	
	1. श्री रामभरोशीलाल अध्यापक	कमरा एक मय बरामदा
	2. श्री नारायण प्रसाद मुखर्जी	निज मन्दिर पर
	3. श्री अजयकुमार मुखर्जी	दुकान एक
3–	**मन्दिर श्री कुंज दादूपंथी अनाज मण्डी, करौली**	
	1. श्री मांगीलाल महाजन	कोठरी एक
	2. श्री मुन्नालाल मूलचन्द्र	दुकान एक
	3. श्री चन्द्रप्रकाश महाजन	दुकान एक
	4. श्री मतानन्द महाजन	दुकान एक
4–	**मन्दिर श्री मठ सेवागिर बस स्टैण्ड, करौली**	
	1. श्री गिरधरलाल किरोड़ीलाल सारस्वत	भूमि
	2. श्रीमती केतनबाई वेवा	भूमि
	3. श्री विष्णु भट्ट पुत्र विष्णु उर्फ नवला भट्ट	भूमि
	4. श्री भैरूलाल वकील	भूमि
	5. श्री कैलाश प्रसाद	भूमि पर दुकानें बनवा कर
	6. हरि मैडिकल स्टोर करौली	भूमि

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, भरतपुर
खण्ड–भरतपुर

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 139 का विवरण)

परिशिष्ट–1

विधान सभा क्षेत्र उग में वर्ष 1993-94 से अब तक स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत दिनांक	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1–	**राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र योजना**		
	देवरियां	21–11–96	156.12
	घतुरियां	29–2–96	155.97
2–	**डी.पी.ए.पी. योजना**		
	आनन्दपुरा एनीकट	24–11–93	4.23
	मंगवालिया एनीकट	28–2–95	6.90
	मैसानी जल ग्रहण क्षेत्र	2–1–95	50.56
	चोकड़ी कलां	6–1–95	24.52
3–	**तीस जिला तीस काम योजना**		
	मिश्रोली एनीकट	15–12–93	4.98
4–	**सुनिश्चित रोजगार योजना**		
	गुरिड़िया जोगा	23–2–95	6.89
	माण्डवी	20–12–96	13.05
	मंगवालियां	31–12–94	
		6–5–95	
		29–8–95	31.29
		31–10–95	
5–	**बंजड़ भूमि विकास योजना**		
	डोलीसरना	31–3–93	10.30
		6–1–94	
		17–7–93	4.87
	सारंगखेड़ा	31–3–93	
		17–7–93	

1	2	3	4
	हरनावदा	17-7-93	
		26-10-94	28.51
		11-8-94	
	बयासरा	11-8-94	8.00
		9-6-94	
	कोल्वी	26-10-94	
		30-3-95	16.58
	सुजानपुरा	30-3-95	5.76
		12-6-96	
	आबन्दा कलां	12-6-96	6.16
0	गुनाई	12-6-96	4.86

परिशिष्ट-2

विधान सभा क्षेत्र डग के कार्यों को पूरा करने हेतु व्यय की राशि का विवरण

क्रमांक		योजना का नाम	वर्ष 93-94 से अब तक व्यय की राशि का विवरण (लाखों में)
1-		राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र	
	1-	देवरियां	56.69
	2-	धतुरियां	96.86
2-		डी. पी. ए. पी.	
	1-	आनन्दपुरा एनीकट	5.21
	2-	मंगवालियां एनीकट	5.67
	3-	मैसानी जल ग्रहण	16.85
	4-	चौकड़ी कलां	21.29

1	2	3
3–	तीस जिला 30 काम	
	1– मिश्रोली एनीकट	0.08
4–	सुनिश्चित रोजगार योजना	
	1– गुराडियां जोगा	7.96
	2– माण्डवी	0.72
	3– मंगवालियां	23.80
5–	बंजड़ भूमि विकास योजना	
	1– डोली सरना	10.60
	2– सारंग खेड़ा	4.63
	3– हरनावदा	27.27
	4– बयासरा	7.71
	5– कोल्वी	13.71
	6– सुजानपुरा	4.67
	7– घाबन्दा कलां	5.62
	8– गुनाई	4.81

———

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 142 का विवरण) परिशिष्ट-'क'

प्रश्न के भाग संख्या 1 एवं 2 की सूचना

क्र.सं.	नाम विद्यालय	प्र.प्र.	रिक्त पद व्याख्याता	व.प्र.	अध्यापक
1.	रा. सी. मा. वि. फागलवा	—	भौ.वि.—1	सा.मा.—1	1
2.	रा. सी. मा. वि. लोसल	—	भूगोल—1	सा.मा.—2	—
			चित्र.—1	संस्कृत—1	
			प्र.शा.—1		
3.	रा. सी. मा. वि. कूदन	—	—	सा.मा.—1	—
4.	रा. मा. वि. चुडोलोखाकोली	—	—	अंग्रेजी—1	—
				संस्कृत—1	—
				सामा.—1	
5.	रा. मा. वि. दीपपुराराजाजी	—	—	अंग्रेजी—1	
				सामा.—1	
6.	,, सिहाटबडी	—	—	सामा.—1	—
7.	,, गोवडीतगेलान	—	—	संस्कृत—1	—
8.	,, सावली दाधायलान	—	—	सामा.—1	—
9.	,, जेरठो सुभाष नगर	—	—	विज्ञान—1	—
10.	,, मोर डूंगर	—	—	संस्कृत—1	—
11.	,, सरवडी	—	—	विज्ञान—1	—
				संस्कृत—1	—
12.	,, सिगरावट	—	—	—	1
13.	रा. बा. मा. वि. लोसल	—	—	सामा.—1	—
14.	रा.उ.प्रा.वि. कुण्डल की ढाणी	—	—	प्र.अ.—1	1
15.	,, गुनाठ	—	—	,, —1	
16.	,, नागवो	—	—	,, —1	
17.	,, पेवा	—	—	,, —1	
18.	,, बिडोली	—	—	,, —1	

1	2	3	4	5	6
19.	रा. उ. प्रा .वि. बिजासी	—	—	,, —1	अ.
20.	,, दौसाणा	—	—	,, —1	2
21.	,, पूर्णपुरा	—	—	,, —1	—
22.	,, मोल्यासी	—	—	,, —1	—
23.	,, श्यामपुरा घोद	—	—	,, —1	—
24.	,, सिहोट छोटी	—	—	,, —	1
25.	,, अनोखू	—	—	—	1
26.	,, किरडोली	—	—	—	1
27.	,, खुडदी	—	—	—	2
28.	,, बिगूनाठू	—	—	—	1
29.	,, झोगर छोटी	—	—	—	1
30.	,, टाटनवा	—	—	—	1
31.	रा. उ. प्रा. वि. दूगोली	—	—	—	1
32.	,, नेतड़वास	—	—	—	2
33.	,, पूरा छोटी	—	—	—	2
34.	,, पूरा बड़ी	—	—	—	2
35.	,, बाड़लवास	—	—	—	1
36.	,, भैरूपुरा	—	—	—	1
37.	,, मुकन्दपुरा	—	—	—	2
38.	,, रामपुरा	—	—	—	2
39.	,, लोसल छोटी	—	—	—	1
40.	,, सितोलाव	—	—	—	1
41.	,, सेवद बड़ी	—	—	—	2
42.	,, लोसल नं. 2	—	—	—	2
43.	रा. बा. उ. प्रा वि. बानूडा	—	—	—	1
	योग :	—	04	29	33

परिशिष्ट—9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 149 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र तहसील कोटपूतली के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	विद्युतिकरण दिनांक	क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	विद्युतिकरण दिनांक
1	2	3	4	1	2	3	4
1.	देवता	9/1/1	जुलाई 81	23.	मोरधा	23	7/77
2.	बनार	2	„	24.	पनियाला	24	„
3.	छोहदडा	3	„	25.	खोथी मुक्कड	25	„
4.	रामगढ़	4	अक्टूबर 80	26.	बीजादेहा	26	„
5.	पानेडा	5	„	27.	सांगटेडा	27	„
6.	रामगनर	6	10/80	28.	शेखुपुर	28	„
7.	बनेटी	7	„	29.	मोलाहेडा	29	„
8.	धवाली	8	9/81	30.	खेडकी वीरमान	30	„
9.	हुसनपुरा	9	„	31.	खरखडी	31	30-4-79
10.	राय करणपुरा	10	7/81	32.	रामसिंहपुरा	32	28-2-79
11.	बखराणा	11	9/81	33.	अजीतपुरा खुर्द	33	5/81
12.	अमरपुरा	12	7/81	34.	पूरननगर	34	4/81
13.	नांगलचेचिका	13	6/81	35.	नारेडा	35	28-2-79
14.	जयसिंहपुरा	14	„	36.	चीमनपुरा	36	3/81
15.	गोपालपुरा	15	3-4-79	37.	नरसिंहपुरा	37	10/81
16.	करवास	16	30-4-79	38.	कायमपुरा बास	38	3/81
17.	बनका	17	31-5-79	39.	मोपतपुरा	9/1/39	10/81
18.	कालूहेडा	18	7/77	40.	चुरी	40	2/81
19.	गोनेडा	19	„	41.	पंचाला राजपूत	41	1/81
20.	केशवाना गुर्जर	20	12/93	42.	नवल कुशालापुरा	42	2/81
21.	केशवाना राजपूत	21	28-2-79	43.	पदमा की ढाणी	43	„
22.	मलपुरा	22	7/77	44.	कुहाडा	44	„

1	2	3	4	1	2	3	4
45.	कल्याणपुरा केला	45	2/81	73.	फतेहपुरा कलां	73	25-1-73
46.	खडब	46	1/81	74.	सरूंड	74	21-1-74
47.	पियानी	47	9/81	75.	मोजावास	75	,,
48.	शुक्लावास	48	1/81	76.	जगदीशपुर	76	,,
49.	पुरुषोत्तमपुरा	49	3/81	77.	खेडा निहालपुरा	77	31-5-79
50.	बेरी	50	,,	78.	नौरंगपुरा	78	,,
51.	खुदरपुरा	51	,,	79.	चानचकी	79	31-5-79
52.	ढाणा	52	,,	80.	श्यामनगर	80	2-1-74
53.	गुलाबगुढा	53	12/80	81.	टापरी	81	11/77
54.	तालबा	54	,,	82.	बड़ा बास	82	5-12-63
55.	दांतिल	55	,,	83.	बासडी (ग्रामीण)	83	,,
56.	मीरापुरा	56	30-11-81	84.	चतुर्भुज	84	5/77
57.	पारिकापुरा	57	28-2-82	85.	बालावास(ग्रामीण)	85	5-12-63
58.	जीणगोर	58	31-3-82	86.	बूचाहेडा (ग्रामीण)	86	,,
59.	चांदोली	59	5/82	87.	बामनवास	87	25-2-79
60.	ढूंढावास	60	4/82	88.	गोपीपुरा	88	12/80
61.	बूचारा	61	3/83	89.	नांगल पंडितपुरा	89	5/77
62.	रूपपुरा	62	3/81	90.	हांसियावास	90	,,
63.	फतेहपुरा खुर्द	63	28-2-82	91.	तमोरीबास	91	,,
64.	मोनावास	64	2/81	92.	नागडीबास	92	,,
65.	टोरडा कलां	65	9/81	93.	जाहितपुरा	93	,,
66.	टसकोला	66	,,	94.	पेनूका	94	,,
67.	पंडितपुरा	67	1/81	95.	बसई	95	18-10-77
68.	रामपुरा	68	4/82	96.	मालोजी	96	,,
69.	मडाजपुरी	69	28-2-79	97.	खुर्दो	97	25-1-73
70.	सुजान नगर	70	31-5-79	98.	अमाई	98	21-1-74
71.	बीठलोदा	71	,,	99.	पूतली	99	7-12-65
72.	पवाना अहीर	72	18-2-78	100.	सुन्दरपुरा	100	31-3-66

1	2	3	4	1	2	3	4
101.	कीरतपुरा	101	31-5-79	119.	ललाना	119	31-5-79
102.	कांसली	102	31-3-66	120.	मांजुकोट	120	1/81
103.	राहेडा	103	25-2-79	121.	कांकराना	121	,,
104.	कल्याणपुराखुर्द	104	28-2-79	122.	पावटा	122	30-10-71
105.	कंवरपुरा	105	25-1-73	123.	कूनेड	123	31-3-79
106.	मोहनपुरा	106	30-9-71	124.	खेलना	124	,,
107.	महरमपुर राजपूत	107	25-1-76	125.	लाडाका बास	125	,,
				126.	ठीकरिया	126	5/82
108.	अजीतपुरा कलां	108	16-10-77	127.	टोरडा ब्राह्मणन	127	8/81
109.	भैसलाना	109	16-11-71	128.	तुलसीपुरा	128	8/80
110.	कूजोता	110	,,	129.	बडनगर	129	,,
111.	महरमपुर नवाब	111	30-9-71	130.	कल्याणपुरा	130	12/80
112.	गोरधनपुरा	112	25-1-73	131.	जोधपुरा	131	2/80
113.	दादूका	113	6-10-77	132.	मांखरी	132	11/80
114.	पाथरेडी	114	6/79	133.	मंढा	133	12/80
115.	रघुनाथपुरा	115	25-1-73	134.	राजनोता	134	7-1-67
116.	आसपुरा	116	31-5-79	135.	कारोली	135	,,
117.	किराडोढ	117	30-4-79	136.	पांच पहाडी	136	11/80
118.	प्रागपुरा	118	30-10-74	137.	पाछोबाला	137	8/81

———

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 151 का विवरण)

परिशिष्ट-अ

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में बिलिंग माह फरवरी, 1988 से अब तक, विभिन्न श्रेणियों की विद्युत दरें
(फ्यूल सरचार्ज एवं विद्युत कर को छोड़ कर)

1. दरें पैसे प्रति यूनिट
2. फ्लेट दर रु. प्रति हार्स पावर प्रतिमाह

क. सं.	श्रेणी	2/88 से 12/88	1/89 से 6/89	7/89 से 7/90	8/90 से 12/91	1/92 से 8/92	9/92 से 5/94	6/94 से 9/95	10/95 से 9/96	10/96 से 6/97	7/97 से वर्तमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	DOMESTIC :										
	(i) First 58 units/Month	52	52	52	55	65	75	98	98	112	112
	(ii) Next 58 units/Month	52	52	52	55	65	75	188	188	133	133
	(iii) Next 188 units/Month	52	52	52	55	65	75	188	188	154	154
	(iv) Next 188 units/Month	52	52	52	55	65	75	118	118	154	154
	(v) Above 388 units/Month	52	52	52	55	65	75	118	118	165	165
2.	AGRICULTURE :										
	(i) Metered supply ;	38	32	32	32	37	45	58	58	58	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(ii) Flat Rate supply :										
	(a) Upto 3 HPsanctioned connected load.	348/-	384/-	384/-	384/-	384/-	384/-	384/-	384/-	384/-	384/-
	(b) Above 3 HP & upto 5 HP sanctioned connected load.	396/-	444/-	444/-	444/-	444/-	444/-	444/-	444/-	444/-	444/-
	(c) Above 5 HP & upto 7.5 HP sanctioned connected load.	444/-	492/-	492/-	492/-	492/-	492/-	492/-	492/-	492/-	492/-
	(d) Above 7.5 HP & upto 18 HP sanctioned connected load.	468/-	516/-	516/-	516/-	516/-	516/-	516/-	516/-	516/-	516/-
	(e) Above 18 HP sanctioned connected load.	N.A.	N.A.	N.A.	516/-	516/-	516/-	516/-	516/-	516/-	516/-
3.	SMALL INDUSTRIES :										
	(a) Upto 15 HP sanctioned connected load.	78	75	75	68	78	88	112	138	144	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(b) Above 15 HP & upto 25 HP sanctioned connected load.	78	75	75	68	88	98	122	148	154	174
4.	MEDIUM INDUSTRIES :										
	(a) Above 25 HP & upto 188 HP sanctioned conn. load.	88	98	98	188	118	128	144	168	184	284
	(b) Above 188 HP san. conn. load & upto 158 HP conn. load but not exceeding maximum demand of 125 KVA	88	98	98	183	115	125	158	165	184	284
5.	LARGE INDUSTRIES :										
	(Contract Demand above 125 KVA & or sanctioned C.L. above 158 HP.)	85	188	184	113	125	135	162	185	285	225

TARIFF FOR CAUSTIC SODA UNITS

(i) From billing month of Aug. 85 to March 89– 57 paise/unit (51+6 paise fuel surcharge).

(ii)	,, ,,	April, 89 to June 89	– 67 ,,	,, +	F, S Ch. at par with Large Industries.
(iii)	,, ,,	July, 89 to Jan., 98	– 71 ,,	,, +	-do-
(iv)	,, ,,	Feb., 98 to July, 98	– 88 ,,	,, +	-do-
(v)	,, ,,	Aug.,98 to Jan., 91	– 97 ,,	,, +	-do-
(vi)	,, ,,	Feb., 91 onwards	At par with other Large Industial consumers.		

Note Slabs Introducted :-

(i) Medium Industries w.e.f. billing month of August, 1998.

(ii) Small Industries w.e.f. billing month of January. 1992.

(iii) Domestic & Non-domestic w.e.f. billing month of June, 1994.

(iv) Slabs Abolished under Medium Industries w.e.f billing month of October, 1996.

परिशिष्ट–ब

बिलिंग माह फरवरी 1988 से अब तक लागू विभिन्न श्रेणियों के "स्थाई सेवा शुल्क" मीटर किराया इत्यादि का विवरण।

1. स्थाई सेवा शुल्क :—निम्नलिखित स्थाई सेवा शुल्क उपभोक्ताओं के मासिक विद्युत बिलों में अंकित कर अन्य सामान्य राशियों जैसे कि उपभोग राशि, मीटर किराया इत्यादि के अलावा वसूल किया जायेगा :—

क्र.सं.	श्रेणियां	बिलिंग माह फरवरी, 88	बिलिंग माह जन, 89	बिलिंग माह अगस्त, 90	बिलिंग माह जून, 92	बिलिंग माह अप्रेल, 95	बिलिंग माह मई, 95	बिलिंग माह मार्च, 96
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1)	Domestic Consumers : (Per service/month)							
(a)	Consumption upto 288 units/month per connection.	Rs. 3/–	Rs. 3/–	Rs. 4/–	Rs. 6/–	Rs. 7/–	Rs. 18/–	Rs. 12/–
(b)	Consumption more than 288 units/month per connection.	Rs. 3/-	Rs. 3/-	Rs. 4/-	Rs. 6/-	Rs. 7/-	Rs. 18/-	Rs. 28/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(2)	Non-Domestic Consumers. (Per service/month)							
	(i) LT Supply.							
(a)	Consmption upto 288 units/month per connectoin.	Rs. 4.58/-	Rs. 4.58/-	Rs. 6/-	Rs. 9/-	Rs. 18/-	Rs. 15/-	Rs. 18/-
(b)	Consumption more than 288 units/month per connection.	Rs. 4.58/-	Rs. 4.58/-	Rs. 6/-	Rs. 9/-	Rs. 18/-	Rs. 15/-	Rs. 25/-
	(I) HT Supply.	Rs. 4.58/-	Rs. 4.58/-	Rs. 6/-	Rs. /388-	Rs. 338/-	Rs- 458/-	Rs. 558/-
(3)	Agriculture Consumers : (Per service/month)	Rs. 4.58/-	Rs. 4.58/-	Rs. 6/-	Rs. 9/-	Rs. 18/-	Rs. 12/-	Rs. 12/-
(4)	Small Industrial Consumers : (Per service/month)							
(a)	Consumption upto 288 units/month per connection.	Rs. 4.58/-	Rs. 4.58/-	Rs. 6/-	Rs. 9/-	Rs. 18/-	Rs. 15/-	Rs. 18/-
(b)	Consumption more then 288 unites/month per connection.	Rs. 4.58/-	Rs. 4.58/-	Rs. 6/-	Rs. 9/-	Rs. 18/-	Rs. 15/-	Rs. 25/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(5)	**Medium Industrial Consumers : per service/month**							
	(i) LT Supply.	Rs. 7.50/-	Rs. 7.58/-	Rs. 18/-	Rs. 15/-	Rs. 17/-	Rs. 38/-	Rs. 48/-
	(ii) HT Supply.	Rs. 7.50/-	Rs. 7.58/-	Rs. 18/-	Rs. 338/-	Rs. 388/-	Rs. 458/-	Rs. 558/-
(6)	Mixed Load Consumers : (per service/month) (i) LT Supply.							
(a)	Consumption upto 288 units/month per connection.	Rs. 4.58/-	Rs. 4.58/-	Rs. 6/-	Rs. 9/-	Rs. 18/-	Rs. 15/-	Rs. 18/-
(b)	Consumption more than 288 unites/month per Connection	Rs. 4.58/-	Rs. 4.58/-	Rs. 6/-	Rs. 9/-	Rs, 18/-	Rs. 15-	Rs. 25/-
(ii)	HT Supply	Rs. 158/-	Rs. 158/-	Rs; 288/-	Rs. 388/-	Rs. 338/-	Rs. 458/-	Rs. 558/-
(7)	Large Industrial Consumers: (per services/month)							
(i)	upto 33 KV Supply.	Rs. 158/-	Rs. 158/-	Rs. 288/-	Rs. 388/-	Rs. 338/-	Rs. 458/-	Rs. 558/-
(ii)	Adove 33 KV Supply.	Rs. 388/-	Rs. 338/-	Rs. 488/-	Rs. 688/-	Rs. 668/-	Rs. 1858/-	Rs. 1288/-

परिशिष्ट–ब–2

2–मीटर किराया

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	228/238 Volts Single Phase Meter Or D.C. Meter. (Per meter/month)	Rs. 3/-	Rs. 3/-	Rs. 4/-	Rs. 7/-	Rs. 8/-	Rs. 18/-	Rs. 18/-
	448/468 Vots Poliy-Phase A. C. Meter or D. C. Meter (Per meter/month)	Rs. 9/-	Rs. 9/-	Rs. 12/-	Rs. 18/-	Rs. 26/:	Rs. 22/-	Rs. 22/-
	L. T. or Special Type of Demand Meter : (Per meter/month)	Rs. 45/-	Rs. 45/-	Rs. 68/-	Rs. 358/-	—	—	—
(a)	L. T. C. T. Meter Without CTs. & MDI. (Per set/month)	—	—	—	—	Rs. 25/.	—	—
(b)	L. T. C. T. Meter With C. Ts Meter Without MDI (Per Set/month)	—	—	—	—	Rs. 88/-	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	L. T. Metering Eqiupments							
(a)	C. T. Meter. (Per meter/month)	—	—	—	—	—	Rs. 38/-	Rs. 38/-
(b)	Current Trsnsformer (Per Set/month)	—	—	—	—	—	Rs. 188/-	Rs. 188/-
(c)	Maximum Demand Indicator (Per meter/month)	—	—	—	—	—	Rs. 258/-	Rs. 258/-
(d)	KVAH Meter (Per meter/month)	—	—	—	—	—	Rs. 258/-	Rs. 258/-
	11 KV Metering Equipments	Rs.388/-	Rs. 388/-	Rs. 488/-	Rs. 1000/-	Rs. 1100/-	—	—
(a)	Trivector meter (Per meter/month)	—	—	—	—	—	Rs. 800/-	Rs. 800/-
(b)	CTPT Set (Per Set/month)	—	—	—	—	—	Rs. 800/-	Rs. 800/-
	33 KV metering equipments	Rs. 388/-	Rs. 388/-	Rs. 400/-	Rs. 1500/-	Rs. 1658/-	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(a)	Trivector meter (Per meter/month)	—	—	—	—	—	Rs. 800/-	Rs. 800/-
(b)	CTPT Set. (Per set/month)	—	—	—	—	—	Rs. 2800/-	Rs. 2800/-
	EHT Metering Equpiment (Per month)	Rs. 1125/-	Rs. 1125	Rs. 1500/-	Rs. 5800/-	Rs. 5500/-	—	—
(a)	Trivector meter (Per meter/mouth)	—	—	—	—	—	Rs. 888/-	Rs. 888/-
(b)	CTPT Set. (Per Set/month)	—	—	—	—	—	Rs. 5588/-	Rs. 5588/-
	Time Switch (Per Switch/month)	Rs. 22.58/-	Rs. 22,58/-	Rs. 22.58/-	Rs. 35/-	Rs. 48/-	Rs. 58/-	Rs. 58/-

नोट :—कनेक्शन जारी होने के प्रथम माह में मीटर किराया दिनों के अनुपात में लगाया जायेगा। जितने दिन विद्युत प्रदाय की गई है। यदि कनेक्शन कटने पर मीटर हटाने की दशा में एवं नया मीटर लगाने की दशा में भी मीटर किराया दिनों के अनुपात में लगाया जायेगा।

परिशिष्ट-ब. 3

वर्ष 1978-88 से अब तक विभिन्न श्रेणियों पर लागू फ्यूल सरचार्ज की दरें

	87-88	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98
1. Domestic	....	....	....		फ्यूल सरचार्ज	लागू नहीं		....	....	....
2. Non Domestic	—	—	.	32.75 (Jan.,92)	46.49	60.53	70.86	60	60/86	95
3. Public street lighting	—	—	—	—	—	60.53 (Jan., 94)	70.86	60	60/86	95
4. Agriculture										
(i) Metered supply	....	....	....		फ्यूल सरचार्ज	लागू नहीं		....	....	....
(ii) Flat Rate supply	....	....	....		फ्यूल सरचार्ज	लागू नहीं		....	....	....
5. Small Industries	—	—	27.03 (Aug.,90)	32.75	46.49	60.53	70.86	60	60/86	95
6. Medium Industries.	8.25	14.39	27.03	32.75	46.49	60.53	70.86	60	60/86	95
7. Bulk supply for mixed load.	—	14.39 (July. 89)	27.03	32.75	46.49	60.53	70.86	60	60/86	95
8. Large Industies	8.25	!4,39	27 03	32.75	46.49	60.53	70.86	60	60/86	95

337 338

परिशिष्ट-ब 4

वर्ष 1987-88 से अब तक विभिन्न श्रेणियों पर लागू विद्युत कर की दरें

क्र. सं.	श्रेणी	87-88	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98
1.	Domestic	7	8	8	8	8	8	10	10	10	10
2.	Non-Domestic	7	8	8	8	8	8	10	10	10	10
3.	Public street lighting	7	8	8	8	8	8	10	10	10	10
4.	Agriculture										
	(i) Metered supply	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	(ii) Flat Rate supply		....			फ्लेट दर का 5 प्रतिशत			....		
5.	Small Industries	7	8	8	8	8	8	10	10	10	10
6.	Medium Industries	7	8	8	8	8	8	10	10	10	10
7.	Bulk supply for mixed load	7	8	8	8	8	8	10	10	10	10
8.	Large Industries	7	8	8	8	8	8	10	10	10	10

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 152 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

विधान सभा क्षेत्र-डग के अन्तर्गत विद्युतीकृत की गयी हरिजन बस्तियों का विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की संख्या	हरिजन का नाम	विद्युतीकरण का माह
1	2	3	4	5
1	आचर	4	चमार बस्ती	मार्च, 79
			हरिजन बस्ती	मार्च, 79
			चमार ,,	मार्च, 80
			हरिजन ,,	मार्च, 80
2.	चौमहला	13	चमार बस्ती	अक्टूबर, 78
			हरिजन ,,	अक्टूबर, 78
			बलाई ,,	सितम्बर, 79
			धोबी ,,	सितम्बर, 79
			हरिजन ,,	मार्च, 80
			चमार ,,	मार्च, 80
			हरिजन ,,	अक्टूबर, 81
			चमार ,,	अक्टूबर, 80
			बलाई ,,	मार्च, 81
			हरिजन ,,	मार्च, 81
			हरिजन ,,	मार्च 89
			चमार ,,	सितम्बर, 89
			बलाई ,,	सितम्बर, 89
3.	डग	13	हरिजन बस्ती	अक्टूबर, 78
			चमार ,,	अक्टूबर, 78
			बलाई ,,	अक्टूबर, 78
			हरिजन ,,	सितम्बर, 79
			चमार ,,	सितम्बर, 79

1	2	3	4	5
			बागरी बस्ती	मार्च, 80
			चमार ,,	मार्च, 80
			हरिजन ,,	मार्च, 80
			चमार ,,	अक्टूबर, 81
			हरिजन ,,	नवम्बर, 81
			बलाई ,,	मार्च, 82
			चमार ,,	मार्च, 82
			हरिजन ,,	मार्च, 83
4.	गंगधार	10	चमार बस्ती	मार्च, 78
			हरिजन ,,	मार्च, 78
			बागरी ,,	फरवरी, 79
			चमार ,,	मार्च, 80
			बलाई ,,	मार्च, 80
			बागरी बस्ती 2	मार्च, 90
			चमार ,, 2	मार्च, 91
			हरिजन ,,	मार्च, 92
5.	उन्हेल	5	हरिजन बस्ती	सितम्बर, 89
			चमार ,,	सितम्बर, 89
			बागरी ,,	मार्च, 90
			चमार ,,	अक्टूबर, 91
			बलाई ,,	मार्च, 92
6.	कोलवी	1	चमार बस्ती	मार्च, 86
7.	मोरुखेडी	1	चमार बस्ती	अक्टूबर, 90
8.	गुनाई	1	हरिजन बस्ती	मार्च, 79
9.	मन्दिरपुर	1	चमार बस्ती	अक्टूबर, 82
10.	गुराडिया झाला	1	बलाई बस्ती	मार्च, 90
11.	तलावली	2	हरिजन बस्ती	मार्च, 80
			चमार ,,	मार्च, 80
12.	कुण्डला	2	हरिजन बस्ती	मार्च, 92
			चमार ,,	मार्च, 92

1	2	3	4	5
13.	गुराडिया कलां	1	चमार बस्ती	मार्च, 79
14.	दुधालिया	5	हरिजन बस्ती	मार्च, 94
			बलाई ,, 4	मार्च, 94
15.	सारंगाखेड़ा	2	चमार बस्ती	मार्च, 92
			बलाई ,,	अक्टूबर, 92
16.	क्यासरा	2	चमार बस्ती	अक्टूबर, 79
			चमार ,,	मार्च, 80
17.	हरनाजदा	5	हरिजन बस्ती	मार्च, 94
			चमार ,,	जनवरी, 95
			बागरी ,, 3	मार्च, 94
18.	भवानीमण्डी	10	हरिजन बस्ती	सितम्बर, 80
			चमार ,,	सितम्बर, 80
			बागरी ,,	सितम्बर, 80
			बलाई ,,	मार्च, 80
			हरिजन ,,	मार्च, 90
			चमार ,,	मार्च, 90
			बैरवा ,,	सितम्बर, 91
			चमार ,,	सितम्बर, 91
			हरिजन ,,	सितम्बर, 91
			चमार ,,	सितम्बर, 91
19.	एरा का खेड़ा	1	चमार बस्ती	सितम्बर, 89
20.	गुराडियामाना	1	चमार बस्ती	मार्च, 92
21.	पचपहाड़	8	हरिजन बस्ती	मार्च, 76
			चमार ,,	मार्च, 76
			बलाई ,,	मार्च, 76
			धोबी ,,	फरवरी, 78
			हरिजन ,,	सितम्बर, 81
			चमार ,,	मार्च, 89
			चमार ,,	मार्च, 89
			हरिजन ,,	मार्च, 89

1	2	3	4	5
22.	मोगलिया खेड़ी	1	हरिजन बस्ती	सितम्बर, 90
23.	अरनिया खेड़ी	1	चमार बस्ती	मार्च, 88
24.	खोखरिया खुर्द	1	चमार बस्ती	सितम्बर, 89
25.	परासली	1	चमार बस्ती	मार्च, 92
26.	बिस्तुनिया	1	हरिजन बस्ती चमार बस्ती	मार्च, 89 मार्च, 92
27.	चितपुर	1	चमार बस्ती	सितम्बर, 89
28.	ठीकरिया	1	हरिजन बस्ती	मार्च, 81
29.	मिश्रोली	4	हरिजन बस्ती चमार ,, बलाई ,, चमार ,,	अक्टूबर, 78 मार्च, 79 मार्च, 79 नवम्बर, 81
30.	सेगलीजस्सा	1	चमार बस्ती	नवम्बर, 94
31.	खास खेड़ी	1	चमार बस्ती	फरवरी, 95
32.	आखा खेड़ी	1	बलाई बस्ती	नवम्बर, 94
33.	नया खेड़ा	1	चमार बस्ती	नवम्बर, 94
34.	देवगढ़	1	बलाई बस्ती	नवम्बर, 94
35.	सुरजपुरा (डग)	2	हरिजन बस्ती चमार बस्ती	जनवरी, 95 जनवरी, 95
36.	पगारिया	4	हरिजन बस्ती महर बस्ती 2 चमार बस्ती	मार्च, 97 मार्च, 95 मार्च, 95
37.	गुनाई	1	चमार बस्ती	मार्च, 97
38.	जामुनिया	3	चमार बस्ती 2 बागरी मो.	मार्च, 94 मार्च, 94
39.	पिपलिया कलां	2	चमार बस्ती 2	अक्टूबर; 91

1	2	3	4	5
40.	पिपलदा	1	चमार बस्ती	अक्टूबर, 91
41.	जाजनी	1	चमार बस्ती	मार्च, 95
42.	पाचरा	1	चमार बस्ती	अक्टूबर, 95
43.	खेड़ा	1	चमार बस्ती	अक्टूबर, 90
44.	कल्याणपुरा	1	चमार बस्ती	अक्टूबर, 94
45.	दोबड़ा	1	चमार बस्ती	मार्च, 93
46.	पडासली	1	चमार बस्ती	मार्च, 95
47.	कचनारा	1	बागरी बस्ती	मार्च, 96
		125		

ह./–

प्रा. सहायक अधीक्षण अभियन्ता (ग्रा. वृ.)

राज. राज्य विद्युत मण्डल, झालावाड़

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 154 का विवरण)

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर

परिशिष्ट–"क"

घी की विक्रय दरों में परिवर्तन का विवरण

क्रम संख्या	दुग्ध उत्पाद	पैक साइज	अधिकतम उपभोक्ता मूल्य (रुपये)	लागू होने की दिनांक
1	2	3	4	5
01–	घी पोली पैक	500 ग्राम	113.00	16.12.95
	(मोनोकार्टन)	1 किलो	110.00	
	टिन पैक	15 किलो	100.00	(वितरक मूल्य)
02–	घी पोली पैक	500 ग्राम	108.00	
		1 किलो	105.00	20.03.96
	टिन पैन	15 किलो	90.00	(वितरक मूल्य)
03–	घी पोली पैक	500 ग्राम	113.00	
		1 किलो	110.00	02.06.96
	टिन पैक	15 किलो	102.00	(वितरक मूल्य)
04–	घी पोली पैक	500 ग्राम	118.00	
		1 किलो	115.00	02.10.96
	टिन पैक	15 किलो	107.00	(वितरक मूल्य)
05–	घी पोली पैक	500 ग्राम	123.00	
		1 किलो	120.00	17.10.96
	टिन पैक	15 किलो	112.00	(वितरक मूल्य)
06–	घी पोली पैक	500 ग्राम	118.00	
		1 किलो	115.00	23.01.97
	टिन पैक	15 किलो	102.00	(वितरक मूल्य)
07–	घी पोली पैक	500 ग्राम	116.00	
		1 किलो	113.00	22.03.97
	टिन पैक	15 किलो	102.00	(वितरक मूल्य)

1	2	3	4	5
08–	घी पोली पैक	500 ग्राम	121.00	
		1 किलो	118.00	16.04.97
	टिन पैक	15 किलो	107.00	(वितरक मूल्य)
09–	घी पोली पैक	500 ग्राम	123.00	
		1 किलो	120.00	22.04.97
	टिन पैक	15 किलो	114.00	(वितरक मूल्य)
10–	घी पोली पैक	500 ग्राम	129.00	
		1 किलो	126.00	02.05.97
	टिन पैक	15 किलो	122.00	(वितरक मूल्य)
11–	घी पोली पैक	500 ग्राम	133.00	
		1 किलो	130.00	04.09.97
	टिन पैक	15 किलो	122.00	(वितरक मूल्य)

परिशिष्ट–"ख"

घी के दामों में बढ़ोतरी के पश्चात् फर्मों को कम दर पर दिये गये घी का विवरण

1– अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. ने अपने अधिकृत विक्रेता मैसर्स रामसिंह गर्ग को दिनांक 2.6.96 को 9 मै. टन 15 किलो पैक में दिनांक 1.6.96 को उनके द्वारा जमा कराई गई राशि के (रुपये 90/–) प्रति किलो की दर से अनुरूप दिया गया। मैसर्स रामसिंह गर्ग अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के सरस उत्पादन बेचने हेतु विक्रेता हैं जो नियमित रूप से अजमेर दुग्ध संघ से उपभोक्ता पैक व बल्क पैक में घी को खरीद कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराता है। इस फर्म द्वारा जनवरी, 1996 में 8200 किलो, फरवरी, 1996 में 4500 किलो, मार्च, 1996 में 13000 किलो, अप्रेल, 1996 में 5300 किलो, मई, 1996 में 126000 किलो 15 किलो पैक में व 11200 किलो उपभोक्ता पैक में, जून, 1996 में 27000 किलो घी 15 किलो पैक में तथा 13500 किलो घी 1 किलो पैक में बेचान किया गया।

2– कोटा जिला दुग्ध संघ द्वारा उक्त अवधि में मैसर्स कमलेश कुमार जितेन्द्र कुमार को दिनांक 17.4.97 को हुए सौदे के अनुरूप 24000 किलो घी 15 किलो पैक में दिनांक 2.5.97 को 107/– रुपये प्रति किलो की दर पर दिया गया। दिनांक 17.4.97 को कोटा जिला दुग्ध संघ ने मैसर्स कमलेश कुमार जितेन्द्र कुमार से 24000 किलो घी 15 किलो पैक में बेचान हेतु सौदा रुपये 105/– प्रति किलो की दर पर तय किया व इस सौदे के पेटे चार लाख रुपये अग्रिम जमा प्राप्त किये। दिनांक 21.4.97 को मैसर्स कमलेश जितेन्द्र कुमार द्वारा शेष राशि रु. 21, 15, 185.00 जमा करवाये कोटा दुग्ध संघ ने घी की डिलीवरी देने हेतु बिल नम्बर–1154 दिनांक 21.4.97 तैयार कर लिया गया था, इस दौरान आर.सी.डी.एफ. द्वारा घी की दरों में 22.4.97 से परिवर्तन की सूचना सांय लगभग 5.00 बजे प्राप्त होने के कारण घी की डिलीवरी पार्टी को नहीं दी जा सकी। प्रबन्ध संचालक, कोटा दुग्ध संघ ने आर.सी.डी.एफ. को तथ्यों से अवगत कराया और कहा कि घी नहीं देने पर फर्म द्वारा वैधानिक कार्यवाही करने हेतु कहा है। आर सी डी एफ द्वारा कोटा दुग्ध संघ के प्रशासक/जिलाधीश कोटा से तथ्यों की जानकारी की गई व जिलाधीश से प्राप्त जानकारी के आधार पर आर-सी डी एफ ने कोटा दुग्ध संघ की पार्टी को दिनांक 21.4.97 को प्रचलित दर पर घी देने की स्वीकृति प्रदान की। रुपये 105/– प्रति किलो की दर अधिकृत विक्रेता हेतु तय थी। चूंकि उक्त फर्म आर सी डी एफ का अधिकृत विक्रेता नहीं है, अतः आर सी डी एफ ने प्रबन्ध संचालक कोटा को उक्त फर्म से 107/– रुपये प्रति किलो चार्ज करने हेतु कहा। कोटा दुग्ध संघ मे उक्त फर्म को दिनांक 2.5.97 को 24000 किलो घी 15 किलो पैक में रुपये 107/– प्रति किलो पर उपलब्ध कराया। विगत माहों में उक्त फर्म को घी का बेचान नहीं किया गया।

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 159 की सूची)

कार्यालय पंचायत समिति, सवाई माधोपुर राजस्थान

समस्त प्राथमिक विद्यालय की सूची

क्र.सं.	नाम विद्यालय	क्र.सं.	नाम विद्यालय
1.	प्रा.वि. करेला	28.	प्रा. वि. कुतुलपुरा मालियान
2.	,, धमूण कलां	29.	,, सुरवाल
3.	,, धमूण खुर्द	30.	,, गोठडा
4.	,, खेडली कलां	31.	,, बनोटा
5.	,, बिलौपा	32.	,, मऊ
6.	,, घुडासी	33.	,, श्यामोता
7.	,, कावड	34.	,, कौशाली
8.	,, इटावा	35.	,, भैंसखेडा
9.	,, अडूडी	36.	,, खाट खुर्द
10.	,, सिवायगंज	37.	,, खाट कलां
11.	,, बोरीफी	38.	,, दुब्बी खुर्द
12.	,, गांधी नगर	39.	,, दोबडा कलां
13.	,, कालीढाई	40.	,, सेलू
14.	,, नीमलीखुर्द	41.	,, फूसोदा
15.	,, संग्रामपुरा	42.	,, लोदीपुरा
16.	,, नीमलीकलां	43.	,, मथुरापुर
17.	" श्योपुरा	44.	,, दून्दरी
18.	,, भठेरडा	45.	,, कुण्डेरा
19.	,, नयापुरा	46.	,, श्यामपुरा
20.	,, रामसिंहपुरा	47.	,, पाडली
21.	,, माधोसिंहपुरा	48.	,, उलियाना
22.	,, आटूण खुर्द	49.	,, कानसीर
23.	,, खिलचीपुर	50.	,, रईथा कलां
24.	,, शेरपुर	51.	,, हिंगोणी
25.	,, जनकपुर	52.	,, नीनोणी
26.	,, जमूल खेड़ा	53.	,, नीवाडी
27.	,, गंगासतीपुरा	54.	,, पीरपुरा

1	2	1	2
55.	प्रा. वि. भगवतगढ़	84.	प्रा. वि. पांवडेरा
56.	बालिका भगवतगढ़	85.	,, गुणशीला
57.	प्रा. वि. जटवाडा कलां	86.	,, बगीना
58.	,, बन्धा	87.	,, बांसला
59.	,, दोवडा खुर्द	88.	,, सवाई गंज
60.	,, रईथा खुर्द	89.	,, बन्धेडियां
61.	,, त्रिलोकपुरा	90.	,, जगमोदा
62.	,, सिरोही	91.	,, नया गांव
63.	,, आदलवाडा खुर्द	92.	,, चैनपुरा
64.	,, रेवतपुरा	93.	,, जाखेडा
65.	,, ढाणी मानपुर	94.	,, घोली
66.	,, चौथ का बरवाड़ा	95.	,, कुम्हारिया
67.	बालिका चौथ का बरवाड़ा	96.	,, शिवाड़
68.	प्रा. वि. अस्तगंज	97.	बालिका शिवाड़
69.	,, ठेकड़ा	98.	प्रा. वि. कंवरपुरा
70.	,, बोरदा	99.	,, इसरदा
71.	,, देवपुरा	100.	,, अभयपुरा
72.	,, ऐकडा	101.	,, पीपल्या
73.	,, बांसडा	102.	,, रायपुर
74.	,, रामसिंहपुराखुर्द	103.	,, चौकड़ी
75.	,, करडवांस	104.	,, देवली
76.	,, कवंरपुरा	105.	,, झाडोदा
77.	,, रूप नगर	106.	,, सारसोप
78.	,, लक्ष्मीपुरा	107.	,, बालिका सारसोप
79.	,, नाहरी कलां	108.	प्रा. वि. काछीपुरा
80.	,, नाहरी खुर्द	109.	,, शिवाड नं. 2
81.	,, शेरसिंहपुरा	110.	,, मुरली मनोहरपुरा
82.	,, आन्दोली	111.	,, सोलपुर
83.	,, गिरधरपुरा		

ह०/-

विकास अधिकारी

पंचायत समिति, सवाईमाधोपुर

पंचायत समिति खण्डार के अधीन चल रहे प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	नाम विद्यालय	क्र.सं.	नाम विद्यालय
1.	प्रा. वि. खण्डार नं. 1	32.	प्रा. वि. फरिया
2.	,, नं. 2	33.	,, जैतपुर
3.	क. वि. खण्डार	34.	,, बाढपुर
4.	प्रा. वि. मेई खुर्द	35.	,, बोदल
5.	,, रांवरा	36.	,, बेरना
6.	,, जयसिंहपुरा	37.	,, गंगानगर
7.	,, मुकन्दपुरा	38.	,, सुखवास
8.	,, संवास	39.	,, कुशालीपुरा
9.	,, कमोरवरी	40.	,, गोपालपुरा
10.	,, परसीपुरा	41.	,, इण्डाला (गणडायता)
11.	,, सावटा	42.	,, दौलतपुरा
12.	,, डाविच गूजरान	43.	,, कटार
13.	,, बैरवाबस्ती	44.	,, नरवला
14.	,, तालडा	45.	,, हरिपुरा
15.	,, बसोखुर्द	46.	,, क्यारदा खुर्द
16.	,, खिरकड़ा	47.	,, धर्मपुरी
17.	,, कठूली	48.	,, सेवती खुर्द
18.	,, पीपल्दा	49.	,, मीनाखेड़ी
19.	,, सांवलपुर	50.	,, टोडरा
20.	,, बोहुना	51.	,, हिन्दवाड़
21.	,, श्रोणमीना	52.	,, हलोन्दा
22.	,, बडवास	53.	,, जालपाखेडी
23.	,, पाहड़ा बाडदार	54.	,, बालापुरा
24.	,, पादडी तोपखाना	55.	,, होलाडी
25.	,, वालेर	56.	,, मुन्द्राहेडी
26.	,, मोरोज	57.	,, कालाकुग्रा
27.	,, बागोरा	58.	,, विजयनगर
28.	,, खिदरपुर जाटान	59.	,, करमापुरा
29.	,, वीरपुर	60.	,, बलवन खुर्द
30.	,, वागड़दा खुर्द	61.	,, रामनगर
31.	,, बहुरांवड़ा खुर्द	62.	,, पिपलवाड़ा

1	2	1	2
63.	प्रा. वि. पांचोलास	85.	प्रा. वि. किशनगढ़घाटा
64.	,, बगावना	86.	,, सीगोर खुर्द
65.	,, नेतपुरा	87.	,, करीरा कलां
66.	,, टेटड़ा	88.	,, आंकोदा
67.	,, खेड़ला	89.	,, सेंवती सीगोर
68.	,, लहसोड़ा	90.	,, कुढाना
69.	,, सिवायगंज	91.	,, ईसरडा
70.	,, श्रावंड	92.	,, कालाडांडा
71.	,, आंकोदिया	93.	,, पीलेण्डी
72.	,, लक्ष्मीपुरा	94.	,, खिदरपुर जादौन
73.	,, अजीतपुरा	95.	,, मावपुर
74.	,, धीरोली	96.	,, बसो कलां
75.	क. वि. लहसोड़ा	97.	,, सेवती खुर्द (लहसोड़ा)
76.	प्रा. वि. बहरावडा कलां	98	,, सेवती कलां
77.	,, कारोलीघाटा	99.	,, खिरखड़ी
78.	,, पिपलेट	100.	,, सोनकच
79.	,, चितौला	101.	,, भिड
80.	,, कारोली ताराचंद	102.	,, जाखोदा
81.	,, कबीरपुरा	103.	,, मोर डूंगरी
82.	,, कुरीरा खुर्द	104.	,, बेरेई
83.	,, शंकरपुरा	105.	,, बिचपुरी निमान
84.	,, भोलनपुर		

ह०/–
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति खण्डार

परिशिष्ट–"ए"

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 165 की सूची)

स्वीकृत अनुमोदित दरें

क्र. सं.	कार्य का विवरण	प्रति इकाई	निगोशिएशन के बाद न्यूनतम स्वीकृत दर	स्वीकृति दर पर कार्य करने वाली स्वीकृत फर्म	अन्य सहमत फर्म
1	2	3	4	5	6
1.	आइटम नं. 1 वीडियो फिल्म निर्माण स्वयं के उपकरण से	क. 2 मिनट तक प्रति मिनट	2400/–	1. बादल चन्द जैन 2. विजन न्यूज 3. राज लक्ष्मी	1. पत्रिका टी. वी. 2. मै. गिरधर शर्मा
		ख. 2 मिनट से अधिक 10 मिनट तक प्रति मिनट	1480/–	बादल चन्द जैन	1. पत्रिका टी. वी. 2. राज लक्ष्मी 3. विजन न्यूज 4. मै. गिरधर शर्मा

1	2	3	4	5	6
		ग. 10 मिनट से अधिक प्रति मिनट	1900/-	राज लक्ष्मी	1. विक्रम न्यूज 2. रवि स्क्रीनिंग 3. पत्रिका टी. वी. 4. विजय न्यूज 5. बादल चन्द जैन 6. अल्फा कम्यूनिकेशन 7. मै. गिरधर शर्मा

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 167 की सूची)

परिशिष्ट–1

परिवहन निगम द्वारा जयपुर में निगम वाहनों में यात्रा करने हेतु उपलब्ध आरक्षण सुविधा वाले स्थानों की सूची

क्र. सं.	स्थान	किस-किस श्रेणी की बस में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है
1.	केन्द्रीय बस स्टेण्ड सिन्धी कैम्प जयपुर।	1. वातानुकूलित 2. डीलक्स 3. सेमी-डीलक्स 4. द्रुतगामी
2.	लाल निवास (नारायण सिंह सर्कल, टोंक रोड, जयपुर)	1. वातानुकूलित 2. डीलक्स 3. सेमी-डीलक्स
3.	गोपालपुरा मोड़ (टोंक रोड जयपुर)	1. सेमी-डीलक्स 2. द्रुतगामी

परिशिष्ट-16

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव जो पढ़े हुए माने गये)

नगर विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव

महोदय,

भरतपुर जिले के नगर विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की बीमारी फैली हुई हैं। क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओ एवं सेवाओं का अभाव है। इस विधान सभा क्षेत्र की जानबूझकर नजर अन्दाज किया जा रहा है। क्षेत्र के नागरिक भगवान भरोसे या नीम हकीमो के भरोसे है। रैफरेल अस्पताल नगर (भरतपुर) में केवल तीन डाक्टर है। मेरे क्षेत्र में तत्काल मेडिकल टीम भेजी जाये तथा रैफरेल अस्पताल में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जाये।

मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस दिशा में तत्काल कदम उठाये।

ह०/-
(गोपीचन्द गुर्जर)

गोनेर, पंचायत समिति सांगानेर में रैगरों के मोहल्ले में नाले का पक्का निर्माण

महोदय,

पंचायत समिति सांगानेर के गोनेर में रैगरों के मोहल्ले में इतना बड़ा नाला बहता है कि वर्षाकाल में मोहल्ले के लोगों का आना-जाना बिलकुल बन्द हो जाता है और कई बुजुर्ग लोगों की तो रात के अन्धेरे में इस नाले में गिरने से मौत भी हो चुकी है। इस नाले के कारण वर्षाकाल में मरे हुए व्यक्ति की लाश ले जाना भी असंभव है ऐसी विषम परिस्थिति में इस नाले को पक्का बनाने के बारे में बार बार आग्रह करने के बावजूद भी माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

मुझे प्रसन्नता होगी यदि एक बार स्वय स्वायत्त शासन मंत्रीजी वहां जाकर उन गरीबों की दयनीय दशा का अवलोकन कर सकें तो शायद मानवीय गुणों, मानवीय सम्बन्धों के कारण इनके मन में भी उनके प्रति सहानुभूति पैदा हो जाएगी।

सादर।

ह०/-
(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

लूणकरणसर की राजस्व सम्बन्धी प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन

महोदय,

मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र की राजस्व सम्बन्धी प्रशासनिक व्यवस्था को पुनर्गठन व समानीकरण एवं छतरगढ़ में नई राजस्व तहसील खोलने हेतु आकर्षित कर रहा हूं।

राज्य सरकार ने दो उपनिवेशन तहसील खाजूवाला व छतरगढ़ की समाप्ति पर दो नई राजस्व तहसीलें कायम की है इनके कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण करना आवश्यक है फिलहाल सरकार ने वर्तमान रेवन्यू इन्स्पेक्टर्स हल्कों को आधार मानकर ही तहसीलों का सीमांकन किया गया है इससे कुछ विसंगतियां पैदा हो गई है– पुराना समय के आर. आई. सर्कल्स असमान हैं तथा इन सर्कल्स में जो पटवार हल्के हैं वे भी असमान है – कई पटवार सर्कलों में 30 से 40 चक हैं – कई हल्कों में 10 से 15 चक हैं – आर. आई. सर्कल्स में भी पटवार हल्के असमान हैं – अतः सर्वप्रथम पटवार सर्कल्स का भी समानीकरण करके पुनर्गठन किया जावे तत्पश्चात् आर. आई. सर्कल्स का भी समानीकरण एवं पुनर्गठन किया जावे तथा उसके बाद दोनों राजस्व तहसीलों का पुनर्सीमांकन किया जाये।

वर्तमान में खाजूवाला तहसील में सत्तासर आर. आई. सर्कल रखा गया है जो पूगल से नजदीक पड़ता है तथा बलसर सियासर चौगान हल्के खाजूवाला के नजदीक पड़ते हैं लेकिन इनको पूगल राजस्व तहसील में रखा गया हैं। अतः इन तहसीलों के पटवार हल्के, गिरदावर हल्कों का समानीकरण एवं पुनर्गठन करके इन दोनों तहसीलों का पुनर्सीमांकन किया जाये।

इन व्यवस्था के साथ-साथ छतरगढ़ में नई राजस्व तहसील कायम की जाये जिससे राजस्व तहसील लूणकरणसर के उन गांवों को शामिल किया जाये जो महाजन फायरिंग रैंज की उत्तरी सीमा से लगते हुए हैं। इन सारी व्यवस्थाओं के करने से ही इस क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो सकेगी।

आशा है, आप इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेकर क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचायेंगे।

ह०/–
(भीमसेन चौधरी)

खण्डार के गांवों में प्राथमिक विद्यालय

महोदय,

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार के जिन गांवों में व बड़ी बड़ी ढाणियों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं, वहां प्राथमिक विद्यालय खुलवाने के लिये माननीय पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि :–

1. बादलगंज ग्राम पंचायत लहसोड़ा 2. लाखनपुर ग्राम पंचायत पांचोलास 3. मानराजपुरा ग्राम पंचायत पांचोलास 4. लक्ष्मीपुरा ग्राम पंचायत पांचोलास 5. गुड्डी ग्राम पंचायत चितारा 6. नोमण्या ग्राम पंचायत रवाना चौड़ 7. महारो (डूंगरी) 8. लुण्डावली ग्राम पंचायत डूंगरी 9. हजाम खेड़ी ग्राम पंचायत दूमोदा 10. आछेर ग्राम पंचायत रामपुरा, सभी पंचायत समिति खण्डार।

1. कुम्हारों की ढाणी पीपलया ग्राम पंचायत महापुरा 2. माधोराजपुरा ग्राम पंचायत ईसरदा 3. मारजा का टापरा व विजयनगर ग्राम पंचायत कुस्तला 4 कीरों की ढाणी देवली ग्राम पंचायत सारसोप 5. भेड़ोली ग्राम पंचायत भेड़ोली 6. विजयपुरा ग्राम पंचायत पांवडेरा 7. गणेशगंज ग्राम पंचायत रजवाना 8. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा 9. हिंगोनी का टापरा ग्राम पंचायत शेरपुर 10 गोकुलपुर (खण्डार) 11. डांग मावपुर (खण्डार) सभी पंचायत समिति सवाई माधोपुर के सभी ग्राम व बड़ी बड़ी ढाणियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जाति की बस्तियां हैं।

अतः उक्त सभी बस्तियों में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की कृपा करें। सैकण्डरी विद्यालय भेड़ोला में व सैकण्डरी विद्यालय छात्रा भगवतगढ़ में प्राथमिक विद्यालय नहीं है। इन दो जगह पर भी नये प्राथमिक विद्यालय खोले जायें। बहरावण्डा कलां व चकचेनपुरा में नये कन्या विद्यालय खोले जाये।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

ह०/–
(हरिनारायण बैरवा)

नागौर जिले के चिकित्सालयों में खराब पड़ी एक्सरे मशीनों की जांच

महोदय,

निवेदन है कि राजकीय चिकित्सालयों में नागौर जिले में कहीं भी एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही है और बताया जा रहा है कि मशीनें खराब है और जहां पर यहीं कोई मशीन ठीक भी है तो यहां पर एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है। उनका पोस्टिंग वहीं पर किया जाता है। जहां पर मशीन खराब है और जिले में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर निजी एक्सरे मशीनें लगी हुई नहीं है। कुल मिलाकर हाल यह है कि विभाग के स्थानीय अधिकारी निजी एक्सरे मशीन वालों से मिलकर यह सारी कार्य-वाही कर रहे है। यह इसी से सिद्ध हो जायेगा की गत वर्ष और इस वर्ष व माहवार आंकड़े देखे जाएं की जिले में कितने सरकारी अस्पतालों में एक्सरे मशीनें है जो ठीक रही और कितनी खराब रही और निजी एक्सरे मशीनें कितनी है उनमें कितनी कब खराब रही। निजी एक्सरे मशीनें खराब नहीं रहती और सरकारी ही क्यों खराब रहती है इसका कारण क्या है कारण साफ है की स्थानीय डाक्टरों व अधिकारियों की मिली भगत से यह सब हो रहा है और विभाग के उच्च अधिकारी इस बात को बराबर नजर अन्दाज कर रहे है। जिसके कारण गरीब मरीजों को लूटा जा रहा है और सरकार की तरफ से जो रिलिफ इनको मिलनी चाहिये वो नहीं मिल रही है।

अतः इस विशेष उल्लेख के जरिये सदन के द्वारा सरकार से मांग है कि इस मामले की गत वर्ष व चालू वर्ष की जांच तुरन्त करवाकर दोषी अधिकारियों व डाक्टरों को दंडित किया जावें।

ह०/-
(हरजीराम बुरडक)

ग्राम भीमपुरा तहसील नैनवां (जिला बून्दी) में स्थित सरकारी सिवाय चक भूमि की चरागाह में तब्दीली

महोदय,

बूंदी जिले के ग्राम भीमपुरा (तहसील नैनवां) की राजस्व सीमा में 478 हैक्टेयर भूमि है तथा वर्तमान में मवेशियों की कुल संख्या 1400 है। नियमानुसार प्रति पशु आधा बीघा चरागाह भूमि के मुताबिक उक्त 478 हैक्टेयर में से सरकारी सिवाय चक भूमि की 700 बीघा भूमि की किस्म तब्दील की जाकर किस्म चरागाह अंकित की जाना जनहित में है। इस बाबत पूर्व में भी ग्राम भीमपुरा की राजस्व सीमा में स्थित

बंजड़ किस्म की भूमि खसरा सं. 642 मि. रकबा 43 बीघा, खसरा सं. 644 मि. रकबा 43 बीघा, खसरा सं. 646 मि. रकबा 45 बीघा, खसरा सं. 657 मि. रकबा 25 बीघा कुल रकबा 156 बीघा का किस्म चारागाह अंकित करने के लिये कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। किन्तु अभी तक भी खसरा नम्बरान की किस्म बंजड़ से चारागाह तब्दील नहीं की गई है। यह जनहित का प्रकरण होने से इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग को यथाशीघ्र कार्यवाही करके किस्म तब्दील करने पर ही रेकार्ड में चरागाह भूमि अंकित की जा सकेगी।

इस बाबत राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर द्वारा आदेश प्रदान करके उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की बंजड़ किस्म की भूमि को किस्म चारागाह तब्दील की जाने की समुचित कार्यवाही की जायें।

ह०/—
(रामनारायण मीणा)

छबड़ा में दयनीय निगम बस सेवा

महोदय,

मेरे निर्वाचन क्षेत्र छबड़ा में रोड़वेज की बसों की बहुत दयनीय स्थिति है।

बसें कभी भी समय पर नहीं चलती है। सालपुरा रेल्वे स्टेशन पर तो छीपाबड़ौद, हरनावदा शाहजी, सारथल, अकलेरा के लिए कभी-कभी ही रोडवेज बस मिलती है।

जबकि सालपुरा रेल्वे स्टेशन पर प्रतिदिन 6 बार ट्रेन आती है। छीपाबड़ौद बड़ा कस्बा है सालपुरा रेल्वे स्टेशन पर बस नहीं मिलने की वजह से जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। प्राइवेट जीप वालों का तो हाल बुरा है सालपुरा से छीपाबड़ौद मात्र एवं 16 किमी. के सवारियों से करीब बीस-बीस रुपये वसूलते हैं एवं एक जीप में 20 से 25 सवारी बैठाते हैं जिससे एक्सीडेन्ट का खतरा बना रहता है।

सालपुरा छीपाबड़ौद अकलेरा मार्ग पर रोडवेज की बसें चलने की वजह से परिवहन विभाग निजी बसों को भी परमिट नहीं देता है। मेरा निवेदन है कि या तो निजी बसों के लिए परमिट जारी करवाये जायें या अविलम्ब रोडवेज की बसों की व्यवस्था में सुधार लाया जाये।

मेरा माननीय यातायात मंत्री से यह भी निवेदन है कि छबड़ा सब डिवीजन हैड-क्वार्टर है वहां से जयपुर–कोटा–बारां जिला मुख्यालय के लिए एवं बारां इन्दौर वाया छबड़ा रोडवेज की बस सेवा शीघ्र शुरू करवाई जावे और बारां भोपाल वाया छीपाबड़ौद बस को पुनः चालू करवायें तथा अजमेर इकलेरा बस को जो इकलेरा शाम को 7 बजे आकर खड़ी हो जाती है उसे हरनावदा शाहजी तक के लिए बढ़ाई जाये। यात्री भार भी पर्याप्त है परन्तु चैकिंग के अभाव व अधिकारियों की मिलीभगत से पर्याप्त यात्री भार नहीं मिलने का बहाना बनाकर भी बसें बन्द कर दी जाती है जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि शीघ्र कार्यवाही कर क्षेत्र की जनता को हो रही मुसीबत से निजात दिलाये।

धन्यवाद।

ह०/–
(प्रतापसिंह सिंघवी)

टोंक रोड पुलिया, जयपुर के पूर्वी किनारे वाले रास्ते को बन्द करने से असुविधा

मान्यवर,

मैं निम्न विषय पर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान विशेष उल्लेख के माध्यम से आकर्षित करता हूं :—

टोंक रोड रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्वी किनारे स्थित हजरत गट्टे वाले बाबा की दरगाह को पुल से होकर नीचे जाने के रास्ते को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पुलिस की मदद से 2/9/97 की मध्य रात्रि को बन्द कर दिया। इससे वर्षों पुराना रास्ता बन्द होने से शहर की ओर से आने वाले पैदल श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन ने नागरिको की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रशासन के इस कृत्य से क्षेत्र के लोगों में रोष एवं आक्रोश है। यह सूफी संत की मजार (दरगाह) पांच सौ वर्षों से भी अधिक समय से साम्प्रदायिक एकता एवं समन्वय की प्रतीक है। हर बृहस्पतिवार को सैकड़ों हिन्दु–मुस्लिम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।" अतः माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन है कि इस मामले में हस्तक्षेप करके नागरिकों के रोष व आक्रोश को शांत करने हेतु कारगर कार्यवाही की जाये।

ह०/–
(शैलेन्द्र जोशी)

बाबरा बांध के पास सड़क की ऊंचाई में बढ़ोतरी

महोदय,

ब्यावर–जिला–अजमेर से रास व लाम्बिया-जिला-पाली जाने वाली सड़क पर बरसात के मौसम में बाबरा बांध के पानी के ग्राम नाहरपुरा जिला पाली के पास सड़क पर एकत्रित होने बाबत मेरा प्रस्ताव निम्नानुसार है :—

1— ब्यावर जिला अजमेर से लाम्बिया–जिला--पाली सड़क पर बने बाबरा बांध की जल भराव क्षमता को पानी सड़क पर एकत्रित होने के कारण कम कर दिया गया था, फिर भी पानी अब भी सड़क पर भरा रहता है जिससे आवागमन में असुविधा होती है। बांध की जल भराव क्षमता को कम करने से सिंचाई कम होती है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि बांध की क्षमता को कम न करके लगभग पचास मीटर की लम्बाई में सड़क को ऊंचा कर दिया जाय।

2— अतएव माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि बाबरा बांध के पास से सड़क को अतिशीघ्र ऊंचा करवाये जाने के आदेश प्रदान करें जिससे एक ओर तो सिंचाई में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर आवागमन में ग्रामीण नागरिकों को सुविधा प्राप्त होगी।

आशा है आप इस ओर समुचित ध्यान देकर त्वरित कार्यवाही करायेंगे।

ह०/-
(डा. मूलसिंह शेखावत)

राशमी जिला चित्तौड़गढ़ की सार्वजनिक बावड़ी पर अतिक्रमण

महोदय,

उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र के ग्राम राशमी तह. राशमी जिला चित्तौड़गढ़ में गांव के बीच पुरानी सार्वजनिक बावड़ी जिसके पास पुराना शिव व गणपति जी का मन्दिर स्थित हैं। उक्त बावड़ी पर पूर्व सरपंच श्री लक्ष्मीलाल गिलूण्डीया व उसका परिवार निवासी राशमी अतिक्रमण करना चाहते हैं। उनका कहना है कि यह बावड़ी हमारे पूर्वजों की है। जबकि समस्त जनता का कहना है कि यह बावड़ी पुराने समय से सार्वजनिक है तथा ग्रामीणों व पशुओं के पानी पीने के लिये उपयोग में ली जाती रही हैं। आज बावड़ी की स्थिति क्षत-विक्षीत हो चुकी हैं। पूर्व

सरपंच श्री गिलूण्डीया के पूर्वजों की जो बावड़ी थी वो राशमी बस स्टेड पर थी और आज की स्थिति में उसे पत्थरों से भर कर सड़क बना दी गई हैं। तथा उनके पूर्वजों की बावड़ी के मुआवजे के रूप में 30 बीघा जमीन सरकार ने दे दी हैं।

उक्त पुरानी बावड़ी व शिव मन्दिर के पास हर वर्ष गणेश चतुर्थी पर गणपति जी की स्थापना की जाती हैं। लेकिन इस वर्ष अतिक्रमी ने कब्जा करना चाहा। लेकिन प्रशासन की मदद से गणपति जी की स्थापना की गई हैं। भविष्य में श्री गिलूण्डीया सार्वजनिक बावड़ी पर अतिक्रमण नहीं करें। इसकी सरकार व्यवस्था करने का कष्ट करें, ताकि जन भावना को किसी प्रकार की ठेस नहीं लग सकें।

ह०/-
(अर्जुनलाल मीनगर)

राजकीय चिकित्सालय, गंगानगर में व्याप्त अव्यवस्था

महोदय,

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं कि जिला चिकित्सालय में राजस्थान मेडीक्योर रीलिफ सोसाइटी द्वारा वसूल की जा रही विभिन्न जांच दरें काफी अधिक है। निर्धन रोगी अपने शरीर को स्वस्थ्य रखने हेतु अगर जांच वगैरह करवाते है तो आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से भारी परेशानी होती है। राजकीय चिकित्सालय में इतनी जांच दरें निर्धारित करना निर्धन व्यक्ति पर कुठाराघात है। अमीर वर्ग के लोग तो प्राइवेट नर्सिंग होम में भी अपना उपचार करवा लेते हैं परन्तु गरीब तबके के लोगों के लिए राजकीय चिकित्सालय ही मात्र सहारा होता है। राज्य सरकार निर्धन रोगियो के दर्द को समझते हुए कृपया जांच दरें कम करने का कष्ट करें।

राजकीय चिकित्सालय में कुछ चिकित्सक तो इतने लापरवाह है कि आम जनता की बात नहीं सुनते। मैं स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ चिकित्सक एवं स्टाफ इतना लापरवाह है कि माननीय मुख्य मंत्री के दौरे तक की भी प्रवाह नहीं करते। 12 जून, 1997 की माननीय मुख्य मंत्री के दौरे के दौरान चिकित्सकों की इमरजेन्सी टीम गठित की गई थी, उक्त टीम दौरे के दौरान नहीं पहुंची थी, निदेशक, संयुक्त निदेशक, तथा पी. एम. ओ. द्वारा गठित टीम का निरीक्षण भी किया गया था, जो नदारद पाये गये। इतनी लापरवाही बरतने वाले चिकित्सकों व स्टाफ का सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अस्पताल में अव्यवस्थाएं फैली हुई है।

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहता हूं कि राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों व स्टाफ को पाबंद नहीं किया तो अस्पताल में अव्यवस्था फैल जाएगी। आपसे अनुरोध है कि आप बढ़ रही अव्यवस्थाओं की ओर ध्यान केन्द्रित कर जनता को राहत प्रदान करें आपकी कृपा होगी।

ह०/-
(राधेश्याम गंगानगर)

सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत श्रमिकों/सुपरवाइजरों की वेतन-विसंगति

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान सरकार पिछले कुछ वर्षों से अभियांत्रिकी विभाग और खासकर सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्य करने वाले श्रमिकों के साथ अपेक्षा पूर्ण नीति अपनाकर उनके हितों पर कुठाराघात कर रही है जिसके सम्बन्ध में कई बार श्रमिक संगठनों ने विधान सभा व सचिवालय के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन भी दिये हैं तथा मुख्य मंत्रीजी तथा सम्बन्धित मंत्रीजी से मिलकर इस सम्बन्ध में निवेदन भी किया है। सरकार ने फरवरी, 1994 में 10वर्ष की सेवापूर्ण किये हुए श्रमिकों को नियमित करने का एक आदेश जारी किया था जिससे केवल श्रमिकों के वेतन का तरीका बदला है। उनके चिकित्सा व यात्रा भत्ता बिलों इत्यादि तक आसानी से पास नहीं हो रहे हैं। श्रमिकों को चयनित वेतन श्रृंखला का लाभ उनके वर्कचार्ज की सेवा न मानते हुए दिया गया है जिससे श्रमिकों को काफी नुकसान हुआ है। वेतन विसंगतियों के मामले में भी कार्यवाही न होने के कारण कुछ पदों पर कार्य करने वाले श्रमिकों का आर्थिक नुकसान हो रहा है जैसे कि सुपरवाइजर मृतक श्रमिकों के आश्रितों को नौकरी देने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में कई मृतक आश्रितों के नियुक्ति के कागजात विचाराधीन हैं। इतना ही नहीं श्रम न्यायालयों व उच्च न्यायालय के निर्णयों के बाद श्रमिकों को न्याय मिलने में लम्बा समय लगता है जिससे श्रमिकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी कुछ समय पूर्व 1970, 1972 व 1976 में स्थाई घोषित किये गये श्रमिकों को जो चयनित वेतन श्रृंखला को लाभ दिया गया है, उनके फिक्शेसनों की प्रक्रिया को लम्बी कर श्रमिकों को आवश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। अब तक वृत्त स्तर पर फिक्सेशन किये जाते थे तथा अब मुख्य अभियन्ता को यह अधिकार दिया गया है। एक ओर जहां सरकार श्रमिकों का शोषण कर रही है,

वही दूसरी ओर पी. डब्ल्यू. डी. विभाग अधिकारियों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है तथा बने हुए कार्यालय भवन में नये भवन के नाम पर अनावश्यक रूप से तोड़ फोड़ कर लाखों रुपयों का नुकसान किया जा रहा है । अतः प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि सभी वर्कचार्ज श्रमिकों को राज्य कर्मचारियों के समान समस्त लाभ दिये जायें तथा शिक्षित श्रमिकों में से पूर्व की भांति ही कनिष्ठ लिपिक बनाये जायें ।

ह०/-
(अमराराम)

ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत-व्यवस्थापकों को राज्य कर्मी घोषित करने हेतु

मान्यवर,

राजस्थान राज्य की छह हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है । व्यवस्थापक सहकारी समितियों का मुख्य कार्यकारी कर्मचारी है जिसकी नियुक्ति सहकारी बैंक के प्रबन्ध संचालक द्वारा की जाती है । व्यवस्थापक की सम्पूर्ण देख-रेख व काम-काज जैसे वेतन भुगतान; वार्षिक वेतन वृद्धि, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि बैंकों के जरिये ही की जाती है ।

परन्तु राज्य सरकार इन्हें न तो सहकारी बैंक का कर्मचारी बना रही है और न ही राज्य कर्मी का दर्जा दे रही है जिसके कारण इनका भविष्य अनिश्चित है । सहकारिता मंत्री द्वारा स्वयं कई समारोहों में घोषणा की जा चुकी है कि व्यवस्थाओं को राज्य कर्मी का दर्जा दिलवाने के लिए मैं स्वयं प्रयासरत हूं । परन्तु आज तक इस विषय में कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है ।

पूर्व में व्यवस्थापकों का पी. एफ. व जी. पी. एफ. कटौती सुचारू रूप से चल रही थी परन्तु सन् 1991 की नई व्यवस्था के बाद यह पैसा भविष्य निधि खाते में जमा नहीं होकर अलग से फण्ड खोला गया है जिसका विवरण आज तक व्यवस्थापकों को नहीं दिया गया है ।

आज स्थिति यह है कि इन व्यवस्थापकों को महीनों वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है और न ही इनको मेडीकल, बोनस या पेन्शन की सुविधा मिल रही है । इसके उपरान्त भी यह वर्ग राज्य कार्यों का पूरी तरह से पालन कर रहा है ।

व्यवस्थापक सहकारिता आन्दोलन की महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर इनके लिए राज्य सरकार ने नहीं सोचा तो राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन आगे नहीं बढ़ सकेगा, जिस कारण ग्रामीण विकास में बाधा पड़ेगी।

मेरा इस प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि व्यवस्थापकों को राज्य कर्मी दिलाये जाने हेतु तुरन्त ही घोषणा करें जिससे ग्रामीण विकास की इस महत्वपूर्ण कड़ी को मजबूत किया जा सके और न्यायालयों में इस विषय में लम्बित अनावश्यक प्रकरणों को टाला जा सके।

ह०/–
(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

रामगंज मण्डी की चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा

महोदय,

मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामगंज मण्डी में चारागाह की 855 बीघा भूमि पर प्रभावशाली माइंस के लोगों ने अवैधानिक कब्जा कर रखा है व जमीन से निकला हुआ मलबा डाल रखा है। इससे आवागमन में भारी रुकावट हो रही है। इससे आये दिन दुर्घटनाओं की भी सम्भावना बनी रहती है।

मेरा आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस जनहित के मामले पर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही कर जनता को राहत दिलाने का कष्ट करें।

ह/०–
(रामकिशन वर्मा)

हिण्डौन में तालाबों के निर्माण में सरकारी धन का दुरुपयोग

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के पंचायत समिति के द्वारा कराये गये नवीन तालाबों के निर्माण में भारी मात्रा में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। यह

तालाब जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये थे जिनकी राशि एक लाख या 75,000/– थी। तथा तालाबों का निर्माण नई जगह जो कि पुराना तालाब या पोखरों से अलग हैं करना था। तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने के कारण निर्माण कार्य मैनुअल लेबर से सम्पादन करना था।

परन्तु अधिकतर तालाब वहां बनाये गये है जहां पर पूर्व में ही तालाब था। पोखर बने हुये थे। उसी के ऊपर तालाब को थोड़ा बहुत खोदकर नवीन तालाब की शक्ल दे दी गई है। तथा कार्य मैनुअल लेबर की बजाय ट्रेक्टरों से किया गया है और मस्टर रोल फर्जी भरे गये हैं, जिसके कारण सरकारी धन का लाभ गरीब बेरोजगार जनता की बजाय ट्रेक्टर मालिकों को पहुंचाया गया है। इन सभी तथ्यों की शिकायत गांव के निवासी सरेआम कर रहे हैं। परन्तु शिकायतों की जांच करने गये अधिकारी भी बहती गंगा में हाथ धोकर चुप हो गये। इस प्रकार तालाब निर्माण प्रकरण में करीब 40 लाख रुपये पंचायत समिति का कनिष्ठ अभियन्ता, विकास अधिकारी व अन्य लोग मिलकर-बांटकर खा चुके हैं। यह प्रकरण विधान सभा में पूर्व में मैंने व माननीय सदस्य श्री रामस्वरूप जी ने भी उठाया है। परन्तु सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की जिसके कारण भ्रष्टाचारियों के हौंसले बुलन्द हो गये और हमें विभिन्न प्रकार से धमकी दे रहे हैं। अभी हाल ही में विधान सभा सत्र से पूर्व मुझे कुछ व्यक्तियों ने फोन पर धमकी दी है कि यदि तालाब प्रकरण आपने फिर से विधान सभा में उठाया तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। जूतों की माला पहनाई जावेगी। तथा विभाग का प्रत्येक व्यक्ति आपको आने वाले चुनाव में बुरी तरह से हराने के लिये कार्य करेगा। और जन-धन की हानि भी उठानी पड़ सकती हैं।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से पुनः सरकार से निवेदन करता हूं कि हिण्डौन के तालाब प्रकरण की जांच किसी निर्भीक संस्था से कराई जावें और जांच के दौरान मुझे भी साथ रखा जावे और जिससे जांचकर्ता औपचारिकता न निभाये और उन्हें सही तथ्यों से अवगत कराया जा सके। जांच से पूर्व विकास अधिकारी व कनिष्ठ अभियन्ता को या तो निलम्बित किया जावे या कहीं दूर स्थानान्तरित कर दिया जावे, जिसके कारण से अधिकारी जांच को प्रभावित नहीं कर सकें।

यदि राजस्थान सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है तो हिण्डौन के तालाव प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराये और भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों को बेनकाब कर दण्डित कराये, जिसके लिये क्षेत्र की जनता खुले आम चीख रही है। परन्तु कोई सुनने वाला नहीं है और भ्रष्टाचार सुरक्षा के मुह समान लगातार बढ़ता जा रहा हैं।

ह०/–
(कमल)

देवस्थान को करोड़ों रुपये की सम्पति नियम विरुद्ध लीज पर देने से उत्पन्न स्थिति

महोदय,

देवस्थान विभाग की उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मन्दिर के समीप शहर के व्यस्तम व्यवसायिक इलाके में स्थित न्यूनतम 5 करोड़ मूल्य की परिसम्पत्ति को पर्यटन सचिव की उध्यक्षता में आयोजित दिनांक 29 जुलाई, 1997 की बैठक में हुए निर्णयानुसार बिना किसी खुली निलामी की प्रक्रिया के 30 वर्ष की दीर्घावधि की लीज पर राजस्थान राज्य पर्यटन विकास नियम को देना तय किया है। उपरोक्त अनुबन्ध के प्रतिफल के रूप में देवस्थान विभाग को केवल प्रथम तल की प्रस्तावित दुकानों के उन किरायेदारों से प्राप्त किराये का 15% तीन वर्ष के पश्चात् प्राप्त होगा। यह अनुबन्ध राज्य सरकार की घोषित नीति एवं सम्बन्धित नियमों का सीधा उल्लंघन है राज्य सरकार के परिपत्र एफ–6/नियम/डी. एल. बी./97/802 दिनांक 4–3–1997 के अनुसार यदि राज्य पर्यटन विकास निगम की राजकीय या स्वायतशाषी संस्थाओं की भूमि आवंटीत की जाती है तो निगम को न्यूनतम रूप से वाणिज्यिक आरक्षित राशि देनी होगी। तथा यदि पर्यटन विकास निगम द्वारा इसे आगे निजी हाथों में विक्रय या। उप किरायेदारों पर दिया जाता है, तो निगम द्वारा मूल विभाग को वाणिज्यिक आरक्षित राशि से अधिक प्राप्त राशि का केवल 15% सेवा शुल्क के रूप में काटकर शेष 85% लौटाना होगा।

परन्तु उपरोक्त अनुबन्ध में उलटे केवल 15% देवस्थान विभाग को तथा 85% पर्यटन विकास निगम को देने की शर्त तय की गयी। यह 15% भी देवस्थान को केवल प्रथम तल की दुकानों का तीन वर्ष पश्चात् प्राप्त होगा। निगम द्वारा अन्य परिसम्पति के वाणिज्यिक उपयोग के प्रतिफल के रूप में किराया या + लाभ में हिस्सा देवस्थान विभाग को नहीं दिया जावेगा। यहां तक की उपरोक्त दुकानों को उप किरायेदारों में उचित दरें प्राप्त करने को सुनिश्चित करने हेतु देवस्थान विभाग का कोई प्रतिनिधि भी नहीं होगा एवं प्रक्रिया पर सम्पूर्ण नियंत्रित पर्यटन विकास निगम का होगा। इस प्रकार देवस्थान विभाग द्वारा नियंत्रित एक धर्म विशेष की सम्पति को मनमाने तौर विभाग के हितों के सर्वथा प्रतिकूल शर्तों पर स्वयं राज्य सरकार की घोषित नीति एवं सम्बन्धित नियमों को सरासर उल्लंघन कर सौंपा जा रहा है।

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, 295 के माध्यम से मा. देवस्थान मंत्री महोदय का ध्यान इस विशेष उल्लेख के जरिये आकर्षित कर निवेदन है कि विभाग की परिसम्पतियों का अवैधानिक

हस्तान्तरण, बेचान, लीज-डीड आदि की जांच कर परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करावें।

ह०/-
(महावीर भगोरा)

विभिन्न विभागों की बी. एस. आर. में विसंगति

महोदय,

राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग की बी. एस. आर. तथा पंचायती राज की बी. एस. आर. तथा जवाहर योजना के बाबत बी. एस. आर. में काफी अन्तर तथा विसंगतियां होने से पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से होने वाले निर्माण कार्यों में इस कारण गुणवत्ता का अभाव तथा 60–40 अनुपात में निर्माण कार्य संपादित होना संभव नहीं है। इसको लेकर अनेक संस्थाओं में अनावश्यक राशि का दायित्व जनप्रतिनिधियों पर डालना और समायोजन के लिए गलत ढंग से फर्जीवाड़े करने को विवश होने की स्थिति बनती है।

अतः मैं पंचायत एवं विशिष्ठ योजना विभाग के राज्य मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में पंचायती राज एवं जवाहर योजना की बी. एस. आर. भी सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग के अनुरूप ही बी. एस. आर. अपनाकर एकरूपता बनाई जाय ताकि गुणवता पारदर्शिता के साथ सही ढंग से निर्माण कार्य होकर सम्पादित हो सके।

सादर।

ह०/-
(रतनलाल ताम्बी)

बालोतरा शहर के समीप लूनी नदी पर सेतु का निर्माण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया अधिनियम के नियम, 295 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बालोतरा शहर के समीप लूनी नदी पर सेतु का निर्माण जरूरी ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है।

बालोतरा शहर एक औद्योगिक है महत्वपूर्ण पश्चिमी राजस्थान का शहर हैं। यह शहर लूनी नदी के कारण दो भागों में बंटा हुआ है। लूनी नदी के उत्तर और दक्षिण की तरफ कई महत्वपूर्ण सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय हैं। लूनी नदी में पानी आ जाने से लाखों लोग अपने अति महत्वपूर्ण कार्यों को करने से वंचित रह जाते हैं। इस नदी के उत्तर की तरफ राजकीय नाहटा चिकित्सालय है। इमरजेन्सी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करना अति आवश्यक होने पर भी लोग नदी पार कर वर्षा ऋतु में इस चिकित्सालय तक नहीं पहुंच पाते, जिससे कई बार लोगों को अपने प्राण चिकित्सा के अभाव में खोने पड़े हैं।

अतः सरकार से करबद्ध निवेदन है कि शीघ्र ही लूनी नदी पर बालोतरा के समीप एक सेतु का निर्माण कराया जाए। यदि बड़ा सेतु नहीं बनाया जाए तो, समरस्सी बाल पूल अवश्य ही बनाया जाए। इस रस्सी बल पूल के लिए करीब सात करोड़ से अधिक खर्चा नहीं आएगा। सरकार यदि इस पर आधा खर्चा देना स्वीकार करती है तो आधे खर्चे के लिए नगर पालिका, बालोतरा व अन्य ट्रस्ट सहयोग कर सकते हैं।

ह०/—
(अमराराम चौधरी)

अलवर शहर की सड़कों की खराब स्थिति

महोदय,

अलवर विधान सभा क्षेत्र की सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की खराब खस्ता हालत के बारे में मैं बराबर मंत्री महोदय को अनुरोध करती रही हूं और विधान सभा में भी बार-बार मांग उठाती रही हूं। शहर की करीब 13 किलो मीटर सड़क के पेपसीकरण के बारे में तथा प्रमुख चौराहों पर रबड़ मैटिंग बनवाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रस्ताव भी बनकर काफी समय पूर्व सार्वजनिक निर्माण मन्त्रालय में स्वीकृति हेतु आ चुका है। इन कार्यों को शीघ्र करवाया जावे। क्योंकि अलवर राष्ट्रीय राजधानी मुख्य केन्द्र है। व पर्यटन के अन्दर मुख्य शहर है।

अतः अलवर की सड़कों की हालत ठीक नहीं है। अलवर ओवर ब्रिज है उसके ऊपर नीचे की ओर सड़कों पर गढ्ढे हैं। सवारी और मनुष्यों को आने-जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। और असुविधा के कारण

दुर्घटना होती रहती है। कृपा करके मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि इस पेवर सड़क का निर्माण अतिशीघ्र करवाया जावें।

ह०/–
(श्रीमती मीना अग्रवाल)

नागौर जिला के विधान सभा क्षेत्र मकराना में स्वीकृत सड़कों पर कार्य का प्रारम्भ

महोदय,

मैं सरकार तथा माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री जी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र मकराना में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि सभी स्वीकृत सड़के बन्द हैं किसी भी सड़क का काम नहीं चल रहा है जैसे—

(अ) सांसद कोष द्वारा स्वीकृत सड़क बुडसू (हरिपुरा से जुसरिया) इस सड़क की स्वीकृति सम्भागीय आयुक्त अजमेर द्वारा 29–12–95 को व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर द्वारा 4 जनवरी, 1996 को जारी की थी तथा सड़क का काम चालू करने का आदेश 29 फरवरी, 1996 को दिया परन्तु अभी तक सड़क का काम पूरा नहीं किया गया हैं व सड़क का निर्माण कार्य बन्द है।

(ब) तीस जिला तीस काम योजना व सुनिश्चित रोजगार योजना में मकराना जुसरी से बुडसू तक वाया बरबाली सड़क की स्वीकृति तीन चरणों में जारी की गई है वर्ष 1994–95– में 3 कि. मी. डामरीकरण के लिए 3.15 लाख की स्वीकृति जारी की थी दूसरी सुनिश्चित रोजगार योजना में 5 कि. मी. लम्बी लेयर डब्ल्यू. बी. एम. कार्य के लिए 8.75 लाख की स्वीकृति जारी की थी इसके अतिरिक्त राज्य योजना वर्ष 1995–96 में 2 कि. मी. लम्बाई में 4.00 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की थी परन्तु इस सड़क पर केवल 1 कि.मी. डामर का काम किया गया है। बाकी जगह कुछ भी काम नहीं किया गया है। जगह-जगह मेटेरियल की ढेरिया होने के कारण आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

(स) **वर्ष 1996–97 में आश्वासित रोजगार योजना में स्वीकृत सड़कें**

(1) सम्पर्क सड़क चाण्डो–3 कि.मी. जी/आर–3.20 लाख

(2) नावद-घानणवा-6 कि.मी. डब्ल्यू. बी. एम.-7.50 लाख
(3) बुडसू कुकडोद-6 कि.मी.-7.50 लाख
(4) सम्पर्क सड़क जूसरिया-5 कि.मी. डब्ल्यू. बी. एम.-8.75 लाख
(5) राणीगांव-सरनावड़ा-3 कि.मी. डब्ल्यू. बी. एम.-5.00 लाख
(6) ग्राकोदा चाण्डी-3 कि.मी. जी./ग्रार.-5.00 लाख
(7) सम्पर्क सड़क घानणवा-3 कि.मी. जी/ग्रार-5.00 लाख
(8) सम्पर्क सड़क मूथली-3 कि.मी. जी/ग्रार-5.00 लाख
(9) बुडसू तोषीना सड़क चौड़ी करना-13 कि.मी. जी/ग्रार-17.25 लाख

(द) **एम. एन. पी. न्यूनतम ग्रावश्यकता कार्यक्रम स्वीकृत सड़कें**

(1)	संपर्क सड़क लाडोली	1 कि.मी.	2.00 लाख
(2)	इन्दोखा-नावद	2 कि.मी.	4.00 लाख
(3)	मकराना बरबाली	2 कि.मी.	4.00 लाख
(4)	कल्याणपुरा-इन्दोखा	1 ,,	2.00 लाख
(5)	लादडिया गैलासर	1 ,,	2.00 लाख
(6)	रावा रसाल	1 ,,	2.00 लाख
(7)	सम्पर्क सड़क रूपपुरा	0/2 ,,	4.00 लाख
(8)	ए. ग्रार. चारणवास	0/0 से 4/0 कि.मी.	7.00 लाख
(9)	खारिया से पदमपुरा	3 ,,	

उपरोक्त सड़कें विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत हुए होते हुए भी करीब तीन साल से कार्य पूरा नहीं हो रहा है मकराना के ग्रास पास के ग्रामों में डामर सड़कें तथा ग्रेवल सड़कें बनाना इस इलाके के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत को तहसील मुख्यालय से जोड़ने की घोषणाएं बार बार करती रही है हर बजट में इस बात की घोषणा होती है कि हम ग्राम पंचायत को तहसील मुख्यालय व पंचायत समिति मुख्यालय से जोड़ेंगे परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र मकराना में सरगोठ (पदमपुरा) घानणवा, कुकडोद, जुसरिया पंचायत मुख्यालय होते हुए भी किसी भी प्रकार की सड़क से नहीं जुड़े हुए है।

स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्य करवाने के लिए मैं लगातार मंत्री महोदय व सम्बन्धित ग्रधिकारियों को पत्र लिखता रहा हूं लेकिन कार्य पूरा करवाना दूर रहा मेरे एक भी पत्र का वापिस जवाब नहीं दिया गया है ताज्जुब की बात तो यह है कि मेरे क्षेत्र में समय समय पर सड़कें स्वीकृत होती रही है परन्तु इनका काम समयानुसार

पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सरकार तथा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मकराना विधान सभा क्षेत्र की स्वीकृत सड़को का काम शीघ्र ही चालू करवाकर उनका अविलम्ब डामरीकरण करवाया जावें। शेष रहे ग्राम पंचायत मुख्यालय को भी सड़कों से जुड़वाने की व्यवस्था करावें। मैं पिछली विधान सभा में भी अधूरी सड़कों को पूर्ण करने के लिए प्रश्न पूछा था जिनका उत्तर दिया गया कि सभी अधूरी सड़कों को जून, 1997 में पूरी कर दी जायेगी परन्तु सभी सड़कें अधूरी ही पड़ी है इसलिए मैं चाहूंगा कि अधूरी सड़कों को कब तक पूरा करवा दी जायेगी।

ह०/–
(रूपाराम)

डूंगरपुर के गांवों की अवाप्त भूमि का मुआवजा

महोदय,

मेरे क्षेत्र डूंगरपुर नगरपालिका में मालपुर, भाटपुर एवं राजपुर में हाऊसिंग बोर्ड ने वर्ष 1994-95 में भूमि अवाप्त की है। इन गांवों में अधिकांश भूमि आदिवासी काश्तकारों की हैं आदिवासी के पास जमीन के अलावा कोई सहायक धंधा नहीं होता हैं यह जमीन अवाप्त कर गरीब आदिवासियों को लूटा है। उन्हें बेसहारा किया गया है। उनका अभी तक मुआवजा तक नहीं दिया है और उनके सर पर तलवार लटका रखी है। इस सम्बन्ध में गत वर्ष भी मैंने विधान सभा में आवाज उठाई थी जिसमें आवासन मंत्री जी श्री भंवरलाल शर्मा भी पधारें लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्रीमन् इन गांवों में हाऊसिंग बोर्ड ने मात्र नब्बे हजार प्रति बीघा मुआवजा तय किया गया है जबकि एक बीघा भूमि से नगरपालिका लाखों रुपये वसूलती है क्या आपको ये आदिवासी लोग ही मिले व सरकार को इस बारे में उचित मुआवजा ठहराकर देना चाहिये।

साथ ही घरों, कुओं, सिंचाई की नालियों, मोटर पम्प हाउस वृक्ष बाउण्ड्रीवाल आदि का तो मुआवजा निर्धारित किया ही नहीं है।

अतः मैं आवासन मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन गांवों, मालपुर भाटपुर एवं राजपुर के काश्तकारों की जो भूमि अवाप्त की है उसे कैंसिल कराया जाये या इनको मुआवजा बाजार भाव से दिलाया जाये। घर, कुआ, सिंचाई की

नालियों, मोटर पम्प हाउस, वृक्ष बाउण्ड्रीवाल आदि का मुआवजा तय नहीं किया है उसे बाजार भाव से मुआवजा दिलाया जाये ।

सादर ।

ह०/-
(नाथूराम अहारी)

निवाई के दो पार्षदों को चुनाव के पश्चात् दो से अधिक सन्तानें हो जाने पर पद से अयोग्यता

महोदय,

मौजूदा राजस्थान सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को राष्ट्रीय संकट मानकर राजस्थान में नगरपालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम व राज. पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत पंच, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य एवं जिला परिषद के सदस्यों पर गत स्थानीय निकायों व पंचायत राज चुनावों के पश्चात् दो से अधिक सान्तनों के हो जाने पर उनको अयोग्य घोषित करने का प्रावधान करके एक साहसिक कदम उठाया है तथा उस कानून पर अमल करने के रूप में मौजूदा सरकार कांग्रेस पार्टी से चुने गये उपरोक्त संस्थाओं के सस्दयों के विरुद्ध एक क्षण की देरी किये बिना कार्यवाही कर रही तथा अनेक कांग्रेस के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर उनके पद रिक्त घोषित कर दिये ।

किन्तु अत्यन्त आश्चर्य की बात है कि निवाई नगरपालिका के वार्ड नं. 2 व वार्ड नं. 9 के क्रमशः माननीय सदस्य लादूलाल बैरवा व श्रीमती विमला सैनी के विरुद्ध कार्यवाही को झूठे बहाने व सहारे बनाकर टाल रही है । जबकि वार्ड नं. 2 के सदस्य के दिनांक 21.1.96 को पांचवीं सन्तान पैदा हो गई है तथा वार्ड नं. 19 की मा. सदस्य विमला सैनी के 21.5.96 को दो से अधिक सन्तान पैदा हो गई है ।

उपरोक्त दोनों सदस्यों के विरुद्ध विधिवत जिलाधीश महोदय, के दरखवास्त दे दी गई तथा सब ठोस सबूत पेश कर दिये, यहां तक पू. वि. निवाई श्री जयनारायण सालोदिया ने शपथ-पत्र प्रस्तुत किया हुआ है किन्तु दोनों सदस्य भाजपा के हैं इस लिये उनको बचाने के लिए अध्यक्ष नगरपालिका, निवाई ऐडी से चोटी का जोर लगा रहे हैं ।

अतः मैं मा. स्वा. शासन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर आग्रह करता हूं कि उपरोक्त दोनों सदस्यों को तत्काल अयोग्य घोषित कर भाजपा सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही करें तथा दोहरी व दोगली नीति का परित्याग करें।

ह०/-
(बनवारीलाल बैरवा)

सारणेश्वर पशु मेले के आयोजन की समाप्ति

अध्यक्ष महोदय,

पंचायत समिति सिरोही द्वारा प्रतिवर्ष सारणेश्वर पशु मेले के नाम से सिरोही में एक पशु मेला लगाया जाता है। पहले यह मेला सारणेश्वर के पास भरता था। पिछले 15 वर्षों से यह मेला सारणेश्वरजी से स्थानान्तरित करके अखेलाव तालाब के आस-पास मारकड़ा क्षेत्र में लगाया जा रहा है। मेले की गन्दगी से फैलने वाली बीमारियों से तंग आकर जब मारकड़ा बस्ती के लोगो ने मेले का विरोध किया तो अब यह मेला सिरोही के पास डाबा हनुमानजी क्षेत्र में भरता है।

अध्यक्ष महोदय उपरोक्त पशु मेले के सम्बन्ध में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि इस मेले में बैल और बछड़ों के अलावा दूसरे पशु नहीं आते। यहां पर पशुओं का लेन-देन किसी अच्छी नस्ल के कारण नहीं होता। मात्र बैल एवं बछड़ों का लेन-देन होता है तथा ये सारे पशु सीधे ही कटनी में जाते हैं। अध्यक्ष महोदय एक तरफ तो राज्य सरकार ने गो-वंश को बचाने के लिये कानून बनाया है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के मेलों में बिकने वाले पशुओं को सीधे ही कत्ल खाने ले जाने का लाइसेंस दे दिया जाता हैं। अध्यक्ष महोदय मेलों जिन बैलों एवं बछडों का लेन-देन होता है उनके पूरे बिल एवं रसीदें होने से उन्हें कत्ल खाने जाने से रोकना भी संभव नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय सिरोही के इस पशु मेले से पशुओं की नस्ल सुधार के सम्बन्ध में तो कुछ होता नहीं परन्तु हजारों की संख्या में पशुओ को कटनी में ले जाने की छूट मिल जाती है तथा मेले से हुई गन्दगी से भारी मात्रा में मच्छर पैदा हो जाते हैं। एव मेले के बाद अनेकों बीमारियां भी फैल जाती हैं। अध्यक्ष महोदय इस मेले के आयोजन से होने वाली बीमारियों एवं पशुओं के कत्लखाने जाने के कारण सिरोही की जनता में भारी रोष हैं।

अतः मान्यवर मैं आपके माध्यम से पंचायत राज मंत्री से निवेदन करना चाहती हूं कि गो वंश को बचाने एवं पशुओं की कटनी से होने वाले जघन्य पाप को रोकने के लिये अविलम्ब सारणेश्वर पशु मेले के आयोजन पर रोक लगाने के आदेश प्रदान करें।

ह०/—
(श्रीमती तारा भण्डारी)

नीमकाथाना को जिला बनाये जाने की घोषणा

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है जयपुर स्टेट के समय नीमकाथाना निजामत होती थी जो आज के जिले के समकक्ष थी और उस समय नीमकाथाना निजामत के नीचे खण्डेला, श्रीमाधोपुर, दांतारामगढ़, बैराठ, शाहपुरा, पावटा प्रागपुरा का सारा एरिया लगता था, परन्तु आजादी के पश्चात् नीमकाथाना को जिले का स्वरूप प्रदान नहीं किया गया। जबकि नीमकाथाना को जिले का स्वरूप प्रदान किये जाने के लिये सभी आवश्यकताएं उपलब्ध हैं।

मान्यवर, मैं यह भी तथ्य सरकार के ध्यान में लाना अपना कर्तव्य समझता हूं कि नीमकाथाना को जिला बनाये जाने के लिये श्री ओमप्रकाश सांई आमरण अनशन पर 1 सितम्बर, 1997 से एस. डी. ओ. कोर्ट, नीमकाथाना के बाहर बैठे हुए हैं। उनका वजन भी काफी कम हो गया है और उनकी गम्भीर व दयनीय स्थिति हो गयी है जिससे जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये मैं राज्य सरकार और सम्बन्धित मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करें।

ह०/—
(मोहनलाल मोदी)

बयाना नगरपालिका के चुंगी ठेकेदार द्वारा नाजायज वसूली

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय बयाना नगर पालिका द्वारा जून में चुंगी वसूली का ठेका हुआ है जिसके तहत चुंगी सेड्यूल से चुंगी की वसूली करने को ही नगर पालिका ने ठेकेदार को ठेका दिया था परन्तु चुंगी ठेकेदार ने अपनी मनमानी से सभी नियमों को ताक में रख कर हर चुंगी नाके पर बीस-बीस लठैत रख दिये हैं। इनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। बयाना में आने जाने वाले आम नागरिकों की तलाशी ली जाती

है तथा उनमे जिस सामान पर चुंगी नहीं लगती है उस पर भी चुंगी वसूली जाती है। अगर बयाना में किसी का रिश्तेदार प्राइवेट जीप या कार से आता है तो उसकी नाके पर खुले आम तलाशी ली जाती है और उन्हें बेइज्जत किया जाता है तथा बहन-बेटियों की अटैचियां खुलवाकर उनके मायके से मिली गिफ्ट जैसे कपड़े धोती आदि पर चुंगी वसूली जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय थोड़ा सा मना करने पर भी उनको बेइज्जत किया जाता है इससे आम नागरिकों में रोष व्याप्त है। सभी नागरिकों में दिनांक 5.8.97 को बाजार बन्द रख कर संकेतिक हड़ताल की थी तथा नागरिकों की मीटिंग में चुंगी ठेका समाप्त करने का निर्णय भी लिया था जिसका ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय ने विश्वास दिलाया था कि सरकार को विचारार्थ भेज दिया जायेगा, परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भैरोंसिंह शेखावत अपने दलालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। यही नहीं प्रशासन ने भी अपनी आंखे बन्द कर रखी हैं। दिन दहाड़े लोगों को लूटा जा रहा है। बेइज्जत किया जा रहा है। शहर के लोगों को अपने ही शहर में आने के लिये प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। बयाना के प्रशासनिक अधिकारी (एस.डी.ओ.) ठेकेदारों एवं पार्षदों के साथ मिले हुए है तथा शिकायत कर्ता से उल्टा यही कहते हैं कि भाई इन्होंने 1 करोड़ 26 लाख का ठेका लिया है। जायज-नाजायज वसूली तो करनी पड़ेगी, वे कोई घाटे में नहीं जायेंगे। मा. अध्यक्ष महोदय यही नहीं अगर कोई व्यक्ति चुंगी की नाजायज वसूली का विरोध करता है तो उस व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अतिक्रमण के नाम पर रास्ता चौड़ा कराने के नाम पर नाला निकालने पर मकान तोड़ने की धमकी दी जाती है तथा विशेष कर एक व्यक्ति का स्वयं उपजिला कलक्टर ने खड़े होकर मकान व दुकान तुड़वायी भी है। यही नहीं दुकान का सामान एस. डी. ओ. ने अपनी मौजूदगी में लुटवाया है। जिला कलक्टर सहाब ने आदेश दिया था कि चुंगी नाकों पर सैड्यूल रेट का बोर्ड लगाया जावे परन्तु कलक्टर सहाब के आदेश को ताक में रख कर आम हर वाहन से प्रवेश शुल्क के नाम पर बेइज्जत किया जाता है।

ठेके में कई पार्षद एवं माननीय भैरोंसिंह शेखावत की सरकार को बचाने वाले लोग ठेका में शामिल हैं। माननीय भैरोंसिंह शेखावत जी ठेकेदारों के खिलाफ कोई भी कदम उठाने में असहाय हैं।

गरीब जनता की आवाज को सुनने के लिये इस पवित्र सदन के अलावा कोई उचित स्थान नहीं है। अगर इस सत्र में सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया तो मैं आपके समक्ष यहां धरना दूंगा तथा बयाना के नागरिक गांधी जी के बताये हुए आन्दोलनात्मक रास्ते पर चलने के लिये मजबूर हो जायेंगे।

ह०/-
(बृजेन्द्रसिंह सूपा)

मारवाड़ के प्राचीन उद्यानों मण्डोर, पब्लिक पार्क, नेहरू पार्क की दुर्दशा

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत मैं सदन व सरकार के समक्ष मारवाड़ के प्राचीन मण्डोर उद्यान की दुर्दशा की के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि मारवाड़ में देश विदेश से प्रति वर्ष हजारों की संख्या में पर्यटक इस उद्यान को देखने के लिये आते है, जो इस उद्यान की दुर्दशा देखकर निराश होकर लौटते हैं इससे न केवल मारवाड़ के प्रति पर्यटकों का उत्साह कम हुआ है बल्कि हमें पर्यटन से होने वाली राजस्व आय से भी वंचित होना पड़ा है। जोधपुर के प्रसिद्ध मण्डोर उद्यान, पब्लिक पार्क व नेहरू पार्क के सौन्दर्य एवं स्वरूप में दिन–प्रतिदिन परिवर्तन होता जा रहा है। पेड़–पौधे सूख रहे हैं तथा हरियाली नष्ट हो रही है, इससे पर्यटन विकास के प्रति उदासीनता स्पष्ट रूप से झलकती है। मण्डोर उद्यान में लगी लाईटें प्रायः शत–प्रतिशत बन्द पड़ी हैं जिससे अन्धेरे का लाभ उठाकर असामाजिक तत्व अपनी गतिविधियों में सक्रिय होने लगे हैं साथ ही बन्दरों का उत्पात भी बढ़ता जा रहा है। उद्यान में कार्यरत वाले कर्मचारी प्रति वर्ष सेवा-निवृत होते जाते हैं एवं नई नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। सेवा-निवृति की तुलना में प्रति वर्ष नई नियुक्तियां किया जाना परमावश्यक है।

मण्डोर के ऐतिहासिक व कलात्मक देवल व 33 करोड़ देवी-देवताओं के शॉल जर्जरावस्था में हैं जो कि उद्यान का मुख्य आकर्षण का केन्द्र है। यदि समय रहते उद्यान के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो समूल नष्ट हो जायेगा। [illegible] रामदेवरा के मेले के अवसर पर देश के विभिन्न भागों से हजारों यात्री [illegible]र उद्यान आते हैं जहां सफाई अव्यवस्था के कारण कचरे के ढेर [illegible] सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों [illegible]चित किया गया लेकिन बजट के अभाव में उनके द्वारा भी [illegible] गई।

[illegible] मुख्य मंत्री महोदय एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से मेरा [illegible] मण्डोर उद्यान, पब्लिक पार्क एवं नेहरु पार्क के सौन्दर्यीकरण [illegible]व हेतु 12 करोड़ रुपये बजट आबंटन की व्यवस्था करावें ताकि [illegible]टकों का आकर्षण बढ़ाया जा सकें।

ह०/-
(राजेन्द्र गहलोत)

रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने से बेरोजगारों में व्याप्त असंतोष

मान्यवर,

वर्षों से योग्य तथा योग्यतम युवक-युवतियां राजकीय सेवामें स्थान न मिलने तथा नियुक्तियों पर लगी रोक के कारण आयु सीमा को पार कर रहे हैं । राज्य सरकार के रोजगार व नियोजन कार्यालय में अभी 1984 के प्रतीक्षारत कितने ही हजार अभ्य- प्रतीक्षा की लाइन में लगे हैं । एक ओर सरकार ने सभी विभागों में मस्टरोल प कार्य बन्द किया है । दूसरी ओर 9 से 6 तक के वेतनमानों में जो लोग प्रमोशन पा गये हैं या मर गये हैं उनके रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के निर्देश दे दिये गये हैं दूसरी ओर उच्च पदों पर सेवानिवृति के बाद पुर्ननियुक्तियां देने से बेरोजगार लोग- को अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं । यहां तक की गत वर्ष विधान सभा में ज घोषणा की गई थी कि 10% दस प्रतिशत पुलिस व 20% बीस प्रतिशत शेष सेवाओं पद भविष्य में महिलाओं से भरे जायेंगे उस ओर भी गति नहीं हुई है । राज्य सरका इन कई हजार रिक्त पदों के बारे में भविष्य में अपना निर्णय बदले यह आवश्यक है बचत के नाम पर विभिन्न विभागों की कार्य क्षमता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया ग है । अनेकों स्थानों पर स्टेनो टाइपिस्ट तक के पद खाली है । अस्पतालों में वार्ड ब्याव लिफ्ट मेनों के पद खाली हैं । दूसरी ओर जो काम ठेके पर दिये गये उसमें भी दक्षता न हैं । फायर मैन ड्रिंडल के पद जो प्रशिक्षित व्यक्तियों के होते हैं उन पर ठेकेदारों अप्रशिक्षित मजदूर लगे हैं" आग बुझाने का काम वह क्या खाक करेंगे-खाक तो लो जलकर सामान जलकर हो ही जावेगा । यही हाल सफाई सेवाओं का है । कुल मिला पुर्नविचार करने की बात हैं । विधवा व परित्यक्ता के नाम पर केवल शिक्षा विभ बचा है उसमें क्यू लगा हैं शेष योग्यता वाली महिलाओं को विभिन्न वि देनी चाहिये थी ? मान्यवर । राज्य में योग्य व्यक्तियों को उनके यो एतदर्थ इस सम्पूर्ण विषय को एक बार मनन कर विनिश्चय कर को खोले अत्यन्त आवश्यक है । इसके अभाव में जनता में भय अतः इस अविलम्बणीय लोक महत्व के विषय पर मुझे विगत 1 प्रदान करें ।

(डॉ.